राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का अड़तीसवां दिवस [संख्या : 21

बुधवार,

31 मार्च, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: डा. विश्वनाथ मेघवाल।

बीकानेर क्षेत्र में कच्ची साख को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में पक्की साख निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति

368. **डा. विश्वनाथ मेघवाल** (खाजूवाला): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर में सरकार द्वारा 10 बीघा कमांड भूमि से ज्यादा भूमि वालों की कच्ची साख को पक्की साख बनायी जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार सिंचित क्षेत्र में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत 1 से 10 बीघा सिंचित भूमि तक के किसानों की भूमि के खालों की पक्की साख बनवाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री महीपाल मदेरणा) : (1) जी हां। बीकानेर परियोजना में लागू डिजाइन मैनुअल के पैरा संख्या 308 के अनुसार 10 बीघा कमांड भूमि से ज्यादा भूमि वाले क्षेत्र में पक्की साख बनाये जाने के प्रावधान होने के कारण पक्की साख बनायी जा रही है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में सिंचित क्षेत्र विकास बीकानेर द्वारा नरेगा के अन्तर्गत 1 से 10 बीघा तक कमांड क्षेत्र में पक्की साख नहीं बनवायी जा रही

(श्री महीपाल मदेरणा)

है। इस संगठन में खाला निर्माण कार्य हेतु जारी डिजाइन मैनुअल के पैरा संख्या 308 के अनुरूप टेल पर छोटे कमांड हेतु 5 बीघा तक कमांड भूमि में न तो नक्का और न ही खाला बनाने का प्रावधान है। 5 बीघा से 10 बीघा तक कमांड भूमि में पक्का नक्का एवं कच्चा खाला बनाने का प्रावधान है एवं 10 बीघा कमांड भूमि से ज्यादा वाले क्षेत्र में पक्का नक्का एवं पक्का खाला बनाने का प्रावधान है।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं उन हजारों गरीब काश्तकारों की बात कर रहा हूं जो टेल पर अन्तिम छोर पर बैठे हैं। उनको पानी की बारी वैसे ही कम मिलती है और लास्ट मुरब्बे तक, किला नम्बर एक तक खाला बनाकर छोड़ दिया जाता है। कच्ची साख होने से जमीन पानी सोख जाती है, उनके पास पूरा पानी नहीं पहुंचता है। राज्य सरकार पानी बचाने के लिए बूंद-बूंद सिंचाई को प्रोत्साहित कर रही है। इस परिस्थिति में मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, मेरा टू-दी-पाइंट सवाल है कि सरकार इन छोटे काश्तकारों के लिए, 1 से 10 बीघा कमांड भूमि के जो काश्तकार हैं, उनकी कच्ची साख को पक्की साख बनाने का विचार रखती है या नहीं रखती है?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पूर्व में अन्तिम मुरब्बा लम्बाई में खालों को कच्चा छोड़ने का निर्णय पिछली सरकार में लिया गया कि इन कार्यों को पूर्ण माना जाये। फिर भी वर्ष 2007-08 के अन्दर इन मुरब्बा लम्बाई के खालों को पक्का कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जा चुका है। वर्तमान में इन अन्तिम मुरब्बा की लम्बाई में कच्चे खालों को पक्का करने का कार्य नरेगा के अन्तर्गत करवाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जो अन्तिम मुरब्बा को छोड़ा गया था वह 1,178 चकों में 83,482 हैक्टेयर खाले कच्चे छोड़े गये थे और इनकी कुल लागत 125 करोड़ की आंकी गयी थी। 2007-08 में इनके लिये 20 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा की जा चुकी है। 2008-09 के अन्दर इंदिरा गांधी परियोजना के सेकंड फेज के लिए नरेगा के अन्दर कुल 82 कार्य स्वीकृत हुए और 81 में कार्य आरम्भ हो गया। 2009-10 के अन्दर 234 कुल कार्य थे और 162 स्वीकृत हुए और 138 पर कार्य प्रारम्भ हो गया। 2 सालों में 219 चकों के ऊपर कार्य हुआ है।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, मेरा तो टू-दी पाइंट सवाल है कि 1 से 10 बीघा तक, जिसके पास 10 बीघा से कम कमांड एरिया है उसके लिए विभाग ने यह कहकर मना कर दिया कि डिजाइन मैनुअल में यह नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि नरेगा के तहत यह कार्य करवाये जायें। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 से 10 बीघा से कम कमांड वाले किसानों को नरेगा में इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सूचना दी है उसके लिए आभार कि आपने नरेगा के माध्यम से 5 से 10 बीघा क्षेत्र वालों के पक्के खाले बनाने की स्वीकृतियां जारी की हैं। इसे कृपया बढ़ाकर सारे क्षेत्र में, गंगानगर जिले से लेकर जैसलमेर तक वह सारा काम होना है। मेरा आपके माध्यम से यह पूछना है कि क्या यह सही है कि आपने राजकीय भूमि होते हुए इनको सिंचित भूमि की पूरी कीमत लेकर जमीन का आबंटन किया है और आपने किसी भी क्षेत्र में पक्के खालों का पैसा किसी भी किसान से वसूल नहीं किया है? विभाग को ही यह खाले बनाने हैं। आप यह 5 बीघा तक के काश्तकारों को किसके भरोसे छोड़ रहे हो?

अध्यक्ष महोदय, स्थिति मैं बताऊं कि यह टेल क्षेत्र का काश्तकार है और जब आखिरी छोर में पानी जाता है तो वैसे ही वाटर लासेस होते हैं और उसके बाद में उन कच्चे खालों के अन्दर वाटर लासेस होते हैं तो वह गरीब मारा जाता है। उसकी हमें मदद करनी चाहिए। हमें किससे परमिशन लेनी है? यू एन ओ से नहीं लेनी है, पाकिस्तान से नहीं लेनी है। हमें अपने ही यहां पर फैसला करना है और यह अच्छा है कि नरेगा के माध्यम से आप यह भी शामिल कर लें। आपने कहा कि हम नक्का नहीं देंगे तो वह कमांड जमीन का क्या होगा? आपको पानी का नक्का देना ही पड़ेगा।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि जितना भी क्षेत्रफल बताया हुआ है उस सारे में ही नरेगा के माध्यम से काम करें और यह 5 बीघा को भी कवर करें। इसमें कोई भी ऐसी बाधा नहीं है, बल्कि यह है कि सिंचाई का पूरा का पूरा पानी उपयोग हो जाये और जो गरीब काश्तकार है उसको पूरा लाभ मिल जाये। इसके लिये कृपया आप कुछ घोषणा करें।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जितने भी अंतिम छोर के छोटे किसान हैं, 5 बीघा से 10 बीघा के बीच में उनका आकलन करके और निश्चित रूप से विचार-विमर्श करके कार्य करेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से इतना ही पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डा. दिगम्बर सिंह। अगला प्रश्न।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): अध्यक्ष महोदय, बीकानेर सम्भाग का मामला है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उत्तर सेफिशिएंट है। दिगम्बर सिंह जी।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): एक पाइंटेड क्वेश्चन है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा सवाल है। (व्यवधान) बिलकुल छोटा सा सवाल है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): डिजाइन मैनुअल पैरा संख्या 308 के अनुसार विभाग में परिवर्तन करके क्या सिंचाई मंत्री 5 से 10 बीघा वाले काश्तकार को पक्का नक्का और खाला बनाने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: डा. दिगम्बर सिंह (व्यवधान)

घना पक्षी विहार, भरतपुर को जलापूर्ति

369. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि घना पक्षी विहार, भरतपुर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? यदि हां, तो इसे सूची में शामिल कब और किन आधारों पर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि यूनेस्को से सरकार को चेतावनी मिली है कि दिनांक 11 फरवरी, 2011 तक घना पक्षी विहार, भरतपुर में पानी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में इस पार्क को विश्व धरोहर की सूची से पृथक कर दिया जावेगा? यदि हां, तो चेतावनी पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विश्व धरोहर की सूची से घना पक्षी विहार, भरतपुर को पृथक करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो घना पक्षी विहार भरतपुर में शीघ्र पानी पहुंचाने की सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण (श्री रामलाल) : (1) जी हां। घना पक्षी विहार, भरतपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में वर्ष 1985 से

(श्री रामलाल)

शामिल किया गया है। जिन आधारों पर इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, उन आधारों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि यूनेस्को से सरकार को घना पक्षी विहार, भरतपुर को पानी की पर्याप्त उपलब्धता न होने पर विश्व धरोहर संकट के रूप में अधिसूचित करने सम्बन्धी पत्र मिला है। पत्र की प्रति परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी विहार) को विश्व धरोहर के रूप में विकसित रखने के प्रति दृढ़ संकल्प है। घना पक्षी विहार में जल आपूर्ति के स्थाई समाधान हेतु एक कार्य योजना 'गोवर्धन ड्रेन परियोजना' के नाम से बनाई है जिससे घना को प्रति वर्ष 350 एम.सी.एफ.टी. पानी अंडर-ग्राउंड पाइप लाइन से पहुंचाया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के लिये 56.22 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जायेगा जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया प्रगतिरत है।

(विवरण एवं प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, केवलादेव घना जो भरतपुर में स्थित है, मैं समझता हूं कि दुनिया में आर्टिफिशियल मार्श लैंड का बहुत बड़ा उदाहरण है और दुनिया में एक अनूठी ऐसी जगह है जहां पर दुनिया भर से कम से कम 300 माइग्रेटरी बर्डस उस बर्ड सेंक्चुरी में आती हैं और उनको देखने के लिए पर्यटक देश और विदेश से बड़ी संख्या में वहां आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 56.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति कब जारी हुई? नम्बर एक। नम्बर दो, इसके टेंडर की प्रक्रिया कब शुरू हुई? पहले तो मुझे मंत्री महोदय यह जवाब दे दें।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, घना यह बात सही है कि राष्ट्रीय धरोहर है। राज्य सरकार ने 56.22 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जनवरी, 2009 में मंजूर की है। यह 10.04.2008 को 65 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था और 20.05.2008 को चीफ सेक्रेटरी महोदय ने दुबारा पत्र लिखकर भारत सरकार को प्लानिंग से राशि स्वीकृत करने की मांग की। दिनांक 18.12.08 को 20 करोड़ रुपए भारत

(श्री रामलाल)

सरकार ने स्वीकृत किए। यह 56 करोड़ में से ही स्वीकृत किए। 56 करोड़ की राशि की जनवरी, 2009 में राज्य को स्वीकृति मिल गई। राज्य सरकार ने स्वीकृति अपने जल संसाधन विभाग को दे दी जिसने उक्त कार्यों का तखमीना स्वीकृत कर डी पी आर बनाने के लिए मई, 2009 में सिंचाई विभाग को दिया। सिंचाई विभाग ने 9.9.2009 को टेंडर की प्रक्रिया अपनाई। उस टेंडर की प्रक्रिया पर प्री-क्वालिफिकेशन बिड 27.10.2009 को खोलनी थी, निविदा, इसी दरमियान पी ए सी की मीटिंग विभाग के सम्बन्ध में हुई 16.10.09 को जिसमें नई गाइडलाइन बनाई। उसमें पी एस सी सी के स्थान पर जी आर पी पाइप लिए; सीमेंटेड पाइप लाने थे वह बार-बार ब्लास्ट होने की वजह से टेक्नीकल कमेटी में विशेषज्ञों की राय की वजह से जी आर पी गाइडलाइन में स्वीकृत किए गए। उस गाइडलाइन के अनुसार 31.12.09 को पुनः नई निविदा पी ए सी की गाइडलाइन को सम्मिलित करते हुए निकाली और वित्तीय निविदा 22 जनवरी, 2010 को खोली, जिसमें कुल 8 निविदाएं आईं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सबजूडिस है, हाइ कोर्ट में स्टे हो गया इस वजह से वह प्रक्रिया रुक गई। बाकी राज्य सरकार बराबर प्रयास करके समय-समय पर राष्ट्रीय धरोहर के जो पक्षी हैं, उनको बचाने के लिए पानी की पूरी व्यवस्था कर रही है। बराबर आप भी उसके लिए चिंतित हैं, भारत सरकार भी उससे ज्यादा चिंतित थी, उन्होंने पैसा स्वीकृत किया। गहलोत सरकार ने आते ही बराबर हर तारीखवाइज, डे-टू-डे का मेरे पास लिखा हुआ है इसका, इसका बराबर प्रयास किया है। वहां पर आने वाले समय में पानी की कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पेन में 22 से लेकर 30 जून, 2009 को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें यह तय किया गया कि अगर घना बर्ड सेंक्चुरी के लिए पानी की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं की समय रहते तो इसको बर्ड सेंक्चुरी...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं वही निवेदन कर रहा हूं। इसको वर्ल्ड हेरिटेज-इन-डेंजर घोषित कर दिया जाएगा। जो इतना इम्पोर्टेंट है, राजस्थान ट्यूरिज्म के लिए पर्टिकुलरली इस्टर्न राजस्थान के लिए, उस लेटर के बावजूद भी सरकार अभी तक चेती नहीं है।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी क्या टेक्नीकल कमेटी गठित की गई जिसमें पहले कई ऐसे पाइप तय किए गए और उसके बाद टेक्नीकल कमेटी ने दूसरे पाइप तय कर दिए। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में यही फर्क देखने को मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक यह काम प्राइवेट सेक्टर में होता तो मेरे ख्याल से यह काम 6 महीने पहले ही कम्प्लीट हो चुका होता पर अभी तक टेंडर प्रक्रिया में यह बात फंसी हुई है। सिंचाई विभाग के माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं यहां।

श्री अध्यक्ष: आप तो वन मंत्रीजी से प्रश्न पूछ रहे हो, विराजमान तो सारे ही हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इस पाइप लाइन का काम कब तक पूरा हो जाएगा जिससे कि वहां पर पानी की व्यवस्था घना बर्ड सेंक्चुरी के लिए हो सके?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर सप्लीमेंटरी कहना चाहता हूं। जो घना विहार है इसको चम्बल से पानी जून तक पहुंचा देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खतम हुई बात। श्री पेमाराम। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है, कृपया एक प्रश्न मुझे भी पूछने दें।

क्या सरकार पांचना बांध से जो गम्भीरी नदी से आता है, नेचुरल फ्लो का पानी है जिसमें से मछली, एलगी, फंगाई आती है उसी वजह से सरवाइवल होता है, उससे पानी देने का विचार रखते हैं? मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है और मुझे ही प्रश्न नहीं पूछने दे रहे हैं।

परिवहन निगम में चालक/परिचालकों के पदों हेतु नवीन भर्ती

370. श्री पेमाराम (धोद): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम में आगारवार चालक/परिचालक स्वीकृत पदों की तुलना में कम हैं? यदि हां, तो अगस्त, 2009 से जनवरी, 2010 तक उक्त कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए?

(श्री पेमाराम)

(2) क्या सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में नई भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

यातायात मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) जी हां। पूर्व की भांति आगारवार अगस्त, 2009 से जनवरी, 2010 तक एक्स सर्विस-मेन वेलफेयर कॉआपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से संविदा पर वाहन चालकों एवं आगारीय कमेटियों के माध्यम से बस एजेंटों को रखा जाकर परिचालकों की कमी की पूर्ति की हुई है। वर्तमान में संविदा के आधार पर 989 चालक तथा 695 बस एजेंट कार्यरत हैं। अगस्त, 2009 से जनवरी, 2010 तक कमी पूर्ति हेतु संविदा पर रखे चालकों एवं बस एजेंटों की संख्या की आगारवार स्थिति परिशिष्ट '1' व '2' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान परिवहन निगम में चालक, परिचालक, आर्टिशियन ग्रेड द्वितीय व तृतीय के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 5.3.2010 को विज्ञापन जारी कर दिनांक 20.04.2010 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ये भर्तियां 2009-10 में प्राप्त स्वीकृतियों के पेटे हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरे वाला प्रश्न है उसमें पहली बात तो यह है कि पिछले सत्र में माननीय मंत्रीजी ने सदन में घोषणा की थी और दूसरी बात अब की बार इन्होंने जो वेकेंसी निकाली है, यह अधिकारियों ने सारे कानून-कायदे तोड़ कर निकाली है। लगभग 5 हजार लोगों की भर्ती का सवाल है इसलिए इसको मैं थोड़ा सा क्लीयर करवाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछिए, भाषण नहीं दें।

श्री पेमाराम (धोद): यस, सर, मैं पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं। एक तो माननीय मंत्रीजी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले सत्र में 2,375 पदों पर नई भर्ती की घोषणा की थी और वह घोषणा यह थी कि इसी बजट में कर लेंगे। चूंकि आज इस बजट सत्र का आखिरी दिन है, जब यह क्वेश्चन लगा तो आपने एक वेकेंसी निकाली 5 मार्च, 2010 को और उस वेकेंसी में आपने चालक और परिचालक की भर्ती में यह कंडिशन डाल दी। यह कंडिशन नियम विरुद्ध है। माननीय मंत्रीजी, यह नियम मेरा नहीं है, आपका है, राजस्थान परिवहन निगम, जयपुर मुख्यालय, नियम 129, दिनांक 24 जून, 1997, जिस नियम के तहत आपका विभाग अकेला आथोराइज्ड नहीं है। जो

(श्री पेमाराम)

भर्तियां हैं, इनके जो रूल-रेग्यूलेशन जारी किए हैं उनमें चालक और परिचालकों की योग्यता तय की है, उनकी आयु सीमा तय की है, यह सारा का सारा चार्ट मेरे पास है। चालक के लिए आठवीं पास, भारी वाहन चलाने का लाइसेंस और बैज; इसी प्रकार से परिचालक के लिए भी इन्होंने तय किया है मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सेकंडरी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए।

श्री पेमाराम (धोद): उसमें यह आदेश की अवहेलना करके आपने जो विज्ञप्ति निकाली है इस आदेश के तहत पथ परिवहन निगम का बोर्ड पहले बैठता है, डिसिजन लेता है और वह भी यदि योग्यता को परिवर्तित करता है तो राज्य सरकार से अनुमति लेता है। यदि यह ली है तो आप उसकी कापी मुझे दे दीजिए। यदि नहीं ली है तो गलती करने वाले जो अधिकारी हैं, सीधी जो वेकेंसी निकाली है यह प्रश्न लगाने के बाद, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

दूसरा मेरा क्वेश्चन यह है कि जो कमी चल रही है, आप लिख लो वरना भूल जाएंगे, पिछले टाइम भी भूल गए थे, आपने जो दिया है और आपका जो चार्ट है उसके मुताबिक...

श्री अध्यक्ष: आप भी कागजों में मत उलझो, पूरक प्रश्न पूछ लो।

श्री पेमाराम (धोद): चलो, कोई बात नहीं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दो बातें पूछी हैं। एक तो इसी फाइनेंशल इयर में भर्ती करनी थी, हमने, निगम ने भर्ती करने के लिए कोई कसर कमी नहीं छोड़ी। 8.7.2009 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2,375 कर्मियों की भर्ती करने की घोषणा की, उसमें 793 इसी साल भर्ती करने थे। 24.8.2009 को प्रशासनिक स्वीकृति मिली, 23.10.2009 से 27.11.2009 तक नगरपालिका के चुनाव की वजह से आचार संहिता रही; 16.11.2009 को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को पत्र लिखा गया; 7.12.2009 को निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीएमडी ने आर पी एस सी से निगम मुख्यालय पर बैठक कर विचार विमर्श किया; 14.12.2009 को सचिव, आर पी एस सी द्वारा निगम में भर्ती करने की अर्थना लौटाई; 21.12.2009 से 11.2.2010 तक पंचायत चुनावों के कारण आचार संहिता रही; 13.12.2010 को एस, आर टी यू को भर्ती करने के लिए पत्र लिखा,

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

19.1.2010 को एस आर टी यू द्वारा प्रस्ताव को वापस भेजा गया; 18.2.2010 को निगम की 242वीं बैठक बोर्ड की हुई जिसमें 14/242/2000 भर्ती के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये; 26.2.2010 को निगम मण्डल की 242वीं बैठक में कार्यवाही निर्णय 15/2010 पास किया गया और 5.3.2010 को हमने विज्ञापन जारी कर दिया। यह तो पहले क्वेश्चन का जवाब है, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का।

एक दूसरे प्रश्न का जवाब ...

श्री अध्यक्ष: बस, सीमित रखें, थोड़ा शार्ट में।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): हां, शार्ट में। पूर्व में निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यता के बारे में जो चर्चा की गई, 18.2.2010 को प्रस्ताव संख्या 14 ...

श्री अध्यक्ष: यह प्रस्ताव और तारीखें छोड़िए, आपने किया वह बता दीजिए शार्ट में।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): नहीं, साहब, इनका इम्पोर्टेंट इश्यू यही है...

श्री अध्यक्ष: इतना लम्बा मत करिए।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): कि जो बोर्ड ने फैसला किया है, जो प्रक्रिया और जो क्वालिफिकेशन चेंज की है, पहले के मुताबिक, वह बोर्ड के फैसले के मुताबिक है और बोर्ड का फैसला राज्य सरकार तक आता नहीं है इसलिए बोर्ड एम्पावर्ड है और उसी के फैसले के मुताबिक विज्ञापन जारी किया गया है।

श्री पेमाराम (धोद): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आदेश है, यह कोई मेरे दस्तखतों का नहीं है, यह सरकार का आदेश है।

श्री अध्यक्ष: आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछिए, पूरक प्रश्न।

श्री पेमाराम (धोद): इस आदेश में यह है कि निगम मण्डल निर्णय लेगा और उसके बाद राज्य सरकार की अनुमति लेगा। तो वह ही चीज योग्यताओं में इसमें परिवर्तन होने के सम्बन्ध में है। एक चीज तो यह है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): राज्य सरकार से अनुमोदन कराने के सम्बन्ध में।

श्री पेमाराम (धोद): यही तो मैंने पहले पूछा था और आप इस बात को छिपा गये। इसलिए पेन से दुबारा लिख लो कि आपके बोर्ड ने कोई निर्णय किया है तो क्या सरकार के पास अनुमोदन के लिए आया है? यदि आया है तो उसकी कापी मेरे पास है। (व्यवधान) एक सेकंड, मेरा पूरा ......(व्यवधान) जल्दी मत करो, साहब। साहब, यह तो 5 हजार लोगों के ......(व्यवधान) अधिकारियों ने बरगलाने का काम किया। एक तो यह सरकार के पास आया है तो उसकी कॉपी से कृपया मुझे भी अवगत करा देते तो मैं भी संतुष्ट होता और सरकार ने अनुमति दी है कि किस तारीख को आदेश, उसकी कापी मुझे भी दे देते तो बेहतर रहता। दूसरा, 29 तारीख को एक फिर निकाला है, इसी के सम्बन्ध में, पिछले टाइम में आपने कहा था कि मैं रोडवेज में काम करने वाले चालक-कम-परिचालक संविदाकर्मी जो 2001, 2004 व 2005 से लगातार काम कर रहे हैं, उनके लिए आपने आदेश निकाला है 2009 ......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका?

श्री पेमाराम (धोद): 29 मार्च। इसमें प्रश्न मेरा यह है कि उसमें भी आपने दो साल की कंडिशन डाल दी। क्यों? जो 2001 से लगातार संविदा के रूप में आपके पास काम कर रहा है, इस आर्डर में आपने यह कंडिशन क्यों डाल दी कि 2 साल तक उसको और फिक्स पर रखेंगे, नियमित नहीं करेंगे? जबकि आपने पिछले सत्र में खुद ने घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शंका जाहिर की है, बोर्ड के प्रस्ताव को सरकार के पास आने की, मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। नम्बर दूसरा जो यह क्वेश्चन पूछा है, जो संविदा पर कर्मचारी थे उनको नियमित करने के बारे में, आज की तारीख में जितने भी संविदा कर्मचारी 2001, 2004 से 2005 ...

श्री पेमाराम (धोद): संख्या बता दो न, कितने हैं?

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री पेमाराम (धोद): संख्या बता दीजिए न, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): संख्या बता रहा हूं न।

श्री पेमाराम (धोद): दबाव आ रहा है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): आज की तारीख 2001 एवं 2004 से 2005 के जितने भी संविदा कर्मचारी थे, उन सबको रेगुलराइज कर दिया गया है।

श्री पेमाराम (धोद): कितने हैं? संख्या बताइए न प्लीज, संख्या बताइए।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, संख्या। यह बात को छिपा रहे हैं। (व्यवधान) गोलमटोल जवाब है।

प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल पर विक्रय कर की दर

371. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल पर लिया जाने वाला टैक्स अन्य राज्यों से अधिक है? यदि हां, तो किन-किन राज्यों से? राज्य एवं पड़ोसी राज्यों द्वारा लिये जाने वाले टैक्स का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा अधिक टैक्स वसूले जाने के कारण राज्य में से होकर गुजरने वाले वाहन राज्य के पेट्रोल पम्पों से पेट्रोल/डीजल नहीं लेकर अन्य पड़ोसी राज्यों से लेते हैं जिसके कारण सरकार को आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि गत 1 वर्ष में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई बार वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कब-कब और कितनी-कितनी कीमत में वृद्धि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पेट्रोल-डीजल पर वसूले जाने वाले टैक्स में कमी कर आम व्यक्ति को राहत पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। जहां कुछ पड़ोसी राज्यों में प्रदेश के मुकाबले डीजल व पेट्रोल पर कर दर कम है, वहीं कुछ अन्य पड़ोसी राज्यों में यह दर राजस्थान से अधिक है।

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	राज्य	कर दर डीजल	कर दर पेट्रोल
1.	राजस्थान	18.00%	28.00%
2.	मध्य प्रदेश	23.00%	28.75%
3.	गुजरात	21.00%	23.00%
4.	दिल्ली	20.00% 2010-11 में प्रस्तावित	20.00%
5.	उत्तर प्रदेश	17.23%	26.55%
6.	पंजाब	8.80%	27.5%
7.	हरियाणा	8.80%	20.00%

(2) पंजाब व हरियाणा में पेट्रोल एवं डीजल पर कर दर राजस्थान से कम है परन्तु वाहन कहां से डीजल-पेट्रोल लेता है, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) गत 1 वर्ष में पेट्रोल एवं डीजल की दरों में वृद्धि डीजल की कम्पनियों द्वारा की गई है:-

दिनांक	पेट्रोल	डीजल
02.07.2009	रू. 3.354	रू. 1.78
27.02.2010	रू. 2.27	रू. 2.27

इसके अतिरिक्त पेट्रोल कम्पनियों के द्वारा कमीशन राशि बढ़ाये जाने के कारण दिनांक 27.10.2009 को पेट्रोल में 7 पैसे एवं डीजल में 4 पैसे की वृद्धि हुई है।

(4) जी नहीं। सरकार के पास पेट्रोल एवं डीजल पर सेल्स टैक्स (वेट) कम करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। पेट्रोल एवं डीजल पर वेट का सीधा असर राजस्व पर पड़ता है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें आपने माना है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में डीजल पर टैक्स राजस्थान से कम है और पेट्रोल में तो गुजरात, दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में टैक्स है। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस ने

(श्री कालीचरण सराफ)

विधान सभा के चुनाव के समय अपने चुनाव घोषणा पत्र के पेज नम्बर 29 पर पेट्रोल, डीजल पर स्थानीय करों में रियायत करने का वादा प्रदेश की जनता से किया था? और यदि किया था तो जिस तरीके से महंगाई केन्द्र बजट आने के बाद, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के बाद बढ़ी, उसको कम करने के लिए सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा करने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्या यह जनता के साथ घोर विश्वासघात की श्रेणी में नहीं आता है या नहीं आता? इसका जवाब दीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): घोषणा पत्र इन्होंने पूरा पढ़ा नहीं, उसमें तारीख नहीं लिखी हुई है कि यह घोषणा इस तारीख तक पूरी हो जाएगी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अच्छा यों है। (व्यवधान) यह रहा आपका चुनाव घोषणा पत्र। यह क्लीयर लिखा है इसमें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अच्छा 5 साल के लिए होता है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरा निवेदन सुन लें आप। माननीय सदस्य, गवर्नमेंट आफ इंडिया की एक एम्पावर्ड कमेटी बनी हुई है और उस एम्पावर्ड कमेटी ने यह फिक्स्ड फ्लोर रेट आफ डीजल, यह तय कर रखा है कि हर प्रदेश कम से कम 20 प्रतिशत वैट डीजल पर लगायेंगे। हरियाणा और पंजाब सिर्फ दो स्टेट ऐसी हैं जो इस बात को नहीं मान रही हैं लेकिन अल्टीमेटली उनको भी मानना पड़ेगा।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि देखिये, जो कुछ भी है, अगर एक प्रतिशत भी वैट की दर को कम किया जाता है तो अकेले डीजल से 114 करोड़ रुपये का रेवेन्यू लास होता है और पेट्रोल से 29 करोड़ रुपये का होता है एक साल में। कुल मिलाकर के हमारा पूरे साल भर का जितना भी राजस्व है उस साल भर के राजस्व का 3 हजार करोड़ रुपये साल का हमें इससे मिलता है। आपको ध्यान में होगा इस बात का कि यह सब कुछ था, महंगाई आज ही नहीं है, महंगाई पिछले कई वर्षों से बढ़ती आई है उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक सेस और लगा दिया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप कम कर दो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप कम करो न। हमने तो बढ़ा दिया था, आपने तो वादा किया है चुनाव घोषणा पत्र में, उसके अनुरूप आप कम करिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं कि एम्पावर्ड कमेटी की जो बैठक हुई जिसके चेयरमैन बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं.... (व्यवधान) ये प्रणव मुखर्जी बता रहे हैं, प्रणव मुखर्जी जो दिल्ली के हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, इधर।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): असीम दास गुप्ता साहब की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी की जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उनको हर स्टेट को करीब-करीब मानना पड़ता है। तो यह टेम्परेरी फेज है कि पंजाब और हरियाणा नहीं मान रहा है, उनको मानना पड़ेगा। जिस तरीके से दिल्ली ने कर दिया, दिल्ली में साढ़े 12 प्रतिशत का वैट था डीजल पर जो अब उन्होंने बजट की घोषणा में 20 प्रतिशत कर दिया। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो डर आपके मन में है कि लोग पंजाब से और हरियाणा से पेट्रोल और डीजल भरवाकर के राजस्थान में आ जाते हैं, यह करीब-करीब खतम होने वाला है। इसलिए इस बात पर निश्चित रहें। सवाल इस बात का है....

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में जो स्थिति है न कि वहां 8 प्रतिशत टैक्स है और यहां पर 18 प्रतिशत टैक्स है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दूसरी स्टेट का भी देख लीजिये न आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वह तो आप हरियाणा-पंजाब की बात कर रहे हैं न। उससे क्या फर्क पड़ता है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आपको दूसरी स्टेट का भी तो बता रहा हूं न। मध्य प्रदेश तो आप ही की स्टेट है। राजस्थान में तो सिर्फ 18 प्रतिशत है....

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपने वादा किया था चुनाव के समय। चुनाव घोषणा पत्र में हमने वादा नहीं किया। आपने जो वादा किया उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? यह पूछ रहा हूं मैं। आपने वादा किया था न चुनाव घोषणा पत्र में।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप तो वादा इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपके वादे पर तो जनता विश्वास करती ही नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप पर विश्वास कर रही है न। आपने जनता से विश्वासघात किया है। आपने चुनाव घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा है कि पेट्रोल और डीजल पर करों में रियायत की जाएगी लेकिन आपने एक नये पैसे की भी रियायत नहीं की।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं की।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं की तो वादा खिलाफी आप कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): आप स्वीकार करो कि गलत वादा किया है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हो। मेरा यह आरोप है कि आप जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप गुजरात को ले लें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है; मध्य प्रदेश को ले लें, मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में भी आप करीब-करीब यही मानते हो; पंजाब में भी आपकी भागीदारी है, वहां को ले लें। आप हर जगह देख लें। राजस्थान में फिर भी काफी कुछ कम है अलावा एक पंजाब के। हरियाणा में कम है, मैं कह रहा हूं आपसे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हरियाणा में तो आप हो, उनका ही अनुसरण कर लो आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हम हैं, हम मना थोड़े ही कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि मंत्रीजी, अभी जो यह एक साल में दो बार टैक्स बढ़ा, यानि 6 रुपये 68 पैसे पेट्रोल पर बढ़ा और 4 रुपये 9 पैसे डीजल पर बढ़ा तो पहले कितनी रेवेन्यू मिलती थी पेट्रोल और डीजल से और अब कितनी रेवेन्यू मिलती है? नेचुरली जब इतना टैक्स बढ़ा, कीमत बढ़ी तो रेवेन्यू भी बढ़ा होगा क्योंकि 18 प्रतिशत आपका टैक्स है। तो उस रेशो में तो आप कम कर सकते हैं, रेवेन्यू भी आपकी नहीं घटेगी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

आपको यह जो डर लग रहा है कि रेवेन्यू घट जायेगी, रेवेन्यू घटी नहीं है। मैं आपको फीगर दे देता हूं। 2006-07 में पेट्रोल में रेवेन्यू मिलती थी 616.89 और यह वृद्धि थी 20.70 की, ठीक इसी तरीके से 2007-08 में 666.70 और वृद्धि थी 8.7 प्रतिशत, 2008-09 में 815.23 और यह वृद्धि थी 22.28 प्रतिशत। यह तो रहा पेट्रोल का और इसी तरह से डीजल की भी वृद्धि रही। तो वृद्धि तो हर साल होती जा रही है, वृद्धि की चिंता न करें आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): होगी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपको तो चिंता इस बात की है कि घोषणा पत्र आप पूरी तरह से, अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाये और पढ़कर के....

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह रहा न ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह आप ने दिखा रखे हैं लेकिन उस घोषणा पत्र में यह तारीख बता दें आप कि इस तारीख को राजस्थान की सरकार वैट कम कर देगी। यह तारीख मुझे बता दें, बता दें आप तारीख।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मतलब यह आप नहीं करोगे, यह कहो। यह कहो कि चुनाव घोषणा पत्र तो बेकार है, यह पुलिंदा है, इसके आधार पर हम नहीं चलेंगे, यह कहो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अभी अपने उत्तर में 50 पैसे डीजल और पेट्रोल पर सेस का जिक्र किया जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में लगाया और उस सेस को लेकर सदन के नेता सहित आप सब लोगों ने कई बयानबाजी भी की थी। 50 पैसे सेस जो भारतीय जनता पार्टी ने रोड फंड के नाम पर लगाया, क्या आप उसको वापस लेने का विचार रखते हो? नम्बर दो, क्या आज आपके उत्तर से यह स्पष्ट मान लें कि आपने जो पेट्रोल, डीजल और गैस के अन्दर दरों में रियायत करने का वादा किया था उससे आप पूर्णतया मुकर गये? ये दोनों बात बता दें आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने जिस तरीके से सेस लगाया, वह सेस लगाया था आपने सड़कों के सुधार के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किसी के लिए भी लगाओ, आपने कहा न कि हमने सेस लगाया, वापस लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो? स्पेसिफिक हां-नां में बता दो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं लेना चाहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तो हो गई न बात खतम।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, नहीं लेना चाहते क्योंकि आपके द्वारा लगाई गई हर चीज को हम वापस भी नहीं लेना चाहते लेकिन जो गलतियां आपने की हैं उनको हम जरूर सुधारना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): फिर विरोध क्यों किया था? सदन के नेता बैठे हैं, लम्बा-चौड़ा बयान दिया था इस सेस पर, यहां सेस-सेस कर रहे थे, पत्र फाड़े गये थे। फिर काहे का विरोध कर रहे हो? हाथी के दांत दिखाने के कुछ, और खाने के कुछ।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): शांती जी साहब, कोई गुंजाइश है तो थोड़ा और सैल्स टैक्स बढ़ा दो।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जयपुर में पेट्रोल और डीजल का भाव क्या है?

विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

372. **श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में औद्योगिक क्षेत्र नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु क्या योजना है?

(3) क्या उक्त क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं मानदण्ड अनुरूप उपलब्ध हैं? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त क्षेत्र का औद्योगिकरण करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्योग मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में रीको द्वारा कोई भी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। रीको द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(3) औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का निर्णय स्थानीय उद्यमियों की

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मांग, क्षेत्र विशेष की औद्योगिक क्षमता, भूमि की उपलब्धता, जल व बिजली की उपलब्धता तथा परिवहन साधनों, इत्यादि के आकलन के पश्चात् लिया जाता है। तथापि विराटनगर के समीपस्थ थानागाजी में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। यह क्षेत्र विराटनगर कस्बे से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जो तीसरा भाग है उसमें मैंने पूछा है कि औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं मानदण्ड के अनुरूप विराटनगर में उपलब्ध हैं या नहीं और इसका उत्तर नहीं आया।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): नहीं है, बताया न आपको।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नहीं, इसमें मैंने पूछा आपसे कि मानदण्ड की सुविधाएं जितनी आवश्यक हैं वे विराटनगर में उपलब्ध हैं या नहीं, इसका उत्तर नहीं दिया आपने।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सुविधाओं से क्या मतलब है आपका? रीको जहां भी उचित समझता है वहां पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करता है। विराट नगर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं किया।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सुविधाएं उपलब्ध हैं विराट नगर में फिर भी आप नहीं कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सुविधाएं तो सभी जगह हैं लेकिन रीको जब इस बात को मानता है कि यहां पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना हमारे लिए फायदेमन्द है, यहां के उद्यमियों को लाभ होगा तब औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करता है लेकिन विराट नगर में इस तरह के कोई उद्योग स्थापित होने की स्थिति थी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विराट नगर से 15 किलोमीटर दूर थानागाजी है वहां पर हमने 1997 में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया और 58 में से 35 प्लाट वहां पर आबंटित किये गये लेकिन उन 35 प्लाटों में भी आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए हम यह मानकर के चलते हैं कि विराट नगर के इतने नजदीक होने के बावजूद भी जब वहां पर इस तरह के उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं तो विराट नगर को रीको ने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त नहीं समझा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्ष महोदय, विराट नगर

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

कोने में है; आप शहर की बात कर रहे हैं, विराट नगर कोने में है। हाइवे नम्बर आठ के दोनों तरफ विराट नगर विधान सभा क्षेत्र है। वहां अपार खनिज सम्पदा है, विराट नगर में भी और कोटपूतली में भी। दोनों के मध्य में स्थित है। हाइवे नम्बर आठ, यह अभी भारत सरकार ने जापान सरकार से कोलेबोरेशन किया है, एक समझौता किया है, उसका जो गलियारा है, वह भी विराट नगर होकर आएगा और वहां कह रहे हैं कि सम्भावना नहीं है! शाहपुरा में जो औद्योगिक क्षेत्र है, अब नया प्लाट एक भी उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग खेती की जमीन को कंवर्ट कराकर उद्योग लगा रहे हैं। ऐसे ही...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका? पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मेरा प्रश्न यह है कि औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाये विराट नगर में, यह मेरा निवेदन है। लेकिन उसके बारे में कह रहे हैं कि जब वहां लाडा का बास में सब-ग्रिड बन रहा है और जमीन उपलब्ध है तो आप उसको डिनाई कर रहे हैं। थानागाजी तो अलवर में है, उसके कारण से ये कह रहे हैं कि वहां नहीं हो सकता है। यह मेरा निवेदन है, इस कारण से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि करेंगे कि नहीं करेंगे? यह प्रश्न है मेरा। इसमें मेरा प्रश्न है कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य को निवेदन कर रहा हूं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रीजी, मैं इतना ही आपसे पूछना चाहता हूं, वैसे आपके हिसाब से उद्योग की परिभाषा क्या है? क्या किसी नगर के पास में अगर कोई औद्योगिकीकरण हो गया है तो वह उसका बगल वाला नगर डिस्क्वालिफाइ हो जाता है? आपके पैरामीटर्स को अगर आप देखें, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं, क्योंकि केन्द्र सरकार की भी एक, जो केन्द्र सरकार की एक पालिसी है कि जयपुर से मुम्बई तक का आपका एक फ्रेट कोरिडोर बनाया है, अब फ्रेट कोरिडोर के बनने के बाद में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि छह लेन के अन्दर एक्सेसिबिलिटी पाइंट्स सुनिश्चित हों। हर गांव, हर नगर, हर क्षेत्र एक्सेसिबल नहीं होगा। छह लेन के आने के बाद में अब अगर आप यह चाहते हैं कि जो हाइवे से लगा हुआ है, सिर्फ वहीं औद्योगिकीकरण हो सकता है, यह टाउनशिप की जो आप बात कर रहे हैं, 5-8-10 पेरिफेरी के टाउन्स हैं, अगर आप इनको आज चिह्नित नहीं करेंगे तो अगले 10 वर्षों में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और जिसमें

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

राजस्थान प्रथम दृष्टया सबसे अग्रणी पंक्ति में आ सकता है, आप डिस्क्वालिफाइ हो जायेंगे लेक आफ इंफ्रास्ट्रक्चर और लेक आफ विजन की वजह से। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विराट नगर ही नहीं, विराट नगर जैसे कई ऐसे नगर हैं, जहां आपको आइडेंटिफाइ करने पड़ेंगे। ये एयरपोर्ट लगाने वाले आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल कोरिडोर के साथ एविएशन इंडस्ट्री आ रही है। और एक बात, क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने यह पालिसी मैटर पास किया है कि जितने डिफेंस के लिए एविएशन सप्लाइ के और मैन्युफेक्चरर हैं, उनकी 30 प्रतिशत सप्लाइ और मैन्युफेक्चर देश में होना चाहिए। अगर यह लागू हो जायेगा, सर, तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश होगा जो सीधा इससे फायदा उठा सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसके बारे में आप फरमायें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मंत्री महोदय, आप बाद में जवाब दे देना। फ्रेट कोरिडोर का कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, अभी तक चार क्लस्टर्स आपने आइडेंटिफाइ कर रखे हैं, सदन के नेता बैठे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर की जो कमेटी है, उसके सामने रखे हैं। वे चार क्लस्टर्स बहुत कम हैं। उसने अभी इनिशियल उस पर किया है। आप थोड़ा सा उस पर और अध्ययन करवा लें, जितनी गवर्नमेंट लैंड है जो आपके विजन के हिसाब से और वहां पर डवलप हो सकती है, dedicated freight corridor will be a boon. 42 प्रतिशत राजस्थान में से गुजर रहा है। आप और करें...

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अभी तक किया नहीं है इसका, इसको करने की नीयत है क्या? डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के बारे में अध्ययन करें पहले, उसके बाद में करें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय,...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है। एक मेरा भी सप्लीमेंटरी है।

श्री अध्यक्ष: मैंने अलाऊ नहीं किया तो भी आप खड़े हो गये। आप जवाब दीजिये इनके प्रश्नों का।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य की शंका निर्मूल है। राजस्थान सरकार पूरी तरह से

(श्री राजेन्द्र पारीक)

सचेत है और मैं पूरे सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी योजना दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर जिसका राजस्थान में से 40 प्रतिशत इलाका होकर गुजरेगा, मैं एश्योर करना चाहूंगा पूरे सदन को, हम इस योजना पर विचार कर रहे हैं और इसमें न केवल हाइवेज, बल्कि हाइवेज के दोनों तरफ 150-150 किलोमीटर का पूरा एरिया है, वह इसमें कवर होगा। हम न केवल हाइवेज के, बल्कि जितने भी सब-अर्ब के जितने भी इलाके हैं, वहां पर उनकी उपयोगिता के आधार पर निश्चित रूप से उनको पूरी तरह से औद्योगिकीकरण के लिए हम चिह्नित करेंगे और चिह्नित करने के बाद हम वहां पर रीको द्वारा निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की कार्यवाही करेंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि रीको को जहां नहीं लगता, उद्यमियों को फायदा नहीं होगा, वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया डवलप नहीं करते तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या रीको का क्राइटेरिया केवल उद्यमियों को फायदा देने का है या औद्योगिक क्षेत्र डवलप करने के पीछे और भी सरकार की कुछ मानसिकता है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): कोई भी डिपार्टमेंट हो, लाभ-हानि का तो निश्चित रूप से आकलन करेगा लेकिन उसके बावजूद भी रीको कतई यह मानकर नहीं चलता कि हम केवल फायदे का सौदा ही करेंगे। रीको सिर्फ यह एश्योर करना चाहता है कि जहां हम इंडस्ट्रियल एरिया डवलप कर रहे हैं, वहां पर औद्योगिकीकरण होगा या नहीं होगा। अब आप सपोज करिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, विराट नगर के पास थानागाजी है, थानागाजी में रीको ने औद्योगिक क्षेत्र डवलप किया, वहां पर 58 प्लाट बनाये। 58 में से 35 प्लाट हमने उद्यमियों को दिये भी, उन 35 प्लाटों पर आज दिन तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इसलिए रीको की चिंता यह रहती है। एक ओर तो हम काश्तकारों की भी जमीन ले लेंगे और उन पर हम औद्योगिकीकरण नहीं करेंगे तो काश्तकारों को भी इस बात की पीड़ा होती है कि हमारी जमीन ले ली, उस पर औद्योगिकीकरण नहीं हुआ। मैंने, अध्यक्ष महोदय, सारे जिला कलक्टर्स जो हैं, उनको सीधे निर्देश विभाग द्वारा दिये हैं कि जहां कहीं भी गवर्नमेंट लैंड है, वहां पर लैंड को सेट-अपार्ट करें हम लैंड बैंक बनाना चाहते हैं लेकिन यह कतई नहीं हो सकता कि जहां औद्योगीकरण नहीं है, जहां सम्भावना नहीं है, वहां

(श्री राजेन्द्र पारीक)

रीको लोगों की जमीन को एक्वायर करे और वहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करे। यह सम्भव नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने थानागाजी क्षेत्र, रीको क्षेत्र के लिए कहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को सुझाव देना चाहता हूं कि थानागाजी में मार्बल पत्थर है और अलवर जिले के आसपास एक मूर्ति बनाने वालों का बहुत बड़ा व्यवसाय है। अगर औद्योगिक क्षेत्र थानागाजी को कोई विशेष पैकेज देकर उन मूर्तियों का उद्योग लगाया जाये तो निश्चित रूप से थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र डवलप होगा, वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां पर एक नया औद्योगिक एरिया डवलप होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्ष महोदय, विराट नगर में मूर्तिकला का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें 50 यूनिट लगी हुई हैं; छितोली गांव है, वहां रीको के लिए जमीन खाली पड़ी है, पत्थर पर्याप्त मात्रा में है। आपने अभी खुद ने कहा कि नहीं, यहां उत्तर दिया, जी नहीं और खुद कह रहे हैं कि 150 किलोमीटर के एरिया में वह कोरिडोर आएगा। उसमें विराट नगर शामिल है कि नहीं? एक तो इस प्रश्न का उत्तर दें। मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि 150 किलोमीटर में विराट नगर शामिल है कि नहीं?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से विराट नगर उसमें शामिल है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर विराट नगर, थानागाजी में मूर्तिकला का स्कोप है तो मैं दोनों माननीय सदस्य साहबान को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा और मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके यह जानकारी लूंगा कि वहां पर किस तरह के उद्योग स्थापित हो सकते हैं। वह करेंगे।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय मंत्रीजी, एक काम करिये, यह जहां पर आइडेंटिफाइ कर रहे हैं, एक-एक घर में उद्योग है, सर। एक दिन आप पधार कर उस गांव को देखिये, आपको ऐसा गांव नहीं मिलेगा, पूरा गांव मिलकर उद्योग चला रहा है। अगर आप इस तरीके की फेसिलिटी कर देंगे ना, जितनी आपकी मूर्तियां यहां खजाने वालों के रास्ते में बिकती हैं ना, वह तीन चौथाई मूर्तियां विराट नगर से आने वाले माननीय सदस्य, उस गांव से आते हैं, जिसका छितोली नाम है, एक-एक घर के अन्दर मूर्तिकला का बहुत बड़ा उद्योग है। आप पधारें, दिखायें, then you can do it. We welcome you there.

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं

(श्री राजेन्द्र पारीक)

ने एरिया देखा है। वहां पर निश्चित रूप से मूर्तिकला का भी स्कोप है, वहां पर वूलन कारपेट का भी स्कोप है। मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य साहबान से सम्पर्क करके वहां पर और क्या स्कोप है, इसकी जानकारी लूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम जी चौधरी।

बगरू औद्योगिक क्षेत्र की डिफाल्टर औद्योगिक इकाई को नियम विरुद्ध ऋण स्वीकृति की जांच

373. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या को-आपरेटिव बैंकों द्वारा डिफाल्टर एवं अवधिपार ऋण बकाया होने पर उन व्यक्तियों अथवा औद्योगिक इकाइयों को नकद ऋण सुविधा प्रदान की जा सकती है?

(2) क्या औद्योगिक क्षेत्र बगरू की औद्योगिक इकाई नाटाणी ग्रेनाइट्स मार्बल्स एंड स्टोन प्रा.लि. में रुपये 53,27,346/- की राशि अवधिपार बकाया शेष है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त फर्म को इतनी बड़ी रकम अवधिपार बकाया होते हुए भी 10 लाख का ऋण और स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त अवधिपार बकाया एवं दिया गया ऋण वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार डिफाल्टर को ऋण देने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? क्या सरकार वसूली नहीं होने की स्थिति में उक्त राशि अधिकारियों के वेतन से वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) जी नहीं।

(2) जी हां। दिनांक 31.12.2004 से रुपये 53,27,346/- की राशि अवधिपार बकाया शेष है।

(3) जी नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इसमें एक जोड़ना चाहता हूं। किन्तु अवधिपार बकाया राशि की नियमानुसार वसूली शीघ्र की जायेगी।

(4) जी नहीं। क्योंकि बैंक द्वारा डिफाल्टर को और ऋण नहीं दिया गया है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-2 में 31.12.2004 से रुपये 53,27,346/- की राशि अवधिपार बकाया शेष है तो आज दिन तक उस पर ब्याज सहित कितनी राशि बकाया है?

दूसरा, यह है कि नाटाणी ग्रेनाइट्स का मालिक कौन है? उसको बैंक से ऋण दिलाने में गारंटर कौन था? और उप रजिस्ट्रार के.के. गुप्ता से इनका क्या सम्बन्ध है? क्या यह ऋण के.के. गुप्ता के दबाव में दिया गया? और वसूली से पहले भवन व सेंटर बेच दिया गया?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा खण्ड-2 में, अब तक बकाया राशि कितनी है 2004 से; यह 2004 से एन.पी.ए. राशि के खाते में चली जाती है उसके बाद इस पर कोई ब्याज वगैरह नहीं लगाया जाता है। वैसे अगर इसको पूरा काउंट करें तो यह दो करोड़ के करीब यह राशि होती है। आपने कहा है कि इसका गारंटर कौन है; जो कम्पनी थी इसकी, मैसर्स नाटाणी ग्रेनाइट्स मार्बल्स एंड स्टोन प्राइवेट लिमिटेड को यह राशि स्वीकृत की गई थी और इसका गारंटर भी इसी कम्पनी के जो मालिक थे वही इसका गारंटर था। (व्यवधान) सुनिये, पूरी सुनिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): गारंटर मालिक तो हो ही नहीं सकता, साहब।

श्री अध्यक्ष: सुनिये, सुनिये बात, पूरा सुनिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्रीजी, वह गारंटर हो ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष: पूरा सुनिये। माननीय सदस्य, पूरा सुनिये।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): पहले पूरी सुनिये ना। और तीसरा सवाल...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट लिमिटेड का मालिक नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये तो सही।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): तीसरा सवाल पूछा, इनके गारंटर के और के.के. गुप्ता के क्या सम्बन्ध हैं, यह भी पूछा। के.के. गुप्ता हमारे विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार हैं और इनके पिता-पुत्र का सम्बन्ध है। यह राशि जिसकी आप कह रहे हैं, की स्वीकृति भी आपके ही राज में हुई थी, 95 में। आपका पांच साल राज रह लिया, एक भी उसको वसूली का नोटिस नहीं दिया

(श्री परसादीलाल)

और हमने, माननीय अध्यक्ष महोदय, गारंटर के, कम्पनी को उसने बेच दिया, कम्पनी के कोर्ट में भी गया मामला, आज किसी कोर्ट से कोई स्टे नहीं है। हमने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं, उसके गारंटर के मकान की नीलामी की तारीख भी हमने निश्चित कर दी है, पांच तारीख को उस गारंटर के मकान की नीलामी करके यह पैसा वसूल करेंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि इतनी बकाया राशि जो दो करोड़ रुपये मंत्री महोदय बता रहे हैं, इसके बाद भी इन असेट्स को, इस नाटाणी ग्रेनाइट्स को इसके मालिक ने बेच दिया है, इतनी बकाया होने के बाद में भी बेच दिया तो आपका बैंक क्या कर रहा था?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 95 में ऋण लिया था और यह इसको इन्होंने बेच दिया...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बकाया होने के बाद!

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): हां, बेच दिया, बकाया होने के बाद भी बेच दिया। यह सारी नेग्लीजेंस रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वसूली की जानी चाहिए थी। इन्होंने नोटिस नहीं दिये, नोटिस एक-दो बार दिया। जब यह मामला हमारे ध्यान में आपके, माननीय सदस्य के प्रश्न से आया, हमने गारंटर का जो मकान है उसकी नीलामी, कुर्की की।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वह तो गारंटर और मालिक एक ही है, इससे ज्यादा और क्या? आप तो यह बताइये, यह जो आपका डिप्टी रजिस्ट्रार है जिसके कारण से यह सब खुर्द-बुर्द हुए दो करोड़ रुपये, सहकारी बैंक जो राजस्थान के आम गरीब का बैंक है, जिसका पैसा गरीब के लिए जाना चाहिए, दो करोड़ रुपये बाप और बेटे ने डिप्टी रजिस्ट्रार होकर के उस दो करोड़ को खुर्द-बुर्द कर दिया, उस डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? इनके राज में हो चाहे आपके राज में हो, यह बैंक राजस्थान की उस गरीब जनता का है। दो करोड़ रुपये की सम्पत्ति बकाया होते हुए बेच दी। ऐसा शायद पहला उदाहरण होगा कि मालिक भी वही है और गारंटर भी वही है। इससे ज्यादा मिलीभगत और क्या हो सकती है? उस डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सवाल यह नहीं है, सवाल

(श्री रामनारायण मीणा)

यह है किसान डीजल पम्प बेच देता है तो वह तुरन्त जाता है, मुकदमा दर्ज होता है..

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय अध्यक्षजी, इसी बैंक का उदाहरण है, एक बी पी एल परिवार की प्रोपर्टी नीलाम करने का आर्डर है। एक बी पी एल परिवार की प्रोपर्टी पैंतालीस हजार के लिए नीलाम की गई। एक बी पी एल परिवार का, अध्यक्षजी, ...

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): किसान को जेल भेजते हैं, दूसरी तरफ खुर्द-बुर्द कर देते हैं। जेल भेजते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं। इसलिए जहां-जहां पूंजीपतियों का सवाल है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? आप तो यह बता दो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): एक बी पी एल परिवार को कोआपरेटिव बैंक, जयपुर ने नीलाम किया, उसकी धरती का नीलाम; नीलामी नोटिस है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पांच हजार रुपये किसी गरीब में बकाया हो जाय सोसाइटी का तो ढोल बजाते हैं और दो करोड़ रुपये खुद-बुर्द कर दिये बाप और बेटे ने मिलकर के और इनके विभाग में अब भी डिप्टी रजिस्ट्रार है और यह कह रहे हैं कि इनके राज में, इनके राज में चोरी की हो तो आप उनको सज़ा नहीं देंगे?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्षजी, एक बी पी एल परिवार का उदाहरण है। कोआपरेटिव बैंक, जयपुर ने उसकी भूमि नीलाम करने का नोटिस दिया है। केवल पैंतालीस हजार बाकी हैं, बी पी एल परिवार है, वह मर चुका, जो वह ऋणी था वह मर चुका, उसके बेटे से उसकी जमीन को नीलाम किया जा रहा है। बी पी एल परिवार है और उससे एक लाख रुपये जमा करने पर नीलामी रोकी गई है। यह उदाहरण है जयपुर कोआपरेटिव बैंक का; उसी बैंक का उदाहरण है एक, कोआपरेटिव बैंक का।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा प्रश्न है कि 53 लाख रुपये 31.12.2004 से बकाया हैं और आज दिन तक अगर उसका ब्याज जोड़ा जाय तो दो करोड़ रुपये होते हैं। एक उप रजिस्ट्रार के कारण से उस फैक्टरी को भी बेच दिया और अब उसके मकान को नीलाम करने की बात कर रहे हैं और

(श्री केसाराम चौधरी)

उससे वसूल करेंगे केवल 53 लाख रुपये। अगर इसी तरह से कोई किसान का, कोई गरीब का ऋण लिया हुआ होता...

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): यह रहा न डेयरी का, डेयरी का, डेयरी का।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): तो उसका तो ब्याज माफ करने में भी दिक्कत आती है और गरीब का खेत नीलाम कर देते हैं मगर उसकी फैक्टरी बेच दी गई, ऋण जिस फैक्टरी पर दिया गया उस फैक्टरी को बेच दिया गया, क्योंकि उसमें उप रजिस्ट्रार वह गुप्ता वहां पर बैठा था, उसके दबाव के कारण से वह फैक्टरी बेच दी गई और केवल 53 लाख रुपये ही वसूल किये जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि यह पूरे का पूरा दो करोड़ रुपया गरीब जनता का पैसा है, यह पूरा वसूल करना चाहिए, मेरी यह मांग है आपसे।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय अध्यक्षजी, ऋण माफी योजना के बावजूद इस किसान का खेत नीलाम करने का नोटिस...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): और उस गुप्ता के खिलाफ, उस डिप्टी रजिस्ट्रार गुप्ता के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? यह भी मुझे बतायें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि यह फैक्टरी कब बेची गई, यह फैक्टरी भी 14.6.2006 को बेच दी गई, तब भी आपका ही राज था। आपका ही राज था। (व्यवधान) यह सारे...(व्यवधान) इसलिए, अध्यक्ष महोदय, ...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपके राज में बेच दी।

एक माननीय सदस्य: 2006 में बिकी है, 2006 में।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): राज तो अफसरों का होता है। राज किसी का, न बीजेपी का है, न कांग्रेस का, अफसरों का राज होता है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसकी वसूली के लिए हम शीघ्र से शीघ्र सख्त से सख्त कार्यवाही करके पैसे को जैसा कहा है कि इसके ब्याज सहित जो भी बनेगा अब तक, उसकी पूरी वसूली करेंगे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह तो बतायें

(श्री अमराराम)

कि मालिक और गारंटर एक ही करके जो लोन दिया है, जिस अधिकारी ने यह लोन स्वीकृत किया है जिसमें मालिक भी वही है और गारंटर भी वही है, और बकाया होते हुए सम्पत्ति बेच दी तो जिन अधिकारियों ने नियम विरुद्ध इनको सेंक्शन किया, उनके खिलाफ आप...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी ने जवाब दिया है, कार्यवाही करेंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हैं ?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी ने जवाब दिया है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, जवाब दिया है, वसूल करेंगे।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): सर, उनके खिलाफ कार्यवाही का कुछ नहीं कहा। वसूली की कार्यवाही का कहा है मंत्रीजी ने।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, ऐसा उदाहरण पहली बार होगा जिसमें लोनी भी वही है और गारंटर भी वही है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): यह ऋण वसूल करेंगे; उसके खिलाफ कार्यवाही क्या करेंगे, वह नहीं कहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ऐसा है, जिन्होंने लोन सेंक्शन किया है, किसकी सरकार में किया, मैं यह नहीं कहता, किसी की सरकार में लेकिन नियम विरुद्ध किया है, उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: सुनिये, सुनिये। आप बैठिये। माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों की इसमें नेग्लीजेंस रही है, जिनकी भी मिलीभगत रही है, यह आर्बिट्रेशन को भी मामला गया है, इसमें जिन भी अधिकारियों ने गलती की है उसकी पूरी जांच करवाऊंगा और जांच कराकर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

कोटा क्षेत्र के चम्बल पुल दुर्घटना की जांच

374. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) इस्ट-वेस्ट कोरिडोर के भाग इलाहाबाद-पिण्डवाड़ा एन.एच. संख्या 76 के अन्तर्गत कोटा बाइपास हेतु चम्बल नदी में निर्माणाधीन पुल दुर्घटना में

(श्री ओम बिरला)

कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कितने घायल हुए? नाम, पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त दुर्घटना की जांच हेतु जांच कमेटी बनाई गई? यदि हां, तो जांच के क्या नतीजे रहे? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दुर्घटना के लिए कितने लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई व कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा कितने गिरफ्तार होने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस पुल निर्माण को पुनः चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) अब उक्त पुल निर्माण कब तक पूर्ण हो जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री प्रमोद जैन (भाया)) : (1) इस्ट वेस्ट कोरिडोर के भाग इलाहाबाद-पिण्डवाड़ा एन एच संख्या 76 के अन्तर्गत कोटा बाइपास हेतु चम्बल नदी पर निर्माणाधीन पुल हादसे में 48 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 17 व्यक्ति घायल हुए। नाम पते सहित मृतकों की सूची परिशिष्ठ-1 पर संलग्न है तथा घायलों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त दुर्घटना की जांच हेतु भारत सरकार द्वारा महानिदेशक (सड़क विकास) एवं विशिष्ट शासन सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। राजस्थान सरकार द्वारा भी हादसे की जांच हेतु सत्भागीय आयुक्त, कोटा एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सानिवि, कोटा की प्रशासनिक जांच समिति का गठन किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। दोनों जांच समितियों के स्तर पर जांच प्रगति पर है।

(3) पुलिस विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त दुर्घटना के लिए पुलिस थाना कुन्हाड़ी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 434/09 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 एवं 308 के अन्तर्गत 14 लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। सूची परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सूची परिशिष्ट-6 पर संलग्न है। 2 नामजद आरोपियों की

(श्री प्रमोद जैन (भाया))

इसी दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है तथा 3 नामजद आरोपियों के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित नहीं होने के कारण जांच प्रसंग से पृथक किया गया है। 5 नामजद आरोपियों के विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

(4) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त पुल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाये जाने के प्रयास जारी हैं।

(5) पुल हादसे के कारण अभी निर्माण कार्य स्थगित है एवं जांच कार्य प्रगति पर है। पुनः कार्य प्रारम्भ होने पर ही पुल निर्माण पूर्ण होने की अनुमानित तिथि निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

(सूचियां व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

(समय : 12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए आगे देखें)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पावं पर है, आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर सम्भाग में गत 4 माह से सम्भागीय आयुक्त का पद रिक्त होने से योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. डा. फूलचन्द भिण्डा एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को 2006 से देय वेतमान में वेतन स्थिरीकरण से पूर्व वसूली करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री वासुदेव देवनानी एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में 1 अप्रैल, 2010 से लागू की जा रही आबकारी एवं मद्य संयम नीति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से कोटा सम्भाग के राजकीय वैद्य दाऊदयाल जोशी आयुर्वेदिक अस्पताल में दिनांक 29.3.2010 को भर्ती किए गए एक दलित को अस्पताल प्रभारी द्वारा बाहर निकाल दिए जाने की घटना के सम्बन्ध में।

5. श्री बहादुर सिंह एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से भरतपुर जिले की बिगड़ती कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक हित के सभी विकास कार्य बंद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

7. श्री हेमसिंह भड़ाना एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में गुर्जर समाज के उत्थान हेतु लागू की गई देवनारायण योजना का लाभ प्राप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री बाबूसिंह राठौड़ एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से माननीय न्यायालय के स्पष्ट आदेशानुसार शिक्षा विभाग में प्रबोधक के पद पर नियुक्ति नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से भारतीय खाद्य निगम के गांधी नगर, जयपुर डिपो में गेहूं के हजारों बोरे खुले में पड़े होने से उनके खराब होने के सम्बन्ध में।

10. श्री अमराराम, सदस्य की ओर से राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के हथियार लाइसेंस दो वर्षों से नवीनीकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री हेमसिंह भड़ाना, श्री बाबूसिंह राठौड़, श्री

(श्री अध्यक्ष)

हनुमान बेनीवाल एवं श्री अमराराम को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद के धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली कतिपय सड़कों का निर्माण करने के संबंध में।
2. श्री सूरजभान धानका, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (लक्ष्मणगढ़) की पेयजल समस्या का समाधान करने के संबंध में।
3. श्री विजय बंसल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के बाढ़ से टूटे बांध चिकसाना का कार्य आरम्भ करने के संबंध में।
4. श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर के माध्यमिक विद्यालय धारता का बोर्ड परीक्षा केन्द्र 30 किलोमीटर दूर वल्लभनगर कर दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
5. श्री ओम जोशी, सदस्य की ओर से फलौदी के निकट पम्पिंग स्टेशन आर.डी.67.5 पर नहर के बने एस्केप चैनल द्वारा पानी के अपव्यय को रोकने के संबंध में।
6. श्री महावीर प्रसाद जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के शाहपुरा स्थित सैटेलाइट हास्पिटल की दयनीय स्थिति के संबंध में।
7. श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सदस्य की ओर से राज्य में युनानीपेथी निदेशालय की भांति होम्योपेथिक निदेशालय तथा 200 शय्या का होम्योपेथिक अस्पताल खोले जाने की घोषणा करने की आवश्यकता के संबंध में।
8. श्री बनवारी लाल सिंघल, सदस्य की ओर से अलवर शहर स्थित जिला कलक्ट्रेट कार्यालय जहां है, वहीं पर यथावत रखने के संबंध में।
9. श्री अर्जुन लाल गर्ग, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के अकालग्रस्त क्षेत्र में तत्काल चारे-पानी की समुचित व्यवस्था कराने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

10. श्री भवरू खां, सदस्य की ओर से फतेहपुर की ऐतिहासिक बावड़ी में कचरा भरने एवं जीर्ण-शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. श्री शाले मोहम्मद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पोकरण में पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं की ग्राम पंचायत सामोद में महामाया मंदिर के लिए बन्दोल से महामाया मंदिर तक सड़क निर्माण कराने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री हेमसिंह भड़ाना।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। अंकित नहीं होगा।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ×××

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था का प्रश्न होता ही नहीं है इसमें। अंकित नहीं होगा।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, श्री हेमसिंह भड़ाना।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

गुर्जर समाज के उत्थान हेतु योजनाओं की क्रियान्विति

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, देव नारायण योजना जो पिछली तत्कालीन वसुंधरा जी की सरकार के समय में गुर्जर समाज को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा हुआ मानते हुए उसको एक तत्कालीन सुविधा दी ताकि उसके माध्यम से यह समाज अन्य समाजों के साथ मुख्य धारा में जुड़ सके। 500 करोड़ की योजना बनी थी, 282 करोड़ फर्स्ट फेज के अन्दर पेयजल के लिए, उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए और राज्य में 12 जगह छात्रावासों के लिए पैसे दिए थे, 50-50 लाख रुपए प्रत्येक छात्रावास को दिये गये और 70-

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

80 लाख रुपए आई.टी.आई. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए दिये गये। राज्य में 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं, 12 आवासीय छात्रावास जिनकी राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास गई है और 400 के लगभग उप स्वास्थ्य केन्द्र जिनकी राशि ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की हुई है। 86 मेरे अलवर जिले में हैं जिसमें 24 थानागाजी में, 25 राजगढ़ में, 25 उमरेण में, 1 रैणी में और 24 ही बानसूर के अन्दर हैं जिनके अन्दर मात्र 12 के अन्दर स्वीकृति मिली। आज तक इस सरकार ने जो 25 करोड़ योजना का नाम लेकर यहां पर अभी अभिभाषण देते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा कि मैंने देव नारायण योजना के अन्दर 25 करोड़ रुपए दिये; हमने 282 करोड़ रुपए दिये, वह आज तक सरकार आपकी आने के बाद ज्यों का त्यों पैसा पड़ा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि जो लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े है उनको आरक्षण का लाभ देकर, उनको आरक्षण का जरिया देकर के समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाये। उसी प्रक्रिया के तहत तत्कालीन सरकार एक बिल लाई थी कि 5 प्रतिशत गुर्जर, गाड़ियां लुहार, रैबारी और बंजारों को नौकरियों में आरक्षण का लाभ देकर के उस समाज के लोगों को जोड़ा जाए। उस बिल को जब से यह कांग्रेस सरकार आई है, एक साल तक उस बिल को अटकाए रखा, उस पर माननीय राज्यपाल से दस्तखत नहीं कराये। हमने जब यहां पर...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया विराजें, व्यवस्था बनाये रखें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): इस विधान सभा में बात को उठाया इस बात को लेकर के कि माननीय मुख्य मंत्रीजी अपनी सरकार की गुर्जरों के प्रति मंशा साफ करे, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस बिल पर राज्यपाल से दस्तखत करा दिये लेकिन आज यह कहते हैं उसमें कानूनी खामियां थीं। उसमें खामियां थीं। तो जिस समय, आज सदन के नेता हैं, लेकिन जिस दिन वे सदन में सदस्य की हैसियत से बैठे थे, इन्होंने क्यों नहीं विरोध जताया? सर्वसम्मति से बिल पास हुआ, सर्वसम्मति से बिल पास करने का मतलब है कि इनकी सहमति थी और फिर इस बिल को पास कर दिया। इसके बाद इसकी मंशा थी कि इसमें संवैधानिक त्रुटियां हैं, संवैधानिक खामियां हैं तो निश्चित रूप से इनको उच्च न्यायालय में केविएट दायर करनी चाहिए थी।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में जो अपील दायर की उस व्यक्ति का अता-पता नहीं है।

सरकार आज आए दिन गुर्जर प्रतिनिधियों को राजनीतिक नियुक्तियों का लोभ देकर के बुला-बुला करके वार्ता कर रही है। जो समाज ने आंदोलन छेड़ा है और चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे संस्था हो अपने प्रजातांत्रिक तरीके से अपना हक मांगने के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए आंदोलन करता है। आज भी गुर्जर समाज सड़कों पर बैठा है, धरने पर बैठा है और इस समय में जो कानून-व्यवस्था बिगड़ने की अगर संभावना है और अगर कानून-व्यवस्था चरमराई, इस राजस्थान में कानून-व्यवस्था बिगड़ी तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं इस कांग्रेस की सरकार की होगी। आज मैं आगाह करना चाहता हूं इस कांग्रेस सरकार को, माननीय मुख्य मंत्रीजी बुला-बुला कर समाज के लोगों को, उनको झूठा लालच देकर उनको भ्रमित कर रहे हैं लेकिन समाज इस बात को देख रहा है। आज राजस्थान में हम शांति चाहते हैं, आज हम राजस्थान में अहिंसात्मक आंदोलन करना चाहते हैं, आज राजस्थान में हम शांति का संदेश देना चाहते हैं। लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार उसको दबाना नहीं चाहती, सरकार उसको खिलाना चाहती है। सरकार उसमें अपनी मंशा साफ जाहिर नहीं कर रही है।

इसको 9वीं अनुसूची में डलवायें, 9वीं अनुसूची में डलवाकर केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है, कितने राज्य ऐसे हैं जिसमें तमिलनाडू है, महाराष्ट्र है, उन्होंने भी इसी 9वीं अनुसूची में डलवाया है, 62 प्रतिशत, 78 प्रतिशत...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय अध्यक्ष महोदय, गुर्जर आंदोलन पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, कृपया विराजें। श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाया जाए।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

(धरना)

(माननीय सदस्य श्री हेमसिंह भड़ाना, श्री रामलाल गुर्जर, श्रीमती अनीता सिंह व, श्री ओटाराम देवासी सदन कूप में धरने पर बैठे)

श्री अध्यक्ष: गलत बात है, गलत बात है। श्री बाबूसिंह राठौड़। और किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा, केवल श्री बाबूसिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह, इसके अलावा किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। कृपया आप विराजें, कृपया आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री हेमसिंह भड़ाना ने मेरे चैम्बर में आकर के यह निवेदन किया था कि मैं केवल जो सुविधाएं मिलने वाली हैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। इसके अलावा कोई चर्चा नहीं करूंगा। उसके बावजूद धरने पर बैठने की कार्यवाही करके सदन के अन्दर जो व्यवधान डाल रहे हैं, आप अपने किए हुए वायदे से भी मुकर रहे हैं। मैं किसी माननीय सदस्य को अलाऊ नहीं करूंगा। श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। ...

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा, केवल बाबूसिंह राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं। आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, बैठ जाएं।

शिक्षा विभाग में प्रबोधक पद पर नियुक्ति

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पूर्व की भाजपा सरकार ने चालीस हजार प्रबोधक, वंचित पैराटीचर, शिक्षाकर्मी, लोकजुम्बिश, मदरसा पैराटीचर की नियमित नियुक्ति के लिए नया राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008 ध्वनिमत से पारित किया व 27 हजार पैराटीचरों को प्रबोधकों के रूप में भर्ती करने का निर्णय किया। चालीस हजार पैराटीचर में से 17 हजार पैराटीचर आर पी एस सी के माध्यम से नियमित हुए व 27 हजार लोगों को नियमित कैसे किया जाए, इसके लिए प्रबोधक बनाकर नियुक्ति का निर्णय लिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री बाबूसिंह राठौड़।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा, केवल श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कई पैराटीचर जो नियुक्ति से वंचित रह गये थे...

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यवस्था बनाये रखें। इस प्रकार का वातावरण यहां नहीं चलने दिया जाएगा। माननीय सदस्य। श्री बाबू सिंह राठौड़।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उन पैराटीचरों ने नियुक्ति याचिकाएं दायर करायीं, 6245/08, 6766/08, 6249/08 ये याचिकाएं दायर करायीं व माननीय न्यायालय ने 1,465 पैराटीचरों की नियुक्ति के आदेश राजस्थान सरकार को दिये। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी पीड़ा के साथ यह कहना पड़ रहा है कि 1,465 जो पैराटीचर नियुक्त किये गये हैं, आदेश हुए हैं

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

उनको आप नियुक्ति तो दे रहे हैं लेकिन वरियताक्रम के अन्दर जो कनिष्ठ प्रबोधक लगाये गये थे उनको हटाकर के पैराटीचर बनाये जा रहे हैं और उनको नियुक्ति दी जा रही है । आपके यहां पहले 29,134 सीट्स की वेकेंसी निकाली गयी थी जिनमें से 22,600 प्रबोधकों को भर्ती किया। उसमें 600 पैराटीचर वेटिंग में रखे गये थे। उन वेटिंग को नियुक्ति देने के लिए लोक सभा चुनाव से तीन दिन पहले आपने 594 सीट की वेकेंसी निकाल करके उनको लगाया अब इन्हें जो 1,465 की नियुक्ति के आदेश हुए हैं और आप उनको नियुक्त करने जा रहे हैं तो इसके लिए भी आपको नियुक्ति निकालनी चाहिए। जिनको पैराटीचर से प्रबोधक बनाया गया है उनको आप वापस प्रबोधक से पैराटीचर बना रहे हैं। यह उनके साथ शोषण है, उनके साथ अत्याचार है, उनके साथ अन्याय है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहले जो निर्णय हुआ था उस निर्णय के अन्दर भी, नियुक्ति के निर्णय के अनुसार यह आपका सरकारी आदेश है कि इन 1465 को नियुक्ति दी जाए। अब इनकी नियुक्ति आप दे रहे हैं लेकिन प्रबोधक को हटाकर दे रहे हैं। इसलिए उनको भी रखें और इनके लिए वेकेंसी निकाल कर इनको नियुक्ति दें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब ये पैराटीचर लगे थे उस समय न्यूनतम आयु सीमा तो 18 साल थी लेकिन अधिकतम आयु सीमा नहीं थी। आपने जब इनको प्रबोधक के रूप में नियुक्ति दी तो इनकी अधिकतम आयु सीमा 35 की, ओ बी सी वालों की 40 की, कई जिलों के अन्दर 35 और 40 साल के जो लगे हुए थे उनको भी लगाया नहीं गया। यह भी विसंगति है। इसको भी आपको देखना चाहिए। प्रबोधकों से जो पैराटीचर बनाये जा रहे हैं उसमें जो आदेश निकला है, यह भी आपका 16.3.2010 का आदेश निकाला है और इस आदेश के अन्दर आपने कह दिया कि जो कनिष्ठ वरियता में हैं उनको हटा करके पैराटीचर बना दें। प्रबोधक से पैराटीचर बना दो यह आदेश निकाल दिया। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को कि प्रबोधक को वापस पैराटीचर नहीं बनाया जाए, यह उनके साथ अन्याय है। इनके लिए नयी वेकेंसी निकाल करके इनको लगाया जाए। ये मेरा खास तौर से आपको निवेदन रहेगा।

इसी प्रकार से जो पैराटीचर लगे हैं, पूरक परीक्षा उत्तीर्ण कर गये, बी एस सी, एस टी सी परीक्षा परिणाम गुर्जर आंदोलन के कारण तीन माह देरी से घोषित हुआ है उनको भी नियुक्ति दी जाए और अवकाश अवधि जो आपने

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

180 दिन के लिए कहा था प्रबोधक लगाते समय कि पांच साल का अनुभव होना चाहिए लेकिन पांच तक छुट्टियां रहेंगे उनको नहीं दिया जाएगा। अब पांच साल की छुट्टियां किस कारण से रहीं, हास्पिटल में भर्ती रहा या उनके घर में किसी की डैथ हो गयी या क्या हो गया क्या कारण बने तो भी आपने 180 दिन वालों को लेने के लिए छुट्टी का प्रावधान किया है कि ऐसे हैं तो उनको भी लिया जाए। बी ए की परीक्षा उत्तीर्ण 2002 की मान्यता वाले बी एस टी सी वालों को कोर्ट का आदेश है कि उनको लिया जाए, पांच वर्ष से कम अनुभव वाले मदरसा में कार्यरत पैराटीचर को कोर्ट के आदेश से लिया जाए।

तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पैराटीचर्स जितने भी हैं उनको जो नियमित नियुक्ति देनी थी, प्रबोधक बनाना था वह काम अभी तक नहीं हो रहा है। अब तो आपने तुरंत ही यह आदेश निकाल दिया कि जो कनिष्ठ वरियता में हैं उनको हटा करके पैराटीचर बना दें, प्रबोधक बना दो...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय मंत्री महोदय, यह कैसा अन्याय है? क्या प्रबोधक प्रबोधक रहेंगे या हटाकर वापस पैराटीचर बन जाएंगे? मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि यह पैराटीचरों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय, इसमें कुछ जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल। कृपया मर्यादाओं का ध्यान रखें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की आपकी व्यवस्था सर्वोपरि है लेकिन नान-आफिशियल डे के अन्दर...

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। विराजिये।

भारतीय खाद्य निगम के गांधीनगर, जयपुर स्थित डिपो में गेहूं का खुले में पड़ा होना

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान के अन्दर पिछले दो दिनों से एक दैनिक समाचार पत्र के अन्दर छप रहे ''एफसीआई के गोदामों में बुरे हाल, अनाज रखने की जगह नहीं''।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

''गोदामों में शराब और सड़कों पर गेहूं'' समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, भारतीय खाद्य निगम के कुप्रबन्ध के चलते लाखों टन गेहूं आज बरबाद होने की कगार पर है। जयपुर के गांधीनगर डिपो में ओवरफ्लो के चलते गेहूं के हजारों बोरे परिसर में खुले डाल दिये गये हैं। एक गोदाम के कई शेड शराब से भरे पड़े हैं। गोदाम में जगह नहीं होने से कनकपुरा रेलवे स्टेशन पर गेहूं की बोरियों की दो किलोमीटर लम्बी थप्पियां लगी हुई हैं। एफ सी आई के अधिकारियों के साथ राज्य सरकार पूरी तरह अंजान बनी हुई हैं। राज्य में वितरण के लिए गेहूं पंजाब और हरियाणा से आता है। गांधीनगर डिपो में कई शैड शराब गोदाम के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। एफ सी आई ने अनाज रखने के बजाय इनको बड़ी कमाई के लिए ब्रेवरीज कंपनी को किराये पर दे रखा है। मजबूरन पिछले कई दिनों से आ रहा माल अधिकारी बेपरवाह होकर खुले में डलवा रहे हैं। कर्मचारियों की मानें तो पिछले तीस सालों में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए। कनकपुरा रेलवे स्टेशन का बुरा हाल है। यहां प्लेटफार्म के दोनों ओर गेहूं की बोरियां पड़ी हैं। एफ सी आई ने राज्य के लिए करीब पांच लाख टन मूवमेंट प्लान भेजा है लेकिन अभी तीन लाख टन राज्य को मिला है और उसमें, अध्यक्ष महोदय, यह हालात है। जब दो लाख टन गेहूं और आएगा, तो हालत तो इससे भी, बद से बदतर होती नजर आ रही है। दूसरी ओर एफ सी आई के उप महाप्रबंधक यह कहकर के पल्ला झाड़ रहे हैं कि प्रदेश में डिपो ओवरफ्लो हैं, किराये के भवन तलाश रहे हैं। ये स्वीकार करते हैं कि डिपो के कुछ शेड शराब गोदाम के रूप में किराये पर दे रखे हैं, गेहूं खुले में रखना मजबूरी है, अगर गेहूं खराब हुआ तो केमिकल से ठीक कर देंगे। एक समाचार पत्र के अन्दर यह बात छपी तो आनन-फानन से गोदाम से शराब हटाने लगे । खाद्य मंत्री ने एफ सी आई के अधिकारियों को विधान सभा में तलब किया। इस मामले में समस्त रिकार्ड मंगवाये गये। एफ सी आई के एरिया मैनेजर का कहना है कि ब्रेवरीज कारपोरेशन को किराये पर दिये गये शराब के गोदाम अगले दस दिन में खाली करा दिये जाएंगे। एरिया मैनेजर यह भी बोले कि कनकपुरा रेलवे स्टेशन के अन्दर जो खुले में गेहूं पड़ा है, आवारा पशु उस गेहूं को नहीं खा रहे हैं लेकिन दूसरी ओर अख़बार के फोटो यह दर्शाते हैं कि आज भी आवारा पशु उस गेहूं को आराम से मजे से खा रहे हैं।

खराब गेहूं का जिम्मेदार कौन है? मंत्रीजी यह कहकर पल्ला झाड़ रहे

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हैं कि हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है, भारतीय खाद्य निगम के इसके अलग गोदाम बने हुए हैं, सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मैं मंत्रीजी को यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं चाहे मिड-डे मील योजना हो, चाहे अन्त्योदय योजना हो, चाहे अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे ए पी एल योजना हो या बी पी एल योजना हो, टी डी एस के माध्यम से जो गेहूं स्कूल से लेकर ए पी एल, बी पी एल तक पहुंचता है, उसकी गुणवत्ता की जांच करना और सही गेहूं वहां तक पहुंचे, इसकी पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। स्कूलों में जो गेहूं पहुंचता है वह मार्केटिंग सोसाइटी के जरिये पहुंचता है जो राजस्थान सरकार की एक शाखा और पूरी जिम्मेदारी रसद अधिकारी की होती है कि सही गेहूं का वितरण उन स्कूलों में हो।

आज शराब संस्कृति की बात करने वाली सरकार इस तरह गेहूं के गोदामों को शराब के रूप में काम ले रही है। चूंकि मैं नियमों में रहकर अब बोलना चाहता हूं, नियमों के विरुद्ध जाकर किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें बहुत बडी भ्रष्टाचार की बू आ रही है नीचे से लेकर ऊपर तक।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसमें जो गेहूं घटिया किस्म का है, अध्यक्ष महोदय, वहां का कर्मचारी यह कहता है कि इस गेहूं को पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्य नहीं मंगाते, उस गेहूं को जान-बूझकर राजस्थान की सरकार मंगाती है। इस सड़े हुए गेहूं का पिसा हुआ आटा राजस्थान में राजस्थान के नौनिहालों को भेजा जाता है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें। श्री अमराराम। विराजें, विराजें। मैं अगले वक्ता का नाम पुकार चुका हूं, कृपया विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राजस्थान की स्कूलों में भेजा जाता है, राजस्थान के ए पी एल और बी पी एल को भेजा जाता है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जगह-जगह कुपोषण के मामले आ रहे हैं और कई लोग तो इस गेहूं को खाने से काल के ग्रास होते जा रहे हैं। मंत्रीजी को इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिये...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें, विराजें। श्री अमराराम।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और जो गेहूं 6.80 रुपये किलो बेचते

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हैं और उसका आटा अगर 9 रुपये किलो बेचते हैं तो वह ढाई रुपये प्रति किलो का कहां जाता है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें, कृपया आप विराजें। विराजिए, विराजिए आप। अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा, अंकित नहीं हो रहा। श्री अमराराम।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, विराज जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिए, अंकित नहीं हो रहा।

भूतपूर्व सैनिकों के हथियार-लाइसेंस का नवीनीकरण

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उन भूतपूर्व सैनिकों की दर्द भरी कहानी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। अभी सरकार के गृह मंत्रीजी भी गायब हैं और सामान्य प्रशासन का उत्तर देना भी उन्हीं के हाथ में है, वह तो गायब हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार के सामने उस भूतपूर्व सैनिक की जो सीमाओं पर 15-20 साल सेवाएं देने के बाद जब भी उनका रिटायरमेंट होता है, अध्यक्ष महोदय, वे 18-20 साल की उम्र में भर्ती होते हैं और 35-40 के बीच में रिटायर होकर आ जाते हैं, तय रूप से बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारियां बाद में होती हैं। बहुत बड़ी संख्या है उन भूतपूर्व सैनिकों की और रिटायर होने से पहले अपना एक हथियार और उसका लाइसेंस लेकर वे वहां से आते हैं। जहां सीकर, झुंझुनूं, नागौर और चूरू में हजारों की संख्या में भूतपूर्व सैनिक हैं उस हथियार के माध्यम से वे यहां वापस रिटायर होने के बाद यहां चाहे बैंकों में गार्ड के रूप में सर्विस करें, चाहे वह एटीएम में करें, चाहे कम्पनियों में करें, सुरक्षा गार्ड के रूप में उस हथियार को लेकर ही पुनः अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन

(श्री अमराराम)

पिछले दो साल से मैं समझता हूं कि न केवल सीकर, झुंझुनूं, चूरू और नागौर में बल्कि शायद पूरे राजस्थान में उन लाखों भूतपूर्व सैनिक जो उस हथियार को लेकर पुनः रोजगार करते थे, आज से दो-ढाई साल पहले जो फर्जी हथियार कांड गंगानगर में हुआ, उसको लेकर के जिस तरह से लोग, वहां के प्रशासनिक अधिकारी उसमें शामिल थे, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही हो किसी को कोई एतराज नहीं है लेकिन करे कोई और भरे कोई। पिछले दो साल से वे भूतपूर्व सैनिक जो लाखों की संख्या में राजस्थान में हैं उनके हथियार के लाइसेंस कर रिन्युअल नहीं हो रहा जबकि वही लाइसेंस दो-दो, तीन-तीन दफा राजस्थान में अपने निवास स्थान पर डिस्ट्रिक्ट कलक्टर महोदय ने उनका रिन्युअल कर दिया । एक दफा कर दिया, उसके बाद में दुबारा कर दिया, तिबारा का दिया लेकिन आज इस बात के लिये उनको बाध्य किया जा रहा है कि जहां से लाइसेंस लिया है वहां से अप्रूवल लानी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि कोई कश्मीर में सर्विस करता था वहां से रिटायर हुआ, कोई नागालैंड में हुआ, उनके पास से भी रिपोर्ट मंगाये इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन जब तक उनका लाइसेंस नहीं होगा, अध्यक्ष महोदय, न तो वे जा सकते हैं और अगर कहीं ले भी जाये, आप देख रहे हैं अभी चिड़ावा में बैंक में डकैती हुई है, कहीं भी अगर बिना लाइसेंस रिन्युअल हुए कोई भी घटना हुई और अगर उस एक्स -आर्मी-मैन ने उस हथियार को काम में ले लिया तो निश्चित रूप से उसको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

इसलिए आज उनकी रोजी-रोटी पर इतना भयंकर संकट राजस्थान के लाखों भूतपूर्व सैनिकों पर है। मैं समझता हूं, इस देश में सबसे कम पेंशन है तो वह उन सैनिकों की है। वे भी सम्मानीय पेंशन के लिये पूरे देश में लड़ रहे हैं। हमारे देश की सबसे कठिन वह सेवा करते हैं और सबसे कम उनको पेंशन है और यह जो दूसरा विकल्प है हथियार लाइसेंस के माध्यम से वह दूसरी जगह बैंक, एटीएम, दूसरी कम्पनियों में सुरक्षा गार्ड के रूप में जो अपना पुनः रोजगार करते हैं, उन पर जो संकट पिछले दो साल से आया हुआ है गंगानगर के फर्जी हथियार लाइसेंस कांड के कारण, करे कोई और भरे कोई। वे अपराधी लोग जो राजस्थान में कहीं भी लाइसेंस नहीं ले सकते थे, उन लोगों ने गंगानगर में मिलीभगत करके फर्जी लाइसेंस लिये, निश्चित रूप से उन पर कार्यवाही हो। लेकिन करे कोई और भरे राजस्थान का भूतपूर्व सैनिक। मैं समझता हूं, यह सबसे बड़ा अन्याय है।

(श्री अमराराम)

इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक ही मांग करना है कि तमाम जिला कलक्टर्स को इस बात का निर्देश भेजें कि पिछले दो साल से जितने भी भूतपूर्व सैनिकों के लाइसेंस पेंडिंग हैं उन सबका रिन्युअल करें और उनको अपनी आजीविका कमाने का अवसर निश्चित रूप से दें। यह आदेश अगर देंगे तो मैं समझता हूं उन लाखों भूतपूर्व सैनिकों के लाइसेंस जो पिछले दो साल से रिन्युअल नहीं हो रहे हैं वह रिन्युअल हो। बाकी के लिये करें लेकिन कम से कम मैं समझता हूं इस देश का भूतपूर्व सैनिक जिनके लाइसेंस रिन्युअल कई दफा हो गये उनको अभी रोकने का कोई औचित्य नहीं है । इसलिए सरकार यह निर्देश देगी तो मैं समझता हूं उन भूतपूर्व सैनिकों को राहत मिलेगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि सरकार इतनी संवेदन हीन, हमारे मंत्री जी अभी गायब हैं, वे निर्देश दें ताकि यह आफत जो दो साल से है वह समाप्त हो। धन्यवाद।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है।

पूर्व सैनिकों के लाइसेंस के रिन्युअल को लेकर जो सदन में चिंता व्यक्त की गई है मैं उसकी गम्भीरता को महसूस कर रहा हूं और इस संबंध में सरकार को निर्देश दूंगा कि एक सप्ताह में सारी वस्तुस्थिति हर जिलों से इकट्ठी करके प्रस्तुत करे।

दूसरा, इस बात को भी मैं गम्भीरता से लेना चाहता हूं कि जिन विषयों पर यहां चर्चा होती है, पर्ची भी निकलती है, एडजोर्नमेंट भी होता है, काल अटेंशन भी होता है, संबंधित विभागों को उसकी सूचना लेनी भी चाहिये। उस संबंधित विभाग से जब चर्चा होती है और उसके सचिव अगर यहां नहीं होते हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी नहीं होते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाये और चीफ सेक्रेटरी इस बात को सुनिश्चित करें कि आइंदा इस प्रकार की कोई गलती न रह पाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पूर्व की व्यवस्था भी याद दिलाता हूं। जब मंत्री थे उस समय साढ़े नौ बजे यह पर्चियां निकल जाती थीं और जिन-जिन मंत्रियों की पर्ची निकलती थी उन मंत्रियों को, किस स्थगन प्रस्ताव पर बोलने दे रहे हैं, कौनसी पर्ची निकली, उसकी विषय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वस्तु क्या है, विधान सभा सचिवालय द्वारा सूचित किया जाता था और जब तक उन पर्चियों का और स्थगन प्रस्तावों का नहीं होता था, सचिव रहें या नहीं रहें, मंत्रीगण का रहना बहुत जरूरी है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह निर्देश मंत्रियों को भी दिया जाना चाहिये और यह मंत्री उस निर्देश की पालना नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं उनकी यहां निंदा भी करता हूं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया था कि मुझे समय देंगे।

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ इंफोरमेंशन है।

सूचना

भीलवाड़ा के गंगापुर में साम्प्रदायिक तनाव

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में कल रात से साम्प्रदायिक तनाव फैल रहा है। निर्दोष लोगों को पकड़-पकड़ कर थाने में बैठाया जा रहा है, उनके साथ भयंकर मारपीट की जा रही है, कस्बे के सारे बाजार बंद हो चुके हैं। सरकार का ध्यान मैं आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री पेमाराम ।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष: काहे के संबंध में ?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष: इसमें अभी व्यवस्था का प्रश्न कहां से आयेगा? आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, अभी जीरो आवर समाप्त नहीं हुआ, व्यवस्था का प्रश्न कहां से आयेगा?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैं जीरो आवर को समझता हूं। जितना आपने मुझे सिखाया है उतना जानता हूं।उसी के बीच बोल रहा हूं, नियम से बोल रहा हूं । मेरा आपसे साफ निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: कौन से नियम के तहत ?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मेरा आपसे साफ निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: कौन से नियम के तहत ?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष: कौन से नियम के तहत? कौन से नियम के तहत ?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): 294 तो जाना-पहचाना है।

श्री अध्यक्ष: आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ना।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप तो रूल्स को सस्पेंड भी कर सकते हैं, मेरी सुन सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: यह गलत बात है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमको भी......

श्री अध्यक्ष: आसन को नियम परम्पराओं का ध्यान रखना पड़ता है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन को नियम परम्पराओं का ध्यान रखना पड़ता है । (व्यवधान) आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, सांसद रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): आप मुझे जब चाहे टाइम दीजिए, मैंने कभी आपसे टाइम नहीं मांगा, आज पहली दफा टाइम मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: टाइम तो मांगिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): यह मेरे साथ आसन की तरफ से अन्याय हो जाएगा। अन्याय न तो आसन बर्दाश्त करेगा, न सदस्य बर्दाश्त करता है। कृपया मुझे बोलने का मौका दीजिए।

श्री अध्यक्ष: लेकिन यह आसन के साथ में आप भी जो कर रहे हैं...

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): इतनी देर में मेरी बात अर्ज कर देता।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें भी मौका दें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): आप सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष: काहे के संबंध में ?

अनुरोध एवं मांग

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए समय आबंटन

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मेरा साफ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल्स आफ प्रोसीजर आपने बनाया है और पार्लियामेंट में भी बनाया है, दोनों में साफ है। पार्लियामेंट में रूल 26 है और आपके यहां भी रूल्स बना हुआ है, रूल आपका 23 साफ है, 23 में - "Allotment of time for Private Members' Business." दो दिन एक सत्र में दिये जाने चाहिये। आपके पार्लियामेंट में, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में आपको अर्ज कर दूं।

श्री अध्यक्ष: पार्लियामेंट का नहीं, आप तो विधान सभा का ही बता दीजिए।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): " ... The last two and a half hours of a sitting be ..." उसमें प्रत्येक सप्ताह ढाई घंटे दिया जाता है, आपके यहां साफ रूल है कि एक महीने में दो दिन का समय प्राइवेट मेम्बर्स को दिया जाएगा। ऐसा कौनसा अन्याय हो गया? हम मैम्बर्स हैं, आपकी निगाह से चीज बच गई तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन करना है कि आप सरकार से बात करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो कुछ बिजनैस लिया जाता है हाउस में, वह बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय होने के बाद लिया जाता है। आसन इस बात के लिए बाध्य रहता है, उस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के प्रस्ताव को सदन पारित करता है और सदन में जब सर्वसम्मति से पारित कर लिया है तो वह बिजनैस ही मैं ले पाऊंगा। यह व्यवस्था है। विराजें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): आप मेरी बात सुन लीजिए। आसन बाइडिंग नहीं है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): आसन हाउस से बाइडिंग है, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी से न आसन बाइडिंग है न सदस्य। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन ने सर्वसम्मति से पास किया है, उसको बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): कोई सर्वसम्मति नहीं होती।

श्री अध्यक्ष: इस पर बहस नहीं होगी। अंकित नहीं होगा। श्री पेमाराम जी।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम जी।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम जी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

धोद के धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन एवं प्रकिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र धोद की निम्न सड़कों का धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए निर्माण करना परमावश्यक है:-

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम जी को अपनी बात कहने दीजिए। श्री पेमाराम जी।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, सर्वसम्मति से उस पर निर्णय हुआ, उस वक्त तो आप चुप थे।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्री पेमाराम जी।

श्री पेमाराम (धोद): निम्न सड़कों का धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए निर्माण करना परमावश्यक है:-

1. जीणमाता मंदिर जाने के लिए कुडंलपुर से ताखरों की ढाणी।
2. डूंगरी बालाजी धाम पुरावड़ी जाने के लिए काशी का बास से पुरावड़ी।
3. बऊधाम जाने के लिए थौरासी पीर बाबा आश्रम से बऊधाम तक।
4. श्री नाथ आश्रम पालबास जाने के लिए श्यामपुरा से पालवास।
5. गोगाजी मंदिर जाने के लिए बोसाणा से गोगाजी मंदिर।
6. टीकूजी महाराज मंदिर जाने के लिए भीराणा से टीकूजी मंदिर।
7. हरिराम जी के मंदिर जाने के लिए मैलासी से आकवा।
8. छितरवास बालाजी मंदिर जाने के लिए गोठडा तलेगान से छितरवाल बालाजी का मंदिर।

(श्री पेमाराम)

9. मण्डियों के बालाजी मंदिर जाने के लिए धुणका बास से मण्डियों का बालाजी मंदिर।
10. बणी के बालाजी मंदिर जाने के लिए मुण्डवाड़ा से बणी के मंदिर बालाजी।
11. रूल्याणी आश्रम में जाने के लिए रैवासी से रूल्याणी।
12. नाडा बालाजी के मंदिर जाने के लिए नागवा से नाड़ा बालाजी।
13. सावलोदा धायलन से दतुजला धाम।
14. ठाकुरजी का मंदिर भीखणबाली से बालाजी का मंदिर मुण्डवाड़ा।
15. पेमाराम जाखड़ की ढाणी से किकरालिया बालाजी सेवा।
16. सिहोट छोटी से तिकुटिया बालाजी।
17. भड़कासली से सामोलोई बालाजी।
18. भुवाला से सामोलाई बालाजी।
19. नेतड़वास से सामोलोई बालाजी।
20. पेवा से माताजी का मंदिर सामी सेषम।
21. सावलोदा पुरोहितान से खाखोली वाया बगीची।
22. बोसाणा से टीकुजी महाराज मंदिर वाया डीडवाना पहलानीया तालाब।
23. शेषमा की ढाणी से भीमा ठाकुर जी के मंदिर जाने के लिए भीमा तक।
24. रूपपुरा मोली तलाई से बिखाणी जोड़ा बालाजी धाम वाया दुगोली।
25. सामी से करणी माता मंदिर जाने के लिए राजपुरा तक।
26. हरीराम जी मंदिर जाने के लिए रूपपुरा से बिज्यासी वाया भुवाला लाड़वा।
27. गुणठू से भेरूपुरा माताजी मंदिर तक।
28. चिड़ासरा से बालाजी मंदिर बिजारणीयां की ढाणी से होते हुए हरीपुरा ठाकुर जी मंदिर।

अतः धोद विधान सभा क्षेत्र के उक्त धार्मिक स्थलों पर पूजा करने वाले भक्तों की सुविधा के लिए धार्मिक स्थानों के लिए डामर सड़कों का निर्माण कर धोद विधान सभा क्षेत्र की जनता के हितार्थ प्रस्ताव रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सूरजभान धानका।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): पाइंट आफ इंफोर्मेशन के तहत एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण बात यहां पर सदन में आपकी आज्ञा से उठाना चाहती हूं। उदयपुर यू आई टी से....

श्री अध्यक्ष: विराजिये, यह कोई इंफोर्मेशन नहीं है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही इम्पोरटेंट है उदयपुर के लिए ।

श्री अध्यक्ष: कोई इंफोर्मेशन नहीं है यह, अलग तरीके से उठाइये। श्री धानका। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, यह कोई पाइंट आफ इंफोर्मेशन नहीं है। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

राजगढ़ (लक्ष्मणगढ़) की पेयजल समस्या का समाधान

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत....

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ...निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (लक्ष्मणगढ) में पानी का सतह नीचे चला गया है जिसकी वजह से क्षेत्र में भारी किल्लत पैदा हो गई है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे रेणी क्षेत्र से थोड़ी दूरी पर लीलोज नदी है अगर वहां कोई बड़ी योजना बनाकर पानी को लाया जाये तो मेरी पंचायत समिति के तकरीबन सभी गांवों को जोड़ा जाकर पानी की समस्या से निजात मिल सकती है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):000

श्री अध्यक्ष: कुछ अंकित नहीं हो रहा।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): राजगढ़ शहर में पांच बोरिंग कंटिंजेंसी में काफी दिनों से मंजूर हैं लेकिन अभी तक बोर नहीं हुए हैं।

(श्री सूरजभान धानका)

उनको तुरन्त प्रभाव से करा जावे। जरूरत के मुताबिक बोरिंग, सिंगल फैज बोरिंग, हैंडपम्प देकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करें।

लक्ष्मणगढ़ तहसील में एक पुरानी घाट कैनाल योजना थी जिससे तकरीबन 200 गांव लाभान्वित होते थे परन्तु कई वर्षों से बांध तकरीबन टूट जाने से इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी पिछले दिनों इस योजना के मद में 3 करोड़ 10 लाख रुपये मंजूर हुये थे, उद् घाटन भी होने वाला था परन्तु चुनाव आचार संहिता होने की वजह से रुक गया। दुबारा चीफ इंजीनियर व टीम ने सर्वे किया जिसमें सही स्थिति को देखते हुए 10 करोड़ 13 लाख रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। मैं मुख्य मंत्रीजी व मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि यह बजट शीघ्रातिशीघ्र मुहैया कराकर लक्ष्मणगढ़ क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री विजय बंसल।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष जी....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये आप। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री विजय बंसल।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज जो पानी, बिजली और अकाल पर चर्चा होगी 43 मेम्बर्स के नाम आये हैं भाजपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से नाम आने बाकी हैं। (व्यवधान) लिस्ट कब तक चलेगी, इस पर आप थोड़ा विचार करें और कार्यवाही चलने दें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री विजय बंसल।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: इतने बोलने वालों की संख्या होने के कारण मेरी मजबूरी है।

भरतपुर के क्षतिग्रस्त बांध चिकसाना का मरम्मत कार्य

श्री विजय बंसल (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम संख्या 295 के तहत मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का

(श्री विजय बंसल)

ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र स्थित चिकसाना बांध की तरफ दिलाना चाहता हूं। 1995-96 की भरतपुर में आई बाढ़ के कारण उक्त चिकसाना बांध टूट गया था जो आज तक सही नहीं हो पाया है। उक्त बांध से करीब चालीस गांवों की सिंचाई होती थी एवं आस-पास में कुओं का जलस्तर भी ऊपर रहता था। टूटे हुए बांध के कारण बरसात का पानी बांध में नहीं रूक पाता है। वर्ष 2008-09 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री महोदय ने सिंचाई की मांग के जवाब में यह घोषणा की थी कि उक्त बांध के कार्य का एस्टिमेट बन चुका है जो करीब तीन करोड़ रुपये का है एवं इसी वित्तीय वर्ष में यह कार्य करा दिया जाएगा। बड़े दुःख की बात है कि आज तक यह कार्य नहीं हो पाया है।

अतः मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कृपया उक्त बांध का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में कराकर किसानों की समस्या का निराकरण करने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत।

वल्लभ नगर के माध्यमिक विद्यालय धारता का 30 किलोमीटर दूर दिया गया परीक्षा केन्द्र

श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर, जिला उदयपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा माध्यमिक विद्यालय, धारता तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर के परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र वल्लभनगर दिया गया है जो 30 कि.मी. दूर है जबकि भीण्डर में बोर्ड परीक्षा के तीन सेंटर रा.मा.वि., गिरवरपोल भीण्डर, 2. रा. भैरव उ.मा.वि., भीण्डर, 3. रा.बा.उ.मा.वि, भीण्डर हैं। माध्यमिक विद्यालय धारता भीण्डर से मात्र 6 किलोमीटर है। इससे धारता विद्यालय के परीक्षार्थियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को भारी मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अतः उसकी बोर्ड की परीक्षा का केन्द्र तुरन्त भीण्डर किया जाय जिससे परीक्षार्थियों को राहत मिल सके।

साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि इस प्रकार की घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का कष्ट करें जिससे आगे ऐसी गलती की पुनरावर्ती नहीं हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम जोशी।

फलौदी के निकट पम्पिंग स्टेशन आर डी 67.5 पर पानी का अपव्यय

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फलौदी से राजीव गांधी लिफ्ट नहर चल रही है। इस नहर से जोधपुर शहर को पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ फलौदी सहित कई गांवों में पानी दिया जा रहा है। फलौदी के

(समय : 12.41 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

निकट पम्पिंग स्टेशन आर.डी. 67.5 पर नहर का एस्केप चैनल बना हुआ है। विभिन्न कारणों से समय-समय पर भारी मात्रा में अमूल्य पेयजल एस्केप चैनल से बहकर कई मील वर्ग क्षेत्र में फैल जाता है तथा मीठा पानी इतनी अधिक मात्रा में अपव्यय होता है, जो कुछ ग्रामवासियों की प्यास बुझा सकता है। इस विषय पर जानकारी करने पर पानी बहाव का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया तथा न ही उस पानी के संग्रहण तथा स्थाई उपयोग की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

एक तरफ 'जल है तो कल है' सिद्धान्त यथार्थ साबित हो गया है, दूसरी तरफ इस प्रकार बहने वाले पानी से कई मील क्षेत्र में निरन्तर पड़े रहने से कृषि भूमि खराब होकर दल-दल बन रही है। साथ ही इस क्षेत्र में एन.एच. 15 एवं अन्य सम्पर्क सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं।

इस प्रकार लापरवाही से अपव्यय होने वाले मीठे पानी को डिग्गी निर्माण से रास्ते में आने वाले गांवों के तालाबों को भरने से, संरक्षित होकर उपयोगी बनाया जा सकता है। ग्रामीण जनता ऐसे हालात का उत्तर चाहती है तथा हम किंकर्तव्यविमूढ होकर पुन: अधिकारियों को बताते हैं परन्तु वही ढाक के तीन पात। सम्भवतया इसका कारण ठेका पद्धति से पम्पिंग स्टेशन संचालन में लापरवाही हो सकता है। इस विषय पर समय-समय पर स्थानीय प्रिंट मीडिया ध्यानाकर्षित कर चुका है।

आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत गम्भीर एवं जन हित के विषय की ओर ध्यान आकर्षित कर माननीय मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि इस प्रकार होने वाले पेयजल अपव्यय को तत्काल रोका जाकर स्थाई समाधान की व्यवस्था करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री महावीर प्रसाद जी।

शाहपुरा सैटेलाइट हास्पिटल में व्याप्त अव्यवस्था

श्री महावीर प्रसाद जीनगर (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में सैटेलाइट हास्पिटल वर्ष 1983 से है, जिसे आज 26 वर्ष हो गये किन्तु उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। चिकित्सकों के पद रिक्त चले रहने से क्षेत्र की जनता को छोटी से छोटी बीमारियों व आपरेशन हेतु भीलवाड़ा जाना पड़ता है, जो गरीबों के साथ घोर अन्याय है। 35 हजार की जनसंख्या वाला जिले का प्रथम कस्बा है जहां कोई निजी चिकित्सालय भी नहीं होने से एक मात्र सैटेलाइट हास्पिटल ही है। इस हास्पिटल में एक कनिष्ठ शल्य चिकित्सक है जो कि 8 वर्षों से इसी हास्पिटल में है किन्तु एक भी आपरेशन नहीं किया, मात्र नसबन्दी आपरेशन को छोड़कर। निश्चेतना चिकित्सक का पद भी लम्बे समय से रिक्त चल रहा है। नेत्र चिकित्सक एवं गायनिक कनिष्ठ चिकित्सक के पद भी लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं।

अतः इन पदों को भरा जावे एवं डाक्टरों के ठहराव को सुनिश्चित करने हेतु आवास सुविधा हास्पिटल परिसर में कराने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रतापसिंह खाचरियावास।

होम्यौपेथिक निदेशालय व चिकित्सालय की स्थापना

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान में होम्योपेथिक चिकित्सा पद्धति वर्तमान में काफी अधिक प्रचलन में आ गई है। यह चिकित्सा पद्धति सस्ती होने के साथ ही इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इसके साथ ही असाध्य रोगों में जहां अन्य चिकित्सा पद्धतियां कारगर नहीं होती हैं, वहीं होम्योपेथिक चिकित्सा पद्धति में असाध्य रोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है।

राज्य में होम्योपेथिक मेडिकल कालेज हैं जिनमें प्रति वर्ष 550 विद्यार्थी डिग्री लेकर निकलते हैं तथा राज्य में 6,000 के लगभग होम्योपेथिक चिकित्सक अब तक रजिस्टर्ड हैं। राज्य सेवा में मात्र 180 डिस्पेंसरियां हैं तथा इतने ही चिकित्सक राज्य सेवा में सेवारत हैं और वे चिकित्सक के पद पर नियुक्त होते हैं तथा चिकित्सक के पद से ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्य में

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

यूनानीपेथी के मात्र 100 चिकित्सक हैं व 80 डिस्पेंसरीज तथा 2 मेडिकल कालेज जिनमें मात्र 80 छात्र प्रति वर्ष यूनानी चिकित्सक बनकर निकलते हैं।

राजधानी जयपुर में इसी वर्ष विश्व का पहला होम्योपेथिक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जा चुका है। इस प्रकार यूनानी मेडिकल कालेज व डिस्पेंसरीज तथा चिकित्सकों की तुलना में होम्योपेथिक मेडिकल कालेज, डिस्पेंसरीज तथा चिकित्सक अधिक संख्या में हैं।

अतः राज्य में यूनानीपेथी निदेशालय की भांति होम्योपेथिक निदेशालय तथा 200 शय्याओं का होम्योपेथिक अस्पताल खोले जाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री के विनियोग तथा वित्त विधेयक पारित किये जाने से पूर्व की जाये ताकि राज्य सेवा में होम्योपेथिक चिकित्सकों को पदोन्नति के समुचित अवसर प्राप्त हो सकें तथा राज्य के बी.पी.एल. तथा ए.पी.एल. के साथ ही आम जनता इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बनवारीलाल सिंघल।

अलवर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का स्थानांतरण के स्थान पर वर्तमान स्थल से संचालन

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि अलवर शहर में स्थित जिला कलेक्ट्रेट का भवन जहां वर्तमान में जिला सचिवालय कार्यरत है, वह समस्त भवन कुल तीन हजार रुपये प्रति माह किराये पर है जिसको खाली करने की कोई बाध्यता भी नहीं है। सरकार जब तक चाहे उक्त भवन सरकार के पास किराये पर रह सकता है। ऐसे में उक्त भवन को खाली कर लगभग पचास करोड़ से अधिक की भूमि पर अड़तालीस करोड़ रुपये की लागत से नया मिनी सचिवालय का निर्माण करना कौनसी मितव्ययता की श्रेणी में आता है? मेरा यह भी कहना है कि वर्तमान में संचालित परिसर में करीब एक सौ वकीलों के चैम्बर बने हुए हैं जो स्वयं वकीलों द्वारा अपनी निजी लागत से बनाये गये हैं। अलवर के वकील न्यूनतम फीस लेकर जन सामान्य की सेवा करते हैं। ऐसे में उनके द्वारा पुनः नये स्थान पर चैम्बरों का निर्माण कतई सम्भव नहीं है। वर्तमान भवन की मरम्मत आदि पर लगभग एक करोड़ तीस

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

लाख रुपये पूर्व में व्यय किये जा चुके हैं एवं नौ लाख रुपये अभी हाल ही कलेक्ट्रेट के बरामदों की मरम्मत हेतु स्वीकृत किये गये हैं।

उक्त कलेक्ट्रेट मूसी महारानी की छतरी, सागर एवं पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण धरोहरों के बीच है जिससे जिले भर से आने वाले लोगों को इन पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध स्थानों को भी देखने का अवसर प्राप्त होता है। साथ ही कलेक्ट्रेट भवन बस स्टेंड से लगभग एक किलोमीटर व रेलवे स्टेशन से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने से जिले भर से आने वाले लोग पैदल ही, बिना किसी खर्चे के सचिवालय एवं कलेक्ट्रेट में पहुंच जाते हैं और वापसी पर ये लोग शहर के मध्य स्थित सघन बाजारों से होकर अपनी आवश्यक खरीददारी करते हुए अपने गंतव्य को जाते हैं जिससे अलवर के बाजारों को भी गतिमान रखने में मदद मिल रही है।

अभी पिछले दिनों अड़तालीस लाख रुपये की लागत से लिटिगेशन रूम, बार रूम व पार्किंग का निर्माण हाल ही में करवाया गया है। सचिवालय परिसर को स्थानान्तरित करने के पीछे अलवर के वर्तमान जिला कलक्टर की सोची-समझी मंशा है। ये श्रीमान् भवन के मालिक को अनुगृहित करने के उद्देश्य से मिनि सचिवालय के बहाने से उक्त वर्तमान भवन को खाली करना चाहते हैं। जन हित में मिनि सचिवालय का विचार किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं है एवं न ही मितव्ययता की परिधि में आता है और न ही वर्तमान की आवश्यकता है। केवल एक व्यक्ति विशेष को लाभान्वित करने की दृष्टि से उक्त सचिवालय को निर्माण करने की योजना राज्य सरकार के समक्ष जिला कलक्टर के द्वारा भिजवाई गई है जो कि बजट 2010-11 में भी शामिल कर ली गई है किन्तु भूमि पर निर्माण हेतु राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। जिला कलक्टर द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव के मुताबिक तहसील भवन, पुराने न्यू तेज सिनेमा एवं बजाजा बाजार स्थित पुराने जनाना अस्पताल के भवनों को विक्रय कर उनसे प्राप्त राशि से सचिवालय के निर्माण की बात जिला कलक्टर द्वारा भेजे गये प्रस्ताव में लिखी गई है।

अत: प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख के जन हितकारी प्रस्ताव के माध्यम से मैं राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि अलवर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को जहां है, वहीं पर रखा जाकर अलवर शहर एवं जिले भर की ग्रामीण जनता को राहत प्रदान कराई जाये। धन्यवाद।

बिलाड़ा के अकालग्रस्त क्षेत्रों में चारे-पानी की समुचित व्यवस्था

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि संवत् 2066 में प्रदेश के 27 जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। इस अकाल की भयंकर मार से लगभग 5.4 करोड़ मवेशी प्रभावित हुए हैं। सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्रों में चारा डिपो, पशु शिविर तथा मवेशियों के उपचार हेतु दवाओं की राशि आबंटित की है लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की ओर ध्यानाकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा जिला जोधपुर इस अकाल से भयंकर पीड़ित है। चारों तरफ मवेशी पेयजल एवं चारे की समस्या के कारण दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं तथा 20 से 25 पशु प्रति दिन चारे-पानी, दवाइयों के अभाव में तथा बीमारी के कारण मृत्युग्रस्त हो रहे हैं। सरकार से अनुरोध है कि तत्काल चारे-पानी की समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी कराएं तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र में बीमार पशुओं के उपचार की नि:शुल्क ठोस व्यवस्था कराएं। मेरा यह भी अनुरोध है कि गो-शालाओं को अभावग्रस्त क्षेत्रों में दिये जा रहा अनुदान देने का श्रम करें ताकि पशुधन को बचाया जा सके। सरकार द्वारा वर्तमान में मात्र सहकारी संस्थाओं, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में द्वारा 25 पशु चारा डिपो खोले गये हैं जो बिलकुल ही पर्याप्त नहीं हैं। शेष कम से कम 32 ग्राम पंचायतों में तथा इनके 50 राजस्व गांवों में भी पशु चारा डिपो खोलने की व्यवस्था कराएं ताकि पशुधन को बचाया जा सके।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में दुधारू पशुओं के लिए सरकार अनुदानित पशु आहार वितरण करती है तथा राज्य में कई जिलों यथा- अजमेर में एक लाख पशु, बाड़मेर में एक लाख पशु, नागौर में दो लाख पशु, भीलवाड़ा में दो लाख पशु लेकिन जोधपुर जिले में मात्र 44 हजार पशुओं के लिए अनुदानित पशु आहार की माह दिसम्बर, 2009 में स्वीकृति की गई। अन्य जिले की तुलना में जोधपुर जिले को बहुत ही कम पशुओं के लिए पशु आहार वितरण की स्वीकृति दी गई। इसके बावजूद भी प्रशासनिक लापरवाही के चलते जोधपुर जिले में आज दिनांक तक अनुदानित पशु आहार वितरण प्रारम्भ नहीं हुआ। पता नहीं यह कब चालू करेंगे। शायद बरसात का इंतजार कर रहे हैं। पशुओं के लिए चारा हेतु वर्तमान में 18 रुपये प्रति पशु अनुदान देने की घोषणा की थी, वह भी बहुत कम राशि है, इसको भी बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: श्री भंवरू खान।

फतेहपुर (सीकर) की ऐतिहासिक बावड़ी का जीर्णोद्धार

श्री भंवरू खान (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में लगभग 600 वर्ष पुरानी एक ऐतिहासिक बावड़ी पूर्व राजा-महाराजाओं द्वारा बनाई गई थी। यह बावड़ी विश्व के 17वें आश्चर्य के रूप में अंकित व प्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक बावड़ी को देखने के लिए प्रति दिन सैकड़ों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक आते हैं। पिछले कई वर्षों से इस बावड़ी में कचरा भरने के कारण यह बावड़ी जीर्ण-शीर्ण हो गई है। फतेहपुर (सीकर) हेरिटेज सिटी घोषित है। अतः उक्त ऐतिहासिक धरोहर को बचाने हेतु इसकी सफाई करवाकर हेरिटेज के बजट से या नरेगा जैसी स्कीम में उक्त बावड़ी की मरम्मत करवाना अति आवश्यक है।

अतः मैं पर्यटन मंत्री महोदया का इस लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उक्त कार्य शीघ्र करवाने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्री शाले मोहम्मद।

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन के तहत मैं बताना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मेरे छबड़ा क्षेत्र में एक घटना हुई है, उसके बारे में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये; विराजिये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): उसमें आठ-दस लोग मरे हैं, ऐसी मुझे इंफार्मेशन आयी है। मैं सदन को बताना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मेरी जिम्मेदारी है। अभी-अभी घटना हुई है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री करणसिंह (छबड़ा): तो यह बताना मेरी जिम्मेदारी है।

श्री सभापति: श्री शाले मोहम्मद।

पोकरण में पेयजल की कमी

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पोकरण में पेयजल की गम्भीर समस्या है। जैसलमेर जिला एक रेगिस्तानी जिला है। यहां की आबादी दूर-दूर गांवों एवं ढाणियों में बसी हुई है। पेयजल के लिए पूर्व में जो योजनाएं बनाई गई थीं वे पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि अब आबादी बढ़ गई है, राजस्व गांव व ढाणियां भी बढ़ गई हैं। वर्तमान स्थिति को मध्यनजर रखते हुए पेयजल योजना बनाने की महती आवश्यकता है। फलसूण्ड क्षेत्र में पेयजल समस्या से निपटने के लिए कलाऊ-खुमानसर-पदमपुरा नई पाइप लाइन डाली जाए ताकि इस क्षेत्र की पेयजल समस्या का स्थाई निदान हो सके तथा गर्मी के मौसम में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र का नोख कस्बा दूर बीकानेर सीमा पर बसा हुआ है, यहां पर पानी की गम्भीर समस्या है। इसके लिए जोधपुर लिफ्ट से नोख कस्बे को जोड़ा जाए ताकि पेयजल समस्या का स्थाई निदान हो सके।

जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र में गर्मी के मौसम में नहरों में पानी आने व रेत से नहरें भर जाने से पेयजल की भयंकर किल्लत रहती है। गर्मी के मौसम में टैंकरों से पानी सप्लाई की व्यवस्था की जाए तथा पोकरण विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या से स्थाई निजात के लिए फलसूण्ड लिफ्ट योजना को शीघ्र पूर्ण करवाकर पेयजल उपलब्ध करवाया जाए।

श्री सभापति: श्री भगवान सहाय सैनी।

चौमूं में बन्दोल से महामाया मंदिर, सामोद तक सड़क निर्माण

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चौमूं की ग्राम पंचायत सामोद में स्थित प्राचीन महामाया मंदिर, जहां वर्ष भर में लाखों लोग दर्शनार्थ आते हैं, यह स्थान चौमूं-सामोद सड़क मार्ग पर बंदोल से लगभग 4 किलोमीटर दूर कच्चे रास्ते पर स्थित है। सड़क नहीं होने के कारण आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। रास्ता बहुत पुराना है लेकिन वन विभाग का एरिया होने के कारण कोई भी एजेंसी सड़क नहीं बना रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि रास्ते के लिए

(श्री भगवान सहाय सैनी)

वन विभाग से स्वीकृति दिलवाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा बन्दोल से महामाया मंदिर तक सड़क बनवाने की कृपा करें।

श्री सभापति: आज दिनांक 31 मार्च, 2010 को शून्य-काल में बोलने हेतु 23 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें से श्लाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं।

श्री कैलाश चन्द भंसाली। (अनुपस्थित)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): नाम तो बताओ।

श्री सभापति: श्री कालीचरण सराफ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जयपुर में आपदा प्रबंधन

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, किसी भी शहर के विकास के लिए यह आवश्यक है कि वहां पर सुरक्षा का माहौल हो, ऐसा माहौल कि जहां नागरिकों की जान-माल की पूरी हिफाजत हो। आज जयपुर शहर के बारे में यदि हम देखें और यहां के आपदा प्रबंधन की यदि बात करें तो हम यह देखेंगे कि अभी तक प्रशासन की आपदा प्रबंधन के मामले में नींद नहीं टूटी है।

पिछले दिनों आई.ओ.सी. का इतना भयंकर अग्निकांड जयपुर शहर में घटित हुआ पर उसकी आग बुझाने में, आग पर काबू पाने में प्रशासन पूर्णतया विफल रहा। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा क्योंकि हमारे पास आग बुझाने के पर्याप्त साधन नहीं, प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं, आधुनिक साजो-सज्जा से परिपूर्ण फायर-बिग्रेड की गाड़ियां नहीं। वर्तमान में यदि हम देखें तो फायर-बिग्रेड की 30 गाड़ियां हमारे पास में हैं और उसमें से दो खराब पड़ी हैं। पिछली बार मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आधुनिक साज-सज्जा से परिपूर्ण फायर-बिग्रेड की जो गाड़ियां हैं, उनको खरीदने के लिए क्या योजना है?

(समय : 13.00 बजे)

तो मुझे बताया गया कि वाटर वाउजर की 10 गाड़ियां खरीदने की हमारी योजना है, पर उसके लिये राज्य सरकार या आपदा प्रबन्धन विभाग यदि राशि देगा तो हम यह खरीदेंगे। इसी प्रकार से फोम टेंडर की दस गाड़ियां खरीदने का प्रोग्राम है, पर वित्तीय संसाधन नहीं हैं। स्माल वाटर टेंडर सेंट्रिफ्यूगल पाइप सात खरीदने का मामला, वह भी प्रक्रियाधीन चल रहा है;

(श्री कालीचरण सराफ)

अल्ट्रा हाई प्रेशर पम्प एक, स्माल वाटर टेंडर आठ खरीदने की योजना, पर वह भी प्रक्रियाधीन है; डी सी पी-कम-फोम क्रेश टेंडर एक खरीदने की इनकी योजना है, पर वह भी प्रक्रियाधीन है। आपदा प्रबन्धन विभाग से पैसा मिलेगा तो खरीद लेंगे। इसी प्रकार से हाइड्रोलिक प्लेटफार्म एरियल लैडर 54 मीटर ऊंचा, इसके लिये भी इनके पास पैसा नहीं है। हाइड्रोलिक प्लेटफार्म एरियल लैडर 82 मीटर ऊंचाई, इसके लिये भी इनके पास पैसा नहीं है। हाइड्रोलिक प्लेटफार्म एरियल लैडर 32 मीटर ऊंचाई, इसके लिये पैसा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह सब खरीदने की योजना है, पर इसमें यह लिखा गया है कि वित्तीय प्रावधान होगा, वित्तीय व्यवस्था होगी तो हम इनको खरीदेंगे, पर नगर निगम के पास पैसा नहीं है।

इसी प्रकार से पिछले 25 साल से एक भी नये कर्मचारी की भर्ती अग्निशमन विभाग में या नगर निगम में नहीं हुई है और आज जो कर्मचारी लगे हुए हैं, वे प्रशिक्षित नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, आज जो वर्तमान में स्थिति है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसकी पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है, वह एक है, एक होना चाहिये, सही है। इसी प्रकार से एक क्षेत्र का जिम्मा होना चाहिये, उसके हिसाब से चार अधिकरी/कर्मचारी होने चाहिये, अभी केवल तीन हैं। सहायक अधिकारी, फायर स्टेशन का जो इंचार्ज होता है, वह नौ होने चाहिये, एक भी नहीं है। इसी प्रकार से लीडिंग फायरमेन 96 होने चाहिये, एक भी नहीं है। वाहन चालक, अग्निशमन में जो वाहन चलाते हैं, वह 96 होने चाहिये, केवल 39 हैं और फायरमेन जो अग्निशमन का काम करते हैं, वे 384 होने चाहिये, केवल 151 हैं। माननीय सभापति महोदय, यानि जो अग्निशमन विभाग है नगर निगम का, उसके पास 590 कर्मचारी होने चाहिये, वर्तमान में केवल 195 हैं, 395 कर्मचारी अभी भी कम हैं। इसी प्रकार से जो कर्मचारी हैं, उनके पास गैस मास्क नहीं हैं, वर्दी नहीं है, दस्तानें नहीं हैं, गमबूट नहीं हैं, हेलमेट नहीं है और अन्य सुरक्षा के जो उपकरण होने चाहिये, वे भी नहीं हैं। आज पेट्रोलियम पदार्थों को आग से बचाने के लिये जिस बेड़े की आवश्यकता है, स्पेशल फोम टेंडर की आवश्यकता है, वह हमारे नगर निगम के पास नहीं है। भगवान ना करे, आज यदि कोई भयंकर अग्निकांड हो जाये तो हमारे पास उसको काबू पाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करना चाहूंगा कि आज जयपुर शहर में इनके पास सात फायर स्टेशन हैं।

(श्री कालीचरण सराफ)

इन्होंने मुझे मेरे प्रश्न के जवाब में बताया कि एक घाटगेट पर है, बाईस गोदाम पर है, आमेर में है, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में है, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में है, बनीपार्क में है और मानसरोवर में है। आज जयपुर शहर में कम से कम पांच स्थानों पर फायर स्टेशन और होने चाहिये। एक मालवीय नगर में होना चाहिये, एक जगतपुरा में होना चाहिये, एक अजमेर रोड पर चित्रकूट नगर और वैशाली नगर में होना चाहिये, एक मुहाना के पास होना चाहिये और एक जामडोली के पास होना चाहिये। जयपुर शहर का जैसे विस्तार हुआ है, यहां पर अग्निशमन केन्द्र, फायर स्टेशन होने चाहिये।

इसी प्रकार से 25 साल से कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई। तो मैं यह अनुरोध करूंगा कि राज्य सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि जयपुर शहर में जो 25 साल से कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई और आज 395 कर्मचारियों की कमी है, प्राथमिकता के आधार पर वे कर्मचारी नियुक्त किये जायें और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। आधुनिक साज-सज्जा से पूर्ण फायर बिग्रेड की जो गाड़ियां खरीदनी हैं, वे खरीदी जायें। आज यदि राज्य सरकार यह सोचे कि नगर निगम यह सारी व्यवस्था कर लेगी, पर नगर निगम के पास आज पैसा नहीं है। निगम में आज चाहे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड हो या कांग्रेस का बोर्ड हो, आज वर्तमान में कांग्रेस का बोर्ड है, परन्तु आज जितनी आवश्यकता जयपुर शहर के फायर बिग्रेड की व्यवस्था को करने के लिये जितनी राशि चाहिये, वह आज नगर निगम के पास नहीं है। यदि सरकार इस मामले में गम्भीर है तो मैं राज्य सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि जितनी गाडियां खरीदनी हैं, जितने कर्मचारी लगाने हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किससे मांग कर रहे हैं, माननीय सदस्य? सरकार तो गायब है। मतलब, सभापति महोदय, सरकार बिलकुल गम्भीर नहीं है। जयपुर की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कोई है ही नहीं, सभापति महोदय।

श्री सभापति: बैठे हैं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): हम सुन रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सुन रहे हैं, लेकिन सुनने से कुछ नहीं होगा। आज आई.ओ.सी. में अग्निकांड हुआ, कोई व्यवस्था नहीं की

(श्री कालीचरण सराफ)

गयी। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि मुम्बई से आयेंगे, अपने आप आग बुझ जायेगी। आज यदि इस प्रकार से अग्निकांड जयपुर में हो, आज मल्टीस्टोरीज बिल्डिंग में यदि कहीं आग लग जाये, कहीं थिकली पापुलेटेड एरिये में आग लग जाये तो इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार का आपके माध्यम से यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जयपुर की अग्निशमन सेवा दुरुस्त की जाये, आधुनिक साज-सज्जा से पूर्ण की जाये, नये कर्मचारी भर्ती किये जायें, आधुनिक मशीनें खरीदी जायें, फायर बिग्रेड गाड़ियां खरीदी जायें, इसके लिये फंड की व्यवस्था करें, नगर निगम के भरोसे यह नहीं होगा। या तो जे.डी.ए. को सरकार निर्देशित करें या आपदा प्रबन्धन कोष से सरकार इस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था करे जिससे यहां के फायर बिग्रेड स्टेशन व्यवस्था को एकदम फूलप्रूफ किया जाये, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं। आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द भंसाली।

जोधपुर में सफाई व्यवस्था

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान जोधपुर की चरमराई हुई सफाई व्यवस्था की तरफ दिलाना चाहता हूं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है और संकोच के साथ कह रहा हूं कि हमारे प्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत के नगर का मैं हाल बता रहा हूं, उसमें मुझे थोड़ा दुःख भी है लेकिन वास्तविकता से आंखें मूंदी नहीं जा सकतीं। जोधपुर जिस तरह से सड़ रहा है, गल रहा है, रास्ते जिस प्रकार से जाम हो रहे हैं और लोग जाम लगाकर सफाई व्यवस्था के लिये बैठते हैं, क्योंकि गटर का पानी सड़कों पर आ जाता है। एक जगह नहीं, ऐसे 15 पाइंट हैं जहां पर प्रतिदिन इस प्रकार से गंदा पानी आ जाता है। सुबह माताओं को जब मंदिर जाना होता है, बड़ी मुश्किल से वे रास्ता पार करती हैं।

मेरा निवेदन यह है, सबसे पहली जो समस्या है, वह नालों की सफाई नहीं हो रही है। आपने सबने पढ़ा होगा, पिछले बारह दिन से एक बालक का शव नहीं मिल रहा है, क्योंकि वह नाले में गिर गया था। नाले में इतना गहरा पानी और इतना कचरा है, टनों कचरा है नालों में। ऐसे 12 नाले हैं उनमें से 6

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

नाले बिल्कुल टूट गये हैं। जगह-जगह से उनकी दीवारें खंडित हो गयी हैं और उसमें इतना कचरा शामिल हो गया है कि उनकी जब तक सफाई नहीं की जायेगी, उनकी रिपेयर नहीं की जायेगी, कंक्रीट के साथ नालों को वापस ठीक नहीं किया जायेगा, कभी भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, उस परिवार के लिये तो बहुत खराब हुआ है कि उनके घर का बालक चला गया, परन्तु शहर के लोग कह रहे हैं कि इस कारण से नालों की सफाई हो जायेगी, जो कि दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण है अच्छी बस्तियों में।

निवेदन है कि नगर निगम के चुनाव और डायरेक्ट मेयर का चुनाव होने के बाद भी चार महीने बीत गये हैं, पर सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। न तो सफाई कर्मचारी बढ़ाये गये हैं, न संसाधन बढ़ाये गये हैं। प्रशासन-शहरों-के-संग का जिस प्रकार से ढिंढोरा पीटा गया, प्रचार के लिये जिस प्रकार उसको काम में लिया गया, परन्तु वास्तव में वह खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वह भी मरी हुई। केवल मात्र जन्म-मरण प्रमाण पत्र, सीनियर सिटीजन का प्रमाण पत्र, मूल निवास का प्रमाण पत्र, पांच–छह तरह के प्रमाण पत्र के अलावा कोई सफाई व्यवस्था के बारे में ध्यान नहीं दिया गया।

हमारे मेयर साहब ने कहा, हमने एक दिन में वार्ड 32 है उसमें 150 टन कचरा हटा दिया है, परन्तु दूसरे दिन जब अख़बार के माध्यम से यह बात आई कि 150 तो उस वार्ड में अगर सारी जगह कचरा बिछा दिया जाये तब भी वह स्थान कम रहेगा, इसलिये उन्होंने फिर सुधार किया कि पूरे शहर से 150 टन कचरा हमने हटाया है। तो यह बात तो हो सकती है। पूरे 65 वार्ड हैं, उनमें सब में मिलकर हो सकता है परन्तु एक वार्ड में नहीं हो सकता।

मेरा निवेदन है कि जोधपुर शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाये, वहां से कचरे को हटाया जाये। सबसे बड़ा कारण है ओवर फ्लो। जगह-जगह सीवर लाइन बदलने के लिये सड़कों की खुदाई की गयी और इतनी खुदाई हुई है कि आम आदमी चल नहीं सकता है। आठ-आठ महीने से काम अधूरे पड़े हुए हैं और ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहा है। जे डी ए ने पैसा देकर कुछ काम वापस शुरू करवाये हैं। मेरा निवेदन है कि जितने काम हाथ में लिये गये हैं वे सब काम शीघ्र पूरे करवाये जाएं ताकि लोगों को, आम जन को चलने में मदद मिलेगी। गुलाब सागर, दो कोटा किला, पन्ना निवास, महावतों की बस्ती, हाथी राम का ओड़ा, माणक चौक, सोजती गेट, सत्संग भवन, मेन

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

चौपासनी, रातानाड़ा, सब्जी मण्डी, यहां पर इतनी गन्दगी फैल गयी है कि लोगों का जीना दूभर हो गया है।

इसी प्रकार सफाई कर्मचारियों की इतनी कमी है, जब भी पूछते हैं, निगम वाले कहते हैं कि कर्मचारी नहीं हैं। सबसे बड़ी बात इंस्पेक्टर्स क्वालिफाइड नहीं हैं, अन-क्वालिफाइड इंसपेक्टर्स लगे हुए हैं इसलिए सफाई व्यवस्था सुचारु नहीं हो पाती है। इस प्रकार से कचरा संग्रह के लिए 65 वार्डस के लिए कनक रिसोर्सेज को यह काम दिया गया था। उसका ठेका बन्द हुए दो माह हो गये, उसकी एवज में नया ठेकेदार नहीं लिया गया। केवल दस वार्डों के लिए ठेका दिया गया है और 65 में से 55 वार्ड अभी खाली पड़े हुए हैं। कचरे का ढेर हो रहा है। माताएं कहां कचरा डालें, कचरे का डिस्पोजल कहां करवायें? इसी प्रकार से डम्पिंग स्टेशन, जगह-जगह इतनी बदबू, नियमित रूप से डम्पिंग स्टेशन से कचरा हटाया नहीं जाता है। संसाधनों का सम्पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा है, नयी पांच मशीनें आई हुई पड़ी हैं परन्तु उनको अभी तक उपयोग में नहीं लिया गया है।

इस तरह से जोधपुर की जो हालत इस सरकार में बन गयी है उसके लिए मुझे बहुत दुःख है। दुःख इसलिए ज्यादा है कि लोकप्रिय मुख्य मंत्री जोधपुर से हैं। मैं नहीं कहते हुए भी अपनी बात आपके समक्ष रखते हुए सदन और राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि जोधपुर की चरमरायी हुई सफाई व्यवस्था के गवाह गड्ढे, नाले और नालों की सफाई की व्यवस्था तुरन्त की जाए और शहरवासियों को राहत प्रदान की जाए। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापतिः डा. रघु शर्मा।

पशुधन हेतु चारे की पर्याप्त व्यवस्था

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मेरा परिवहन मंत्रीजी से निवेदन है कि वे यहां से जाएं नहीं और यहां अकाल राहत मंत्रीजी भी बैठे हुए हैं। राजस्थान में 27 जिलों में अकाल की स्थिति अभी बनी हुई है, तीस हजार से ज्यादा गांव अकाल की चपेट में हैं और पिछले कुछ दिनों से झालावाड़, कोटा, बारां और बूंदी, विशेष तौर पर इन चार जिलों में परिवहन विभाग के अधिकारीगण, जो चारा लेकर ट्रक्स आ रहे हैं, उनके ऊपर पेनल्टी काटने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, परिवहन मंत्रीजी और आपदा

(डा. रघु शर्मा)

प्रबन्धन मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं कि दस रुपये किलो चारा आज गांवों में बिक रहा है और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जो लूट मचायी है, झालावाड़ में पांच हजार रुपये की पर्ची काटी जा रही है, वहां से ट्रक वाले कोटा आ रहे हैं तो छह हजार की और पर्ची वहां काटी जा रही है तथा बूंदी आते-आते पुलिस वाले डण्डा लेकर खड़े रहते हैं, वहां पर पुलिस वाले उनसे चौथ वसूली कर रहे हैं। राजस्थान में अगर यही हालत चलते रहे तो पचास रुपये किलो भी चारा नहीं मिलेगा गांवों के अन्दर। जगह-जगह हाहाकार मचा हुआ है।

सभापति महोदय, मैंने परिवहन मंत्रीजी से बात की। परिवहन मंत्रीजी ने यह कहा कि जिला कलक्टर ने हमारे विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। मैं इस सरकार से चाहूंगा कि राजस्थान की भयावह हालत है, राजस्थान के पशुधन को बचाने के लिए, गरीब पशुपालक अगर पड़ोसी राज्य से चारा परिवहन कर रहा है तो इस तरह की चौथ वसूली के बाद क्या वह राजस्थान के पशुधन के लिए चारा पहुंचा पायेगा? 11-11, 12-12 हजार रुपये की पेनल्टी यदि रास्ते में काट ली जाएगी और पुलिस वाले अपनी चौथ वसूली करेंगे तो यह चारा परिवहन ठप्प हो जाएगा राजस्थान के अन्दर। या तो सरकार जिम्मेदारी खुद ले कि वह अपने स्तर पर चारा उपलब्ध करवायेगी राजस्थान के पशुपालकों को। आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और गरीब आदमी जो लेकर आ रहा है दूसरी जगह से, उसको ऊंट के मुंह में जीरे के समान सब्सिडी दी जा रही है ट्रांसपोर्टेशन के अन्दर और चारा डिपो जो खोला जा रहा है, सभापति महोदय, पचास हजार रुपये दिये जा रहे हैं। अगर हमारी सहकारी समिति चारा डिपो खोले, अगर हमारी डेयरी कोई चारा डिपो खोले या पंचायत खोले तो पचास हजार रुपये अग्रिम दिये जा रहे हैं एस डी ओज के माध्यम से। वह राशि पर्याप्त नहीं है। होना तो यह चाहिए कि पचास हजार की जगह एक लाख रुपये करते ताकि गरीब आदमी एक ट्रक लेकर आता, उसके बाद पंचायत और उसके बाद दूसरा ट्रक लेकर आने के बाद उसकी कैसी स्थिति होती, लेकिन यह उल्टा हो रहा है।

ऐसी परिस्थिति में राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। परिवहन और आपदा प्रबन्धन मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं, मैं यह चाहूंगा कि सदन के अन्दर यह एश्योर किया जाए कि इस तरह की चौथ वसूली का काम और जिस तरह की रसीद काटने का काम परिवहन विभाग के अधिकारी राजस्थान में कर रहे

(डा. रघु शर्मा)

हैं, उसको रोका जाना सुनिश्चित किया जाए। परिवहन मंत्रीजी, हमारे को इस सदन के अन्दर आप अवगत करायें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सभापति महोदय, यह की यह हालत मेरे क्षेत्र में भी है।

श्री सभापति: विराजें। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सभापति महोदय, मैंने भी माननीय परिवहन मंत्रीजी को इससे अवगत करवा दिया है। (व्यवधान) पाली में पिछले दिनों.. ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री सभापति: विराजें, विराजें, माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात यह स्पष्ट कर दूं। (व्यवधान) मेरी पर्ची निकली है, मुझे बोलने दें। मैंने यह कहा कि परिवहन विभाग के अधिकारी पर्ची काट रहे हैं, रसीद काट रहे हैं। बाकायदा सरकार के खाते में पैसा जमा हो रहा है। मैंने भ्रष्टाचार की बात नहीं कही है। (व्यवधान) आप बात सुनिए। आप कौन होते हैं बोलने वाले? मैं बोल रहा हूं पर्ची के माध्यम से। बात का बतंगड़ बना दिया। सभापति महोदय, मैंने यह कहा कि परिवहन विभाग के अधिकारी सरकार की तरफ से रसीद काट रहे हैं। हालांकि यह दण्ड है, आम जनता के ऊपर तो यह दण्ड है लेकिन यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है। लोग पिस रहे हैं, यह बात मैंने कही है। उसको तोड़ मरोड़कर...। एक तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत मंत्रीजी यहां बैठे हैं, वे अकाल के मामले में जबाव दें और परिवहन के मामले में परिवहन मंत्रीजी जबाव दें।

(डा. रघु शर्मा)

पहली चीज तो यह है कि नौ क्विंटल परिवहन की इजाजत है। वाल्यूम ज्यादा होता है। ट्रक के अन्दर जो वज़न होता है, वह उतना होता ही नहीं है नौ क्विंटल। अगर आपको एक्सीडेंट का खतरा है तो रात में बन्द कर दो, दिन में चलाओ उसको। अगर आप यह कहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है तो सरकार अपील में जाए लेकिन गरीब पशुपालकों के लिए करें। उच्च न्यायालय के निर्णय को कितने दिन हो गये, सरकार ने अब तक क्या तैयारी की अपील में जाने की? अगर नहीं गये तो मैं यह बात कहना चाहता हूं सदन के अन्दर कि यह बहुत गम्भीर विषय है और इस पर लापरवाही का परिणाम राजस्थान का गरीब पशुपालक भुगत रहा है। पन्द्रह-बीस दिन हो गये कोर्ट का आदेश आये हुए, सरकार अपील में नहीं गयी उस निर्णय के विरोध में। उससे गम्भीर स्थिति उत्पन्न होने वाली है प्रदेश के अन्दर।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं दोनों मंत्रीगण का वक्तव्य चाहता हूं। दूसरी बात और, हमारी सरकार ने घोषणा की, 01 अप्रैल, 2010 से सारी बी सी डी श्रेणी की नगरपालिकाओं में भी अकाल राहत करवाये जाएंगे। बहुत स्वागत योग्य कदम है क्योंकि नगरपालिका क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो नरेगा के अन्दर कवर नहीं होता। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने घोषणा की लेकिन जब हम क्षेत्र में गये तो वहां पर वस्तुस्थिति उल्टी मिली। 100 लेबर के साथ अगर आप अकाल राहत का काम नगरपालिका क्षेत्र में करने की मंशा रखते हैं, माननीय मंत्री महोदय, तो यह मत खोलिये; कानून और व्यवस्था के हालात उत्पन्न हो जायेंगे, मारामारी उत्पन्न हो जायेगी। 20-20, 25-25 वार्ड हैं, उनमें कम से कम ढाई हजार-तीन हजार लेबर दो। यह अकाल है, विभीषिका है, लोगों को रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए 100 लैबर की सीमा आप मत रखिये। वहां पर जितने लोगों को रोजगार हों उतने लोगों को इस भीषण गर्मी और अकाल की स्थिति में रोजगार दें, यह मैं चाहता हूं। उस पर वक्तव्य आना चाहिए अकाल राहत मंत्रीजी का।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सरकार अकाल की गम्भीरता को देखते हुए, पशुधन को बचाने के लिए चारे के परिवहन में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसकी व्यवस्था करेगी।

दूसरा, जो आपने कहा ...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कैसे करेगी? करेगी से, अभी भी कर रही है, इसका मतलब, करेगी कैसे, बताइये न आप। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह सही कह रहे हैं, कैसे करेगी सरकार, बताएं।

एक माननीय सदस्य: आप बैठो, आप बैठो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बताए सरकार।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सभापति महोदय, दूसरा प्रश्न जो अभी माननीय सदस्य ने उठाया, माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश 18.03.2010 को हुआ है उसके लिए तारीख 2 अप्रैल, 2010 को सरकार जवाब पेश कर रही है। सरकार माननीय हाई कोर्ट से इसके बारे में जो भी सम्भव हो सकेगा, सरकार की ओर से पैरवी की जायेगी। इतना ही मुझे कहना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): चौथ वसूली का क्या होगा? जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह जो चौथ वसूली है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): चौथ वसूली का आरोप नहीं लगाया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): चौथ वसूली हो रही है। (व्यवधान) माननीय सदस्य कह रहे हैं। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): चौथ वसूली का आरोप नहीं लगाया है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह राजस्थान की जनता को पता चलना चाहिए, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये आप। (व्यवधान) श्री फूलचन्द भिण्डा।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: विराजिये, विराजें। माननीय सदस्य, मंत्रीजी, विराजो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। माननीय सदस्य, हो गयी चर्चा। माननीय सदस्य, हो गयी। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं हो रहा, विराजो। (व्यवधान) श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय सभापति जी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजो। माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री फूलचन्द भिण्डा जी। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: विराजो, विराजो। माननीय सदस्य, विराजें, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री सभापति: अकाल पर चर्चा होगी। (व्यवधान) अकाल पर होगी चर्चा। (व्यवधान) पूरी रात चलेगा, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। विराजो आप, माननीय सदस्य। (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है, विराज जाओ आप। विराज जाएं। (व्यवधान) मुख्य सचेतक जी, माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान)

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: श्री फूलचन्द जी भिण्डा, आप बोलना नहीं चाहते? बोलना चाहते हैं तो बोलो। (व्यवधान) आपके अलावा कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) आप विराजो। आप विराजो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उच्च शिक्षा का ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री सभापति: ...(व्यवधान) सब आ जायेगा। आप विराजो, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, श्री फूलचन्द जी भिण्डा। अकाल पर चर्चा होगी।

उच्च शिक्षा में शिक्षक वेतनमानों में विसंगतियां

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ी अराजकता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का जो उच्च शिक्षा विभाग है उसमें वैल-क्वालिफाइड लोग आते हैं और नौकरशाह सामान्य तौर पर केवल ग्रेजुएट होते हैं। उच्च शिक्षा एक ऐसा विभाग है जिसके वेतनमान का अस्सी परसेंट भाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देता है लेकिन स्थिति यह है कि छठे वेतनमान को मिले हुए चार साल हो गये लेकिन अभी तक सभी शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिए गए हैं और वेतनमान जो दिए गए हैं उसमें अनियमित वसूली की जा रही है, नकद

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

वापस जमा किया जा रहा है यू जी सी से लिया हुआ पैसा। अमानत में खयानत हो रही है। चार सौ पचास करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वेतनमानों के पेटे दिये हैं लेकिन शिक्षकों को केवल चालीस परसेंट भाग चार साल बाद दिया है और पांचवें वर्ष में उनको शेष भाग दिया जाएगा। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है।

मैं आपके सामने स्थिरीकरण में जो अनियमितताएं हुई हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। एक विषय उच्च शिक्षा में क्वालिटी डवलप की जाए, इसके कारण से 1996 के वेतनमान में यह प्रावधान किया गया था कि शिक्षक जब पीएच डी करके आएगा, उसको चार एडवांस इंक्रीमेंट मिलेंगे। जब शिक्षक सेवा में रहते हुए पीएच डी करेगा उसको दो एडवांस इन्क्रीमेंट मिलेंगे और चयनित वेतनमान में दुबारा वेतन, अग्रिम वेतन मिलेंगे। इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। बार-बार ब्यूरोक्रेसी के कहने से राजस्थान सरकार ने तीन बार यू जी सी को लिखा और यू जी सी ने क्लेरिफाई किया कि जब भी टीचर पीएच डी करेगा तो दो इंक्रीमेंट मिलेंगे, सलेक्शन स्केल में दो इंक्रीमेंट मिलेंगे, उसके ठीक दस साल बाद अब 2006 के जो आदेश 2009 में किये हैं उसमें इन्होंने मनमाने तरीके से ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि डबल लाभ नहीं दिया जा सकता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जब तीन बार क्लेरिफाई किया है उसके बाद कोई कारण नहीं रह जाता कि उसको दुबारा किया जाए।

यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी विसंगतियां राजस्थान में ही हैं। देश के सभी जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं इनमें यह स्कीम 2006 से लागू हो गयी। यहां जो लागू की गयी उसको अधूरा लागू किया जाता है1 अभी जो शिक्षक रिटायर हुए थे प्रिंसिपल पद से उनको यह कहा गया कि आप जुलाई के पहले रिटायर हो गये, जुलाई से लागू करेंगे और वेतनमान का टाइटल है 1.1.2006 से वेतनमान लागू किया जा रहा है लेकिन राजस्थान की सरकार के पेंशनधारियों को पचास परसेंट पेंशन जुलाई से मिलेगी। इस कारण से आपको भी दिया जाएगा। यह स्कीम का पार्ट है।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार पैसे का रोना रोती है1 राजस्थान का जो उच्च शिक्षा का शिक्षक है वह तीस परसेंट टैक्स देता है और राजस्थान सरकार को अगले वर्ष 26 परसेंट वापस मिलता है, अस्सी परसेंट केन्द्र सरकार देती है। नेट छह परसेंट का लाभ

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

सरकार को मिलता है। उसकी अनदेखी करके ब्यूरोक्रेसी जैसा लिख देती है वैसा करते रहते हैं।

इसी प्रकार से उच्च शिक्षा का कैडर पांच हजार का है उसमें से 1500 रिटें, 1996 के वेतनमान में जो विसंगति थी, इन नौकरशाहों ने शिक्षकों को मजबूर कर दिया कि कोर्ट में जाएं, 1500 रिटें राजस्थान के हाई कोर्ट में लगी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिटें लगी हुई हैं। उसमें एक ही प्रावधान था कि पीछे के जो सेवा करके आए हैं चाहे वह विश्वविद्यालय में करें चाहे कालेजों में करें चाहे अस्थाई करें, उनको उस सेवा का लाभ दिया जाएगा लेकिन वह लाभ केवल विश्वविद्यालय में दिया गया, सरकारी कालेजों में नहीं दिया गया। कितनी अनुचित बात है कि जो बैक डोर एंट्री से विश्वविद्यालय आते हैं उनको दे दिया गया, जो सरकार में मेरिट के आधार पर लोग आते हैं, आर पी एस सी के द्वारा जो लोग आते हैं उनको अभी तक नहीं दिया गया? 1500 लोग कोर्ट में गए हुए हैं। कुछ लोगों को कोर्ट के माध्यम से मिला तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार चली गयी। कितनी बेशर्मी की स्थिति है कि जो क्वालिटी का डिपार्टमेंट है जिसको चालीस परसेंट दस साल तक देश का जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता देता है उस विभाग की अनदेखी करके इस प्रकार की स्थिति है।

आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विसंगति पैदा हुई है, आदेश निकालती है सरकार कि अगर कोई ज्यादा उठाया गया वेतन है तो वेतन से वसूल किया जाए, इस राजस्थान सरकार में नगद पैसा लेकर फिर स्थिरीकरण किया जा रहा है, कितनी बेहूदगी की स्थिति है। ऐसी स्थिति लगभग पांच सौ शिक्षकों के साथ है। इस कारण से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार घोषणा करे कि वह अवैध वसूली है, उस पर रोक लगाकर के यू जी सी का जो पूरा पैक्ट है, पूरी योजना है उसको लागू करें। यह नहीं हो जाए कि घनश्याम जी तिवाड़ी ने एक ऐसी नीति बनाई जिस कारण से राजस्थान पहले नम्बर पर आ गया कालेजों के मामले में, इस कारण से कहीं शिक्षक सेकंडरी नहीं हो जाएं। एक नम्बर पर आने का हम प्रयास करें। इस कारण से शिक्षक एक नम्बर पर होगा, ऐसे प्रावधान करने से शिक्षक दो नम्बर पर सारे देश में अन्त में चला जाएगा।

इस कारण से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो अमानत में खयानत, साढ़े चार सौ करोड़ रुपया यू जी सी से मिला है, सरकार उसका पेमेंट

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

तत्काल करे और यह जो विसंगति पैदा की है और जो ब्यूरोक्रेसी गलत इंटरप्रिटेशन कर रही है उसको ठीक करके वह रिकवरी बंद करे और चार एडवांस इंक्रीमेंट जो दिए गए हैं, योजना के अनुसार दिए गए हैं उनको बहाल रखा जाए। आपके माध्यम से इतना ही निवेदन था, जय हिन्द ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

केकड़ी में विद्युत समस्याएं

श्री सभापति: डाक्टर रघु शर्मा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में विद्युत समस्याओं के बारे में ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, केकड़ी से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने 131 के अन्तर्गत जो ध्यान आकर्षण दिया है उसके बारे में मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा। माननीय सदस्य जहां से पधारते हैं वहां पर बहुत बड़ा मार्बल फील्ड है, मार्बल की माइन्स हैं उस क्षेत्र को सावर के नाम से जाना जाता है। सावर गांव भी है वहां पर और निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य ने अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया है वह एक वहां की सावर की गम्भीर समस्या है। सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा जो उस समस्या के समाधान हेतु जो कदम उठाये गये हैं । केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में वर्तमान में 33/11 केवी के पांच सब-स्टेशन हैं तथा ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना के अन्तर्गत छह नये सब-स्टेशन निम्न ग्राम पंचायतों में बनाना प्रस्तावित हैं जिसके लिए निविदाएं भी मांग ली गयी हैं:-

1. जुनिया 2. प्रान्हेडा 3. बघेरा 4. मेहरू कलां 5. गटियायली 6. राजपुरा उक्त सब-स्टेशनों के बनने से उक्त क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की व्यवस्था में आवश्यक रूप से सुधार आएगा तथा जो वर्णित समस्याएं हैं उनका भी निवारण हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सावर के विषय में लो वोल्टेज के बारे में जो आना बताया है, उसके बारे में अवगत कराना चाहूंगा माननीय सदस्य को कि 132 के वी जी एस एस सावर के प्रस्ताव बनाये जा

(डा. जितेन्द्र सिंह)

रहे हैं। तकनीकी व वित्तीय रूप से साध्य होने पर राज्य सरकार द्वारा राज्य विद्युत प्रसारण निगम को प्रस्ताव भेज कर स्वीकृति जारी करवाई जाएगी।

यह आपने जो 132 ग्रिड स्टेशन के बारे में कहा है, माननीय सदस्य, जहां पर अमूमन हमारे छह या सात ग्रिड स्टेशन 33 होते हैं वहां पर एक 132 अमूमन होना चाहिए ताकि वोल्टेज का स्टेबलाइजेशन हो सके। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो आपने बताई है वह मांग आपकी बिल्कुल जायज है और उसके ऊपर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

माननीय सदस्य, खराब अथवा जले हुए ट्रांसफार्मरों को लाने-ले जाने का कार्य तथा नया लगाने का कार्य निगम के वाहन द्वारा ही कराया जाता है तथा उप खण्ड में एक एल सी वी वाहन वर्तमान में कार्यरत है। माननीय सभापति महोदय, अमूमन जो ट्रांसफार्मर का ट्रांसपोर्टेशन है वह सरकारी गाड़ी से किया जाता है लेकिन सरकारी गाड़ी, मैं समझता हूं कि उनका जो सब स्टेशन है वहां मुश्किल से एक होती है और कई बार जब यह प्राब्लम आ जाती है और अति शीघ्र आवश्यकता होती है तो, माननीय, जो हमारे कंज्यूमर हैं वे स्वयं अपने वाहन से उस ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करते हैं जबकि जो हमारा एल सी वी वाहन से जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वह फ्री-आफ-कास्ट होता है ।

माननीय सदस्य ने जो एक चिन्ता की, राजपुरा और चीतीवास फीडर पर 11 केवी की लाइन के बीच में आवश्यकतानुरूप वहां के माननीय सदस्य ने फरमाया कि वहां का लम्बा डिस्टेंस होने से पोल्स का लूपिंग आफ वायर्स है, कंडक्टर्स है, उसको ठीक करने के लिए मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि सब-स्टेशन सावर के अधीन राजपुरा व चीतीवास फीडर पर 11 केवी की लाइन के बीच आवश्यकता अनुरूप नये पोल लगवा कर लाइन को सुदृढ़ कराने का कार्य भी उक्त योजना में शामिल है जिसके फलस्वरूप स्थानीय उपभोक्ताओं की परेशानियों का भी समाधान हो जाएगा।

केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं के खराब तथा जले हुए मीटरों को निगम द्वारा नये मीटरों द्वारा बदला जा रहा है। शीघ्र ही सभी खराब मीटरों को बदल दिया जाएगा।

सब-स्टेशन सावर के परिसर में बाउंडरी वाल एवं कनिष्ठ अभियन्ता आवास का निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय ने खुद ने स्वीकार किया कि यहां मार्बल का एरिया है। नसीराबाद जो आपका सब-डिविजन है, माननीय मंत्री महोदय, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपके डिपार्टमेंट को वहां से मिलता है और जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपको दे रहा है उसके साथ आपके विभाग ने यह दुर्गति कर रखी है। लोडिंग वाहन है नहीं वहां सब-डिविजन में। नया ट्रांसफार्मर किसान का खराब होता है उसको अजमेर जाना पड़ता है, 120 किलोमीटर अजमेर है। अजमेर जाकर ट्रांसफार्मर लेकर आयेगा किसान, 10-15 दिन का समय उसमें लग जाता है। खड़ी फसल में अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, सब-डिविजन में लोडिंग वाहन नहीं हो तो किसान की फसल तो बरबाद हो गयी। उसका मुआवजा कौन देगा ?

दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि नये मीटर लगाये गये। नये मीटर का मतलब होता है नया मीटर। अब वह नये मीटर खराब हो गये तो आपने कौनसी कम्पनी को मीटर लगाने का काम दिया ? अगर नये मीटर खराब हो गये, वह भी एक नहीं, सैकड़ों की संख्या में मीटर खराब हो गये और जिस कम्पनी को मीटर खरीदने का ठेका दिया गया, क्या आपके विभाग ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया ? और यदि ब्लैकलिस्टेड नहीं किया तो फिर उसके कारण क्या हैं ? क्यों ऐसी कम्पनी को ठेका दिया गया ? ठेका देने के बाद जो मीटर लगाये गये वे अगर खराब निकलते हैं तो उन कम्पनीज को ब्लैकलिस्टेड नहीं करके बचा कौन से अधिकारी रहे हैं आपके डिपार्टमेंट के अन्दर ? बताओ। जिम्मेदारी तय करो। आप खुद कह रहे हैं अभी कि नये मीटर लगे और खराब हो गये।

एक बड़ा अपराध और हो रहा है कि यह जो मीटर खराब हो रहे हैं, एवरेज लिया जा रहा है। बिलों को एवरेज लिया जा रहा है। गरीब आदमी मारा जा रहा है। राजस्थान में अकाल की स्थिति है। पीने के पानी का संकट मेरे इलाके में है, ऊपर से इन बिलों की मार ने पूरे इलाके में त्राहि-त्राहि मचा दी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अपराध करते हैं गलत मीटर सप्लाई करने का, जो सब-स्टेंडर्ड कम्पनी हैं जिनको मीटर का ठेका दिया गया आपके विभाग के द्वारा, वह जिम्मेदारी आपने क्या तय की ? उस कम्पनी को क्या आपने ब्लैकलिस्टेड किया जिसने ग्रामीण इलाके के गरीब आदमी को नया मीटर लेने की एक खुशी दी, मजबूरी में उसने मीटर लिया भी और मीटर खराब निकला? उसके अन्दर आर्थिक प्रताड़ना कि एवरेज बिल देंगे। यह जिम्मेदारी क्या आप तय करने जा रहे हैं ? क्या आप इलाके में लोडिंग वाहन उपलब्ध करवाने जा रहे हैं ?

(डा. रघु शर्मा)

आपने, मंत्री महोदय, कल मेरे को लिस्ट दी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। मेरे यहां 33 केवीए के मात्र 5 थे, 300 गांवों के बीच में मात्र 5 33 केवीए के जी एस एस लगे हुए थे। कल आपने मेरे को सूची दी, 8 नये जी एस एस आपने स्वीकृत किये। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन अफसोस आज सदन में आप बता रहे हैं 6, कल जो जगह आपने बतायीं वे दूसरी थीं, आज सदन में जो जगह आप बता रहे हैं वे दूसरी हैं। इससे मेरे मन में आपको धन्यवाद देने के बावजूद भी भ्रांति पैदा हो गयी। तो इस भ्रांति का निवारण भी करो क्योंकि आप विभाग का संचालन कर रहे हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके अधीक्षण अभियन्ता ने मुझे सूची दी वह कुछ और है, आप सदन में जो बता रहे हैं वह कुछ और है।

मेरे यहां सरवाड़ एक बहुत बड़ा कस्बा है, नगरपालिका क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अन्दर भी 132 केवीए की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरवाड़ क्षेत्र में 132 और सावर क्षेत्र में 132 केवीए के जी एस एस आप कब तक लगा देंगे? समय सीमा आप बता दें कृपया।

इन मीटर्स के बारे में कब तक आप निर्णय कर लेंगे, सज़ा देने का, जांच कराने का, नया मीटर नि:शुल्क लगाने का, एवरेज बिलों से अगर अधिक राशि वसूल की गयी है तो वापस वह राशि लौटाने का? हालांकि आपके विभाग में यह रिवाज नहीं है लेकिन मैं चाहूंगा कि यह एक गरीब किसान की पीड़ा है, गांवों के गरीब आदमी की पीड़ा है। माननीय मंत्री महोदय, यह अन्याय मैं नहीं होने दूंगा मेरे विधायक होते हुए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार समय रहते इनके पैसे लौटा दे गरीब लोगों के। यह गलती सरकार की है, यह आम उपभोक्ता की गलती नहीं है। इस तरह सरासर अन्याय करने वाले आपके विभाग के अन्दर बैठे हैं तो उनको आप मुवक्किल क्यों नहीं करते हो? सस्पेंड क्यों नहीं करते हो ? उनको क्यों बचाया जा रहा है ऐसे अधिकारियों को ? इस बात की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। मैं आपसे जवाब चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। बोल रहे हैं वह, आप विराजो।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो 4 महत्वपूर्ण बिन्दु उठाये मैं बिन्दुवार उनके बारे में माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

ट्रांसफार्मर्स के बारे में आपने जो अपनी चिन्ता जाहिर की, वह सही है कि अजमेर से ट्रांसफार्मर शिफ्ट होते हैं तो मैं व्यवस्था करा रहा हूं कि अन्य स्थानों पर भी मिले। आपके ए ईएन आफिस के पास में ही व्यवस्था करा रहा हूं कि वहां पर रिजर्व में ट्रांसफार्मर्स रखे जाएं ताकि इतना लम्बा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़े और जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उन सबको easily within the reach available हो जाए क्योंकि ए ईएन आफिस और हमारे 33 केवीए सब-स्टेशंस करीब-करीब बहुत निकटता में हैं। तो ट्रांसफार्मर्स की अवेलेबिलिटी बजाय अजमेर के वहां व्यवस्था करा रहा हूं, अन्य स्थानों पर भी व्यवस्था करा रहा हूं ताकि लम्बा ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो।

आपने 33 केवीए जी एस एस के बारे में बताया। मैंने जो लिस्ट दी, मैं वह लिस्ट दे रहा हूं जिनके बारे में निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं और जो कल लिस्ट जारी हुई है वह अक्षरक्षः वैसी ही स्वीकृत होगी जैसा कि आपने बताया। उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

आपने सरवाड़ 132 केवीए जी एस एस के बारे में कहा है। माननीय सदस्य, उसकी फीजिबिलिटी मेरे विभाग से ड्रा आउट करा लेता हूं। वैसे भी मैंने आपको अर्ज किया कि जो 33 केवीए सब-स्टेशंस हैं, जहां लोड ज्यादा है उनको इसीलिये बनाया गया है कि जितना पंचायतों का लोड है उनको अच्छी विद्युत मिले और उसका सही उपयोग हो क्योंकि 33 केवीए का पूरा कनेक्शन होगा गंग कैनाल फीडर से। तो आपने जो सरवाड़ के बारे में कहा है, मैं उसकी फीजिबिलिटी की जांच करा कर जो भी पोजिटिव पासिबिलिटी होगी...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): समय सीमा ?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): पोजिटिव पोसिबिलिटी...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): समय सीमा, मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): मैं इसकी अभी जांच करवाकर फीजिबिलिटी पता कर लेता हूं, फीजिबिलिटी का पता तो 15 दिन में ही लग जायेगा, उसकी फीजिबिलिटी होकर as fastest as possible, जितना शीघ्र होगा, I assure you that I will do it.

आपने एक महत्वपूर्ण बिन्दु उठाया है और अजमेर से पधारने वाले माननीय सदस्य ने भी उठाया, that is regarding the meters. माननीय सभापति

(डा. जितेन्द्र सिंह)

महोदय, यह सही बात है कि मीटर्स की आम शिकायतें आती रहती हैं कि मीटर बहुत जल जाते हैं। माननीय सदस्य की चिन्ता इसमें बहुत सही है और आपके माननीय सदस्य की चिन्ता भी सही है। पूर्व में जो व्यवस्था होती आयी है और जिसके कारण मीटर्स का जलना बड़ी संख्या में हुआ, नेशनल एवरेज 7-8 परसेंट है जिसमें मीटर जलते हैं लेकिन कुछ मीटर्स ज्यादा संख्या में जले। माननीय सदस्यों को मैं उनकी चिन्ता के बारे में बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो व्यवस्था की है, पूर्व की उस व्यवस्था में चेंज कर दिया है। मीटर्स के बारे में बेगूं से पधारने वाले माननीय सदस्य ने भी चिन्ता जाहिर की थी, इसके बारे में definitely it is a big problem, Sir. तो उसके लिये एक नया प्रोसेस हो गया है। उसके अन्दर पूर्व में मीटर टैस्टिंग हमारी स्वयं की लेबोरेटरी में होता था, स्वयं की लेबोरेटरी में होने के बावजूद भी कई मीटर सब-स्टैंडर्ड होते थे, जल जाते थे। अब उस व्यवस्था में चेंज करते हुए जो भी मीटर हैं वह सब टेंडर के माध्यम से होते हैं। टेंडर में जो भी मीटर क्वालिफाई करते हैं, मीटर्स के आधार पर जो भी कम्पनी क्वालिफाई करती है, उनके 5 सैम्पल हम ले लेते हैं। वर्तमान व्यवस्था अब हमने सी पी आर आई लैब, बैंगलोर में की है। जब से आपने यह बात बतायी है कि यहां पर फीजिबिलिटी नहीं है, अच्छी रिपोर्टस नहीं आ रही है, सी पी आर आई, बैंगलोर की लैब भारत की मानी हुई लैब है और उसमें अमूमन अदर स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, इनके मीटर टैस्टिंग के लिये आते हैं, पांच मीटर्स की वहां टैस्टिंग करके पोजिटिव रिपोर्ट आयेगी, उनको एल-1 के आधार पर 40 परसेंट, 20 परसेंट, 30 परसेंट, इस तरह से उनको डिवाइड करते हैं। वह जो मीटर दुबारा भेजते हैं हमारे पास, उनमें से 5 हजार फर्ज कीजिये मीटर भेजे हैं, उनमें से अभी जो अपने एम.डीज. हैं वे उनमें से 25 सलेक्ट करते हैं और फिर उनको री-टैस्ट करते हैं और उसके अन्दर अगर वह पोजिटिवली सही पाये गये then, Sir, the order is given.

मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि सरकार किसी व्यक्ति या पर्टिकुलर कंपनी में इंटरस्टेड नहीं है, किसी भी कंपनी में; it comes through the tender. उसके अन्दर भी आपने बताया था कि टेंडर में भी क्वेरी थी, हमारी जो सबसे लीडिंग लैब है बंगलौर की, उसमें टैस्ट हो रहे हैं। इस तरह की कोई भी अव्यवस्था या कोई भी सबग्रेडेड कम्पनी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पायेगी

(डा. जितेन्द्र सिंह)

क्योंकि उनके मीटर फेल होंगे। उसके बावजूद भी आपने फरमाया है कि अगर कोई उसमें ब्लैकलिस्टेड है तो, Sir, I will see, examine and I will not allow.

श्री सभापति: श्रीमती अन्जू खन्गवाल।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, टेंडर में भी बड़ा घोटाला है। (व्यवधान) विंग ही नहीं है वहां पर। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। मैंने अलाउ नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अजमेर में इंस्पेक्शन विंग ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): खरीदे किसने हैं? आप लोगों ने ही तो खरीदे थे।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सरकार ने खरीदा। हमने और आपने का मुद्दा नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरा है कि आपका है? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): फिर क्यों +++ रहे हो? बैठे रहें (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप बैठाने वाले कौन होते हैं? सभापति महोदय, कहेंगे ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था कि आपका था? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपके कहने से नहीं बैठूंगा, सभापति महोदय के कहने से बैठूंगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नियमों और प्रक्रियाओं में उठायें ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपको उसका अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): लेकिन आप बीच में काहे को बोल रहे हो? (व्यवधान) आपका अधिकार कहां से हुआ? (व्यवधान) आपका अधिकार कहां से है? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं सभापति से पूछकर बोल रहा हूं। (व्यवधान) आप उधर बात करिये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपको भी अधिकार नहीं है। (व्यवधान) आपको भी अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर रहा हूं, आप विराजें (व्यवधान)

बस्सी पंचायत समिति के ग्राम रोजवाड़ी के स्टेडियम का विकास

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत पंचायत समिति के ग्राम रोजवाड़ी के स्टेडियम का समुचित विकास करने के संबंध में युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री का ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अन्तर्गत बस्सी पंचायत समिति के ग्राम रोजवाड़ी के स्टेडियम के विकास कराने के संबंध में कहना चाहता हूं कि यह स्टेडियम पालिसी 2007 के अन्तर्गत प्रचलित है। उस नीति में प्राथमिकता के अनुसार संभाग, जिला, तहसील स्तर के स्टेडियम कार्यों पर विचार किया जाता है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए और नीतिगत प्राथमिकता के अनुरूप पंचायत समिति बस्सी के ग्राम रोजवाड़ी में स्टेडियम के विकास का कार्य करवाया जाना अभी सम्भव नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से स्टेडियम पालिसी 2007 बनी हुई है उसके अन्तर्गत सबसे पहले हम जो स्टेडियम निर्माण कराने का काम कर रहे हैं, वह तहसील स्तर पर जमीन उपलब्धता के आधार पर जहां लगभग 32 बीघा जमीन हो और उसमें 79 लाख रुपये लागत आती है; दूसरा, जिला स्तर पर 8 हैक्टेयर जमीन, लगभग 39 बीघा; और तीसरा है संभाग स्तर पर जहां 10 हैक्टेयर जमीन उपलब्धता के आधार पर हम स्टेडियम निर्माण करने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, यह बस्सी पंचायत समिति की पंचायत भूड़ला का मामला है। यह गांव होने के नाते जो स्टेडियम अभी बना हुआ है वह पंचायत के अधीन है और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीजी से इस संबंध में परिचर्चा करेंगे और अगर वे यह जमीन हैंड-ओवर करते हैं तो हम इस पर

(श्री मांगीलाल गरासिया)

स्टेडियम निर्माण करने की प्रक्रिया को शुरू करने का काम करेंगे। लेकिन इस पर पूर्व में हमें वहां के प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोजवाड़ी का पत्र जो उन्होंने 9 अक्टूबर, 2009 को विकास अधिकारी को लिखा कि यह जमीन हमें हैंड-ओवर करवायी जाये, अभी तक वह मामला लम्बित है। न तो वह शिक्षा विभाग को हैंड-ओवर हुई है, ना हमारे खेल विभाग को हैंड-ओवर हुई है, वह अभी पंचायत के अधीन है।

सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्या को जानकारी देना चाहूंगा कि वर्तमान में वहां पर टूटी-फूटी दीवार है और ग्राम पंचायत भूड़ला की जिस तरह की स्थिति है, हम पीका योजना के माध्यम से जिसमें 75 प्रतिशत पैसा भारत सरकार का है और 25 प्रतिशत राजस्थान सरकार का है, इसमें इंक्वायरी करके हम तय कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम चरणबद्ध तरीके से उनको लेने का काम कर रहे हैं। प्रथम चरण में राजस्थान की 9,184 कुल ग्राम पंचायतों में से 869 पंचायतों को लेने का काम किया है।

सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि पंचायत समिति बस्सी में प्रथम चरण में हमने बांसखो, बस्सी प्रोपर, कानोता और तूंगा, सांडेकला, पंचायत समिति चाकसू के कोटखावदा, पंचायत समिति चाकसू, इस तरह से हमने 6 पंचायतों को लेने का काम किया है। यहां पर 6 लाख रुपये पीका योजना के तहत देने का काम किया है।

सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आगामी चरण में हम पुनः आपके एरिया में कुछ पंचायतों का चयन करने का काम कर रहे हैं। नैक्स्ट चरण में हम आपके उस एरिये के लिए जो आप बात कर रही हैं भूड़ला और रोजवाड़ी गांव का मामला है, यदि ये उस प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं तो उसको भी हम जोड़ने का काम करेंगे।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं खेल मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने यह तो माना है कि बस्सी विधान सभा क्षेत्र में कोई स्टेडियम भी है क्योंकि 12 तारीख के अतारांकित प्रश्न संख्या 131 में उन्होंने यह जवाब दिया था कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में युवा मामले एवं खेल विभाग के अधीन कोई स्टेडियम नहीं है। चलिये, यह तो माना कि स्टेडियम तो है।

श्री सभापति: अब तो आ गया ना जवाब सारा आपका?

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): हां।

श्री सभापति: संतुष्ट हो ना?

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): बिलकुल। अभी उन्होंने माना है कि स्टेडियम है इसके लिए धन्यवाद। पहले नहीं माना था।

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्या। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

समिति का प्रतिवेदन

अधीनस्थ संबंधी समिति, 2009-10 का प्रतिवेदन (सं. 1)

श्री भगराज चौधरी (आहोर): सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान आबकारी (सामान्य शाखा) नियम, 1974 से संबंधित अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, 2009-10 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: राज्य में बिजली, पेयजल और अकाल की स्थिति पर अग्रिम विचार।

श्री गुलाब चन्द कटारिया। एक मिनट, माननीय सदस्य। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि लगभग 70 माननीय सदस्य आज अकाल, पेयजल और बिजली की चर्चा पर बोलेंगे और कल लगभग 45 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया था। राजस्थान की यह बहुत ज्वलंत समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हमने आठ-दस मिनट भी दिये तो लगभग 10 घंटे तक इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। उसके बाद में मंत्रीगण अपना जवाब देंगे। मेरा निवेदन है आप सभी से कि समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में ध्यान रखकर और सुझाव देते हुए अगर अपनी बात रखेंगे तो सरकार को भी सभी के सुझावों के आधार पर आपको जवाब देना होगा कि उनको अच्छी तरह से सम्मिलित करके इस चुनौती का मुकाबला राजस्थान सरकार कैसे करने जा रही है। इसके अन्दर अपना

(समय 14.00 बजे)

स्पष्टीकरण और वक्तव्य देंगे और घोषणा करेंगे। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से पुन: निवेदन करूंगा कि आप समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी चर्चा में भाग लें।

श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

राज्य में बिजली, पेयजल एवं अकाल की स्थिति पर विचार

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, हम एक ऐसे विषय पर जिस पर सारा सदन ही नहीं सारा राजस्थान आज से नहीं, बड़े लम्बे समय से चिंतित है और इस विधान सभा में भी कोई वर्ष नहीं गुजरा होगा जब इस समस्या के ऊपर हमने पूरी विस्तृत चर्चा नहीं की हो मगर सारी की सारी अब तक की यहां की चर्चाओं को उठा कर देखेंगे और अगर उनका मिलान करेंगे तो बिन्दु लगभग वह के वह हैं जो पिछले सत्र में उठे होंगे या पिछली विधान सभा में उठे होंगे या उससे पहले वाली विधान सभा में उठे होंगे। हर विधान सभा में यह विषय उठता है और हर विधान सभा में हम सब लोग मिलकर चर्चा करते हैं और सरकार भी अपना प्रयास करती है लेकिन समस्या वहां की वहां आकर अटक जाती है। इसलिए मेरा आग्रह है, माननीय मंत्रीजी, जो मैं अपनी सामान्य बुद्धि से जो कुछ भी समझता हूं और जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है, जब तक आपका टेक्नीकल स्टाफ जिस पर यह जिम्मेदारी है और हम लोग जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, अगर दोनों ठीक प्रकार से नहीं करेंगे, हमने चाहे जहां नालों को बांधना शुरू किया, हमने चाहे जहां नदियों को बांधना शुरू किया, हमारे पास कोई मास्टर प्लान नहीं है, इस नदी से बहकर जाने वाला पानी कितना है, यह हमारे लिए रोकना आवश्यक है या नहीं, कितना पानी इससे आगे रहने वाले लोगों को छोड़ना आवश्यक है, इसके बारे में आज दिन तक कोई ऐसा मास्टर प्लान इतने वर्षों के गुजर जाने के बाद, इतने डिस्कशन हो जाने के बाद, इतनी यहां पर रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद और इतने अधिकारियों ने अपना सारा दिमाग लगाने के बाद, हम पंचायत का तो मास्टर प्लान बना रहे हैं, कृपा करके केवल इस राजस्थान का जो कुछ भी आज की तारीख में हमको सरफेस वाटर मिल रहा है, उस सरफेस वाटर का मास्टर प्लान ऐसा बनाएं भविष्य को देखते हुए कि किस प्रकार की कहां आवश्यकता है, उसको किस तरह से पूरा करें।

माननीय सभापति महोदय, होता यह है कि हम छीना-झपटी कर रहे हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई डैम बन जाए उससे मैं खुश हूं ताकि मैं जीत कर आ जाऊं लेकिन मेरे डैम बनने के बाद नीचे जो पानी जाता है उस नदी या नाले में, उसके आगे के लोग क्या करेंगे, इस बारे में किसी को चिंता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं है। यानी मेरे खेत को तो आराम से खूब पानी मिले चाहें नीचे वाले लोग प्यासे मर जाएं। इसके बारे में न विभाग का दिमाग है और न किसी और का, और मतलब ऐसी राय देते हैं, जिस राय का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसके बारे में हमें कठोर होना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में डैम बनेगा, किसमें नहीं बनेगा, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इसका जब तक टेक्नीकली ठीक तरह से प्रूव नहीं हो जाए तब तक पानी को कभी भी नहीं रोकना चाहिए।

फिर आजकल तो एनीकटों की भरमार लग रही है। मेरा निवेदन है कि हो सकता है, मैं गलत होऊं, आप सुधार दीजिए। एनीकट भी बनाए तो, क्योंकि हमारे बाप-दादा इतने होशियार तो थे कि उन्होंने जो भी बस्ती बसाई वह किसी न किसी नाले पर बसाई, किसी न किसी पानी के सोर्स को ध्यान में रखकर बस्ती को उस जमाने में बसाया है। तो इसका मतलब इतनी तो उनकी सोच थी कि पानी आवश्यक है, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखा। हमने क्या किया कि उन सारी बातों को छोड़कर जहां जिसका बन पड़ा उसे ट्रैप कर लिया और पानी ट्रैप करने से जब नाले बहते नहीं है तो वाटर चार्ज कहां से होगा? फिर बस्ती को पानी कहां से मिलेगा? ऐसे मैं एक नहीं यहां पर सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं। आपने बीसलपुर बांध बनाया, बीसलपुर आपने बना दिया और बीसलपुर से पानी कहां ले जा रहे हो, भीलवाड़ा को वापस पानी दे रहे हो जहां से पानी बहकर आया है, उसी तरह चित्तौड़ को वापस पानी देंगे जहां से पानी बहकर बीसलपुर में आया है। मतलब हमारे योजना बनाने का अर्थ क्या निकला? अगर हमने उस पानी को जिस जगह से बहकर आ रहा है उस पानी को नीचे जाकर इकट्ठा किया और पैसा खर्च करके फिर वापस पाइप लाइन डालकर, हमारे डिपार्टमेंट को जिंदा रखा है।

मैं सोचता हूं कि इस बारे में जितनी आवश्यकता हो, मैं आपको कह सकता हूं जैसे बाघेरी का नाका है, नंदसमंद है, आपका बनास का बांध बना है, बनास के बांध से नंदसमंद तो भरता नहीं और नंदसमंद के ऊपर बाघेरी का नाका बना दिया और वहां से आपने 40-44 गांवों को पानी देने के लिए टंकिया बनाकर पानी देने का काम किया। तो इसका भविष्य क्या होगा? यहां पर पांच साल बाद अगर जिंदा रहे और विधान सभा में आए तो आपको बताएंगे कि न ऊपर वालों को पानी मिलेगा और न नीचे वालों को पानी मिलेगा। पूरी बनास को रोक कर बनास की तलहटी में जितनी भी आबादी थी,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रेलमगरा हमारे यहां गंगानगर माना जाता था, पानी का इतना सेजा था, आज की तारीख में वह भी प्यासा हो गया पानी के लिए तरस रहा है।

अब इस सोच को देखें आप। उस समय सुखाड़िया जी जब राजस्थान के मुख्य मंत्री थे 1965 में तो उन्होंने कहा कि पानी वह ट्रैप करो जो पानी वास्तव में बहकर समुद्र में जा रहा है, सरप्लस होकर। उदयपुर की पहाड़ियों के पूर्व के ढाल का पानी बहकर जो आता है वह बंगाल की खाड़ी में जाता है और उसके पश्चिम की ढाल की पहाड़ियों का पानी जाता है वह अरब सागर में जाता है साबरमती के माध्यम से। 1965 में आज जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उस व्यक्ति की सोच थी कि उदयपुर की इन झीलों को पानी देने के लिए यह जो साबरमती में पानी जा रहा है, साबरमती के बेसिन का पानी ट्रैप किया जाए और ट्रैप करके इन्होंने चार चरण बनाए थे देवास के और वह सारा का सारा ग्रेविटी से पानी दिया। हम क्या करते हैं, हम प्यास बुझाने के लिए आजकल हमारे दिमाग में ग्रेविटी नहीं है, आजकल हम पम्प करके लाकर लोगों को पानी पिलाना चाहते हैं। जिस दिन जयसमंद बनाई थी, मैंने कहा कि 60 करोड़ रुपए क्यों डाल रहे हो इसमें, इस जयसमंद से प्यास नहीं बुझेगी क्योंकि इसको पम्प करने का खर्चा एक महीने का एक करोड़ रुपए की बिजली का खर्चा आएगा। इसको समझने की जरूरत है कि जो देवास बना हुआ था, उसी देवास में अगर उसके साथ-साथ चलते-चलते 1965 में वह बनना शुरू हुआ, सुखाड़िया जी जब मुख्य मंत्री थे, तब पहला चरण बना था और उससे 125 एम सी एफ टी पानी वह उदयपुर को मिल गया टनल के द्वारा, सेकंड फेज जब शुरू हुआ तो राजनीति में उनका स्थान चला गया, वह सारा का सारा दफन होकर हो गया। उसके बाद हमने उदयपुर को पानी पिलाने के लिए मानसी वाकल का बनाया। उसके नीचे डैम बनाया, हमने 800 एम सी एफ टी पानी वहां पर जो देवास से आ रहा है, लिया और जो ग्रेविटी से आता है उसको आपने नीचे जाकर बनाया और उसको एक हजार फीट लिफ्ट करके उस पानी को लाकर के उदयपुर की प्यास को बुझा रहे हैं। मैंने कहा कि यह पानी भी आपके आने वाले 20 साल में खतम हो जाएगा, फिर पानी कहां से मिलेगा। तो यह जो मानसी वाकल का पानी है जो साबरमती में जाता है, इसका हम सेकंड फेज आकोदड़ा में और मादड़ी में डैम बना रहे हैं और उस डैम के आधार पर लगभग 11 किलोमीटर एक टनल से आप अभी अगर चाहें तो एक यूनिक चीज होगी, हमारे पहले और भी कितने, चार शाफ्ट हैं जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सबसे ज्यादा 160 मीटर नीचे जाकर फिर उसको लाइन खोदकर पूरी पहाड़ी को खोद कर पानी ला रहे हैं। उससे 400 एम सी एफ टी पानी उदयपुर के हिस्से आएगा। लेकिन सेकंड फेज बनने के बाद अब आगे थर्ड फेज बनेगा, इसके ऊपर फिर आपके वाकल के ऊपर थर्ड फेज 500 एम सी एफ टी पानी है वह 10 किलोमीटर टनल से आएगा, फिर उसका चौथा चरण है जिससे 3.8 किलोमीटर टनल बनेगी और वहां भी 500, सारा मिलाकर आप लोग लगभग 1500 से लेकर 2000 एम सी एफ टी पानी उस जमाने में 1965 में बना लेकिन आपने उस योजना को गर्त में डाल कर खतम कर दिया। अब आपने शुरू तो किया है लेकिन शुरू करने के बाद उसकी गति इतनी धीरे है कि जो पैसा आपको समय पर देना था इस बार आपने 50 करोड़ रुपए दिया है, इसमें 168 करोड़ रुपए की मांग थी ताकि अगली बारिश आने तक हम इस पानी को फ्लो के लेवल पर लेकर फिर इसको करें।

अब इसी के नीचे आपने देखा होगा कि बिरोठी के पास में एक और पानी को रोकने के लिए आपने बिरोठी थर्ड के नाम से बनाया है जहां वास्तव में पानी की कैपेसिटी क्योंकि दो नदियां मिलती हैं वहां वाकल और मानसी, दोनों के कारण से लगभग उसमें एक तरह से 280 एम सी एफ टी पानी वहां पर है। मतलब इतना पानी है लेकिन उसको लाना पड़ेगा आपको पम्प करके और तो वह शायद हो सकता है कि आपके सम्भव हो।

मैं इसी तरह से आपको कहना चाहता हूं कि जैसे यह देवास योजना है, वहां उदयपुर में जो दूसरा पानी है वह आपके जाखम का पानी कड़ाना में होकर, गुजरात में होकर जा रहा है। हमारे समझौते में जब बना था तब हमारा एग्रीमेंट हुआ था गुजरात गवर्नमेंट के साथ कि इतने साल बाद हमारा सारा का सारा पानी हम यूज नहीं करेंगे, यह सारा का सारा पानी इस क्षेत्र के काम के लिए हम देंगे। तो वह का वह बना है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि माही का पानी, जब पानी आता है तो हमको 26 गेट खोल कर माही का पानी निकालना पड़ता है। एक तरह से सारा का सारा पानी गुजरात जाता है। तो उस समय बाढ़ की स्थिति आ जाती है। लेकिन आपके डिपार्टमेंट के लोगों की इस बारे में ज्यादा रुचि नहीं है कि ग्रेविटी से पानी आए, इनको तो लिफ्ट से पानी आने में, टेक्नीकली यह लोग ज्यादा साउण्ड हैं।

मैं अपनी सामान्य बुद्धि से बताता हूं कि यह माही का जो लेवल है,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सी लेवल है, माही के उस लेवल से आप जाखम के लेवल को मिलाइए और जाखम के नीचे आपके नांगलिया डैम है जहां से सारा का सारा पानी जाखम की जो सिंचाई की नहरें हैं वे सारी की सारी नांगलिया डैम से शुरू होती हैं, वहां का पानी ग्रेविटी से आता है, उसकी आपूर्ति करें। पानी का आप पूरा का पूरा जाखम का जितना है पिलाई का वह वहां से मिलेगा और जाखम का जो सी लेवल है वह आपके सीधा का सीधा जयसमंद से मिलता है केवल टनल के द्वारा। तो जयसमंद की जो पूर्ति है, जयसमंद यानी दुनिया के इतिहास में ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी उस समय की बनाई हुई झील है जिसके कारण से पूरा जयसमंद उससे भरता है और अभी तक जयसमंद से पानी उदयपुर को पिला रहे हैं और वहां के लोगों को प्यासे मार रहे हैं। लोगों के मन में गुस्सा आना स्वाभाविक है।

मैं सोचता हूं कि यह जो आप जिस प्रकार भी हो, इसको टेक्नीकली दिखवाइए और दिखवाकर इसका सारा का सारा यह देवास के पूरे चरण हो जाएं तो 300 करोड़ तो अभी है और 500, ज्यादा से ज्यादा आगे होकर 800 करोड में आपके 1500 एम सी एफ टी से लेकर 2000 एम सी एफ टी पानी आएगा और उदयपुर की झील की कैपेसिटी कितनी है, 700 एम सी एफ टी, उसके नीचे बड़गांव है। यह सारा का सारा अगर टेक्नीकली भरेगा तो यह केवल आपकी पूर्ति नहीं करेगा।

आज की तारीख में भीलवाड़ा जिस प्रकार से पानी के संकट से गुजर रहा है और आप उल्टा पानी ला रहे हो। एक हजार, अभी आपने योजना बनाकर भेजी है, एक हजार और कितने करोड़ की है। आपका बीसलपुर है, इससे पानी भीलवाड़ा को लाएंगे। मैं सोचता हूं, टेक्नीकली किसी को बताइए, इसी पानी से आपकी पूर्ति होती।

इसी तरह से राजसमंद हंस पानी के संकट में फंसा है। राजसमंद के पास कोई सोर्स नहीं है क्योंकि राजसमंद का एक मात्र गोमती सोर्स था, गोमती लगभग सूख चुकी। कभी न कभी कोई भर जाए, मैंने तो कभी राजसमंद को इन वर्षों में, पिछले 30-40 वर्षों में कभी राजसमंद भरा हुआ देखा ही नहीं। अगर राजसमंद को भी यह जो देवास का जो फोर्थ स्टेज है, इसकी ग्रेविटी के आधार पर वह पानी आता है, इसको देखिए कि राजसमंद की आवश्यकता की पूर्ति उसकी हो सकती है क्या? उसको देखकर के आप इसका प्रयास करें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं कि सारी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, यह सारा अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में यह जो पानी समुद्र में जा रहा है, उस पानी को हम रोकें लेकिन हमारा स्वभाव क्या बना है, वह फीगर देखकर के बड़ा अचंभित हुआ कि यह जो आपकी कंटिंजेंसी प्लान बनता है, यद्यपि मेरी सरकार के समय भी नहीं है, फीगर मेरी सरकार के समय के हैं लेकिन सरकार किसी की भी हो लेकिन पैसा तो जनता का, आपका और मेरा, सब का है, इसको खर्च करने के पहले हमें यह तो सोचना ही पड़ेगा कि आखिर हम 7 हजार करोड़ रुपये खर्च कर दें कंटिंजेंसी प्लान में पिछले पांच सालों में और उसके बाद भी आज भी चारों तरफ से हाहाकार है कि मुझे पीने का पानी नहीं मिल रहा है। तो फिर योजना बनाने वाला कौन था, किसने बनाई, क्यों बनाई और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आया? कोई न कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा?

आपने देखा होगा कि 2004-05 में हमने राज्य सरकार की तरफ से 338 करोड़ अपनी तरफ से दिया, 270 करोड़ केन्द्र प्रवर्तित योजना से हमको मिला; 2005-06 में 406 हमने दिया राजस्थान ने, 381 केन्द्र ने दिया; फिर उसके बाद 2006-07 में 485 करोड़ रुपये हमने दिया, 734 करोड़ केन्द्र ने हमको दिया फिर उसके बाद 1,114 करोड़ हमने मिलाया 2007-08 में और 1,123 करोड़ केन्द्र ने सहायता दी; फिर 2008-09 में 1,125 करोड़ हमने दिया और उसके बाद 1,037 करोड़ दिये, ऐसे मिला कर के 3470 करोड़ राजस्थान का और 3443 केन्द्र से लेकर हमने 7 हजार करोड़ रुपये में कंटींजेंसी प्लान बनाया। उस कंटिंजेंसी प्लान के बाद भी यह हजारों हैंड पम्प और हजारों ट्यूबवैल खुदने के बाद भी अगर राजस्थान में आज भी त्राहि-त्राहि चिल्ला रहे हैं तो अब क्या एक दो लाख करोड़ रुपये और चाहिए कितने चाहिए? कब जाकर के यह प्यास बुझ सकेगी, इस पैसे का क्या उपयोग होता है, कैसे होता है, ठीक प्रकार से क्यों नहीं कभी यह सारी की सारी मानिटरिंग होती है जिसके कारण से जनता का पैसा ऐसे ही चला जाता है और जनता ऐसे ही प्यासी मरती है। यह जो आप सरकार नाराज होती है, जनता नाराज होती है, इससे घबराने से काम नहीं चलेगा। यह जो पानी की छीनाझपटी चल रही है कि मैंने ट्यूबवैल यहां लगाया, मेरे पड़ोसी ने वहां लगा दिया, मैंने दो लाख खर्च कर दिये, उसके लगाते ही मेरा खतम हो गया, फिर उसका उसने खतम कर दिया, उसका उसने खतम कर दिया। सब किसान रो रहे हैं, बरबाद होने जा रहे हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कम से कम ओपन वेल से मैंने तो कभी किसी को बरबाद होते हुए नहीं देखा, पर यह ट्यूबवैल खुदने के बाद आधे से ज्यादा लोग बरबाद हो जाते हैं क्योंकि ट्यूबवैल तो साल भर में, डेढ़ साल में जवाब दे देता है और खतम हो जाता है। तो निश्चित रूप से यह जो आपने जल नीति बनाई है न, इस जल नीति को, इतना कोई घबराने कि वोट देगा नहीं देगा कोई, जिंदगी में हमने ही ठेका लिया है क्या, जिंदगी भर हम ही जीतकर आएंगे और मिनिस्टर और यहां मुख्य मंत्री बनें। कोई ठेका नहीं है। राजस्थान ठीक होना चाहिए, मैं नहीं आऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं है, कम से कम मेरा प्रांत इस दृष्टि से इस समस्या से कैसे निजात पाये, यह हमारा मकसद होना चाहिए। हम इस छोटे से इस मकसद के आधार पर एक तरह से सारे के सारे इसी पर चलते हैं।

आपने देखा होगा, आज भी इतना सब पैसा खर्च करने के बाद आपने देखा होगा, अजमेर जिला जिसमें ब्यावर है, अजमेर है, विजयनगर है, मसूदा है, नसीराबाद है, इसमें पानी 72 से लेकर 96 घंटे में एक बार मिलता है। इतना पैसा, पूरी की पूरी बीसलपुर से लाइन डालकर पानी ले गये आप, कितने करोड़ खर्च किये होंगे, उसका पता नहीं, किसी टेक्नीकल आदमी ने देखा, उसके बाद भी वही जिस समय यह योजना बनाई थी उस समय लगभग दो दिन में, तीन दिन में अजमेर में पानी मिलता था, आज सारा पैसा खर्च करने के बाद भी 72 घंटे से लेकर 96 घंटे तक जाकर पहुंच गया। हमने कोई व्यवस्था नहीं की। इसी तरह से टोंक में आपने देखा होगा प्रति व्यक्ति आज की तारीख में 30 लीटर पानी मिल रहा है। यानी जिसकी छाती पर बीसलपुर है, उसकी हालत यह है कि 135 की उसकी आवश्यकता होती है पर आज उसको 30 केवल दे रहे हैं। इसी तरह से नागौर में, मेड़ता, जायल, लाडनूं, मकराना, कुचामन, नावां, आदि में जल स्तर इतना नीचे गया कि फ्लोराइड से युक्त है, हाहाकार मच रहा है। यही नहीं, मेरे उदयपुर में आप देखिए, उदयपुर शहर भी यह जो देवास बनी है न, यह केवल उदयपुर की झील को भरी रखने के लिए नहीं बनी, इसमें उदयपुर की झील भी भरी रहती और 104 गांव जो नीचे हैं, उनको हम पीने का पानी भी उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए योजना बनी थी। इसमें तीन पार्टनर बनाये, पी एच ई डी पार्टनर है, नगर परिषद्, यू डी एच उसकी पार्टनर है और इसी तरह से पर्यटन भी इसका पार्टनर है, 40:30:30 के हिसाब से लेकिन उदयपुर में आपने, हमने देखा पीने के पानी की समस्या, खैरवाड़ा में पीने के पानी की समस्या, सलूम्बर में 48 घंटे में एक बार कभी नल आता है जलपूर्ति का।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यही नहीं, यह तो पहले इस डिपार्टमेंट का सोच ही भगवान जाने कैसा है। आप कभी लेकर के बैठिए इनको और कहिए कि आपकी कोई ऐसी योजनाएं नहीं हैं जिनमें दो-दो, ढाई-ढाई, पांच-पांच, दस-दस करोड़ रुपये खर्च हो गया लेकिन आपने लाइन को जोड़ा नहीं सोर्स से, लाइन को जोड़ा नहीं। इसलिए तीन तीन साल से सारा का सारा जो भी आपने पैसा खर्च किया न, वह धूला-खा रहा है। कोई इसके बारे में मानिटरिंग करने का नहीं है कि आखिर करोड़ रुपये, मान लो, एक छोटा सा गांव बोरड़ा में खर्चे के लिए हमने 2.72 लाख की जो योजना बनाई, 2 करोड़ 72 लाख की, वह योजना सारी कम्प्लीट है, डेढ़-दो साल से लेकिन जहां से सोसे से पानी लेकर इसको टैप करना था, वह पानी टैप नहीं हो रहा है।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं इंटरवीन नहीं करना चाहता। मैं अभी उदयपुर गया था और उदयपुर में जाकर मैंने समीक्षा की थी और समीक्षा इस दृष्टि से की थी कि उदयपुर के अन्दर यह सारी क्राइसिस क्यों हो रही है और विशेष रूप से राजसमंद के लिए। हमने वहां बैठकर यह समस्या जितनी भी हैं उसके लिए बड़े कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यही है कि मानिटरिंग की जरूरत है। जहां दो लाख में लोगों को पानी मिल सकता है और दो करोड़ रुपये का जो वेस्ट हो गया, उसका उपयोग हो सकता है। तो पहले प्रायोरिटी, फिर हम नया काम शुरू कर देते हैं। हमें चाहिए, हमें तो, आपके डिपार्टमेंट का मतलब जो मैं समझता हूं और अब तक है कि आप यह कहो कि कितना पाइप खरीदना है तो इसमें सब की रूचि है, इतना पाइप खरीद कर डाल देते हैं। साहब, वह पता नहीं, पांच पीढ़ी तक वह पाइप चलेंगे। कब लगेंगे जमीन में, जमीन में लगाने की चिंता नहीं, खरीदकर लेने की चिंता है। तो यह दिमाग में बैठ गया, पैसा, पैसा, पैसा, सारों के दिमाग में। इस बीमारी का कहीं तो अंत करना चाहिए।

आज भीलवाड़ा जिस गंभीर स्थिति के अन्दर पानी में पहुंचा है और सारी की सारी इंडस्ट्रीज में जिस तरह से हालात हैं, मैं सोचता हूं, आपने यहां से ट्रेन के द्वारा पानी पहुंचाया है, एक बार ट्रेन के द्वारा पहुंचाया है, बाकी ट्रेन का, रेलवे का और आपके विभाग का विवाद हो गया। वह कुछ दिन आपके और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उनके विवाद में ही पड़ा रह गया, वह ट्रेन वहां लगेगी कि नहीं लगेगी स्टेशन पर, इसी कारण से कुछ दिन उसी में आपका लग गया। इसको फिर से दिखाइए। यह रोज आए दिन ट्रेन की, रेलवे डिपार्टमेंट और आपके डिपार्टमेंट के बीच में कुछ न कुछ चलता रहता है। इसके कारण से जो पानी उनकी समस्या है, वह उनको ठीक नहीं मिला।

एक आपका कल भी किसी ने उठाया था, जो राइजिंग लाइन हैं, सक्षम लोग जितने भी हैं उससे कनेक्शन कराते हैं, जबकि उससे कनेक्शन होना नहीं चाहिए। फिर क्या है कि जो भी सक्षम हैं, सबने बूस्टर लगा रखे हैं और गरीब आदमी जिसके पास बूस्टर लेने को नहीं है, उसी में अपनी जिंदगी चलाता है। उसकी क्या दशा बनती है? अगर आप यह दोनों डिपार्टमेंट यहां बैठे हैं, पी एच ई डी भी यहां बैठा है और आपका बिजली डिपार्टमेंट भी यहां बैठा है, जहां-जहां आपको लगता है कि पानी की शार्टेज है जिस समय वाटर सप्लाई करते हैं, उस दिन एक घंटे बंद करिए ताकि कम से कम उस गरीब के बच्चे को भी दो बाल्टी का पानी मिल सके। आज पैसे वाले तो चाहें जितने और ट्यूबवैल लगाकर अपना पेट भर लेगा लेकिन जो मुश्किल से अपना जीवन चलाता है, वह केवल यह जितने भी बूस्टर हैं, इन बूस्टरों के कारण से सारा का सारा खेत तबाह लगता है। इसका हमको समय पर इलाज करना चाहिए।

अब यह जो आपका जनता जल का कल भी किसी माननीय सदस्य ने कहा, अभी मैं आपको फिर बताऊं, जनता जल का जो पैसा आप देते हो न, और उस पंचायत के द्वारा चलाने वाला जो भी पम्प चलाने वाला है न 500 रुपये में, आज की तारीख में गुजारा करने के लायक नहीं है, सम्भव ही नहीं है। आप क्यों उसमें से कमियां निकालते हो? जहां डाका पड़ रहा है, वहां रोको न। जहां आवश्यक है, कम से कम वह उसका बच्चा भी तो पेट भरेगा। 500 रुपये में वह कैसे गुजारा कर रहा है और 500 रुपये भी, आप और हम सबको पता है, वह पंचायत में ही पड़ा रहा है, उस व्यक्ति को मिलता है या नहीं मिलता, कितने दिन में मिलता है, मैं नहीं कह सकता।

अब यह जो आपने जल नीति बनाई कि यह हम पहले पीने का पानी देंगे, फिर पशुओं को देंगे, फिर उसको देंगे, इसको थोड़ा और विस्तृत लोगों की राय करके, इसको फूलप्रूफ बनाइए। यह जो जमीन का पानी चाहिए, जिसे खोदकर जो लोग लूट रहे हैं, मैं आज बहुत दुःखी मन से कहना चाहता हूं, यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जितनी भी कचकड़े की बोतल में आप और मैं पीते हैं न, यह पानी किसका है, यह उस सेठ का है? उस सेठ का नहीं है, यह धरती का है। उसके पिताजी ने पैसे दिये होंगे तो उसने पहले पम्प अन्दर डाल दिया होगा, पांच सौ और हजार फीट नीचे और खोद-खोद कर कचकड़े की बोतल में फिट करके 12 रुपये ले रहा है। हमारा पानी है, हम भूखे मरते हैं, हम प्यासे मरते हैं और यह लोग आराम करते हैं। आखिर में, पानी की रक्षा कौन करेगा, उसके बारे में आपको निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा।

इस बिजली डिपार्टमेंट के बारे में कहा बहुत कुछ गया पर मैं सोचता हूं कि व्यवस्था में इसमें भी जिस तरह का सुधार होना चाहिए, वह सामान्यतया सुधार होता नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी फिर घोषणा की, पिछले बजट में भी की कि बांसवाड़ा में हम 1320 मेगावाट का बिजली घर बना रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई थी कि चलो, कम से कम बन रहा है और उसमें भी काफी 7000 करोड़ रुपया इस पर इन्वेस्ट होगा। हो गया न इन्वेस्ट? पहले तो आपने अपनी ट्राई कर ली, फिर वह कुछ लिया नहीं, फिर आपने कहा कि हम किसी प्राइवेट के साथ कोलेबोरेशन कर रहे हैं, कोलेबोरेशन कर लिया न? 6 मार्च को आपकी बिड थी, कोई आया क्या? नहीं आया। आ भी नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता इसका कारण समझिये कि जब तक कोयला आप उपलब्ध नहीं कराओगे तब तक वहां आकर के कोई क्या करेगा? कोयला आयेगा कहां से? जब तक रतलाम से बांसवाड़ा नहीं जुड़ेगा तब तक कोई नहीं आ सकता है। यह हर बजट भाषण में घोषणा करके ताली पिटाने का काम जरूर हो सकता है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान तभी होगा जब यह रेलवे लाइन से रतलाम से बांसवाड़ा जुड़ेगा और जितनी कोयले की आवश्यकता इनको प्रति माह होती है उतनी सप्लाई अगर आप देने की गारंटी दोगे तब तो कोई भी व्यक्ति आकर के इसमें लगायेगा।

आपने भी किया, हमने भी किया, जब कभी भी चुनाव होते हैं तो चुनाव घोषणा पत्र में कि 8 घंटे थ्री फेस बिजली और 24 घंटे पढ़ने वाले को। अभी दो दिन से चर्चा जो चल रही है, हो गई पूरी? मतलब जो हमारी हिम्मत है, अगर हम इस साल नहीं दे सकते तो हम बड़े प्रेम से कहें कि इस साल हमारी क्षमता 6 घंटे बिजली देने की है तो 6 घंटे कहिये, 5 देने की है तो 5 कहिये, उसमें कोई आसमान नहीं पड़ेगा। अगर बच्चों को पढ़ने के लिए देने के लिए आपके पास 24 घंटे नहीं है, 11 घंटे है तो 11 घंटों को डिस्ट्रीब्यूट करके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आप दीजिये, कोई चिंता की बात नहीं। अगर नहीं है तो नहीं है, कोई चोरी करके कहीं से थोड़े ही लायेंगे। जितनी ला सकते हैं, जितनी व्यवस्था कर सकते हैं उतना करेंगे। खरीदकर दे सकते हैं तो खरीदकर देंगे लेकिन उसके बाद में भी सम्भव नहीं होगा तो कम से कम जो है न उसका प्रोपर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो असंतोष नहीं होता है। उसका प्रोपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। शहर में आप और हम जहां रहते हैं न वहां 24 घंटे बिजली आती है और आपके बाजू में 5 किलोमीटर पर जो गांव में रहता है वह बिजली के लिए रोता है। यह कौनसा न्याय है? आप पढ़े-लिखे लोग हो, आप चिल्लाते हो इसलिए? वह चिल्लाता नहीं, बोलता नहीं, उसकी वाणी में दम नहीं, इसके कारण से उसके बारे में विचार नहीं होता है और जो बोलने वाले लोग होते हैं उनके बारे में विचार होता है। मैं सोचता हूं कि सरकार के सामने न गरीब है न अमीर है, न गांव है न शहर है, उसके सामने जितना उसके पास उपलब्ध है उसको बांटने का काम उसका है जिसको वह ठीक ढंग से बांटे।

यही नहीं, मैंने पिछली बार भी आपको बजट भाषण के समय कहा था कि आप लोगों को सही चीज बताते नहीं हो। आपका उत्पादन घटा है, आपका उत्पादन घटा है पिछले साल से लेकिन आपने उस दिन भी जवाब दिया तो इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया। क्या वास्तव में मेरे पास जो आंकड़े हैं वे गलत हैं या आपके पास नहीं हैं? 2008 में 145.25 अरब यूनिट हमने बिजली की पैदा की थी जो अपने सोर्स हैं उनसे और अब की बार हुई 137.17 अरब। इसका मतलब जो हमारे आलरैडी राजस्थान के बिजली के सोर्स हैं उसकी बिजली कम पैदा हो रही है। क्यों? किस कारण से? आये दिन क्यों खराब हो रहा है, महीनों तक क्यों खराब पड़े रहते हैं, किसके कारण से नहीं होता है? इसकी मानिटरिंग कौन करेगा? यह हमको ही करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि एक तरफ हमारा उत्पादन घट रहा है दूसरी तरफ हमारी मांग बढ़ रही है। यह बढ़ेगी। बिजली ऐसी चीज है जिसकी मांग को न कोई आज घटा सका न कल घटा सकेगा, आज जितनी है कल उससे अधिक चाहिएगी। यह तो एक तरह से विकास का मापदण्ड है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मांग बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए लेकिन उसकी पूर्ति के लिए यद्यपि ठीक है कि अबकी बार आपने बजट में 52 प्रतिशत पैसा उस पर रखा है, आपकी भावना है लेकिन भावना की परिणति भी होनी चाहिए। जितने हमने बनाये वह आप कहते हैं कि हमने बनाये। क्या एक दिन में पावर प्लांट बन जाता है? पावर प्लांट एक दिन में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तैयार हो जाता है? आज आपने तय किया और कल बन जायेगा? इसको बनाने में, इसकी स्वीकृति लेने में, इसकी क्लीयरेंस करने में वर्षों लग जाते हैं तब जाकर के क्लीयरेंस मिलता है। यह आप और हम मेज थपथपा कर अपने आपको खुश करना चाहते हैं तो करो, कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन सच्चाई से मुंह मत मोड़ो कि वास्तव में यह जो पावर मिलना चाहिए, पावर पैदा होना चाहिए उसके लिए प्रयास करना चाहिए, जो आप प्रयास कर रहे हो उसके लिए आपको धन्यवाद।

आपने देखा होगा कि अभी एक केस आया जिस पर आपने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। मैं चाहता हूं कि इस पर कार्यवाही हो। आपने और हमने, सबने अखबारों में पढ़ा है कि बाड़मेर के कलक्टर के घर का बिल और उसके गार्ड का जो रूम है, इन दोनों के बिलों को जिस ढंग से, आखिर यह पढ़कर के राजस्थान की यह जनता आपको और मुझको क्या कहती होगी, क्या सोचती होगी हमारे बारे में? अगर इतनी बड़ी ब्लंडर कि उसने गार्ड के रूम से कनेक्शन लेकर के बिल उस गार्ड के खाते में डाल दिया और हम यहां एक्शन नहीं कर सके तो फिर क्या प्रशासनिक तंत्र हम चलायेंगे? इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? बिल वहां होगा, गार्ड के रूम का बिल भी है, उसके घर का बिल भी है, दोनों के बीच में इतना बड़ा अन्तर। हर महीने का बिल जा रहा है, हम सरकार से चुकाये जा रहे हैं। उसके बाद में भी वह कलक्टर एक्स, वाई, जेड कोई भी हो उसके नाम से कोई लेना-देना नहीं, जो भी व्यक्ति है जिसने इस तरह से बिजली के बिल का एडजस्टमेंट किया है, गलती से हुआ हो, उसको निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए। दंड को पब्लिश भी करो सारे राजस्थान की जनता के सामने कि इस प्रकार की गलती करने वाले व्यक्ति को हमने यह दंड दिया। चाहे बड़ा हो या छोटा हो, दंड में कम से कम इस प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए।

मैं सोचता हूं कि ये सारे के सारे आंकड़े आपके सामने हैं। इनके पास तो रिकार्ड होगा पर ये बताते नहीं हैं। अजमेर डिस्काम में दिसम्बर, 2008 से अप्रेल, 2009 तक साढ़े छह से सात घंटे थ्री फेस बिजली हमारे क्षेत्र में मिली है और छह घंटे सिंगल फेस मिली है। अब ये क्या बताते हैं, इनके आंकड़े क्या बताते हैं वह ये जानें लेकिन वस्तुस्थिति यह है। मई, 2009 से सितम्बर, 2009 तक हमें थ्री फेस 5 घंटे मिली और सिंगल फेस 6 घंटे मिली। इसी तरह से अक्टूबर-नवम्बर, 2009 से लेकर के अब तक जो हमें मिली है वह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपने देखा होगा कि 7 घंटे थ्री फेस मिली है और 14 घंटे सिंगल फेस मिली है। तो मैं सोचता हूं कि अगर कोई समस्या है तो पब्लिक के सामने लाओ न कि यह समस्या है और हम इसका यह निदान चाहते हैं। छिपाकर रखने से क्या फायदा है? जो हकीकत है उसको आज नहीं तो कल तो कोई न कोई तो बतायेगा। तो यह जो अपने आपको खुश करने का प्रयास करते हैं, मैं सोचता हूं कि इस बारे में नहीं करें।

यह जो मैंने जिस विषय को कहा कि निश्चित रूप से पानी की चोरी और पानी की आपस में छीना-झपटी हो रही है, इस छीना-झपटी को आप जब तक जल नीति के द्वारा रोकोगे नहीं, चाहे कोई खुश होगा कोई नाराज होगा, इसको आप सीमा में नहीं बांधोगे तो ये ट्यूबवैल खुद-खुद कर कम से कम मेरे चित्तौड़ में तो आधे किसान बर्बाद हो गये हैं। आपको लगता है कि उनको अफीम के पट्टे ज्यादा मिल गये, सबने खोद दिये। एक खोदता है दूसरा उसका पानी ले लेता है, तीसरा खोदता है चौथा मर जाता है। आप भी वहीं से आते हैं।

आपने तो हैंड-पम्प से सारी धरती की छाती खोद दी। अगर आप हैंड-पम्प की संख्या गिनो न तो राजस्थान की धरती को आपने छेद डाला। हर आदमी चाहता है कि मेरे घर के बाहर हैंड-पम्प लगे, यह क्या बात हुई? अगर आप वहां एक हैंड-पम्प लगाकर के टंकी के द्वारा पूरे मोहल्ले को पानी दे सकते हो तो टोंटी के द्वारा नहीं दिया जा सकता है? हरेक के घर के बाहर हैंडपम्प होना जरूरी है क्या? हम एक हैंड-पम्प खोदते हैं तो दूसरा सूख जाता है, दूसरा खोदते हैं तो तीसरा सूख जाता है। यह क्या तमाशा है? कल भी कहा था कि सरकारी खाते में खोदते हैं तो एक लाख रुपया लगता है और प्राइवेट खुदाओ तो 40 हजार में खुद जाता है। यह क्या अंतर है? क्यों है? कौन ठीक करेगा? अगर हम लोग ठीक नहीं कर सकते तो फिर क्या भगवान उतर कर आयेगा क्या? इतनी बार सुनते-सुनते हम सब लोगों के कान पक गये, उसके बाद भी हम इस सिस्टम को नहीं सुधार सके कि आखिर में यह वेस्टेज होता क्यों है।

सभापति महोदय, आपकी बात को ध्यान में रखकर मैं निश्चित रूप से कहता हूं, यह जो पानी का अनायास टैप जो कर रहे हैं, अनायास आप डैम बना-बना कर के 10 किलोमीटर में तो फ्लो वाटर से इर्रिगेशन करा कर के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लोगों के खेत लहलहा रहे हैं और उसके बाद में 20 किलोमीटर आगे आदमी पानी के लिए तरस रहा है। इस प्रकार की नीति और इस प्रकार के डैम बनाने का कोई फायदा नहीं है। जो पानी सरप्लस पानी है, अगर इतना भी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकें तो काहे को इतने इंजीनियर और इतने अधिकारियों को रखकर के तनख्वाह देने से फायदा क्या है? एक छोटा सा काम जो होना चाहिए, हम 30-40 साल से यही भाषण दे रहे हैं, उठाकर देखो तो इसी भाषण को पढ़ लो और वापस घूम-फिर कर परनाला गिरेगा तो यहीं। यह हो गया आपका और मेरा, सबका डिस्कशन है। भावना को समझिये और समझकर के इसमें जो कर सकते हैं वह करने का प्रयास करिये। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज पानी, बिजली और अकाल पर चर्चा है। पानी जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। रहीमजी ने कहा है- ''रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून, पानी गये न ऊबरे मोती-मानस सून'' पानी के बगैर तो मोती भी सूने हो जाते हैं।

सबसे पहले मैं आंकड़ों के जंजाल में नहीं फंसूगा क्योंकि आंकड़े इनके खुद के पास ही हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आपको अगर इस राजस्थान को स्वच्छ पानी पिलाना है तो इसका कोई कारगर उपाय सोचा क्या? आज वर्ल्ड का 50 प्रतिशत फ्लोराइडयुक्त पानी हिन्दुस्तान में है और हिन्दुस्तान का 50 प्रतिशत फ्लोराइड राजस्थान में है। आज राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह हिन्दुस्तान का 10 प्रतिशत राजस्थान अकेला है। तो क्षेत्रफल में राजस्थान हिन्दुस्तान के सभी स्टेटों में बड़ा है। आज इस बात की बहुत महती आवश्यकता है कि पानी 97 प्रतिशत समुद्र में है, दो प्रतिशत ग्लेशियर-पहाड़ों से आता है, एक प्रतिशत पानी भूगर्भ से आता है जबकि 70 प्रतिशत पानी का दोहन कृषि में किया जा रहा है, बगीचे सींचे जा रहे हैं। मुश्किल से 1.16 प्रतिशत पानी पीने के काम में आ रहा है और उसका दोहन हो रहा है 1.72 प्रतिशत। तो आप देख लें, मैं आंकड़ों के जाल में नहीं फंसना चाहता हूं पर स्थिति यह है कि आज पानी का दोहन, पानी की आवक जितनी दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है, यह चिंता का विषय है। मैं माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी से एक बात कहना चाहूता हूं कि जलग्रहण योजना चलाई हमारी

(श्री श्रवण कुमार)

माननीय वसुन्धराजी ने कहा कि जल ही जीवन है, गांव-गांव में, गली-गली में, मोहल्लों-मोहल्लों में और मजरे-मजरे में, सभी पंचायत समितियों के माध्यम से पानी का बहुत बड़ा प्रचार-प्रसार किया, रिजल्ट उसका जीरो रहा। गांव में टूंटी लगाने में असमर्थ रहे, टंकी के ऊपर ढक्कन लगाने में असमर्थ रहे, शुद्ध पानी देने में असमर्थ रहे। सारा सिस्टम, पैसा खर्च के अलावा कुछ नहीं किया। खोदा पहाड़, निकला चूहा।

आज मैं कहना चाहता हूं मंत्रीजी से कि अगर आपको राजस्थान को पानी पिलाना है तो रेन वाटर का संचय करना पड़ेगा। उसमें साथ में शर्त भी रखनी पड़ेगी कि कोई आदमी की इस बात की सोच है कि पानी के लिए आने वाले समय में क्या होगा? आज जब मकान कोई व्यक्ति बनाता है, उस मकान पर शर्त रखनी पड़ेगी कि बरसात का पानी आपके कुंड में जाना चाहिए। जब तक कुंड नहीं बनायेगा, उसके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा, उसका राशन कार्ड नहीं बनाया जायेगा, उसको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जायेगा; वोटर लिस्ट से नाम काट नहीं दिया जायेगा, तब तक वह इस बात को नहीं समझेगा। हिन्दुस्तान गुलामों का देश है। 500 वर्षों तक मुगलों ने राज किया हुआ है। जब तक इसके ऊपर सख्ताई नहीं होगी, तब तक इस बात को नहीं मानेंगे। पानी की बहुत महती आवश्यकता है।

मैं मेरे जिस क्षेत्र से आता हूं, माननीय सभापति महोदय, पानी के लिए, एक-एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। फ्लोराइड से लोगों के पैर बांके हो गये, कूबड़े हो गये। यह जो बांका बैल्ट मानते हैं अजमेर से किशनगढ़ तक का, तो इसके बैल्ट का कोई नाम थोड़े ही है लेकिन यहां इतना फ्लोराइड है लोग बांके हो जाते हैं। आज राजस्थान में 62 वर्ष की आजादी के बाद भी गरीब के प्रति पानी की सोच नहीं बदली, यह कोई जूता-चप्पल तो है नहीं कि फैक्टरी में बना लेंगे, यह कोई लोहे का बर्तन तो है नहीं जो फैक्टरी में बना लेंगे। पानी कोई बनाया नहीं जायेगा, पानी का दोहन रोकना होगा और रेन वाटर का संचय करना पड़ेगा। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी सोच है इस बात की तो प्रत्येक व्यक्ति के दिल में दर्द आना चाहिए। यह कोई व्यक्ति या पार्टी का विषय नहीं है, यह पूरे राजस्थान का विषय है, यह पूरे हिन्दुस्तान का विषय है। इस विषय को प्रत्येक व्यक्ति को गहराई से लेना चाहिए।

आज नहरों की बात करते हैं। नहर का पानी जब लोग पीते हैं, कितना गंदा पानी आता है। मैंने देखा है, जहां नजदीक में नहर होती है, मरा

(श्री श्रवण कुमार)

हुआ आदमी उसमें डाल दिया जाता है, सूखे जानवर उसमें डाल दिये जाते हैं और वह पानी लोग पीते हैं। अब वे बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? जब जीवन में पानी ही शुद्ध नहीं पियेंगे तो हम क्या कर सकते हैं?

"पीर पर्वत सी हो गई है, अब तो पिघलनी चाहिए,
हिमालय की गोद से, एक गंगा निकलनी चाहिए,
केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है,
अब तो इस राजस्थान की तस्वीर बदलनी चाहिए"

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह स्वरचित है ना? आपने खुद ने ही बनाई है ना, श्रवणजी?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैंने बनाई है। यह दिल से अपने आप निकलती है, what can I do? राजेन्द्रजी, आप जब दिख जाते हैं तो अपने आप दिल से निकलना शुरू हो जाती है।

जो स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट आती है, डब्ल्यू.एच.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार फ्लोराइड कितना पानी के ऊपर प्रभावी हो रहा है, 70 प्रतिशत फ्लोराइड पानी में आ गया। ज्यों-ज्यों पानी नीचे जा रहा है, त्यों-त्यों फ्लोराइड बढ़ता जा रहा है। ऊपर के पानी में फ्लोराइड नहीं था। एक समय था, माननीय सभापति महोदय, हमारे गांव के पास में लोग बाल्टी से पानी निकालते थे और आज वह पानी के लिए लोग तरस रहे हैं क्योंकि हमारी नदियों का प्रवाह रुक गया। जो नदियां निकलती थीं, वहां एनीकट्स बनाकर पानी को रोक दिया गया, नदियों का महत्व लोगों ने समझा नहीं और आज स्थिति यह हो गई है कि पानी को तरस रहे हैं। यह सुझाव की बात है, मैं कोई आंकड़ों के जाल में पड़ना नहीं चाहता हूं।

हमारे राजस्थान के चीफ इंजीनियर बैठे हैं, सैक्रेटरी साहब भी बैठे होंगे, आज कितने कूप ऐसे हैं जो सूख चुके हैं और उनके बिल आज भी पी.एच.ई.डी. जमा करा रही है। वह घाटे में नहीं जायेगी तो क्या होगा? किसी की रिपोर्ट भी यह नहीं है कि मेरे वहां पांच कुएं बंद हो चुके हैं, पानी निकलता नहीं है, कनेक्शन काट दिया जाये। किसी के दिल में दर्द नहीं है, सोच नहीं है। यह सोच कब आएगा? जब आपको मालूम है, जब आदमी को आवश्यकता मिलती रहती है, तब तक उसका सोच जाग्रत नहीं होता है। अगर किसी आदमी को लाइट के बारे में मालूम नहीं है कि लाइट का क्या महत्व है, जब

(श्री श्रवण कुमार)

लाइट चली जाती है, गर्मी में आदमी सो नहीं सकता तब वह महसूस करता है कि मुझे लाइट की आवश्यकता है। आज हर व्यक्ति को कहीं न कहीं से पानी मिल रहा है, टैंकर से मिल रहा है पर यह जो स्थिति है कि टैंकर से मिल रहा है, यह भी बंद हो जायेगा, टैंकर कहां से लेकर आयेंगे पानी? 30 पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां पानी की आवक है और 237 में से 207 पंचायत समिति ऐसी हैं जहां पानी की आवक नहीं है। इसलिए आपको मंत्री बनने में हमें इस बात का गर्व है कि आप पी.एच.ई.डी. मंत्री हो पर हमें इस बात का भी सोच रखना पड़ेगा कि :-

"इरादे अटल हैं तो जुनून चाहिए
दिल पर लिखने को मजमून चाहिए
स्याही से नहीं लिखी जाती वीर गाथाएं
शहादत लिखनी है तो खून चाहिए।"

खून कौन देगा? जिन लोगों के दिल में अरमान है, इस स्टेट को डवलप करने के लिए, आप लोग नहीं देंगे, आप लोगों के दिल में दर्द नहीं है, हमारे लोगों के दर्द है, हमारे दिल में जज्बा है, इस जज्बे को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसान के, गरीब के घर तक पानी पहुंचाना चाहते हैं। यह हमारा सपना है। यह हम सपना लेकर आये हुए हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, ये हैंड-पम्प की स्कीम बताते हैं, कल हैंड-पम्पों के बारे में राजेन्द्रजी खड़े होकर भाषण दे रहे थे। हैंड-पम्प की स्कीम फेल हो चुकी है, इस पर जो खर्चा किया जा रहा है, वह व्यर्थ का खर्चा है। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि कितने हैंड-पम्प राजस्थान में चल रहे हैं, बताइये आप। 850 हैंड-पम्प पिछली सरकार ने एक-एक पंचायत समिति को दिये, एक-एक विधान सभा क्षेत्र में हजार-हजार हैंड-पम्प दिये। कितने हैंड-पम्प चल रहे हैं? सरकार में किसी के दिमाग नहीं है, आप लोग कितने बड़े इंजीनियर हैं, आप बतायें, कितने हैंड-पम्प काम चल रहे हैं? मुश्किल से तीन प्रतिशत हैंड-पम्प यूज में हैं। आज की तारीख में, 12,000 रुपये में एक हैंड-पम्प पड़ता है, जबकि ठेकेदार उसका 45,000 रुपया लेता है, क्या करता है। सरकार का पैसा किसका है? यह गरीब की झोंपड़ी का पैसा है। कहां से लेकर आयेंगे पैसा। यह भारत का पैसा, गरीब की झोंपड़ी का पैसा, कहां जाता है? ठेकेदारों के, बड़े लोगों के घरों में जा रहा है। 12,000 रुपये में हैंड-पम्प तैयार हो रहा है, 15,000 रुपये में हैंड-पम्प तैयार हो रहा है और पैसा कितना लगता है, 45,000 रुपये लगते हैं। एक कुआं दो लाख में तैयार हो जाता है, एक लाख

(श्री श्रवण कुमार)

रुपये में कनेक्शन हो जाता है, साढ़े सात लाख रुपये कनेक्शन के कुओं के लिए मंजूर करते हैं। यह क्या है? एक ठेकेदार को एक जिले में नियुक्त करते हैं। वह ठेकेदार अपने ठेके को सब-लेट कर देता है, छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट-बांटकर उसका पैसा कमा लेता है।

यह राजस्थान की जनता को लूटने का धंधा नहीं है। राजस्थान की जनता को पानी पिलाना है, सुख-सुविधा उपलब्ध कराने का हमारा दायित्व बनता है। यह सदन में सबसे बड़ा दायित्व बनता है। इस सदन में अभी बैठते हैं, सदन में अगर दायित्व लेकर आते हैं तो उसके प्रति व्यक्ति की ड्यूटी बनती है कि हमें झोंपड़ी में जो छोड़कर आये थे, किसान का बेटा है, वह पीड़ा तो नहीं पा रहा है, पानी के लिए तरस तो नहीं रहा है, बिजली के लिए रो तो नहीं रहा है। यह पीड़ा हर व्यक्ति के दिल में होनी चाहिए और वह पीड़ा अगर कोई पैदा नहीं करता है तो वह दुबारा इस विधान सभा का मुंह भी नहीं देखता।

मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे बड़ा इतिहास कोई रचेगा या इतिहास में काम कराना चाहते हैं तो रिश्वतखोरी बंद करनी पड़ेगी। इस रिश्वतखोरी ने सबका काला मुंह कर दिया, सब लोगों ने ईमान को बेच दिया, धर्म को काला कर दिया। आदमी के मुंह पर जो लाली थी, वह खतम हो गई।

आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक व्यक्ति को ठेका दे दिया, 12 महीने तक वही आदमी काम करेगा, दूसरा आदमी कोई कर ही नहीं सकता। उसकी रेट चाहे डाउन, चाहे-चाहे अप आये, वही काम करेगा। फिर कौन करेगा? जब हमें मालूम है कि पानी 1,200 फीट में मिल रहा है, वह ठेकेदार क्या कहता है कि मेरे तो 600 फीट का ठेका है, उसके ऊपर तो 600 फीट का खड्डा करना है क्या? जब हमारा उद्देश्य है कि पानी मिलना चाहिए, कहां मिलेगा, फ्लोराइड का मिले, कैसा भी मिले, पानी तो मिले। वह 800 फीट खोदकर चला जाता है, 200 फीट और बाकी रह जाता है। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, आप इस बात को बदल दें। पिछली सरकार ने क्या किया होगा, मैं उनके आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, जंजाल में नहीं फंसना चाहता हूं, कितनी पाइप खींचकर चले गये होंगे, कितने ठेकेदारों को करोड़पति बनाकर चले गये होंगे पर आप इस बात को नोट कर लें कि यह जो जंजाल है ठेकेदारों का, ठेकेदारों के जंजाल को आपको ठीक करना पड़ेगा वरना इस सरकार की सूरत नहीं सुधर सकती।

(श्री श्रवण कुमार)

आज नरेगा पर बहुत बड़ा, पूरे भारत में वाहवाही लूटते हैं। नरेगा को कहीं किसी पाइंट पर लाकर रोकें तो सही। अगर हम चाहते हैं कि एक पंचायत समिति में नरेगा को समर्पित करके उसमें कुंड बना कर, वाटर हार्वेस्टिंग का काम करके एक पंचायत में हम परीक्षण तो करें, वह खर्चा पूरा लगाकर हम सोचें तो सही कि एक पंचायत समिति का अगर वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो जाता है और पानी की अगर सुचारु रूप से व्यवस्था हो जाती है तो पूरे राजस्थान में इसको लागू करना चाहिए। आज नरेगा का पैसा मिट्टी के अन्दर डाला जा रहा है, खड्डे खोदे जा रहे हैं, यह क्या काम कर रहे हैं। अगर भारत के लोगों का यह सोच होता तो हिन्दुस्तान की नदियों को जोड़ देते और गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, मजरे-मजरे नदी का पानी आ जाता, नहर का पानी आ जाता। कौन दिमाग लगा रहा है, कौन काम कर रहा है? क्या कर रहा है, यह मुझे समझ में नहीं आया लेकिन मैं समझता हूं...(व्यवधान) आप खराब मत करो, बैठ जाओ, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, हम अपने आप कह देंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अच्छा, ठीक है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जीवन की हर चीज का विकल्प निकलता है। दाल महंगी हो गई, पीली दाल ले आओ; बैलगाड़ी बूढी हो गई, जीप ले आओ; अगर बस में सुविधा अच्छी नहीं है, प्लेन में चले जाओ; प्लेन की अच्छी सुविधा नहीं मिलती है, पानी के जहाज में चले जायें पर पानी का कौन सा विकल्प है वह तो बताओ। हर चीज का विकल्प आपने ढूंढ लिया, पर पानी का विकल्प क्या है? पानी का विकल्प पानी है, इसका विकल्प कुछ नहीं है। जैसे सरस्वती मां के लिए मैंने कहा था न कि सरस्वती मां, तुम अपने आप में मां हो, तुम्हारा कोई कम्पेरिजन नहीं किया जा सकता। इसी तरह पानी है। यह पानी है, इसका किसी के साथ कम्पेरिजन मत करो। पानी को शुद्ध रखकर के हर व्यक्ति तक, घर तक पहुंचाना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है।

इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से बात कहूंगा, मैं आपको आंकड़े दूं कि पानी आपने, नहर का पानी उन टीलों में पहुंचाया, धन्यवाद आपने किया न अब की बार। माननीय हमारे सेक्रेटरी साहब गये थे, अब पानी का इतना गड़बड़ क्यों है, इजरायल में लोग गये, वहां ड्रिप सिस्टम को देखकर आये; बहुत सारे किसानों को भेजा, इजरायल जाकर आये; भारत का खर्चा भी लगा पर मैं कह रहा हूं परिवर्तन क्या आया? इजरायल जाने से परिवर्तन क्या आया? कुछ नहीं

(श्री श्रवण कुमार)

आया। ढाक के वही तीन पात। आज भी रावला और घड़साना में पानी वही क्यारियों के द्वारा, धोरों के द्वारा पानी दिया जा रहा है। जब हिन्दुस्तान में पानी की इतनी महती आवश्यकता है और वह आज भी धोरों से चार-चार घंटे तक, धोरा भीगता है, फिर धोरों का पानी वह पूरा भीग जाता है उसके बाद आगे पानी चलता है। आज तक, हिन्दुस्तान के 62 वर्ष के बाद भी हम इस बात को नहीं समझ पाये कि पानी को हम बचाकर के कौन से यंत्र से हम पानी पहुंचायें जिससे वह पानी मूल स्थान पर पहुंच जाय और पानी बच जाय, यह अभी तक तो नहीं कर पाये। केवल बातें करने से, बात सुन करके इम्पलीमेंट नहीं हो, बात लागू नहीं हो और विधान सभा के अन्दर बोलकर चले जायें, इसलिए नहीं बोल रहे हैं हम कि केवल किसी को सुनाना चाहते हों, हम यह चाहते हैं कि हमारे दिल में दर्द है, इस बात की भावना है कि यह बात जो हम कह रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, प्रत्येक इंजीनियर तक जानी चाहिए, प्रत्येक एक्स ईएन तक जानी चाहिए और प्रत्येक जे ईएन तक भी बात जानी चाहिए कि पानी कैसे बचाया जाता है और प्रत्येक गांव की झोंपड़ी तक भी जानी चाहिए। आज हजारों कुएं बंद पड़े हैं, बिल जमा कराया जा रहा है, पी एच ई डी कमजोर नहीं होगा तो कौन होगा? आज, मंत्रीजी, आप सुबह एक आदेश निकालें कि कितने कुए बंद पड़े हैं जिनका बिल व्यर्थ में जमा कराया जा रहा है, मैं समझता हूं कि हजारों कुओं की आपके सामने लिस्ट आ जायेगी सुबह। पर करे कौन? बात सुनते हैं, सुनकर टायं-टायं फिस्स हो जाती है। ऐसे नहीं चलेगा। यह पूरा भारत का पैसा जो भारत सरकार से आता है इस पैसे का यूज कौन करेगा, यहां की जनता के लिए किया जायेगा। इसलिए पानी का मैं एक मंत्र बताना चाहता हूं।

बस? अभी तो बिजली तो बाकी ही पड़ी है। बिजली तो बाकी पड़ी है, साहब। तो बिजली पर आना चाहिए फिर, मेरे को आप फिर बजा दोगे।

श्री सभापतिः सुबह होगी, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक मिनट, घंटी और लगा दी आपने तो।

माननीय, मैं बिजली मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने यह एफ आर एम की योजना लागू की थी....(व्यवधान) एफ आर पी, एफ आर पी, सुनने की कोशिश करो, एफ आर पी, फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम, यही था न? इसमें आपने लागू किया था, आपका मेंटेंड प्रोग्राम था, टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं था।

(श्री श्रवण कुमार)

आप यह बताइये, मंत्रीजी, जब इतनी स्कीम थी और आज तक पूरी नहीं हुई है। सौ का ट्रांसफार्मर मैं मानने को तैयार हूं, सौ के ट्रांसफार्मर से दस कुएं चलते थे; मोटरों की केवी बढ़ा दी, नहीं चल पाते; पच्चीस का लगाना, चालीस का लगाना। आपने मेंटेंड प्रोग्राम बनाया था, आज तक वह प्रोग्राम पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। दो-तीन साल के बाद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद में आपने ठेकेदारों को वह जो प्रोग्राम दिया, उनसे कितने तार उतरवाये, माननीय सभापति महोदय, बहुत जोरदार गहरा प्वाइंट है, उनसे तार उतरवाये और केबल लगवाई पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई बिजली मंत्री और बिजली डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति कह दे कि उन तारों का हिसाब क्या है; आप बताइये, आज तक नहीं है। कितने खम्भे ऐसे हैं जो रोड पर ब्रेकर बनाकर लोग डाल देते हैं, इनके पास कोई हिसाब है क्या? बगैर हिसाब के कोई घर चलता है क्या? बनिया भी तलपट बनाकर शाम को सोता है, एक रुपया बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया, घट गया तो क्यों घट गया। इनके कोई तलपट नहीं है। जब इतना प्रोग्राम है, बिजली के अन्दर इनकी कोई तलपट नहीं है, रोकड़ पोते नाम लिखे, रोकड़ पोते जमा, न इनके कोई नाम है, न कोई जमा है। कितने तार उतारे गये, आज तक इनके पास स्टोर में कितने जमा हैं, अगर कोई बता दे तो कल मैं मिल लूंगा, आप बता दें वहां मिलना है, मुझे मिलकर बता दें। कोई मेंटेंड प्रोग्राम नहीं है।

आप यह बताइये, बिजली छीजत की बात करते हैं, कहते हैं बिजली की छीजत बहुत हो रही है, तार आज भी वही ढीले पड़े हैं। छीजत बिजली हो गई, इसको कैसे मालूम कि बिजली छीजत है? इनके आंकड़े भ्रमित आंकड़े हैं, आज भी कहता हूं। बताइये, कौन से आंकड़े हैं, छीजत हो गई? इनको कैसे मालूम छीजत हो गई? इनको जब यही मालूम नहीं है कि बिजली आपने कितनी सप्लाई की थी और मीटर में रीडिंग कितनी आई, उन दोनों का केलकुलेशन करके उसका बैलेंस आयेगा, वह छीजत हुई है। बताइये, किसी ने मीटर की कोई रीडिंग ली क्या? बिल के अन्दर कितनी रीडिंग आई और बिजली आपने कितनी भेजी, उन दोनों का मेंटेंड प्रोग्राम होना चाहिए कि इतनी भेजी, इतनी आई; रोकड़ पोते नाम, रोकड़ पोते जमा, इतना बैलेंस। यह किसी के पास नहीं है, है तो बता दो, मंत्रीजी बता दें।

अब इसको आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो प्रोग्राम को। मैं कहता हूं, मंत्रीजी, 2020 में आप किसी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दे पाओगे,

(श्री श्रवण कुमार)

यह बिजली प्रोग्राम फेल हो जायेंगे आपके। आपको मालूम होना चाहिए, आपने दुनिया भर के ठेकेदार इकट्ठे कर दिये, दुनिया भर के ठेकेदार खड़े कर दिये और उनको सामान का कोई ब्यौरा नहीं है। कितने तार बेचकर, दिल्ली में बेचकर खा गये, कितना केबल बेचकर खा गये, कितना इनके ट्रांसफार्मर का तेल बेचकर खा गये, कोई हिसाब नहीं है इनके पास। राजस्थान के साथ यह दुराचार हो रहा है और हम बैठे-बैठे देख रहे हैं और सुनकर चले जाते हैं घर पर। क्या नींद आती होगी आप लोगों को? मैं कहता हूं, राजस्थान के साथ, बिजली बोर्ड के साथ सरासर अन्याय हो रहा है और हम अन्याय को सरासर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले बी जे पी के राज में करोड़ों रुपये का घोटाला किया और जब एक अकाउंट्स आफिसर ने यह कहा कि साहब, यह घोटाला बर्दाश्त नहीं करूंगा तो उसको ए पी ओ कर दिया।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप तो ढंग से बोल रहे थे। क्या हो गया है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको बताना चाहता हूं, एक इंजीनियर ने एक बात कह दी कि साहब, यह घोटाले का काम है, मैं नहीं करूंगा तो एक मिनट में उसको ए पी ओ कर दिया, बोले कि घर जाइये, ऐसे इंजीनियर की जरूरत नहीं है। जो आदमी सही बोले, जो आदमी बिजली के हित में बोले, जो किसान का बेटा हो वह बोलता है उसके खिलाफ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसीलिए आप ए पी ओ हो, इसीलिए आप ए पी ओ हो। चार बार जीतने के बाद भी ए पी ओ बैठे हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं ए पी ओ नहीं हूं, भरा नहीं भावों से बहती.., वह बताई है, यही बात है मेरी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सुनाओ, सुनाओ वापस।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करो। सम-अप करो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक ही मिनट का। आप कह रहे हैं, मुश्किलों में भी नवाब बनकर जीओ, मुश्किलों में भी नवाब बनकर जीओ, अब हर अपने सवाल का जवाब बनकर जीओ, तुम्हारी खुशबू से महक उठे सारा जहां, नुकीले कांटों में गुलाब बनकर जीओ। हम तो वह हैं।

श्री सभापति: श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर। माननीय सदस्य, अब सम-अप करो। माननीय सदस्य। बस, माननीय सदस्य, अब सम-अप करो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय। मजा नहीं आ रहा आपको?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ढाणियों की बिजली की बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ढाणियों में आज 21वीं सदी की बात कर रहे हैं..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, 70 माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आज 21वीं सदी की बात कर रहे हैं और हमारी ढाणियों में गरीब का बेटा साठ वर्ष पहले इस बात के लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरे कोई लोकतंत्र आयेगा, चुनाव होंगे, देश आजाद हुआ उस दिन से प्रतीक्षा करे, आज उन ढाणियों में बिजली नहीं है। हमारे जयपुर के अन्दर दस हजार लाइटें दिन में जलती रहती हैं, इनको कोई बंद करने वाला नहीं है और हमारे किसान का बेटा अंधेरे में आज भी बैठा है और जब...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अकाल पर भी बोलो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अकाल पर बाद में बोलूंगा, नम्बर तीन पर है न। जब हमारी ढाणियों में आज भी किसान का बेटा प्रतीक्षा कर रहा है कि लाइट कब आयेगी और आज वहां क्या प्रोग्राम, पहले वसुंधराजी ने तो कहा था दस फाइलें जमा करने के बाद उस ढाणी में कनेक्शन मिल जायेगा, हमारी सरकार में यह आया है कि अपने पैसे जमा कराओ और कनेक्शन लो। अगर एक ढाणी में एक लाख रुपया लग गया, वह ले नहीं सकते, तो अंधेरे में रहना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार बिजली में सुदृढ़ीकरण करे, यह आपका भारत सरकार से पैसा आ रहा है, भारत सरकार से पैसा आ रहा है, इसको देखिये आप। ढाणी में बिजली नहीं है और ए पी डी आर पी का जो पैसा, स्कीम जो भारत सरकार में है, भारत सरकार का यह मुद्दा था कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक बिजली जाये, किसान के बेटे को पानी मिले, बिजली मिले और इन्होंने क्या कर दिया, इसको हटाकर के और केवल मात्र पैसा खुद जमा कराओ और बिजली लो। यह ढाणियों में नहीं चलेगा।

सिंगल फेस के गांवों में कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। अगर ढाणी में सिंगल फेस का कनेक्शन पानी के लिए कराये तो कनेक्शन नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं, मंत्रीजी, एक स्टैंड प्रोग्राम लेकर के एक तो ढाणियों में बिजली दीजिए, गरीबों के घर तक पहुंचाये और एक हमारे जो वी सी आर, जब इनके ट्रांसफार्मर पर खुद को विश्वास नहीं है, ट्रांसफार्मर पर मीटर लगा

(श्री श्रवण कुमार)

हुआ है उसके बाद भी इनका ए.ईएन. जाकर के वी सी आर भर लेता है। आप बताइए, जब ट्रांसफार्मर में ही मीटर लगा दिया, वह बिजली जहां से गुजर रही है, वह रास्ते में अगर पहले मीटर अपने आप रीडिंग कर रहा है तो फिर वी सी आर की जरूरत कहां पड़ गई? इतना सारा सिस्टम हमने देखा है कि गहराई में जाकर के बिजली में कोई भी इसका मेंटेन प्रोग्राम नहीं, कोई खाता नहीं, हिसाब नहीं और सारा का सारा जो मामला है वह चौपट हो रहा है।

इसलिए मैं, मंत्रीजी आपको एक निवेदन करना चाहता हूं। आप बहुत भले आदमी हो, साढ़े 800 करोड़ रुपए के आपने कम्प्यूटर खरीदे हैं अभी कि सीधी लाइन से जोड़ेंगे, 21वीं सदी में जाने की बात करिये...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। साढ़े 800 करोड़ रुपए के कम्प्यूटर खरीदे हैं और इनका प्रोग्राम तय हो गया है और मैं यह कहना चाहता हूं, यह प्रोग्राम तय हो गया पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि साढ़े 800 करोड़ के कम्प्यूटर से सीधी लाइन जोड़ेंगे, सीधा कम्प्यूटर से सिस्टम बनेगा, अभी गांव की झोंपड़ी में किसान का बेटा वह तो आज भी दीए के लिए दीपक जला रहा है बेचारा...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो साढ़े 800 करोड़ रुपए के कम्प्यूटर का क्या काम आएगा? इसलिए मैं चाहूंगा कम्प्यूटर आप बाद में खरीदें, पहले ढाणियों को जोड़ें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करो आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इसलिए मेरा सबसे पहला मेंटेन प्रोग्राम है कि साढ़े 800 करोड़ के जो कम्प्यूटर खरीद रहे हैं यह कम्प्यूटर बाद में खरीदें और हमारे को पहले बिजली गांव में दें। यह मेरी आपसे विनती है।

श्री सभापति: श्री गजेन्द्रसिंह खींवसर। माननीय सदस्य, अब समाप्त करो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अकाल पर तो बोलने ही नहीं दिया आपने।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है आपसे, अभी आप किस पर बोल रहे थे? माननीय सदस्य, कोई सीमा तो रखो आप। आप सीमा नहीं रखते। कैसे काम चलेगा? एक घंटे में सिर्फ दो सदस्य बोल पाएंगे और 70 सदस्य हैं, सभी इतना ही विस्तृत बोलना चाहते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप तीन मिनट में, हम आपकी भावना की कद्र करते हैं, please give me 3 minutes.

श्री सभापति: माननीय सदस्य, तीन मिनट...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, बहरे और गूंगों की तकदीर बदल देंगे, भ्रष्ट और दलालों की जागीर बदल देंगे, अपने लहू से सींचा इस भगवा को, हम तो अपने मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं।

श्री सभापति: आधी बात तो आप शेर ही शेर के अन्दर समाप्त कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं कह रहा हूं, तो यही कह रहा हूं, मैं अकाल की बात कर रहा हूं। अकाल पर तो हमारे थोड़ी देर पहले हमारे माननीय सदस्य, रघुजी कह रहे थे कि अकाल की प्रक्रिया पर इनको चिंता है, इनकी भावना भी थी कि जो पैसा टैक्स कटता है वह गरीब के ऊपर लगता है पर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे अकाल की भीषण स्थिति बनी हुई है 17 ज़िलों में। आज नरेगा का जो काम हो रहा है वह काम तो होता रहेगा, वह तो भारत सरकार का है, पर अकाल के बारे में मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल का पैसा वहां लगाये, पैसा डोवटेल करके गांवों में सड़कें बनवाये, पानी के कुंड बनवाये। पहले जलग्रहण में वसुंधराजी ने बनवाए थे पानी के कुंड, एक भी कुंड में पानी नहीं रुकता। (व्यवधान) मंत्रीजी गम्भीर है पर कुंड बनाने वाला नहीं था ना...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं मंत्रीजी से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे पानी की आवश्यकता है, वह अकाल के माध्यम से हमारा पैसा डवटेल करके उसको दूर किया जा सकता है और गांव-गांव में जहां पानी गंदा इकट्ठा होता है वहां अकाल राहत का पैसा और एम.एल.ए. लैड का पैसा डवटेल करके बनाना चाहिए आपको।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: अब समाप्त करो। माननीय सदस्य, समाप्त करो। बस, माननीय सदस्य...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक मिनट, लास्ट में आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम में सबको मिलकर के एक भावना जाग्रत करनी चाहिए कि पानी, बिजली और अकाल जैसे महत्वपूर्ण बिन्दु पर हम एक साथ मिलकर के, राजस्थान के पक्ष और विपक्ष सब मिलकर के राजस्थान की जनता तक बिजली मिले, राजस्थान की जनता की गरीब झोंपड़ी तक पानी मिले और अकाल का जो पैसा है वह गरीब आदमी को मुहैया करवाया जाए। यही मेरी आपसे विनती है।

श्री सभापति: श्री गजेन्द्र सिंहजी खींवसर।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): लास्ट में एक दोहा कहकर के मैं अपनी बात खतम करता हूं:-

''घूमकर यह जहां किसने देखा है,
घूमकर यह जहां किसने देखा है,
देखकर के भी इंसान किसने देखा है,
मोहब्बत में मिलता है वह नसीब वालों को
वरना भगवान किसने देखा है।''

धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गजेन्द्रसिंहजी खींवसर।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बिजली और पानी पर बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज हम 2010 में पहुंच गए हैं और टेक्नोलाजी इतनी एडवांस हो गई है, दुनिया में साइंस में इतनी एडवांस हो गई है कि हर घर में हर गरीब आदमी के पास मोबाइल हो गया है। लेकिन आज बिजली हर घर तक हम नहीं पहुंचा सके हैं। एक 2005 के अन्दर भारत निर्माण जो कि एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम बनाई गई थी जिसमें पानी, बिजली और सड़क को लिया गया था। उसके तहत एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया गया था। टाइम बाउंड.. मंत्रीजी कहां हैं, मैं बिजली की बात कर रहा हूं, क्या जवाब देंगे इसके ऊपर?

ठीक है, मैं आपके पानी पर ही बोल देता हूं पहले। मैं पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि नागौर जिला जो है भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

बड़ा जिला है और जनसंख्या के आधार पर भी एक बहुत बड़ा जिला है। हमारी सरकार ने माननीय वसुंधराजी ने 7.8.2006 को 781 करोड़ रुपए स्वीकृत किये, फाइनेंशियल सेंक्शन फेज-1 में नागौर लिफ्ट कैनाल के लिए और पूरे नागौर जिले को इंदिरा गांधी कैनाल में 200 क्यूसेक्स पानी का प्रावधान दिया गया है जिससे 1,384 गांव और 11 क़स्बे नागौर ज़िले के, बीकानेर ज़िले के 111 गांव और 2 क़स्बे इससे लाभान्वित होने के लिए इसका एक प्रोग्राम बनाया गया है और 781 करोड़, जैसा आपको बताया, 7.8.2006 को फेज-1 में स्वीकृत किए गए। नागौर शहर को 28.6.2009 को 377 करोड़ रुपए आपके डिपार्टमेंट ने खर्च करके पानी पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद आपका काम ठप हो गया है। आपका यह दूसरा बजट पेश हुआ है और इस दूसरे बजट के अन्दर आपका कोई भी मेंशन नहीं है कि जो फेज-I को कम्प्लीट कैसे करेंगे? फेज-I के अन्दर नागौर शहर के अलावा 502 गांव और 5 क़स्बे हैं और जनता बहुत निराश है यहां पर क्योंकि अभी तक इसकी फाइनेंशियल स्वीकृति आपने नहीं दी है और अचंभे की बात यह है कि फेज-II के लिए आपने आलरैडी इसका सर्वे कर दिया है। माननीय मंत्रीजी, आपने 16.12.2009 को एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सेंक्शन आपने सर्वे के लिए दे दी है, 30.11.2009 को प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर होकर वर्ल्ड बैंक को फाइनेंशियल हैल्प के लिए आपने भेज दी लेकिन आप यह बताइए कि जो गांव फेज-I में लिए गए थे, क्या उन गांवों को यूं छोड़ा जा रहा है क्योंकि वहां के विधायक हमारी पार्टी के हैं और फेज-II को प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि वहां के विधायक अधिकांश आपकी पार्टी के हैं? आपके लाडनूं, मकराना, आपके डीडवाना...

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, पानी के मुद्दे पर कभी भी कोई राजनीति नहीं होगी।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): राजनीति तो नहीं हो रही है, मंत्रीजी, पर फेज-I को कब लेंगे आप? फेज-I का पहला पैकेज हो गया, दूसरा पैकेज भी करें।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): दोनों पैकेजों को, पहला पैकेज पूरा होगा तब दूसरा पैकेज आगे आएगा, वह बनेगा ...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): पहला पैकेज तो आप नीयर कंप्लीशन पर आ गये हैं और दूसरा पैकेज फाइनेंशियल स्वीकृति देंगे उसके बाद आपको लगेंगे दो साल पानी पहुंचाने में।

सूचना

छबड़ा पावर प्लांट में विस्फोट से तीन व्यक्तियों की मौत

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। It will take two minutes. मैं आपके माध्यम से यह ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि छबड़ा का पावर प्लांट जो है उसमें सीवीयर ब्लास्ट हुआ है और सीवीयर ब्लास्ट होने के बाद ऐसा अनुमान है कि तीन आदमियों की उसमें मृत्यु हो गई हैं और आठ आदमी बहुत ज्यादा उसमें इन्जर्ड हुए हैं। यह आपको एक सूचना देनी थी कि आप देखें।

श्री सभापति: गजेन्द्रसिंहजी खींवसर।

राज्य में बिजली, पेयजल व अकाल की स्थिति पर विचार

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): माननीय मंत्री महोदय कहने का मेरा मतलब यह है कि आप आज फाइनेंशियल स्वीकृति देते हैं तो आपको पानी पहुंचाने में दो साल लगेंगे और दो साल में क्या हालत होने वाली है, आप खुद ही जानते हैं। इतना खारा पानी है उसके अन्दर लोग दूध मिलाकर के उसके अन्दर पी रहे हैं। तो आपसे यह निवेदन है कि आप इसकी फाइनेंशियल स्वीकृति देकर इसका कार्य जल्दी से शुरू करवायें...

(समय : 15.00 बजे)

क्योंकि आदमी मरता क्या नहीं करता है, वे लोग आंदोलन करने लग जाएंगे। इसलिए आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इसको आप जल्दी आगे बढ़ाइये। Please let phase II follow Phase I, systematically. यह आपसे निवेदन है।

दूसरा, मंत्री महोदय, आपको यह मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आपके यह जो पी एच ई डी है यह आपके विभागीय प्रणाली से नहीं चलेगी। ठीक है न साहब, इसके अन्दर आपको अनबंडलिंग करना चाहिए जैसे बिजली कम्पनीज में हुआ था। अनबंडलिंग के अन्दर आपको एक आल राजस्थान वाटर ग्रिड बनाना चाहिए और जैसे आज आपका 132 केवी का या 220 केवी का सब-स्टेशन लगता है वह खाली उस एरिया को लाभान्वित नहीं करता है वह पूरे क्षेत्र को, पूरे डिविजन को लाभान्वित करता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जैसे जब हमारी सरकार थी तो माननीय वसुन्धराजी ने प्रस्ताव रखा था

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

कि जितने भी डिविजनल हैडक्वार्टर्स और जो प्रमुख शहर हैं इस प्रदेश के, उनकी अलग-अलग कम्पनीज बनानी चाहिए for distribution, for efficient distribution of water.

इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके अन्दर मैं सोचता हूं कि पंचायती राज को आपको पंचायतों को, जो ये जिसके अन्दर जिला परिषद् आ जाती हैं, एम एल एज पार्टिसिपेशन कर सकें, मैं सोचता हूं कि ये पावर आपको इनको देना चाहिए ताकि वाटर का मैनेजमेंट जो कि एक बहुत क्रिटिकल मैनेजमेंट होगा और माननीय सभापति महोदय, यह नास्त्रोडोमस ने प्रीडिक्ट किया कि अगला जो विश्व युद्ध होगा, वह पानी के ऊपर होगा। वह आता दिख रहा है।

इसके अलावा आपको सिस्टम को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। आपका जो पाइप लाइंस का पानी जाता है, आपका ग्राउंड वाटर जो आता है, आपका जो कैनाल वाटर जो पीने के लिए देते हैं प्लस आपका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये आपको कम्पनीज के आधार पर इन सबको सिंक्रोनाइज करना चाहिए।

दूसरा, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हम यहां पर इस सदन में दो सौ एमएलएज जनता से स्लेक्ट होकर आये हैं, हमारा भी क्षेत्र है, ट्यूबवैल्स और आपके हैंड-पम्प्स हैं, उनमें आपको हमें सर्टेन कोटा देना चाहिए। प्यास सबको लगती है मंत्रीजी, और हमें मालूम है कि हमारे क्षेत्रों के अन्दर कहां-कहां क्रिटिकल वाटर क्राइसेज है तो हमारे पार्टिसिपेशन के लिए आप हमें कुछ न कुछ तो सर्टेन नंबर आफ ट्यूबवैल्स बिना भेदभाव के, सूर्य रोशनी देता है तो कोई भेदभाव करके थोड़ी न देता है। You should allot us reasonable amount of tube-wells और हमें हैंड पम्प देने चाहिए ताकि जनता की हम प्यास मिटा सकें।

मेरी एक और सोच है, मंत्रीजी, कि आपको कैटेगराइजेशन करना चाहिए। You should accord special status to western Rajasthan. कहने का मतलब मेरा यह है कि आप भी पश्चिमी राजस्थान के रहने वाले हैं, हमारे एरिया के अन्दर जहां पर नदियां नहीं हैं, ग्राउंड वाटर बहुत डीप चला गया है, जहां पानी का टी डी एच साढ़े छह हजार तक पहुंच गया है। तो ये जितने भी एरियाज हैं, रेनफाल बिलकुल कम है, इसको आपको एक स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा यहां पर वाटर स्कीम्स के अन्दर क्योंकि कोटा एरिया आपका, झालावाड़ एरिया आपका, बारां, बूंदी जितने एरिया हैं यहां बरसात भी खूब होती है और

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

नदी-नाले भी अच्छे चलते हैं। आपके पास नदियां भी बह रही हैं, ग्राउंड वाटर भी नजदीक है। वेस्टर्न राजस्थान की हालत आज की तारीख में बहुत गम्भीर है और जितना गहरा पानी जा रहा है, वह कम भी हो रहा है, उसकी गुणवत्ता भी बिलकुल रिड्यूस हो रही है।

मैं तो यह कहता हूं, मंत्रीजी, कि कहते हैं कि कहीं पर पेड़ लगा हो न तो वह पड़ोसी को भी छाया देता है, अब आप तो मेरे पड़ोस की कांस्टिट्यूएंसी के हो और आपने तो हमारे टाइम की जितनी भी ट्यूबवैल की स्कीम्स थीं आपकी सरकार जैसे ही आयी आपने तो कैंसिल ही कर दीं। अब प्यास तो बी जे पी वालों को भी लगती है, कम्यूनिस्ट को भी लगती है, कांग्रेस को भी लगती है, सबको लगती है। तो इसके अन्दर आप भेदभाव न करें और हमें, हमारे सब एम एल एज को आप कम से कम, जो पहले हमारे मंत्रीजी थे सांवर लाल जी जाट हमारे विधान सभा के अन्दर वे मीटिंग्स रखते थे, विधान सभा के दरमियान वह आल पार्टीज को बुलाते थे कि सब एम एल एज नीचे जो बेसमेंट में चैंबर है उसमें आप लोग आइये और आप लोग बताइये कि आपकी क्या समस्या है और उसको सोर्ट आउट करने के लिए कहते थे। पानी के अन्दर, साहब, पानी क्या चीज है, आज आदमी के लिए सांस लेने के बाद नैक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है वह हमारे लिए पानी है। तो इसके अन्दर आप भेदभाव मत करिये। सब लोगों को पूरे राजस्थान का आप बिना भेदभाव के विकास करिये और इस नेसेसिटी की आप पूर्ति करिये।

मैं थोड़ा बिजली के बारे में पांच मिनट बोलना चाहूंगा। मंत्रीजी अभी चैंबर से वापस नहीं पधारे हैं, सुन रहे होंगे टीवी पर। अधिकारीगण बैठे हैं यहां पर। मैं यह बोलना चाह रहा था कि ये जो अपने आर जी जी वी वाई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो 2005 में लागू हुई थी, सभापति महोदय, उसके दो मेन उद्देश्य थे। एक तो था 2012, it was a time bound scheme. 2005 में चालू हुई थी और उसका उद्देश्य था, टारगेट था कि 2012 तक हमारे देश के अन्दर बिजली का लट्टू जलेगा, मतलब एक्सेस मिलेगी, आदमी नहीं लेना चाहे कनेक्शन तो उसकी मर्जी। दूसरा उद्देश्य था कि आपके जितने भी बी पी एल परिवार हैं उनको निःशुल्क बिजली दी जाएगी, फ्री कनेक्शन दिया जाएगा और 18 लाख बी पी एल को लाभान्वित करने की उसके अन्दर स्कीम थी। मैं यह बताना चाहूंगा कि ये जो स्कीम है यह बिलकुल ही प्रैक्टिकल नहीं है और इसका मैं आपको कारण बताऊंगा। कारण

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

इसका यह है कि राजस्थान के बारे में जो भौगोलिक परिस्थिति है, डेंसिटी आफ पापूलेशन है उसकी इन्होंने स्टडी नहीं की और इन्होंने जो बजट बनाया है, वह एक बहुत ही लो और अंडरएस्टिमेटेड बजट है।

जब मैं राज्य मंत्री था, चेयरमैन आर ई सी को मेरे गांव में बुलाया, उनको गाड़ी में बैठा कर मैं उनको गांव में ले गया। मैंने उनको बताया कि साहब, हमारी 75 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और गांवों के अन्दर उसकी 75 प्रतिशत जनसंख्या ढाणियों में रहती है । मैंने उनको बताया कि साहब इस बजट के अन्दर ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, इससे कैसे आप हर घर में 2012 तक बिजली पहुंचाओगे। विधान सभा के अन्दर कई प्रश्न रेज हुए हैं, कई इसके बारे में आर्ग्युमेंट्स हुए हैं पर आपको मैं जो रूट काज आफ प्रोब्लम है वह मैं पाइंट-आउट करना चाहता हूं कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की डेंसिटी आफ पापूलेशन को बिलकुल स्टडी ही नहीं किया गया, सही तरीके से नहीं किया गया। हमने एस्टिमेट लगाया था जब मैं राज्य मंत्री था तो हर घर में बिजली देने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट आज से दो-ढाई साल पहले थी 42 हजार करोड़ और मेरे ख्याल में केन्द्र सरकार ने अभी दो हजार करोड़ रुपये भी वितरित नहीं किये होंगे। अब कहां 42 हजार करोड़ और कहां दो हजार करोड़ रुपये। तो यह जो गैप है इसको कैसे भरा जाए? इसके अन्दर यह देखना चाहिए कि पापूलेशन सब स्केटर्ड है। यहां पर हमारे घरेलू कनेक्शन के लिए या बी पी एल कनेक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। लोग दूरदराज रह रहे हैं। एक खेत के अन्दर एक परिवार है उसके अन्दर वह एक कनेक्शन मांग रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही जब आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे दोगे? ये तो ऊंट के आगे आप गाड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हो। यह स्कीम बिलकुल फेल्योर है, लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं की जाएंगी मेरा यह सोच है कि जैसे अटलबिहारी वाजपेयीजी ने पी एम जी एस वाई स्कीम चालू की थी, रोड्स की स्कीम चालू की थी, उसके अन्दर उन्होंने क्या किया उन्होंने स्पेशल स्टेटस अकोर्ड किया राजस्थान को जो कि रेगिस्तानी एरिया है और पहाड़ी क्षेत्र को क्या किया उसके अन्दर कि पूरे देश के जो उन्होंने नियम बनाये थे एवं जो उन्होंने गाइडलाइंस बनायी थीं उसके अन्दर उन्होंने राजस्थान को और पहाड़ी क्षेत्र के लिए कहा कि ढाई सौ की आबादी तक के गांवों को सड़कों से जोड़ा जाए। ये आर जी जी वी वाई में भी यही करना पड़ेगा कि बजट बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करना पड़ेगा। इसके

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

अलावा आप ताकते रह जाना, कोई ढाणियों में बिजली नहीं मिलेगी, कोई गांव के अन्दर घरेलू कनेक्शन 2012 छोड़ो, 2020 तक भी आप नहीं दे पाओगे। यह दुःख की बात है। इसके अन्दर, मुख्य मंत्रीजी, सरकार आपकी यहां पर भी है और सरकार आपकी केन्द्र में भी है, इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा इस प्रदेश की भलाई करने के लिए। आप लोग अपने एफर्ट्स सिंक्रोनाइज करिये, उनको बताइये कि राजस्थान को और बजट दें, टाइमली बजट दें ताकि यह स्कीम सक्सेसफुल हो जाए।

हमने देखा कि यह स्कीम प्रेक्टिकल नहीं थी और ये अनसक्सेसफुल हो रही थी, हमने एक अलग से एक छोटी सी स्कीम शुरू करायी, नीचे से शुरू करायी जिसका नाम था 'मुख्यमंत्री सबके लिए बिजली योजना' और अभी मुझे मालूम पड़ा है कि आपकी सरकार ने 31 मार्च, 2010 के बाद कहा कि उनकी एप्लिकेशंस ही मत लो। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तीन हजार पांच सौ रुपये में अफोर्डेबल ढाणियों को हमने कहा, पांच कनेक्शंस जो मांगेंगे, वे एक किलोमीटर दूर हों कोई लाइन से उनको हम साढ़े तीन हजार रुपये में एक-एक कनेक्शन दे देंगे। उसका क्या हुआ, सभापति महोदय, हम नहीं जानते हैं लोगों से एप्लिकेशंस ले ली गई, लोगों के डिमांड भर दिये गये पर आज भी लोगों को यह ज्ञान नहीं है कि इस स्कीम का क्या है; इसका न तो कोई डाइरेक्शन है न कोई इसका टारगेट है, जनता को बिलकुल गुमराह कर रखा है। मैं यह सोचता हूं कि इस स्कीम को वापस शुरू करना चाहिए और केन्द्र सरकार से और पैसा लेना चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट स्पीच के अन्दर बोला था, पहली बार पिछले साल में जब सरकार नयी आयी थी कि हमारे कार्यकाल में बिजली में एक भी पैसा नहीं बढ़ायेंगे। क्या किया, इस बजट में क्या किया ? शहरों में 10 परसेंट सरचार्ज कर दिया। अपना जो वादा किया था वह वादा तोड़ दिया। इसी विधान सभा में आप उनकी पहली बजट स्पीच सुनिए, कहा कि हम बिलकुल टैरिफ़ नहीं बढ़ायेंगे ...(व्यवधान) आप बजट पढ लीजिए, उसमें था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ायेंगे। यह स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि किसानों की है या डोमेस्टिक है। आप पढ़ लीजिए, आप मुझे गलत साबित कर सके तो आप मुझे बताइए, मैंने तो पूरा देखा है। उसके अलावा उन्होंने लीपापोती कर के बेवकूफ और बना दिया। सभापति महोदय, बेवकूफ कैसे बनाया कि यह रेट लागू होगी जो 100 यूनिट से ज्यादा कंज्यूम करता है।

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

कितने उपभोक्ता हैं जो 100 यूनिट से कम कंज्यूम करते हैं? बहुत ही कम। एक और बेवकूफ बनाया कि यह जो पैसा है वह सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जायेगा, स्ट्रीट लाइट पर लगाया जायेगा, सड़कों पर लगायेंगे। कहने का मतलब है जो दूसरा बजट है उसको तो हम डवटेल कर देंगे और बिजली के सरचार्ज के नाम से लेकर हम करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा । बिजली की दरों की जब आप बात करते हैं, अभी कई लोग गवर्नर के भाषण पर बोले, मुख्य मंत्रीजी के बजट स्पीच पर पिछली साल भी बोले कि इस सरकार ने बिजली में कुछ नहीं किया, जनरेशन तो सब हमने किया। सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जनरेशन जितना भी हुआ है 1998-2003 तक जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने जो टोटल बिजली का प्रोडक्शन किया वह है 1371 मेगावाट। (व्यवधान)... 1,371 मेगावाट ही किया था। आप आंकड़े देख लीजिए पिछले आपके कार्यकाल के। हमारे कार्यकाल में 1,000 मेगावाट हमने प्रोडयुस कर दिया था और स्पिल-ओवर प्रोजेक्ट साढ़े तीन हजार मेगावाट हम छोड़कर आये हैं जिनका फीता आप अब काट रहे हो। पावर प्रोजेक्ट में, साहब, 3-4 साल लगते हैं। हमने आपको कम से कम नींव मजबूत दे दी है। बहुत खुशी की बात है मुख्य मंत्रीजी बहुत बड़ी-बड़ी स्कीम राजस्थान में और ला रहे हैं, जिस दिन वे चालू होंगी आपका बहुत बढ़िया काम होगा पर यह मत बोलिए। हमने तो आपको पुरसी हुई थाली दी, एक मजबूत नींव दी उस पर आप बड़ा मकान बनायेंगे। राजस्थान का सौभाग्य है, यह मैं नहीं कह रहा हूं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करो।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): हमारा जो टेंथ फाइव ईयर प्लान था उसमें हमने पूरा कम्प्लीट किया।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): साहब, ओपनिंग बैट्समैन हैं।

श्री सभापति: हुकुम, 43 बैट्समैन हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): दो मिनट और लूंगा साहब, दस मिनट ही तो बोले हैं। हमारा जो टेंथ फाइव ईयर प्रोग्राम था उसमें केवल तीन प्रदेश थे जिन्होंने बिजली का अपना टारगेट पूरा किया था और वह हमारी सरकार थी जिस टाइम हुआ था। इलेवन फाइव ईयर प्लान में भी हम हाफ-वे-

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

थ्रू-द-प्लान 70 परसेंट टारगेट आपका अचीव हो जायेगा। कितने प्रोजेक्ट आपने डिले कर दिये, आपके सूरतगढ के प्रोजेक्ट के रोटर ब्लेड ही टूट गये; 8-10 दिन चला उसके रोटर ब्लेड ही टूट गये। आज आपके छबड़ा में आग लग गई, आपका जो छबड़ा नंबर वन है वह 50 परसेंट कैपेसिटी पर चल रहा है, छबड़ा टू अभी तक चालू ही नहीं हुआ। आपके ये सब प्रोजेक्ट डिले हो गये हैं।

आखिर में मैं एक बात और कहूंगा, सभापति महोदय, कि बिजली की दरों में अगर कमी लानी है तो दो ही तरीके हैं। अपना जनरेशन बढाओ ताकि बजाय 9-10 रुपये की बिजली के आपका खुद का प्रोडेक्शन होवे 3 रुपये में, और दूसरा चोरियां रोको। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जब 2003 में हम आये थे, राजस्थान का रिकार्ड था, चोरी 43 परसेंट हमने इंहेरिट किया और उसको हम 26 परसेंट पर ले गये। विभाग के आंकडे मेरे पास पड़े हुए हैं। आप लोग कहते हो कि हमने टी एण्ड डी लास कम किया आप अपने पैपर्स में बता रहे हैं, आपका टी एण्ड डी लास है 25 परसेंट। 26 परसेंट तो हमारे टाइम में ही था; 43 से हम उसको लाये 26 पर, तो सवा साल में क्या आपने एक प्रतिशत ही घटाया? बहुत दुःख की बात है।

आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि टी एण्ड डी लासेज को कम लाना चाहिये। गांवों को हमने एक फायदा दिया था कि जो भी गांव 25 परसेंट कम चोरी लायेगा उस गांव को हम 24 घंटे बिजली देंगे, यानी कि 20 घंटे बिजली। सभापति महोदय, पांच हजार गांव थे जहां 20 घंटे बिजली आती थी, हम पांच हजार से उसको 36 हजार तक ले गये और आपके दस हजार गांव भी नहीं है जहां पर आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है।

आपने बोलने का मौका दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, लोहावट से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप भेदभाव कर रहे हैं। यह पहले भी हमारे पड़ोसी थे जब मैं भोपालगढ में था और अब ये हमारे गोद में आ गये हैं लोहावट में। हम आपसे कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। आप तो खुद अपनी जगह छोड़कर आये हैं नागौर और छोड़ी हुई जगह डूंगर बराबर।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): आप भी तो गुढामलानी से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, साहब।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि नागौर फर्स्ट फेज के लिये 2010-11 के प्रावधान में 65 करोड़ रुपया आया है और पुरानी स्कीम को एन आर डी डब्ल्यू पी की नवीन गाइडलाइंस के तहत रिकास्ट कर के जितना भी पैसा होगा, सिस्टेमेटिक तो वहीं से चलेगा, पहले फर्स्ट फेज होगा, सेकंड फेज होगा।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): बस, आपकी छाया पड़नी चाहिये, आपके पड़ोस में हैं। यही निवेदन है आपसे और तो क्या बोलेंगे।

श्री सभापति: श्री रघु शर्मा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, अकाल, पानी व बिजली ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं।

यह पूरा सदन अच्छी तरह से जानता है कि भौगोलिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो राजस्थान देश का 10 प्रतिशत भू-भाग कवर करता है और पानी की दृष्टि से अगर हम देखें तो उपलब्धता हमारे पास एक प्रतिशत है। सदन में आज चर्चा हो रही है, आपकी गलती क्या है, हमारी गलती क्या है, इस सदन को राज्य के हित में सैद्धांतिक रूप से एक बात मान लेना चाहिये कि पानी जैसे मुद्दे पर अगर गलतियां इधर से हों और गलतियां उधर से हों, यह गलती प्रदेश बर्दाशत नहीं कर सकता। यह आपराधिक कृत्य की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिये, सभापति महोदय, क्योंकि लैप्सेज आज भी हैं, लैप्सेज आपके टाइम में जो थे वह मैं अभी आपके नजर करूंग।

अभी कटारिया साहब बहुत लंबी-लंबी बातें कर रहे थे। मैं उनका सम्मान करता हूं, हर बार कहता हूं उनको, वे इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत आवेश में आते हैं और आवेश में आकर आरोप भी लगाते जाते हैं और यह भी कहते जाते हैं कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। सवाल यह है कि अगर इस सदन में बहस हो तो सच्चाई के आधार पर बहस होनी चाहिये, तथ्यों के आधार पर बहस होनी चाहिये। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और हमारे जल संसाधन मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस एक प्रतिशत पानी के बारे में सरकार ने यह सोचा कि कोई जल नीति आनी चाहिये। डिस्ट्रिब्यूशन की प्रोब्लम होती है, कई तरह की दिक्कतें होती हैं। कहीं ज्यादा पानी मिल रहा है, कहीं कम पानी मिल रहा है । सबसे पहले तो आपने जल नीति बनाई इसके लिये मैं आपका आभारी हूं, सरकार का आभारी हूं। दूसरा, आपने राज्य योजना मद में 1,231 करोड़ रुपये

(डा. रघु शर्मा)

और सी एस एस में 284 करोड रुपये और आपदा राहत निधि में 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया इसके लिये भी, क्योंकि यह सरकार की सोच इंगित करता है कि पेयजल जो समस्या है जो पूरे प्रांत की समस्या है, गांव-गांव में आज पानी की किल्लत है, यह बात सब जानते हैं। सरकार में बैठे लोग भी जानते हैं, सामने बैठे हुए लोग भी जानते हैं। इसलिए आपने इसमें पर्याप्त धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया। दूसरी एक खुशखबरी है, मैं हमारे केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी, सी.पी. जोशीजी को इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आरोप माननीय तिवाड़ी साहब ने लगाया पिछली बार कि 508 करोड़ रुपये हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के काट लिये वे भी उन्होंने वापस जारी कर दिये। तो करीब 1,100 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत राज्य को फिर से मिल जायेगा, तो एक तरह से, पानी की चुनौती से निपटने के लिये सरकार ने ध्यान केंद्रित किया, केन्द्र सरकार ने मदद की यह सब तथ्य सामने हैं।

अब स्थिति यह है कि हर तरफ से शोर मच रहा है, आप भी कह रहे हैं, हमारे सदस्य भी कह रहे हैं, पानी के मामले में यह वाकई प्रदेश में भीषण समस्या है। मुझे याद नहीं, अभी कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि कानून और व्यवस्था बिगड़ने का खतरा अगर आने वाले समय में पैदा होगा तो मैं भी यह मानता हूं कि पानी की समस्या को लेकर होगा। माननीय जल संसाधन मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, यह बात सही है कि आपको यह काम सम्भाले हुए, हमारी सरकार को आये हुए मात्र 15 महीने हुए हैं। हमको पिछले 5 साल में यह जो विरासत में बिगड़ा हुआ ढर्रा मिला, माननीय सभापति महोदय, उसकी कहानी भी सदन में आनी चाहिए, वह भी एक गम्भीर आपराधिक कृत्य था और वह क्या कृत्य था, उसको मैं माननीय तिवाड़ी साहब की मौजूदगी में इस सदन के अन्दर रखना चाहूंगा। करीब 6 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि को भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में इनकी सरकार ने यहां खर्च किया। माननीय सभापति महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य यहां विराजमान हैं, इनके दोस्त हुआ करते थे तत्कालीन जल संसाधन मंत्री, एक शब्द नहीं बोला इन्होंने, रोका नहीं उनको। हमने योजना बनाई (व्यवधान) सुन तो लीजिए। आपणी योजना, अपनी योजना बनवाई, चूरू के तारानगर के लिए और सरदारशहर तहसील के 681 गांवों और 2 कस्बों को 24 घटे पानी देने की योजना हमने बनाई। अब उस योजना का हश्र क्या हुआ,

(डा. रघु शर्मा)

कैसे वह योजना फ्लाप हो गई, कैसे हुई, आपके जमाने में हुई और कैसे हुई, वह बता रहा हूं आपको। सस्ती लोकप्रियता के कारण पहले फेज में बिना क्षमता को बढ़ाए चूरू-बिसाऊ योजना के 100 गांव 3 शहर और अंधेलीसाहबा और राजगढ़ बूंगी के 73 गांवों को उसमें शामिल कर दिया गया और....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह 2003-04 का आपका ही कृत्य है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपका ही कृत्य है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कागज पकड़ा दें और बोलना चालू कर दें ...(व्यवधान) कागज पकड़ा दें और बोलना चालू कर दो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप बहुत ज्ञानी हो, मैं जानता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरे को मालूम है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): लेकिन जो दुर्दशा आपके टाइम में हुई है, 32 हजार अवैध कनेक्शन कर लिये और आपकी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। यह हमारे टाइम की बात है? हमने तो यह योजना बनाई थी। आपके खुद के इलाके के लोग प्यासे मर रहे हैं और यह आपराधिक कृत्य आपकी सरकार के रहते हुए हुआ। आप बताइये कि क्या आपकी बी जे पी की सरकार के रहते हुए राजस्थान में 6,681 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई कि नहीं हुई? (व्यवधान) चलिये, आप खड़े होते रहो, मैं बोलता रहता हूं। 6,681 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई कि नहीं हुई आपके टाइम में? उसमें से आपने जो राशि खर्च की वह राजस्थान की आधी जनता के साथ अन्याय किया आपने। अगर यह पैसा राजस्थान के तमाम जिलों में बराबर खर्च किया होता क्योंकि पानी, अभी बोल रहे थे खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य कि पानी की जरूरत आपको ही नहीं, पानी की जरूरत विपक्ष के लोगों को भी होती है, यह आंकड़े आपके जो मेरे पास हैं, आंकड़े आप भी कहीं से लाते हो, आंकड़े कहीं से मैं भी लाता हूं, आंकड़े असत्य नहीं होते, माननीय। आंकड़े आपके कार्यकाल के हैं, चुभते हुए आंकड़े हैं और यह बात सदन के अन्दर लाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि राजस्थान में पांच साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 6,681 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई और आपने कितने जिलों को पैसा बांट दिया और जिन जिलों में वह पैसा बांटा-वहां की हकीकत भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, गलत हो तो बोल देना आप लेकिन मैं आज कहना

(डा. रघु शर्मा)

चाहता हूं कि आपकी गलत नीतियों के कारण यह जो समस्याग्रस्त जिले हैं बाड़मेर, पाली, दौसा, जालौर और भीलवाड़ा, बिलकुल नेग्लेक्ट कर दिया गया इन जिलों को आपकी तत्कालीन सरकार के समय। पैसा खर्च हुआ 6681 करोड़ रुपये, इस बात पर कोई पश्चाताप है आपको ? आप बार-बार यहां खड़े होते हैं सदन के अन्दर। यह सच्चाई....

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): बीत चुका जो सपना है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय देवी सिंहजी भाटी साहब, मैं आपका बहुत आदर करता हूं लेकिन ये बीच-बीच में टोकते हैं मेरे मित्र, मुझे अच्छा नहीं लगता। जो सच्ची बात है वह सदन में आनी चाहिये। आप बता दीजिए, जयपुर शहर का किस्सा है, 6 महीने तक तिल-तिल करते हुए लोग मरते रहे, सीवरेज का पानी पीते रहे और आपके जलदाय विभाग के मंत्री....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): परसों इस जयपुर में क्या हुआ? (व्यवधान) शांति देवी कौन थी? परसों ही हुआ है। यह कैसे बोल रहे हो?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सुनिये, एक केस है। सुनिये, सुनिये, धीरज रखिये आप थोड़ा। आलोचना करने का माद्दा रखते हो तो आलोचना बर्दाश्त करने की क्षमता भी पैदा करो। मैं यह कहना चाहता हूं, 6 महीने लगातार, यह तो एक दिन का किस्सा बता रहे हो आप। 6 महीने लगातार राजधानी जयपुर में आपकी सरकार की नाक के नीचे तिल तिल करते हुए लोग मरते रहे, दम तोड़ते रहे, उनके तरह-तरह की बीमारियां हो गईं, सीवरेज लाइन का पानी पिला-पिलाकर आपने सैकड़ों लोगों को राजधानी के अन्दर मौत के घाट सुला दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किस मुंह से बात कर रहे हो? (व्यवधान) राजस्थान के हाई कोर्ट ने आपकी सरकार के लिए क्या कहा है, गैलेरी में बैठे आफिसर्स से पूछ लो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप विराजो।

श्री सभापति: आपस में क्यों कर रहे हो?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, वे इंटरप्शन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: ऐसे आपस में नहीं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैंने तो अभी शुरू ही किया है, मैं बिजली पर आऊंगा, मैं अकाल पर आऊंगा तो क्या आप कपड़े से बाहर ही आ जाओगे?

(डा. रघु शर्मा)

(व्यवधान) यह क्या तरीका है? आप बोलते हैं हम आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करते। कम से कम आप बोलने दीजिए, आप बहुत सीनियर हैं। यह व्यक्तिगत बात सरकार की बातें हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब पत्रकारों ने इनके मंत्री महोदय से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, खून और पानी सरकार नहीं बनाया करती है और जो आएगा सो जाएगा। यह गैर जिम्मेदाराना बयान आपकी सरकार के तत्कालीन मंत्री ने दिया और खामोशी से आप सब सुनते रहे। (व्यवधान) आज एक बात और बताऊं। हमने पंचायत राज को अधिकार दिया जब हम सरकार में थे, पिछली बार, हमने हैंड पम्प ठीक करने का जिम्मा पंचायत राज संस्थाओं को दिया और हैंड पम्प पंचायतों में एवेलेबल भी हैं। वे अधिकार आपकी सरकार ने छीन लिये। आज उसकी वजह से....(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इस सरकार की बात करो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बिरलाजी, जब आप बोलते हैं मैं कभी नहीं टोकता। मेरा बोलने का अधिकार मत छीनिये। सुनने का माद्दा रखो, मेरे भाइयों। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा ।

आपने अधिकार छीना, पंचायत राज के अधिकार छीने जब, वह हैंड-पम्प मिस्त्री का अधिकार जो आपने छीना उससे गांव-गांव में आज लाखों की संख्या में हैंड-पम्प खराब पड़े हैं, उनकी रिपेयरिंग का काम रूक गया। और बताऊं, आपने जाते-जाते जो आपराधिक कृत्य किया, उसको आपको बताऊं, कि बजट था ही नहीं और 15,558 करोड़ रुपये की योजनाएं आपने स्वीकृत कर दीं, प्रशासनिक स्वीकृति के नाम पर। वोट लेने के नाम पर, वोट खरीदने के लिए एक जघन्य अपराध किया गया इस राजस्थान की धरती पर। फिर भी राजस्थान की जनता ने आपको वोट नहीं दिया, यह आपका दुर्भाग्य है। आपकी सरकार ने 15,558 करोड़ रुपये की राशि...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, यह आपको संबोधित करें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बैठो, लंकेश।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपको संबोधित करके कहें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): लंकेश-लंकेश।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपको कहने का हक नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): लंकेश, आपकी जय हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मेरी तो जय हो...(व्यवधान) आपकी जय हो। आपमें कोई राम नहीं है। (व्यवधान) लंकेश भारी हूं अकेला ही। मैं डेढ़ महीने से चुप बैठा हूं। सभापति महोदय, आपको एड्रेस करें, आपको बात करें, आपकी तरफ संबोधित करके, इधर नहीं करें। आप इंटरप्शन खुद पैदा कर रहे हो। आपके लिए लंकेश अकेला ही भारी है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं मान रहा हूं, साहब। आपकी क्षमता को कौन चुनौती दे सकता है? मैं आपकी क्षमता से वाकिफ हूं। आप टेबल पर भी चढ़ सकते हैं, आप सदन से भी निकाले जा सकते हैं, आपको आपकी पार्टी भी निकाल सकती है। मैं आपकी क्षमता से वाकिफ हूं। लंकेश, बहुत महान हैं आप। (व्यवधान)

मुख्य अभियन्ता इनके जो तत्कालीन सरकार में थे उन्होंने मिलकर 1,200 करोड़ रुपये के बिना बजट के कार्यों की स्वीकृति जारी कर दी। (व्यवधान) माननीय, आप बीच-बीच में फिर टोक रहे हैं, मैं आपकी सरकार के टाइम की चर्चा कर रहा हूं। आज कौन कहां है, इसकी बात करेंगे तो अलग बात हो जाएगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में दोनों आमने-सामने.. (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं कहां बोल रहा हूं, माननीय सभापति महोदय? सामने से इंटरप्शन हो रहा है। (व्यवधान) एक उदाहरण, आप नाराज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पन्ने रंगे पड़े हैं; वैसे तो पन्ने रंगे पड़े हैं, माननीय तारानगर से आने वाले सदस्य, लेकिन एक चीज और बोल देता हूं थोड़ी सी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा जब-जब नाम लेंगे, मेरा अधिकार है सदन में मैं उन बातों को स्पष्ट करूं। मेरा जब-जब नाम लेंगे, मैं खड़ा होऊंगा, फिर आप मुझे मत टोकना। (व्यवधान) मेरा अधिकार है, फिर I will be on points-of-clarification.

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): एस एस पाइप फैक्टरी को इन्होंने....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह पूरा सदन जानता है कि यह अभी

(श्री सभापति)

बोलेंगे और उठकर आपके पास आकर चर्चा करेंगे; आप इधर से उठकर उधर, पूरा सदन जानता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह एक रंगमंच है, इस रंगमंच का पर्दा गिरने के बाद सब एक हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): एस एस पाइप क्रय करने के लिए, सभापति महोदय, इन्होंने एक कम्पनी को निर्धारित कर दिया कि टेंडर जो भी भरेगा पाइप उसी कम्पनी से लेगा। अब यह बताऊं कि वह किसकी फैक्टरी थी? नाम बताऊं क्या? किसी प्रतिभा इंडस्ट्रीज को चुना गया, सुनिये आप, प्रतिभा इंडस्ट्रीज को चुना गया और उसके बाद कम्पीटिशन खतम कर दिया आपके यहां कि जो भी लेगा कम्पलसरी इससे लेगा और उसके बाद यह बी.एस.एल., भा.ज.पा. के बड़े नेता के परिवार से सम्बन्धित एम.एस. पाइप की फैक्टरी लगी। उसके बाद लगी है, यह शर्त लगाने के बाद और फिर लगातार वहां से पाइप लेते रहे। दूसरी बात... (व्यवधान) एक वीरपाल सिंह एम.पी. थे, उन्होंने तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी को जो चिट्ठी लिखी थी। (व्यवधान)

अच्छा माननीय सभापति महोदय, मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं। 79 टंकियां बना दीं, उप नेता महोदय, हमारे यहां और वे 79 टंकियां भारतीय जनता पार्टी के स्मारक के रूप में खड़ी हैं आज वहां अजमेर जिले में, भारतीय जनता पार्टी के स्मारक के रूप में खड़ी हैं। सुन लीजिये, सुन लीजिये, कोई टंकी ...(व्यवधान) मेरी सुन लीजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 15 महीने हो गये आपकी सरकार को। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सुनिये। माननीय सभापति महोदय, मैं तो मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह घोटालों का पुलिन्दा भारतीय जनता पार्टी के शासन का, मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, जलदाय मंत्रीजी को देना चाहता हूं। आप सदन में जब जवाब दो, आप एक कमेटी, उधर के और इधर के विधायकों की बना दो क्योंकि यह राजस्थान की जनता का पैसा है, गाढ़ा पैसा, जिस पर बात-बात पर ये चिन्तित होते हैं, सामने बैठे हुए लोग। अगर इतने बड़े गम्भीर आपराधिक कृत्य इस धरती के ऊपर हो जाएं, एक नहीं है, यह 20 पेज का पुलिन्दा है, नजर करूंगा आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किसको धमका रहे हो? सरकार लिये बैठे हो, किसको धमका रहे हो? कराओ जांच, हिम्मत हो तो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): विराजो, विराजो। सभापति महोदय... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बिना प्रूफ के आरोप लगा रहे हो। यह किसको धमका रहे हो? कराओ जांच हिम्मत हो तो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कराएंगे, बिलकुल कराएंगे। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, सरकार बोल रही है, भ्रष्टाचार में लिप्तता का एक प्रकरण बताओ। किसने रोका है आपको? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह पुलिन्दा दे रहे हो। यह पुलिन्दा रोज पढ़े हैं, 15 महीनों के अन्दर। 5 साल करते-करते, यह काला चिट्ठा बनेगा पूरी सरकार का। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे हैं और ये व्यवधान पैदा कर रहे हैं। कृपया आप व्यवस्था बनवाएं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, मैं यह जानता था अच्छी तरह से कि सच्चाई कितनी कड़वी होती है और कड़वा सच कोई सहन करने को तैयार नहीं है। मैंने तो सीधे एक ही बात कही है। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, टाइम का सबका ध्यान रखना, इतना टाइम मुझे भी देना।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, मैं तो जलदाय मंत्रीजी से आपके माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं टेबल कर दूंगा यह सारी चीजें। (व्यवधान) सुनो, आप मेरा एक निवेदन सुन लीजिये। (व्यवधान) विधायकों की एक कमेटी बनाने की आप घोषणा कर दें ताकि यह जांच हो जाए क्योंकि मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में 18 टंकियां खड़ी हैं। जब से मैं विधायक बना हूं। लोग पूछते हैं, इनमें पानी अगर भर देंगे टंकियों में तो हादसा हो जाएगा कोई न कोई। वह सब-स्टेंडर्ड टंकियां बनीं और वे 18 की 18 टंकियां ताबूत के रूप में आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खड़ी हैं। माननीय सभापति महोदय, इसलिये यह बहुत जांच का विषय है। जब हम कहते हैं कि पानी गम्भीर प्राब्लम है राजस्थान के लिये, आप भी चिन्ता करते हैं तो पानी जैसे महकमे में इतनी जब अनियमितताएं हों और उन पर हम बोलें नहीं, उन पर

(डा. रघु शर्मा)

अगर जांच नहीं हो और उनमें चर्चा नहीं हो सदन में तो वह भी एक अक्षम्य अपराध है और उस अपराध में जो माननीय सदस्य मुझे इंटरवीन कर रहे हैं, मैं समझता हूं, उनको पड़ना नहीं चाहिए।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में 1960 से, माननीय सभापति महोदय, पाइप लाइन है केकड़ी शहर में। 50 साल हो गये, 50 साल में पाइप लाइन नहीं बदली है वहां। पिछली बार भी गम्भीर पीलिया का रोग वहां फैल गया क्योंकि सीवर लाइन से कहीं-कहीं वह पाइप लाइन जुड़ गई, कहीं-कहीं ब्लाकेज हैं। पानी की सप्लाई बिलकुल बाधित हो रही है। माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बार कोई गम्भीर हादसे का रूप न ले ले यह। यह 50 साल पुरानी पाइप लाइन है, उसको बदलने के लिये सरकार पहल करे, आपका विभाग पहल करे। मैं बार-बार पिछले डेढ़ साल से आपके नोटिस में ला रहा हूं। मेरे पूरे क्षेत्र के अन्दर जगह-जगह सीमेंट की पाइप लाइनें, माननीय सभापति महोदय, लगी हुई हैं और उनमें जगह-जगह तोड़फोड़ हो गई, लीकेज हैं, पानी वेस्ट हो रहा है। मैंने एक बात साफ बताई, जलदाय मंत्रीजी को कि जितनी समस्या पानी की अवेलेबिलिटी की है उससे ज्यादा समस्या डिस्ट्रिब्यूशन की है और मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि आपके विभाग के अधिकारी उस डिस्ट्रिब्यूशन के काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं और उसी की वजह से आज जगह-जगह अवैध कनेक्शन हैं पूरे इलाके में। मैंने 15 महीने पहले कहा था, अभी फिर नाराज हो जाएंगे राठौड़ साहब कि जिसकी सल्तनत हो, वह कितने बड़े-बड़े कारनामे अंजाम दे सकते हैं, उसका उदाहरण मंत्री महोदय को मैंने बताया था। आज भी आपकी सरकार के मंत्री महोदय के खेत में पानी जा रहा है, फसल लहलहा रही है और मेरे इलाके के लोग प्यासे मर रहे हैं। किसको दोष दूं मैं?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): कार्यवाही नहीं कर रहे हो, आपको तो शर्म आनी चाहिए। सरकार में आप लोग बैठे हो और आप कार्यवाही नहीं करवा रहे हो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात नोटिस में लाया हूं। माननीय मंत्रीजी के नोटिस में लाया हूं सरकार के नोटिस में लाया हूं, विभाग के अधिकारियों के नोटिस में लाया हूं। जगह-जगह अवैध कनेक्शन...

(डा. रघु शर्मा)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं बोलूंगा अभी, बिजली पर भी बोलूंगा और अकाल पर भी बोलूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखो आप। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हमारे माननीय सदस्य भी बोलेंगे। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हमारी पार्टी का टाइम जा रहा है, सभापति महोदय, यह क्या? (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): सभापति महोदय, मेरा भी समय माननीय सदस्य को दे दिया जाए।

श्री सभापति: विराजिये तो सही आप।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, कंटिंजेंसी में अभी डेढ करोड़ की राशि पूरे इलाके के लिये चाहिए और जितनी पाइप लाइन हैं उनको बदल दो आप।

एक आपने 1500 की आबादी के नीचे के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ रखा है। वहां पर पानी जलदाय विभाग के द्वारा पहुंचाने की, हैंड पम्प के थ्रू नहीं, पाइप लाइन के थ्रू, कोई व्यवस्था करने की आप कृपा करें और अवैध कनेक्शनों पर तुरन्त पाबन्दी लगाएं। आपके विभाग में अधिकारी नहीं हैं मेरे इलाके में। मैं जब से विधायक बना हूं, मैंने बार-बार आपको कहा। आपने दो महिलाओं को भेज दिया। ऐसा रिमोट एरिया जहां 50 हजार एस.सी.-एस.टी. के लोग रहते हों, गांव दूर-दूर पड़ते हैं, तीन सौ किलोमीटर का एरिया है, वहां नई-नई महिलाओं को भेज दिया, मंत्री महोदय ने। मैं चाहता हूं, किन्हीं अनुभवी लोगों को वहां भेजो। दूसरी बात, 300 गांवों के इस पूरे एरिये में सौ किलोमीटर के रेडियस में एक भी साधन नहीं है आपके विभाग के पास। तो यह जलापूर्ति होगी कैसे?

इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर हमारे पास परम्परागत स्रोत, माननीय सभापति महोदय, कुछ सुझाव हैं, वह सदन के भी काम आएंगे, राज्य के भी काम आएंगे। यह बीसलपुर का बांध जो बना, यह बना था बेसिकली अजमेर की प्यास बुझाने के लिये और उसके बाद में हमने इसको... (व्यवधान) हां, टोंक। उसके बाद हमने इसमें जयपुर को भी जोड़ दिया। अब

(डा. रघु शर्मा)

हालत यह हो गयी, न जयपुर को पानी मिल रहा है, न अजमेर को पानी मिल रहा है। 3-3, 4-4 दिन में पानी की सप्लाई हो रही है अजमेर के अन्दर। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र, उसमें बीसलपुर बांध की टेल पर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है पूरा, आपका पम्प हाउस भी मेरे इलाके में पड़ता है, बनास नदी भी मेरे इलाके में है, जहां से यह पानी आता है, बनास से, खारी नदी भी मेरे इलाके के अन्दर है, उसके बावजूद भी मेरा इलाका प्यासा है। हम, जब बाँध नहीं बना था तब भी पानी पीते थे। सभापति महोदय, वह जो परम्परागत स्रोत है, पुराने जमाने के आप बीसलपुर के कैचमेंट एरिया के अन्दर पूरी बोरिंग करवायें, वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी होगी। बनास नदी के कैचमेंट में आप बोरिंग करवाएं और पूरे अजमेर जिले की प्यास बुझाएं। इसकी कार्ययोजना आज अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो आने वाले तीन महीने में यह स्थिति पूरे अजमेर जिले के लिये भयावह होगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, विभाग के अधिकारियों को भी मालूम है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बोलने दें, माननीय सभापति महोदय, बोलने दें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हां, हां, इनका भी टाइम इनको दे दें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): एक अकाल की बात है, एक तो पानी इसमें कवर हुआ कि गम्भीर अकाल की स्थिति है, पेयजल की आप टैंकरों से व्यवस्था कर रहे हैं। टैंकरों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी आने वाले समय के अन्दर, उसकी बढ़ाने की बात करनी पड़ेगी। जहां-जहां हैंडपम्प, जहां-जहां पानी अवेलेबल है, बोरिंग की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, 27 जिलों में अकाल है, 30 हजार गांव और उन अकालग्रस्त गांवों के अन्दर अगर नरेगा के भरोसे आप छोड़ना चाहते हैं तो हम आपको उनको छोड़ने नहीं देंगे। हमने यह वादा किया है कि नरेगा के सौ दिन जो लोगों को मिल रहे हैं काम करने के लिये, वह तो मिलेंगे ही मिलेंगे लेकिन उसके अलावा, उन सौ दिनों के अलावा पूरे अकाल के दौरान जब तक नया मानसून आता है तब तक अकाल राहत के काम हम सरकार से चलवाना चाहते हैं।

(डा. रघु शर्मा)

और एक बात बतायें, हमने आरोप लगाया था सामने बैठे हुए लोगों के ऊपर, यह बात याद करने की है क्योंकि यह अपराध इन्होंने भी किया था, इन्होंने अकाल राहत का जो पैसा नेचुरल कैलेमिटी फंड का हर राज्य को मिलता है उस पैसे का उपयोग कहीं और किया और नरेगा से निपटा दिया राजस्थान के अकाल को। आप वह काम मत करना। जो पैसा हमको नेचूरल कैलेमिटी रिलीफ फंड से मिलता है, उस पैसे से अकाल राहत के काम शुरू करवाओ। आपने जब राजस्थान में अकालग्रस्त गांव घोषित किये, सर्वे हुआ होगा, कोई ज्ञापन तैयार करवाया होगा न; जब आप, मंत्रीजी, जब आप इस बहस का उत्तर दें तो मैं उनसे चाहूंगा कि आपने कितने करोड़ रुपये की राशि केन्द्र सरकार से मांगी, कितनी राशि आपको यह कैलेमिटी रिलीफ फंड से मिल रही है, आपके पास कुल कितनी जमा पूंजी है जिसके आधार पर आप राजस्थान के भीषणतम अकाल का मुकाबला करना चाहते हैं, इस बात की सदन को जानकारी दें।

दूसरी चीज, आप न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करें। आज अपने उत्तर में आप बतायें कि यह तो हम कम से कम पैसा देंगे राजस्थान के मजदूरों को, यह कितने दिनों में, क्या मोड आफ पेमेंट करेंगे आप, क्या आपका माध्यम होगा क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। आज कांग्रेस सरकार की साख, गहलोत सरकार की साख अकाल राहत के प्रबंधन के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। पूरे देश में तारीफ की है। (व्यवधान) और आहा, आहा, क्या? दो-दो साल तक लोगों ने गेहूं खाये हैं हमारे पिछले प्रबंधन में। मैं यह चाहता हूं कि आप ट्रांसपेरेंसी, अकाल राहत के कामों में ट्रांसपेरेंसी कैसे आये; समय पर भुगतान हो, पूरा भुगतान हो, बैंकों के माध्यम से करोगे कि कैसे करोगे; पिछली बार समय घटाया था भीषण गर्मी में, समय भी घटाने का इरादा रखते हैं या नहीं रखते हैं; श्रमिक सीमा क्या होगी; सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पांच हजार की आबादी का गांव है, दस हजार की आबादी का गांव है और आप 100 200 लोगों को लेबर को देंगे तो वहां झगड़े हो जाएंगे गांवों के अन्दर। तो लेबर की सीमा प्रति गांव, प्रति पंचायत के हिसाब से आप निर्धारित करके रखेंगे तब लोगों को हम बचा पाएंगे।

दूसरी बात, यह जो बी, सी, डी ग्रेड की जो नगरपालिकाएं हैं, इसमें आप एक अप्रेल से शुरू कर रहे हैं, 100 श्रमिक दे रहे हैं, यह श्रमिक सीमा दो-ढाई हजार होनी चाहिए। और भी बढ़ायें, और बढ़ायी जा सकती है।

(डा. रघु शर्मा)

इसके अलावा, चारा परिवहन पर जो अनुदान आप दे रहे हैं वह नाकाफी है। वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आप चारा परिवहन में जो अनुदान दे रहे हैं, उसको बढ़ाया जाए। उसके अलावा यह जो चारा डिपो खोलने के लिए आप पैसा दे रहे हैं पचास हजार रुपये, इस राशि में चारा डिपो नहीं खुल सकते। आप इसको कम से कम बढ़ाकर एक लाख रुपये करो प्रति चारा डिपो। दूसरा गो-शालाएं हैं, जगह-जगह अब इस मौसम में पशुओं को लोगबाग खुला छोड़ देते हैं और वे जाकर किसी न किसी गो-शाला में जाकर शरण लेते हैं। गो-शाला के अनुदान में वृद्धि करने का आप विचार रखो और उसमें कैटल फीड, चारा यह पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करे।

चारे की न्यूनतम दरें, क्योंकि अभी मैंने सुबह भी बोला कि चारे की दर कहीं आठ रुपये है, कहीं पर दस रुपये है, कहीं पर 15 रुपये है। यह चारे की दरें पानी की दरों से महंगी हो रही हैं। आप एक स्टेंडर्ड रेट पूरे राज्य के लिए कि यह मिनिमम प्राइस होगी, इस पर हम कैटल फीड उपलब्ध कराएंगे अकाल के दौरान, इसको सुनिश्चित करें। तो यह इन-इन बातों का माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से मैं जवाब चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं एक बिजली पर और बोलकर बस ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्या हुआ?

श्री सभापति: नहीं, अब समय हो रहा है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछली बार, जब वे राजस्थान के मुख्य मंत्री बने, सर्वाधिक ध्यान उन्होंने विद्युत उत्पादन पर दिया क्योंकि राजस्थान का विकास बिना बिजली उत्पादन के नहीं हो सकता, यह हमारी सरकार ने महसूस किया। अभी खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य कुछ कह रहे थे लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐतिहासिक बिजली का उत्पादन अगर किसी सरकार ने किया तो हमारी गहलोत सरकार ने किया 1998 से लेकर 2003 के बीच में और अब यह हमारा दूसरा बजट है, 12,434 करोड़ रुपये की व्यवस्था, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, हमने की है विद्युत उत्पादन के लिए।

(डा. रघु शर्मा)

पिछले बजट में और अबके बजट में टोटल जो बिजली का उत्पादन, यह फरवरी तक जो हो जाएगा वह 1,289 मेगावाट, यह फरवरी तक का है और मार्च में तो यह इसमें मार्च के एंड तक इसमें 945 मेगावाट और बढ़ जाएगा। मेरा कहना यह है कि जब 2008-09 का बजट आपकी ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपके टाइम की बताओ न।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वसुन्धराजी ने जो बजट पेश किया उसकी कापी मेरे पास है। 2008-09 में उन्होंने कहा कि दिसम्बर, 2003 की, 4,948 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 6,395 मेगावाट किया जा चुका है और वित्तीय वर्ष 2008-09 के अन्त तक 2,019 मेगावाट की वृद्धि कर दी जाएगी। अब, माननीय, जब हमने सरकार सम्भाली तो हमको टोटल, हर स्रोत से, निजी क्षेत्र से ले लो, हमारे अपने क्षेत्र से, टोटल बिजली कितनी मिली, जो आपने बजट भाषण में वसुन्धराजी से कहलवाया, उससे 1800 मेगावाट कम बिजली मिली। यह हर बार होता आया है। गजेन्द्र सिंहजी अभी बोल रहे थे, ...(व्यवधान) छोड़ दूं? छोड़ दूं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपकी सरकार का, मेरे सवाल का जवाब आया है, आपकी सरकार से मेरे सवाल का जवाब आया है, वह पढ़ दूं? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय, एक मिनट विराजो। आप आसन से, आप आसन से ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में 65 हजार कृषि कनेक्शन देने की किसानों को जो घोषणा की वह ऐतिहासिक घोषणा है और सरकार बनने के साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान के किसानों पर पांच साल बिजली के दाम हम नहीं बढ़ाएंगे, यह और दूसरी बात, एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार बिजली उत्पादन में आगे बढ़ रही है और दस हजार मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन का लक्ष्य लेकर हमारी सरकार चल रही है। कोई दिक्कत है आपको?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कोई दिक्कत नहीं है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कोई दिक्कत नहीं है न? आपने बिजली के

(डा. रघु शर्मा)

मामले में कुछ किया तो है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कुछ नहीं किया लेकिन जैसे कटारिया जी कह रहे थे, उनके हिसाब से तो हमने तो अपराध किया और इन्होंने बहुत अच्छे ही अच्छे काम किये। यह तुलनात्मक चार्ट सरकार बनाती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करो। माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप जब भी, चलो ठीक है, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंहजी रावत।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आपने बिजली, अकाल और पानी के ऊपर बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

अभी बिजली की समस्या पूरे राजस्थान में है। माननीय सभापति महोदय, मैं ब्यावर से आता हूं, ब्यावर में भी इसी प्रकार की समस्या है। सिंगल फेस की लाइट, अभी सरकार की वाहवाही करने के लिए, बहुत तारीफों के पुल बांध रहे थे लेकिन सिंगल फेस ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपके तो बीसलपुर से जुड़ा ही नहीं जवाजा पूरा ही। आपका मंत्री था, बहुत अत्याचार हुआ है आपके साथ। आप यह तो बोलो। मैं बोला हूं अभी, आप थे नहीं, मैंने बोला। जवाजा को प्यासा रखा भारतीय जनता पार्टी ने और एक भी गांव नहीं जुड़ा। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आप तो पानी पिला दो कम से कम। आप तो पानी पिला दो। आपके टाइम में तो पानी पिला दो।

सिंगल फेस लाइट, वहां पर बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, छात्र इतने परेशान हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में कि कहीं पर भी वे पढ़ाई नहीं कर सकते और शिक्षा को सरकार बढ़ावा देने जा रही है। यह कौनसा तुलनात्मक अच्छा काम कर रहे हैं? मैं समझ रहा हूं, यह बहुत घटिया काम है। माननीय बिजली मंत्रीजी विराजे हुए हैं, इस टाइम के अन्दर सिंगल फेस लाइट कम से कम 24 घंटे चालू रहनी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर बच्चे पढ़ाई कर सकें।

अभी बिजली के जो खम्भे लगाये जा रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय विराजे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिये, अभी बलाड़ गांव के अन्दर, मेरे ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में दो मौतें हो गईं। यह आपकी बिजली डिपार्टमेंट के कारण, गलती से हुई है क्योंकि खम्भे जो लगाते हैं, पूरी तरह से खम्भे को रोपते भी

(श्री शंकर सिंह)

नहीं हैं और खम्भे कहीं गिर जाते हैं, लगे हुए खम्भे गिरे हैं। बिजली के सपोर्ट में जो तान लगायी जाती है वह तान भी, उसके अन्दर जो इंसुलेटर लगाया जाता है बीच में, सेंटर में वह नहीं लगाने के कारण सब जगह पर, यह समस्या तो पूरे राजस्थान में है। माननीय मंत्री महोदय, जो भी नए खम्भे लगें, जहां भी हों तो उससे कोई करंट लगकर मरने की, मौत कम हो लोगों की और नहीं हो, इस प्रकार यह आपको सुनिश्चित करना है। आप जवाब दें, उस टाइम इस बात को जरूर ध्यान में रखें।

मंत्री महोदय, जवाजा पंचायत समिति में जिस प्रकार सब-स्टेशन लगाने के लिए, बड़ा खेड़ा में सब-स्टेशन और तारागढ़ में सब-स्टेशन लगाने के लिए साल भर से प्रयास कर रहे हैं, आपकी सरकार में अभी तक एक भी सब स्टेशन लगा नहीं और दोनों जगह पर बिजली देने के लिए, राजसमंद जिले में बिजली देकर फिर वहां उन पंचायतों को बिजली दी जा रही है, सात ग्राम पंचायतों को, वह अभी भी चालू नहीं हुआ है। कृपया आप उस कार्य को चालू करायें और इस प्रकार बिजली के कर्मचारियों के कारण जो मौतें होती हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसमें बिजली के इंसुलेटर लगायें उस ताण के अन्दर।

जिस प्रकार आज ब्यावर से बराखंड रोड जाता है, उस रोड के ऊपर पी.डब्ल्यू.डी. का रोड है, 10 फीट चौड़ा है, लेकिन जो भी बिजली के खम्भे लगा रहे हैं डिपार्टमेंट के, वे दो फीट की दूरी पर लगाये हैं, कौन उनको हटायेगा? आये दिन उनसे वहां एक्सीडेंट होते हैं। सामने से कोई बस आ गयी तो दूसरी बस उस जगह क्रोस नहीं हो सकती। एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को क्रोस नहीं कर पायेगी। इसी प्रकार से जो ठेकेदार वहां लगाये जा रहे हैं, उनको मालूम है, आप खम्भे हटायेंगे, कल लाइन को शिफ्ट करेंगे तो हमारा भी काम चलता रहेगा। ऐसी भ्रष्टाचार की दुकानें कम से कम बंद करनी चाहिये और ऐसे ठेकेदारों को दूर रखना चाहिये ताकि सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। यह गरीबों की बहुत गाढ़ी कमाई का पैसा है। माननीय मंत्री महोदय, इसका दुरूपयोग ठेकेदारों के माध्यम से नहीं होना चाहिये।

आज नरेगा के जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं वहां भी इस प्रकार के अधिकारी लगाये हुए हैं जिनमें बहुत लचीलापन है। कोई खेत वाला कहेगा, मेरे खेत के सामने न खोदकर थोड़ा रोड की तरफ खोद देना और रोड के ऊपर गड्ढे खोद दिये हैं। इससे वहां आने-जाने वालों को असुविधा हो रही है। आप

(श्री शंकर सिंह)

सरकार चला रहे हैं, आप प्रशासन चला रहे हैं, थोड़ा दम रखें और अधिकारियों को कहें। फिर आपका अधिकार क्या है? सड़क की सीमा जहां तक है, वहां तक काश्तकार क्यों मांग रहा है? यह बिलकुल अतिक्रमण है। अतिक्रमण सरकार जो कराने जा रही है, ऐसा अतिक्रमण सरकार नहीं कराये, मेरा आपसे निवेदन है।

अकाल के ऊपर अभी काफी लोगों ने बोल दिया है, अकाल में पर्याप्त मात्रा में वहां के मजदूरों को काम मिलना चाहिये। कहीं चालू ही नहीं हुआ, लोगों को लगाया नहीं गया। जहां पर भी लगाया है वहां पर मजदूरों की संख्या हर पंचायत में बढ़नी चाहिये। इस अकाल के अन्दर क्या इंसानों के ऊपर ही अकाल पड़ा है? माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। जानवरों पर भी अकाल पड़ा हुआ है। मेरे से पहले कई वक्ताओं ने इस बात को उठाया, मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि चारे के अभाव में, पानी के अभाव में जीवित पशु रोड के ऊपर तड़प-तड़पकर मर रहे हैं। वह इस सरकार के ऊपर पाप जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है इस पशुधन को बचाने के लिये सरकार को कुछ करना चाहिये। काश्तकार और पशुधन का एक दूसरे का चोली-दामन का साथ है। काश्तकारों की रीढ़ की हड्डी है तो पशुधन है। इसलिये पशुधन को बचाना बहुत जरूरी है। इस अकाल के अन्दर वह बद्दुआ दे रहा है कि आज अकाल हमारे ऊपर भी पड़ा हुआ है। तो उनको भी इस अकाल के अन्दर चाहे आप राशन की दुकानों के माध्यम से, जिस प्रकार चारा डिपो खोल रहे हैं, उन चारा डिपो के अन्दर आप प्रत्येक पशु के हिसाब से आप 50 किलो, 40 किलो, ऐसी कोई सीमा बांध देवें कि हम इतना चारा प्रत्येक पशु के ऊपर दे पायेंगे, आप उतना चारा दें और पशुधन के पानी के लिये प्रत्येक गांव में, छोटा गांव है तो एक टैंकर और बड़ा गांव है तो दो टैंकर पानी के वहां की खेली में भरवा देवें ताकि वे पशु जिंदा रह सकें और पशु पानी पी सकें। उन पशुओं को कोई पानी नहीं पिलाता है और वह तड़प-तड़पकर आपके राज में मर रहे हैं। उनकी आपको दया आनी चाहिये।

चारा डिपो आप आठ रुपये, दस रुपये, पन्द्रह रुपये, मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने और अभी केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, हकीकत को उजागर किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वास्तव में पीड़ा की बात उन्होंने बताई है। नि:शुल्क चारा डिपो खुलने चाहिये। माननीय सभापति महोदय, पशुओं को बचाने के लिये नि:शुल्क चारा डिपो खुलने चाहिये, क्योंकि इंसानों को बचाने के लिये तो आपने आटा पिसाना चालू कर दिया है।

(श्री शंकर सिंह)

चाहे गोदाम से वह सड़े हुए आवे, चाहे कहीं से आवे, उससे पेट भरेंगे लेकिन पशुधन कभी भी नहीं बोलता है, उसके लिये भी आपको व्यवस्था करनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य: पशु भ्रष्टाचार भी नहीं करता।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): पशु भ्रष्टाचार भी नहीं करता, यह बात भी हकीकत है।

अब पानी के मामले में मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, कि अकाल पूरे राजस्थान में पड़ा हुआ है, पानी की समस्या पूरे राजस्थान में है लेकिन राजस्थान के अन्दर ब्यावर शहर ऐसा है, जब-जब भी पानी के कोई बवाल हुए हैं तो ब्यावर में हुए हैं और सबसे ज्यादा त्राहि-त्राहि जो मची हुई है तो आज ब्यावर में है। मैं आपको बताऊं 1994 के अन्दर पानी कांड हुआ, 100 लोगों के ऊपर अभी भी केस चल रहे हैं और लाठीचार्ज में कई पत्रकार घायल हो गये। वहां की आम जनता के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, शहर के पूंजीपति और सारे व्यापारी भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। कई लोग उसमें फंसे हुए हैं। घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए और उनके ऊपर मुकदमे लगे। अभी आज मुख्य मंत्री हैं अशोक जी गहलोत साहब, ये उस समय मुख्य मंत्री नहीं थे, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे वहां पधारे और सबसे पहले अस्पताल में जाकर घायलों को सम्भालने का काम उन्होंने किया। जब ये पत्रकार वहां हाजिर थे, उन्होंने वहां फोटो लिये और यह घोषणा की। उसकी यह फोटो है पूर्व केन्द्रीय मंत्री, सभापति महोदय, मैं बता रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं, मेरे पास प्रमाण हैं। उस टाइम में घायलों को सम्भालने के लिये माननीय अशोक जी गहलोत साहब आये, हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री; उस टाइम में लिखा था पत्रकारों ने, पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद अशोक गहलोत, विधायक किशन मोटवानी तथा भाजपा नेता गुरुबचन सिंह छाबड़ा अस्पतालों में घायलों को देखते हुए ब्यावर की दुर्दशा देखने पहुंचे। साथ में उन्होंने यह कहा कि हमारी जब सरकार आयेगी तो घायलों के ऊपर जो असत्य मुकदमे लगाये गये हैं, उनको निश्चित रूप से हटायेंगे और सत्ता में आने के साथ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो ब्यावर को जिला बनाने की मांग है, वह निश्चित तौर पर हमारी सरकार आते ही पहला काम यह करूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अब आपकी सरकार दो-दो बार आ गयी

(श्री शंकर सिंह)

है, लेकिन ऐसे असत्य वायदे जनता से किये हैं, ऐसे असत्य वायदे नहीं करें। जिस प्रकार गांव की भाषा में कहते हैं थूककर चाट जाना, ऐसा काम नहीं करें। माननीय सभापति महोदय, ऐसे जो गरीब लोग फंसे हुए हैं, आज जो मुकदमों के अन्दर अभी भी तड़फड़ा रहे हैं और आपने उनसे वादा किया कि हमारी सरकार आते ही उनके मुकदमे वापस लेंगे। मेरे घर का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन मेरे क्षेत्र का मामला है। माननीय सभापति महोदय, इसलिये मेरा निवेदन है कि उन केसों को वापस लिया जाना चाहिये और मर्द की जबान होती है, निश्चित अगर आपने जबान दी है तो ब्यावर को जिला बनाकर बतावें। हम जानेंगे, आप सच्चे दिल से सुशासन चला रहे हैं और आप जबान के पक्के हैं और जो कहते हैं, वह करते हैं।

साथ में, आज जिस जगह पानी का कांड हुआ है, उस जगह पर आज भी हालत बहुत खराब है। माननीय सभापति महोदय, पानी के लिये चारों तरफ हैंडपम्प लगाये जा रहे हैं। वे हैंडपम्प भी 300 फीट के ही हैं, लेकिन 300 फीट की जगह आपका ठेकेदार 50 फीट और भी कम लगा देगा, क्योंकि कौनसा गांव वाला जाकर या कौनसा सरपंच जाकर अन्दर हाथ डालकर उसका माप करेगा। इसलिये वह कहेगा, 50 फीट के अन्दर आधा तेरा, आधा मेरा। सभापति महोदय, इस हैंडपम्प की योजना को गांव-गांव में लगा रखा है। आवश्यकता इस प्रकार पड़ती जा रही है, हर घर वाला कह रहा है कि मेरे घर के सामने हैंडपम्प होना चाहिये, मेरी गली के सामने हैंडपम्प होना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी शुरू किया है पानी की बात के ऊपर। पहले वाले माननीय सदस्य एक घंटे बोले हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप मुझे पानी के मामले में बोलने देवें। इसलिये मैंने अकाल और बिजली के बारे में पहले बोला है। मेरी आपसे प्रार्थना है।

आज पानी के हालात खराब हो रहे हैं ब्यावर के अन्दर, अभी भी बता रहा हूं। कल भी कांग्रेस वाले भाइयों ने वहां ज्ञापन दिया सरकार को और आज बी जे पी और कांग्रेस दोनों मिलकर ब्यावर में धरना लगा रहे हैं अभी भी, आप पता लगवा लें। इसलिये पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। बीसलपुर से 96 घंटे के अन्दर ब्यावर शहर को पानी मिल रहा है। गांवों में जो हमारी सरकार ने सेकंड फेज का काम, बीसलपुर के अन्दर जवाजा पंचायत समिति के 35

(श्री शंकर सिंह)

ग्राम पंचायतों को पानी पिलाने की जो योजना स्वीकृत की थी, आपकी सरकार ने आने के बाद में तुरन्त उस योजना पर रोक लगाई।

(समय : 16.00 बजे)

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आपने कहा था, इस योजना को गये सत्र के अन्दर आपने बताया था कि मैं इसको जल्दी चालू करवाऊंगा लेकिन दूसरा सत्र आ गया, वह अभी तक चालू नहीं हुई है। जवाजा पंचायत समिति के गांवों को बीसलपुर की योजना से जोड़कर उस काम को चालू करवायें, ऐसा मेरा निवेदन है।

हैंडपम्प जो जगह-जगह लग रहे हैं, ऐसी दुर्दशा है कि पाइप सड़े-गले डाल देते हैं। कई जगहों पर हैंडपम्प मिस्त्रियों की शिकायतें हैं। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने भी यह बात स्वीकार की है कि हजारों हैंडपम्प आज खराब पड़े हुए हैं। हैंडपम्प मिस्त्रियों को ऐसा एक तरह का कांट्रेक्ट देना चाहिए कि साल भर तक कोई हैंडपम्प खराब नहीं हो, यह आपकी ड्यूटी है। ऐसा कोई कांट्रेक्ट जल नीति के अन्दर लाकर सुधार करें ताकि उस योजना का आगे लाभ मिल सके और सरकार का पैसा खराब नहीं हो।

साथ ही ब्यावर में पीने के पानी के लिए जिस प्रकार के हालात हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। चम्बल का पानी भीलवाड़ा आ सकता है तो भीलवाड़ा का पानी ब्यावर में क्यों नहीं आ सकता है? सभापति महोदय, भीलवाड़ा में पानी आयेगा क्योंकि वहां पर माननीय सी पी जोशी साहब राज करते हैं, वहां के सांसद हैं और केन्द्रीय मंत्री हैं। तो सी पी जोशी जी जब भीलवाड़ा पानी लायेंगे तो मेरा आपसे आग्रह है कि उस पानी को बीसलपुर योजना में लाकर डालें और बीसलपुर से, जो पहले अजमेर जिले का हक है, वह उनको मिले। बीसलपुर बांध का निर्माण मात्र अजमेर जिले की पेयजल की समस्याओं के समाधान हेतु किया गया था इसलिए अजमेर जिले को पहले पानी मिले, उसमें ब्यावर भी सम्मिलित हो।

अभी जो पानी की कमी आ रही है, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, जल संसाधन मंत्रीजी, आप भी मेरी बात को सुन रहे हैं, वहां तीन सौ फीट के हैंडपम्प सूख रहे हैं। उनके सूखने का कारण श्री सीमेंट के द्वारा किया जा रहा जल का दोहन है। वहां पर उन्होंने 1200-1200 फीट के हैंडपम्प और ट्यूबवेल लगा लिये हैं तो तीन सौ फीट के हैंडपम्प में पानी कहां से मिलेगा? अभी मैंने

(श्री शंकर सिंह)

आपसे बात की थी तो आपने यह कहा कि वह प्राइवेट फैक्टरी है, उनके टैंकरों का पानी मैं कैसे बन्द कर सकता हूं। आप सरकार हैं, आप बन्द क्यों नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हैं। राजस्थान के अन्दर फैक्टरी लगी हुई, कोई पाकिस्तान में फैक्टरी नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कैसे पक्ष ले रहे हैं? मैंने कलक्टर से बात की थी, अधिकारियों से बात की थी। अधिकारी मिले हुए हैं उस फैक्टरी से।

सरकार ने पी एच ई डी द्वारा गांवों में टैंकरों से पानी पहुंचाने की योजना बनायी। आप दो सौ सत्तर रुपये में टैंकर दे रहे हैं और श्री सीमेंट छह सौ रुपये में टैंकर खरीद रही है। आपके पानी को गांवों में कौन खरीदेगा, कौन पिलायेगा? पहले भी गये साल आपके टैंकरों में फर्जीवाड़ा हुआ है और सरपंचों से साइन फर्जी करवाकर सरकार के आंकड़े पूरे किये जा रहे हैं कि हमने इतने टैंकर वहां डाले हैं। यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलायें। मंत्री महोदय, उस शहर के अन्दर श्री सीमेंट के द्वारा जो दोहन किया जा रहा है, उन टैंकरों को आप बन्द करें। श्री सीमेंट अधिकारियों से मिली रहती है और वहां जितना प्रशासन लगा हुआ है, वह उनसे मिला हुआ है। कई मंत्री जाते हैं और वहां रुकते हैं। उनका डाक बंगला बहुत बढ़िया है, उसके अन्दर सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। वहां जाकर एशो आराम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उनके एशो आराम से हमारी जनता सुखी नहीं रह सकती है। उसको जनता का पाप लगेगा, उनका दुःख लगेगा और बद्दुआ लगेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इस बात का जबाव दें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम चार महीने उसका तो कम से कम बन्द कर दें।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): सभापति महोदय, सभी दलों के माननीय सदस्य बोल रहे हैं। हम जनता दल की ओर से हैं, हम बीच में हैं, हमको भी मौका दें। हमने भी पर्ची दी है। हमको भी अवसर देना चाहिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, आज फैक्टरी जिस प्रकार से लोगों को खुले आम खरीद रही है, मेरा आपसे निवेदन है कि जनता माफ नहीं करेगी। जनता देख रही है उनको कि कौन-कौन सा मंत्री जाकर फैक्टरी में रुक रहा है और अधिकारी खुले आम कहते हैं कि गांवों में लोगो को पानी पिलाने के लिए फैक्टरी बन्द कर दें क्या।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): यह फैक्टरी जरूरी है क्या? मैं कहना चाहता हूं कि फैक्टरी जरूरी नहीं है इस अकाल के अन्दर। माननीय मंत्री महोदय को जबाव देना पड़ेगा और भ्रष्टाचार करके जो टैंकर जा रहे हैं, उनको बन्द करना पड़ेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। बरसात आने के बाद भले ही आप टैंकर चालू करवा देना, सरकार को पानी देना हो तो दे देना। पी एच ई डी और श्री सीमेंट के हौद बिलकुल पास-पास में हैं और अन्दर से ही पाइप जा रहा है। कम से कम उन लाइनों को बन्द करवाओ। उसका सौदा किया जा रहा है। श्री सीमेंट से पैसा आ रहा है और इधर से पानी जा रहा है। डिपार्टमेंट से पूछते हैं कि पानी कहां जा रहा है तो वे कहते हैं कि हम फैक्टरी को नहीं दे रहे हैं। श्री सीमेंट उस पानी का दोहन करके बिजली बनाती है और बिजली का सौदा करके हमारी सरकार को कैसे देती है बिजली, बेच रही है यहां। राजस्थान में चार जगहों पर उनकी फैक्टरी है और चारों जगहों पर वह बिजली वापस ले रही है। यह कौनसा कानून है, हमें समझाओ। पहली बार जीतकर आया हूं, हमें यह मालूम पड़े कि एक जगह से बिजली खरीद कर चार जगह पर ले सकते हैं।

एक गरीब काश्तकार बेचारा घर में एक लट्टू जलाता है और उसने कहीं पड़ोस वाले को, लाइट नहीं होने पर एक रात शादी ब्याह में लाइट कनेक्शन दे दिया होगा तो डिपार्टमेंट तो उसका कनेक्शन काटेगा और उस पर जुर्माना ठोक देगा कि आपने बिना इजाजत उसको लाइट कैसे दे दी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। श्री सीमेंट का मालिक सरकार से पानी ले रहा है। माननीय सदस्य इस बात को गम्भीरता से कह रहे हैं। (व्यवधान) हां-हां, बिलकुल। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह क्या है? चौपाल बना रखी है क्या? वह बोल रहे हैं न। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बोलना तब पता चलेगा आपको। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, इस बात के लिए तो मुझे मंत्री महोदय से जबाव दिलवाना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि चार महीने, गर्मी तक मैं टैंकरों का बन्द करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी बोलेंगे तब तक आप सदन में ही तो रहेंगे। तब बता देना।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मंत्रीजी जबाव नहीं देंगे तो मुझे वैल में धरने पर बैठना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मुझे आप ...(व्यवधान) मैं निश्चित तौर पर वैल में बैठूंगा। सभापति महोदय, आप मंत्रीजी से जबाव दिलवायें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इनको दो मिनट जवाब दिलवा दो, साहब।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): साथ में तारानगर से आने वालों को भी ले लो और कोटा से आने वालों को भी ले लो और वैल में आकर बैठो। आओ-आओ। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह पूंजीपतियों की सरकार है। यह उद्योगपति और पूंजीपतियों की सरकार है। यह सरमाय:दारों की सरकार है। यह पैसे वालों की सरकार है। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? हम भी बोलेंगे। आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मंत्रीजी से जबाव दिलायें, मेरा निवेदन है। हमारे उप नेता महोदय से मेरी प्रार्थना है कि आप अपना वक्तव्य देकर मंत्रीजी से जवाब दिलवायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्रीजी जब जबाव देंगे, आपकी बात का जवाब भी देंगे। मैंने कह दिया है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय उप नेता महोदय, एक तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य और एक ओमजी और इनको बताओ कि वैल में बैठ जाएं। बता दो इनको।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराज जाएं।

धरना

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री शंकर सिंह द्वारा वैल में धरना)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): +++ ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): एजेंसी तो आपके पास है स्थायी रूप से। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान) +++

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): स्थायी रूप से आपके पास है। (व्यवधान)

(डा. रघु शर्मा)

सभापति महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो गलत शब्द बोले हैं, उन्हें एक्सपंज करायें।

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, आप पहले एक्सपंज करायें।

श्री सभापति: उप नेता महोदय, सचेतक महोदय, इनको उठायें। जवाब देंगे तब आप सदन में बिराजते रहना। जवाब देंगे आपकी बात का। वे सब नोट कर रहे हैं। इन्होंने नोट कर लिया है। सरकार का जवाब आयेगा, मंत्रीजी बोलेंगे। जवाब देंगे आपकी बात का। मैंने व्यवस्था दे दी, आपको जबाव देंगे। आप पधारो वहां पर।

माननीय सदस्य, एक-एक माननीय सदस्य बोलेंगे और मंत्रीजी जबाव देते जाएंगे तो...

(माननीय सदस्य श्री शंकर सिंह द्वारा धरना समाप्त)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो गलत शब्द बोले हैं, उनको एक्सपंज करवाया जाए।

श्री सभापति: देख लूंगा, जो असंसदीय होगा एक्सपंज कर दूंगा मैं। मैं देख लूंगा, कर दूंगा। ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ठीक है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): असंसदीय नहीं है।

श्री सभापति: मैं सब माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग आपस में मेहरबानी करके चर्चा नहीं करें। हमारे यहां पर हां पक्ष लॉबी भी है, ना पक्ष लाबी भी है, अगर आपको कोई व्यक्तिगत बात करनी है, आप मेहरबानी करके उन कक्षों में पधार जाएं, वहां चर्चा करें। जब सदन में विराजें तब आपस के अन्दर बात नहीं। मंत्रीजी, मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप लोग आपस में चर्चा न करें। जब भी माननीय सदस्य कोई बोलते हैं, अच्छे सुझाव देते हैं और उस आपस के व्यवधान में, शोरगुल के अन्दर हम लोगों की वापस कोई बात ही नहीं आ पाती सामने।

श्री फतेह सिंह जी।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज हम बिजली, अकाल और पेयजल के ऊपर इस सर्वोच्च सदन में चर्चा कर रहे हैं। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि अभी मेरे से पूर्व में कई माननीय सदस्यों

(श्री फतेह सिंह)

ने बिजली के सम्बन्ध में, पेयजल के सम्बन्ध में बातें रखीं और उनका यह सुझाव था कि हमेशा, हर वर्ष अकाल पड़ते रहते हैं, समस्या सामने आती है इसलिए कोई योजना बनाकर के ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने अभी दो मिनट पहले आपको कुछ निवेदन किया ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मेरे को?

श्री सभापति: आपको नहीं, पीछे, पीछे, माननीय सदस्य।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): इसलिए कोई योजना बनाकर के इस प्रदेश की जनता की पेयजल की समस्या का समाधान किया जाए। इस तरह की बात सामने आयी है। मैं भी इसी में सम्मिलित करते हुए यह कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में दो तरह की समस्याएं हैं। एक तो शहरी समस्या हमारे सामने पेयजल की है, दूसरी ग्रामीण इलाके की समस्या हमारे सामने है। तो मैं सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान करना है तो निश्चित रूप में हमको शहरी योजना अलग से तैयार करनी पड़ेगी और ग्रामीण इलाके की समस्या जो है उसका समाधान करने के लिए अलग से योजना बनानी पड़ेगी।

आज हम जानते हैं कि जो गंदी बस्ती हैं, नगरपालिका हैं, नगर परिषद् है या नगर निगम हैं, उनके अन्दर पेयजल योजनाएं लागू हैं और वहां पर पानी की समस्या आती है तो कहीं न कहीं लोग आपस में मिल-बैठकर के या लड़ाई-झगड़ा करके भी इस समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन विशेषकर के हमारे ग्रामीण इलाके में जो यह बिखरी आबादी है और उस इलाके के अन्दर एक-एक किलोमीटर पर, यानी पांच-पांच किलोमीटर पर ग्रामीण इलाके में लोग अपने खेतों में बसे हुए हैं, वहां हम हैंडपम्प लगाते हैं या कुएं खोदते हैं तो सभी लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण इलाके में भी इस तरह की कोई योजना तैयार करें। या तो उस गांव के अन्दर कोई दो या तीन कुएं खोदे जाएं, ओपन वैल खोदे जाएं और उससे लोगों को पानी देने की व्यवस्था करें। अब हैंडपम्प जो खोदे गये हैं, ट्यूबवैल तो उस इलाके में खोदते नहीं हैं क्योंकि कनेक्शन मिलता नहीं है, इसलिए मेरा सुझाव यह था कि उस ग्रामीण इलाके के लोगों को अगर लाभ देना है, पेयजल के संकट से उनको दूर करना है तो निश्चित रूप से उस इलाके में ओपन वैल खोदकर के वहां के लोगों को राहत देनी पड़ेगी।

(श्री फतेह सिंह)

दूसरा, मैं यह कह रहा था कि जितने भी हैंडपम्प वहां पर खोदे गये हैं अब उन हैंडपम्पों में पहले जो हैंडपम्प खोदे थे वो कम से कम 30 फीट हैंडपम्प खोदने पर पानी आ जाता था, उसके बाद में अगर खोदते तो 100 फीट पर भी पानी आया है, धीरे-धीरे समय आगे बढ़ता गया तो अभी 300 फीट तक हैंडपम्प खोदने पर भी वहां पर पानी नहीं आ रहा है। अब मेरा निवेदन है कि कुएं, ओपन वैल आप खोदें लेकिन उसके साथ में जब हम अभी हैंडपम्प खोद रहे हैं तो मेरा यह सुझाव है कि 400 फीट तक अगर वह हैंड पम्प खोदा जाए तो निश्चित रूप से उसमें पानी आ सकता है।

अब कहीं न कहीं विभाग के अधिकारी हैं, कोई ठेकेदार 40 हजार में हैंड पम्प खोद रहा है तो विभाग वाले एक लाख में खोदना चाहते हैं। तो इसमें इतना अन्तर क्यों है? इसलिए मैं मंत्रीजी से यह एक निवेदन करना चाहूंगा कि हैंडपम्प की जो लागत है वह किस रूप में है? जितने भी हैंडपम्प आज खुदे हुए हैं उन हैण्डपम्पों के लिए मैटेरियल की जरूरत पड़ती है तो मैटेरियल नहीं मिलता है। जिले के अन्दर कहते हैं, कलक्टर साहब को कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमने पंचायत समिति को दे दिया; पंचायत समिति को कहते हैं तो हम को जिले से नहीं मिला, इसलिए मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो हैंडपम्प हमारे खुदे हुए हैं उन हैंडपम्पों को ठीक से चालू रखने के लिए और नये हैंड पम्प खोदकर के लोगों को राहत देने के लिए आपको प्रशासन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा तब जाकर के हम इलाके के लोगों को लाभ दे पायेंगे।

अभी सब तरह की योजना की बात हुई है पर मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि अभी इस मौके पर कुदरत ने हमारा साथ नहीं दिया, इस प्रदेश का साथ नहीं दिया, अकाल पड़ा हुआ है। वर्षा की कमी के कारण से ही हमारे यहां पानी का संकट पैदा हुआ है, वर्षा की कमी से पशुओं के पानी और चारे की भी कमी आयी है, बरसात की कमी के कारण ही लोगों को रोजगार की जरूरत पड़ रही है और राशन की जरूरत पड़ रही है। तो जो भी योजनाएं आप बनाएं, शहरी और ग्रामीण इलाके के लिए वह बाद में बनाएं लेकिन फिलहाल हमारे सामने संकट खड़ा है, इलाके के लोगों को पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके बाद में राशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बिजली सही तरीके से देकर के उस इलाके में लोगों को जहां ट्यूबवैल या पेयजल योजनाएं छोटी हैं, उसको राहत देनी पड़ेगी। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य

(श्री फतेह सिंह)

सरकार को और मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि पेयजल का संकट दूर करने के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए और लोगों को राशन की व्यवस्था करने के लिए एक अभी से ही योजना आपको तैयार करनी पड़ेगी। अभी यह तैयार करेंगे तो कम से कम यह अगली बरसात आ जायेगी तब जाकर के यह योजना आपकी तैयार होगी और आप व्यवस्था कर पायेंगे। तो फिर लोगों को राहत कैसे मिलेगी? तो मैं सरकार के सामने आपके मार्फत मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगा कि अब तक तो यह सारी व्यवस्था हो जानी चाहिए थी कि कहां पर पानी की जरूरत पड़ेगी, चारे की कितनी जरूरत पड़ेगी, राशन के लिए कहां, किस तरह का खाद्यान्न चाहिएगा। यह अब तक सरकार ने व्यवस्था नहीं की। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान का जो पश्चिमी, दक्षिणी हिस्सा है, आपके डूंगरपुर हो, उदयपुर का हिस्सा हो या बांसवाड़ा का हिस्सा है, विशेषकर के मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इलाके में बरसात की कमी से लोगों के अनाज नहीं पैदा हुआ, लोग अपने परिवार को और घर को छोड़ कर के गुजरात की ओर, महाराष्ट्र की ओर चले गये हैं। तो उस इलाके के लिए आपको, सरकार को यह व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिलहाल उसमें लोगों को रोजगार देने के लिए कितने लोगों को आप रोजगार देंगे, यह भी तय करना पड़ेगा। अभी आपके सामने तो यही है कि रोजगार गारंटी योजना में एक अप्रैल से हम काम शुरू करेंगे। अब तक वहां पर ना तो चारे की व्यवस्था हुई है, ना कोई पानी के लिए कहा, कि टैंकरों से हम व्यवस्था करेंगे। यह भी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हुई है और चारा डिपो कहां खोलेंगे, यह भी व्यवस्था नहीं हुई है। तो मैं मांग करता हूं कि उस इलाके में चारा डिपो, लोगों को रोजगार देने का और पानी की पुख्ता व्यवस्था हो। नल तो हैं नहीं वहां पर; पानी जायेगा, टैंकरों से पानी भेजा जायेगा और टैंकरों से पानी इसलिए पूरा नहीं पड़ेगा कि एक-एक किलोमीटर की आबादी है। तो मैं सरकार से यह उम्मीद करूंगा कि उस इलाके में आप राशन, चारा और लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था करें।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता था बिजली के ऊपर। हमारे इलाके में पुरानी लाइनें हैं, पुरानी लाइनें खिंची हुई हैं, उसके अन्दर कहीं पोल झुक गये हैं, कहीं तार झुक गये हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह अकाल पड़ा हुआ है, आपके पास पैसा नहीं है, अकाल फंड का पैसा लेकर भी उन लाइनों को ठीक किया जाए, उन तारों को खींचकर के ठीक किया जाए। तो आये दिन जो

(श्री फतेह सिंह)

घटनाएं घटती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं उससे हमारे क्षेत्र के लोग बचेंगे और इस तरह की कोई समस्या हमारे सामने नहीं आयेगी।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि बिजली में कई लोगों ने अपने आवेदन पेश किये, डिमांड जारी हुई विभाग की तरफ से। डिमांड जारी होने के बाद में जब वहां पर कनेक्शन देने की जरूरत पड़ती है उस मौके पर यह हमको पता नहीं लग रहा है, वह जो व्यक्ति कन्जूमर होता है, जो काश्तकार होता है, कुए का कनेक्शन ले रहा है, उसी व्यक्ति को पोल ले जाना पड़ता है, वह ही व्यक्ति आपके तार ले जायेगा, कंडक्टर ले जायेगा। उसके बाद में कई दिनों तक वह चक्कर काटेगा और उसके बाद वह सामान जायेगा; जो सामान वहां पर जायेगा वह व्यक्ति खुद ले जायेगा। उसके बाद भी वहां पोल खड़े और खड्डे भी वह खोदते हैं। खड्डे खोदने के बाद सिर्फ ठेकेदार के आदमी या विभाग के लोग जाकर के उन खड्डों को खड़े रहकर के वहां के लोगों से खड़े करवाकर सिर्फ तार खींचने का काम वे करते हैं। तो मैं यह जानना चाहता था कि क्या व्यक्ति, किसान डिमांड जमा करता है, डिमांड जमा कराने के बाद भी उसी काश्तकार को अपने साधन से यह पोल ले जाना पड़ता है, सारा मैटेरियल ले जाना पड़ता है। इस डिमांड के अन्दर यह पैसा नहीं आया तो उसकी भी जांच करनी पड़ेगी। मुझे यह मालूम है कि एक बड़ा ठेकेदार कोई ठेका ले लेता है, अक्सर वह बाहर का ठेकेदार होता है; ठेकेदार खुद वहां पर काम करने के लिए नहीं आता है, उन लोगों से काम कराकर विभाग के लोग ही उस ठेकेदार का काम करके बिल बना करके वह पैसा वसूल करते हैं। उसमें भी मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि उसकी जांच की जाए और इस तरह से अगर काश्तकार से पैसा वसूल करने के बाद विभाग के लोग ठेकेदार की मदद करके उस काश्तकार को कनेक्शन देने का काम करते हैं, वह उस इलाके के काश्तकारों के लिए ठीक नहीं है, उसकी जांच हो।

दूसरा, मैं कहना चाहता था कि डिमांड जमा होने के बाद भी कई किसानों को अभी तक कनेक्शन नहीं मिले हैं। तो कुशलगढ़ या बांसवाड़ा जिले में जितने लोगों ने डिमांड जमा की है, उस डिमांड जमा करने के मुताबिक ही उन लोगों को कनेक्शन दिया जाए। यह विभाग की जिम्मेदारी है पर हर कोई विभाग इतना लापरवाह है कि कहने के बाद भी यह काम करने के लिए तैयार नहीं हैं।

(श्री फतेह सिंह)

(समय : 16.21 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

एक मैं यह कहना चाहता था कि हमारे कई साथी बोले हैं, बिना नजराना, बिना चौथ दिए अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह भी मैं मंत्रीजी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह प्रूव तो मैं कर नहीं पाऊंगा लेकिन हकीकत है कि बिना पैसे दिये कनेक्शन लेना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसमें भी आप उसकी जांच करें, देखें।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एस सी एस टी का एरिया है, इसलिए कनेक्शन तो उनको मिल जाते हैं लेकिन जनरल कास्ट के लोगों ने हमारे कुशलगढ़ में चार या पांच फाइलें जमा करा रखी थी; जनरल कास्ट के लोग थे तो उनमें भी पांच-पांच साल, सात-सात साल गुजर जाने के बाद भी उन लोगों का नम्बर नहीं आ रहा है, उनकी डिमांड जारी नहीं हो रही है। तो उसमें भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुशलगढ़ में चार या पांच व्यक्तियों की फाइलें जमा हैं उनको भी कनेक्शन मिलें और उसका क्राइटेरिया क्या है, क्यों कनेक्शन नहीं मिल रहा है, उस सम्बन्ध में भी आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसकी जांच करके कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र का मामला मैं बता रहा हूं, बांसवाड़ा जिले का है तो उसमें भी आप यह जरूर देखें।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्दर कई गांवों में सर्वे किया। जगह-जगह सर्वे करने के बाद उसकी सूची बनायी गयी कि कुशलगढ़ या बांसवाड़ा जिले में हम इतने लोगों को कनेक्शन देंगे, फ्री कनेक्शन देंगे, एक बत्ती कनेक्शन देंगे। वह सर्वे कर भी लिया उसके बाद में पोल भी कहीं डाल आए, पोल खड़े कर दिये, अभी तक ना तो कोई लाइन खींची गयी है और ना किसी को कनेक्शन दिये गये हैं। इस तरह की हवा बनाकर के स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम से अगर इस तरह का वातावरण बनाया गया है तो मैं समझता हूं कि जब उस रूप में यह काम शुरू किया गया तो लोगों को कनेक्शन देना चाहिए। उनके नाम से एक योजना तैयार की है, उसका लाभ मिलेगा। तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा।

एक मैं यह कहना चाहता था कि हमारे यहां पर चारे की जो कमी है उसकी पूर्ति के लिए अलग-अलग डिपो आप खोलेंगे या किस तरह की व्यवस्था करेंगे? अभी यह बता रहे थे कि हमारे गुजरात और मध्य प्रदेश से भी ट्रक बंद भूसा आ रहा है, उस भूसे को रोककर के भी बीच के अधिकारी उसको लूटने का काम करते हैं। उसको भी आप देखें, जांच कराएं कि मवेशी के लिए

(श्री फतेह सिंह)

अगर कोई चारा आता है तो उस चारे को क्यों इस तरह से रोककर के यहां लोगों को इस तरह से परेशान करने का काम करें।

हमारे यहां नरेगा में लोगों को रोजगार दिया जाएगा। केशव बाड़ी योजना के अन्तर्गत यह अकाल राहत के हिसाब से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर चैक डेम, मेड़बन्दी, स्टाप डेम, इस तरह से रोजगार गारंटी में लोगों को सौ दिन का काम दिया है। पर अब मैं यह चाहूंगा कि केशव बाड़ी योजना के तहत कुएं जो लिए गए थे उन कुओं को भी उस रूप में लिया जाए ताकि वहां के लोगों के कुएं अगर खुद जायेंगे, बन जायेंगे, उसके बाद उन लोगों को भी पानी की सुविधा हो सकेगी। ये कुएं अब बंद करने की स्थिति में थे तो मैं उस हिसाब से तो जाना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता, यह तो अकाल के ऊपर चर्चा हो रही है।

उस इलाके में पेयजल संकट को दूर करने के लिए मेरा एक सुझाव है कि पुराने जमाने की कई ऐसी बावड़ियां हैं, बीते जमाने में कोई अकाल पड़े थे, अकाल में जो पुरानी धरोहर हैं, वे मिट्टी से भर गयी हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिला कलक्टर को, जिला प्रशासन को कहकर के इस तरह का एक सर्वे कराएं और सर्वे कराकर उन स्रोतों को आप खोलें। खोलने से उस क्षेत्र में पानी की जो समस्या है वह दूर हो सकती है।

उसके अलावा सार्वजनिक कुए हमारे हैं उन सार्वजनिक कुओं के ऊपर भी अकाल राहत में वहां का मलबा निकालने या मैटेरियल का पैसा दो तो ब्लास्टिंग करें। ब्लास्टिंग करने के बाद उन कुओं में भी पानी हम लोगों को मिल सकता है। उसके अलावा कोई साधन हमारे पास में नहीं है। तो व्यक्तिगत कुएं भी उस इलाके में हैं, व्यक्तिगत कुओं से भी हम पानी उन कुओं को गहरा करके, अकाल राहत के मजदूर लगा कर, कुएं से मलबा निकाल करके वहां से भी पानी हम ले सकते हैं।

पिछले अकालों में और आज भी वहां पर जिला कलक्टर यह कह रहा है कि हम टैंकरों से पानी सप्लाइ करेंगे। आपने उस इलाके को नहीं देखा होगा, टैंकरों से सप्लाइ नहीं कर सकते। पांच-पांच किलोमीटर पर एक गांव हमारा रेवेन्यू विलेज बसा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि हर गांव में अलगअलग टुकड़ों-टुकड़ों में अगर इस तरह की हम पानी के लिए व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे उस क्षेत्र के लोगों को पेयजल की व्यवस्था से जूझना नहीं पड़ेगा।

(श्री फतेह सिंह)

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमेशा ही यह अकाल पड़ता रहता है। मैं लम्बे समय से 1980 से लगाकर आज तक इस हाउस में चर्चा में शामिल हुआ हूं। चर्चा होती रहती है कि पानी की समस्या है, अकाल पड़ गया है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठोस निर्णय लेंगे और आने वाले दिनों में हम इस समस्या का समाधान कर लेंगे लेकिन इतने वर्ष होने के बाद भी आज दिन तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं कहना चाहूंगा कि पानी का स्तर तो नीचे चला गया है, वास्तव में हम ईमानदारी से जनता को पानी देना चाहते हैं, इस क्षेत्र की जनता को हम राहत देना चाहते हैं तो बरसात के पानी के ऊपर कुछ इलाका हमारा निर्भर है। आप बड़े डैम बना लो या छोटे डैम बना लो, एनीकट बना लो या कोई पक्का चैक डैम बना लो लेकिन जब तक बरसात का पानी नहीं गिरेगा तब तक वह हमारा डैम खाली रहेगा, पानी हमको मिलने वाला नहीं है। फिर भी हमको एक योजना बनानी चाहिए, हर गांव में पानी रोका जाए और उस पानी के रोकने से हमारे इस इलाके में उस नाले में पानी का स्तर बढ़ेगा, हैंडपम्प में पानी बढ़ेगा। लेकिन बरसात का पानी हमारे यहां पर नहीं होगा तो पानी रोकेंगे क्या, समस्या हमारी कैसे दूर हो सकती है?

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बंधी बस्ती में तो आप जरूर व्यवस्था कर लेंगे पानी की, लेकिन बिखरी हुई आबादी के अन्दर व्यवस्था करना बड़ा कठिन मामला है। फिर भी यह विभाग की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, अकाल पड़ने के बाद सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि इन्सान के लिए पानी की व्यवस्था करें, पशु के लिए भी पानी और चारे की व्यवस्था करें और आम लोगों को रोजगार देकर के उनको जिन्दा रखने का काम करें। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है।

तो मेरा यह सुझाव है, प्रस्ताव है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। हर माननीय सदस्य को, पक्ष और विपक्ष को एक होकर के इसके ऊपर मंथन करना चाहिए और योजना बनाकर के आने वाले समय में हमारे लोगों को हम राहत दे सकें, इस तरह की व्यवस्था हमको करनी चाहिये। अब किस सरकार ने क्या किया, किस सरकार ने क्या किया, इसी बात को लेकर हम चलते

(श्री फतेह सिंह)

रहेंगे तो हमारे प्रदेश में जो समस्या खड़ी है उस समस्या का हम समाधान नहीं कर पायेंगे।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि बिखरी आबादी, बांसवाड़ा जिले के लिये और कुशलगढ़ क्षेत्र के लिये मैंने कहा है उसको मद्देनजर रखते हुए यह व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री उदय लाल आंजना।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, सदन में पेयजल और बिजली की मांग के दौरान गतिरोध आने के कारण वापस दो दिन की चर्चा सदन के नेता ने रखायी इससे यह महसूस होता है कि सदन के नेता हमारी इन समस्याओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं। मैं इसलिये उनका बहुत तहेदिल से आभार करता हूं कि पुनः चान्स लेकर दो दिन की चर्चा करायी और इस चर्चा पर जैसी जानकारी मिली है करीब डेढ़ सौ सदस्य बोलना चाहते हैं। पूरे राजस्थान में यह समस्या कितनी भयंकर है इससे सभी ज्ञात हैं और यह विश्वास है कि सरकार संवेदनशील है, पूरे तरीके से पेयजल, बिजली और अकाल पर प्रदेश की सेवा करने में पीछे नहीं रहेगी।

जीवन-यापन के लिये हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। हवा हमें कुदरत देती है, भोजन के हमारे गोदाम भरे पड़े हैं, कल-परसों हीं 'राजस्थान पत्रिका' में छपा था कि गोदामों में अनाज को रखने के लिये जगह नहीं है लेकिन पेयजल की गम्भीर समस्या हमारे सामने इस वर्ष आने वाली है क्योंकि पानी की भारी किल्लत है। पूरा प्रदेश पानी के संकट से चिंतित है, हम सभी सदस्य भी चिंतित हैं और सरकार भी चिंतित है। उम्मीद करता हूं कि सरकार पूरी तरह से सचेत होकर इससे निपटेगी।

मैं ज्यादा समय अन्य बातों पर खर्च नहीं करते हुए अपने विधान सभा के मामले में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में निम्बाहेड़ा सबसे बड़ा कस्बा है, जिले का दूसरा बड़ा कस्बा है और लगभग 75 हजार की वहां की आबादी है। 75 हजार की आबादी होने के बावजूद आज पानी की समस्या यह है कि 72 घण्टे में केवल आधा घण्टा पानी निम्बाहेड़ा शहर में मिल रहा है। इसलिये वहां की समस्या की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां पेयजल की समस्या के लिये गम्भीरी, बाड़ी, गम्भीरी डैम से पानी की व्यवस्था 2003 में एक योजना बनाकर की गयी थी, जहां से पानी

(श्री उदयलाल आंजना)

लाने की व्यवस्था थी। जब यह योजना बन रही थी उस समय मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष था। विभागीय अधिकारियों की मैं यह जानकारी में भी लाया था कि जिस स्रोत से आप पानी लाना चाह रहे हैं वह स्रोत अक्सर गर्मी में सूख जाता है। उसके बावजूद भी उधर ध्यान नहीं दिया गया और वह गम्भीरी बांध से जोड़ा गया। आज गम्भीरी बांध में पानी नहीं है। जब से योजना बनी कभी पानी रहता ही नहीं। जब बरसात के दिन, गर्मी के दिन आते हैं पेयजल का भारी संकट आता है उस समय डैम में पानी नहीं रहता है और भारी किल्लत होती है। आज की तारीख में गम्भीरी से थोड़ा-बहुत पानी मिल रहा है और बाकी ग्राउंड वाटर हैंडपम्प से मिल रहा है। 75 हजार की आबादी की समस्या के स्थायी समाधान के लिये बाड़ी-मानसरोवर पास ही 15 किलोमीटर दूर एक डैम है, वहां से अगर निम्बाहेड़ा को जोड़ दिया जाए तो गम्भीरी, बाड़ी-मानसरोवर और ग्राउंड वाटर से हम हमेशा के लिये निजात पा सकते हैं। 75 हजार की आबादी है और एक साल 2003 में तो ट्रेन के द्वारा भी वहां पानी लाना पडा था और उम्मीद करता हूं कि अगर कोई व्यवस्था नहीं की गयी तो इस वर्ष भी ट्रेन चलानी पड़ेगी। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिये बाड़ी मानसरोवर का पानी भी निम्बाहेड़ा को दिया जाए, जो 15 किलोमीटर की पाइप लाइन है अगर वह डाल दी जाती है तो निम्बाहेड़ा की पानी की समस्या का हमेशा-हमेशा के लिये निराकरण हो जायेगा।

दूसरा कस्बा मेरे विधान सभा क्षेत्र का छोटी सादड़ी है जहां पेयजल समस्या की व्यवस्था के लिये बाड़ी-मानसरोवर से पाइप लाइन डालकर, 1996 में एक पाइप लाइन डाली गयी थी और आज उससे पानी की पूर्ति हो रही है। छोटी सादड़ी में पानी की आज की तारीख में कोई समस्या नहीं है लेकिन निम्बाहेड़ा की समस्या को देखते हुए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय और प्रमुख सचिव महोदय बहुत संवेदनशील हैं, इस बात की मैंने पहले भी मांग रखी है पत्र के द्वारा, आज पुनः इस सदन के मार्फत भी निवेदन करना चाहता हूं कि छोटी सादड़ी के पास एक हमेला करके डैम बनने की स्थिति है जहां पानी का बहुत अच्छा स्रोत डवलप हो सकता है, जो छोटी सादड़ी से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। अगर वहां से पानी लाया जाता है तो छोटी सादड़ी की समस्या हल हो जायेगी और बाड़ी-मानसरोवर का पानी निम्बाहेड़ा के लिये रिजर्व हो जायेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े कस्बे हैं, उनके पानी की समस्या का स्थायी

(श्री उदयलाल आंजना)

समाधान हो जायेगा। इसलिये हमेला डैम जिसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट भी सरकार के पास आयी हुई है, लगभग 20 करोड़ की है, अगर वह बाँध बना दिया जाता है तो निस्संदेह पानी की समस्या का समाधान हो जायेगा।

कटारिया साहब अभी कह रहे थे जब तक हम पानी को नहीं रोकेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो पायेगा। जब मैंने गत वर्ष इस बात को उठाया था, उस समय भी यह जवाब आया था कि यह कैचमेंट एरिये में है, जाखम के कैचमेंट एरिये में है, बीसलपुर के कैचमेंट एरिये में है, राणासागर के कैचमेंट एरिये में है। अगर हम कैचमेंट के नाम पर इन पेयजल योजनाओं को रोक देंगे तो किस प्रकार हम क्षेत्र में अच्छी बरसात होते ही जहां पानी अच्छा गिरता है, वहां लोगों को भी प्यासा रखेंगे। इसलिये सरकार जब यह नारा देती है कि 'खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में,' हमारे क्षेत्र का पानी बहकर बाहर चला जाता है। हमारे यहां के लोग प्यासे रहते हैं। आज जल स्तर घटते-घटते आठ सौ से हजार फीट तक नीचे पहुंच गया है। इस प्रकार के डैम जो हमारी भौगोलिक स्थिति के बहुत ही अनुकूल हैं छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़ की, वहां छोटे-छोटे बांध बनाकर पानी को रोककर हम स्थायी समाधान कर पायेंगे। माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इस साल तो जैसे-तैसे करके निकाल लेंगे लेकिन अगले सालों में हमारे सामने बहुत गम्भीर समस्या आ जायेगी क्योंकि जल स्तर बहुत ज्यादा घट गया है। इसलिये इन योजनाओं की ओर ध्यान देने का कष्ट करें।

साथ ही छोटी सादड़ी में एक चण्डी माता करके एक स्थान और है जहां 59 लाख का एनीकट 2003 में तत्कालीन जनजाति मंत्री दयाराम परमार साहब ने मंजूर किया था। उस समय से काम उस पर चल रहा है और 40 लाख रुपये उस पर खर्च हो गये हैं लेकिन आज उसके डूब क्षेत्र में जमीन आ रही है जिस पर मुआवजा करीब 60 लाख का बनता है। जनजाति विभाग उस डूब क्षेत्र का मुआवजा देता नहीं है। अगर चण्डी माता का एनीकट बन जाता है पूरा जिसकी लागत 59 लाख की है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोमाना, सरूपगंज, अम्बावली, रम्बावली, जलोदिया, केलूखेड़ा और सूबी, 6 पंचायतों का जल स्तर भी बढ़ेगा और वहां की पेयजल समस्या का भी समाधान हो जायेगा। गोमाना और सरूपगंज को पाइप लाइन द्वारा वहां से जोड़कर पानी दिया जा सकता है। 60 लाख रुपये के पीछे हमारे पंचायत समिति क्षेत्र का खाका सुधर सकता है। इसलिये 60 लाख रुपये चण्डी माता

(श्री उदयलाल आंजना)

एनीकट में मुआवजे के रूप में देकर पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने का कष्ट करायें।

कनेराघाटा क्षेत्र मेरे निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र का एक टापूनुमा क्षेत्र है जहां 6 पंचायतें हैं और मध्य प्रदेश के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जहां से होकर वहां जाया जाता है। टोटल पहाड़ी क्षेत्र है और ऊंचा टापूनुमा बना हुआ है। उन 6 पंचायतों में भी पानी की काफी समस्या है। वहां भी जब तक बरसात का पानी हम नहीं रोकेंगे तब तक पेयजल समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं कर पायेंगे। इसलिये उस क्षेत्र में मनोहरखेड़ी, गुंडारेल और रैन का नामा, जिसको पूर्व की सरकार ने भी बांध बनाने के लिये प्रस्तावित किया था, ये ऐसे चिंहित स्थान हैं जहां अगर पानी को रोका जाता है तो वहां की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान भी हो जायेगा, जल स्तर भी बढ़ेगा और इससे कृषि को भी लाभ होगा। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान देकर आप हमारी ये छोटी-छोटी योजनाएं हैं इनको जल्दी से जल्दी पूरा कराने का आप प्रयास करें।

इसके अलावा, काफी लम्बे समय से निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी पंचायत समिति के 2 गांव हैं बम्बोरी और केसून्दा जहां पर पेयजल की योजना लगी हुई है लेकिन केसून्दा गांव में 6 साल से बिजली का सीधा कनेक्शन नहीं होने से, पंचायत समिति का सबसे बड़ा गांव है उसके बावजूद भी बिजली की आपूर्ति 6 घण्टे ही होती है कृषि के लिये थ्री फेस। इस कारण पानी पूरा नहीं मिलता है और टंकियां खाली रह जाती हैं। अगर उसको सीधा लाइन से जोड़ दिया जाए जिसका प्रस्ताव आया हुआ है लेकिन एक साल से वह विचाराधीन ही है, पेंडिंग है, अगर वह जल्दी जोड़ दिया जाए तो इस गर्मी में हमें काफी बड़ी राहत उससे मिलेगी।

बम्बोरी गांव भी दूसरा बड़ा गांव हैं पंचायत समिति छोटी सादड़ी का, वहां की एक जे एल आर बनी हुई है लेकिन उसका ट्यूबवैल कनेक्शन नहीं किया गया है। जलधारा योजना के तहत वह बनी थी पर आज दिन तक वह पेंडिंग पड़ी है करीब 5 साल से। उसको पाइप लाइन से जोड़ दिया जाए तो बम्बोरी में पानी वितरण की व्यवस्था भी सही हो सकेगी।

मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि ये छोटी-छोटी बातें हैं, गत वर्ष भी यह यहां उठायी गयीं और आज एक वर्ष पूरा होने के बावजूद भी पूरी नहीं हुई हैं, इसका मन में भारी दुःख है।

(श्री उदयलाल आंजना)

साथ ही यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि एम पी, एम एल ए, कंटिंजेंसी योजना या पंचायत समिति की टी एस पी योजना के तहत जो ट्यूबवैल और हैंड पम्प लगाये जाते हैं उनमें पानी उपलब्ध हो जाता है लेकिन कनेक्शन के अभाव में, आज अधिकांश सदस्यों ने भी इस बात को दोहराया है, अगर उनके कनेक्शन की व्यवस्था कर दी जाय जल्द ही तो पानी उपलब्ध हो जाता है। टयुबवैल लगाते ही पानी आ जाता है। लेकिन कनेक्शन की जब फाइल लगाने जाते हैं बिजली विभाग में तो डेढ़-दो लाख, तीन लाख रुपये का डिमांड नोटिस आता है। इतनी बड़ी राशि ना तो एम.पी. फंड से मिल पाती है और ना विधायक फंड से मिल पाती है, ना कंटिंजेंसी में मिलती है। सरकार को अपने लेवल पर जिन ट्यूबवैल में पानी उपलब्ध हो जाये, उनमें कनेक्शन की जवाबदारी लेनी चाहिए ताकि पानी इस गर्मी में दिया जा सके।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में और भी छोटे-छोटे बांध हैं जिनके संबंध में समय-समय पर निवेदन किया है, अगर उनको पूरा कर दिया जाये तो पेयजल का स्थायी समाधान हो सकेगा।

मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, वास्तव में सही बात तो यह है कि मैंने पानी के लिए संघर्ष करते-करते ही विधान सभा को देखा है। मैंने जितना पानी के लिए संघर्ष किया है मेरे खयाल से उसका वर्णन करूंगी तो बहुत कुछ कह सकती हूं। पानी के लिए संघर्ष किया है, हर समय घड़े फोड़े हैं और काम किया है।

सभापति महोदय, उस स्थिति में और आज की स्थिति में काफी अंतर है। उस समय जनसंख्या कम थी, अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है। एक समय वह था, आज तो दुनिया भर के अफसर हो गये हैं, मगर उस समय एक ही था जोधपुर के अन्दर अफसर फतेहराज जी व्यास, जिन्होंने पानी का टैंक बनवाया था बाई जी महाराज के आश्रम में और एक फिल्टर हाउस था। उस फिल्टर हाउस से जोधपुर में पानी सप्लाइ होता था। मगर आज की बात कुछ और है।

सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि प्रत्येक नागरिक को शुद्व पेयजल चाहिए। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसे शुद्व जल मिले। शुद्व जल

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

की उपलब्धता मूल अधिकार है। हम आजादी के 62 साल के बाद भी हर आदमी को पीने का शुद्व पानी मिले, यह सुनिश्चित नहीं कर पाये हैं। अभी जो राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं उनका एक नारा भी है कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ'। पानी देओ ही नहीं तो क्या बचायें? बिजली देओ ही नहीं तो क्या बचायें? और स्कूलों के अन्दर कुछ टाट-पट्टी भी बैठने के लिए नहीं दोगे तो बच्चों को क्या पढ़ाओगे?

सभापति महोदय, मैं अभी तो कुछ मेरी बात कहना चाहती हूं, उसके बाद में मेरे क्षेत्र की बात कहूंगी। मगर मेहरबानी करके आप घंटी मत बजाना, नहीं तो मैं मेरी सारी बात भूल जाऊंगी। मेरे को आप थोड़ा टाइम देना। अगर मैं 5-10 मिनट ज्यादा भी बोल जाऊं तो कोई बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य: जोधपुर का मामला है।

श्री सभापति: एक मिनट आप विराज जायें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): टाइम का आपने कहा तो फिर टाइम बढ़वा देते हैं।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 10 बजे तक के लिए बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय 10 बजे तक के लिए बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय 10 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

राज्य में बिजली, पेयजल व अकाल की स्थिति पर विचार

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अगर किसी बंदे ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जन याचिका लगा दी तो राज्य सरकार की क्या स्थिति होगी? 90 प्रतिशत समय कांग्रेस ने राज किया और अरबों रुपये पेयजल पर फूंक दिये और अब भी इतने बड़े क्षेत्र में शुद्व पेयजल नहीं उपलब्ध करा रहे हैं।

सभापति महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यह ले लूं क्योंकि यह मेरी नजर में है। मैं कहना चाहती हूं कि सरस्वती नदी जो कि भूमि के

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

अन्दर गुप्त रूप से बहती है, इसका मार्ग पश्चिमी राजस्थान से होकर के गुजरता है। सैटेलाइट मानचित्र सरकार के पास है; पूरे मार्ग का पता है फिर भी इसके ऊपर सरकार पैसा खर्च नहीं करना चाहती है। इसके ऊपर पूर्ववर्ती जो आदरणीय वसुन्धराजी की सरकार थी तो कुछ पैसा उन्होंने वहां पर खर्च किया था। उसके आंकड़े तो मेरे पास अभी हैं नहीं मगर वहां किया था। अगर यह सरकार ग्रामीण क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराना चाहती है तो मेरा सुझाव है कि यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। पश्चिमी राजस्थान के हजारों गांवों, ढाणियों तक मीठा पानी पहुंच सकता है। मुख्य मंत्रीजी पश्चिमी राजस्थान के हैं और जलदाय मंत्रीजी भी पश्चिमी राजस्थान के हैं, मैं आपसे यह मांग करूंगी और मेरी राय भी दूंगी कि बजट में संशोधन करके इस हेतु 50 या 100 करोड़ रुपये भी लग जायें तो कोई परवाह नहीं है मगर इस सरस्वती नदी में टयुबवैल खुदाकर के ग्रामीण क्षेत्र में पानी देंगे तो मैं समझती हूं कि पानी की समस्या का काफी समाधान हो जायेगा।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी मंदी और धन की कमी की बात बहुत बढ़ा-चढ़ाकर करते हैं, घुमाकर कह देते हैं कि पैसे की कमी है, काम कैसे करेंगे, पाइप लाइन कैसे लायेंगे, इस तरह कहेंगे। मगर मेरी जो राय है वह मैं आपको बताना चाहूंगी कि नये कर लगाते समय आम उपयोग की वस्तुओं पर कर लगाने से, बिजली पर 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया है, इससे कितना धन मिलेगा? मेरा एक सुझाव है, यदि वे मान लेते हैं तो पूरा कराधान बदल जायेगा। इस बात को आप लोग ध्यान से सुनना। राज्य में शराब, पेप्सी, कोका कोला, सिगरेट, गुटखा पर एक रुपये का विकास कर लगायें और सख्ती से उसकी पालना करें तो कितना राजस्व मिलेगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अरबों रुपये का राजस्व मिलेगा। शराब, पेप्सी, कोला, सिगरेट, गुटखा, सभी स्वास्थ्य को खराब करते हैं और नशा करने वाला भी यह पीने से जल्दी मरता है। इसके ऊपर अगर मुख्य मंत्रीजी टैक्स लगायें और टैक्स भी ज्यादा लगाना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर तो मैं समझती हूं कि मुख्य मंत्रीजी की कोई निन्दा भी नहीं करेगा, उनसे लोग खुश होंगे। शहर में लोग चौराहों पर उनके लिए अच्छी बात करेंगे कि क्या अच्छा अशोक जी ने काम किया है। ऐसे लोगों पर टैक्स लगाना है। लेकिन पैसा किस पर बढ़ाया, बिजली के ऊपर। उससे आपको क्या मिलने वाला है? अगर इन लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ायेंगे तो आपको पता चलेगा कि टैक्स मिल रहा है, अगर सही में पता करना है तो।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सभापति महोदय, 10 से 12 रुपये में एक बोतल पानी आता है। वह पानी कौन पियेगा? गरीब व्यक्ति तो वह पानी नहीं पियेगा। वह पानी पियेंगे अमीर लोग, वह पानी पियेंगे बंगलों वाले, वह पानी पियेंगे होटलों के अन्दर। पेप्सी वालों की और अन्य लोगों की बहुत जबरदस्त फैक्टरियां लगी हुई हैं और वहां उन्होंने पता नहीं, कितना खोद रखा है। वहां पानी ही पानी निकालते हैं। प्रत्येक बोतल पर एक रुपया टैक्स लगा दो तो करोड़ों रुपयों, अरबों रुपयों का राजस्व मिलेगा। इसी तरह से सरस्वती नदी को खोजकर उस अमृत जैसे मीठे पानी को गांव और ढाणियों तक पहुंचायें। माननीय मंत्रीजी, आप इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें और इसको देखें। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी को ऐसा करने में क्या अड़चन आती है? आम आदमी को क्या दिक्कत आती है? यह शराब वाले, पेप्सी, कोला वाले, बोतलों के पानी वाले, सिगरेट, गुटखा वाले बहुत अमीर और रसूख वाले लोग हैं। वे एक मुश्त पैसा बहा देंगे पर आपको टैक्स नहीं देंगे। यह आप मेरा आरोप समझें, चाहे मेरा सुझाव समझें या कुछ भी समझें।

सभापति महोदय, राज्य में डार्क जोन रोकने हेतु शीतल पेयजल की कम्पनियां जैसे कोका कोला, पेप्सी, लोकल शीतल कम्पनियां उत्पादन हेतु हजारों, लाखों लीटर भू-जल का उपयोग करती हैं। इससे जिस क्षेत्र में ये प्लांट लगते हैं, वहां थोड़े ही समय में क्षेत्र डार्क जोन में आ जाता है। इनको अविलम्ब रोका जाये, ऐसे सभी प्लांट अविलम्ब बंद किये जायें।

सभापति महोदय, मैं मेरी जो राय थी और जो मेरे को समझ में आया वह बात मैंने कही है। मगर मैं अब मेरे क्षेत्र की कुछ बात भी कहना चाहूंगी, लेकिन मेरे को यह भी डर लगता है कि कहीं आप घंटी नहीं बजा दें। तो अब मैं परम्परागत जल स्रोतों के बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि जोधपुर शहर एक ऐसा शहर हैं जहां इतने जल स्रोत हैं, अगर आप इनको सुरक्षित और इनके जल का आप ध्यान रखें तो मैं यह कहना चाहती हूं कि कुओं, बावड़ियों, तालाबों की संख्या इतनी है कि मैं कहां से शुरू करूं। मैं तो यह कहना चाहूंगी कि जोधपुर में फतेहपोल किले से, किले के बाहर आते हैं तो धाबाई का कुआ, उसके आगे आते ही जत्था बेरा, उसके आगे आते ही जातरा कुआ, उसके आगे आते ही मूथों का बेरा, उसके आगे आते ही नाथावतों का बेरा, नीमला कुआ, कुम्हारिया कुआ, दुनिया भर के कुएं हैं, इस तरीके से एक-एक करके मैं गिनती करूं तो उसका कोई पार ही नहीं है। अगर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

उन कुओं को आप अच्छी तरह से सुरक्षित रखें तो मैं समझती हूं कि शहर के अन्दर तो कम से कम पानी की तकलीफ नहीं आएगी मगर उनको कोई सम्भालने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा राज तो कांग्रेस ने किया है, मगर कभी भी इन्होंने जल स्रोतों के ऊपर सोचा ही नहीं। यदि मैं बावड़ियों का नाम लूं, कुओं के नाम तो नहीं के बराबर लिए, इतने कुएं हैं, मैं आगे चलूं तो जिस किसी व्यक्ति के पास हमारे जोधपुर में अगर ज्यादा धन होता तो वह कुएं और बावड़ियां खुदवाता। हमारे यहां जालम बावड़ी है, गुलाब सागर है, फतेह सागर है, उम्मेद सागर है, गंगलाव तालाब है। माननीय सभापति महोदय, गंगलाव तालाब में चार बेरियां थीं, उन बेरियों का बहुत बड़ा इतिहास था। एक बेरी से तो अगर सफेद कपड़ा धो लेते तो वह पीला नहीं होता था; एक बेरी ऐसी थी जिससे पुराने जमाने के लोग लापसी बनाते थे, वह लापसी उससे बहुत बढ़िया बनती थी। इस तरह से उन चारों बेरियों का बड़ा इतिहास है। मगर आज ऐसा है कि वहां गंगलाव तालाब है वह दिखता ही नहीं है, तालाब वहां है कि नहीं है, भगवान जाने ऐसा क्या कर दिया। एंक्रोचमेंट कर दिया। यह एंक्रोचमेंट कांग्रेस की देन है, वह एंक्रोचमेंट भी इनकी वजह से है, ऐसे अधिकारी लगाए हुए हैं जो एंक्रोचमेंट करते नहीं हैं, करवाते हैं। मैंने कई दफा यहां पर मंत्रीजी से भी कहा है, सबको कहा है मगर इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से गुलाब सागर हो, फतेह सागर हो, इनके बारे में बात कहूंगी। इनमें कचरा भरा हुआ था। मैंने तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धरा राजे जी से निवेदन किया कि गुलाब सागर और फतेह सागर, यह राजा-महाराजाओं के बनाए हुए वहां पर हैं। एक तिरया का झालरा है, उस झालरे की बनावट और उस झालरे का पानी आप देखें कांच की तरह पानी है मगर उस पानी को टैस्ट कर उपयोग में लेवें तब है। तापी बावड़ी और जालम बावड़ी का पानी जनता को दे रहे हैं। गुलाब सागर और फतेह सागर के लिए पूर्व माननीय मंत्रीजी, वसुन्धरा राजे जी ने मेरे अनुरोध पर, मेरे निवेदन पर साढ़े तीन करोड़ रुपए दिए थे। आज वे इतने बढ़िया बन गए हैं, फिर भी लोग-बाग़ कचरा डाल देते हैं। उनको कोई देखने वाला नहीं है, मोनिटरिंग करने वाला आदमी चाहिए ताकि ये तालाब, वगैरह अच्छी तरह से रह सकें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि आप प्रत्येक भवन, शौचालय सहित सभी जल निकासी को भूमिगत टैंक के माध्यम से भूमि में

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मिलाने की संरचना अनिवार्य रूप से बनवावें जिससे बरसात का पानी, नहाने, धोने से निकला पानी भूमि में छन कर भूमि में ही मिल जाए और भू-जल स्तर भी इससे बढ़े, ऐसी मेरी दृढ़ इच्छा है। आप इस पर भी थोड़ा ध्यान फरमाएं।

माननीय सभापति महोदय, वर्षा जल की एक बूंद व्यर्थ न जाए, इसके लिए गांवों में छोटे चैक डैम बनाने की योजना बनाई जाए। प्रत्येक गांव, ढाणी में प्रत्येक घर में फेमिन में और नरेगा में भू-जल पुनर्भरण संरचना, वर्षा जल टांका, छोटे चैक डैम का निर्माण प्राथमिकता से करवाएं ताकि पुराने समय में जिस तरह से आने वाले समय के लिए वर्षा जल का संरक्षण किया जाता था उसी तरह का अब हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण के बाद आपने सेम से ग्रस्त दलदली भूमि की समस्या भुगती, नहरों में रेत भर जाने की समस्या भुगती। नहरों की मरम्मत और सफाई के नाम पर करोड़ों रुपयों की राशि खर्च की जा रही है। उस समय भी एक सुझाव आया था कि नहरों के स्थान पर पाइप लाइन का उपयोग किया जाए, अब नहर का पानी आने वाला है, नर्मदा नहर का पानी दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए पाइप लाइन लगाने के लिए मेरा सुझाव है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की समस्या के बारे में कहूंगी कि मैं जिस सूरसागर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आती हूं, वहां इतनी कालोनियां ऊंचाई पर बसी हुई है कि वहां पर पानी नाम मात्र भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि जहां इतनी कालोनियां बस गई हैं, वहां हर चार कालोनियों के बीच में पानी का एक एस आर बनाया जाए ताकि वहां के लोगों को पेयजल सुलभ हो। क्योंकि वहां पर लोगों ने नगर तो बना लिया, कोई हरि नगर हो गया, कोई कीर्ति नगर हो गया, कोई शंकर नगर हो गया, ऐसे कई नगर हो गए लेकिन उन नगरों में पानी की बड़ी भारी तकलीफ आ रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि वहां पर पानी की आप व्यवस्था करें। पानी नहीं है तो कुछ नहीं है, पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। तो आगे जाकर क्या अपना मेसेज हम देंगे? तो मैं यह चाहती हूं।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि जोधपुर में, सूरसागर में जितने भी एस आर बने हुए हैं, उनमें जिनमें लीकेज हो रहा है उनको ठीक करने के लिए आप अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराएं ताकि वह काम हो सके। मुझे अभी जिस तरह की जानकारी मिली कि जोधपुर में कुडी-भडिण्डा योजना में 7 करोड़ के पाइप बिना अनुमति के खरीदे गए और कुछ भी नहीं लगाए गए और जिसकी मर्जी आए वह पाइप उठाकर ले जा रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है।

एक साल से मैं कह रही हूं कि सूरसागर में ऊंटों की घाटी, काली बावड़ी, भूरी बेरी, जहां पर पानी की शिकायतें मुझे मिलती हैं, मैंने पानी के लिए संषर्घ किया और पानी के लिए मैं शिकायत सुनूं, यह मेरे बिलकुल गले नहीं उतरता है। मैंने मेरे फंड से वहां पर हैंड पम्प, पाइप लाइन, वगैरह के लिए 5 लाख रुपए दिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी तो अब कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए दे रहे हैं वह पानी के लिए दे रहे हैं, मैंने तो पहले ही वहां पर पानी के लिए पैसे दे दिए और मेरे फंड से हैंड पम्प खुदवाएं हैं वहां ऊंटों की घाटी में। गरीब आदमी वहां रहते हैं, वहां पर सांसी-भील, वगैरह रहते हैं। मैंने कहा कि आप पानी कहां से लाते हैं तो उन्होंने कहा कि वहां पर नीचे से पानी ला रहे हैं। आप सही मानो तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, इतनी घाटी चढ़कर पानी कैसे ला रहे हैं। यह क्या सरकार है? मैं उस क्षेत्र में इस बार ही गई थी, इसलिए मुझे दु:ख हुआ, मैंने उसी वक्त आकर के यह कहा कि वहां के लिए कुछ पैसा, धनराशि दो।

मैंने वहां के अधिकारियों को खूब कहा कि वहां पर पाइप लाइन लगा दो। पाइप लाइन के लिए कहा तो कहा कि पाइप नहीं हैं, ये पांच-पांच और सात-सात करोड़ रुपए के पाइप कहां से आए? अब लोग उठा-उठा कर ले जा रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट वाले ले जा रहे हैं, वह तो आपके गले उतर रहा है मगर पब्लिक के काम के लिए इनको फुर्सत नहीं मिलती और नहीं किया। जब मैंने मेरे सूरसागर के लिए पाइप मांगे तो आपने बिलकुल ही मना कर दिया; कह दिया अभी नहीं हैं, महीने भर बाद में डालेंगे, अभी एस आर बनाया है, कोई इनकी योजना नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि कम से कम ऐसे जो कोई भी इलाके हैं वहां पर कम से कम पानी की व्यवस्था तो तुरन्त करें। आप इस बात को बहुत गम्भीरता से लें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मगर मैं थोड़ा बिजली और अकाल के बारे में पांच-पांच मिनट और बोलूंगी। माननीय सभापति महोदय, बिजली के बारे में मुझे इसलिए बोलना है कि जोधपुर डिस्काम में जो बिजली के मीटर खरीदे हैं, मीटर खरीदे हैं इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है मगर उसमें अनियमितताएं थीं, वह हमें बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने बिजली के मीटर तो खरीद लिए, लाखों खरीद लिए लेकिन इन्होंने एक गलती यह की कि मीटर क्वालिटी टैस्ट करके जयपुर वालों ने रिजेक्ट कर दिया, अजमेर वालों ने रिजेक्ट कर दिया लेकिन जोधपुर वालों को इन्होंने मीटर थमा दिए। अब यह मीटर ऐसे हैं कि इनका टैस्ट 20 से 27 डिग्री तापमान पर किया गया है, यह मीटर 30 डिग्री से ज्यादा तापमान पर सही कार्य

(समय : 17.00 बजे)

ही नहीं कर सकते। तो फिर पश्चिमी राजस्थान में तो 40 डिग्री तक तापमान रहता है। इसके लिए जोधपुर डिस्काम ने पास कैसे कर दिया? इसलिए इन अधिकारियों की मिलीभगत, क्योंकि कुछ मैं अब मेरे ऐसे शब्द तो नहीं कहूं मगर, मैं यह कहूं, अधिकारियों ने इसमें अपना सारा उल्लू सीधा किया और उल्लू सीधा करके जो डिग्री 20 और 27 बता रहे हो, वह 40 डिग्री। और जोधपुर तो ऐसे ही तापमान से भरा हुआ है। तो इन मीटरों को आपने कैसे लिया और कैसे पास कर दिया? आज गर्मी के अन्दर भी कहते हैं कि मीटर तेज चलता है, पब्लिक आकर इतनी शिकायत करती है। शहर में तो क्या मालूम; लोग मेरे को, अगर एम एल ए होती तो करते कि नहीं करते, मगर सूरसागर वाले एक आदमी मिलने नहीं आता, माननीय सभापति महोदय, 40-50 आदमी साथ ही आते हैं, एक ही साथ। फिर क्या होता है, पुलिस का आदमी देखने आता है कि क्या हुआ आपके, मैडम, कोई शोर हुआ क्या। मैंने कहा, शोर नहीं, सूरसागर वाले हमारे ऐसे ही आते हैं, आप इसकी चिंता मत करो।

तो इस तरीके से इस काम में बड़ी भारी अनियमितता हुई है। बिजली के बारे में मेरा बहुत जी दुःख रहा है, इसलिए कह रही हूं कि इस तरीके से करेंगे तो कैसे होगा? माननीय सभापति महोदय, जनता हर समय इनकी शिकायत करती रहती है फिर भी इनके कानों में, और ये मीटर ढेरों में बंद पड़े हैं। आज भी कोई भी अगर, मैं कोई बी जे पी, कांग्रेस की बात नहीं करती, न मैं आपके ऊपर आरोप लगा रही हूं, मगर मैं यह चाहूंगी, आज भी अभी भी, मैं तो

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

यहां बैठी हूं, अभी आप किसी को पता करा लो और कलक्टर को भेजकर पता करवाओ कि मीटरों की क्या हालत है और वहां मीटर कितने खराब पड़े हैं और किस तरीके से कूड़े-करकट के अन्दर पड़े हैं। यह मैं कहना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक मेरा बहुत अच्छा, सुझाव भी समझो या कुछ भी, सूरसागर क्षेत्र में उसकी नगरीय विस्तार के रूप में योजना बनाई जा रही है तो सरकार से मेरी मांग है कि भविष्य में इस योजना को आप जल्दी से जल्दी पूरा करें। जहां जी आई की आवश्यकता हो तो उसके अनुरूप आबंटन करवा लो, क्योंकि इसके बाद दुनिया भर के सूरसागर में एंक्रोचमेंट की बाढ़ आई हुई है, इतना इंक्रोचमेंट हो जाएगा कि आपका आर एस ई बी ढूंढेगा कि यह सेट लगाओ तो लगाने को नहीं मिलेगा। वहां पर कोई देखने वाला भी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं विद्युत केबल के भूमिगत कार्यों को उचित रूप से पूर्ण कराया जावे, क्योंकि अभी काम रुका हुआ है।

श्री सभापति: शेष बात आप उनसे बैठकर के करवा लें, शेष अगर कोई बात है तो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): दो मिनट का ही काम है। जोधपुर में विभाग की लापरवाही से अनेक बार वोल्टेज से, वोल्टेज से क्या होता है कि साहब, केबल के केबल जल जाते हैं और ऐसी अवस्था होती है कि लोगों के टीवी, फ्रिज, ये जल जाते हैं। फिर यह कोई मुआवजा थोड़े ही देते हैं। माननीय सभापति महोदय, या तो ऐसा करो कि वोल्टेज की वजह से अगर कहीं ऐसा हादसा हो गया तो यह सरकार मुआवजा दे, आर एस ई बी मुआवजा दे मगर ये मुआवजा नहीं देते। जहां कहीं भी सड़कों के बीच के अन्दर जहां पोल वगैरह लगे हुए हैं, पुराने पोल हैं, पुराने पोल भी ऐसे हैं, कोई ढांगे हो गये, कोई बांके हो गये, कोई टैस्टेड होकर लगे हुए हैं। तो इस व्यवस्था को सुचारु रखें। विभाग का लाइनमैन है, एक बहुत छोटा-सा ही सुझाव है, माननीय सभापति महोदय, विद्युत अवस्था को सुचारु रखें, विभाग में लाइनमैन, परन्तु विभाग में लाइनमैन को कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है, इनकी कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो सकता है इनको तो इसके लिए समुचित ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि इनको कुछ राहत मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं पानी के बारे में बोल गई हूं, बिजली पर बोल रही हूं। अब मैं थोड़ा सा अकाल के बारे में दो मिनट आपको और कहना चाहूंगी, अकाल राहत मंत्रीजी हैं।

श्री सभापतिः यह आप मंत्रीजी के साथ विराज जाएं, उनको समझा दें, मेरे ख्याल से मंत्रीजी काफी उदारदिल हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): मेरे मन में एक ऐसे रहेगा कि मैं खास बात तो बोली ही नहीं हूं।

श्री सभापति: चलिए, आप पढ़िए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): वह पढ़ने का तो क्या है कि मेरा थोड़ा आपरेशन किया हुआ है। राजस्थान राज्य में अकाल प्रकोप नियमित रूप से रहता है, हर साल अकाल रहता है। माननीय सभापति महोदय, मेरी ऐसी कुछ इच्छा है कि एक तो गायों के लिए ज्यादा से ज्यादा इनको चाहिए कि धनराशि गौशाला आए, वह देवें, चारे के डिपो खोलें और जो दुधारू गायें हैं, नस्ली गायें हैं जो कि या देशी, मैं खुद गायें रखती हूं, आज की तारीख में मेरे पास 10 गायें हैं और अभी आप मानोगे भी नहीं, मैं सुबह उठकर के उनका गोबर साफ करती हूं, तब मेरे को ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ काम किया है। तो मैं अभी तक भी सारा घर का काम, मेरी उम्र को देख लो तो भी मैं क्या, मैं छोटा-मोटा काम करती रहती हूं ताकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। इन गायों के लिए मेरा बहुत रहता है। माननीय सभापति महोदय, गायों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि छापर गाय है, नस्ल का इस प्रकार का संरक्षण किया गया है, गाय का दूध विशेष परिस्थितियों के अनुरूप मां के दूध जैसा पौष्टिक होता है, गाय का दूध मां के बराबर है, मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उतना ही दूध गाय का अनिवार्य है। मेरा सुझाव है कि सरकार वन भूमि के संरक्षण के लिए ठोस उपाय करे, सरकारी दावों को बढ़ाकर नवीनीकरण कराया जाए। माननीय सभापति महोदय, इन गायों के लिए कुछ न कुछ अपने को करना चाहिए। चारा डिपो खोलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, मेरा आपसे यह निवेदन है क्योंकि अगर अपन चारा डिपो और गायों की सुरक्षा नहीं करेंगे, यहां तक कि सूरसागर के अन्दर एक गौशाला है, वह है नगर निगम की, माननीय सभापति महोदय, उन गायों की वह हालत हुई और ऐसे नोच-नोच कर जानवर खा गये इनको पानी के अभाव में और चारे के अभाव में। वह गौशाला की, नगर निगम की, नगरीय मंत्रीजी भी बैठे हैं इसलिए इनको भी थोड़ा सा इशारा कर दूं, आप थोड़ा रखें। मैं अकाल राहत मंत्रीजी से कहूं कि शहर के अन्दर, सूरसागर के अन्दर चारों तरफ चारे के डिपो खोलें क्योंकि हमारे यहां गायों का बहुत बड़ा रहता है। मैं खुद गौ-भक्त हूं और अगर आप गायों के बारे में बोलते और आज मेरे स्वर्गीय पिताजी मौजूद होते और गायों के बारे में आप बोलते तो

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सुबह आपको पुष्पाहार पहनाने के लिए आ जाते, आपके यहां पर, क्योंकि उनको गायों का बहुत था।

अब मैं आपको, सभापति महोदय, धन्यवाद दूं कि आपने मेरे को बहुत अच्छा बोलने का मौका दिया और मैं आपको मेरी सारी बात भी कह सकी।

श्री सभापतिः श्री सुरेन्द्र जाड़ावत।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज अकाल, पेयजल और बिजली की चर्चा के अन्दर भाग ले रहा हूं। मैं सर्वप्रथम ऊर्जा मंत्रीजी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरे क्षेत्र के अन्दर जो बहुत कमियां थी, वह इन्होंने पूरी कर दीं। मैं मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद दूंगा कि आठ 35 केवीए के जी एस एस, एक 132 का जी एस एस, एक 132 से 220 अपग्रेडेशन है, एक 400 का जी एस एस, यह इन्होंने मंजूर कर दिये। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। दूसरा धन्यवाद मैं अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि छात्रों की परीक्षाएं हैं, सिंगल फेज बिजली नहीं मिल रही लेकिन मंत्रीजी का धन्यवाद कि मेरे क्षेत्र के अन्दर बिजली की आपूर्ति काफी अच्छी है और वहां पर पूरी तरह से संतुष्टि में है वह क्षेत्र।

अब मैं संक्षिप्त में जो दो चार सुझाव हैं, मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा। एक तो ऊर्जा मंत्रीजी, अकाल के समय जो पिछली जब हमारी सरकार थी तब मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि अकाल के समय जिन किसानों के कुओं में पानी नहीं है, वे बिजली के कनेक्शन कटा लें और जब पानी आ जाए तब उनको पुनः जोड़ दिया जाए, वह मेहरबानी करके आप उस स्कीम के अन्दर जरूर शामिल कर लें।

दूसरा, ऊर्जा मंत्रीजी, मेरा यह निवेदन है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि एस टी को एस सी की तर्ज पर ही कुओं के कनेक्शन के अन्दर आप उनको प्राथमिकता दें क्योंकि एक बहुत बड़ी विसंगति है कि एस सी को तो प्राथमिकता है लेकिन एस टी को प्राथमिकता नहीं है, बाकी तो हर क्षेत्र में उनको बराबर-बराकर की प्राथमिकता है। इसलिए आप मेहरबानी करके उसको भी प्राथमिकता दें।

तीसरा मेरा आपसे अनुरोध है कि 11 केवीए लाइन जो गांवों के अन्दर गुजर रही है, उससे आए दिन हादसे होते हैं। शहरी क्षेत्र के अन्दर तो हम

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

नगरपालिका को कहें कि जो आपकी डिमांड निकलती है कि इसका इतना चार्जेज लगेगा, इनको लाइनों को शिफ्ट करने का, वह तो जमा हो जाता है लेकिन गांवों के अन्दर पंचायतें जमा कराने की स्थिति में नहीं हैं। इसके लिए मेहरबानी करके मेरा आपसे भी, क्योंकि बहुत सारे हादसे हुए हैं।

चौथा, अभी आपका ग्रामों के अन्दर जो कार्यक्रम चलेगा बिजली की व्यवस्था का और उनके तारों को जो ढीले तार हैं, उनके जो खम्भे हैं, वे तार काफी सारे पुराने हो गये हैं और जब अन्दर तूफान चलेगा, यह तार कई जगह टूट-टूट कर गिरेंगे और वहां पर आए दिन आगजनी होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे तारों को आप बदलने की कृपा करें। मैं आपकी बिजली व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट हूं।

एक आखिरी निवेदन कि स्प्रिंकलर सेट पर आपने जो अभी प्राथमिकता के बारे में कनेक्शन देने की बात कही थी, वह ट्रांसफर का पैसा और खम्भे का पैसा इतना अधिक है क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पर जमीन किसी भी काश्तकार के पास 10 बीघा, 15 बीघा से ज्यादा नहीं है। यह भी मैं आपको बहुत ज्यादा बता रहा हूं। इसलिए उनका जब डिमांड नोट निकलता है, एक-एक लाख रुपये तो वह काफी अधिक आता है। इसलिए मेहरबानी करके इसके अन्दर क्या रियायत हम इस अकाल के समय दे सकते हैं, वह देवें। और नहीं हो तो चारा उगाने के नाम से कोई नई योजना निकालकर के हम काश्तकारों को लाभान्वित करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

अब मैं अकाल के बारे में कहना चाहूंगा कि, अकाल राहत मंत्रीजी, यह बहुत बड़ी प्राकृतिक विपदा राजस्थान पर आई हुई है। न सिर्फ राजस्थान में बल्कि यह पूरे देश के लगभग 10 राज्यों के ऊपर भी प्राकृतिक आपदा का प्रकोप हुआ है जैसे बिहार जहां हमेशा बाढ़ आती थी, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्षा की खूब बहुतायत थी लेकिन अभी पिछले वर्ष ऐसी स्थिति हुई कि हर जगह इस प्राकृतिक विपदा का सामना हमारे साथ उन राज्यों को भी करना पड़ा है। यह प्राकृतिक विपदा का सामना आज पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर के करेंगे तभी इस प्राकृतिक विपदा से राजस्थान की इस 6 करोड़ जनता और राजस्थान के 5 करोड़ पशुओं को हम लोग राहत दे पायेंगे। यह वक्त ऐसा नहीं है कि हम राजनीति करें, यह वक्त ऐसा है जब हम लोग संवेदनशील बनकर के जिस तरह से सदन में चर्चा कर रहे हैं, यह

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

सदन की चर्चा जब हम अपने क्षेत्र में जाएं, उसके साथ-साथ वह चर्चा सामने आनी चाहिए। अगर प्रतिपक्ष कमियां निकालने में रह गया, यहां रह गया चाहे बाहर रह गया, सड़कों पर आ गया तो कानून-व्यवस्था बिगड़ेगी और जो व्यवस्था संभालने में आपकी मदद की आज बहुत अधिक आवश्यकता है उसके अन्दर बहुत बड़ा व्यवधान पैदा हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम लोग मिल-जुलकर के इस प्राकृतिक विपदा का सामना करें।

अकाल राहत मंत्रीजी, यह मैं आपको इसलिए भी निवेदन कर रहा हूं कि पिछले वर्ष जब अकाल पड़ा था तो भयंकर अकाल था और उस वक्त स्वर्गीय गुलाब सिंह जी शक्तावत अकाल राहत मंत्री थे। उम्र उनकी काफी थी लेकिन वे बहुत देर रात तक शासन सचिवालय में बैठकर के और क्षेत्र के दौरे कर-करके हर जगह का उन्होंने जायजा लिया था। इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा। मैं यह इसलिए अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री गहलोत साहब ने खुद आकर के अकाल राहत के हर कार्य को अपनी नजर से देखा है और वहां मजदूरों को क्या परेशानी आ रही है उसको भी उन्होंने नजर से देखा है। उन्होंने यह भी देखा है कि जो महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के आ रही हैं उनके लिए पालने की व्यवस्था है या नहीं है, उनके लिए छाया की व्यवस्था है या नहीं है, मजदूरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है या नहीं है, उनको समय पर मजदूरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसकी व्यवस्था है या नहीं है, या मजदूरी मिल रही है तो कितनी मिल रही है, वह बराबर मिल रही है या नहीं मिल रही है या कोई मजदूर घर पर बैठा हुआ तो नहीं है। यह हमारे राजस्थान के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने स्वयं ने आकर के देखा है। यह आज भी वैसी की वैसी स्थिति आ गई है। आज भी राजस्थान के 27 जिले अकाल की चपेट में हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से अकाल का प्रबन्धन किया है, जिस तरह से उस वक्त के प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार के साथ बैठकर के दिन-रात एक करके इस व्यवस्था को संभाला है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस काम में जुट जाएं।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे जितने भी प्रभारी मंत्री हैं उनको भी बराबर हर अकाल राहत के काम को देखना चाहिए। नरेगा आपका 100 दिन का है, यह नरेगा को तो आप रिजर्व रखें और अकाल को प्राथमिकता देते हुए जो हमारा

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन है वह पूरी तरह से अकाल के ऊपर फोकस होना चाहिए और उस अकाल के ऊपर फोकस होकर के पक्के निर्माण कार्यों पर आना चाहिए। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमने 125 एनीकट बनाये और 125 एनीकट बनाने की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि जिस तरह से भूमिगत जल स्तर दिन पर दिन कम होता जा रहा है, वह कैसे रिचार्ज हो, कैसे उसके आसपास के कुएं रिचार्ज हों और जो हमारा किसान इस समस्या से जूझ रहा है, उस किसान को हम राहत दे सकें। 125 एनीकट बनायें, उन 125 एनीकट बनाने के बाद उस आसपास के एरिया में इतनी खुशहाली आई कि काश्तकार लोग जो 2-2 फसलें लिया करते थे वो 3-3 फसलें लेने लग गये और उनकी पैदावार के अन्दर भी वृद्धि हुई है। इसलिए केवल सड़कों के ऊपर मिट्टी डालने से काम नहीं चलेगा, हमको पक्के निर्माण कार्य भी साथ के साथ-हाथ में लेने पड़ेंगे। चाहे डवटेल करें चाहे नरेगा योजना के माध्यम से हम लोग करें लेकिन हमको पक्के निर्माण कार्यों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

जल संवर्धन कैसे हो सके इसके मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हमारे गंगारिया तालाब है भदेसर के अन्दर, उस गंगारिया तालाब के अन्दर हमने बहुत दूर-दूर से नहरें लाकर के, अकाल राहत के अन्दर काम करके नहरें लाकर उस तालाब को भरने का काम किया लेकिन फिर भी वहां पर कमी है। मैं चाहूंगा, अकाल राहत मंत्रीजी, कि आप मेहरबानी करके सिंचाई के लिए जितना भी है, जिला कलक्टर्स को आप निर्देश दें कि जहां पर भी सिंचाई से सम्बन्धित जो भी हम प्रस्ताव दें चाहे वह एनीकट का दें, चाहे बड़े तालाबों के दें, चाहे हम लोग नहरों के दें, वे काम प्राथमिकता के आधार पर लें। क्योंकि तीन महीने के बाद ईश्वर बारिश बहुत अच्छी करेगा। उस वक्त जो एनीकट हमने आज से 5 साल पूर्व बनाये, 10 साल पूर्व बनाये, उनकी देखरेख के अभाव में स्थिति यह आ रही है कि उनको पिछले समय जो वर्षा हुई उससे कुछ क्षति पहुंची है। इसलिए उनकी मरम्मत का कार्य भी करना है, नये एनीकटों को भी हमको बनाना है, नये तालाबों में भी पानी किधर से आ सकता है उसको लायें ताकि वाटर रिचार्ज होगा और आपकी पेयजल समस्या का समाधान भी होगा। जो नहरें अधूरी पड़ी हुई हैं वे नहरें भी हमारे इस अकाल राहत के कार्यों के अन्दर बनाई जाएं।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप मुख्य मंत्रीजी के साथ बैठकर के

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

क्योंकि उन्होंने उस अकाल राहत प्रबन्धन को बहुत नजदीक से देखा है, उन्होंने जो अकाल राहत का प्रबन्धन किया कि एक-एक पंचायत में दो-दो बोरी, दो-दो क्विंटल गेहूं 24 घंटे रहा करता था। जो असहाय आदमी थे उन आदमियों को 50-50 किलो गेहूं घर बैठे मुख्य मंत्रीजी ने पहुंचाया। इसलिए मेरा निवेदन है कि अकाल राहत मंत्रीजी के रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सामने है, आप दिन-रात इसमें लग जाएं और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस प्राकृतिक विपदा का हम कैसे सामना कर सकें क्योंकि हमारे मुख्य मंत्रीजी जानते हैं कि आज अकाल की सबसे ज्यादा मार पड़ती है तो गरीब व्यक्ति पर पड़ती है और यह जो नरेगा की आपकी योजना आई है, यह जो मुख्य मंत्रीजी ने अकाल राहत का प्रबन्धन किया तीन वर्षों में, यह जो नरेगा योजना बनी है उसकी पूरी की पूरी आप उठाकर के देख लें कि सारा का सारा जो उन्होंने तीन साल में प्रबन्धन किया था राजस्थान के अन्दर अकाल का, यह नरेगा उसकी पूरी की पूरी परिकल्पना है। तीन साल तक जो अकाल राहत के काम चलें और सोनिया गांधीजी ने उस वक्त राजस्थान में आकर दौरा किया था तब उन्होंने देखा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री की छवि एक गरीब के दिल के अन्दर बैठी हुई छवि है इसलिए वे हमेशा कहती हैं कि अशोक गहलोत प्रो-पूअर हैं, वे जानती हैं कि इस व्यक्ति को जितनी गरीब आदमी की चिंता है उतनी और किसी इन्सान को नहीं हो सकती। मेरा आपसे अनुरोध है कि उस वक्त केन्द्र में हमारी सरकार नहीं थी और जब अकाल पड़ा तब कई लोगों को यह था कि इस अकाल के अन्दर लोग मर जायेंगे लेकिन उन्होंने किसी को भूखा भी नहीं सोने दिया, उन्होंने चारे के अभाव में किसी पशु को भी नहीं मरने दिया। इसलिए आज आवश्यकता है कि पशुओं के लिए चारे की पूरी की पूरी व्यवस्था हो, चारे के डिपों का हमारा अच्छा प्रबंधन हो चाहे चारा कहीं से भी लाना पड़े। अकाल राहत मंत्रीजी, वह व्यवस्था भी आप बहुत जल्दी हाथ में ले लें क्योंकि हम लोग अब क्षेत्र में जायेंगे, क्षेत्र में जाते ही गांव का हर आदमी एक ही बात कह रहा है कि आप मजदूरी दे दें, पानी दे दें और इसमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से।

इसलिए आज पूरा का पूरा सदन जो चर्चा कर रहा है, पूरा राजस्थान देख रहा है कि दो दिन जो चर्चा होगी उसके बाद में सरकार क्या करने जा रही है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेहरबानी करके पूरी तैयारी के साथ में अकाल का क्या हम प्रबंधन करने जा रहे हैं, उसका मेसेज पूरे

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

राजस्थान की जनता को कल मालूम पड़ना चाहिए ताकि हम लोग जब क्षेत्र में जाएं तब लोगों को यह मालूम पड़े कि देर रात तक जो विधायक इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, देर रात तक जो सदन पूरा का पूरा इसमें चिंतित था उसके लिए आखिर में सरकार ने क्या निर्णय किया है। इसलिए अब मैं इतनी बात कहकर के अपनी बात को अकाल से सीमित करता हूं और पेयजल के ऊपर आता हूं।

माननीय पेयजल मंत्रीजी, आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं, जिला प्रमुख भी आप रहे हुए हैं और यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। पेयजल एक ऐसी त्रासदी है कि यह हर सरकार की समस्या है। देश में आजादी के पहले 35 करोड़ की जनसंख्या थी और आज हमारी जनसंख्या एक अरब 15 करोड़ के लगभग पहुंचने जा रही है। जिस तरह पानी का दोहन हो रहा है और जिस तरह की पाश्चात्य संस्कृति हिन्दुस्तान के अन्दर आ गई है उसके बाद में पानी का दोहन और ज्यादा बढ़ गया है। एक जमाना था जब आदमी केवल एक नीम की डाल से दातुन किया करता था, बबूल से दातुन किया करता था, कुल्ला करता था और एक मिनट में पानी की उसको बहुत कम जरूरत पड़ती थी। आज स्थिति यह है कि कोलगेट का ब्रश हम करते हैं और 4-5 बार उसके कुल्ले करते हैं। आज स्थिति यह है कि फ्लश लैट्रिन आ गई, कमोड आ गया और पहले एक लोटा पानी चाहिए था उसकी जगह आज 20-20 लीटर पानी चाहिए। पहले आदमी दो या तीन दिन में एक बार नहाता था पर आज स्थिति यह है कि एक दिन में आदमी 3-3 बार नहाता है। उस वक्त साबुन नहीं था, उस वक्त आदमी कपड़े 3-4 दिन में एक बार धोता था और आज रोज उसको पानी चाहिए। पहले के निर्माण कार्य इतने नहीं होते थे, आरसीसी नहीं हुआ करती थी, उस वक्त गांवों के अन्दर कच्चे मकान थे, पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, चूने के मकान बनते थे पर आज स्थिति यह है कि आज सीमेंट और आरसीसी की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं, बड़े-बड़े कल-कारखाने बन रहे हैं। तो,मंत्रीजी, पानी का दोहन तो दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जो आवश्यकता है, इस पेयजल की जो जल नीति आप बनाने जा रहे हैं, उसमें क्या-क्या ठोस कदम उठायेंगे, तब जाकर काम चलेगा।

अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि बीसलपुर से पानी आयेगा तो विरोध करेंगे, कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि चम्बल से पानी आ रहा

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

है तो हम विरोध करेंगे। मैं आपको बताऊं, माननीय सदस्य, आप कोई विरोध मत करो; अगर प्रकृति पानी अच्छा बरसायेगी तो यह वही बीसलपुर है जिसके अन्दर यह आया था कि पक्षी अपने घोंसले बचाने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। इतना पानी उस बीसलपुर के बांध में होता था और उस बीसलपुर के अन्दर चित्तौड़गढ़ से पानी आता है। आप तो ईश्वर से प्रार्थना करो कि खूब अच्छा पानी आये। अगर पानी अच्छा नहीं बरसा तो आप चम्बल और बीसलपुर का विरोध छोड़ो, एक दिन वक्त आयेगा, जब समुद्र से पाइप लाइन डालकर उसके पानी को फिल्टर करके हमें पीना पड़ेगा, यह स्थिति आ जायेगी। इसलिए आप इस तरह की बात मत करो कि वह पानी पी रहे हैं तो हम विरोध करेंगे या वह पानी पी रहे हैं तो हम वह विरोध करेंगे। आप तो ईश्वर से प्रार्थना करो कि पानी बहुत अच्छा बरसे।

मंत्रीजी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मेरे चित्तौड़गढ़ शहर के लिए, हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी बैठे हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आर.यू.आई.डी.पी. की 35 करोड़ रुपये की योजना घोसुण्डा बांध की थी, वह पूरे शहर के लिए मंजूर कर दी। उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन इसके साथ ही जो मेरे ग्रामीण क्षेत्र की बात है, वह मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे। मेरे ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर क्योंकि अब पैसे की कमी नहीं है, आपके पास में 1,108 करोड़ रुपये अभी केन्द्र सरकार से गांवों के लिए पेयजल के लिए आये हैं, मेहरबानी करके मेरे जो चित्तौड़ की ग्रामीण योजना आई है, एक बस्सी की, एक भाटियों के बड़ों की, एक माताजी की पांडोली की और एक बैजनाथा की 4.60 करोड़ रुपये की, जो हमारे विभाग ने भेजी है आपको पिछले वर्ष, मेहरबानी करके उनको आप जल्दी से जल्दी मंजूरी दें ताकि वहां पर इस गर्मी के अन्दर काम चालू हो जाये।

दूसरा, मेरा, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि यह जो जनता जल योजना है, यह 1994 में बनी हुई जनता जल योजना है, उस जनता जल योजना के अन्दर अब विसंगतियां आ गई हैं। वहां उस समय जो फार्मूला तय किया गया था कि जो जलदाय विभाग बजट आबंटन बहुत करता है विभाग को, 400 रुपये पर हैंड पम्प पर ईयर, एक नोर्म्स आपने तय कर दिया उसके अन्दर, उसके यदि मोटर जल जाती है तो उसको ठीक भी कराना पड़ता है, कोई पाइप लीकेज हो जाये तो उसको भी ठीक कराना पड़ता है, कहीं पाइप लाइन अगर टूट-फूट हो जाये तो लम्बी-चौड़ी पाइप लाइन भी डलानी पड़ती है। यह

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

नियम आपको बदलने पड़ेंगे और यह 1,500 की आबादी का फार्मूला आपको अब बदलना पड़ेगा, इसको 500 की आबादी पर आपको आना पड़ेगा तब जाकर यह योजना गांव के अन्दर बहुत अच्छी चला पायेंगे।

आज मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भी गांव से आते हैं, आज गांव के अन्दर यह हालत है, हम लोग कई बार गांव वालों से कहते हैं कि हम लोग आपके यहां एम.एल.ए. लेड से ट्यूबवैल खुदा देंगे, हम पाइप लाइन बना देंगे, हम आपके टंकियां बना देंगे लेकिन मेहरबानी करके जो बिजली का बिल आ रहा है, जो पी.एच.ई.डी. संचालित नहीं कर रही है, उनको पैसा जमा कराने की तो आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो यह कनेक्शन कट जायेगा, मेहरबानी करके दो रुपया संचित करें ताकि दो रुपया आप बचा लेंगे एक दिन का तो 60 रुपये के अन्दर आप घर बैठे पानी पी लेंगे। लेकिन, मंत्री महोदय, वह गांव वाला नहीं समझता, वह बीड़ी के बंडल तीन पी जायेगा दिन में लेकिन पानी के लिए दूसरा अपना नहीं बचा पाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप मेहरबानी करके, मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि मेरे चित्तौड़गढ़ विधान सभा में 240 सिंगल फेस मोटरें हैं और वह कनेक्शन भी हैं और उसके अन्दर पानी भी है लेकिन 50 जो मोटरें हैं, वे इसलिए बंद हैं कि उनका बिजली विभाग का बिल बाकी है। इस क्षेत्र में वह सारे के सारे कनेक्शन कटे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके जिला कलक्टर महोदय को जो आप कंटींजेंसी का पैसा दे रहे हैं, या तो आप उनको कहें कि जो कंटींजेंसी का पैसा है और आज जो पानी की समस्या से जूझ रहा है, पानी है वहां पर तो जिला कलक्टर उन बिजली के बिलों को जमा करा दें ताकि उस गांव के अन्दर की समस्या दूर हो सके। भैरोंसिंह जी का खेडा का मैं उदाहरण देना चाह रहा हूं। वह 1,500 की आबादी का गांव है, टंकी बन गई, पूरे गांव के अन्दर पाइप लाइन है और वहां पर सात एच.पी. की मोटर मैंने विधायक कोटे से डलाई हुई है लेकिन पांच साल से वह इसलिए बंद है क्योंकि 60,000 रुपये का बिल वहां बकाया है। पूरे गांव में जो वहां पर अपने कुएं हैं, वहां से पानी ला-लाकर पानी पी रहे हैं।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके आप या तो उनको अनुमति दें या आप मुख्य मंत्रीजी से बात करें कि जो 20 लाख रुपये हमको कहा है कि 20 लाख रुपये आप विधायक कोटे का पानी के लिए खर्च करें, मैं अपनी बात बताना चाहता हूं आपको कि 80 लाख रुपये का जो आपने हमको

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

कोटा दिया, मैं पिछले वर्ष का निवेदन कर रहा हूं, मैंने 62 लाख रुपये तो सिर्फ पानी के ऊपर दिये हैं केवल, 18 लाख रुपये दूसरे निर्माण कार्यों के लिए दिये हैं। तो मेहरबानी करके आप यह फैसला कर दें कि या तो जिला कलक्टर को कह दें, कंटिंजेंसी का पैसा इस बिल का जमा कराकर उन योजनाओं को चालू कर दें या हमको जो 20 लाख रुपये दें, हमको आप अनुमति दे दें कि हम बिजली विभाग को पैसा दे दें। इधर से पैसा सरकार में जा रहा है, कहीं ओर जा नहीं रहा है और वह विधिवत पैसा जमा हो रहा है और अगली बार आप यह तय करें, मंत्री महोदय, कि इस योजना को कैसे हम लोग संचालित करें। हमने हमारा पैसा भी लगा दिया है लेकिन हमारा पैसा इन कामों के लिए जाया हो रहा है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा। दूसरा, यह जो 1994 के अन्दर जनता जल योजना लागू की है, मैं निवेदन कर रहा हूं मंत्री महोदय से, उस समय जो आपने नोर्म्स तय किये हैं कि जो व्यक्ति पूरी उस योजना को देखेगा, उसको सिर्फ 500 रुपये मिलेंगे। मैं मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नरेगा के अन्दर जो पानी पिलाने वाला व्यक्ति है, जो 50 आदमियों को पानी पिलाता है, उसको तो देते हैं आप 100 रुपये दिन के और जो आदमी 5,000 की आबादी को पानी पिला रहा है, उसको आप दे रहे हैं 500 रुपये महीना। यह बहुत बड़ी विसंगति है, बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जिनकी 8-8, 10-10 साल की नौकरी हो गई है, मैं एक प्रकाश शर्मा का नाम आपको निवेदन करना चाह रहा हूं जो बिजेपुर पंचायत के अन्दर 5,000 आदमियों को पानी पिला रहा है, वह भूत की तरह 24 घंटे उस गांव को मैनेज करके रखता है कि कहीं पानी का संकट नहीं आ जाये। ऐसे वफादार लोग आपके विभाग के अन्दर अभी जनता जल योजना को संचालित कर रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके इन नियमों को भी आप बदलने की कृपा करें।

अब मैं सम-अप करने जा रहा हूं। सभापति महोदय, मेरे अपने चित्तौड़गढ़ विधान सभा में कई बड़े-बड़े गांव हैं, घोसुण्डा है, भदेसर है, साहवा भी बड़ा गांव है, इनके अन्दर आज चार-चार दिन के अन्दर पानी मिल रहा है। पानी की व्यवस्था है लेकिन वहां पर ओवरहैड टैंक नहीं है। वहां पर पाइप लाइन बहुत पुरानी बनी हुई है और वहां पर आपके पी.एच.ई.डी. की स्कीम है। इसलिए मेहरबानी करके चित्तौड़ विधान सभा के जितने भी बड़े गांव हैं, उन बड़े गांवों की आप नई स्कीम बनाइये और वह स्कीमों को आप लागू करें।

मंत्री महोदय, मैं एक आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

करके यह जो पेयजल का बहुत बड़ा संकट है, आप जिला स्तर पर पधारें। जिला स्तर पर अगर सम्भव नहीं हो तो आप संभाग स्तर पर पधारें। हम सब विधायकों को, प्रधानों को और जो भी हमारे नगरपालिका के अध्यक्ष हैं, सांसद् महोदय हैं, उन सबको बुलाकर आप एक विभाग के अन्दर एक अल्प समय के अन्दर जाग्रति पैदा कर दें कि हम लोग कितना गम्भीर होकर इस समस्या का मुकाबला करना चाहते हैं।

टैंकरों से सप्लाई करने की आपने जो व्यवस्था की है, यह मैं कहता हूं कि यह बहुत सुन्दर व्यवस्था है लेकिन इसमें करप्शन होता है। इस करप्शन को हम कैसे खतम कर सकते हैं, उसको आप अपने विभाग के स्तर पर बैठकर इसकी मानिटरिंग कैसे बढ़िया हो सकती है, उसमें किन-किन लोगों को शामिल करें ताकि कम से कम जो वहां पर टैंकर आ रहे हैं, पांच टैंकर आ रहे हैं तो कम से कम चार टैंकर तो उस गांव में पहुंचें। अगर कोई एक टैंकर, आप तो कोशिश करें कि एक टैंकर की भी गड़बड़ नहीं हो क्योंकि यह तो बड़ा आपराधिक कृत्य होगा, अगर यह पानी की कोई चोरी करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस टैंकर की व्यवस्था जो आपने की, इससे काफी स्थिति के अन्दर सुधार आया है लेकिन यह पानी के टैंकर चलेंगे जून तक और जून तक व्यवस्था अच्छी रहे, इसके लिए मेरा निवेदन है कि इसकी मानिटरिंग बहुत अच्छी हो, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

एक अंतिम बात कहता हुआ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं कि, मंत्रीजी, यह बहुत गम्भीर समय चल रहा है। इसके अन्दर आप मेहरबानी करके अच्छी तरह से इन कामों को थोड़ा बहुत अंजाम दे दें। हैंड पम्प मिस्त्रियों की हालत तो, मंत्री महोदय, और ज्यादा खराब है। मेरे यहां पर 2,000 हैंड पम्प हैं, मिस्त्री हैं सिर्फ 19 और इनमें नाकारा हैंड पम्प हो गये हैं करीब 20 प्रतिशत। एक हैंड पम्प मिस्त्री के हिस्से 80 से 100 हैंड पम्प आते हैं वह क्या-क्या हैंड पम्प को ठीक कर पायेगा? इसलिए आप मेहरबानी करके जब यह अकाल का समय हो, जब पेयजल का गम्भीर संकट हो, आप मेहरबानी करके कुछ आई.टी.आई. ट्रेंड्स लोगों को रोजगार देने का काम करें। वे आपातकाल स्थिति के अन्दर उन हैंड पम्पों को ठीक कर सकें और उनको सीधा पी.एच.ई.डी. की अच्छी मानिटरिंग के अन्दर दें। यह मैं निवेदन करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कमसा मेघवाल।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे पानी और बिजली की जो चर्चा हो रही है, उस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रही हूं कि पूर्व में मुख्य मंत्रीजी ने अखबारों के माध्यम से घोषणा की थी कि जहां-जहां भी जन-प्रतिनिधि जायें तो कर्मचारी-अधिकारी खड़े होकर उनका मान और सम्मान करें। तो, सभापति महोदय, मैं यह समझती हूं कि अधिकारी-कर्मचारी खड़े होकर, वे भी इंसान हैं और हम भी इंसान हैं, इससे कोई मान-सम्मान नहीं होता है लेकिन एक बात यह है कि जो कंटिंजेंसी योजना है, वह कलक्टर के माध्यम से दी जा रही है और उन्होंने किसी भी जन-प्रतिनिधि से नहीं पूछा कि कहां देनी है और क्या करना है। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि इस योजना, जो पानी की योजना है और जन प्रतिनिधियों से नहीं पूछा जा रहा है तो हमारा कहां मान और सम्मान हो रहा है? कई जने तो खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमें पच्चीस, साठ हैंड पम्प दे दिये, इतने-इतने ट्यूबवैल दे दिये और कल हमारी वह माननीय सदस्या कमलाजी बोल रही थीं, आज मैं भी कह रही हूं कि हमारे भोपालगढ़ क्षेत्र में एक भी अधिकारी ने हमारे कहने से एक भी काम नहीं किया, एक हैंड पम्प और एक भी ट्यूबवैल नहीं दिया। तो आम गरीब की अगर सुनवाई नहीं हो रही और हमारे काम नहीं हो रहे तो फिर वह मान और सम्मान किस काम का?

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाह रही हूं कि पानी की आज भयंकर समस्या है और पानी का स्तर नीचे जा रहा है, यह अपन सब के लिए एक बहुत ही सोचने का विषय है और पार्टी से ऊपर उठकर इस विषय पर विचार करने की बात है। आज देख रहे हैं कि देश इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने जा रहा है, शहरों के अन्दर बड़ी-बड़ी योजनाएं बन गईं और लोग कहां के कहां पहुंच गये लेकिन आज ग्रामीण आदमी, किसान आदमी और गरीब का बेटा वहीं का वहीं खड़ा है, उसके लिए पानी नहीं है पीने के लिए और अकाल की मार भी सबसे ज्यादा गरीब के ऊपर पड़ रही है। वह सबसे ज्यादा दुःखी

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

हो रहा है क्योंकि पानी अगर नहीं है पीने का तो पानी के बिना कुछ भी नहीं है।

मुख्य मंत्रीजी बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हैं कि जोधपुर जिले में पूरे जिले में पानी की समस्या नहीं होगी, खूब सारा बजट दे दिया लेकिन हम भी जोधपुर जिले के हैं, दिया तले ही अंधेरा है। भोपालगढ़ क्षेत्र जोधपुर जिले में ही आ रहा है। पिछली सरकार ने खांगटा, इन्द्रोका, माणकलाव योजना बनाई थी जो वाकूड खोखरिया से लेकर बारह-तेरह पंचायतें हैं, वहां 13 पंचायतों के लिए जो बनाई थी वह आज तक तो पूरी हुई नहीं। अपन देखते हैं कि अपन का घर का काम अगर सीमेंट का हो, घर बन रहा है और सीमेंट का काम जो बना दिया उसको कभी अधूरा नहीं छोड़ते, लगातार वह काम चलता रहता है, लेकिन साल भर से वह काम धीमी गति से चल रहा है, वह टंकियां अधूरी पड़ी हैं। जिन गांवों के लिए वह योजना बनी थी उन गांवों के लिए तो अभी तक पानी पहुंचा ही नहीं और बीच में से ही पीपाड़ रोड से, पीपाड़ के लिए पाइप लाइन डाली जा रही है। उसके लिए अभी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि पीपाड़ को पानी पहुंचाया जायेगा। हमें एतराज नहीं है, पीपाड़ को भी पानी मिले लेकिन जिन गांवों के लिए योजना बनी है पहले उन गांवों को पानी पिलाया जावे और फिर आप अपने पीपाड़ शहर को दो। मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि पीपाड़ मेरा दूसरा गांव है, लेकिन दूसरा गांव होने से मतलब थोड़े ही है। आप एक पीपाड़ को वहां से बीच में से ही जोड़ रहे हो। आप अगर पीपाड़ को पानी पिलाना चाहते हो तो वह दांतीवाड़ा की जो स्कीम थी उसको जल्दी से जल्दी लागू करो कि बाकी सभी गांव जुड़ जाएं, आम गरीब को और आम जनता को पानी मिल सके, मैं यही कहना चाह रही हूं। मैं सरकार से यह भी मांग करती हूं कि वह पीपाड़ वाली जो दांतीवाड़ा की योजना थी उसको जल्दी से जल्दी चालू कर दिया जाय।

मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी। जब भी अपन घर का मकान बनाते हैं, घर के लिए पाइप लाइन लगाते हैं तो इतनी, अपन दस दुकानों पर पूछकर फिर लगाते हैं कि यह पाइप लाइन कहीं लीकेज नहीं हो; अपन घर के लिए जो सीमेंट लगाते हैं तो सोचते हैं कि यह सीमेंट अच्छी होनी चाहिए; अपन जब घर बनाते हैं वह सात पीढ़ी तक चलता है और सरकारी मकान बनाते हैं, सरकार के पाइप होते हैं तो वह साल- दो साल में ही टूट-फूट कर बिखर जाते हैं। क्यों? यह क्या, यह कौन सी बात होती है? जो भी पैसा सरकार

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

का है, वह पूरी योजना पूरी की पूरी लगनी चाहिए। अधिकांश हैंड पम्प मेरे क्षेत्र में बेकार पड़े हैं। तो मैं मंत्रीजी से यह भी आशा करती हूं और भोपालगढ़ क्षेत्र तो वे क्षेत्र है जो मंत्रीजी का खुद का ही क्षेत्र है। जो जलदाय मंत्रीजी हैं, वे एक किसान पुत्र हैं और खुद किसान हैं, यह आम गरीब की आवाज और आम गरीब को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आपको जो यह जलदाय विभाग की, आप मंत्री बने हैं तो हमें आपसे बड़ी आशा और अपेक्षा है कि हमारे क्षेत्र में आप पानी की किसी तरह की कोई कमी नहीं

(समय : 17.34 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

रहने देंगे। मैं सरकार से यह भी मांग करती हूं ।कि इंदिरा आवास की जो योजना है, बी पी एल को जो इंदिरा आवास की योजना के तहत मकान के लिए जो पैसा मिलता है उस राशि को बढ़ाकर के उस बी पी एल परिवार के लिए घर में पानी का हौद बनाया जावे क्योंकि उस आम गरीब के घर में पानी का हौद बनेगा तो अपन सब को भी राहत मिलेगी।

कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपस में एक-दूसरे को समझने से होती है। छोटे अधिकारी, छोटे कर्मचारी को फोन करते हैं तो वह कहता है हम क्या करें, हमें तो ए ईएन साहब कहेंगे जब होगा। ए ईएन को फोन करते हैं तो कहता है एक्स ईएन कहेगा तब करेंगे। जब एसई को फोन करते हैं तो एस ई बोलता है मैं तो एस ई हूं ही नहीं। अब कैसे पता चलेगा वह एसई है या नहीं है। इतनी सी बात है कि अगर किसी से पूछ लें कि पानी कहां है, कि पानी तो उस घड़े में है; घड़ा कहां हैं, घड़ा तो गांव में है, गांव कहां है, गांव तो जिले में है, जिला कहां है कि राजस्थान में है; राजस्थान कहां है, राजस्थान तो हिंदुस्तान में है; और हिंदुस्तान कहां है, वह तो संसार में है; फिर पूछा, संसार कहां है, संसार तो पानी में है; तो फिर पानी कहां गया, कि पानी तो घड़े के अन्दर ही है। छोटी सी अगर बात समझ लें और कह दें तो पानी तो घड़े के अन्दर ही है। तो अगर अधिकारी-कर्मचारी जन-प्रतिनिधियों की आवाज सुन लें तो वह छोटी सी बात वहीं तक ही सीमित होकर यहां तक बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है।

मंत्रीजी, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगी कि कहते हैं कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर आंसू बहाने से क्या फायदा। अभी तो केन्द्र और

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

राजस्थान में कांग्रेस का ही राज है और पानी की किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए और बिजली की भी कमी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि शहरों के देखो, आई ए एस, आर ए एस, सभी शहरों के ही बनते हैं और इन्हीं के पुत्र बनते हैं, मंत्री हो चाहे अधिकारी हो। आम गरीब का बेटा कभी आर ए एस या आई ए एस नहीं बना क्योंकि उसको पूरी सुविधा नहीं मिलती है; न बिजली मिल पाती है, न उसके किसी तरह की उस गरीब की सुनवाई होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि गरीबों का और किसानों का आप भला करें और इस पानी की जो योजना है, कहीं भी किसी तरह की कमी नहीं रहे, इन्हीं शब्दों के साथ, जय हिन्द।

श्री सभापति: कुमारी रीटा चौधरीजी। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): भोपालगढ़ में पीने के पानी की कोई भी समस्या नहीं है। (व्यवधान)

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): धन्यवाद, सभापति महोदय। आज पानी, बिजली और अकाल पर दो दिन से यहां चर्चा चल रही है लेकिन, सभापति महोदय, मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूं। दुविधा यह है कि बिजली मंत्री हमारे झुंझुनूं के, अकाल राहत मंत्री भी हमारे झुंझुनूं के और पेयजल मंत्री हमारे झुंझुनूं के जंवाई ।

श्री सभापति: दुविधा में क्यों हो तो? बहुत सुविधा में हो।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): दुविधा इसलिए है कि यहां पर हम इनकी कमी बतायेंगे तो दुविधा का सवाल है। सभापति महोदय, दो दिन से काफी चर्चा चल रही है, पक्ष-विपक्ष से बहुत धुरंधर वक्ता बोल रहे हैं और जब मैं उनको सुनती हूं तो मुझे यह लगता है कि हम नये सदस्य कहां ठहरेंगे। सामने तारानगर से आने वाले सदस्य राजेन्द्र राठौड़जी, घनश्याम तिवाड़ीजी और बहुत से...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): डिस्टर्बिंग एलीमेंट।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): पक्ष की तरफ से हमारे रघुजी शर्मा, प्रतापजी खाचरियावास, जब ये लोग बोलते हैं, मैं इनको सुनती हूं और देखती हूं कि ये बड़े आराम से अपनी बात कहते हैं और बड़े जोर-शोर से कहते हैं। मैंने घर जाकर अपने पिताजी से पूछा कि पापा, जब आप पहली बार विधान सभा में गये थे, जब आप अपना वक्तव्य देते थे तो आपको कैसा महसूस होता था?

(कुमारी रीटा चौधरी)

उन्होंने कहा, बेटा, अब जमाना बदल गया है, उस समय जब सभापति या अध्यक्ष की सीट पर जो बैठते थे उनकी आंख हम पर रहती थी, जब खड़े होते थे बोलने के लिए तो पिंडलियां हमारी धूजती थीं। कुछ ऐसा ही जब मैं यहां खड़े होकर बोलती हूं तो मुझे महसूस होता है लेकिन आप लोग सब जो मेज थपथपाते हैं जब मैं खड़ी होती हूं तो एक हौसला अफजाई होता है। (व्यवधान)

बचपन से हम यह पढ़ और सुन रहे हैं, सभापति महोदय, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की आत्मा गांव में बसती है लेकिन आज का परिदृश्य कुछ अलग दिखाई देता है। आज देश का किसान आत्महत्या करता है, युवा पीढ़ी खेती करना नहीं चाहती। जब वह दसवीं, बारहवीं पास कर लेता है तो उसको लगता है कि अगर वह मिट्टी में हाथ देगा तो उसके हाथ और पैर गंदे हो जायेंगे, उसको गोबर से बदबू आती है और पशुओं का चारा सानी और दूध दुहने को वह बहुत छोटा स्तर का महसूस करता है। वह चाहता है कि उसे जैसे-तैसे शहर के अन्दर चार-छह हजार रुपये की नौकरी मिल जाय, वह किसान बनना नहीं चाहता। सभापति महोदय, वह भूलता है कि घाघ व बढ़री जैसे हमारे लोक कवि इस बारे में क्या लिख गये हैं, उत्तम खेती, मध्यम बान, निखत चाकरी, भीख निदान;

अर्थात् खेती को सर्वोत्तम माना गया है, व्यापार को मध्यम और नौकरी को निम्न।

सभापति महोदय, जब हम जनता के अन्दर जाते हैं, गांवों में जाते हैं तो हम महसूस करते हैं, हमारे मन के अन्दर हम महसूस करते हैं कि हम भीतर से कहीं टूट रहे हैं। हमारे राजस्थान के गांवों की आबो-हवा देखकर के लगता है कि यहां की जमीन में पानी नहीं है, अस्पताल में चिकित्सक और दवाई नहीं हैं, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, राशन की दुकान में दाल, चीनी और आटा नहीं हैं, भूखे-प्यासे को रोजगार नहीं है, पहाड़ों पर हरियाली नहीं है और आदिवासियों के पास आजादी के 62 साल बाद भी घर के जमीन के पट्टे नहीं हैं और नल में पानी नहीं है, आज तो हमारी दादी अम्मा के पास कहने को कोई कहानी नहीं है। भारतीय किसान की दुर्दशा, सभापति महोदय, मैं इसलिए पानी, बिजली और अकाल के विषय से थोड़ा सा हटते हुए किसान की दुर्दशा पर इसलिए बोल रही हूं क्योंकि सबसे ज्यादा पानी, बिजली और अकाल से जो आहत होता है वह हमारा किसान वर्ग होता है। हम गरीब के लिए, बी.पी.एल. के लिए गेहूं की व्यवस्था करते हैं, हम बी.पी.एल. के लिए विद्युत

(कुमारी रीटा चौधरी)

की व्यवस्था करते हैं और अमीर अपनी व्यवस्था खुद कर लेता है लेकिन हम कहीं-न-कहीं आम आदमी मध्यम वर्ग को छोड़ देते हैं। भारतीय किसान की दुर्दशा को कुछ शब्दों में नहीं समेटा जा सकता, सभापति महोदय, वह हरि और हरि कथा की तरह अनंत हैं।

दूसरी बात गांवों के अस्तित्व की है और गांव का अर्थ है खेती और खेती का अर्थ होता है घाटा, गरीबी, कर्ज और बदहाली। केवल इतना ही नहीं, सभापति महोदय, गांव का अर्थ होता है बिजली, पानी, चिकित्सा का अभाव भी। इसलिए जहां जैसे व्यक्ति गांव से शहर की ओर आता है, वह सोचता है कि उसका बेटा पढ़-लिख कर किसी अंग्रेजी स्कूल के अन्दर अंग्रेजी सीख जाए बोलना ताकि उसको शहर के अन्दर एक अच्छी नौकरी मिल जाए। सभापति महोदय, जिस गति से भारत में शहरीकरण हो रहा है उससे लगता है देश की आधी जनसंख्या 2020 के अन्दर शहरों में आ जाएगी। देश में अरबपति जिस अनुपात में बढ़ रहे हैं तो 20 रुपए रोज में प्रतिदिन गुजर करने वाला आम आदमी भी उसी रफ्तार में बढ़ रहे हैं। यही है हमारी आजादी के 63 साल का यथार्थ। पिछले साल भी बजट का जब समय आया था, हम लोगों ने जब एक या दो दिन पानी और बिजली पर चर्चा में बिताया था और सभापति महोदय इस साल भी बजट के बाद हम लोग अपने दो दिन पानी, बिजली और, अकाल की चर्चा पर बिता रहे हैं। हमें यह मान लेना चाहिए, सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर अकाल और पेयजल की समस्या का समाधान होना बहुत मुश्किल है। राज्य के आधे से भी अधिक हिस्से के अन्दर प्रति वर्ष इसका प्रभाव रहेगा और गिरता भू-जल एवं सतही पानी की घटती आवक आने वाले वर्षों में इस समस्या को और भयावह बना देगी। हालांकि नरेगा ने काफी हद तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारा है। सभापति महोदय, यहां मैं यह बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमारे राज्य जो कृषि आधारित था, खेती आधारित अर्थव्यवस्था चलती आ रही थी, उस अर्थव्यवस्था को हमें बदलना होगा क्योंकि कृषि के लिए बिजली चाहिए और पानी चाहिए। हमारे पास बिजली की तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी लेकिन पेयजल की व्यवस्था का होना बहुत मुश्किल है। राज्य में कृषि, डेयरी, खनिज दोहन के उत्पादन को ही हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बनाना होगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और मैं यह कहना चाहूंगी कि पशु धन की संख्या में भी अव्वल हैं। ऐसी स्थिति में राज्य में डेयरी, पशु पालन एवं पोलट्री को मुख्य उद्योग

(कुमारी रीटा चौधरी)

मानकर इन्हीं को बढ़ावा देना होगा। इनको रियायत देनी होगी, हमारी पशु धन की नस्लों में सुधार पर व्यापक जोर से ध्यान देना होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ इन्हीं को बनाया जाना चाहिए। उससे राज्य में सामाजिक समस्याएं भी सुधरेंगी। सभापति महोदय, हम देखते हैं कि पड़ोसी राज्य में आरक्षण की बात नहीं उठती और आरक्षण को लेकर लोग सड़कों पर भी नहीं आते। उसका कारण है कि आप अगर किसान को सम्पन्न बना देंगे, उसे सब सुविधाएं दे देंगे तो उसे किसी सरकारी नौकरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और न उसको सड़कों पर आने की आवश्यकता पड़ेगी।

राज्य में पेयजल की स्थिति बहुत विकट है और पेयजल की स्थिति क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के अन्दर हमारी जो समस्या है वह बहुत बड़ी है जब हम बात करते हैं विकास की तो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम लोग भी सदन में बैठे इस बात का दावा करते हैं कि गांव और ढाणी के अन्दर बैठा बच्चा, आम आदमी उस कंप्यूटर से खेल रहा है, कंप्यूटर से काम करता है और हम जहां जयपुर के अन्दर वर्ल्ड क्लास सिटी लाने की बात करते हैं, जयपुर को वर्ल्ड सिटी बनाने की बात करते हैं, 7 हजार करोड़ की मेट्रो की बात करते हैं लाने की और बी.आर.टी.एस. और सेज जैसे करोड़ों अरबों रुपए की हम योजनाओं की बात करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि हमारे शहर के अन्दर भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। हमारी महिलाओं को घंटो-घंटों अपनी पानी की व्यवस्था में खड़ा रहना पड़ता है। सभापति महोदय, मुझे लगता है, जो बात हमारे कुछ पुराने साथी कह रहे थे कि देश को हम हिन्दुस्तान और इण्डिया दो भागों में बांट रहे हैं, हम पानी और बिजली की बात करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि वास्तव के अन्दर इण्डिया और हिन्दुस्तान दो बनाने जा रहे हैं। सभापति महोदय, हमें कहीं-न-कहीं हमारे प्रशासन को, हमारी सरकार को उत्तरदायी बनाना होगा और इस बात की जवाबदेही बनानी पड़ेगी, इस जवाब के लिए जवाबदेही उनको सौंपनी होगी जिससे हमारे आम आदमी तक वे सब सुविधाएं पहुंचे जिनका वह हकदार है। सबसे बड़ी सुविधा होती है पानी की, पेयजल की और बिजली की।

हम लोगों में एक आदत है, सभापति महोदय, लेट-लतीफी की। हम घर में भी देखते हैं, जब पानी या बिजली के बिल का आखिरी दिन होता है या टैक्स जमा कराने का आखिरी दिन होता है तो लोग कतार में खड़े हो जाते हैं और अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। वही स्थिति हमारी योजनाएं बनाने

(कुमारी रीटा चौधरी)

में और नीति बनाने में होती है। हमारा जो सतही जल है वह एक दिन में कम नहीं हुआ है और न बिजली की कमी हमारी एक दिन के अन्दर आई है लेकिन जब समस्याएं मुंह पर आकर खड़ी हो जाती हैं तो आनन-फानन में हम लोग इकट्ठा होकर चर्चा करते हैं, उनकी योजनाएं बनाते हैं और उनकी नीति बनाते हैं। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, जब हम योजना नीति बना देते हैं तो उनका क्रियान्वयन करना एक अलग दुविधा का प्रश्न हो जाता है। हमारी सरकार को चाहिए, वह प्रशासन को इतना टाइट करे कि वह जब योजना और नीति बनती है आम आदमी के लिए, आम आदमी की सुविधा के लिए तो उसकी क्रियान्विति जरूर हो। सभापति महोदय, इच्छा शक्ति की बात हम जब सरकार की आती है तो जब उन्होंने एक इच्छा शक्ति की बात आती है, महानायक की बात आती है, मुझे हमारी महान नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का ध्यान आ जाता है। मुझे हमारी महान नेता अपने लाल बहादुर शास्त्री जी का ध्यान आता है, वैसे महानायक अब कहां हैं? जब लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, उन्होंने 65 लाख लोगों को मजबूर कर दिया था एक टाइम का भोजन करने के लिए; हमारी इंदिरा गांधी ने 14 दिन के अन्दर बांग्लादेश को जीत कर उसको सौंप दिया था। मैं चाहती हूं कि हमारी सरकार के मंत्री, हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारे प्रशासन के अधिकारी यह इच्छा शक्ति पैदा करें कि इस तरह की वह जो सुविधा उनको चाहिए पानी, बिजली और अकाल से लड़ने के लिए, वह उनको दी जाए। मैं इतना ही कहना चाहती हूं।

सभापति महोदय, अपने क्षेत्र की समस्या बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन मैं कहना चाहूंगी हमारे बिसाऊ नगरपालिका के अन्दर तीन-चार साल पहले 1 करोड़ 16 लाख रुपए दिए थे पेयजल व्यवस्था के लिए और उसके लिए पाइप भी खरीदे गए लेकिन वह व्यवस्था अभी तक नहीं हुई। वह 1 करोड़ 16 लाख रुपए का अता-पता नहीं, कहां चले गये। हमारी असलीसर पंचायत समिति के अन्दर कुछ गांव हैं, 11 या 12 पंचायत गांव ऐसे हैं जो अपनी योजना लुट्टू पेयजल योजना से जुड़े हुए नहीं हैं। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे असलीसर पंचायत समिति जो खारा पानी का बैल्ट है, फ्लोराइड पानी का बैल्ट है उस पर विशेष ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी (अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री हबीबुर्रहमान (अनुपस्थित)

श्री अशोक परनामी।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, समय कम है इसलिए मैं केवल पेयजल पर चर्चा करूंगा। आज मैं सुबह 'राजस्थान पत्रिका' पढ़ रहा था, एक बहुत बड़ा एडवरटाइजमेंट जिसमें माननीय मुख्य मंत्री महोदय की फोटो छपी थी, 'स्वर्णिम युग की ओर बढ़ता राजस्थान' यह पूरा छपा। बहुत खुशी हुई बहुत अच्छा लगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय की एक सोच है कि हमारा राजस्थान प्रदेश स्वर्णिम युग की ओर बढ़े परन्तु जब मैंने पूरा इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सोच उनकी अधूरी सोच है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पर्ची पर बोल रहे हो क्या?

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सुनो तो, श्रवण जी। सुन तो लो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पर्ची पर बोल रहे हो क्या?

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सुन तो लो श्रवणजी।

श्री सभापति: बोलने दो। बोलने दो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...(व्यवधान) आप भी आओगे न मैदान में। आज होगा मुकाबला। बोल कर दिखाओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): इसमें मेट्रो की चर्चा थी, ऊर्जा की चर्चा थी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरे जैसे सीधे आदमी को सदन में धमका रहे हैं केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सूचना और प्रौद्योगिकी पर चर्चा थी, संचार और विज्ञान पर चर्चा थी। यदि इसमें पेयजल को भी जोड़ लेते तो मैं समझता हूं कि स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है राजस्थान! आज जिस प्रकार से पूरे राजस्थान प्रदेश में पेयजल की समस्या है, राजस्थान प्रदेश पूरा पेयजल की समस्या से जूझ रहा है, मैं उसकी कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। राजस्थान में कुल 269 जलाशय हैं। सभापति महोदय, उनमें 107 तो बिलकुल सूख गये, 93 जलाशयों में 25 प्रतिशत से भी कम पानी है, 48 जलाशयों में 25 से 50 प्रतिशत तक पानी है और 5 प्रतिशत जलाशय ऐसे हैं

(श्री अशोक परनामी)

जिनमें पूर्णरूपेण पानी है। 222 अरबन टाउन हैं अपने राजस्थान प्रदेश में। 58 शहरों में पानी की सप्लाई दो दिन में एक बार की जाती है, 15 शहरों में पानी की सप्लाई तीन दिन में एक बार की जाती है, 9 शहरों में पानी की सप्लाई चार दिन में एक बार की जाती है और 82 ऐसे शहर हैं जिनमें रोजाना आधा घंटे से लेकर 15 मिनट तक पानी की सप्लाई की जाती है । यह हमारे राजस्थान प्रदेश की पेयजल की व्यवस्था है फिर भी सरकार इसके प्रति संवेदनशील नहीं है।

मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 2009-10 में राज्य सरकार ने पेयजल का बजट बनाया था, 2,751 करोड़ का एस्टिमेट बजट दिया था परन्तु जैसे-जैसे समय बीता, फरवरी माह तक रिवाइज्ड एस्टिमेट बजट बनाया गया जो 1,931 करोड़ का बनाया गया; 820 करोड़ की कटौती की गई। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आपने राजस्थान प्रदेश में पेयजल की समस्या का समाधान कर दिया था? यदि समाधान नहीं किया था तो इस बजट में कटौती क्यों की गई?

एक बात और मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय की नालेज में लाना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान प्रदेश की अस्सी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय का सपना भी यह है कि किस प्रकार से गांवों में हम प्रगति करें, किस प्रकार से गांवों को ज्यादा से ज्यादा हम सुविधा दें पर मुझे इस बात का खेद है कि 581 करोड़ रुपये शहरों के लिए दिये थे, शहरों में तो नब्बे प्रतिशत पैसा इस्तेमाल कर दिया, 518 करोड़ रुपये खर्च कर दिये, 2,710 करोड़ रुपये गांवों के लिए दिये गये थे परन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, गांवों में 1,384 करोड़ रुपये की कटौती की गई जिससे कि गांवों में पेयजल के लिए काम करना चाहिए था। गांवों में पेयजल के लिए कटौती क्यों की गई? यह मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज राजस्थान प्रदेश में भीषण पेयजल की समस्या है परन्तु फिर भी ट्रांसमिशन लासेज, जो पानी की छीजत है वह अपने राजस्थान प्रदेश में सबसे ज्यादा है । चालीस प्रतिशत छीजत राजस्थान प्रदेश में है जबकि पूरे भारतवर्ष का हम यदि एवरेज लेते हैं तो केवल मात्र पन्द्रह प्रतिशत है। हमारी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं इसके कुछ नमूने आपके समक्ष रखना

(श्री अशोक परनामी)

चाहता हूं और मंत्री महोदय से निवेदन भी करना चाहूंगा कि आपने पिछले बजट में लीकेज डिटेक्शन, रिडक्शन आफ अनअकाउंटेड वाटर एंड इंप्रूवमेंट इन सिस्टम एफिशिएंसी, इसको किस प्रकार से कम किया जाए; सभापति महोदय, या तो मुझे पढ़ने में गलती हो गयी या देखने में गलती हो गयी या पढ़ने में यह सही होगा, इसके लिए जो बजट रखा गया, केवल मात्र दस लाख रुपये का बजट रखा गया। चालीस प्रतिशत की छीजत को रोकने के लिए हमने माकूल व्यवस्था नहीं की और यहीं तक नहीं, इस दस लाख के बजट को भी रिवाइज्ड बजट में दो लाख रुपये कर दिया। हमारे मुख्य मंत्री महोदय, हमारी कांग्रेस की पूरी सरकार इस बात की दुहाई देती है कि हमें पानी को बचाना चाहिए, बूंद-बूंद पानी बचाना चाहिए परन्तु सरकार की कथनी और करनी में मुझे अंतर दिखता है।

इसके साथ-साथ रिसाइकलिंग आफ वेस्ट वाटर एंड वाटर हार्वेस्टिंग पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी कहा कि हम वाटर हार्वेस्टिंग में काम करना चाहते हैं परन्तु किस प्रकार से काम करना चाहेंगे, आपने 2009-10 में इसमें भी केवल मात्र 15 लाख रुपये का बजट सैंक्शन किया। क्या 15 लाख रुपये से आप वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं? नहीं हो सकता। उसमें भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस 15 लाख रुपये के बजट को भी रिवाइज्ड बजट में दो लाख रुपये कर दिया। सरकार की यह सोच नहीं है, सरकार पानी नहीं चाहती, सरकार पानी की समस्या का समाधान नहीं चाहती।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, अभी भी 2010-11 का आपका जो बजट आया है उसमें लीकेज डिटेक्शन, रिडक्शन आफ अन अकाउंटेड वाटर में केवल मात्र पांच लाख रुपये का बजट दिया। मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि ये पांच करोड़ रुपये हैं या पांच लाख रुपये हैं? मुझे तो पढ़ने में यह पांच लाख रुपये आया है। इसी प्रकार से वाटर हार्वेस्टिंग के लिए केवल मात्र दस लाख का बजट दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब अधिकारियों ने इस बजट को बनाया तो उन्होंने ये देखा कि पिछली बार कितना इस्तेमाल किया था उससे थोड़ा सा बढ़ा कर इस बजट को रख दें।

सभापति महोदय, आज राजस्थान प्रदेश का सरकार ने जो बजट दिया उसमें नब्बे प्रतिशत ग्राउंड वाटर प्लान पर खर्च किया गया और केवल मात्र दस प्रतिशत हिस्सा सरफेस वाटर प्लान पर खर्च किया गया। यह बजट

(श्री अशोक परनामी)

इन्होंने बनाया। इसके साथ-साथ मैं यह भी कह रहा हूं कि जल स्तर नीचे जाता जा रहा है। जलस्तर जब नीचे जा रहा है तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे बजट का ज्यादा हिस्सा सरफेस वाटर प्लान में लगायें। हमारा राजस्थान प्रदेश का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, सभापति महोदय, हमारी जितनी भी नदियां हैं, जहां-जहां सरफेस वाटर है वह हमारे राजस्थान के बार्डर पर है। वहां से पानी हम पूरे राजस्थान प्रदेश को किस प्रकार से भेज सकते हैं इसके लिए भी सरकार को सोचना होगा और अपने इस बजट में इसको देखना होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अभी से आप घंटी बजा रहे हैं। पांच मिनट बोला हूं मैं।

श्री सभापति: एक ही विषय पर बोल रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): इससे पहले बीस-बीस मिनट तक बोले हैं। सभापति महोदय, मुझे थोड़ा बोलने दीजिये आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक विषय पर इतना लम्बा...

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): पानी पर बोल रहा हूं। खाली पेयजल पर बोल रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा मैं।

श्री सभापति: आपकी जो समस्या है वह बतायें, जो सुझाव हैं वे बतायें, माननीय सदस्य।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सुझाव ही बता रहा हूं। और क्या कर रहा हूं मैं? ये मैंने सुझाव दिये हैं न, सरफेस वाटर पर काम करना चाहिए...

श्री सभापति: अब समस्या बता दो आप।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ...पानी को बचाना चाहिए। ये सुझाव हैं मेरे।

(समय : 18.00 बजे)

सभापति महोदय, अभी 1 मार्च, 2009 को

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जयपुर में बीसलपुर परियोजना का उद्‌घाटन किया था और उस उद्‌घाटन में उन्होने जो अपना भाषण दिया था उस पूरे भाषण की प्रति मेरे पास है । मैं जब वह पढ़ रहा था तो उसमें लिखा

(श्री अशोक परनामी)

था, उन्होंने बोला, लोकतंत्र में हर सरकार का सर्वोपरि धर्म जन हित होना चाहिये। बहुत अच्छी बात कही। राजस्थान में गांधीजी के नाम से जाने जाते हैं, गांधी जी की बात को दोहराया परंतु जब मैंने दैनिक भास्कर पढ़ा उसमें लिखा था कि क्या वोट के लिये अंधाधुंध जल दोहन की छूट मिलनी चाहिये। मैंने इसको पूरा पढ़ा तो इसमें लिखा था, ''मुख्य मंत्री महोदय ने रविवार को जयपुर में किसानों को संबोधित करते हुए कहा राजस्थान में भू-जल दोहन 37 प्रतिशत तक पहुंच गया है, इससे राज्य में 200 से भी अधिक क्षेत्र डार्क जोन में आ गये हैं। यदि इस अवैध दोहन पर रोक लगाये तो आप लोग वोट नहीं देते। एक तरफ तो हम सर्वोपरि धर्म जन हित की बात करते हैं दूसरी ओर हम वोटों की राजनीति के हिसाब से काम करना चाहते हैं।''

सभापति महोदय, यह आज गंभीर समस्या है, जल दोहन जो अंधाधुंध हो रहा है यह एक गम्भीर समस्या है। 27 जिलों में पानी में खारापन, फ्लोराइड, आइरन निर्धारित से अधिक । सभापति महोदय, 27 जिलों में गंदा पानी आ रहा है। हमारे गरीब व्यक्ति इस पानी को पीकर बीमार हो रहे हैं। कहते हैं हैल्थ इज वैल्थ, यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा परन्तु यह सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही। इस पर मैंने पढ़ा कि अधिकारियों ने जो प्लान बनाया, वह प्लान बनाया 40 हजार करोड़ रुपये का। यदि 40 हजार करोड़ का प्लान सरकार इसमें लगा देती है तो पूरे राजस्थान प्रदेश में फ्लोराइड युक्त पानी, आइरन युक्त पानी, यह सारा पानी समाप्त हो जायेगा और पब्लिक को शुद्ध पानी मिलेगा। परन्तु हमारी सरकार तो जयपुर शहर को एशिया का, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं बननी चाहिये। जयपुर वर्ल्ड क्लास सिटी है, जयपुर वर्ल्ड क्लास सिटी रहेगा, उसके लिये साढे 16 हजार करोड़ की परियोजना मैट्रो की लेकर आ रहे हैं। हमारा इससे विरोध नहीं है परन्तु हमारा इस बात से विरोध है कि सरकार को प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि बजट का पैसा किस मद में खर्च होना चाहिये और किस मद में खर्च नहीं होना चाहिये।

सभापति महोदय, जयपुर शहर पेयजल की विकट समस्या से जूझ रहा है और जयपुर शहर 1999 से इस बात की बाट जोह रहा है, रामगढ़ सूख गया, आमेर का मावठा सूख गया, जल महल सूख गया, ताल कटोरा सूख गया, जितने भी पानी के स्रोत थे वे सूख गये, किस दिन बीसलपुर से पानी आयेगा और जयपुर शहर की जनता की प्यास बुझेगी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने

(श्री अशोक परनामी)

1 मार्च, 2009 को मालवीय नगर में जो बीसलपुर का उद्‌घाटन किया, मैं उसके कुछ अंश आपके समक्ष रखना चाहता हूं, मुझे याद है, 1999 में जब मैं चीफ मिनिस्टर था, उसके मायने यह है कि हमारी सरकार बनते ही हम लोगों ने टाप प्रायोरिटी दी थी इस बात को लेकर कि बीसलपुर का पानी जयपुर आये तभी जाकर जयपुर शहर के पीने की पानी की समस्या का समाधान होगा। रामगढ़ बांध तो बहुत पहले ही सूख चुका था, जमीन का पानी नीचे जा रहा था, जयपुर राजधानी होने के बावजूद भी पानी के लिये परेशान थी। जयपुर में पीने के पानी की समस्या है। यह तमाम बातें सोचकर हमने कैबिनेट में फैसला लिया कि बीसलपुर का पानी लाया जाये तभी जाकर इस समस्या का परमानेंट समाधान होगा और यही भावना हम सब लोगों की है।'' सभापति महोदय, पांच वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करो।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): कांग्रेस की सरकार ने पांच वर्षों तक बीसलपुर परियोजना पर कोई काम नहीं किया। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी को जो बीसलपुर की परियोजना को धरती पर लेकर आयी। परन्तु मुझे इस बात का अफसोस है, हमने दो फेज बनाये थे, एक इसका ट्रांसमिशन फेज था और एक इसका ट्रांसफर फेज था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करो। एक विषय पर आप इतना लम्बा बोलोगे तो मैं व्यवस्था दूंगा। अब आप समाप्त करो।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): टोटल 1,136 करोड़ की योजना थी। सभापति महोदय, केवल मात्र पांच मिनट।

श्री सभापति: नहीं, आप विषय से हटकर के भी बहुत चल रहे हैं, माननीय सदस्य ।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मैं विषय से कहां हट रहा हूं? जयपुर की समस्या को मैं उठा रहा हूं।

श्री सभापति: आप एक विषय पर इतना लम्बा कर रहे हैं कि मेरा अलाऊ करना सम्भव नहीं होगा। नहीं, आप समाप्त करो।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, 1 मार्च, 2009 को आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा, विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राम लुभाया जी बैठे हैं, माथुर साहब बैठे हुए हैं, सब अधिकारी बैठे हुए हैं सितम्बर 2009 के पहले-पहले पूरे जयपुर को हम पानी दे देंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अधिकारियों को ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, अधिकारियों को संबोधित नहीं कर सकते।

श्री सभापति: आप अधिकारी दीर्घा को इंडिकेट नहीं करें।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आज भी जयपुर शहर की जनता बीसलपुर के पानी से महरूम है। सितम्बर, 2009 तक जो बीसलपुर का पानी जयपुर शहर की जनता को मिल जाना चाहिये था वह आज तक नहीं मिला।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करो, नहीं तो मुझे व्यवस्था देनी पड़ेगी कि आपका अंकित नहीं होगा। आप समाप्त करें।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): जबकि किसी प्रकार की पैसे की कमी नहीं है। 165 करोड रुपया बीसलपुर की परियोजना के लिये 2009-10 में सैंक्शन हुआ, केवल मात्र 75 करोड़ रुपया खर्च किया गया। यह सरकार बीसलपुर का पानी जयपुर शहर की जनता को पिलाना नहीं चाहती।

श्री सभापति: श्री रूपाराम डूडी। अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराज जाइए। अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप बोलते जाइए, अंकित नहीं होगा। श्री रूपाराम जी डूडी।

(अनुपस्थित)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह जी।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: कहां समाप्त कर रहे हैं, साहब? एक विषय पर ... (व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री सभापति: एक विषय पर अगर इतना लम्बा बोलेंगे तो, माननीय सदस्य, कैसे काम चलेगा? एक विषय पर इतना समय बोलने के लिये नहीं

(श्री सभापति)

दिया जा सकता। मुझे पूरे सदन की भावनाओं का आदर करना है और सदन चलाना है। आप क्या चाहते हैं कि कल सुबह 11 बजे तक सदन चले? आप कह दीजिए कि कल भी इसी पर चर्चा होगी। मैं तो बिना रुके आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस आसन से नहीं हिलूंगा। आप तो खुद तय कर लो कि कितना चलाना है। एक विषय पर इतना लम्बा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री सभापति: पेयजल पर आप बोल रहे हैं। अकाल, बिजली, पेयजल, सबके ऊपर जितना समय चाहिये उतना आपने अकेले पानी पर ले लिया।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, जयपुर शहर में दूषित पेयजल की प्राब्लम आ रही है। दूषित पेयजल से रोज लोग मर रहे हैं। सरकार इस पर काम नहीं करना चाहती। मैं बताना चाहता हूं, सरकार ने 25 करोड़ रुपये का बजट सैंक्शन किया था कि जितनी भी जयपुर शहर में पुरानी जर्जर पाइप लाइनें हैं उनको बदला जाये परन्तु सरकार ने रिवाइज्ड बजट दिया 15 करोड़ रुपये का। 10 करोड़ की इसमें कटौती कर दी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं ..

श्री सभापति: अब आप अंकित नहीं करें। माननीय सदस्य, अब आप विराजें। श्री प्रताप सिंह जी। माननीय सदस्य, अब अंकित नहीं होगा, अब आप विराज जाओ।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, सदन में पिछले दो दिन से बिजली, अकाल और पानी पर चर्चा हो रही है। यह प्रकृति की विडम्बना है, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मानते हैं और सर्वे की रिपोर्टें तो यह बताती हैं कि पूरी दुनिया में समुद्र का जल स्तर तो बढ रहा है और पानी का जल स्तर घट रहा है। यह जो स्थिति है, इस स्थिति से पूरी दुनिया लड़ रही है लेकिन लड़ने के साथ-साथ जो पानी की कमी आई, उसके लिये कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, हमारी व्यवस्था भी जिम्मेदार हैं, हमारी नीतियां भी जिम्मेदार हैं । हमारी का मतलब यह नहीं है कि आज की सरकार की नीति जिम्मेदार हैं। यह जिस ढंग से प्रकृति का दोहन हो रहा है, उसके लिये हम सब

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

जिम्मेदार हैं। अकाल, पानी और बिजली यह सब एक दूसरे से जुडे हुए हैं। आज अकाल पड़ता है पानी के कारण, जब पानी नहीं बरसता है तो अकाल पड़ता है और पानी नहीं होगा तो बिजली भी नहीं होगी। तीनों एक दूसरे से जुडे हुए हैं और तीनों पर चर्चा चल रही है।

आज जब चर्चा चल रही है, चर्चा के दौरान बात उठ रही है कि आपके राज में आपने यह काम किया, हमने यह काम किया। हम इतने हजार करोड़ की योजना लेकर आये, कई बार यह बातें रिपीट हो चुकी हैं, मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता। निश्चित रूप से पिछले डेढ़ साल से राजस्थान में अकाल की स्थिति है। पहले भी अकाल पड़ा लेकिन बार-बार यह कहकर कि राजस्थान में जब कांग्रेस का राज आता है तो अकाल पड़ता है यह आरोप लगाया जाता है। कांग्रेस के राज से अकाल नहीं आया। पिछले कई वर्षों से लगातार राजस्थान में बरसात की कमी हुई है, लगातार बरसात कम हो रही है लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूं, शुरुआत यहीं से कर रहा हूं, न तो बरसात आपकी मेहरबानी से होती है न हमारी मेहरबानी से होती है लेकिन बरसात जिसकी मेहरबानी से होती है उस पर आप भी भरोसा करते हैं और हम भी भरोसा करते हैं। आप देख लेना, वह फिर मेहरबानी करेगा और कांग्रेस के राज में पूरा राजस्थान आपको हरा-भरा नजर आएगा। इतना पानी बरसेगा कि आप खुद भी कहोगे कि कांग्रेस का राज जोरदार आया और जमकर पानी बरसेगा। तालाब भी भरेंगे और कुओं का जल स्तर भी ऊपर आयेगा और पूरे राजस्थान की जनता कहेगी कि राजस्थान में कांग्रेस का राज शुभ संदेश लेकर आया है।

आज जब यह चर्चा हो रही है उस चर्चा में हम यह कहकर, बार-बार यह कहें कि आपके राज में तो यह कमी है, डेढ़ वर्ष में आपने क्या करके दिखा दिया, हम इतना कह सकते हैं कि हमने इतना किया और आपने जितना किया आप डेढ़ वर्ष के राज की तुलना कर लीजिए। और डेढ़ वर्ष के राज में हमने कितने हैंड पम्प लगाये आपने कितने हैंड पम्प लगाये, डेढ़ वर्ष में आपने कितनी ईमानदारी से काम किया जलदाय विभाग में और हमने कितनी ईमानदारी से काम किया, कितनी ईमानदारी से आप योजनाएं लेकर आए, कितनी ईमानदारी से आपने योजना लागू कीं यह आप तय कर लीजिए, तो फैसला हो जाएगा, डेढ़ वर्ष में कांग्रेस का राज पानी के लिए अच्छा है या आपके राज का काम पानी के लिए अच्छा है।

आप जो बार-बार आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों के बीच में आपको

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

यह तय करना चाहिये कि आप कोई अच्छे सुझाव लेकर आएं और अकाल, पानी और बिजली पर हमको पार्टी से ऊपर उठकर, मिल-बैठकर यह तय करना होगा कि हम इससे लड़े कैसे। यदि हम सदन में सिर्फ लड़ते रहे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे तो राजस्थान की जनता यह जरूर कहेगी कि हर मुद्दे पर लड़ लो लेकिन पानी, बिजली और अकाल पर भी लड़ोगे और मिल-बैठकर कोई फैसला नहीं करोगे तो गांव का आदमी भी हमको माफ नहीं करेगा और शहर का आदमी भी हमको माफ नहीं करेगा। यदि हमने मिल-बैठकर कोई नीति ना ली, मिल-बैठकर कोई अच्छा फैसला कर लिया तो राजस्थान की जनता हमको दुआ देगी, मां-बहन और बेटी हमको दुआ देगी और कहेगी कि राजस्थान की विधान सभा में सदन का नेता तो राजस्थान का मुख्य मंत्री अशोक गहलोत है लेकिन प्रतिपक्ष के नेता के रूप में घनश्याम जी तिवाड़ी ने एक नई शुरुआत की है और मिल-बैठकर यह तय किया है कि यदि पानी के मुद्दे पर हमारी जरूरत है, बिजली के मुद्दे पर हमारी जरूरत है, अकाल के मुद्दे पर हमारी जरूरत है तो राजस्थान का विपक्ष आपके साथ खड़ा है; हम आपके साथ खड़े होकर योजना बनाने में आपकी मदद करेंगे, योजनाओं को लागू करने में आपकी मदद करेंगे, भ्रष्टाचार को रोकने में आपकी मदद करेंगे।

आज चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि पानी की योजना तो बन जाती है, हमने कह दिया होगा कि हम 1,231 करोड़ रुपये की योजना बना रहे हैं, अस्सी करोड़ रुपये कंटिंजेंसी में ला रहे हैं, ढाई सौ करोड़ रुपये और मद में ला रहे हैं, मंत्रीजी, आपको आज यहां तय करने की जरूरत है, आप तो योजना तय कर लीजिए, कार्यपालिका को आप जितना पैसा दे रहे हैं, अधिकारियों को जितना पैसा दे रहे हैं, वह पैसा क्या ईमानदारी से खर्च हो रहा है, क्या वह योजना गांव में पहुंच रही है, शहर में पहुंच रही है? होता क्या है, आपकी योजना बनती है। आपके पास पैसा होता है, उसका मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। होता यही है कि जो काम प्राइवेट आदमी 40 हजार रुपये में बोरिंग कर रहा है, वह काम सरकार का आदमी डेढ़ लाख रुपये में करवा रहा है। जो काम ढाई लाख में हो रहा है वह सरकार का आदमी पांच लाख में करवा रहा है। यह जो गैप आ रहा है, आज एमएलए फंड से पैसा जाता है, एम पी फंड से पैसा जाता है, कलक्टर के जरिये जाता है, मैंने खुद ने पता किया कि जब हम डायरेक्ट काम करवाते हैं तो 5 लाख रुपये में 7 कमरे बना देगा लेकिन जब उस कलक्टर के जरिये पैसा जाता है, डिपार्टमेंट के जरिये जाता है 2 कमरे

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

बनाता है। पानी के लिए पैसा जाता है एम एल ए और एम पी फंड से, आज आपका एम एल ए हो, हमारा एम एल ए हो, आपका एम पी हो, हमारा एम पी हो, वह ईमानदारी से पानी के लिए पैसे खर्च करना चाहता है, वह पैसा खर्च कर रहा है लेकिन वह पैसा उतना लग नहीं रहा है। आज मानिटरिंग सिस्टम, मंत्रीजी, एक बात आप तय कर लीजिए और नई नीति बनाइये, पार्टी से ऊपर उठकर बनाओ क्योंकि जब हम इस राज की बात कर रहे हैं, गांधीवादी सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, आपको एक बात तय करनी होगी कि विधान सभा क्षेत्र चाहे बी जे पी के विधायक का हो चाहे कांग्रेस के विधायक का हो, आप तय कर लीजिए कि जिस विधान सभा क्षेत्र में जितना योजना में पैसा जा रहा है, बोरिंग में जा रहा है, हैंड पम्प में जा रहा है, पाइप लाइन जा रही है, आप वहां पर जांच के रूप में उस एम एल ए के पास लेटर भेजो और बताओ कि आपके विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष इतने पैसे आपके यहां मैं भेज रहा हूं और इतने-इतने हैंड पम्प नहीं लगते हैं तो आप मुझे सूचित करें, मैं ईमानदारी से कार्यवाही करूंगा। जब आपका पत्र जाएगा तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं आपका वह पत्र निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेगा। आपके उस एक पत्र से अधिकारी डरेगा, कर्मचारी डरेगा उसको यह लगेगा कि यह पत्र विधायक के पास गया है, वह चैक करेगा कि मैंने काम किया या नहीं किया।

आज अगर पानी के नाम पर भ्रष्टाचार होता है, पानी में बेईमानी होती है चाहे अधिकारी के स्तर पर हो चाहे वह हमारी ऐसी सिस्टम योजना जिसे हम ढंग से लागू नहीं कर पाये, इसके कारण नीचे जाकर हो तो उसके लिए जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। हमें यहां खड़े होकर यह कहना पड़ता है कि हमारा यह बजट है, इस बजट को हम ईमानदारी से खर्च करना चाहते हैं लेकिन जब वह बजट अधिकारी के पास पहुंच रहा है और वहां पर यदि वह खर्च नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। मैं यह मानता हूं कि सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है। पिछली बार बजट पर चर्चा हुई, मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, मंत्रीजी, आज मैं कह रहा हूं, इतना सा मैंने कहा कि आप शहरों में इतना सा काम करवा दो, कानून बनवा दो, कानून बन जाएगा, लोग स्वीकार करेंगे। आज जयपुर में एक टाइम पानी दिया जा रहा है। जब एक टाइम पानी हो रहा था, मेरी अधिकारियों से बात हुई, लोगों ने मुझसे कहा, एक टाइम पानी करा रहे हो, तूफान आ जाएगा। लोगों को हमने समझाया कि एक टाइम आज पानी नहीं करेंगे तो कल एक टाइम

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

भी नहीं मिलेगा। लोगों ने स्वीकार कर लिया। आप कानून बनाओ, जयपुर में नीति बनाओ, जयपुर में बड़ी-बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स आ रही हैं, जोधपुर, उदयपुर भीलवाड़ा में आ रही है, सब जगह आ रही हैं, आधुनिक जमाना आ रहा है, आप तय कर दीजिए कि कहीं भी बाथरूम बनेगा उस बाथरूम में आपको यूरिनल बनाना होगा। किसी के घर में यूरिनल नहीं है। कोई भी जाएगा, एक बार में फ्लश करते हैं। कितना ही पानी बह जाता है। कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज हम नहीं मान रहे। आज सीवरेज का पानी इतना बरबाद हो रहा है, उसके यूज का कोई सिस्टम नहीं है। हम नीति तो बना रहे है, आपने वाटर हार्वेस्टिंग की स्कीम बनाई, सरकार इसमें गम्भीर भी हुई, आप प्रचार भी कर रहे हैं, टी वी पर राजस्थान सरकार के विज्ञापन आ रहे हैं, उन विज्ञापनों का इतना प्रभाव पड़ा कि लोग पानी की बचत की तैयारी कर रहे हैं, लोगों में महसूस होने लगा है। आपका जो विज्ञापन आया, पहली बार विज्ञापन के लिए लोगों ने कहा कि सरकार पानी के प्रति चिंतित है। अभी मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत साहब, मंत्रीजी का बयान आया, विज्ञापन छपे। और विज्ञापन लोग नहीं पढ़ते हैं, हम जो कई तरह के विज्ञापन देते हैं वह लोग नहीं पढ़ते हैं। आप पानी के लिए विज्ञापन दे दीजिए हर आदमी पढ़ता है। आदमी डरने लगा है, पानी कल नहीं मिलेगा तो क्या होगा।

मंत्रीजी, मैं आपसे कहूंगा, आप सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं, अपोजिशन को भी बुलाएं, इनको भी शामिल करें, मीटिंग बुलाकर बात करो कि आप अपनी योजना बता दो और एक नीति जैसे आपने जल नीति बनाई उसी तरह जो पानी का अपव्यय हो रहा है उसको रोकने के लिए स्पष्ट नीति बने, कानून का प्रावधान हो। जल का दोहन हो रहा है उसको रोकने की हम नीति लाएं। आज हो क्या रहा है, एक बिल्डर बिल्डिंग बनता है, बड़ा बोरिंग करवाता है, बोरिंग करवाकर अलग-अलग कनेक्शन नहीं हैं, वह अपने बोरिंग से सप्लाई करता है। पानी लेने का सबका अधिकार है, सबको मिलना चाहिए लेकिन एक स्पष्ट नीति बने। आज जयपुर में बरसात का पानी आता है, हर जगह बरसात का पानी आता है, हमारे परम्परागत जितने भी जल स्त्रोत है हमने उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। आज हालात यह है, मैं खुद जमवारामगढ़ गया जमवामाता के मंदिर में, एक बहुत बुजुर्ग पंडितजी मिले, मैंने उनसे कहा कि आपका रामगढ़ बांध क्यों सूख गया तो वह बोला सूखेगा ही, आपके अफसर आते हैं रामगढ़ बांध तक, यहां से वापस चले जाते हैं। उसने मुझे कहा कि

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

जयपुर का राजा जिसने जयपुर बसाया उसके मन में प्लानिंग थी एक हजार साल बाद तक की, उसके मन में सपना था कि एक हजार साल बाद भी मेरा जयपुर ऐसा होगा, यह गारंटी नहीं थी कि उसका राज होगा या नहीं होगा लेकिन बोला कि आपका अधिकारी रामगढ़ बांध तक आते हैं लेकिन रामगढ़ बांध से आगे देखने नहीं जाते कि कहां से पानी रूक गया। पहले राजा आता था, राजा के घुडसवार आते थे ठेठ तक जाकर आते थे, घोड़े पर चलकर जाते थे कि रामगढ़ बांध का पानी क्यों रुक गया। उनके मन में भावना होती थी। आज हालत यह है कि न तो किसी के मन में भावना है न किसी के मन में दर्द है। नीति बने तो जिम्मेदारी तय हो उस अधिकारी की। आज यह तय करना होगा जयपुर हो या राजस्थान का कोई सिटी हो।

बार-बार बात आती है पाइप लाइनें खराब हो गईं, पाइप में दिक्कत है, पानी सप्लाई नहीं हो रहा, पानी में भी आपको नीति स्पष्ट करनी होगी। मैंने यह देखा है कि जो जहां आल्टरनेटिव-डे पर सप्लाई कर रहे हैं, बहुत जगह पानी है राजस्थान में, जो पानी सप्लाई हो रहा है, वह कर्मचारियों की मेहरबानी पर रुका हुआ है। आप आल्टरनेटिव-डे करें लेकिन जितनी देर दें उतनी देर उन कर्मचारियों को पाबन्द किया जाए कि आपकी मेहरबानी से कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए, वहां ईमानदारी से पहुंचे। आप एक टाइम भी पानी दें तो पानी ईमानदारी से पहुंचे। पानी के फेरे लगें तो पानी में इतनी ईमानदारी हो कि आज जयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान में कंटिंजेंसी के नाम पर जब हैंड-पम्प, बोरिंग की तैयारी सरकार ईमानदारी से कर रही है, सरकार के मन में है कि हैंड-पम्प भी लगें, बोरिंग भी लगें, लेकिन लोगों को पानी मिले। कहीं ऐसा नहीं हो, पानी को लेकर स्थिति खराब हो जाए। गर्मी बढ़ रही है। गर्मी के बढ़ने के साथ-साथ प्रेशर कम हो रहा है और प्रेशर कम होने से सब जगह हाहाकार मचा हुआ है।

मैं आपसे अनुरोध करुंगा, पिछली सरकार ने एक कानून बना दिया, वह कानून बनाकर चली गई। सरकार ने तो यह सोचा कि हम लगातार रहेंगे। पिछली सरकार ने यदि कोई गलती कर दी, मंत्रीजी, उस गलती को सुधारने का काम आपका है, उस गलती को सुधारने का काम गहलोत सरकार का है, हमारी सरकार का है। वह गलती कर दी कि शहरों में कहीं भी कोई भी..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे पांच मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति: 13 मिनट हो गये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैंने टाइम देखा है, साहब, 5 मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति: 13 मिनट हुए हैं, माननीय सदस्य।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): जब शहरों में कोई भी नीति बने, नये कनेक्शन जब भी पाइप लाइन बिछेगी तो 60:40 के रेशो में यह नीति बना दी पिछली सरकार ने, यह नहीं सोचा कि गरीब आदमी कहां जाएगा, स्लम एरिया में रहने वाला आदमी कहां जाएगा, जो कालोनी रेगुलराइज नहीं हो, उसको पाइप लाइन कहां से मिलेगी, उसको पानी कैसे मिलेगा, आज जलदाय विभाग वहां पानी नहीं दे सकता है। जो कालोनी रेगुलराइज नहीं है, उसको पानी नहीं मिलेगा। यह योजना इन्होंने लागू की। इन्होंने यह नहीं सोचा कि गरीब आदमी कहां जाएगा, वह गरीब बस्ती, कच्ची बस्ती का आदमी कहां जाएगा। 60:40 के रेशो में ही नई नीति लागू होगी। उसी में जलदाय विभाग कनेक्शन देने के लिये जाएगा। इस नीति में परिवर्तन की जरूरत है। पानी के नाम पर कोई नीति नहीं होनी चाहिए। पानी के नाम पर सिर्फ एक नीति होनी चाहिए कि पानी उपलब्ध कराना सरकार की ड्यूटी है, पानी अपव्यय रोकना सरकार की ड्यूटी है और पानी के नाम पर करप्शन रोकना सरकार की ड्यूटी है। यदि सरकार इन तीनों कामों के लिये, मैं आज कहूंगा कि, मंत्रीजी, विधान सभा के बाद इस राजस्थान की विधान सभा के दो सौ विधायक आपके साथ खड़े होंगे पानी के लिये, अकाल के लिये, बिजली के लिये।

बिजली के लिये, बिजली मंत्रीजी, मैं आपसे कहूंगा कि बिजली का प्राइवेटाइजेशन तो हम कर रहे हैं लेकिन आप एक बात तय कर लें कि आपके यह जो बिजली वाले प्राइवेट कम्पनियों के नाम पर जो बिल बांट रहे हैं उन बिलों में यदि बिल गलत भी छप गया, गरीब आदमी जिसके यहां पर कभी 500 का बिल आता था, 30 हजार का भी आ गया तो उसमें आपका ए.ईएन., जे.ईएन. और एक्स.ईएन. सुनने को तैयार नहीं हैं। वह उनको कहता है कि पहले जमा कराओ, उसके बाद आपका बिल कम होगा। पहले जमा कराने के लिये ही पैसे होते तो फिर वह गरीब क्यों होता? उसके पास जमा कराने के लिये पैसे नहीं हैं। आज आप जितनी भी यह लाइनें आपकी खोद रहे हो, आप तय कर लो, निश्चित रूप से आप अंडर-ग्राउंड लाइनें डालिये लेकिन ताकीद

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

कीजिए, जिन कम्पनियों को हम ठेका दे रहे हैं वह पैसे ले रही हैं सरकार से, फ्री में अंडर-ग्राउंड नहीं कर रही हैं। आज वे क्या कर रही हैं, सीवरेज को तोड़ रही हैं, पानी की लाइनों को तोड़ रही हैं। सड़क तोड़कर भाग रही हैं। एक कम्पनी भाग रही है, उस कम्पनी के लिये आप जिम्मेदारी तय करो। ठेकेदार के लिये जिम्मेदारी तय करो कि पूरा काम वह करेगा। नहीं करेगा तो आपराधिक दण्ड तय करो उसके लिये कि यह अपराध की श्रेणी में आयेगा। जो ठेकेदार जलदाय विभाग में, बिजली में और अकाल में बे-ईमानी करेगा उसको अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए। उसके लिये कानून का प्रावधान करना चाहिए कि जो पानी में बदमाशी करेगा, पाइपों की खरीद में बदमाशी करेगा और जो यह करेगा, आज पाइप की जो गुणवत्ता की बात है उसके लिये आपराधिक कृत्य तय होना चाहिए।

मैं आपसे अन्त में इतना अनुरोध करना चाहूंगा, आज समस्या गांवों में पानी की कमी है, सब जगह पानी नीचे जा रहा है। बरसात जब आये उससे पहले, मैं मानता हूं कि जगह-जगह तालाब की तैयारी हो रही है। नरेगा में भी, हम यह अनुरोध कर सकते हैं कि नरेगा के पैसे का उपयोग भी पानी के लिये काम में लिया जा सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिये काम में लिया जा सकता है और यदि नरेगा के पैसे का वास्तव में सदुपयोग करना है तो इसको डाइवर्ट किया जा सकता है।

मैं यह नहीं करता हूं कि जो नीति, हमारी राजस्थान की सरकार की नीति है, उस नीति में मैं यह नहीं कहना चाहता कि आपके मंत्री ने क्या कहा, हमारे मंत्रीजी ने क्या कहा। अभी बात हो रही थी जयपुर की। जयपुर के लिये यह कहा कि आपके समय में मौतें हो गईं। वह कह रहे हैं आपके समय में हो गईं। हम कह रहे हैं आपके समय में हो गईं। मौतें तो हो रही हैं लेकिन किसके समय में हो रही हैं, यह कहकर हम एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिसके घर का मुखिया जा रहा है, जिसकी मां जा रही है, उन बच्चों से जाकर पूछो, जो गंदा पानी पीकर मर गये, आज भी उनका घर बद्-दुआ दे रहा है। इसलिये दे रहा है कि हम यहां बैठकर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं लेकिन नीति बनाने को तैयार नहीं हैं, यह मानने को तैयार नहीं हैं। मैं मानता हूं आपके समय में भी गंदे पानी से मौतें हुईं और हमारे समय में भी गंदे पानी से मौतें हुईं, लेकिन उसके लिये जिम्मेदार कौन है? आज नगर निगम के लोग

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

कह देते हैं जलदाय विभाग जिम्मेदार है, जलदाय विभाग कहता है नगर निगम जिम्मेदार है, कोई कहता है आर.एस.ई.बी. जिम्मेदार है। जिम्मेदार कोई भी हो लेकिन जो जिम्मेदार हैं उन अधिकारियों के विरुद्ध आप कार्यवाही नहीं करेंगे, ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेंगे, आप यह तय नहीं करेंगे कि इन मौतों के लिये जिम्मेदार कौन है, तब तक यह काम रुकेगा नहीं। रोकने के लिये जरुरत इस बात की है कि आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति बंद करके कम से कम अकाल, पानी और बिजली के ऊपर यह सदन एकमत होकर यह तय करे कि राजस्थान के अकाल से भी हम लड़ेंगे, पानी के लिये भी यह सदन पूरा एक है, बिजली के लिये भी यह सदन एक है। जहां भी जरूरत होगी हम एक-दूसरे की मदद करेंगे।

मंत्रीजी, मैं फिर एक बात कहता हूं, आपको आज यह तय करना चाहिए, जिस विधान सभा क्षेत्र में आप पानी के लिये जितना पैसा दो, बिजली के लिये जितना पैसा दो, अकाल के लिये जितना पैसा दो, उसकी जानकारी वहां के विधायक को हो और उसको जिम्मेदारी दो कि वह जाकर चैक कर सके, जाकर यह देख सके कि कहां बेईमानी हो रही है। कौन अधिकारी बे-ईमानी कर रहा है। यदि यह बेईमानी आप रोकना चाहते हो ईमानदारी से, ईमानदारी से बेईमानी रुकेगी और वह विधायक आपका काम करेगा, सरकार के पैसे का सदुपयोग होगा। आज के दिन मैं आपसे इतना ही अनुरोध करुंगा, अब स्पष्ट नीति तय होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी, मंत्री एक्शन लेंगे।

आज के दिन मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि आज जो भी स्थितियां पैदा हुई हैं उसके लिये कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, न कोई अधिकारी जिम्मेदार है। बीसलपुर के लिये यह होड़ चल रही है कि यह बीसलपुर का पानी हमारी सरकार लेकर आई और हमने जयपुर को दे दिया। क्या बीसलपुर का पानी लेकर आये, बीसलपुर का पानी खतम कर दिया आपने। बात कर रहे हैं, आप में होड़ लग रही है, बीसलपुर में पानी नहीं है। आप कह रहे हैं, आप लेकर आये। ठीक है, मान लें, लेकिन पानी भी आपके साथ ही ले गये क्या; बोलिये, जाते-जाते पानी भी लेकर चले गये। ऐसा राज मैंने आज तक नहीं देखा। बार-बार कहते हैं कि आपके कारण ऐसा हुआ। हमारे कारण नहीं हुआ। जाते-जाते पानी साथ में ले गये। लेकिन अब तय कर लेना। यह बीसलपुर बांध भी भरेगा, राजस्थान में बरसात भी होगी। जब ऊपर वाला देता है ना तो

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

छप्पर फाड़ कर देता है और अभी जब श्राप लगा रहे थे, हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे, बहुत बद-दुआ दे रहे थे सरकार को। उस वक्त मैंने कहा, अभी कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, घनश्यामजी भाई साहब तो जानते हैं कि सती तो श्राप देती नहीं है। और फूहड़ का लगता नहीं है। यह तय बात है, सती कभी भी श्राप देती नहीं है और फूहड़ का लगता नहीं है।

हर कोई एक-दूसरे को बद्-दुआ देने में लगा हुआ है, एक-दूसरे पर आरोप लगाने में लगा हुआ है। कोई भी खड़ा हो जाता है, कुछ भी नहीं, कोई यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि पानी के लिये हमने भी ईमानदारी से काम नहीं किया। कोई यह कहने को तैयार नहीं है, पानी के लिये हमने कोई नीति नहीं बनाई। आज हम कह रहे हैं, डेढ़ वर्ष में हमारी अगर कमी होगी तो हमारे पास तो सुधारने के लिये समय है। हम सुधार कर लेंगे। आप कोई बढ़िया प्रस्ताव लेकर आओ, आपके पास कोई नीति हो तो सुझाव दो। हमारी सरकार के मुख्य मंत्रीजी हैं, हम जाकर अनुरोध करते हैं तो वह मानते हैं। हमने मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध किया कि मुख्य मंत्रीजी यह राजस्थान की जनता का सवाल है, खल पर से टैक्स हटा दो, हटा लिया; मुख्य मंत्रीजी से कहा रेडीमेड वस्त्रों से हटा लो, हटा लिया; मुख्य मंत्रीजी से कहा बसों से हटा लें, हटा लिया। यह बात हमने तीन दिन पहले टी.वी. पर कालीचरणजी सरार्फ से बहस हुई, तब हंस रहे थे विश्वविद्यालय पर खड़े होकर मेरी हंसी उड़ा रहे थे। मैंने कहा, आप बड़े भाई हो, सीनियर लीडर हो अपोजिशन के, मैं आपसे बहस कर रहा हूं, आपसे कुछ नहीं कहूंगा लेकिन कल आप देख लेना, मुख्य मंत्रीजी विथड्रा करेंगे। टी.वी. पर पहले आ गया, वह बड़प्पन था। तो उन्होंने विथड्रा किया। जो जनता की आवाज जयपुर में आई, मुख्य मंत्रीजी के कान में पहुंची, वह उन्होंने स्वीकार की। आप देख लेना, जब भी हम यहां से जाएंगे, विधान सभा का सत्र खतम होगा, उससे पहले-पहले ये, राजस्थान का मुख्य मंत्री, आम आदमी का मुख्य मंत्री बड़ी-बड़ी घोषणाओं के साथ राजस्थान की जनता को संतुष्ट करेगा। राजस्थान की जनता कहेगी, आज लोग यह बात करते हैं कि कांग्रेस राज का मेसेज नहीं है, कांग्रेस अभी फर्श पर है अर्श पर आने में समय लगेगा, डेढ़ साल का कोई मेसेज नहीं है; मैं लोगों से कहता हूं, अभी यह शुरुआत है और इस शुरुआत में हम चुनौती से कहते हैं कि आज हमारे ऊपर कोई घोटाले का आरोप नहीं है, कोई बेईमानी का आरोप नहीं है, कोई साबित नहीं कर सकता है।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

अब हम इतना कह सकते हैं, ईमानदारी से सरकार काम कर रही है, ईमानदारी से काम करना चाहती है और जहां सुधार की जरूरत है, वह सुधार चाहे वह घनश्यामजी भाई साहब दे दें, चाहे राजेन्द्रजी दे दें, चाहे अमरारामजी दे दें, उन सुधारों को, उन सुझावों को मुख्य मंत्रीजी मानने को तैयार हैं और मानकर काम करने को तैयार हैं। यह बड़ी बात है। आपके समय पर मैं यहां नहीं था लेकिन मैंने सुना, आप लोगों को कोई सुझाव देता था, उस सुझाव को आप मानने के लिये तैयार नहीं थे। आप सुझाव को लेकर राजस्थान में कोई नीति बनाने को तैयार नहीं थे। आप सिर्फ मनमानी करना चाहते थे, तानाशाही करना चाहते थे।

अकाल, पानी और बिजली पर बहस हो रही है। मैं इतना विश्वास करता हूं, हमारी सरकार काम करना चाहती है, लोगों से सुझाव लेना चाहती है। मंत्रीजी, अंत में एक बात कहूंगा फिर, विधायकों को विश्वास में लो। 200 विधान सभा क्षेत्रों में 200 कर्मचारी आपको बिना तनख्वाह के मिल जाएंगे लेकिन राजस्थान का भ्रष्टाचार रुकेगा और अकाल, पानी और बिजली का काम होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री निर्मल कुमावत।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आज हाड़ौती के अन्दर कई पशु मर गये हैं। हाड़ौती का पानी भीलवाड़ा जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय, हाड़ौती का पानी पहले हाड़ौती के अन्दर दें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह कौन से नियम के तहत बोल रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, यह कौन से नियम के तहत बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उसके बाद भीलवाड़ा जाए तो हमें कोई ...(व्यवधान) वे पशु वहां तरस रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह कौन से नियम के तहत बोल रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, यह कौन से नियम के तहत बोल रहे हैं?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): हमारा हाड़ौती का पानी, चम्बल का पानी जो भीलवाड़ा जा रहा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो। विराजिये-विराजिये। सैनी साहब, विराजिये। माननीय सदस्य, हां, गम्भीर हैं, विराजिये। हो रही है चर्चा। आप विराजो, आप विराजो। आप विराजो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: श्री निर्मल कुमावत। श्री निर्मल कुमावत के अलावा अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। श्री निर्मल कुमावत। विराजिये-विराजिये। बिना अनुमति के...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: श्री निर्मल कुमावत। श्री निर्मल कुमावत। मैं तीसरी बार आवाज दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, पानी, बिजली और अकाल के गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से बात कहना चाहूंगा कि जो बी.पी.एल. कनेक्शन देने की बात हम कर रहे हैं, दो-दो साल से फाइलें जमा हैं, वेटिंग में वे लोग इंतजार कर रहे हैं। घरेलू कनेक्शन के लिए तो कृपा करके आप इसको गम्भीरता से लें कि कहीं हमारे निगम की कमी है, या डिपार्टमेंट, ठेकेदार की कमी है, क्या इसकी कमी है, अधिकारियों की, तो आप उसका विशेष ध्यान दें।

एक गांवों की सिंगल फेस की बड़ी समस्या हो रही है। माननीय सभापति महोदय, रात को तो आप थोड़ी बहुत बिजली दे रहे हैं परन्तु दिन में बिजली देखने को नहीं है। छोटे-मोटे व्यापारी हैं, चक्की वाले हैं, कोई भी घरेलू काम किसी को करना है तो दिन में बिलकुल बिजली नहीं है। आगामी गर्मी को देखते हुए मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि सिंगल फेस बिजली आप दिन में भी देने की कृपा करें।

तीसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में ज्यादातर पंचायतें सूख चुकी हैं। किसानों के पास न तो पानी है और न खेती करने की जगह है परन्तु कुछ 15-20 मिनट, आधा घंटा वह पीने के पानी भरने के लिए कनेक्शन ले रखा है कृषि का, वहां आप मीटर नहीं लगाते, वहां

(श्री निर्मल कुमावत)

आप फ्लैट रेट चार्ज कर रहे हैं। तो उसका भी आप विशेष तौर से ध्यान दें कि जहां आवश्यकता नहीं है बिजली की, उनको मात्र 15 से 20 मिनट दिन में बिजली चाहिए तो कम से कम वहां तो आप मीटर लगायें ताकि किसान को फालतू परेशानी नहीं हो। अन्यथा आपकी भी बिजली की छीजत हो रही है उसमें।

तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो डी.बी. चोरी हो जाती है सिंगल फेस की, काश्तकार और हमारे जो उपभोक्ता हैं दर-दर भटकते रहते हैं। कभी जे.ईएन. के पास, कभी ए.ईएन. के पास, कभी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। इसके लिए भी कोई आप नीति बनायें। यह पूरे राजस्थान की समस्या है कि सिंगल फेस डी.बी. जब से चल रही है, ज्यादातर चोरी हो जाती है, उसका वापस समाधान नहीं होता। तो इसके ऊपर भी आप विचार करें।

एक चौथी बात मैं कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, आपके द्वारा, विभाग द्वारा सभी जे.ईएन., ए.ईएन., एक्स.ईएन., अधीक्षण अभियंताओं को विभागीय मोबाइल दे रखे हैं। वक्त जरूरत जब कभी भी जरूरत पड़ जाती है तो रात को, आप अभी फोन मिलाकर देख लीजिए कि आपके कितने जे.ईएन. के फोन चालू हैं। एक विधायक, एक सांसद अगर जे.ईएन. से बात नहीं कर सकता तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? यह मैं नहीं कहता, सत्ता पक्ष के विधायकगण भी जानते हैं कि चाहे बिजली नहीं है; कोई बात नहीं; नहीं आ रही बिजली, आगे से नहीं आ रही; उसको आप कम से कम जरूरत पड़े, कोई हादसा हो जाए तो कम से कम सक्षम अधिकारी बात तो करे। तो आपका यह कानून है स्पष्ट, आपके जब सरकार का मोबाइल है, कोई पर्सनल मोबाइल नहीं है उसका, तो जो भी अधिकारी मोबाइल बंद रखेगा, उसके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्यवाही कीजिए। यह भी एक आप इस पर ध्यान दीजिए।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा बिजली के मामले में कि आगामी गर्मी को देखते हुए आप, सरकार अपने स्तर पर जो भी प्रयास कर सकती है, उसके लिए बढ़िया से बढ़िया प्रयास करे ताकि किसानों को और आम जन को, गांव और ढाणियों में रह रहे हैं उनको बिजली मिल सके।

आपदा राहत मंत्रीजी से मेरा कहना है, अभी वे स्थान पर नहीं हैं, आप आपदा के नाम पर, अकाल राहत कार्य चलायें और कुछ भी करें, वह तो आपकी सरकार की नीति है, आप कुछ भी करें, नहीं करें, एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा कि गो-शालाओं को अनुदान देने की घोषणा की है सरकार ने। माननीय

(श्री निर्मल कुमावत)

सभापति महोदय, गो-शालाएं चल रही हैं, बड़ी दयनीय स्थिति में गो-शालाएं चल रही हैं। या तो कोई दान पर चलती है या सरकार अनुदान देगी तो चलती है। उसका अनुदान अगर समय पर नहीं मिले, छह-छह महीने चक्कर काटते रहे उनके पदाधिकारी, कभी एस.डी.एम. के पास, कभी तहसीलदार के पास, कभी कलक्टर के पास और कभी ट्रेजरार के पास तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। तो मेरा मंत्रीजी से अनुरोध है कि इस पूरी प्रणाली का आप सरलीकरण करें। इसका दुबारा से रिव्यू करें, इसके कुछ मापदंडों में ढिलाई दें और यह तय करें कि 15 दिन में, 20 दिन में बिल पेश करने के अन्दर-अन्दर गो-शालाओं को उनकी अनुदान राशि मिल जाए ताकि वे लोग चक्कर नहीं काटें आफिस में।

दूसरी बात, गर्मियों के अन्दर हमारे कच्चे मकान हैं, उनमें आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं। जो गरीब आदमी है, मजदूर लोग हैं, उनके आगजनी चलती रहती है। आग लगी, माननीय सभापति महोदय, पिछले वर्ष में और मुआवजा नहीं मिला इस वर्ष की गर्मी तक। यह भी दुर्भाग्य की बात है। तो जो भी कभी हादसे होते हैं, या तो देना नहीं तो मना कर दीजिए कि आप, सरकार नहीं देगी कोई सहायता तो कम से कम वह गरीब आदमी आस तो नहीं करे किसी से। देना है तो आप नीति बनाइये। पटवारी रिपोर्ट दे देता है। तहसीलदार रिपोर्ट दे देता है, एस.डी.एम. रिपोर्ट दे देता है, फिर उसको मुआवजा टाइम पर क्यों नहीं मिलता? इसके लिए भी आप कोई ठोस कदम उठायें। मंत्रीजी, जहां कहीं भी मेरी बात सुन रहे हों, उसके लिए ठोस उपाय बनायें, ठोस नियम बनायें कि महीने में, दो महीने में उसको भुगतान वहां पहुंच जाए। जब रिपोर्ट आपका अधिकारी भेज रहा है नीचे से, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है?

तीसरा विषय, माननीय सभापति महोदय, पानी। पानी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पानी के पीछे ये तीनों विभाग जुडे हुए हैं और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सभी पदाधिकारियों को और हमारे उप नेता महोदय को और मुख्य मंत्रीजी को कि इन्होंने तीनों विषय एक साथ चर्चा के लिए रखे हैं। पानी की कमी है इसलिए बिजली की भी हो गयी, अकाल भी पड़ गया। यह भी अच्छी बात है। परन्तु इसका एक दूसरा पहलू भी है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 8 ऐसी योजनाएं हैं जिनके अन्दर 60 परसेंट पैसा खर्च हो चुका है और वे योजनाएं आज से दो-दो, तीन-तीन साल से लटकी हुई पड़ी हैं। मैं नाम लेकर बताना चाहता हूं। एकदो

(श्री निर्मल कुमावत)

योजनाएं मेरे मुण्डियागढ़ की योजनाएं हैं, इसमें चार ट्यूबवैल बन चुके हैं, बिजली के कनेक्शन हो चुके, बिजली का बिल पी.एच.ई.डी. चुका रहा है तीन महीने से, चार महीने से और पाइप लाइन नहीं है। सूरपुरा, लूनियावास योजना है, उसमें डेढ़ साल से टंकी बन चुकी है, ट्यूबवैल बन चुका है परन्तु पाइप लाइन नहीं जोड़ी गयी, बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा ही हाल हरसोली में है। ऐसा ही हाल बोबास परियोजना में है। छह करोड़ की योजना थी सांभर-फुलेरा कस्बे के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के लिए। तीन करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं परन्तु कहीं न कहीं राजनैतिक दबाव के अन्दर वह योजना ठंडे बस्ते में चली गयी, तो क्या राजनैतिक दबाव से ही काम होगा? कल को बीसलपुर के लोग पानी के लिए मना कर देंगे, हाड़ौती वाले चम्बल के लिए मना कर रहे हैं, हरियाणा वाले राजस्थान के लिए मना करेंगे तो सरकार ऐसे ही मूक-बधिर बन कर देखती रहेगी? इसका समाधान तो सरकार को और हम सबको मिलकर करना ही पड़ेगा कि पेयजल तो सब जगह जाए, इसका कोई विरोध नहीं करे। कोई खेती करने के लिए पानी थोड़े ही ले रहे हैं, पीने के लिए पानी ले रहे हैं।

आज मेरे विधान सभा क्षेत्र की 42 पंचायतों में से 25 पंचायतों में तो पी.एच.ई.डी. की कोई स्कीम ही नहीं है। केवल हैंड पम्प और टैंकर के ऊपर साधन चल रहा है। तीन नगरपालिका क्षेत्र हैं, जिनके अन्दर 48 घंटे से केवल 15 मिनट सप्लाई होती है। हम नहीं कहते कि रोजाना पानी दो आप। ठीक है, पानी नहीं है परन्तु जो व्यवस्थाएं हैं उनकी तो सुचारु रूप से व्यवस्थाएं हों। लीकेज हो जाते हैं, लीकेज हो जाते हैं छोटे-छोटे, लीकेज का सामान नहीं है। जे.ईएन. कहता है कि साहब, ठेकेदार करेगा। ठेकेदार कहता है कि पी.एच.ई.डी. हमको लीकेज का सामान नहीं दे रही है। तो यह जिम्मेदारी कौन तय करेगा? माननीय मंत्री महोदय, छोटी-छोटी बातें हैं, यह कोई बड़ी बातें नहीं हैं। हैंड पम्प के अन्दर वाशर नहीं है, ट्यूबवैल है तो साहब, मोटर जल गयी, आज मोटर नहीं आयी। तो यह छोटी-छोटी बातों की आप मोनिटरिंग करें।

आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आपके जे.ईएन. मेरे पास चार जे.ईएन. हैं। चार में से एक जे.ईएन. हैडक्वार्टर पर रहता है, तीन जे.ईएन. हैडक्वार्टर पर नहीं रहते और जब जे.ईएन. ही हैडक्वार्टर पर नहीं रहेगा तो आपके निचले स्तर के कर्मचारी कैसे काम करेंगे, आप यह बताइये। उनको पूछो, फोन करो तो साहब जयपुर आये हुए है डिवीजन में काम है। ए.ईएन. को फोन करो तो डिवीजन में काम है। एक्स.ईएन. को फोन करो तो डिवीजन में आये हुए हैं।

(श्री निर्मल कुमावत)

तो सारे ही डिवीजन में बैठते हैं तो क्षेत्र में काम कौन सम्भालेगा? मंत्री महोदय, आप यह जवाबदेही तय करें कि जो आपके उच्चाधिकारी हैं, आपके एक्स.ईएन. हैं, आपके एस.ई. हैं, यह कब क्षेत्र में जाएंगे। इनका कोई क्राइटेरिया है या नहीं है कि कभी आप जाकर आपके आफिसों को, ए.ईएन. आफिस को सम्भालोगे भी या नहीं सम्भालोगे? तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप पूरी गम्भीरता से इस मामले को लें।

जो भी योजनाएं अधूरी हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरी करायें। आने वाले समय में आप घोषणा कर देते हैं कि एक विधायक को 30 हैंड पम्प दिये, 40 दिये, देते नहीं हैं 10 आप। तो आपको 10 देने हैं तो 10 की ही घोषणा कीजिए। जनता को क्यों गुमराह करते हैं आप? जनता हमको पूछती है कि 30 आ गये, हमको दो। तो आपको देना है तो दो और नहीं देना है तो मत दो। कोई बात नहीं, मना कर दो, आप नहीं देंगे विधायक को, राजनैतिक द्वेष से नहीं देंगे या दबाव से नहीं देंगे। तो आप स्पष्ट तो बताएं इस बात को।

और तीसरा, मैं मेरी बात कहकर अन्त में, समय का अभाव है, एक ही बात कहना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को और हमारे सभी मंत्री महोदय बैठे हैं। जो कड़ी से कड़ी जोड़ने का नारा सरकार ने देकर और आम जनता से पंचायत से लेकर लोक सभा तक कड़ी जोड़ ली, उस कड़ी का कुछ फायदा भी देंगे या ऐसे ही जोड़कर यूं ही यहां ही खतम कर देंगे? आपको, राजस्थान को कोई विशेष पैकेज न पानी के लिए मिला, न अकाल के लिए मिला, न बिजली के लिए मिला। आज उत्तर प्रदेश को पैकेज मिल गया, महाराष्ट्र को पैकेज मिल गया, बिहार को पैकेज मिल गया। तो राजस्थान को कड़ी से कड़ी जोड़ने का कुछ तो इनाम मिलना चाहिए, मंत्री महोदय। मैं आपको निवेदन करता हूं कि केन्द्र के पास आप जाइये ..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करो।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): राजस्थान को पानी के लिये विशेष दर्जा मिलना चाहिये, बिजली के लिये दर्जा मिलना चाहिये और अगर आपकी नहीं चलती है तो हमें बोलिये, हम सब विपक्ष वाले लोग आपके साथ चलेंगे और धरना, प्रदर्शन करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने आपको असहाय नहीं समझें। पूरा विपक्ष दिल्ली चलने के लिये आपके साथ है। अंत में यही कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अंजु खन्गवाल

(अनुपस्थित)

श्री रणवीर पहलवान ।

(अनुपस्थित)

श्री जयदीप जी डूडी ।

(अनुपस्थित)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): सभापति महोदय, ..(व्यवधान) लट्ठ गाड़ा, लट्ठ गाड़ा नहीं, मैं तो सीधे-सीधे दो बात कहूंगा, लट्ठ गाड़ा नहीं करेंगे हम तो।

सबसे पहले, सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा और मुबारकबाद भी दूंगा, साधुवाद भी दूंगा कि मेरा भी आज सदन में बोलने का मौका आ गया। आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। सबसे पहले मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत को धन्यवाद देता हूं कि हमारे चूरू का सभी चीजों में ध्यान रखा। वे मुबारक के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और साधुवाद के भी पात्र हैं। मैं एक महीने से यहां सुन रहा हूं, जब बजट रखा था, उसके बाद से मैं तो सुन ही सुन रहा हूं और मेरे मन में यह बात थी कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में हम चुनकर जा रहे हैं, क्योंकि अब तक छोटी-छोटी पंचायत में बैठते थे। सभापति महोदय, मुझे आप टोकना नहीं, मैं थोड़ा ही बोलूंगा। (व्यवधान) नहीं, मैं सभापति महोदय को कह रहा हूं। मेरे मन में थी कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जा रहे हैं, अब तक तो छोटी-छोटी पंचायत में चौधर की हुई है हमारी। मोहल्ले में, पंचायत में छोटे-छोटे गांव होते हैं हमारी पंचायतों में, उनमें चौधर की हुई थी। यह तो बहुत बड़ी पंचायत है। हमें बहुत खुशी थी ...(व्यवधान) बुरा किसको लगेगा? वे हमारे सीनियर लीडर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बुरा नहीं लगेगा। (व्यवधान) आप चुप रहिये, सुनिये जरा। तो बड़ी खुशी हुई थी और यहां आये और जब बजट रखा तो बजट में मैं तो जानता हूं बजट किसलिये रखा जाता है। राय जानने के लिये, लोगों की राय कैसी है पक्ष और विपक्ष ...(व्यवधान) आज तो राय के बजाय आरोप और

(समय : 18.42 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

प्रत्यारोप होते हैं। मेरी माननीय सदस्यों से, काफी सीनियर सदस्य हैं, हम तो उनसे सीखने के लिये आये थे, एक ही सुर में बात हो रही थी कि यह बजट

(श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया)

झूठ का पुलिन्दा है। कितनी बातें कहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। (व्यवधान) बाद में यह सोचा कि जो हमारे पास था, वह भी चला गया। इस तरह से हमारी इतनी बड़ी पंचायत में हो रहा है। सबको राय देनी चाहिये, अपनी-अपनी राय रखने का सभी को अधिकार है, कुछ बातें और राय रखी गयीं। हमारे माननीय मंत्री ने उस राय को माना भी, उनमें संशोधन भी हुआ। वह बात और भी रख सकते थे पर धरने-प्रदर्शन-आलोचना, आपने क्या किया और हमने क्या किया। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे माननीय सीनियर सदस्यों को कि हम तो नये-नये आये हैं न, हम तो यहां पहली बार आये हैं, राजस्थान की जनता देख रही है और यह चर्चा पानी पर हो रही है, यह आज नहीं हो रही है, हमें तो 40-50 साल हो गये देखते हुए। मेरी उम्र 65 के करीब है और मैं जब 15 साल का था, तब से ही इस पानी की बात को सुन रहे हैं। हमारी इसी विधान सभा के अन्दर चर्चा होती रहती है पर अभी तक अफसोस इस बात का कि राजस्थान में पानी का हल नहीं हुआ। मैं मेरे सीनियर सदस्यों से कहना चाहता हूं, पक्ष और विपक्ष से कि आप मिल-बैठकर इसकी एक नीति तय कीजिये और उसमें हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी, थारा-म्हारा छोड़ना पड़ेगा, राजस्थान में थारा-म्हारा नहीं; भाई, हम सब तो एक हैं, थारा-म्हारा नहीं करें और बड़ा दिल रखना पड़ेगा, तब जाकर इस राजस्थान में पानी का हल हम निकाल पायेंगे। और नहीं तो, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान की पूरी जनता हमको देख रही है, आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी, मैं आपको दावे के साथ कह देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्य मंत्री साहब जब हमारे को शिक्षा देते हैं, मैंने उनसे दो-तीन बातें सीखी हैं कि हाजी साहब, दो बातों का ध्यान रखो। मैंने कहा, किसका रखें, साहब? एक तो थारी-म्हारी नहीं करो, दूसरी बात बड़ा दिल रखो। तो मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब राजस्थान का मुख्य मंत्री इस बात की ट्रेनिंग देता है तो उसका कितना बड़ा दिल होगा। (व्यवधान) शेर बोलूं? माननीय सदस्य, बजट पर जब बहस हो रही थी उस टाइम बोल रहे थे तो एक शेर याद आ गया –

'सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से,
खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से।'

खुशबू तो जो हकीकत के फूल होंगे, उनसे आयेगी। आने वाले पांच साल में बताऊं, खुशबू आने लग जायेगी। हमारे माननीय सदस्य तो कागज के फूलों से खुशबू लेना चाहते थे।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): 'फूल शबनम में डूब जाते हैं,
जख्म मरहम में डूब जाते हैं
और जब कोई आसरा नहीं मिलता,
हम तेरे गम में डूब जाते हैं।'

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): क्या बात है। तो वह खुशबू लेना चाहते थे। (व्यवधान) वह जवाब तो क्या, धौलपुर से आने वाले माननीय सगीर साहब ने एक बात बोली थी, मैं उस बात से सहमत हूं, पर यह बात सगीर साहब पांच साल पहले बोलते तब अच्छी लगती, आज बोलने से अच्छी नहीं लगी। इन्होंने क्या बोला था कि हमारे राजस्थान के अन्दर युवा कहां जायेंगे, रोजगार नहीं मिलता है, राजस्थान में उद्योग-धन्धे लगे हुए नहीं हैं। यह बात सही है। उन्होंने उदाहरण दिया था कि राजस्थान के उद्योगपति बाहर काम करते हैं। यह बात सही है। सबसे ज्यादा उद्योगपति हैं तो राजस्थान के अन्दर हैं, यह बात भी उनकी सही है। उन्होंने उदाहरण दिया था महाराष्ट्र का, गुजरात का कि महाराष्ट्र में उद्योग लगे हुए हैं, गुजरात में उद्योग लगे हुए हैं, दिल्ली में उद्योग लगे हुए हैं, यह बात आपकी बिलकुल सही है। पर, सगीर साहब, यह बात पांच साल पहले करते। यहां भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिये राज़ी हैं, मगर हमारे पास बिजली और पानी की कमी है । अगर इनकी पूर्ति हो जायेगी तो हमारे उद्योगपति राजस्थान में काम करने के लिये तैयार हैं। हमने कई उद्योगपतियों से बात की है, इस बात के लिये वह तैयार हैं कि हम एक रुपया बाहर कमाते हैं, राजस्थान के अन्दर हमको सुविधा मिलेगी तो हम पचास पैसे में भी कमाने के लिये उद्योग लगाने के लिये तैयार हैं। उनके लिये भी चिन्ता है उनको। मगर बिजली और पानी पर काम नहीं किया।

हमारी पिछली सरकार ने पांच साल काम किया। यदि वह दो चीजों पर काम न करके और बिजली और पानी पर काम करती तो राजस्थान की जनता को आज यह दिन नहीं देखने पड़ते। उन्होंने 90 बी में काम किया, शराब नीति पर काम किया, न कि बिजली-पानी पर काम किया।

यहां वक्ता बहुत अच्छे से बोलते हैं। दो बातों की चर्चा हुई यहां सदन के अन्दर। कोई ऐसा विधायक नहीं जिसने दो बातें नहीं कहीं। एक तो पानी की और, बिजली का तो सुधार हुआ है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने एक साल पहले यहां कहा था कि बिजली की कमी है, यह कमी हमने यहां स्वीकार की, यह हकीकत है, पर 16 महीने के अन्दर इस कमी को दूर कर देंगे हम। अभी 16

(श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया)

महीने नहीं हुए हैं, अभी 14-15 महीने ही हुए हैं। अभी दो महीने बाकी हैं। हमने काफी सुधार कर लिया और आगे और हो जायेगा। (व्यवधान) आगे सुनिये आप ...(व्यवधान) नहीं, सुनिये मेरी बात। उस पर काबू पाया कुछ हद तक।

अब रहा सवाल ...(व्यवधान) पांच साल की जो बात थी ...(व्यवधान) उस पर काबू पाया।

अब रहा सवाल पानी का। हर विधायक ने यहां पानी का जिक्र किया। दूसरी बात क्या की, करप्शन और उसमें लाये किसको, नरेगा को। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं नरेगा कब पैदा हुई? यह बताइये कब पैदा हुई? नरेगा तो अभी पैदा हुई है। नरेगा कब पैदा हुई? इसको तो अभी दो-तीन साल ही हुए हैं। करप्शन तो कई सालों से चल रहा है। उस वक्त क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोकना चाहते हो? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह करप्शन और पानी का मसला, ये दोनों मसले हम दो सौ विधायकों की जिम्मेदारी हैं। करप्शन दो सौ विधायक रोक सकते हैं, न कि एक राजस्थान का मुख्य मंत्री रोक सकता है। हमारा दायित्व बनता है। साढ़े छह करोड़ जनता ने हमको चुनकर भेजा है। साढ़े छह करोड़ जनता ने हमें हर क्षेत्र का वाचमेन बनाकर भेजा है। हम उनके वाचमेन हैं, हम उनकी रक्षा करने के लिए यहां आये हैं। करप्शन हम रोकना चाहते हैं। आपको आपके क्षेत्र का वाचमेन बनना पड़ेगा तब जाकर यह करप्शन रुकेगा। रुकेगा या नहीं रुकेगा? किसी भी अधिकारी की ताकत नहीं कि यह कांग्रेस का विधायक है या बी जे पी का विधायक है, उसको जाने से नहीं रोक सकता, वह जब चाहे जाकर चैक कर सकता है। उसको अधिकार है।

सभापति महोदय, कुछ गलती हो गयी हो तो माफ करना। मैं इधर देखने लग गया जबकि मुझे आपकी तरफ देखकर बोलना चाहिए। दो सौ विधायकों की जिम्मेदारी है। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य कानून व्यवस्था की बात कह रहे थे तो मैं बताना चाहता हूं कि आप चूरू जिले की कानून-व्यवस्था देखिए। क्या कमी है वहां? आप बताइये। कमी है तो सरकार उस कमी की पूर्ति करेगी। अभी तो तेरह-चौदह महीने ही हुए हैं इस सरकार को बने हुए। आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए कानून और व्यवस्था का। उसके पहले का भी देख लीजिए। हास्पिटल का देख लीजिए, स्वास्थ्य का देख

(श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया)

लीजिए। आपके सामने है। वह तो रिजल्ट आपके सामने है। पानी का भी ठीक है वहां। चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कर रहे हैं हम।

अब रहा सवाल पानी का। इसके लिए बड़ा दिल रखना पड़ेगा, भाई साहब। पानी की समस्या मिटानी है तो इसके लिए हमारे सब दो सौ विधायकों को बड़ा दिल रखना पड़ेगा और बड़ा दिल रखकर देखना पड़ेगा। थारी-म्हारी भूलनी पड़ेगी कि मेरी तहसील में वह नहीं है, मेरे जिले में वह नहीं है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तब उसके बाद राजस्थान में पानी की व्यवस्था सही हो सकती है और राजस्थान आगे बढ़ सकता है, नहीं तो यह पुकार ऐसे ही रहेगी। थारा म्हारां करेंगे तो इसको मिटा नहीं सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सर, एक मिनट। अकाल के अन्दर, मंत्री महोदय, नरेगा योजना में हर जिले की, हर तहसील की अलग-अलग समस्याएं होती हैं। तो जिलेवाइज नरेगा के काम शुरू करने के साथ-साथ उसके अनुसार वहां के अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि जन-प्रतिनिधियों को पूछकर वहां की योजना बनायें ताकि पैसे का उपयोग हो सके। मेरे जिले की स्थिति यह है कि वहां ज्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है और सबसे कम वर्षा भी वहीं पर होती है। चूरू का नाम आता है टेलीविजन और रेडियो पर, आप सुनते होंगे। मेरा आग्रह है सभी मंत्रियों और मुख्य मंत्रीजी से कि चूरू का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। हर चीज वहां ज्यादा होती है। गर्मी वहां ज्यादा पड़ती है इसलिए पानी की व्यवस्था वहां पर ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। टी वी और रेडियो पर चूरू का नाम आता है। वह टीबों की धरती है। आपके यहां टीबे नहीं होंगे। चूरू में मिट्टी ज्यादा उड़ती है। मैं मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी से यही निवेदन करूंगा कि चूरू का ज्यादा ख्याल रखें। चूरू में ज्यादा गर्मी पड़ती है और अभी गर्मी का मौसम है।

सभापति महोदय, मैं बिजली के लिए एक सुझाव दूंगा। बिजली मंत्रीजी यहां मौजूद हैं। शहरों के अन्दर, पहले तो शहर छोटे थे, अब बड़े हो गये, शहरों के अन्दर घरों के ऊपर से बिजली के तार जा रहे हैं। उनको हटवाने की कृपा करें। अकाल तो है ही। 27 जिलों में अकाल है। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अब्दुल सगीर खां।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): सभापति महोदय, मैं अपनी तकरीर

(श्री अब्दुल सगीर खां)

का आगाज खास तौर से पेयजल व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी प्लस सूखे पर अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहूंगा। मैं इसकी शुरुआत इस शेर से करूंगा कि 'अजब तमाशा है ऐ साकी तेरे मयखाने में, हमको पानी भी मयस्सर नहीं पैमाने में। एक और शेर अर्ज करूंगा, खास तौर से इस राजस्थान के रहनुमाओं के लिए कि 'दिल्ली का तख्तोताज भी एक पल में बेच दें, संसद भवन को जाकर ये चम्बल में फेंक दें और मौका मिले तो हमारे यह रहनुमा भारत को एक शराब की बोतल में बेच दें'।

सभापति महोदय, इस सदन में बड़ी गम्भीरता से पेयजल के ऊपर पूरे सदन ने चिन्तन-मनन किया है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में खास तौर से पेयजल की जो व्यवस्था है उस पर बहुत सारी कृपाएं हैं। एक तो राजस्थान भौगोलिक क्षेत्र सबसे बड़ा प्रदेश है और दो तिहाई हिस्सा रेगिस्तानी है। स्रोत बहुत कम रह गये हैं। चुनौती बहुत बड़ी है। हमें समझना होगा कि इस चुनौती का मुकाबला हम एक तरह से दोषारोपण करके नहीं कर सकते। हम सबको एक होकर खास तौर से जो ऐसे विषय हैं, पानी है, स्वास्थ्य है, इसको एबूव पालिटिक्स, राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि उन्होंने राज्य जल नीति बनायी है। इसके लिए वे मुबारकवाद के मुस्तहक हैं लेकिन नीतियां बनती हैं, सवाल है नीयत का कि आप इम्प्लीमेंटेशन, एक्जीक्यूशन, क्रियान्वयन करें या नहीं। सरकार की सफलता, असफलता का पैरामीटर है उसका एक्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन। जो आपने नीति बनायी है, नीति बनाकर आप उसका क्रियान्वयन कितनी गम्भीरता से करते हैं।

आपकी जो मशीनरी है, जैसा कि सारे देश का वातावरण है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। काम करना कोई चाहता नहीं। प्रदेश के अन्दर ए ईएन, जे ईएन, एक्स ईएन सारे हम अपनी राजनीतिक रिकमंडेशन करके उन्हें वहां लगवाते हैं। अब वह व्यक्ति वहां कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, मंत्रीजी मजबूर हैं, राजनीतिक दबाव होता है और कार्य सही तरीके से नहीं होता। दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस साल से एक क्षेत्र में ए ईएन और जे ईएन कार्य कर रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र की मिसाल देता हूं। लगभग 15-20 साल से वहां के मूल निवासी वाटर वर्क्स में ए ईएन और जे ईएन हैं। जहां तक पानी के डिस्ट्रिब्यूशन का प्रश्न है, वहां पर राजनीति होती है, पाइप डालने में राजनीति होती है। कौन प्रभावशाली है, कहां पाइप लाइन डलेगी, कहां प्रोजेक्ट बनेंगे, कहां क्रियान्वयन होगा, यह सारी की सारी राजनीतिक भावनाओं से ही होता है।

(श्री अब्दुल सगीर खां)

(समय : 19.00 बजे)

हमारे माननीय सदस्य, खाचरियावासजी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जितने विधायक, आपके बिना पगार के ये काम करेंगे आपके विजिलेंस आफिसर की तरह लेकिन आपको विश्वास नहीं है अपने विधायकों पर। क्यों नहीं देते उन्हें जिम्मेदारी? क्यों नहीं नोटिफाई करते कि आपके क्षेत्र में इतने हैंड पम्प लग रहे हैं, यह योजना है? इसकी कोई सूचना विधायक को नहीं होती। ब्यूरोक्रेसी हावी है। मैं समय-समय पर यह बात कहता रहा हूं कि जब तक आप ब्यूरोक्रेसी की नाक में नकेल नहीं डालोगे, आप कुछ भी करने में सफल नहीं हो पायेंगे क्योंकि जब तक आप मौके पर नहीं जाओगे, आप अपने ड्राइंग रूप में बैठे हुए हैं, काफी पी रहे हैं, सिगार पी रहे हैं और वहां पर बैठ कर योजनाएं बन रही हैं। मंत्रीजी को नहीं पता कि राजस्थान का धौलपुर कहां है, भरतपुर कहां है, अलवर कहां है और दूसरे क्षेत्र कहां हैं। अधिकारीगणों ने लाकर उनके सामने अपना नक्शा रखा और वहीं पर ड्राइंग रूम में बैठ करके वे सारी नीतियां तय हो जाती हैं। जब तक आप गांव में, ढाणी में नहीं जाओगे, फर्स्ट हैंड इंफोर्मेशन नहीं लोगे, खुद जाकर उसके अहसास को नहीं महसूस करोगे तब तक आपकी जो नीतियां बनेंगी वे पुस्तकों में बहुत अच्छी लगेंगी लेकिन वे व्यवहारिक नहीं होकर मात्र आदर्श रहेंगी, रियलिस्टिक नहीं बनेंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि वे राजस्थान का दौरा करें। अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है लेकिन आपने जल नीति बनायी है, व्यवस्था क्या की है, क्या आपका कंटिंजेंसी प्लान है? पिछली बार राजस्थान को आपने प्यासा मारा, मार्च खतम होने जा रहा है, अप्रैल, मई, जून, जब तक यह, साहब, एम.एल.ए. फंड भी आयेगे और हम अभिशंसा भेजेंगे, जून निकल चुका होगा, आपके इस पैसे का भी हम जनता को लाभ नहीं दे पायेंगे। आप क्यों नहीं दो महीने पहले, तीन महीने पहले, गर्मी के आने से पहले यह योजनाएं बनाते? लेकिन मंत्रीजी को पड़ी नहीं है, परवाह नहीं। सरकार को इसकी परवाह नहीं। पानी इतनी बड़ी आवश्यकता है, इसके लिए पशु, पक्षी, मनुष्य, कृषि, हर व्यक्ति को, हर चीज को, उद्योग को, इंडस्ट्रियल एरियाज को, आपके कामर्शियल प्लांट्स को, सबको पानी की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, हम लोग इसके प्रति चिंतित नहीं हैं। किस तरीके से हम पानी के रिजर्वायर बनाएं, किस तरीके से बरसात के पानी को

(श्री अब्दुल सगीर खां)

हम पोंड्स, पूल्स या जो भी इस तरह के हमारे नरेगा में काम चल रहे हैं, पक्के काम करके पशुओं के पानी की व्यवस्था हो सकती थी लेकिन हमने कच्ची सड़कें बनायीं; हम रोजगार दे रहे हैं, दो महीने बाद सड़क नजर नहीं आती, हम कोई और चीज बना रहे हैं, 15 दिन के बाद आप देखेंगे वह नजर नहीं आयेगी। इसके बाद इतने भ्रष्टाचार के केसेज आये तब सरकार को लगा कि नहीं, पक्के काम करायेंगे। आप पक्के काम कराते, कम से कम पशुधन के लिए वहां पानी की व्यवस्था नरेगा से हो सकती थी, आप कम से कम पशुओं को बचा सकते थे लेकिन उसकी व्यवस्था हो, आपने उसकी कोई परवाह नहीं की।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कम से कम इस तरह के कानून लाएं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं मुम्बई शहर का, वहां पानी की बहुत किल्लत है, नगरपालिका ने, वहां मीटर लगे होते हैं, उन्होंने यह तय कर दिया कि इतने तक आप अगर कंजम्प्शन करेंगे, एक पर्टिकुलर मीटर तक तो आपको इतना चार्ज लगेगा और उसके ऊपर करेंगे तो उन्होंने उसके दस गुना ऊपर कर दिया।

तो जब तक यह मेसेज नहीं जायेगा कि पानी बहुमूल्य चीज है, पहले जर, जेवर और जमीन के लिए झगड़े हुआ करते थे, युद्ध हुआ करते थे, अगर भविष्य में कोई गृह युद्ध होगा या वर्ल्ड वार होगा तो वह पानी के लिए होगा। पानी सबसे बड़ी महंगी वस्तु हो जायेगी। सब्जी सस्ती मिल जायेगी, अनाज सस्ता मिल जायेगा, पानी नसीब नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि जनता को इसके बारे में जाग्रत करना होगा। हम शिक्षित लोगों को भी इससे सबक लेना होगा कि किस-किस तरीके से हम पानी को कम से कम इस्तेमाल करें, उसका दुरुपयोग नहीं हो और भविष्य में आपको, आज नहीं तो कल उसके लिए राजस्थान में कानून लाना पड़ेगा कि criminal war on water should be…. (interruption) and if you find it you can make it and find it in IPC. आप इसे जुल्म बनायेंगे कि अगर कोई दुरुपयोग करेगा, क्रिमिनल वेस्टेज करेगा तो उस पर फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी। कुछ न कुछ इस तरह का मेसेज आपको देना होगा जिससे कि पानी का दुरुपयोग नहीं हो।

जितना पानी हम सप्लाई करते हैं उससे कहीं ज्यादा उसका वेस्टेज होता है। पाइप लाइन गयी हुई है, लीकेज है, पानी निकल रहा है, किसी अफसर को चिंता नहीं; कहीं पर टेप लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, उसकी टोंटी नहीं,

(श्री अब्दुल सगीर खां)

पानी बह रहा है, किसी को चिंता नहीं और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बूंद-बूंद पानी के लिए बच्चे तरस रहे हैं। वहां उन तथाकथित इल्लीगल कालोनीज में, हमारे मंत्रीजी बैठे हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसी दर्जनों कालोनीज हैं जो कालोनाइजर्स ने बना दीं लेकिन वहां ना तो सड़क है, ना बिजली है और ना वहां पानी है। क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं? किस बात का हम उन्हें दंड दे रहे हैं? हमारे आफिसर वहां बैठे हैं, जब इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होता है, हम बनने देते हैं; बाद में हम इल्लीगल डिक्लेयर करके और उसको हम पानी नहीं देते। बिजली नहीं देते, सड़क नहीं देते। मैं कहना चाहता हूं कि पानी हर मानव का अधिकार है। तो पानी पर आप यह कानून बदलिये और हर जगह आप पानी की व्यवस्था कीजिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां बिलकुल पानी नहीं, पशुओं के लिए पानी नहीं। हम प्रश्न लगाते हैं और अधिकारीगण वहां से फीडबैक देते हैं कि यहां पानी की कोई कमी नहीं है। मुझे बड़ा दुःख होता है। मुसलपुर पंचायत समिति, सादिकपुर पंचायत समिति, ऐसी सैकड़ों पंचायत समितियां हैं, ग्राम पंचायत समितियां जहां पर पानी पीने के लिए नहीं है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। चम्बल नदी पास से गुजर रही है, हम भरतपुर को पानी दे रहे हैं लेकिन हमारा धौलपुर पानी के लिए प्यासा है।

मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, हमारी सरकार ने धौलपुर लिफ्ट इर्रिगेशन के नाम से योजना बनायी, वह योजना पास हुई और यहां से क्लीयर होकर दिल्ली के एन्वायर्नमेंट विभाग में पड़ी हुई है। मैं कहना चाहूंगा, मंत्रीजी, आपने जाकर कितनी बार मुलाकात की, क्या स्टेटस है, क्या हो रहा है? डेढ़ साल हो गये, उस पर आपका कोई उत्तर नहीं। अगर उस लिफ्ट इर्रिगेशन योजना का क्रियान्वयन होता है तो मैं कहता हूं कि धौलपुर की तस्वीर बदल जायेगी, तकदीर बदल जायेगी और वहां का किसान लाभान्वित होगा। इर्रिगेशन भी होगी, सिंचाई होगी, लोगों को पानी पीने को मिलेगा। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने उसमें क्या कार्यवाही की? जब आप जवाब दें, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से कृतज्ञ होऊंगा, आप यह बताएं कि आपने उसमें क्या प्रयास किये, कहां पर अटकी हुई है। अगर हमारी आवश्यकता है तो हम आपके साथ हैं। कृपया करके, मेहरबानी करके उस लिफ्ट इर्रिगेशन को परश्यू करें और उस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन कराने का कार्यक्रम करें।

(श्री अब्दुल सगीर खां)

माननीय सभापति महोदय, हमारे जहां तक बिजली व्यवस्था का प्रश्न है, मैं सिर्फ opposition for the sake of opposition नहीं करता। धौलपुर में भी बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ है, उसके लिए मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन साथ ही मैं उनका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि धौलपुर के अन्दर अभी बहुत सारी कालोनीज हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं और खास तौर से राजीव गांधी योजना में जो आपने टारगेट फिक्स किये थे कि तीस मार्च तक सारा कार्य पूरा हो चुका होगा, मंत्रीजी, वे कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं। डोमेस्टिक कनेक्शंस नहीं मिलते हैं, एग्रीकल्चर कनेक्शंस नहीं मिलते हैं। जो एस सी, एस टी की पालिसी है, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा उसमें कोई विरोध नहीं है, मैं स्वागत करता हूं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह सरकार की कैसी नीति है कि अधिकतर लोग जो कृषि कर रहे हैं, वे अपर कास्ट के लोग हैं, वे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वे लोग नब्बे परसेंट हैं, उनको आपने तीन साल का टाइम दिया है कि तीन साल के अन्दर आपको कनेक्शन मिलेगा। एग्रीकल्चर के कनेक्शन की आवश्यकता आज है, आप उसे तीन साल के बाद कनेक्शन दे रहे हैं। वे आपको पैसे देने को तैयार हैं लेकिन आपके पास बिजली नहीं है, आप बिजली नहीं दे रहे।

एक तरफ आप बात करते हैं कि हम कृषि को उद्योग बनाना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में किसानों में सम्पन्नता लाना चाहते हैं, दूसरी ओर अगर आप बिजली कनेक्शन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, कृषि का विकास कैसे होगा, उद्योग का विकास कैसे होगा, राजस्थान भला बहबूदी के मार्ग पर कैसे जाएगा? आपका यह बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा मेरे भाई हाजी जी ने बताया कि पानी और बिजली राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो राजस्थान का मारवाड़ी समाज जो सम्पन्न है, जिसने महाराष्ट्र को, गुजरात को सम्पन्न बनाया है, वह उद्योग लगाना चाहता है, आज की तारीख तक उद्योग की नीति नहीं है।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आप राजस्थान को खुशहाल देखना चाहते हैं, राजस्थान को हिन्दुस्तान के नक्शे पर लाना चाहते हैं तो पानी और बिजली की व्यवस्था कीजिए। यह करम फरमाइये राजस्थान की जनता पर और उनको कम से कम ड्रिंकिंग वाटर तो उपलब्ध करा दीजिए यह कंटेमिनेटेड वाटर, पाल्यूटेड वाटर जिससे मृत्यु हो रही है, कबूतर आपकी पाइप लाइन्स में मरे हुए निकलते हैं धौलपुर में, जयपुर में मौतें हो रही हैं कंटेमिनेटेड वाटर से, आप अपने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ

(श्री अब्दुल सगीर खां)

क्या कार्यवाही करते हैं? प्रोफेशनलिज्म यह है कि डाक्टर्स की अगर नेग्लीजेंस है क्रिमिनल नेग्लीजेंस, they may be prosecuted. But what about your officers who are negligent? People are dying because of the contaminated water. Hon'ble Minister, kindly tell this House, what action are you going to take against them. आपके पास कुछ नहीं है, आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। मेसेज जाता है कि सरकार बेकार हो गयी, सरकार कुछ नहीं कर सकती। सभापति महोदय, जब तक यह मेसेज नहीं जाएगा राजस्थान में कि हमारे मंत्रीगण और यह सरकार सिंसीयर है, सीरियस है, किसी भी क्रिमिनल नेग्लीजेंस के लिए उनको सज़ा मिलेगी, राजस्थान में कोई भी स्कीम, कोई भी योजना क्रियान्वित नहीं होगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गंगाजल मील।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): माननीय सभापतिजी, मैं पानी, बिजली और अकाल पर मेरे विचार रखना चाहता हूं। आज पूरे प्रदेश में पीने के पानी की समस्या है और पूरा हाउस इस चीज से चिन्तित है। यह वाकई में समस्या है। गरमी आ रही है, कहीं पानी में फ्लोराइड है, कहीं पानी नीचे चला गया है, कहीं बंधे सूख गये हैं। पूरे प्रदेश में समस्या है लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के अन्दर अलग ही समस्या है। जब गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले की बात आती है तो सभी कहते हैं कि वहां तो कोई कमी है ही नहीं लेकिन मैं यह कहता हूं कि आज यदि यहां से कोई सदस्य जाकर जो पानी हम पी रहे हैं यदि वह स्थिति देख ले तो आप लोग कहेंगे कि इससे बुरी स्थिति तो कहीं प्रदेश में ही नहीं है। आज पंजाब के बड़े शहरों और कस्बों का गंदा पानी, सीवरेज का पानी है, फैक्टरियों का जो रसायनयुक्त पानी है, वह पानी आज हमारे जो डैमों से पानी आता है उसके साथ मिलता है और वह पानी आज हमें पीने को मिल रहा है। सिंचाई के लिए तो पानी है ही नहीं क्योंकि पानी की कमी आ गई है, डैमों में पानी कम है। वह तो किसी भी सरकार के हाथ में नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। आज पानी सिंचाई के लिए तो बंद ही कर दिया, हालांकि एक पानी और मिल जाता तो प्रदेश के दोनों जिलों की पच्चीस परसेंट उपज और बढ़ जाती लेकिन उसमें मैं नहीं जाना चाहता, कोई फायदा नहीं है, वह तो बर्बाद होनी थी हो गयी लेकिन जो पीने का पानी है वह आज इतना गंदा पानी आ रहा है । यदि उसकी वस्तुस्थिति से हम अवगत हों तो वाकई में रूह कांप जाती है। कहीं कोई महामारी न फैल जाए, यह चिन्ता

(श्री गंगाजल मील)

रहती है लेकिन एक बात और है। हम तो इससे सन्तोष कर रहे हैं, यदि महामारी फैलेगी तो डाक्टर जाकर कंट्रोल कर लेंगे लेकिन वह गंदा पानी पीने से जिनको कैंसर हो रहा है, उनका कोई इलाज भी नहीं होगा और वे सड़-सड़ कर मरेंगे और तकलीफ से मरेंगे। उसके लिए कौन जिम्मेवार है?

कम से कम सरकार बात करे, पंजाब सरकार से बात करे कि कम से कम इन्सानियत की तो सोचो, गंदा पानी तो मतलब हमारे पीने वाले पानी में मत मिलाओ। ट्रीटमैंट प्लांट लगा लो, कोई खर्चा देना है तो केन्द्र से दिलवा दो, प्रदेश से दे दो। यदि प्रदेश सरकार पंजाब नहीं मानती है तो चाहे सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगानी पड़े, वह भी करनी चाहिए। क्योंकि आज गंगानगर के नाम पर हर आदमी सोचता है, गंगानगर में तो कोई कमी नहीं है, सब ठीक है लेकिन गंगानगर में कुछ भी ठीक नहीं है। आज के दिन यहां पीने का पानी भी स्वच्छ नहीं है तो फिर क्या है? पीने का पानी स्वच्छ नहीं है, गंदा पानी है।

मैं सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि जैसे सरकार की केन्द्र में नीतियां होती हैं, मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बहुत बड़ा भू-भाग रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां सरकार ने बहुत अच्छी योजना शुरू की जिसमें 45 बड़े-बड़े गांव दूर-दूर पांच-पांच, सात-सात, दस दस किलोमीटर दूर गांव उस योजना से जुड़े हैं और वह स्कीम तैयार होते-होते उसमें पांच करोड़ की कमी रह गयी। वह पांच करोड़, मैं मंत्रीजी से भी मिला, मुख्य मंत्रीजी से मिला और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिंचाई से मिला, उन्होंने वह पांच करोड़ की स्कीम मंजूर कर दी। वह स्कीम कम्प्लीट हो गयी और मेरे को उम्मीद है, अब ट्रायल पर चल रही है और आने वाले गर्मियों के टाइम में वह जो 45-46 गांव हैं, कम से कम पानी तो उनको जरूर मिलेगा। जैसा भी है गंदा पानी है लेकिन मिलेगा जरूर। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं ।

इसके अलावा सूरतगढ़ शहर की आज से 25-30 साल पहले इसकी आबादी सारी बीस हजार थी। उस वक्त जो यहां स्कीम बनी उसके बाद सूरतगढ़ की आबादी बहुत बढ़ गयी क्योंकि टीबा क्षेत्र से जो गरीब लोग थे वे पलायन करके सूरतगढ़ शहर में आ गये और वह स्कीम जो 25-30 साल पहले बनी थी, वह आज बिलकुल भी शहर में पानी देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यद्यपि एक साइड में हालांकि चार-पांच जोन बनाकर अलग-अलग पानी देते

(श्री गंगाजल मील)

हैं लेकिन फिर भी जो रॉ-मेटेरियल आता है, जो नहर से पानी आता है 236 आर डी से, वह पानी जितना आता है उससे ज्यादा खपत होती है। उसके लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हालांकि 99 करोड़ की स्कीम बनाकर भेजी हुई है, यदि वह स्कीम बन जाती है तो आने वाले कम से कम बीस-तीस साल के लिए शहर के अन्दर निजात मिल सकती है।

इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र की जैतसर और मगरा वाली ढाणी में दो साल से वाटर वर्क्स बीच में पड़े हैं, तैयार नहीं हो रहे। कर्मचारियों के जे ईएन वगैरह ठेकेदारों से रिश्तेदारी रखते हैं और वैसे ही ठेकेदार आते हैं, वे स्कीम कम्प्लीट करते नहीं और बीच में भाग जाते हैं। उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सूरतगढ़ शहर की आबादी अब अस्सी से पिच्यासी हजार हो गयी है और वह भी दो भाग में है। जो टीबा क्षेत्र है, यह लाइन पार का जो क्षेत्र है उसमें पानी चढ़ता नहीं है। तो पानी की तो शहर में भी कमी है तो उस क्षेत्र के अन्दर भी एक अलग ओवरहैड टैंक बनायेंगे तब जाकर शहर में गर्मियों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था बैठेगी। टीबा क्षेत्र के अन्दर इस साल पानी की व्यवस्था तो हो गयी है लेकिन सिंचाई के लिए लोगों ने वहां आन्दोलन किया था, यदि सिंचाई का पानी मिल जाता तो साथ में पानी की व्यवस्था भी हो जाती।

माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि टीबा क्षेत्र के अन्दर सौ क्यूसेक्स पानी दो आप। सौ क्यूसैक्स से चाहे स्प्रिंकलर से करें, चाहे बूंद-बूंद से करें, किसी से चाहें, वह खेती भी कर लेंगे और पीने के पानी की व्यवस्था भी जहां पानी नहीं पहुंचा है वहां भी पानी पहुंच जाएगा। लेकिन पानी तो आज इन्दिरा गांधी कैनाल है वह आ रही है, उसमें तो सारा पानी आ रहा है। वह पानी तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के चक्कर में ही रह गया। आज हमारे घड़साना, अनूपगढ़ से आने वाले जो विधायकजी हैं इन्होंने ब्रेक लगा दिया कि हम तो 60 परसेंट पानी लेंगे। इनको 60 परसेंट से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि जब यह पहले लड़ते-झगड़ते थे तब कांग्रेस वाले इनके साथ थे और अब झगड़ते हैं तो बी जे पी वाले इनके साथ हैं।

यदि इसी तरह होता रहा तो आज प्रदेश के अन्दर आई जी एन पी नहर से जो पीने का पानी जा रहा है, बीकानेर में जा रहा है, जैसलमेर में जा रहा है, नागौर में प्लानिंग बन रही है, जोधपुर में जा रहा है, सेकंड फेज में

(श्री गंगाजल मील)

कम से कम जो रकबा सिंचित हो रहा है उसको गवर्नमेंट एड देकर डिग्गियां बनवा कर और सिर्फ स्प्रिंकलर के लिये रख दें तो पानी की बचत हो जायेगी। जो फर्स्ट फेज के अन्दर भी हैं, जहां पक्की जमीन नहीं है, कच्ची जमीन है वहां भी स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी की बचत की जा सकती है। इसके अलावा कोई बचत का जरिया नहीं है। जब बचत की बात होती है तब यहां से अधिकारी जाते हैं, एक्स ईएन, ए ईएन जाते हैं, लोगों के मोगे खड़े कराते हैं और पैसे इकट्ठे करके भाग आते हैं। इससे पानी की बचत नहीं होगी। पानी की बचत सरकार चाहेगी तभी होगी।

आज नागौर के अन्दर कोई अंडरग्राउण्ड पानी भी नहीं है, आज फलौदी के अन्दर पानी की किल्लत आ रही है। तो वह पानी कहीं न कहीं से बचाकर लायेंगे तब ही तो पहुंचेगा। गवर्नमेंट प्लानिंग ढंग से करेगी पानी की बचत तभी होगी। लोगों के मोगे छेड़ने से पानी नहीं बचेगा। पानी तो वही है। मोगे पिछले दो-तीन सालों से लग रहे हैं, मोगे छोटे करके, बड़े करके पानी पहुंचाया है तो बता दो। एक क्यूसेक भी कहीं नहीं बचा सके। लोगों के पीने का पानी पहली आवश्यकता है, सिंचाई बाद में है। चाहे हमारा एरिया सिंचित क्षेत्र है लेकिन हमारे एरिये के अन्दर किसी की दो बीघा जमीन भी रह गयी तो वह भी सिंचित नहीं कर रहा है। मैं तो सिर्फ यही मांग करता हूं, चार क्यूसेक के लिये अधिकारियों के चक्कर काट-काट कर रह गया, सिंचित की हुई है और चार क्यूसेक पानी मंजूर नहीं कर रहे हैं। वह फाइल भी जयपुर लानी पड़ी और अभी तक पैंडिंग पड़ी है। अब तो मैंने भी सोच लिया कि पानी सिंचाई के लिये है ही नहीं। जब पानी होगा तब देख लेंगे।

इसके अलावा सरकार ने 35,500 हैक्टेयर जमीन लिफ्ट से सिंचित करने के लिए पिछले साल के बजट में रखी, इस साल फिर रखी। मैं कहता हूं, पानी पीने के लिये ही नहीं है तो बजट में रखने से क्या फायदा ? पीने का ही पानी नहीं है, सिंचाई का ही पानी नहीं है तो बजट में रखकर करोगे क्या ? मैं कहता हूं, लिफ्ट तो बहुत दूर की बात है, हमें तो सौ क्यूसेक पानी फलों में जितना लग सके उतना ही दे दो तो जो आन्दोलन चले थे वे आन्दोलन खतम हो जायेंगे। पता नहीं, कागजों में कैसे करके दिखा देते हैं।

सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र की एक अलग ही परिस्थिति है। एशिया का सबसे बड़ा सूरतगढ़ एग्रीकल्चर फार्म है जो केन्द्र सरकार के अधीन है,

(श्री गंगाजल मील)

उसके अन्दर जमीन ले ली। वह आज के दिन पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में भी अच्छी क्वालिटी का बीज पैदा करता है। उसके बाद में बिजली के लिये ली, बाद में फिर ली, फायरिंग के लिये ली, हवाई अड्डे के लिये ली और थर्मल पावर के लिये जमीन ली। इसके अलावा जो यह आई जी एन पी नहर आ रही है इसके लिये डिप्रेशन में जरूर थे कि कहीं आगे नहर टूट जाए तो डिप्रेशन में पानी छोड़ा जाए या एक्सेस पानी था वह छोड़ रहे थे, उसके लिये जमीन ली। सारा कुछ लिया ही लिया लेकिन देने के नाम पर कुछ नहीं दे रहे हैं। आज थर्मल के अन्दर 1500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, 1800 मेगावाट और पैदा होगी और आज के दिन भी 12 फेरे गाड़ियों के आते हैं। सूरतगढ़ शहर सारा दिन लाइनों पर खड़ा रहता है लेकिन किसी को चिन्ता नहीं है। हालांकि बात पानी की है लेकिन शहर में सब में तकलीफ है तब मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिये।

हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी शायद हैं नहीं, मैंने पढ़ा भी था कि 30-एक रेलवे बुर्ज सैंक्शन भी किये हैं। इसमें सूरतगढ़ का भी नम्बर है कि नहीं, यह मैं नहीं जानता लेकिन मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे टीबा क्षेत्र एरिये के अन्दर आप सौ क्यूसेक्स पानी दे दें। बारह हजार क्यूसेक्स में से सौ क्यूसेक्स कोई बहुत मायने नहीं रखता। सूरतगढ़ तहसील ने बहुत कुछ प्रदेश को दिया है, देश को दिया है तो आप सौ क्यूसेक्स पानी नहीं दे सकते क्या ?

इसी के साथ मैं मेरी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय...

श्री सभापति: एक मिनट। आदरणीय मंत्री महोदय, जो माननीय सदस्य फरमा रहे थे are you aware कि एक हाई पावर कमेटी सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन से गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बना रखी है जो तकरीबन सारे कंट्री में जहां वाटर शार्टेजज है उसके बारे में मानिटर करती है और हर दूसरे महीने सुप्रीम कोर्ट उस बारे में जानकारी प्राप्त करता है। Are you aware about that? I think there is one Justice who enquired……(interruption)

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): I will enquire and I will convey it to you.

श्री सभापति: I just wish to give you a little brief of that क्योंकि it is a very relevant point. Justice M. Katju सुप्रीम कोर्ट जज के आदेश पर गवर्नमेंट आफ इंडिया को उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिये थे। अगस्त, 2009 में इस कमेटी का गठन हुआ। अक्टूबर, 2009 में पहले इसके डाइरेक्शंस हुए And it is mandatory for the Government of India to provide drinking water as mentioned, by somebody, in Article 21-Right to Life, and I think so the Rajasthan Government should take initiative and advantage of this. You could settle up dispute with Punjab on this. You can get water from there and other things which are related to this matter. I just want to bring this across to you. Thank you.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, आज सदन के अन्दर पानी, बिजली और अकाल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है और हमें इस बात की खुशी है कि विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के भी करीब-करीब सभी सदस्य जो यहां भाषण दे रहे थे उन्होंने भी पानी के मामले में, बिजली के मामले में और अकाल से त्रस्त राजस्थान की जनता को सरकार कैसे सुविधाएं दे, उसके लिये अपनी बात कही। तो निश्चित रूप से आज प्रदेश में विकट हालात हैं। राजस्थान और अकाल का तो चोली-दामन का साथ है। विगत 50 वर्षों के अन्दर अगर देखते हैं तो पूरे राजस्थान में एक साथ अच्छा जमाना बहुत ही कम वर्षों में हुआ था। ज्यद्दातर कांग्रेस का शासन राजस्थान के अन्दर रहा और कांग्रेस और अकाल का तो जोड़ा है जैसे अशोकजी और अकाल का जोड़ा, गांवों के अन्दर एक कहावत प्रचलित है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सिंचाई और पेयजल मंत्रीजी को जिन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। पिछले 15 महीने के अन्दर जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी-बड़ी वृहद् योजनाएं गांवों को जोड़ने की सिंचाई के लिये बनायीं उन हजारों करोड़ की योजनाओं को इन्होंने सरकार में आते ही एक ही दिन में सब योजनाओं को अबेन्स के अन्दर डालकर बंद कर दिया। एक नया इतिहास बनाया, इसके लिये पुन: मदेरणा साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज पेयजल की स्थिति पूरे राजस्थान के अन्दर विकट है। पूर्ववर्ती सरकार के टाइम भी मैं नहीं कहना चाहता कि कभी अकाल नहीं पड़े थे, अगर अकाल पड़े थे तो पेयजल और अकाल का प्रबन्ध भी पूर्ववर्ती सरकार ने सही ढंग से किया। कंटिंजेंसी प्लान, सभापति महोदय, आकस्मिक निधि योजना के तहत उन गांवों के अन्दर जहां पानी की अकस्मात् जरूरत पड़ जाए, उन ढाणियों के अन्दर जहां पीने के पानी का कोई साधन नहीं हो, अगर पीने का

(श्री हनुमान बेनीवाल)

पानी मीठा हो तो कंटिंजेंसी योजना से ट्यूबवैल खुदवाये जाते हैं लेकिन पिछले 15 महीने के अन्दर कंटिंजेंसी योजना का आकार पिछली कंटिंजेंसी योजनाओं से घटाकर मात्र 15 और 20 प्रतिशत कर दिया।

पिछली जुलाई में जब सदन में पानी को लेकर बहस चल रही थी तो मंत्रीजी ने बड़ी-बड़ी बातें कहीं। इन्होंने कहा कि प्रत्येक एम एल ए को 10 ट्यूबवैल और 30 हैंड पम्प दिये जायेंगे। कर्नल साहब जैसा कह रहे थे, कांग्रेस के एम एल ए को हो सकता है कि 60-60 हैंड पम्प दे दिये गये हों लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो एक भी एम एल ए को एक भी हैंड पम्प और ट्यूबवैल नहीं मिला। पानी के साथ मंत्रीजी कम से कम भेदभाव नहीं करें।

इससे बड़े दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती कि जिस इलाके से बिजली मंत्रीजी जीतकर आते हैं उस इलाके में बिजली को लेकर आन्दोलन हो, खेतड़ी कस्बा बंद रहे जून, 2009 में और पेयजल मंत्रीजी का जो विधान सभा क्षेत्र है वहां भी अगर पानी को लेकर आन्दोलन हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान के अन्दर हो नहीं सकता। अपने विधान सभा क्षेत्र में ही अगर पानी की आपूर्ति सही नहीं करेंगे तो बाकी राजस्थान इनसे कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करेगा। हम तो मंत्रीजी को धन्यवाद देते रहेंगे, अगर ये अकेले ही इस हिसाब से चलते रहे जैसे 15 महीने में चले हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले चुनावों में बनने से राजस्थान में कोई रोक नहीं सकता है। महीपाल जी अकेले ही सरकार बना देंगे बी जे पी की।

सभापति महोदय, पिछले 15 महीनों के अन्दर एक भी तबादला नहीं किया। हमारे तो तबादलों का काम ही नहीं पड़ता क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं लेकिन कांग्रेस के एम एल ए भी बात करते रहते हैं कि एक भी ट्रांसफर मंत्रीजी ने किसी विधायक का नहीं किया। पता नहीं, इनकी क्या सोच होगी और कौन से मामले में यह लगे हुए हैं, पिछले 15 महीनों से यह तो पता ही नहीं लग रहा है। इन 15 महीनों के अन्दर पानी के हालात विकट, कोई सिंचाई परियोजना पूरी नहीं की, न इंदिरा गांधी नहर के अन्दर कोई नये सुधार हुए, न कोई कंटिंजेंसी प्लान बनाया। सौभाग्य इनका कि अकाल इनके राज में लगातार दो बार पड़ा है तो इनको तो ज्यादा काम करके दिखाना चाहिए अपनी पर्फोरमेंस, लेकिन नहीं दिखा पा रहे हैं। पता नहीं, कौन से काम में यह लगातार 15 महीनों से लगे हुए हैं।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, आज आपको राजस्थान को बचाना होगा। इसके अन्दर पक्ष और विपक्ष की राजनीति नहीं करके आप सदन के अन्दर यह घोषणा करायें कि कंटिंजेंसी प्लान को तय करते हुए वहां के संबंधित विधायक की भी जिला कलक्टर और जो इनके पेयजल के अधिकारी बैठे हैं वे राय लें चाहे वह विपक्ष का विधायक हो, बी जे पी का हो, निर्दलीय हो, चाहे कामरेड हो। उनके साथ मंत्रीजी भेदभाव नहीं करें।

सभापति महोदय, अभी हमारे पूर्व मंत्री पर केकड़ी से आने वाले विधायक कई आरोप लगा रहे थे कि पूर्व मंत्रीजी के अभी सिंचाई हो रही है, फिर आप यहां क्या कर रहे हो सदन के अन्दर बैठे हुए, आप कांग्रेस छोड़कर के बी जे पी के अन्दर चले जाओ। आप जांच करायें इस बात की कि इस बात में कितनी सच्चाई है। सदन को गुमराह करके और जो व्यक्ति इस विधान सभा के अन्दर नहीं है उस पर गलत आरोप लगाना बहुत ही गलत परम्परा रहेगी। हमारे जब छोटे-मोटे गलत आरोप लगाने की बात आयी, हमारे तो सही आरोप थे उनको ही गलत आपने बता दिया और जो सदन के अन्दर नहीं थे उनका नाम लेने से आप भड़क गये और हमारे उस किसान नेता का बार-बार नाम लेकर के आपने अपमानित करने की कोशिश की है। यह बहुत गलत परम्परा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, पीने के पानी के बारे में सदन के नेता, मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि भू-जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, पानी सदी का सबसे बड़ा संकट है लेकिन लापरवाह जलदाय मंत्रीजी यह कहकर कि पानी फैक्टरियों में नहीं आता, इतिश्री कर लें तो यह अत्यन्त पीड़ाजनक बात है। आपने पानी के लिए जल नीति बनायी, इसके लिए तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं।

सभापति महोदय, राज्य में पेयजल की स्थिति अत्यन्त विकट है। राज्य का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत तथा राज्य की जनंसख्या देश की जनसंख्या की लगभग 5 प्रतिशत है, पशुधन 18 प्रतिशत और कुल सतही जल 1.13 प्रतिशत है। राज्य का दो-तिहाई भाग वृहद थार रेगिस्तान है। भू-जल की स्थिति अत्यन्त चिंतनीय है। 1984 में मात्र 35 प्रतिशत था जो बढ़कर 2008 में 138 प्रतिशत; 237 ब्लाकों में से 30 ब्लाक सुरक्षित रहे हैं, बाकी में पानी नहीं रहा है।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, राजस्थान राज्य हमेशा ही जल की कमी वाला क्षेत्र रहा है। राज्य में वर्षा अनिश्चित है। जहां जैसलमेर में 100 मिलीमीटर तो झालावाड़ के अन्दर वर्षा 800 मिलीमीटर होती है। वर्षा का कुल औसत 531 मिलीमीटर है। अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की आवश्यकता 1000 घन लीटर है, जबकि राज्य में यह 700 घन लीटर ही है। 2050 तक अगर यही हालात रहे तो यह घटकर 450 घन लीटर हो जायेगी।

सभापति महोदय, राजस्थान राज्य के अधिकांश भाग में वर्षा जल न केवल अपर्याप्त है बल्कि-वर्ष-दर-वर्ष और स्थान-दर-स्थान वर्षा की मात्रा में भारी अंतर है। भू-जल पर बढ़ती निर्भरता के कारण भू-जल संसाधन तीव्र दर से रीते हो रहे हैं। पेयजल का लगभग 90 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र में 60 प्रतिशत भू-जल से किया जाता है। राज्य का लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्तमान में भू-जल क्षरण से ग्रसित हो रहा है। आपने जो जल नीति में नीतियां बनायीं उनके अनुसार जल संसाधनों को सुनिश्चित तरीके से विकसित किया जाये, नयी परियोजनाओं के निर्माण के साथ अब तक निर्मित परियोजनाओं के रख-रखाव पर जोर दिया जाये, वृहत जल संरक्षण के उपाय, पुनर्भरण, उपभोक्ता के मन में जल के स्वामित्व की भावना जाग्रत करना, जल आबंटन की सर्वोच्च प्राथमिकता जल नीति में आपने तय की है।

सभापति महोदय, सबसे पहले आप मनुष्यों को पानी पिलाओगे, लेकिन उसमें भी आपकी जल नीति में मुझे नहीं लगता कि कहीं सक्सेस होगी। पूर्व में कई वक्ता जयपुर के अन्दर पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पर पानी से मौतों के बारे में बता रहे थे लेकिन आपके ही वक्ताओं ने यह बात कही है कि आपके राज में भी पानी से मौतें हुई हैं। तो कांग्रेस के राज में भी जयपुर में पानी से मौतें हुई हैं। यही बात मैं दोहराना चाहता हूं।

सभापति महोदय, पशुधन को पानी पिलाना, लेकिन आज चारे और पानी के अभाव में राजस्थान का पशुधन दम तोड़ रहा है। कृषि मंत्रीजी और पशुपालन मंत्रीजी उनको नोटों की मालाएं पहनने से फुर्सत नहीं है। अख़बारों में बड़े-बड़े छपते हैं कि पैसे दो और पगलिया मंडाओ, माला पहनाओ और उनको बुला लो कार्यक्रमों में, यह बड़े-बड़े अखबारों में राजस्थान के अन्दर छपा है।

सभापति महोदय, अन्य घरेलू एवं वाणिज्यिक उपयोगितार्थ कृषि, ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण पारिस्थिति की, उद्योग, जल उपलब्धता में वृद्वि, जल नीति का

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उद्देश्य राज्य में उपलब्ध पानी की प्रत्येक बूंद का संरक्षण करना है। जल संरक्षण, व्यवहारिक प्रयोग को बढ़ाया जायेगा, जल उपभोग को और बेहतर बनाने के लिए मल्टीमीडिया से जागरूकता, भू-जल दोहन को नियंत्रित करने हेतु समुचित कानून में प्रावधान किये जायेंगे।

सभापति महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब पूर्ववर्ती सरकार थी, नागौर जिले के अन्दर जो बांका पट्टी कहलाती है, 350 गांव बांका पट्टी के हैं और नागौर जिले के लगभग 1500 गांव हैं जहां फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। वहां पेयजल का साधन उपलब्ध कराने के लिए नागौर के अन्दर लगातार इस बात के वोट नेताओं ने लगातार ले लिये, जिनका सूपड़ा साफ हो गया, आज वे राजस्थान की विधान सभा के अन्दर नहीं दिखते हैं। उन्होंने इस बात के वोट लिये थे कि हमें आप वापस एम.पी. बनाओ, हमें एम.एल.ए. बनाओ, हमें मंत्री बनाओ, हम सिंचाई का पानी नागौर के अन्दर लायेंगे। सिंचाई का पानी तो ला नहीं सके, पीने का पानी भी नागौर की जनता को वे दे नहीं सके। फिर भी नागौर की भोली-भाली जनता ने 40 साल तक उनको वोट दिया और अब जाकर के उनका कार्यक्रम इन चुनावों में निपट गया, उन लोगों का।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक बहुत बड़ी नागौर लिफ्ट कैनाल योजना नागौर जिले को पानी पिलाने के लिए की थी। 761 करोड़ रुपये प्रथम फेज में 2006 के अन्दर जारी किये जिसके अन्तर्गत अभी तक पहले फेज में नागौर शहर के अन्दर पानी पहुंच गया है लेकिन उससे आगे पानी नहीं पहुंच रहा है क्योंकि मंत्रीजी की मेहरबानी नहीं है। नागौर और खींवसर के दोनों एम.एल.ए. भारतीय जनता पार्टी के हैं इसलिए इनको बड़ी तकलीफ होती है कि खींवसर और नागौर के अन्दर पैसा दें, खींवसर और नागौर के लोग अच्छा पानी पीयें, लिफ्ट कैनाल का पानी पीयें। अब के बजट के अन्दर कोई प्रावधान नहीं रखा। कलस्टर प्रणाली से हम लिफ्ट कैनाल को रखेंगे और योजनाओं को कलस्टर प्रणाली में लेंगे लेकिन बजट के प्रावधान किसी भी योजना में इन मंत्रीजी ने और आपकी जो बजट की घोषणा हुई है, उसके अन्दर नहीं रखा है। मैं मंत्रीजी से जब वे अपना जवाब दें तो इस बात की पुरजोर मांग करता हूं कि नागौर लिफ्ट कैनाल जो कि बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण योजना है उसके 275 करोड़ रुपये प्रथम फेज के जिससे 171 गांवों को पानी पिलाया जायेगा उसकी घोषणा करें, नहीं तो नागौर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

के लोग रावला, घड़साना जैसे आंदोलित हो गये तो राजस्थान के अन्दर बहुत बड़ी, मंत्रीजी मुश्किल हो जायेगी।

सभापति महोदय, आपको पानी के लिए कुछ सुझाव मैं देना चाहूंगा, कुछ हटकर के सरकार को। आज राजस्थान के अन्दर बहुत ज्यादा जिलों के अन्दर डार्क जोन की स्थिति हो गयी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इलाकों को डार्क जोन घोषित कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उन इलाकों को भी डार्क जोन घोषित कर दिया जहां पानी की कमी नहीं है। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र खींवसर को डार्क जोन घोषित किया लेकिन वहां पीने का मीठा पानी है। 400 फीट पर अच्छा पानी उपलब्ध है। सरकार भू-जल नियंत्रण कानून बनाकर के पुनः सर्वे पूरे राजस्थान में कराकर के ऐसा एटलस बनाये जिससे जो आज गलत इलाके डार्क जोन के अन्दर चले गये हैं उन्हें वापस निकाला जाये। जहां वास्तव में पानी 1200, 1500, 1800 फुट नीचे चला गया है उन इलाकों को डार्क जोन घोषित किया जाये।

सभापति महोदय, आज से हजारों वर्ष पूर्व जो भी सभ्यताएं बसीं चाहे हडप्पा सभ्यता हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, सिंधु घाटी की सभ्यता हो, सब सभ्यताएं नदियों के किनारे बसी थीं और पानी का उपयोग आज से हजारों वर्ष पूर्व के लोग भी जानते थे। लेकिन आज जो सभ्यताएं बस रही हैं, आज जो कालोनियां बस रही हैं वह पानी से दूर बस रही हैं। वहां पीने के पानी के समुचित प्रबंध आज के युग में नहीं किये जा रहे हैं।

सभापति महोदय, शहरों के अन्दर शुद्व पेयजल का उपयोग लोग मकानों के निर्माण के अन्दर, अन्य निर्माणों के अन्दर, गाडियों की सर्विस कराने के लिए, फव्वारे लगाने के लिए और लोन लगाने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग रोका जाये। इससे बहुत बड़ी पीने के पानी की बचत होगी। आज नहरों से जो सिंचाई की जा रही है वह फ्लड इर्रिगेशन से की जा रही है। यह बहुत पुरानी पद्धति है। इस फ्लड इर्रिगेशन को रोक कर खेतों में डिग्गियां बनाकर यदि फव्वारा पद्धति से और बूंद-बूंद पद्धति से सिंचाई की जाए तो निश्चित रूप से पानी का बहुत बड़ी बचत इसके अन्दर होगी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में अगर सरकार का कुप्रबन्धन नहीं हो तो निश्चित रूप से जल का कोई संकट नहीं होगा। यह सुनकर सबको आश्चर्य लगेगा कि सबकी प्यास व खेतों की सिंचाई के लिए जल आज राजस्थान में उपलब्ध है मगर सरकार की नीयत साफ हो, जिस पानी का घोर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

संकट, बहुत बड़ा संकट राजस्थान में आया है यदि पानी का अत्याधुनिक तरीकों से इस्तेमाल कर फव्वारा पद्धति इत्यादि से करें तो यह संकट खड़ा नहीं रहेगा। आज दूध 20 रुपए किलो और पानी 150 से लेकर 300 रुपए लीटर है।

इजरायली खेती और इजरायली सिंचाई का राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने के लिए चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे यह सरकार हो, रोजाना बड़े-बड़े प्रतिनिधि मण्डल भेजते हैं, जिनमें निश्चित रूप से कोई भी कृषि मंत्री रहा हो, उनके पांच-सात-दस रिश्तेदार तो इजरायली की यात्रा करके आते हैं और वहां जाकर वह इजरायल को देखकर वापस आ जाते हैं। करोड़ों रुपए इजरायल भेज-भेज कर सरकार ने आज तक खर्चा किया है, कई नेता और कई प्रतिनिधि मण्डल और कई अधिकारी इजरायल जाने के नाम पर गरीब जनता की खून पसीने की कमाई को इजरायल में लुटा कर आते हैं लेकिन आज तक इजरायल पद्धति से राजस्थान में कहीं पर भी सिंचाई और कहीं पर भी खेती नहीं हुई। हुई हो तो आप एक जगह का भी उदाहरण बता दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। मैं जलदाय मंत्रीजी से विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि आपको हम लोग जो बातें कह रहे हैं, जिस तरह से आपने 15 महीने में किसी की बात नहीं सुनी, उसमें आपको अपने आप में बदलाव लाना होगा और हम सबकी बातों को आप सुनते हुए, सोचते हुए, आप किसान के बेटे हो और आप ऐसे इलाके से आते हो जो रेतीला इलाका है और जहां पानी की कमी है, इसलिए आपको पूरा ध्यान राजस्थान में पेयजल पर देना होगा और इसके अन्दर आप किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसी आशा हम लोग आपसे करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, बी बी एम बी, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का, जहां से पानी राजस्थान को 50 प्रतिशत मिलता है और भाखड़ा व्यास का 50 प्रतिशत पानी हरियाणा, हिमाचल और पंजाब को जाता है। पानी 50 प्रतिशत अपने को मिलता है लेकिन राजस्थान का भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं मांग करता हूं सिंचाई मंत्रीजी से कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व हो। राजस्थान में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, होना तो यह चाहिए था कि आप राजस्थान को विशेष दर्जा दिलावाते लेकिन आज भी अगर कटोरा लेकर घूमने की आपकी आदत है तो इस आदत

(श्री हनुमान बेनीवाल)

से अब आपका कोई भला करने वाला नहीं है। दिल्ली में आपकी सरकार और राजस्थान में आपकी सरकार, अब भी आप कह दो कि खजाना खाली हैं, बजट नहीं है या यह कह दो कि आपके अधिकारी जो आपके विभाग में है, आपसे ज्यादा सेक्रेटरी की चलती है तो लोग आपके पास आना ही बंद कर देंगे। क्यों यह हालात राजस्थान में पन्द्रह महीनों में पैदा हुए? यमुना के जल में से हमारा पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है, नर्मदा से आने वाले पानी का हिस्सा भी नहीं मिल रहा है। गांधी सागर के कैचमेंट एरिया में मध्य प्रदेश सरकार ने जगह-जगह अवैध एनीकट बनवा रखे हैं, उन एनीकटों को आप हटवाएं केन्द्र सरकार से बात करके और पूरा गांधी सागर का पानी आए।

माननीय सभापति महोदय, आज अखबारों में छपा जो कि आज से बीस दिन पहले मैंने इसी सदन में जल महल को निजी हाथों में बेचने का मुद्दा यहां सदन में उठाया पानी का। उस मामले में कई लोग खड़े हुए। लेकिन सत्ता पक्ष के कम से कम 15-16 विधायक कल जल महल देखने गए और उन्होंने आरोप लगाया कि जल महल को गलत निजी हाथों में बेचा गया है। आपकी सरकार के बीस-बीस विधायक यह बात कहें, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। जल महल को जिस कम्पनी को बेचा गया है उससे मोटी रकम सरकार में बैठे लोगों ने ली है। कम से कम हजार करोड रुपयों से दो सेवन स्टार होटल वहां बनेंगे। जल महल जो जयपुर की आन बान और शान है, ऐतिहासिक धरोहर है, माननीय सभापति महोदय, आमेर के मावठे और रामगढ़ बांध के सूखने के बाद अगर जयपुर का जल स्तर कोई बचाएगा तो वह जल महल बचाएगा, मान सागर झील बचाएगी। आज उसी मान सागर झील को निजी हाथों में बेचकर जो ऐतिहासिक काम इन लोगों ने किया है, जयपुर की जनता इनको माफ नहीं करेगी। और तो और, अब्दुल कलाम के मामले में हाई कोर्ट की डबल बैंच ने यह फैसला दिया है कि नदी नालों के किसी क्षेत्र में, अंगोर भूमि में कोई भी अगर अतिक्रमण करता है, अगर उसका एम ओ यू भी साइन होता है तो 1947 की स्थिति मानी जाए। सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को बहाल रखा।

माननीय सभापति महोदय, आप ऐसे आदेश जारी करें कि जो फर्जी तरीके से जल महल को के जी के कंसोर्टियम कम्पनी को बेचा गया है, वह बहुत बड़ा सेठ जयपुर का है और कई विधायकों और सांसदों को चुनाव में चंदा भी देता है। वह बहुत बड़ी के जी के कंसोर्टियम वाला कहता है, ऐसे लोगों को

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सबक मिलना चाहिए। मैंने तो आज से बीस दिन पहले मेरी भावना यहां सदन में रखी थी और मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ता रहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जब भी भ्रष्टाचार की कहीं बू आती है तो निश्चित रूप से मैं खड़ा हो जाता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बिजली के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में 2012 तक 1,860 मेगावाट बिजली की बात बताई गई थी। आज के इस युग में किसी भी राज्य के विकास का मूल आधार बिजली ही है। मांग व आपूर्ति में राज्य में अंतर है, इस कारण विद्युत आपूर्ति पर घोषित व अघोषित कटौती का दर्द किसान व गांव का उपभोक्ता झेलता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली की बड़ी-बड़ी बातें यहां की जा रही हैं, 15 महीनों में पिछले 5-6 महीने जो निकले हैं राजस्थान में साढ़े तीन घंटे बिजली किसानों को मिल रही है और उसमें भी तीन-तीन, चार-चार बार, नावां से आने वाले विधायक कल बता रहे थे कि ट्रिपिंग नहीं आनी चाहिए, इनकी बात स्वागत-योग्य थी, इन्होंने अच्छी बात किसान के लिए कही, तीन-तीन, चार-चार बार ट्रिपिंग और तीन, साढ़े तीन, चार घंटे बिजली। अब की बार चुनावों में बड़ी-बड़ी बातें कही गई, बड़े घोषणा पत्र और विज्ञापन दिए कि हम आठ घंटे राजस्थान के किसानों को बिजली देंगे। कभी भी छह घंटे से ज्यादा बिजली राजस्थान के किसानों को नहीं मिल रही है।

2008-09 के अन्दर हमने 400 गांवों का विद्युतीकरण से अलग रखे हुओं का लक्ष्य रखा और 351 गांवों को विद्युत से जोड़ा। इसके विपरीत इन लोगों ने 2009-10 के अन्दर 1,146 गांवों का लक्ष्य रखा और मात्र 435 गांवों को ही विद्युत से जोड़ा और इनका परसेंटेज रहा 37.95 । यह इनका प्रगति प्रतिवेदन कहता है। इसी तरह 2008-09 में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण में हमने 97 का कर दिया और इन्होंने 100 का लक्ष्य रखा और मात्र 19 हरिजन बस्तियां विद्युतीकृत कर पाए। ट्राइबल सब-प्लान में 2008-09 में 97 का लक्ष्य रखा और 101 गांवों का विद्युतीकरण किया और आपने 2009-10 में 451 का लक्ष्य रखकर 141 गांवों का ही विद्युतीकरण किया।

बिजली चोरी रोकने के लिए प्रभावी प्रयास। आपने जांच के दौरान

(श्री हनुमान बेनीवाल)

चोरी पकड़ने के मामले 80,499 पूरे राजस्थान में किए जहां 6,731 लाख रुपए का राजस्व आना था, लेकिन आपका राजस्व आया 3,071 और साढ़े तीन हजार कम राजस्व वसूली आपकी हुई।

मीटर प्रणाली में परिवर्तन नियामक आयोग की अनुपालना में तीनों कम्पनियों में 2009 में 7,36,015 मीटर खराब थे जिनमें से मात्र 5,23,292 मीटर ही बदले गए। वर्ष 2009-10 तक उप प्रसारण व वितरण तंत्र में हो रही क्षति को कम करने व अधिक क्षति वाले क्षेत्रों में फीडर की मरम्मत 11 केवी के फीडर मीटर लगाए जाने प्रस्तावित थे। इन 4,252 में से मात्र 3,869 मीटर ही लगाए गए।

उप प्रसारण व विद्युत तंत्र में छीजत आपने अपने प्रगति प्रतिवेदन में छीजत 2008-09 के अन्दर जो 24.41 थी इसको 20.45 बताया। पेज संख्या 12 के अन्दर, बिजली उत्पादन में वृद्धि बता रहे हैं। राजस्थान के अन्दर आप कह रहे हैं कि बिजली के उत्पादन में वृद्धि हुई है, छीजत में भी कमी हुई है। तो बिजली क्या आपके यहां मंत्रियों के बंगलों में देते हैं सारी? राजस्थान के किसानों को तो छह घण्टे से ज्यादा बिजली मिल ही नहीं रही तो यह क्यों झूठे आंकड़े और झूठे प्रगति प्रतिवेदन से लोगों को धोखा दे रहे हो?

दिसम्बर, 1998 से 2003 में जब पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस की, आपने 1,628 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया था। अभी केकड़ी से आने वाले विधायक बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि आपके राज में बिजली का उत्पादन कम हुआ है, 1998-03 में 1,628 और 2003 के अन्दर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ऐतिहासिक 2,088 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ और 5,315 मेगावाट बिजली बनाने की वित्तीय स्वीकृतियां उसी कार्यकाल में जारी हुई थीं। उन्हीं की स्वीकृत की हुई वही थर्मल इकाइयां हैं जिनसे कि कांग्रेस की सरकार उत्पादन कर रही है और प्रगति प्रतिवेदन में अपना नाम लिखवा रही है कि हमने बिजली के लिए यह किया। आपने कुछ नहीं किया, यह पहले वालों का ही किया हुआ है सारा। मंत्रीजी के इलाके में तो बिजली के लिए आंदोलन हुआ ही था खेतड़ी के अन्दर, खेतड़ी बंद रहा। जब आप खेतड़ी को ही संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो पूरा राजस्थान आपसे क्या उम्मीद रखेगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप प्रगति प्रतिवेदन पढ़ना बंद करें। आप अपनी कांस्टिट्यूएंसी की बात करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): विशेष बात ही बताऊंगा, सारे के सारे ही पढ़ते हैं आंकड़े। (व्यवधान)

आप अपने राजस्थान के अन्दर बिहार और झारखंड से महंगा कोयला मंगाकर बिजली उत्पादन कर रहे हो। आपकी अगर नीयत साफ हो, आपकी मंशा साफ हो तो राजस्थान के अन्दर जो लिग्नाइट निकल रहा है, आप 40 हजार मेगावाट बिजली आने वाले 60 साल तक उत्पादन कर सकते हो, आपकी अगर नीयत राजस्थान में बिजली पैदा करने की हो तो। बिजली के लिए 64 हजार कृषि कनेक्शनों की वही घोषणा की जो 2008-09 से लगातार चल रही है। एक तरफ तो डार्क जोन आप घोषित कर रहे हो इलाकों को, नये ट्यूबवैल खुदेंगे नहीं तो कृषि कनेक्शन किसान कहां से लेगा? ट्यूबवैल से ही तो लेगा कृषि कनेक्शन।

सभापति महोदय, आज पूरे राजस्थान के अन्दर लगातार दो वर्षों से अकाल पड़ रहा है,। अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। 2001 की राज्य की जनगणना 574 लाख है, औसत घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर करीब-करीब पूरा राजस्थान अकाल की चपेट चढ़ गया है; आज प्रदेश में चारा डिपो नहीं खुलें; प्रदेश में पशुधन का कोई धणीधोरी नहीं। मंत्रीजी को मालाएं पहनने से फुर्सत नहीं, मंत्रीजी को चाहिए, क्योंकि वे किसान के बेटे हैं, पशुपालन मंत्रीजी, किसान के बेटे हैं और किसान की सोच के साथ साथ, पूरे राजस्थान के अन्दर आज आपके चार-चार कलक्टर, और चार-पांच अब आने वाले हैं चपेट के अन्दर, चार चार कलेक्टर आपके नरेगा के अन्दर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है, मुख्य मंत्रीजी की कार्यवाही करने की इच्छा है लेकिन आप तो पंचायत राज मंत्री जी, कार्यवाही करना ही नहीं चाहते। कभी उनकी इच्छा होती है तो कोई दूसरा अड़ंगा डाल देता है। इतनी बड़ी-बड़ी बातें और चार-चार आई ए एस अधिकारी, इस तरह भ्रष्टाचार के अन्दर अगर लिप्त हों और नरेगा के जैसे जो आप आम आदमी को रोजगार देने की बात कहते हो, गरीब को रोजगार देने की बात कहते हो और गांधीजी के सिद्धांत पर सरकार चलने की बात करती है तो आज आपने देखा होगा कि मैं स्थगन के माध्यम से बोला था कि हजारों टन गेहूं खुले के अन्दर पड़ा हुआ है, कनकपुरा रेलवे स्टेशन पर पड़ा है ...

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और उस घटिया गेहूं का आटा अगर राजस्थान के नौनिहालों को खिलाया जाएगा, उस गरीब को खिलाया जाएगा तो लोग कुपोषण के शिकार होंगे, सभापति महोदय। (व्यवधान) इसलिए पूरे प्रकरणों की जांच कराकर ...

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): या कोई कमेटी आप सदन की समिति बनाकर पूरे प्रकरण की जांच कराएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सम-अप कर लें। श्री कैलाश चन्द मीणा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं तीनों मंत्रियों से फिर निवेदन करूंगा कि राजस्थान का किसान आपकी तरफ देख रहा है, राजस्थान की जनता आपकी तरफ देख रही है, अगर यही हालात रहे तो आप जिस तरह पिछली बार 56 पर सिमटे थे, इस बार आप 26 पर सिमट जाओगे। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप विराजें। माननीय मंत्री महोदय कुछ फरमा रहे हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): Sir, there was a query by the Chair regarding a committee there. There is a committee which has been constituted by the order of Hon'ble Supreme Court which is known as "War on Water Committee". Science and Technology Department is coordinating that. Science and Technology interventions were planned in Nadbai also in Bharatpur for quality of water. Pilot project was discussed and the Government of Rajasthan has proposed 10 more schemes before this committee.

श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना): सम्माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से पानी, बिजली और अकाल पर बोलने की आपकी, पहली बार मैं सदन में आया हूं और पहली बार बोल रहा हूं।

श्री सभापति: आप आराम से, take your time and do it.

श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना): आपकी अनुमति चाहूंगा और बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

हमारा झालावाड़ जिला चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। मैं मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, उस विधान सभा क्षेत्र में 8-10

(श्री कैलाश चन्द मीणा)

नदियां बहती हैं फिर भी वहां पानी की इस तरह की समस्याएं हैं जिसमें अभी 8 योजनाएं सरकार की तरफ से प्रस्तावित हैं और आठों योजनाओं पर करोड़ों रुपये का बजट दे रखा है, आज तक वे योजनाएं जनता को समर्पित नहीं हुईं, उसका सीधा-सीधा जनता को नुकसान है। जैसा कि जो जनता जल प्रदाय योजना है, मनपसर, 39 लाख रुपये इसमें सैंक्शन हैं; सुरेलिया इसमें 31 लाख 37 हजार रुपये सैंक्शन हैं; घांटोली 136.48 लाख; कामखेड़ा 35 लाख; कालूखेड़ी 50 लाख; चांदपुराबिलान 48 लाख 53 हजार, आवंलेड़ा 41 लाख; सरेड़ी 39 लाख; इन गांवों में अभी तक न तो कोई की कोई सुविधा है और पानी के लिए यहां टैंकर चल रहे हैं। फिर भी सरकार का और सिस्टम का ध्यान बिलकुल नहीं है वहां के अफसरों की लापरवाही की वजह से। ये गांव अभी भी पानी से वंचित हैं और इन लोगों को टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। तो मैं, सम्माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि इन योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए और वहां की जनता को लाभ दिलाया जाए।

इसी तरह, मेरे क्षेत्र में नगरपालिका अकलेरा है, उसी के पास अभी 16 करोड़ की लागत से एक डैम बना है, गुलंडी डैम, उसकी जो लाइन निकल रही है, वह लाइन 38 गांवों को सप्लाई दे रही है लेकिन कस्बे के मध्य से निकलते हुए इस अकलेरा को नहीं जोड़ा गया। तो, मंत्रीजी, इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अकलेरा को भी इससे जोड़ा जाए।

इसी तरह मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र है और जो मनोहरथाना कस्बा है उसके पास कालीघाट जो नदी है, उसमें भी इतनी ही लागत की एक योजना स्वीकृत है और वह 78 गांवों को पानी सप्लाई कर रही है पर उसमें भी मनोहरथाना गांव को नहीं जोड़ा गया। तो मनोहरथाना को उस योजना से जोड़ें ताकि आने वाले समय में वहां के लोगों को फायदा मिल सके और पानी की समस्या दूर हो सके।

इसी तरह, सभापति महोदय, मेरे विधान सभा में पिछली बार जो 220 गांव इस 38 छापी से, 78 गुलंडी से, 71 कालीघाट से और 22 झावर से, इन योजनाओं से कुल मिलाकर 209 गांव जोड़े हैं और 22 गांव दुर्भावनावश इन्होंने वंचित रख दिये। उन्हीं गांवों से होकर लाइनें गुजर रही हैं पर वे गांव 22 ही माइनोरिटी के थे और पूर्ववर्ती सरकार ने उनसे दुर्भावना रखते हुए जो

(श्री कैलाश चन्द मीणा)

22 गांव थे माइनोरिटी के, उनको नहीं जोड़ा जबकि उन्हीं गांवों के मध्य से वह लाइनें पानी की लाइन गुजर रही हैं। तो मैं सम्माननीय मंत्रीजी का आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उन गांवों को भी इस योजना में शामिल करके और पानी दिया जाए।

इसी तरह, एक छापी से जो लाइन आई है झालावाड़ के लिए और झालावाड़ से पानी सप्लाई हो रहा है वहां पर, 54 किलोमीटर दूर, 8 गांव ऐसे हैं जिन गांवों के मध्य से वह लाइन गुजर रही है पर उन गांव वालों को अभी तक पानी नहीं मिला। मात्र कुछ ही पैसे लगेंगे और उन गांव वालों को पानी मिल सकता है। तो इसमें भी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

दूसरा, जो हमारे वहां अभी 38 पेयजल टंकियां बन कर तैयार हो गईं। पिछली सरकार में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने की नीयत से निर्माण कार्य करवाये गये थे, अभी तक वे शो-पीस बनकर खड़ी हैं। किसी गांव वाले को उसका फायदा नहीं मिल रहा। तो, सम्माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

जो कंटिंजेंसी प्लान दिया था, 2009-10, उसमें ......(व्यवधान) 2008-09 दे दिया न, उसमें 19 सिंगल फेस मोटरें हमारे यहां स्वीकृत की थीं पिछले साल, वह अभी तक न तो उनके टेंडर हुए और न किसी गांव में और न किसी जनता को उसका बेनिफिट मिला। इस तरह से 33 गांव हैं ये तो 33 गांवों में अभी तक भी कंटिंजेंसी में किसी को कोई फायदा नहीं मिला। पिछली बार भी लैप्स हो गया और इस बार भी टेंडर की प्रक्रिया में अटका हुआ है। बीच में हमारी बात हुई थी तो उसमें बताया गया कि हाई कोर्ट से स्टे आ गया। हाई कोर्ट से स्टे आ गया। तो इसका तो गवर्नमेंट इस तरफ, या तो गवर्नमेंट की मशीनों से बोर करवाया जाए या गवर्नमेंट की तरफ से कोई दूसरा प्रयास किया जाए ताकि जनता को फायदा मिल सके।

(समय : 20.00 बजे)

मैं सम्माननीय बिजली मंत्रीजी से भी अनुरोध करूंगा कि जब डिमांड जमा कराते हैं तो डिमांड जमा कराते टाइम काश्तकारों से पूरा पैसा जमा करवा लेते हैं। काश्तकारों को वैसे ही कनेक्शन लेने के लिए जल्दी रहती है तो वे अपने खर्चे से पोल ले जाना, उन्हें शिफ्ट करवाना, तार खिंचवाना, सारी चीजें

(श्री कैलाश चन्द मीणा)

अपने स्तर पर कर लेते हैं। उसके बाद भी जो ठेकेदार होता है वह या उस आफिस का ए.ईएन., जे.ईएन. होता है या एक्स.ईएन. होता है, उन पैसों को उस गरीब काश्तकार से तो चार्ज कर लिया जाता है और न तो समय पर कोई साधन पहुंचता है और न कोई उसका सामान पहुंचता है। तो उन पैसों का दुरुपयोग होता है। इसलिए या तो उसके डिमांड में से कम करें या उस ठेकेदार को पाबंद करके उसकी समयावधि तय करें कि 15 दिन, 20 दिन या एक महीने की अवधि में उसका कनेक्शन लगाया जाए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, बिजली, अकाल और पानी के ऊपर हो रही चर्चा के अन्दर जो आपने समय दिया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

ऐसे तो हमारे पांच घंटे से जो यह चर्चा चल रही है उसमें माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिये हैं और आप ही ने चेयर से कहा कि सुझाव, रिपीटिशन नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है और रिपीटिशन होने से हम लोग अपने आपमें इस सदन का समय व्यर्थ करेंगे। चूंकि हमारे बिजली मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं इसलिए मैं शुरुआत बिजली से करना चाहती हूं। काफी सजेशंस आपके पास में यहां पर आये हैं लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि विधान सभा के इस चुनाव का कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में एक बात कही गई थी कि हम लोग बिजली 8 घंटे देंगे लेकिन क्षेत्र के अन्दर ऐसा हो नहीं रहा है और मात्र 5 से 6 घंटे ही बिजली हमें मिल पा रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है उस विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मार्बल के व्यवसायी हैं। छोटे-मोटे मार्बल का काम करने वाले, कटर्स के ऊपर छोटे ब्लाक्स को कट करके उनको बेचने वाले ऐसे बहुत ही मध्यमवर्गीय लोग हैं जो छोटे-छोटे काम करते हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि जो वहां पर इंडस्ट्रियल फीडर था उस इंडस्ट्रियल फीडर को पहले 24 घंटे बिजली उपलब्ध होती थी। अब चूंकि कटौती चल रही है तो उस कटौती में 6 घंटे बिजली आ रही है; वह जो इंडस्ट्रियल फीडर है उसमें थ्री फेस पहले

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मिलता था, थ्री फेस की ही लाइन है और उसमें सिंगल फेस की लाइन ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति के अन्दर जब कटौती हो रही है तो 6 घंटे आप लाइट दे रहे हैं और बाकी के जो 18 घंटे हैं उन 18 घंटों में बिल्कुल ही लाइट नहीं आती। क्योंकि वह सिंगल फेस भी आप नहीं दे रहे हैं और सिंगल फेस वहां पर इंडस्ट्रियल फीडर्स के अन्दर सिंगल का प्रोविजन ही नहीं रखा हुआ है इसलिए सिंगल फेस नहीं हो पा रहा है। तो स्थिति बहुत ज्यादा गम्भीर है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस ओर निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ करें क्योंकि वहां स्थिति यह हो रही है कि बच्चों के एग्जाम्स, घर के और सारे काम लेकिन लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इसलिए सिंगल फेस लाइट तो कम से कम उन लोगों को मिले जहां इंडस्ट्रियल फीडर्स भी लगे हुए हैं। यह व्यवस्था तो कृपा कर करें क्योंकि जहां एग्रीकल्चर लोड है वहां तो एडजस्टमेंट हो रहा है, 6 घंटे लाइट आ रही है तो बाकी रेस्ट आफ द टाइम सिंगल फेस की लाइट मिल रही है लेकिन यह ऐसा है कि जहां इंडस्ट्रियल फीडर्स हैं वहां नहीं मिल रही है।

दूसरा, मंत्रीजी, आपका ध्यान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो पूरे देश में चल रही है, मैं राजस्थान और विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में ही कहूंगी क्योंकि यहां इस गरिमामय सदन में अपनी बात को विधान सभा क्षेत्र से जहां से हम आते हैं, वहां की बात को हम नहीं कहेंगे तो शायद हम अपने आपको जस्टिफाई नहीं कर पायेंगे। इसलिए इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि राजसमंद जिला एक ऐसा जिला है जहां 2006 में 30 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत दिये थे। अब इसमें 49,000 बी पी एल परिवारों का सर्वे हुआ था और राजसमंद जिले में 49 हजार बी पी एल परिवारों को लाइट कनेक्शन देना तय हुआ था लेकिन उसके अगेंस्ट में तीन साल पूरे हो गये, योजना हमें विदिन टू ईयर्स कम्पलीट करनी थी लेकिन आज 5 साल हो गये हैं और 5 साल में 49 हजार के अगेंस्ट में केवल 37 हजार बी पी एल परिवारों को ही लाइट का कनेक्शन दे पाये हैं। जो 12 हजार ऐसे बी पी एल परिवार हैं जिनको कनेक्शन अभी तक नहीं दे पाये हैं, उसके बारे में जब अधिकारियों से, इंजीनियर्स से बात होती है तो वह यह कहते हैं कि हमने एक सप्लीमेंटरी स्कीम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन को हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी है। अब यह जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन है जिसको हमारी राजसमंद जिले

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

की सप्लीमेंटरी स्कीम भेजी गई है, मेरा आपको यह निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द आप करवायें क्योंकि जो 12 हजार बी पी एल के परिवार हैं वे पिछले 5 साल से यह सपना देख रहे हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से हमारे लाइट के कनेक्शन हो जायेंगे, हमारे यहां बिजली आ जायेगी लेकिन यह दुर्भाग्य ऐसा है कि 60 साल से भी ज्यादा देश को आजाद हुए हो गये लेकिन आज तक वे अंधेरे में बैठे हैं। इसलिए कृपा करके ये जो 12 हजार बी पी एल के परिवार हैं, जो राजसमंद जिले के हैं जिनको अभी तक लाइट नहीं मिल पाई है, हमारे यहां सबसे पहले राजस्थान में यह जो योजना है उसको स्वीकृति मिली थी तो उसका लाभ जो मिला था वह राजसमंद और भीलवाड़ा ये दो जिले थे जहां सबसे पहले पैसा आया था लेकिन उसके बाद में भी अभी तक वे 12 हजार बी पी एल के परिवार उस लाइट के इंतजार में हैं। इसलिए इसमें आप जल्द से जल्द करवाइये।

तीसरा, मेरा सुझाव हमारे यहां पर बैठे हुए माननीय मंत्रीजी को है कि यह जो विद्युतीकरण योजना है इसमें जो 'मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युतीकरण योजना' चलाई गई थी उस योजना में भी राजसमंद जिले के अन्दर कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। ए पी एल के जो परिवार हैं उन ए पी एल के परिवारों को इस योजना के तहत लाइट मिलती है। आज भी बहुत सारे ऐसे मजरे, ढाणियां हैं जो बी पी एल की श्रेणी में तो नहीं आते लेकिन वहां पर लाइट नहीं है। इस 'मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युतीकरण योजना' के माध्यम से वहां पर हम लोग क्लस्टर्स के अन्दर 10-10, 15-15 के ग्रुप्स होते हैं वे अगर एप्लाई करते हैं तो उनको मिल सकती है लेकिन वह भी बहुत ही धीमी गति काम चल रहा है। इसलिए इसमें भी मेरा आपसे निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द करवायें।

साथ ही ये जो योजनाएं हैं, अब आपका और जलदाय विभाग है उससे जुड़ा हुआ है लेकिन खास तौर से इसमें आप ही राहत दे सकते हैं, इसलिए आपसे यह निवेदन है कि स्वजल धारा योजना हमारी है, जनता जल योजना है जिनसे कि पीने का पानी गांवों के अन्दर देते हैं, गांव की ही कमेटी होती है और वे लोग ही इसे करते हैं, पनघट योजनाएं हैं जिनके अन्दर भी ग्राम पंचायत ही लाइट का बिल जमा कराती है लेकिन हुआ यह है कि बहुत सारी पनघटें जो हमने एम एल ए, एम पी लैड से या कहीं सरकार के माध्यम से ये जो पनघट लगाई गई थीं और उसका जो सारा रखरखाव करना था वह गांव

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

की समिति के द्वारा हो रहा था लेकिन चूंकि गांव के लोगों ने बिल जमा नहीं कराया इसलिए कनेक्शन कट गये। वहां ट्यूबवैल में पानी है, आराम से पानी मिल सकता है लेकिन सिर्फ लाइट कनेक्शन कट गया है, बिल जमा नहीं हुआ है इसलिए वह पानी उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दूर-दूर तक उन्हें पानी के लिए जाना पड़ रहा है या हम लोगों से बात करके यह कहना पड़ रहा है। माननीय सभापित महोदय, मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में यह भी कोशिश की कि मैं इसमें बिल अपने एम एलए लैड से जमा करा दूं ताकि कम से कम वह पनघट योजना शुरू हो जाए लेकिन आपके यहां से डायरेक्शन ऐसे आये कि एम एल ए लैड में ये कहीं डायरेक्शन नहीं हैं कि हम इस तरीके से कोई लाइट का बिल जमा करा सकें। इसलिए हम यह बिल जमा नहीं करा सकते। तो मेरा सभापति जी के माध्यम से आपसे निवेदन है, आपसे यह कहना चाहती हूं कि पनघट योजना हो, जनता जल योजना हो, इन योजनाओं के लिए आप जो बिल उन ग्राम पंचायतों के बकाया हैं उसको आप एक बार क्योंकि ऐसा अकाल का समय आया है और इस तरीके से पानी की इतनी किल्लत है, राजसमंद जिला एक डार्क जोन के रूप में घोषित हो चुका है तो आप इसमें रियायत दें और इनके बिल सरकार की तरफ से जमा करायें। क्योंकि स्वजल धारा योजना में जो पेमेंट्स ड्यू थे उनको माफ किया है इसलिए मेरा यह कहना है कि आप जनता जल योजना में और पनघट जो गांवों के अन्दर लगी हुई हैं उसमें भी इसको आप यहां से माफ करवायें।

ऐसे ही जो तीन हार्स पावर की मोटर या एक हार्स पावर की मोटरें बंद पड़ी हैं, खराब हो गई हैं, रिपेयर के लिए पड़ी हैं तो उसको भी सुपरवाइज करने की जरूरत है। आप यहां से आपके अधिकारियों को यह कहें कि ये जो मोटर्स बंद पड़ी हैं जिनकी वजह से गांवों के अन्दर पानी नहीं आ पा रहा है,वह योजना सफल नहीं हो पा रही है सिर्फ इसलिए कि मोटर खराब है, मोटर ठीक करनी है, अब मोटर ठीक करने के लिए न जे.ईएन. वहां पर ध्यान दे रहा है, न ए.ईएन. वहां पर ध्यान दे रहा है, अगर यहां से यह निर्देशित होता है तो जितनी भी मोटर बंद पड़ी हैं, उन मोटरों को जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाकर ठीक करवायें या फिर कहीं नई मोटर लगानी पड़े तो नई मोटर भी लगवाइये क्योंकि ऐसा है, उस कुएं में अभी पानी है, लेकिन क्योंकि मोटर बंद है इसलिए वह पानी बाहर नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अन्दर वह मोटर रिपेयर करने का काम करवायेंगे तो ठीक होगा।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

बिजली के सन्दर्भ में भी कुछ ऐसे सुझाव थे। आपको ठीक लगे तो इन सुझावों के ऊपर आप अमल करेंगे तो यह बहुत ही ठीक होगा और गांव के लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।

उसके अलावा, मैं हमारे जो यहां पर अकाल से संबंधित मंत्रीजी विराजमान हैं, उनसे यह निवेदन है कि चारा डिपो खोलने की बहुत जरूरत है। होता यह है कि कलक्टर के यहां पर मीटिंग होती है तो मीटिंग के अन्दर सारे ही अधिकारी होते हैं और हम जन-प्रतिनिधि भी वहां पर बैठे होते हैं। जब यह पूछा जाता है कि बताइये, कितने चारा डिपो खुले हैं तो अधिकारियों की तरफ से यह फीडबैक आता है कि साहब, किसी ने डिमांड नहीं की। इसलिए पूरे राजसमंद जिले की ही बात कर रही हूं कि राजसमन्द के अन्दर चार चारा डिपो खोल दिये गये हैं, यह रिपोर्टिंग आती है। अब हम उनसे पूछते हैं कि क्या चार चारा डिपो इनफ है पूरे राजसमंद जिले के लिए, जहां पर चार विधान सभा क्षेत्र हैं? तो कहा जाता है कि और कहीं से डिमांड ही नहीं आई। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि ये जितने अधिकारी हैं, चाहे वह बी.डी.ओ. हो, चाहे वह तहसीलदार हो, एस.डी.एम. हो, ये क्षेत्र के अन्दर नहीं जाते हैं। इनको क्षेत्र की रिपोर्टस नहीं है कि कितने चारा डिपो चाहिए वहां पर क्षेत्र के अन्दर, सिर्फ यहां पर बैठकर, मीटिंग के अन्दर यह उम्मीद करते हैं कि गांव का व्यक्ति आकर बी.डी.ओ. को या एस.डी.एम. को लिखवाये कि मुझे अपने गांव में यह चारा डिपो चाहिए। यह सम्भव नहीं है। ग्राम सभाएं होती हैं, ग्राम पंचायत बनी हुई हैं। ग्राम पंचायत के अन्दर प्रपोजल्स आते हैं, गांव के लोग कहते हैं कि हमारे यहां पर चारा डिपो खोलें क्योंकि जब हम जन-प्रतिनिधि के रूप में गांव में जाते हैं तो वहां पर यह डिमांड हमारे पास आती है कि चारा डिपो खोला जाये लेकिन जब हम यह बात वहां पर मीटिंग में कहते हैं तो अधिकारी यह कहते हैं कि हमारे पास डिमांड नहीं आई है; पता नहीं, आपके पास कहां से डिमांड आई, हमारे पास तो एक भी डिमांड नहीं है; स्थिति यह है कि वह सारे ही पंचायतों के अन्दर आज चारा डिपो खोलने की जरूरत है। इसलिए, माननीय मंत्रीजी, आपसे यह निवेदन है कि हर पंचायत मुख्यालय पर एक चारा डिपो खुलवायेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा।

एक मुझसे पूर्व हमारे एक माननीय सदस्य ने कल अपनी चर्चा में यह बात कही थी कि अगर पशुपालक को यह चारा डिपो खोलने की बजाय

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जी.एस.एस. के माध्यम से यह खुलते हैं और वहां पर जो अनुदान की राशि आप देते हैं, वह अनुदान की राशि 90 पैसे और 1.20 रुपये के बीच में होती है, वह जो अनुदान की राशि है, वह छह-छह महीने निकल जाते हैं। क्योंकि पिछले साल का यह अनुभव है, छह महीने निकल गये, तब तक भी वह अनुदान की राशि उन तक नहीं पहुंची। इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता कि एडवांस में ले लें और उसके बाद हम अनुदान के लिए आपके यहां पर एप्लाई करेंगे, कलक्टर कब उसको सैंक्शन करेंगे, कब हमारे पास वह पैसा आयेगा। ऐसी स्थिति के अन्दर अगर पशुपालक को हमने डाइरेक्ट वह अनुदान देना शुरू कर दिया और यह सीधा उन्हीं को चला जाये तो वह ज्यादा अच्छा होगा। यह जो जी.एस.एस. के माध्यम से हम लोग खोलते हैं, उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं। यह प्रैक्टिकल है इसलिए इसके अन्दर हमने चारा डिपो खोले या यह किसके माध्यम से खोले, उससे इम्पोर्टेंट यह है कि वह चारा डिपो उसकी सुविधा, उस गांव के पशुपालक को हो जाये ताकि वह आराम से जो बार-बार कहते हैं कि हमारे पशुओं के लिए चारा नहीं है, आप चारा डिपो खुलवायें तो यह कम से कम प्रोब्लम सोल्व हो सकती है। इसके बारे में आपसे निवेदन था।

इसके साथ में अकाल राहत में लेबर लग रही है, अब वह जो लेबर लगती है, आप यह कहते हैं, जब नरेगा में 100 डेज कम्प्लीट हो जाये, तब अकाल राहत के अन्दर वह उन लेबर का उपयोग करायें। एम.एल.ए. लैड या एम.पी. लैड से जो डवटेल हो रहा है, सारा काम वह जो डवटेल हो रहा है, वह काम तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अगर जब तक 100 दिन उनके पूरे नहीं होंगे नरेगा के, तब तक यह काम नहीं होगा। तो इसमें यह रिलेक्सेशन करने की जरूरत है कि कैसे यह रिलेक्सेशन हो। एम.एल.ए. लैड या एम.पी. लैड का जो फंड है, उसमें जो सैंक्शन हैं, उसके अन्दर यह काम जल्दी से जल्दी हो।

तीसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि नरेगा के तहत कुछ एनीकट्स के काम होने चाहिए सिंचाई विभाग के माध्यम से, लेकिन हो यह रहा है कि एनीकट के काम सिंचाई विभाग तो कुछ भी नरेगा के तहत लेने को तैयार नहीं है। राजसमंद का आप पूरा उठाकर देख लें, माननीय मंत्रीजी, इसके अन्दर कहीं पर भी सिंचाई विभाग ने नरेगा के तहत कोई एनीकट नहीं बनाया है, यह मेरी रिपोर्ट है। आप अपनी तरफ से रिपोर्ट मंगवाकर देख लीजिये, आप इसको कन्फर्म कर लें। मेरे वहां पर राज्यावास के अन्दर अमलोई का एक

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

एनीकट है जो पिछले एक साल से, डेढ़ साल से हम लोग बार-बार इसको कह रहे हैं। ग्राम पंचायत से, ग्राम सभा से पास होकर आएगा लेकिन सिंचाई विभाग की यह ढिलाई है जिसकी वजह से न तो यहां पर वह उसको टेक्नीकल सैंक्शन दिलवा पा रहे हैं, न उसका आगे कोई सैंक्शन हो पा रहा है। इसलिए इसमें आप जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, अकाल के ऊपर और बिजली के ऊपर बोली लेकिन पानी के ऊपर मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ ही बातें हैं जो कहना चाहूंगी। कंटिंजेंसी का जो फंड है, माननीय मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं, आपसे जब-जब कहा, आपने बहुत ही कृपा रखी और आपने कहा कि आपके सब काम हम करवा देंगे लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि राजसमंद जिले में 5.30 करोड़ रुपये अगस्त और सितम्बर में सैंक्शन हुए आपके यहां से सरकार से कंटिंजेंसी के, यह स्वीकृत हुए अगस्त और सितम्बर में, काम शुरू हुआ दिसम्बर के अन्दर और दिसम्बर में जो काम शुरू हुआ, जब उसकी रिपोर्ट हमने ली कि आपने यह 5.30 करोड़ रुपये में क्या-क्या काम करवाये तो जो काम सामने आये तो 231 हैंड पम्प, 85 पनघट, 23 ट्यूबवैल, ये काम स्वीकृत हुए। उसके अलावा कहा कि ट्रांसपोर्टेशन आफ वाटर के लिए बाकी पैसा यूज में होगा। दिसम्बर को छोड़ दीजिये, आज इस डेट को जब मैं यहां पर खड़ी हूं, आज तक भी राजसमन्द के अन्दर, मेरे विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द पंचायत जो है, उस पंचायत समिति में एक भी, नोट-ए-सिंगल टैंकर शुरू हुआ है। तो पानी के ट्रांसपोर्टेशन पर तो एक भी पैसा लगा नहीं है लेकिन यह 5.30 करोड़ रुपये जो पैसा, कंटिंजेंसी का पैसा अगस्त-सितम्बर के लास्ट में आया है, तो उससे आज तक खर्च करने के नाम पर सिर्फ यह हैण्ड पम्प, पनघट और ट्यूबवैल खुदवाये हैं जिनके नम्बर मैंने अभी आपको बताये हैं। अब यह जो कहते हैं कि टैंकर बहुत जल्दी शुरू करेंगे, मीटिंग हुए तो अभी डेढ़ महीना हो गया, उस मीटिंग के बाद में रोज जब-जब जाते हैं गांव के लोग तो कलक्टर महोदय कहते हैं कि टैंकर शुरू करेंगे, टैंकर शुरू करेंगे। टैंकर वेकब शुरू करेंगे? आज इतनी परेशानी आ रही है पीने के पानी को लेकर, न तो जल योजना है, न वहां पर हैंड पम्प खोद रहे हैं, न वहां पर हैंड पम्प रिपेयर हो रहे हैं, न पाइप लाइन रिपेयर हो रही है; पानी लीकेज हो रहा है, पाइप लाइन रिपेयर नहीं कर सकते, न आप नई योजना कुछ दे सकते। ऐसी स्थिति के अन्दर टैंकर से पानी की सप्लाई भी नहीं कर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सकते, इससे ज्यादा और दुर्गति क्या हो सकती है? जो एक अपने आप में कहते हैं कि संवेदनशील सरकार है, संवदेनशील सरकार है लेकिन इससे बुरा और उदाहरण संवेदनहीनता का नहीं हो सकता। जब पानी के टैंकर के लिए डेढ़ महीने से जो प्रपोजल कलक्टर के यहां पर पड़े हैं और वे डेढ़ महीने से प्रपोजल सैंक्शन नहीं कर सकें, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है।

आर.यू.आई.डी.पी. से 2008-09 में राजसमन्द शहर के लिए पीने के पानी की योजना के लिए, वाटर सप्लाई के लिए 28 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए। यह तीन बार टेंडर हो चुके थे लेकिन आज दिन उसका वर्क आर्डर दे नहीं पाये क्योंकि रेट ज्यादा आ रही है, यह रेट्स आ रही है, नेगोशिएशन में चल रहा है। वह नेगोशिएशन कब होगा? या तो कैंसिल कर दीजिये ताकि हम पब्लिक को कह दें कि आर.यू.आई.डी.पी. का प्रोजेक्ट था, वह कैंसिल कर दिया सरकार ने। आप उसे कैंसिल भी नहीं करते, टेंडर पर टेंडर हो जाते हैं, न उसे सैंक्शन करते। आखिरकार हम उन लोगों को कब तक सपना दिखायें राजसमंद शहरवासियों को कि पीने का पानी तुम्हारे यहां आयेगा, अब हम तुम्हारे यहां टंकी बना रहे हैं, अब पाइपलाइन बनवा रहे हैं। तीन साल से हम लगातार उनको यह बात कह रहे हैं कि अब रेट अप्रूव होगा, ए.डी.बी. के पास जायेगा, दिल्ली में जायेगा, स्वीकृत होगा। अब इसमें कृपा करके थोड़ा आप इंटरवीन करें, मंत्रीजी, और राजसमंद शहर के लिए आर.यू.आई.डी.पी. की यह योजना जल्दी से जल्दी स्वीकृत करें।

श्री सभापति: श्री जयदीप डूडी।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): यह बात स्वीकार करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि इसमें डिले हुई है। हम गये थे। आर.यू.आई.डी.पी. के प्रोजेक्ट में कुछ डिले जरूर हुई है और इसलिए हम वहां जाकर के हमें जिस किसी को कुछ कहना था, इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी हमको लेनी है। जो हमको करना है, वह हम करेंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, पेयजल के ही सन्दर्भ में जो मंत्री महोदय ने कहा कि वे जल्दी से जल्दी करवायेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस ओर भी आप ध्यान दें कि एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. जो सेंट्रल गवर्नमेंट से 2.90 करोड़ रुपये और नेशनल रूरल डवलपमेंट वाटर प्रोजेक्ट के तहत आये हैं राजसमंद में। इसी तरह से

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सी.आर.एफ. में भी 70 करोड़ रुपये राजसमंद जिले को दिये गये हैं लेकिन यह सारा पैसा, जैसा मैंने पहले कहा था कि पाइप खरीद करके रख लिये करोड़ों रुपयों के, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि सिर्फ पाइप ही खरीद लिये। अब यह इतने करोड़ रुपये कंटिंजेंसी में आ रहे हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अन्दर आ रहा है, सी.आर.एफ. में आ रहा है, वह सारा पैसा आ रहा है, फिर भी वह गांव पीने के पानी के लिए तरस रहा है। इसकी तरफ हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि यह कैसे क्या...

एक चीज, एक बात, शार्ट में एक बात कहना चाहूंगी कि अभी तक आप एम एल एज का कहीं पर भी इंवाल्वमेंट नहीं करते किसी भी स्तर की मीटिंग, कमेटीज के अन्दर। माननीय मंत्रीजी, क्योंकि हम जन-प्रतिनिधि हैं, वहां से चुनकर आये हैं और इसलिए जब हम क्षेत्र के अन्दर जाते हैं तो कम से कम आपके एक्स ईएन, आपके ए ईएन, आपके जे ईएन हैं, उनको यह पाबंद करिये कि अगर वहां पर कोई अभाव-अभियोग हम लोग रखते हैं गांव के अन्दर, वहां अभाव अभियोग रखते हैं तो हमें यह कहते हैं कि हमें कोई निर्देश नहीं है कि एम एल ए ने अगर अभाव-अभियोग रखा है तो उसके अन्दर हमें जाकर गांव की पब्लिक की बात सुननी है। अगर मिनिस्टर आयेंगे तो अधिकारी पीछे-पीछे दौड़ेंगे लेकिन अगर एम एल ए वहां पर जाकर अभाव-अभियोग सुन रहा है तो एम एल ए के कहने से कोई ए ईएन, जे ईएन आपका वहां पर समस्या को गांव में सुनने को तैयार नहीं है।

श्री सभापति: थैंक यू, वेरी मच।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कृपा करके इसके डाइरेक्शंस निकालें।

थैंक यू, वेरी मच, आपने मुझे समय दिया इसके लिए।

श्री सभापति: श्री जयदीप डूडी।

श्री जयदीप (भादरा): सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आगे आने वाले जो तीन महीने हैं अप्रेल, मई और जून, हम सब के लिए बड़ी तकलीफ वाले महीने पेयजल के लिए होते हैं और इन तीन महीनों में बड़ी मुश्किलों का सामना सब लोगों को करना पड़ता है। चाहे पक्ष के विधायक हों, चाहे विपक्ष के

(श्री जयदीप)

विधायक हों, यहां के बाद जैसे ही हम लोग जायेंगे, इसी समस्या का सबसे ज्यादा हमें सामना करना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी बनती है इसमें सुधार करने की क्योंकि सभी को अपने क्षेत्र में जाना होगा। इधर तो एक बात में ही मामला सुलट जायेगा कि क्या करें, भई, कांग्रेस की सरकार है, नहीं कर रही है, हमने तो बहुत कुछ विधान सभा में कहा, कुछ नहीं किया। लेकिन निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के विधायक यह बात नहीं कह पायेंगे। सरकार की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

मैं अपनी बात अपने क्षेत्र से संबंधित ही दो मिनट में कहकर के खत्म करता हूं। जहां तक मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा का प्रश्न है, वहां सारी पेयजल की व्यवस्था नहर पर आधारित है। पंजाब से हरियाणा होते हुए पानी मेरे वहां विधान सभा क्षेत्र में आता है और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पानी प्रचुर मात्रा में हमें जितना हमारा हक बनता है उतना पानी हमें नहीं मिलता। हमारा सिद्धमुख परियोजना में .315 एम ए एफ पानी है और नोहर फीडर में .125 एम ए एफ पानी है जो पूरा राजस्थान बोर्डर पर हमें नहीं मिल पाता। पिछली बार भी सत्र में मैंने निवेदन किया था आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को कि पंजाब से, हरियाणा से बात करके अगर हमारा यह पानी हमें पूरा मिलता है सिद्धमुख नहर में और नोहर फीडर में तो उस पानी को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं कि सिंचाई के साथ-साथ पेयजल में हमें कहीं कोई कमी नहीं आये लेकिन वह पानी नहीं होने की वजह से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

दूसरी बात आती है, जितना पानी हमें मिलता है उसमें पानी चोरी हो जाता है, हरियाणा से निकलता है। हरियाणा सरकार से कई बार निवेदन किया, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी से टेलीफोन पर दो-तीन बार बात की लेकिन नतीजा नहीं निकला। हरियाणा में पानी आज भी पूरे का पूरा चोरी होता है। रात को पानी ऐसी मात्रा में, मतलब इतने नीचे चला जाता है कि सिंचाई तो दूर, पीने के पानी के लिए भी गांव में पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता। निवेदन करना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से, इस विषय को गम्भीरता से सोच कर जितना हमारा हक बनता है वह हमें पानी दिलाया जाय।

उसमें भी एक और स्थिति बनती है। हमारे वहां विधान सभा क्षेत्र में

(श्री जयदीप)

पन्द्रह दिन से ज्यादा स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। जहां कहीं भी डिग्गी है पन्द्रह दिन का पानी वहां स्टोरेज हो पाता है। अगर पन्द्रह दिन बाद दोबारा नहर नहीं आई तो पेयजल की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पानी का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करें कि पन्द्रह दिन बाद निश्चित रूप से पेयजल के लिए नहरों में समुचित पानी आ जाय जिससे कि डिग्गी में पानी पहुंच सके, यह निवेदन करना चाहता हूं।

एक हमारे वहां पानी चोरी रोकने के लिए व्यवस्था की थी राज्य सरकार ने कि ठेका पद्धति अपना ली, ठेकेदारों को टेंडर दे दिया कि आप वाच करोगे और इसका पानी चोरी नहीं हो, यह भी आप देखोगे। हुआ क्या कि ठेकेदारों ने स्वयं किसानों के साथ मिलकर पानी चोरी की व्यवस्था कर ली। मेरे वहां क्षेत्र में पांच सौ रुपये प्रति घंटा की दर से ठेकेदार किसानों से नहर से चोरी करवाते हैं और जब बार-बार रोकने की कोशिश की, पिछली बार तो यह स्थिति आ गई, माननीय सभापति महोदय, कि नहर के ऊपर किसानों के और ठेकेदारों के बीच में गोली तक चली जिसमें मरते-मरते वह किसान बचा। उसके बाद में बार-बार निवेदन किया कलक्टर से भी, चीफ इंजीनियर महोदय से भी कि इस व्यवस्था को आप बंद करो, अगर कर्मचारी कम हैं तो कुछ न कुछ कमेटी बनाकर किसानों की, इसकी सुरक्षा की व्यवस्था आप करें। यह माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की भविष्य में व्यवस्था नहीं हो, अगर कर्मचारी कम हैं तो दूसरे विभाग से कर्मचारी लेकर के, सिंचाई विभाग और पेयजल विभाग से जे ईएन हैं, आपके लाईनमेन हैं, किसान को उनके साथ मिलकर के कमेटी बनाकर पानी चोरी रोकने की व्यवस्था करें, यह निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे वहां क्षेत्र में आपणी योजना का पानी भी चूरू जिले से आ रहा है। मेरा क्षेत्र क्योंकि बिल्कुल लास्ट में पड़ता है, टेल के गांव पड़ते हैं कुछ, आपणी योजना में गांव के चौक में जगह-जगह टोंटियां लगाकर यह पानी देते हैं उससे पानी चोरी होने लग गया, लोगों ने घरों में कनेक्शन कर लिये। तो जो टेल के गांव हैं वहां पानी नहीं पहुंचता। एक तरफ से तो वे आपणी योजना से जुड़े हुए हैं लेकिन उस गांव में पानी नहीं है। बार-बार निवेदन करते हैं, इनके एस ई बैठते हैं चूरू में, निवेदन करते हैं वहां से चूरू वालों को, पहले हमारे एस डी एम को बोलते हैं, वह कलक्टर को बोलता है, कलक्टर चूरू कलेक्टर को बोलता है

(श्री जयदीप)

तब जाकर के कोई व्यवस्था हो पाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कि कम से कम उन गांवों को जो आपणी योजना से जुडे हुए हैं मेरे क्षेत्र के, उनकी अलग से स्कीम बनाकर उनको दूसरी व्यवस्था से जोड़ें जिससे बार-बार उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

एक मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मेरे वहां बहुत पुरानी सरस्वती नदी बहा करती थी। मैं दोबारा निवेदन करता हूं माननीय मंत्री महोदय को, वहां 650 फीट पर नीचे पत्थर हैं, अगर एक हजार फीट का बोर कर दिया जाय तीन-चार जगह तो निश्चित रूप से वहां जिस तरह से कम्प्यूटर से जांच करवाई है लोगों ने, निश्चित रूप से नीचे मीठा पानी है। क्योंकि पत्थर आ जाता है, वहां के लोग बोर नहीं कर पाते और फिर दूसरा, रिस्क भी नहीं लेना चाहते क्योंकि पत्थर को तोड़े कौन, तोड़ेंगे तो बहुत पैसा खर्च होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी को कि जो 650 फीट पर पत्थर है, कम से कम उसको तोड़ने के लिए मशीन मंगाकर दूसरी जगह से, तीन-चार जगह बोर करवा दें तो क्षेत्र की पेयजल समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जायेगा, यह निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात, वहां स्टाफ की बहुत कमी है, पिछले छह महीने से उस क्षेत्र में एक्स ईएन नहीं है। दोनों नहरों पर एक्स ईएन के कोई आदमी नहीं, छह महीने से खाली पड़ी हैं पोस्टें, ए ईएन नहीं है। मैं निवचेदन करना चाहता हूं कि अगर अधिकारी वहां बैठे हों, उनको मौके पर भेजकर हम लोग उस व्यवस्था को थोड़ी-बहुत जो चल रही है उसको ठीक करवा सकते हैं, इसलिए उन पदों को भरने की आप व्यवस्था करें।

जहां तक बिजली का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री महोदय को कि एक तो जिस तरह से आपने रात को लाइट दे दी, रात को वाटर वर्क्स का कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। मोटर चलेगी तो ही पानी पहुंच पायेगा। रात को लाइट दे दी, रात को वह कर्मचारी नहीं है तो पानी नहीं पहुंचेगा। पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ आपके एस ई, एक्स ईएन बैठकर मीटिंग करके यह तय करें कि किस समय हम बिजली देंगे, उस समय उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी उस मौके पर मोटर चलाने के लिए रहें। यह बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि लाइट कभी आती है, कर्मचारी कभी होता है तो पानी सही मात्रा में पहुंच नहीं पाता, मोटरें चल नहीं पातीं, इससे व्यवस्था सारी गड़बड़ा जाती है।

(श्री जयदीप)

दूसरे, भादरा क्षेत्र में, माननीय मंत्री महोदय, चालीस हजार कनेक्शन हैं। अभी बी पी एल के कनेक्शन राज्य सरकार की नीति के अनुसार और होने हैं और कुछ कनेक्शंस जो कटे हुए हैं वे और जुड़ने हैं, इतने ज्यादा उपभोक्ता होने के बाद में निश्चित रूप से वहां एक और सब-डिवीजन की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि वहां एक और सब-डिविजन की व्यवस्था हो जाय तो उस क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था में काफी कुछ सुधार हो जायेगा और जो नये कनेक्शन और जो अभी उपभोक्ता जो चल रहे हैं उनको सही मात्रा में बिजली पूरी हो पायेगी।

इसी आशा और विश्वास के साथ कि मेरी इन बातों पर माननीय बिजली मंत्रीजी गौर करेंगे और माननीय पेयजल मंत्रीजी, हमारी कुछ स्कीम्स यहां पेंडिंग हैं, वह मैंने लिखित में हमारे प्रमुख शासन सचिव और माननीय मंत्री महोदय के यहां पहुंचाई हैं, वे जो स्कीम हमने बनाकर वहां भेजी हैं वे करीब पांच स्कीम हैं, वे जल्द से जल्द मंजूर होकर के, स्वीकृत होकर के वहां चली जाएं और उन पर काम शुरू हो जाय, उसके बाद में सारी व्यवस्था सुचारु रूप से चल पायेगी। जय हिन्द, जय भारत, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओम जोशी।

(समय : 20.30 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, आज दो दिन से इस पवित्र सदन में राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के जीवन के लिए जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो रही है, चर्चा के माध्यम से चिंता व्यक्त की जा रही है और चिंतन किया जा रहा है अकाल और सूखे की स्थिति, पानी और सिंचाई योजनाओं के बारे में बिजली के संदर्भ में, ऊर्जा के संदर्भ में। मैं पश्चिमी इलाक़े से आता हूं, पश्चिमी क्षेत्र बरसों से अकाल के हालात को संघर्ष करते हुए भुगत रहा है। कई बार तो साल-साल तक लगातार वर्षा नहीं होती, अभाव रहता है और वहां के मजबूत लोग अपनी सूझ-बूझ से सरकार के सहयोग से अपने जीवन का यापन करते हैं। आज से छह साल पहले अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में सरकार थी, अकाल की स्थिति आई, वह सभी को पता है, राजस्थान को और पूरे देश को पता है कि किस तरीके से उस विकट

(श्री ओम जोशी)

स्थिति को एक व्यवस्थित रूप से संभालते हुए न केवल पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए सभी कुछ व्यवस्था की गई बल्कि यह स्पष्ट घोषणा की गई कि कोई भी व्यक्ति रात को भूखा नहीं सोएगा।

माननीय सभापति महोदय, अकाल का कारण और यह जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है उसको इस पवित्र सदन में लाखों मतों से जीतकर आने वाले हमारे माननीय सदस्य बहुत हल्के से काल और पार्टी से जोड़ ले, काल और मुखिया के नाम को जोड़ ले यह कोई अच्छा स्तर नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अकाल पड़ने के निश्चित कारण हैं और पूरे विश्व में वर्षा की कमी की स्थिति हमारे सामने है। वैज्ञानिक तथ्य हमारे सामने आ चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग, साइंटिस्ट हमें बार-बार आगाह कर रहे हैं, पर्यावरण असंतुलित हो चुका है, ओजोन में छेद कांग्रेस पार्टी नहीं करती। जो यह सभी हालात बनते हैं और जो वर्षा की कमी रही, उसका यह कारण रहा कि हमें अकाल की विषम परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, भुगतना पड़ता है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप थोड़ा कांन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सुझावों पर आ जाओ, यह मेरा निवेदन है क्योंकि 30 तो प्रति पक्ष से बोलने हैं और लगभग 18 सत्ता पक्ष से बोलने हैं, 48 माननीय सदस्यों को अभी बोलना है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, पौन-पौन घंटे लोग बोल कर गये हैं। यह क्या बात हुई? चाहे बुलाओ मत, नाम काट दो हमारे तो भले ही लेकिन यह कौनसी बात हुई? पौन-पौन घंटे तक भाषण देकर के गये हैं लोग और आप समाप्त करो, समाप्त करो, आ गये। आधा घंटे तक बोले हैं लोग। यह क्या बात हुई?

श्री सभापति: आप इसमें थोड़ा सा...

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय....

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, हम इतनी मेहनत से कुछ पाइंट तैयार करते हैं, मात्र पांच मिनट, सात मिनट हमें बोलने देते हो आप। आप बताइए, हम इतनी मेहनत करके तैयारी करते हैं और आप हमें बोलने का मौका नहीं देते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले से कंट्रोल रख लेते इस बात का, कौन मना कर रहा है? आपके तो आते ही पता नहीं, क्या हो जाता है कि समाप्त करो।

श्री सभापति: विराजो, विराजो।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, जो बात आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं अगर वह इरेलेवेंट हो, उसका कोई उपयोग न हो, आप जैसा आदेश फरमाएंगे...

श्री सभापति: कांस्टिट्यूएंसी और इसके ऊपर आप थोड़ा करो क्योंकि समय कम है। आज मेरे ख्याल से...

श्री ओम जोशी (फलौदी): सवाल यह है, सभापति महोदय, कांस्टिट्यूएंसी की जो हमारी कमी है जो न्यूनता है, उसके बारे में तो हम निवेदन करेंगे ही, समय-समय पर करते रहते हैं लेकिन जिस बात की चिंता है, जिस बात का चिंतन करने के लिए हम अभी यह बात कर रहे हैं, उस विषय के कारणों पर जाना, उस विषय पर मंथन करना, यह हमारा अधिकार है।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी वस्तु की कमी, पानी की कमी, उसका उत्पादन नहीं किया जा सकता, वह ईश्वर के ऊपर निर्भर करती है। इसमें सामाजिक दायित्व भी आता है; जो समाज इस पानी का उपयोग करता है, उस समाज को इस पानी के अपव्यय को रोकना होगा। चारों तरफ से निश्चित रूप से पानी की मांग की जाती रही है, शुद्ध पेयजल हो, मीठा पानी उपलब्ध हो, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन उसका अगर अपव्यय होता है उसके बारे में सामाजिक दृष्टिकोण व समाज सावचेत रहना चाहिए इस बात की भी आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, हम यहां बैठकर जब पानी की बात करते हैं तो कठोर कानून-व्यवस्था भी आने वाले समय में पानी की सुचारु व्यवस्था के लिए आवश्यक हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में अकाल से वास्ता निरन्तर पड़ा है। अभी भी अकाल है 27 ज़िलों में मेरी तहसील, पूरा विधान सभा क्षेत्र अकाल से प्रभावित है लेकिन मुझे यह बात कहते हुए संतोष और गर्व महसूस होता है कि वर्तमान सरकार ने जो अकाल के संदर्भ में हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए व्यवस्थाएं की हैं वे पूर्णतया संतोषजनक हैं, पूर्णतया वहां की समस्याओं का समाधान करती हैं। चारा डिपो खोले हैं, पशुओं के लिए शिविर खोले हैं, पानी के टैंकर पहुंच रहे हैं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, पेयजल की समस्या मेरे क्षेत्र की विकट समस्या रही है। बाप पंचायत समिति क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर न तो भूगर्भीय जल है और न ही कोई तालाब,

(श्री ओम जोशी)

वगैरह में पानी ठहर सकता है। उस व्यवस्था के लिए बरसों से हमारे जो प्रतिनिधि आये, उन्होंने उस समाधान के लिए प्रयास किया। योजनाएं बनी थीं, कुछ लागू भी हुईं लेकिन अभी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। पंचायत समिति का आधा क्षेत्र, करीब 10 ग्राम पंचायतों में नहर के पानी के माध्यम से अथवा अन्य स्रोतों से समुचित पानी कैसे मिले, इस बात की योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पुरानी सरकार ने दो लिफ्ट योजनाएं हमारे क्षेत्र में स्वीकृत कीं और काम हुआ गुरु जम्भेश्वर भगवान लिफ्ट जो फलौदी लिफ्ट कैनाल के नाम से जानी जाती थी और जय नारायण व्यास लिफ्ट कैनाल जो पोकरण कैनाल के नाम से जानी जाती थी। पिछले समय में, चूंकि मैं सकारात्मक बात कहने का सोच रखता हूं इसलिए यह नहीं कहता कि पिछली सरकार की क्या मजबूरियां रही थीं, पांच वर्षों में इन दोनों योजनाओं पर एक धेले का भी काम नहीं हुआ। करोड़ों, अरबों रुपए दोनों योजनाओं पर लगे हुए हैं, निर्माण कार्य हुए हैं, पम्पिंग सैट लगे हैं, कहीं पर मोटर नहीं हैं, कहीं पर अन्य व्यवस्थाएं नहीं हैं। मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मुझे आशा है कि हमारे क्षेत्र से ही, हमारी परिस्थिति को जानने वाले हमारे जल संसाधन मंत्री महोदय हैं, के इस विषय की ओर विशेष गौर फरमाएंगे और गुरु जम्भेश्वर भगवान लिफ्ट कैनाल और जयनारायण व्यास लिफ्ट कैनाल कार्य को गति प्रदान करेंगे। चाहे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो लेकिन अपेक्षा यह की जाती है कि इन दोनों योजनाओं के माध्यम से हमारे क्षेत्र के जो वंचित लोग हैं उनको पीने के कुछ पानी मिल जाए तो काफी उपयोगी रहेगा और जो करोड़ों-करोड़ों रुपए उसमें लग चुके हैं उसका उपयोग होगा। मैंने मौक़े पर इन दोनों नहरों का अवलोकन किया है, निरीक्षण किया है, रेत उस नहर में जाकर जम जा चुकी है और कई जगह से एक बूंद भी पानी नहीं जाने के साथ वह नहर टूट चुकी है। यह सब हालात जो हैं इसमें आवश्यक है कि राष्ट्रीय वेस्टेज, नेशनल वेस्टेज जो है उसको रोका जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यह जब नहर स्वीकृत हुई और काम चालू हुआ तो वहां के काश्तकारों को जो उनकी खातेदारी भूमि थी। उसमें उपनिवेशन कानून लागू कर दिये गये और उनके जो खातेदारी अधिकार हैं उनमें कई तरीके की कमियां हुई हैं। मैं चाहता हूं कि पानी अगर नहीं पहुंचता है सिंचाई अगर नहीं होती है तो जो बारानी रूप से उन क्षेत्रों के काश्तकारों के अधिकार

(श्री ओम जोशी)

हैं वे अधिकार दिये जाने चाहिए जिससे कि वे काश्तकार अपने अधिकारों के माध्यम से बैंकों से तरीके से ऋण प्राप्त कर सकें और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, फलौदी में पिछले शासन के दौरान एक झील का निर्माण चालू हुआ था; पांच तालाब थे, पाँच तालाबों को मिला कर और झील का निर्माण कार्य चालू हुआ। प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई, वित्तीय स्वीकृति जारी हुई, करीब एक करोड़ का काम हुआ, कुछ भुगतान हुआ लेकिन मुझे खेद है कि चलते-चलते वह काम बंद हो गया और जब जानकारी ली गई तो यह बताया गया कि वित्त पोषण की तो व्यवस्था ही नहीं की गयी थी। यह आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाती है और तत्कालीन सरकार ने वित्त पोषण की व्यवस्था ही नहीं की! इस गम्भीर बात की ओर ख्याल रखने की आवश्यकता है। जो करोड़ों रुपये उस झील के निर्माण में लगे हैं, एक सुन्दर झील निर्मित हो रही है, प्राकृतिक रूप से उस झील में पानी आने की संभावनाएं विपुल है और यह झील हमारे उस क्षेत्र के पूरे लोगों के लिए उपयोगी रहेगी; न केवल वहां से पानी लोगों को मिलेगा बल्कि यह पर्यटन का बहुत बड़ा एक केन्द्र स्थापित हो रहा है। मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि वे इस विषय पर गौर फरमायेंगे। मैंने इस विषय को नियम 295 के तहत भी अवगत कराया था, उस झील के निर्माण को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने की अनुकम्पा करें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे ग्रामीण भाई जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने पानी के संरक्षण के संबंध में हमेशा ध्यान रखा। वह जमाना था जब दो घड़े पानी लाकर भी हमारी माताएं पानी की व्यवस्था इस तरीके से अपने घर में करती थीं कि उसी पानी से नहाना, वह ही पानी पशुओं को पिलाना और जो जोहड़ होता था वह पशुओं को पिलाने के काम में लेकर के और पानी संरक्षण किया जाता था। कुंड बनाये जाते थे। यह संरक्षण की आवश्यकता पुनः हमारे सामने आ गयी है। पायतन पर अतिक्रमण हो रहा है, गोचर पर अतिक्रमण हो रहा है और ओरण पर अतिक्रमण हो रहा है। पशुधन को बचाने के लिए गोचर का जो आरक्षण किया गया है गोचर भूमि जो आरक्षित की जाती है उस पर भू-माफिया का कब्जा नहीं हो इस बात की पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए और जैसा कि कल हमारे कोलायत से पधारने वाले माननीय सदस्य, आदरणीय श्री भाटी साहब बता रहे थे कि अगर जो हमारे बड़े-बड़े

(श्री ओम जोशी)

ओरण हैं उन ओरणों को तारबंदी के माध्यम से जन सहयोग से अगर वहां पर घास का उत्पादन किया जाता है, समतल ओरण है और आज भी धार्मिक भावनाएं वहां पर कायम हैं, लोग उस ओरण के प्रति श्रद्धा रखते हैं, अगर उस औरण का विकास करके और वहां पर घास का उत्पादन किया जाता है, निरन्तर अगर यह प्रक्रिया चलती है तो ऐसे कठिन समय में जब अकाल पड़ता है, उस घास का उपयोग होगा। जिस तरीके से गिद्ध दृष्टि इस धरती मां पर भी भू-माफिया की पड़ रही है, निरन्तर गोचर में और पायतन में अतिक्रमण हो रहे हैं, औरण में भी अतिक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ेंगी इसलिए आवश्यकता है कि ओरण का संरक्षण होकर के ओरण में घास का उत्पादन हो। कोलूकी पाबूजी में ओरण है, हर गांव में ओरण है और हजारों बीघा में ओरण की भूमि स्थित है। इसलिए यह संरक्षण करते हुए वहां पर घास उत्पादन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में मेरे इलाके में जी एस एस निर्माण के लिए 33 केवीए, 11 केवीए, 132 केवीए और 220 केवीए की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं, कार्य चल रहा है लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस गति से वह कार्य निर्माण का होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है, मंथर गति से हो रहा है। बताया जाता है कि कभी सामान की कमी हो जाती है, कभी ठेकेदार की लापरवाही लगती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, जो स्वीकृत योजनाएं हैं जिनके लिए सब कुछ व्यवस्था हो चुकी है उनका तत्काल निर्माण हो ताकि हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में बैठे हुए किसानों को सही तरीके से सही वोल्टेज की बिजली उपलब्ध हो सके। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ...

श्री सभापति: सम अप करो, माननीय सदस्य।

श्री ओम जोशी (फलौदी): बस मैं कर रहा हूं साहब। मैं तो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो सोच है मेरी वह बताना चाहता हूं, अभी तिवाड़ी साहब विराजे हुए हैं इसलिए।

श्री सभापति: आध्यात्मिक दृष्टिकोण बहुत लम्बा हो जाएगा।

श्री ओम जोशी (फलौदी): एक जमाना था जब वृक्ष के लिए, जब वायु के लिए, जब अग्नि के लिए, जब आकाश के लिए, जब सूर्य के लिए, जब

(श्री ओम जोशी)

चन्द्रमा के लिए, अष्टमूर्ति के लिए पूजा की सोच थी। वह सोच वैसे ही नहीं बनी थी, उस सोच के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ था। आज इस बात की आवश्यकता है कि जन प्रतिनिधि स्वयं एक जागरण करे और किस तरीके से असंतुलित यह पर्यावरण है वह संतुलित हो, इस बात के लिए आध्यात्मिक सोच को रखते हुए इस बात को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि यह राजस्थान जिसका कि पूरे इतिहास में गौरवशाली इतिहास है, यह राजस्थान जिसके लिए कभी बहुत शानदार तरीके से गीत गाते थे, 'आ तो सरगो न सरमावे, इण पर दैव रमण न आवे, इण रो जस नर-नारी गावे'' आ धरती धोरां री' जो है, आने वाले समय में यह स्वर्ग बने यहां की कमियां दूर हों, इसी आशा और अपेक्षा के साथ चूंकि आपकी घंटी बराबर बज रही है, इसलिए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री कैलाश जी भंसाली।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति जी, आज सदन में बिजली, पेयजल, अकाल जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सारा पक्ष और विपक्ष, दोनों चिंतित है। जिस तरह के प्रदेश में हालात बने हैं, मेरा निवेदन है कि बिजली और पानी से भी महत्वपूर्ण अकाल है। अकाल अगर नहीं होता तो इतनी चिन्ताएं नहीं बढ़तीं परन्तु अकाल की जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। यह तो केवल प्रकृति का ही हमारे साथ कोप है। मेरा निवेदन है कि इस अकाल की विभीषिका को कम करने के लिए कुछ सुझाव मैं देना चाहूंगा।

1998-99 में भी भयंकर अकाल पड़ा था राजस्थान में। उस समय हमारे मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने जिस तरह के चारा डिस्ट्रिब्यूशन और कम खर्च में चारा डिपो खुला कर तथा पशु शिविरों की भरमार के साथ इससे लड़ाई लड़ी थी और लोगों को, पशुपालकों को राहत दी थी, मेरा निवेदन है कि इस बार भी और अधिक चारा डिपो खोले जाएं। चारा बहुत महंगा हो गया है। आपने यातायात की राशि अनुदान की बढ़ायी है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार उस समय रेल रैकों से चारा लाकर दूसरे राज्यों से कम मूल्य में उपलब्ध कराया था वैसे ही यह योजना बनायी जाए ताकि पशुपालकों को सस्ता चारा मिल सके और पशुओं की रक्षा हो सके। पशुओं को पीने के पानी के टैंकर कुछ जगह लगे हुए हैं परन्तु कई गांवो में विशेषकर मैं

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

जैसलमेर और बाड़मेर के इलाकों में गया वहां पर इनकी बहुत मांग है। तो मैं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इन दोनों जिलों पर थोड़ी विशेष कृपा करें। सब्सिडाइज्ड पशु आहार केवल दुग्ध सहकारी समितियों को न देकर सभी पशुपालकों को उपलब्ध कराया जाए। गोचर व ओरण भूमि में सेवण घास उगाने का विशेष प्रयास किया जाए और उसके लिए किसी तरह से स्वयंसेवी संस्थाओं को साथ में जोड़कर अगर कार्य किया गया तो हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे।

अकाल की विभीषिका केवल गांवों में नहीं है शहरों में भी इसका प्रभाव पडा है। आज रसद विभाग प्रति परिवार, बीपीएल परिवार को छोड़कर दस किलो गेहूं उपलब्ध कराता है। छोटे से छोटे परिवार में चार लोग हों तो भी दस किलो गेहूं एक माह के लिए ठीक नहीं है। वे लोग 11 रुपये 12 रुपये किलो की जगह 18 रुपये किलो गेहूं कहां से प्राप्त करें, कैसे खरीदें? शहर की मध्यम वर्गीय जनता के लिये पूरा राशन 20 किलो प्रति परिवार हर हालत में देना चाहिये, ऐसा मेरा निवेदन है। शहर में केरोसीन वितरण की नियमितता नहीं है। जब भी जाते हैं, लिखा मिलता है, केरोसीन स्टाक में नहीं है। हालांकि इस बार बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि हम इसका नियंत्रण करेंगे, निश्चित तारीखों पर यह मिलेगा। मेरा फिर निवेदन है कि इसको अच्छी तरह से मोनिटरिंग किया जाये।

अकाल की इस स्थिति में जो गांव की स्थिति बनी हुई है उसमें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है विशेष कर पीने के पानी की और साथ में चारा उपलब्ध कराने की। पेयजल समस्या के बारे में मेरा कहना है, यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम डाक्टर विश्वेश्वरैया द्वारा बनाई गई उस योजना पर अमल नहीं कर सके कि सारी नदियों का पानी जोड़कर इस किल्लत को हमेशा के लिये दफना दें। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की एन डी ए सरकार ने यह प्रयास किया था? परन्तु यू पी ए सरकार ने आते ही उसको समाप्त कर दिया। मेरा पुनः निवेदन है इस सदन के सभी लोगों से कि हम जनमत जाग्रत करें कि सारी नदियों का पानी जोडा जाये तो देश की जो यह बडी भारी समस्या है, कहीं पानी फिजूल जा रहा है, समुद्र में वापस जा रहा है, उसको पीने के काम में, खेती के लिये ले सकें इसके लिये जनमत जागरण करें। इसमें कोई पक्ष, विपक्ष की बात नहीं है, यह सारे देश का मामला है। इसके लिये हम पुरज़ोर शब्दों में लोगों से, सरकार से निवेदन करें, केन्द्र सरकार से करें। अगर

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

इस योजना में यह पांच साल में कर देते तो काफी काम हो जाता और यह काम आगे बढ़ जाता।

जोधपुर पेयजल की समस्या से ग्रस्त नहीं है, वहां संतोषजनक पानी की सप्लाई होती है। उसके लिये मैं मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत, महामहिम श्री भैरोंसिंह जी शेखावत और पूर्व राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र जी गहलोत को जोधपुर की समस्त जनता की ओर से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इंदिरा गांधी नहर के पानी के लिये बजट को जल्दी से जल्दी पूरा किया और पेयजल उपलब्ध कराया।

श्री सभापति: भंसाली साहब, आपके यहां तो सब कुछ है शहरी क्षेत्र है, वहां अकाल है नहीं। अब समाप्त करो ना फिर।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): मेरा निवेदन है कि पिछले दो दिन से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं । सब बातें तो मुझे कहनी हैं।

श्री सभापति: सब सुख-शांति है, फिर क्या है?

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): कोई बात नहीं, आपकी कृपा है, भगवान की कृपा है, सरकार की कृपा है।

श्री सभापति: जल्दी करो आप।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): हां, जल्दी कर रहा हूं। पुनर्गठित पेयजल योजना 550 करोड़ की जो जोधपुर के लिये बनाई, 40-40 साल पुराने पाइप हो गये हैं, जगह-जगह से पाइप फूट गये हैं, उनकी मरम्मत नहीं उनको बदलना ही पड़ेगा और आये-दिन शहर के कई भागों में दूषित पानी इसी कारण आता है कि गटर की लाइनें और पानी की लाइनें आपस में मिल गई हैं। इतना बुरा हाल है कि 5-5 दिन तक साफ पानी घरों में नहीं आता है। कई बार यह समस्या जोधपुर के शहरी क्षेत्र में उत्पन्न होती है। उसको तुरन्त, जिस प्रकार से इस योजना को अभी परसों ही अखबारों में आया कि फ्रांस के साथ करार हो गया है दो साल में यह काम पूरा हो जायेगा, मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से सरदारपुरा क्षेत्र में मुख्य मंत्रीजी ने 18 करोड़ रुपये एडवांस दिया है, उसी तरह शहर की कांस्टिट्यूएंसी के लिये भी 15 करोड रुपया इस योजना में एडवांस दिया जाये ताकि झालामंड का इलाका जो सबसे बुरी हालत में है, मधुबन हो, चाहे सरस्वती नगर हो, चौपासनी का वह भाग जो पानी के लिये तरस रहा है, या जहां अच्छा पानी नहीं आ रहा है उनके लिये यह योजना कारगर साबित होगी।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

जोधपुर की समस्या को पिछली बार भी मैंने सदन में रखा, मेरा फिर निवेदन है कि अभी नेशनल इंस्टिट्यूट आफ हाइड्रोलोजिकल रूडकी ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें कहा गया है कि जोधपुर की इस समस्या का समाधान, जो नहर का पानी आने के बाद प्रारम्भ हुई है, परन्तु उसके साथ-साथ मिस्टर पालीवाल ने कहा है इस समस्या का खास कारण जो नाले हैं उनमें पानी का रिसाव सबसे ज्यादा हुआ है उन नालों को साफ किया जाये। आज सुबह भी मैंने कहा था, एक बच्चे की इसलिए मृत्यु हो गई कि नाले साफ नहीं थे। तो उन नालों को भी साफ किया जाये।

श्री सभापति: नाले की सफाई और यह कहां ला रहे हो, माननीय सदस्य? आप समाप्त करो, माननीय सदस्य ।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, कम से कम 10 मिनट का समय आप मुझे दीजिए।

श्री सभापति: यह नाले कहां से ले आये आप इस अकाल में?

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): मैं समय की भिक्षा मांग रहा हूं, मुझे मेरे क्षेत्र की बात कहने दीजिए ।

श्री सभापति: समाप्त करो आप।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): हां, मैं कर रहा हूं साहब।

श्री सभापति: यह अकाल की चर्चा हो रही है, आप नाले की चर्चा कर रहे हो।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): नाला उसका भाग है। पेयजल की समस्या का सबसे बड़ा मुद्दा आज भू-जल स्तर बढने का है। लोगों की दीवारें ढह रही हैं और आप कह रहे हैं। यह पेयजल से ही जुडा हुआ मामला है और पेयजल डिपार्टमेंट ही इसको देख रहा है।

मेरा एक निवेदन और है, कल किरण जी ने कहा था कि पी एच ई डी में पाइप स्टाक में हो गये हैं। मेरा यह निवेदन है कि स्टाक में हो गया, उसका मुद्दा खास क्या है कि जितनी योजना बनती है उससे कम बजट दिया जाता है। उस कारण से वह योजना डिले होती है। इसमें केवल इंजीनियर्स का दोष नहीं है। मेरा निवेदन है कि एफ सी ए और पी पी सी के जो लोग मानिटरिंग करते हैं और एक चार्टेड अकाउंटेंट के नाते सी ई ओ की ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वह जो टेंडर पर साइन करते हैं, एप्रूवल करते हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी है, उसको भी इंगित किया जाना चाहिये।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

जल कर में 10 पैसे प्रति यूनिट आप व्यवसायियों से लें, यह बहुत अधिक है, इसको कम किया जाये और केवल पानी के कनेक्शन वाले व्यवसायी से लिया जाये।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, सब लोग कह रहे हैं, जल दोहन बहुत हो रहा है, जल स्तर घट रहा है, तमिलनाडु में जयललिता जी ने एक बहुत कठोर निर्णय लिया था कि चार साल तक कोई नया कुआ नहीं होगा। ऐसा ही कोई निर्णय राज्य सरकार को लेना पड़ेगा। जब अच्छी बारिश हो जाये उसके बाद में जो ऐसे ब्लाक हैं उसमें तुरन्त प्रभाव से कुए खोदने बंद किये जायें।

आपात राहत निधि में पेयजल हेतु 80 लाख में से 40 लाख रुपये प्रति विधायक कंटिंजेंसी में दिये जायें। पाठशालाओं में शुद्ध जल देने के लिये काम युद्ध स्तर पर किये जायें। गर्मी बढ रही है, बच्चे प्यासे रह जायेंगे। 32 लाख की जलदाय विभाग की पिछले बजट में जो योजना थी, तालाबों की मरम्मत हेतु उसको स्वीकृत किया, उसका क्रियान्वयन किया जाये। कुछ हिस्सों में नहाने-धोने के लिये अतिरिक्त पानी दिया जाता है, उसके योग्य नहीं है या इसकी जांच की जाये। वाटर हार्वेस्टिंग कम्पलसरी किया जाये।

इसी तरह बिजली मंत्रीजी से मेरा निवेदन है, 10 पैसा प्रति 100 यूनिट से ज्यादा वाले शहरी उपभोक्ताओं पर जो लगाया उसको ढाई सौ यूनिट किया जाये। मुझे आशा थी कि कल मुख्य मंत्रीजी इसकी घोषणा करेंगे । फिर मेरा निवेदन है .....

श्री सभापति: श्री शाले मोहम्मद जी। माननीय सदस्य, विराजो। माननीय सदस्य, विराजो।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): एक मिनट, साहब, एक मिनट।

श्री सभापति: आप विराजो, विराजो। अब अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अब आप विराजो। 10 पैसे यूनिट पर आ गये आप। क्या है? श्री शाले मोहम्मद ।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): ×××

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आदरणीय सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

आज बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। पानी, बिजली और अभी पूरे प्रदेश में अकाल की जो स्थिति है, दो दिन से इस पवित्र सदन में यह

(श्री शाले मोहम्मद)

जो चर्चा हो रही है, उसमे सभी माननीय सदस्य यह बात कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में पेयजल के हालात बड़े गम्भीर हैं, इन हालात पर सब चिंता व्यक्त कर रहे थे। इस मौके पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और जलदाय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जल नीति बनाने का निर्णय लिया है। यह कदम मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा कदम है। जब यह जल नीति बनेगी तो मैं समझता हूं कि सभी सदस्य जो बात कह रहे थे कि जल स्तर दिनों दिन घट रहा है, इसके लिये इस प्रकार की कोई नीति बनाकर यदि हम काम करेंगे तभी मैं समझता हूं हम पेयजल की स्थिति पर कुछ कंट्रोल कर पायेंगे।

मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेरा विधान सभा क्षेत्र पोकरण वैसे नहरी क्षेत्र जैसलमेर जिले में है परन्तु जो पोकरण विधान सभा क्षेत्र है उस क्षेत्र में कुछ इलाका नहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, पिछले 6-7 वर्षों से जो हमारे यहां पोकरण में फोरच्यून पेयजल योजना जो लम्बित पड़ी थी, पिछले बजट में प्रथम चरण के रूप में

(समय : 21.00 बजे)

जो हमें मंजूरी दी जिसका काम भी लगभग शुरू हो गया है, पाइप लाइन भी काफी बिछ गई और जो सेकंड फैज है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पेयजल की स्थिति को, जो हालात मेरे विधान सभा क्षेत्र के हैं उस हालात को देखते हुए यदि सेकंड चरण को सही समय पर शुरू नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि इसमें काफी वक्त लग जाएगा, 6-7 वर्ष लग जाएंगे उस योजना को, वहां लाते-लाते। इसलिए जो योजना आपने हाथ में ली है उस योजना को, मैं समझता हूं, समय पर पूरी करें ताकि पोकरण की जनता को उस लिफ्ट योजना का जल्दी से जल्दी वहां के लोगों को लाभ मिल सके।

कुछ योजनाएं और भी हैं, मेरे क्षेत्र में कुछ एरिया ऐसा है जहां पर सिंचित क्षेत्र है, वहां अंडरग्राउंड वाटर भी है, उस एरिया में जो भी योजनाएं बनी हुई हैं चाहे राजमाताय से फलसून की हो, चाहे कलाऊ-पदमपुरा-खुमानसर योजना हो तो ये योजनाएं बहुत पुरानी योजनाएं हो गई है। अभी विभाग ने भी वापस पुनः कलाऊ-पदमपुरा-खुमानसर योजना को स्वीकृति के लिए भेजा है, तो मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इस एरिया में बहुत बड़ा भाग मेरा है और यह बाड़मेर को टच करता हुआ एरिया है, इस एरिया में जो अंडरग्राउंड वाटर है वह पूरा खारा पानी है। इसलिए स्थिति को सुधारने के लिए वहां जरूरी है कि

(श्री शाले मोहम्मद)

पदमपुरा-कलाऊ-खुमानसर योजना है, उस योजना को तुरन्त रूप ये मंजूरी दिलावें वहां का जो काफी एरिया है उन लोगों को इस योजना से अच्छा फायदा मिलेगा।

उसी तरह मैं जो मेरा नोग्राम पंचायत का एरिया है, वह बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, तीन सीमाओं के बीच में आया हुआ है और वहां जोरण का एरिया है वहां भी खारे पानी की स्थिति है। वहां सबसे नजदीक पर जोधपुर लिफ्ट निकल रही है लेकिन उस ग्राम पंचायत को उसका लाभ नहीं मिल रहा। इसलिए मैंने मंत्रीजी से निवेदन भी किया था कि उसको तुरन्त रूप से मंजूरी दे दी जाए। दो करोड़ की यह योजना है और यहां पर करीब 10 गांव हैं, उन 10 गांवों की तकलीफ तुरन्त दूर हो जाएगी इसलिए इस योजना को भी तुरन्त हाथ में लिया जाए।

सबसे बड़ी खुशी की बात है डा. परमनवदीप जी कल कह रही थी कि हमारा जो रेगिस्तानी इलाका है, जो सरस्वती का बीच में सर्वे हुआ था, उसमें बात आई थी कि वहां बहुत बड़े अथाह पानी के भण्डार हैं। वास्तव में पानी के भण्डार अच्छे मिले हैं क्योंकि मेरा जो जालूवाला ग्राम पंचायत का एरिया है वहां पर पहले बिलकुल खारा पानी था, पिछले दो महीने से पहले जो हमने टयूबवैल खुदाई का जीएडी के द्वारा काम हाथ में लिया तो उसमें पानी 600 फीट में मिला। आज वह पानी आटोमेटिक बाहर निकल रहा है। न तो कोई बिजली की जरूरत है, न उसको सींचने की जरूरत है, खुदाई के बाद पानी अपने आप बाहर आ रहा है। पानी के अथाह भण्डार हैं। तो आज नहरी क्षेत्र में काफी किसानों ने वहां टयूबवैल खुदवाये और हर जगह 600 फीट पर पानी आटोमेटिक बाहर आ रहा है। ऊर्जा मंत्री बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि आपने गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर को थ्री फैज कनेक्शन देने की बात कही है, वह कनेक्शन मेरे जैसलमेर जिले में भी लागू करें। वहां के किसान चाहते हैं कि आप थ्री फेज कनेक्शन चाहे फव्वारा सिस्टम से दे रहे हो, लोग भी हमारे बार बार हमसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे यहां भी जो बीकानेर, हनुमानगढ, गंगानगर को थ्री फेज कनेक्शन दे रहे हो वह कनेक्शन जैसलमेर जिले के लिए भी लागू किये जाये ताकि हमारे वहां के किसानों को भी इसका फायदा मिल सके।

इसके अलावा, पूरा सदन चिंतिंत है कि फव्वारा सिस्टम जो हमारे

(श्री शाले मोहम्मद)

कुछ एरिया में, जोशी जी बता रहे थे कि पोकरण लिफ्ट, जयनारायण व्यास के नाम से लिफ्ट है उस लिफ्ट से काफी जगह आपने फव्वारा सिस्टम से भूमि को आबाद करने की बात कही। तो हमारे किसान भी चाहते हैं कि आप हमें इस प्रकार की डिग्गियां दे दें, उन पर अनुदान दे दें। उस अनुदान से डिग्गियों से हम हमारी जमीन को सिंचिंत करेंगे। हमारे किसान यह चाह रहे हैं कि हमें इस प्रकार की डिग्गियां मिलनी चाहिए । कृषि मंत्रीजी भी बैठे हैं, आगे आकर कुछ डिग्गियां आपने दी हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पर हमारा जो क्षेत्रफल है वह बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। पूरे क्षेत्रफल में इन डिग्गियों की बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए आप हर चक में, हर माइनर पर जो भी चक आबादियां हैं उन किसानों की लिस्ट ले लें और जो-जो किसान जो डिग्गियां बनाना चाहते हैं उनको आप डिग्गियां दें। उसमें पानी की भी अच्छी बचत होगी और फव्वारा सिस्टम भी वहां लागू होगा। तो आने वाला समय जैसे हमारे जैसलमेर जिले में काफी लोग पानी की नाली से सिंचाई करते थे, आज 80 प्रतिशत जैसलमेर का किसान है वह फव्वारा पद्धति से सिंचाई कर रहा है। उससे मैं समझता हूं, जल स्तर जो घट रहा है उसमें फर्क पड़ रहा है, नहीं तो एकदम अभी ऐसे हालात खराब हो जाते कि जल स्तर एकदम घट जाता। 10-15 वर्षों से जो फव्वारा पद्धति हमारे किसानों ने शुरू की उससे भी पानी का स्तर सही हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो नहरी क्षेत्र है, हमारी जमीन रेतीली जमीन है जो पानी ज्यादा सोखती है। सुबह जो बात चली कच्ची शाख वाली, कच्ची शाख हर मुरब्बे के टेल पर है। सरकार ने, पिछली सरकार ने यह आदेश किया था कि हम कच्ची शाख को पक्की करेंगे पर कुछ कारणवश नहीं हुआ; कुछ हुआ होगा पर मैं चाहूंगा, ऐसे काम हाथ में लिये जाएं जिससे कि पानी की अच्छी बचत होती है।

तो मैं खास तौर से जलदाय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी हमारे जैसलमेर जिले की योजनाएं यहां पर लम्बित पड़ी हैं, उन योजनाओं को त्वरित रूप से चालू किया जायें क्योंकि पानी सबकी जरूरत है, पहली आवश्यकता पानी की है और काफी योजनाएं जैसलमेर जिले की हैं जो लम्बित पड़ी हुई हैं उनको तुरन्त रूप से आप मंजूरी दिलाएं ताकि वहां की जनता को इसका...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं दो मिनट लूंगा। सबको ज्यादा समय मिल रहा है तो जैसलमेर जिले में हम दो तो विधायक चुनकर आते हैं, हमारी बात नहीं कर पाएंगे तो यहां पर कौन कहेगा?

(श्री शाले मोहम्मद)

इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां पर जो हमने पिछली बार निवेदन किया था, आबियाना की जो वसूली स्थगित की थी पर अभी मैंने ऐसा सुना है कि उस आबियाना का ब्याज माफ कर दिया गया है, अगर ऐसा किया है तो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है, मैं मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा; नहीं तो इस प्रकार का निर्णय लिया जाए क्योंकि अभी जो किसानों की फसलें हुई हैं, दो दिन से किसानों से मेरी बातचीत हुई, वे बता रहे हैं कि 10 बीघे में दस-दस बोरी हो रही है, एक बीघे में चने की बोरी एक हुई है। अब किसान के हालात क्या हो सकते हैं? इस हालात को देखते हुए यदि इस प्रकार का आबियाना शुल्क माफ नहीं करेंगे या उसके ब्याज को माफ नहीं करेंगे तो आपने एक मुश्त किश्त जमा करने की बात कही है, मैं चाहता हूं कि आप किश्तों के रूप में राशि लें क्योंकि एक-एक किसान की इतनी राशि है कि एक-मुश्त में वह राशि भर भी नहीं सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसकी जो राशि है वह किश्तों के रूप में, आप ब्याज माफ कर लें ताकि किसान भी आपको राशि चुका सके, उसका फायदा वह ले सके।

मैं चाहूंगा जो हैंड पम्प कुछ इलाके में दिये हैं, इस प्रकार के हैंड पम्प का इलाका मेरा काफी है, जो ढाणियों में लोग बसे हुए हैं, बिखरी हुई आबादी है, वे लोग चाहते हैं कि हमें हैंड पम्प से पानी मिले। मैं चाहूंगा कि मेरे यहां कोई भी सदस्य हैंड पम्प लेना चाहता है और जहां पर पानी की स्थिति में कन्ट्रोल हो पाता है तो वहां पर हैंड पम्प देने चाहिये। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में काफी ऐसा एरिया है जहां पर हैंड पम्प से पानी का सोलूशन हो सकता है, लोगों को पानी मिल सकता है। तो हैंड पम्प से भी मेरे क्षेत्र में इस प्रकार की ज्यादा स्वीकृति दी जाए ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिल सकें।

मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो जी एल आर हमारी बन गई पानी की और उन जी एल आर में बीस-बीस साल से पानी नहीं गया तो ऐसी जी एल आर अपने आप टूट रही हैं। आपने पैसा लगाया, जी एल आर बनाई, पाइप लाइन बनाई और पानी नहीं गया। तो ऐसी कम से कम 100 जी एल आर मेरे क्षेत्र अकेले में है जहां पर आज तक 20 वर्षों से पानी नहीं गया। ऐसी जी एल आर का आप सर्वे करवाएं। पानी क्यों नहीं गया, यदि पानी नहीं गया तो किस कारण से नहीं गया और उसके लिए वापस आप सर्वे करवाकर उनको किसी भी पानी कनेक्शन से जोड़ें ताकि जिस ढाणी में जी एल आर बनी है वहां के लोगों को उसका फायदा मिल सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करो।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मैं निवेदन करना चाहूंगा ऊर्जा के मामले में कि मंत्रीजी विराजमान हैं, अभी राजीव गांधी विद्युत योजना में मेरे पोकरण क्षेत्र में काफी काम हुआ है। ए टी सी कम्पनी का आपने जो सर्वे दिया उस ए टी सी कम्पनी ने गांव की ढाणियां जो थीं उन ढाणियों को छोड़ दिया। तो मैं चाहूंगा कि जो-जो ढाणियां सर्वे में रह गई, वहां पर कम से कम 50 और 40 घरों की आबादी है या 100 घरों की आबादी है और वास्तव में उस ढाणियों को राजीव गांधी विद्युत योजना से लाभ मिलना चाहिए था, वे किसी कारण से सर्वे की वजह से वंचित रह गई, नहीं जुड पाईं। उन ढाणियों का वापस सर्वे करवाएं ताकि वे लोग भी जो वहां रहने वाले हैं, यदि पास की ढाणी में उजाला हो रहा है और एक पास की ढाणी में अंधेरा है तो यह बहुत ही खराब बात है। मैं चाहूंगा....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): सभापति महोदय, एक मिनट मैं लूंगा। उन ढाणियों का भी आप सर्वे कराएं, उनको भी आप एक बल्ब का उजाला कम से कम दें और हम कोई बात नहीं चाहते।

एक बात सदन में काफी दिनों से सुन रहा हूं, आपकी विजिलेंस कमेटी जो जा रही हैं, वह मैंने व्यक्तिगत भी निवेदन किया था, मेरे क्षेत्र में आपकी विजिलेंस कमेटियां आती हैं वहां पर ट्रांसफार्मर उतार जाती हैं, 9-9 लाख के उन्होंने चालान काटकर दे दिये। अब वह किसान जिसका 9 लाख का चालान कटा है; छोटी सी गलती आपके विभाग के कारण हुई है, वह व्यक्ति गया है, आपके अधिकारी को निवेदन किया कि मेरा मीटर आप चेंज करके दो और आपके विभाग ने मीटर चेंज नहीं किया। उसके बाद में आपकी विजिलेंस कमेटी जाती है और जाकर के वह चालान 9 लाख का काट कर देती है, 9 लाख रुपये भरो आप। जबकि उसकी बात सुनने के लिये वह तैयार भी नहीं है, कोई अधिकारी उसकी बात सुनता ही नहीं है कि यह चालान काटा, किस बात का काटा, किसकी गलती से काटा। कम से कम उनकी बात तो सुननी चाहिए। उनको इतने पावर्स नहीं दिये जाएं कि वे अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकें। तो कम से कम इसमें किसानों को आप बचाओ क्योंकि किसान बड़ा ही गरीब है, यदि 9-9 लाख के चालान कटने शुरू हो जाएंगे तो किसानों के लिये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि यह जो विजिलेंस कमेटी है, इसकी मनमानी पर आप रोक लगायें। यदि वास्तव में कोई चोरी करता है, चोरी करता

(श्री शाले मोहम्मद)

है तो हम कहते हैं, चोरी गलत है और यदि चोरी पकड़ी जाती है, यह बड़ी चोरी हो तो उसके लिये सीमित राशि आप रखो। एक बार दण्डित करो, फिर दूसरी बार इस प्रकार की घटना होती है तो आप मनमर्जी से, जो भी राशि लगाना चाहो वह लगाओ। परन्तु इस प्रकार से वह विजिलेंस कमेटी मनमानी करती है वह बड़ी गलत बात करती है। क्योंकि मेरे एरिये में भी ट्रांसफार्मर उतारने की घटनाएं काफी हो गयीं। मान लो किसी किसान पर बकाया राशि हो तो ट्रांसफार्मर उतारकर ले जाते हैं। अब उसकी गेहूं की फसल खड़ी है यदि आप ट्रांसफार्मर उतारकर ले जाओगे तो उसकी गेहूं की फसल तो पकेगी नहीं। यह बड़ा किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो आप उनसे राशि लो, भले ही किश्तों में राशि भराओ उनसे परन्तु कम से कम ट्रांसफार्मर नहीं उतारो। यदि ट्रांसफार्मर उतार दिया तो पैसे कैसे भरेगा? वह ट्रांसफार्मर उतारकर लेकर चले जाएंगे।

मैं चाहूंगा, हमारे जैसलमेर जिले में पवन ऊर्जा की तरफ काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। अभी जैसे फलौदी क्षेत्र में भी सोलर का, अक्षय ऊर्जा का जो प्रोजेक्ट लगा रहे हो, मैं समझता हूं, बहुत ही अच्छी बात है।

मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ अकाल राहत मंत्रीजी से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जैसलमेर जिले में आपने बहुत ही, एक लाख पशुओं को संरक्षण, चारा डिपो और पशु शिविर खोले हैं और गौ-शालाओं को आप अनुदान देने जा रहे हो। उसमें एक बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रति पशु दर है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट। ऊर्जा मंत्रीजी, यह सही बात कह रहे हैं कि जो विजिलेंस की जो सेटलमेंट की समितियां बनी हुई हैं ना उनमें कोई जन-प्रतिनिधि आप जोड़ दो तो कम से कम जो यह पक्ष, पीड़ित पक्ष है, उसका पक्ष जन-प्रतिनिधि ढंग से रख सकेगा। और जो एक तरफा निर्णय होता है, कम से कम उस पर अंकुश लग सकेगा। इसमें तो आप अगर कर दें तो सुधार हो जाएगा इसमें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, इसका कारण है। 2 प्रतिशत उसको, जो चार्ज है ना उसका 2 प्रतिशत मिलता है।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): कमीशन मिल रहा है। हां, यह सुनने में आया है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): तो 2 प्रतिशत के लोभ में यह सारा गड़बड़ हो रहा है।

श्री सभापति: इसको आप दिखाओ, अगर कुछ सम्भव हो। कोई भी जन-प्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, चाहे और कोई हो।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, आपने जो फरमाया, इसकी काफी कम्प्लेंट्स आ रही हैं और इसमें जो भी फिजिबिलिटी में सम्भव होगा, वह मैं करूंगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): फिजिबिलिटी है, 2 प्रतिशत कम कर दो। (व्यवधान) दो प्रतिशत कल ही बंद कर दो, मेरी गारंटी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: वह सही बात है।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): फिजिबिलिटी में आ गया वह।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वह भी आ गया, वही करो ना। सबसे जरूरी यही है। अब तो लोग भी... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, हो गया, अब समाप्त करो।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): हां, बस लास्ट ही कह रहा हूं। अकाल राहत मंत्रीजी से मेरा यही निवेदन है कि प्रति पशु जो आप दर दे रहे हैं, अभी जो चारा, बहुत रेट हैं उसके, बहुत भारी रेट हैं, और प्रति पशु की दर जो है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कर दें।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): बस, दो मिनट ले रहा हूं, मैं।

श्री सभापति: कुछ नहीं, अब दो-दो मिनट में तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। दो मिनट के बाद आप 8 मिनट बोल चुके हैं।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): जो प्रति पशु दर है वह बहुत ही कम है। मैं चाहूंगा उस दर को भी बढ़ाया जाए और जो आप असहायों को सहायता दे रहे हैं, वह सहायता भी मैं समझता हूं, सभी को मिले। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री अजय सिंह जी।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय सभापति महोदय, आज पेयजल, बिजली और अकाल पर चर्चा है। मैं आपकी अनुमति से बहुत संक्षेप में मेरे विचार प्रकट कर रहा हूं।

जल विकास के लिये अति आवश्यक है। मैं नागौर जिले से हूं। कभी सिंचाई के लिये नहर की आशा करने वाला नागौर जिला आज पीने के पानी

(श्री अजय सिंह)

के लिये तरस रहा है। जब दूर ग्रामीण अंचल में माताएं, बहनें यह कहती हैं कि 'घी ढुले मेरा कुछ नहीं जाता, पानी ढुले तो मेरा जी जल जाता है' तो स्थिति और भी मार्मिक हो जाती है। यह ग्रामीण क्षेत्र में पानी की कमी को दर्शाता है। नागौर जिले में पानी की समस्या को यदि किसी ने हल करने का प्रयास किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वसुंधरा राजे जी के समय 761 करोड़ रुपये... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री अजय सिंह (डेगाना): वसुंधरा राजे जी ने 761 करोड़ से नागौर लिफ्ट योजना शुरू की और 275 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद में यह बड़ा दुर्भाग्य है कि आज नागौर लिफ्ट योजना बंद पड़ी है। मेरा मंत्रीजी से आग्रह है कि योजना को जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं। इस बजट में कोई प्रावधान भी नहीं किया है। इस बारे में भी आप जब उत्तर दें तो हमें अवश्य बतायें कि इसमें कितना बजट आबंटन करेंगे और यह योजना कब शुरू हो जाएगी और कब कार्य हो जाएगा। यदि नागौर लिफ्ट योजना का प्रथम चरण पूरा होता है तो मेरे डेगाना विधान सभा क्षेत्र के 78 गांवों को स्वच्छ, मीठा पानी पीने को मिलेगा।

इसी तरह से मेरे डेगाना विधान सभा क्षेत्र के देवड़ा-मादा-सिराहसना योजना जो कि भारतीय जनता पार्टी के समय में 4 करोड़ की स्वीकृत हुई थी, यह आज तक शुरू नहीं हो पाई है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं और माननीय जल संसाधन मंत्रीजी को भी यह ध्यान में है लेकिन यह अभी तक नहीं हो पाई है, यह बड़ा दुर्भाग्य है। इस बजट का पूरा कार्य हो चुका है। पाइप लाइनें बिछ चुकी हैं, जी.एल.आर. बन चुके हैं, ट्यूबवैल खुद चुके हैं। तो, मंत्रीजी, यह अवश्य बतायें कि यह कब तक हो जाएगी वरना जनता में बहुत आक्रोश है और कभी भी रेल रोको आन्दोलन जैसी घटना हो सकती है।

माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मोटर जलना आम बात है। जो भी पी.एच.ई.डी. के ट्यूबवैल हैं, उनमें मोटर जलना एक आम बात है। यह एक गम्भीर समस्या है। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी पुरानी मोटरें हैं उनको बदला जाए, नई मोटरों को लगाया जाए और कुछ नई मोटरों को रिजर्व में रखा जाए ताकि उनके जलते ही उनको बदल दिया जाए।

(श्री अजय सिंह)

ये मोटरें जलने के बाद में 20-20 दिनों तक नहीं बदली जाती हैं। इस ओर विशेष ध्यान दें।

माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी हैंडपम्प अभी तक नहीं खोदा गया है और जो हैंडपम्प हैं, वे लगभग 80 प्रतिशत अभी भी खराब हैं। तो आपसे आग्रह है कि विशेष अभियान चलाकर उनको ठीक कराया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी केवल दो ट्यूबवैल खोदे गये हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि पानी की समस्या को देखते हुए लगभग 10 ट्यूबवैल मेरे क्षेत्र में खोदे जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 35 जी.एल.आर. पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं और यह पी.एच.ई.डी. विभाग द्वारा बनाये गये हैं। तो मेरा आग्रह है मंत्री महोदय से कि इनको शीघ्र वापस दुरुस्त किया जाए अथवा नये बनाए जाएं।

माननीय सभापति महोदय, डेगाना उप-खण्ड मुख्यालय है। यहां पर जो पाइप लाइन पानी की डाली गई हैं वे बहुत पुरानी हैं। अतः नई पाइप लाइनें डाली जाएं ताकि इनका लीकेज रुक सके। इसी तरह सांजू से डेगाना की जो पाइप लाइन है वह भी बहुत काफी समय की पुरानी है और सीमेंट की है। इसको भी नई डाली जाए ताकि पानी का लीकेज रुके और जनता को राहत मिल सके।

माननीय मंत्री महोदय को मैं एक और आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के अन्दर 3 जे.ईएन. और एक ए.ईएन. के पद खाली हैं और लगातार आपसे आग्रह करने के बाद में भी खाली हैं। जब ये तीन पद खाली हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह का पी.एच.ई.डी. विभाग द्वारा काम किया जा रहा है।

माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि पी.एच.ई.डी. विभाग द्वारा जो ट्यूबवैल खोदे जाते हैं या विधायक कोष से जो ट्यूबवैल खोदे जाते हैं, उन पर जब विद्युत कनेक्शन लिया जाता है तो उन पर कामर्शियल दर से ऊर्जा विभाग द्वारा राशि वसूल की जाती है जबकि यह कार्य, यह जो पानी पीते हैं, यह आम जन पानी पीता है। एक तरह से घरेलू कनेक्शन के आधार पर इसकी राशि ली जानी चाहिए। तो मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें।

ऊर्जा मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि डेगाना में 132 के.वी.ए. का

(श्री अजय सिंह)

जी.एस.एस. बनाने की मांग काफी समय से है और उप-खण्ड मुख्यालय होते हुए भी आज तक यहां पर 132 के.वी.ए. का जी.एस.एस. नहीं बनाया गया है। अतः मांग को देखते हुए यहां शीघ्र 132 के.वी.ए. का जी.एस.एस. बनाया जाए।

इसी तरह से भेरुन्दा एक कस्बा है मेरे विधान सभा क्षेत्र में, यहां पर 132 के.वी.ए. का जी.एस.एस. बना हुआ है लेकिन इनके गांवों को, इसके अधीन आने वाले गांवों को अजमेर से जोड़ा गया है। तो इसमें मेरा आग्रह है कि अघोषित विद्युत कटौती को ध्यान में रखते हुए यह मेड़ता जो कि 400 के.वी.ए. का जी.एस.एस. है वहां पर, तो उनको उसी जिले में उससे जोड़ दिया जाए।

माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि कुचेरा 33 के.वी.ए. सब स्टेशन से नीमड़ी चंदावात लाइन जा रही है। इस लाइन से वर्तमान में 3 सब स्टेशन जुड़े हुए हैं और फसलों का जब सीजन होता है तो सीजन में ओवरलोड होने के कारण बार-बार ट्रिप हो जाती है। अतः तीनों सब-स्टेशनों के लिये अलग-अलग लाइनें जोड़ी जाएं। इसी प्रकार भूटाटी एक बड़ा कस्बा और धार्मिक स्थल है। अतः इसके लिये भी 33 के.वी.ए. की अलग लाइन डाली जानी चाहिए। अभी इस लाइन पर भी 3 सब-स्टेशन हैं।

अंत में, सभापतिजी, चारे की मेरे विधान सभा क्षेत्र में भारी कमी है और चारे की कमी को देखते हुए मेरा सरकार से आग्रह है कि गौशाला को जो अनुदान दिया जाता है वह समय पर दिया जाए, चारा डिपो की सहायता राशि बढ़ाई जाए और हर ग्राम पंचायत हैड-क्वार्टर पर एक चारा डिपो खोला जाए। वर्तमान में मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पशुपालक हैं, वे मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से चारा ला रहे हैं लेकिन जब वे चारा लेकर यहां आते हैं राजस्थान बोर्डर पर तो राजस्थान में पुलिस विभाग द्वारा और परिवहन विभाग द्वारा उनको तंग किया जाता है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि उनके परिवहन को आराम से होने दिया जाए और किसी तरह से उनसे चौथवसूली अथवा उनको तंग नहीं किया जाए। इसके अलावा मेरा यह सुझाव है कि यदि राजस्थान में आने वाले समय को देखते हुए चारे की भारी कमी होगी तो सरकार को यह चाहिए कि राजस्थान से बाहर चारे को नहीं जाने दिया जाए और उस पर रोक लगाई जाए।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती गंगा बेन गरासिया।

श्रीमती गंगा बेन गरासिया (पिण्डवाड़ा आबू): माननीय सभापति महोदय, आज पेयजल, बिजली और अकाल, ये महत्वपूर्ण विषय हैं, इन पर मैं चर्चा करना चाहती हूं। पानी की अधिक किल्लत है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति दूसरे विधान सभा क्षेत्रों से अलग है। ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ है। मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है इसमें कम से कम 50 परसेंट आदिवासी भाई लोग रहते हैं और अलग अलग ढाणियों में बसे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, कई ढणियां ऐसी हैं कि उनमें हैंड पम्प खोदना, हैंड पम्प खोदने की गाड़ी बड़ी होती है तो वह गाड़ी कच्ची सड़कें होने की वजह से वहां नहीं जा सकती है तो मैं जलदाय मंत्रीजी से यह भी कहना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पुरानी बावड़ियों तथा पुराने सार्वजनिक कुएं गहरे कराने के लिए जलदाय विभाग को पाबंद किया जाए ताकि वहां की जनता को पानी मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, कई ऐसे गांव हैं जहां फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। तो मैं मंत्रीजी को अवगत करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पी.एच.ई.डी. विभाग की कोई ऐसी योजना बनायें ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ पानी नसीब हो सके। माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को निवेदन करती हूं कि बजट में भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में विशेष कोई घोषणा नहीं की, कम से कम पानी की तो विशेष घोषणा करें ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को पानी मिल सके। जलदाय मंत्रीजी से मैं अनुरोध करती हूं कि कम से कम मेरा अनुरोध स्वीकार करते हुए मेरी जनता को कम से कम फ्लोराइड मुक्त पानी पिलाने का अनुरोध करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में माउंट आबू आता है जो कि एक पर्यटक स्थल है। सालाना 18 हजार ट्यूरिस्ट आते हैं, प्रति वर्ष एक करोड़ की रेवेन्यू सरकार को मिलती है। माननीय सभापति महोदय, माउंट आबू में सालगांव परियोजना काफी सालों से लम्बित है। कई सरकारें आयीं और कई सरकारें गयीं, कई सरकारों ने घोषणा की परन्तु इस योजना की आज तक क्रियान्विति नहीं हुई। यह परियोजना केन्द्र प्रवर्तित योजना में, बजट भाषण में सुना है, सालगांव परियोजना इस वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल करें ताकि माउंट आबू वासियों तथा देशी-विदेशी पर्यटकों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके।

(श्रीमती गंगा बेन गरासिया)

माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि पहाड़ी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा छोटे डैम, एनिकट और बांध बनाये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बिजली पर भी सुझाव रखना चाहती हूं। 2000 में अपनी कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी किसानों के कुएं सूख गये थे। उस समय किसानों के स्थाई तौर पर कनेक्शन काटे गये थे, लेकिन बरसात होने पर वे जोड़े जाएं ताकि किसानों को मिनिमम चार्ज नहीं लगे। माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि किसान भाइयों के कुएं सूखने पर उसी खसरे में ट्यूबवैल खोदा गया है। तो प्राथमिकता से कनेक्शन की मांग करती हूं और प्राथमिकता से कनेक्शन दिया जाए ताकि किसान मवेशियों के चारे के लिए, कम से कम चारा तो उगा सकें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र में नितोड़ा ग्राम पंचायत के पास 33 के.वी. जी.एस.एस. और रोहड़ा के पास 33 के.वी. जी.एस.एस. की मांग करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, अकाल पर भी मेरे विचार रखना चाहती हूं कि हमारा जिला सिरोही अकालग्रस्त घोषित है, इसलिए कम से कम दो ग्राम पंचायतों के बीच में एक चारा डिपो खोला जाए ताकि वहां के किसान भाइयों को चारा उपलब्ध हो सके। उसमें नरेगा के अलावा भी अकाल राहत के काम खुलवाये जाएं तो वहां की जनता को काम मिले। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में इस बार भयंकर अकाल है। बड़े अफसोस की बात है कि अकाल की स्थिति को देखते हुए सरकार गम्भीर नहीं है। अगर सरकार राजस्थान के काश्तकारों के पशुधन और जनता के प्रति गम्भीर होती तो निश्चित तौर से चारे, पानी व बिजली की मूलभूत समस्याओं से इस राजस्थान की जनता को निजात मिलती।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में करोड़ों रुपये की योजनाएं स्वीकृत कीं। जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने जा रहे हैं, जोधपुर में करोड़ों रुपये के डवलपमेंट की घोषणाएं कीं, और कई जिले ऐसे हैं जिन्हें सर्व सम्पन्न होते हुए भी उन्हें और मजबूत बनाने का प्रयास किया लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे पाली जिले और विशेष तौर से सोजत विधान सभा क्षेत्र को एक कोरे कागज की तरह रखा।

(श्रीमती संजना आगरी)

मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत में पेयजल की भयंकर समस्या है। पेयजल का स्थाई स्रोत नहीं है। कुओं, तालाबों और बावड़ियों का पानी सूख गया है। पानी की भयंकर किल्लत है और वहां 2200 से 2700 टी.डी.एस. का फ्लोराइडयुक्त खारा पानी सोजत क्षेत्र की जनता आज पी रही है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक मानव को स्वस्थ रहने के लिए 200 टी.डी.एस. के पानी की सख्त जरूरत होती है। सोजत क्षेत्र के लोगों की पेयजल की समस्या के समाधान के लिए पूर्व में पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े पेयजल स्रोत जवाई बांध से जवाई से जैतारण तक 634.79 करोड़ रुपये की एक पेयजल योजना स्वीकृत की गयी थी। उक्त योजना में से जवाई से पाली तक पेयजल पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। योजना के चौथे पैकेज में पाली से रोहट और पाली से सोजत तक पाइप लाइन बिछाने का प्रावधान था। पाली से रोहट 30 किलोमीटर की पाइप लाइन बिछा दी गयी है लेकिन पाली से सोजत 40 किलोमीटर जो चौथा पैकेज के अन्दर मैंने वित्तीय स्वीकृति, पहले भी बजट के अन्दर प्रावधान किया था और माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग की थी लेकिन इस छोटे से टुकड़े को अनदेखा किया गया है। यह बड़े दु:ख की बात है। मैं जानती हूं कि अनदेखा नहीं किया होगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी पर पूरे राजस्थान की जनता का बोदरेशन है, भार है लेकिन मैं इस बजट में वापस, इस बजट में घोषणा करना शायद भूल गये होंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को वापस अवगत कराना चाहती हूं और विशेष तौर से निवेदन करती हूं कि सोजत क्षेत्रवासियों की निगाहें जो अटकी रह गयी हैं और उनकी आंखों की जो प्यास है, वह अभी तक बुझी नहीं है, अधूरी की अधूरी रह गयी है। निश्चित तौर से मुझे यह विश्वास है और मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि पाली से सोजत तक चौथे पैकेज-पांचवे पैकेज तक जो करोड़ों रुपये का इंवेस्टमेंट किया है, तो इस एक पैकेज को आपने नजरअंदाज नहीं किया होगा और मुझे विश्वास है आप इस कार्य को जरूर पूरा करेंगे। तो मेरा निवेदन है, पाली से सोजत 40 किलोमीटर पेयजल लाइन बिछाने हेतु आप जरूर घोषणा करें।

माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा यह भी निवेदन है कि किसी समय में पाली जिले का जो डैम है, वह जोधपुर के लिये वरदान सिद्ध हुआ करता था। आज जोधपुर के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी है और पानी का घरों के अन्दर रिसाव हो रहा है जबकि हमारा पाली जिला पानी के लिये तरस रहा है। विशेष

(श्रीमती संजना आगरी)

तौर से सोजत के अन्दर 2200 से 2700 टी.डी.एस. का जनता पानी पी रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह भी निवेदन है कि आप जोधपुर से रोहिट होते हुए सरदारसमंद से अगर ऐसी कोई योजना बनायें कि आपका यह जो पानी वेस्ट हो रहा है, यह पानी रोहिट होते हुए सरदारसमंद से अगर सोजत के लिये नई योजना बनाकर इसको आप जोड़ेंगे, क्योंकि जवाई का स्टोरेज भी कम है और निश्चित तौर पर पालीवासियों को भी पानी की भयंकर किल्लत होती है, क्योंकि वहां स्टोरेज कम है और पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है। अगर आप पाली से रोहिट होते हुए सोजत को जोड़ेंगे तो सोजत की जनता आपकी आजीवन कर्जदार रहेगी।

माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि सोजत विधान सभा क्षेत्र के पश्चिम में रायपुर की 13 पंचायतों और मगरा क्षेत्र में पानी की भयंकर किल्लत है। आपसे निवेदन है कि पेयजल समस्या से निजात के लिये कंटिंजेंसी व्यवस्था के अन्दर आप 50 से 60 हैंड पम्प और आवश्यकतानुसार ट्यूबवैलों का प्रावधान करेंगे तो इस पेयजल समस्या का समाधान हो सकता है। कंटिंजेंसी के अन्दर एक परेशानी यह भी रहती है कि आप जब करोड़ों रुपये का इंवेस्ट करते हैं और हमारी कांस्टि्टयूएंसी के अन्दर कितना पैसा अकाल राहत में आता है, अधिकारी लोग उसका मनमर्जी से यूज करते हैं। अपने एक्स.ईएन. होते हैं, एस.डी.एम. होते हैं, तहसीलदार होते हैं, कमेटी के मेम्बर होते हैं, यह गली-गली और गांव में घूमते हैं, क्या इनको ध्यान में रहता है कि यह समस्या है? आपसे यह निवेदन है कि कंटिंजेंसी प्लान के अन्दर जो कमेटी बनती है, इसके अन्दर जन-प्रतिनिधियों को भी इंवाल्व करेंगे तो इन पैसों का मिस-यूज नहीं होगा और इन पैसों का पूरा-पूरा उपयोग होगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है और मंत्रीजी को मैं निवेदन करती हूं कि पेयजल हेतु वर्ष 2010-11 में राज्य योजना मद में 1,231 करोड़ रुपये और सी.एस.एस. मद में राज्य बजट के माध्यम से 284 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिससे अनुसूचित जाति की बस्तियों में और ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। आपसे निवेदन है कि सोजत शहर स्थित गाड़िया लुहार कालोनी व अन्य अनुसूचित जाति की बस्तियों में योजना के तहत पाइप लाइन बिछाकर पेयजल की आप व्यवस्था करावें। माननीय मंत्री

(श्रीमती संजना आगरी)

महोदय जी से मेरा निवेदन है कि पाली से सोजत तक और जोधपुर से सोजत तक, दोनों में से एक पाइप लाइन की जरूर आप घोषणा करेंगे, यह मुझे विश्वास है।

मेरा विशेष निवेदन है कि जब तक पाइप लाइन का कार्य पूरा हो, अकाल की भयंकर स्थिति है तो हमारे सोजत रोड के अन्दर पहले भी वाटर ट्रेन की व्यवस्था थी, आपसे निवेदन है कि अकाल की इस भयंकर स्थिति के अन्दर पूरे सोजत विधान सभा क्षेत्र में पानी का स्थाई समाधान नहीं है तो सोजत रोड के लिये वाटर ट्रेन शुरू करवायें और जो हैंड पम्प खराब पड़े हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उन्हें शीघ्र ठीक करायें। मगरे क्षेत्र में स्थित सभी विद्यालयों हेतु पानी की पर्याप्त व्यवस्था करावें, नहरा बेड़ा और लोहार कालोनी के अन्दर पाइप लाइन बिछायी जाये, ढाणियों में टैंकरों के द्वारा पानी भिजवाया जाये और मूक पशुओं के लिये आप अलग से पानी की व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, चारे के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल 50 पंचायतें हैं, उन 50 पंचायतों में से 25 ग्रामीण क्षेत्र में और 2 सोजत शहर में चारा डिपो खोले गये हैं। इनमें से 10 चारा डिपो ऐसे हैं जो चल रहे थे और आज भी उनका अनुदान पूरा बाकी है। इनमें राम गौ सेवा संस्थान है, सनातन धर्म ट्रस्ट है। ये इतने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं जो चारा डिपो चला रहे हैं। हमारा जो सनातन धर्म ट्रस्ट है, 5 लाख 50 हजार के अनुदान में से मात्र 69 हजार रुपया उनको अनुदान राशि दी गयी है। ऐसे हालात के अन्दर ये जो ट्रस्ट चला रहे हैं, ये भी अपने ट्रस्ट को चलाने के लिये, डिपो चलाने के लिये असहाय होते जा रहे हैं। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार स्वयं पड़ोसी राज्यों से चारा खरीदकर हरेक ग्राम पंचायतों को स्वयं उपलब्ध करायें। गौ-शालाओं को रियायती दर पर चारा उपलब्ध करायेंगे तो निश्चित तौर से इस पशुधन को बचाया जा सकेगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत के अन्दर जिन चारा डिपो का अनुदान बकाया है, उनका मैं बताना चाहती हूं आप चाहे तो मैं टेबल भी कर दूंगी। यह हैं सियाद, चौपड़ा, भैंसाणा, अटपड़ा, रूपावास, मेव, सोजत नगर, वासना, रेपड़ावास ..(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, यह लिस्ट आप अलग से दे देना। अब आप सम-अप करो।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापतिजी, ये दस ऐसे ट्रस्ट हैं, जो चल रहे हैं और जिनका अनुदान बाकी है। इनमें से तीन ऐसे हैं जिन्होंने शुरू किया और पैसा नहीं मिला है। इनके अलावा 17 डिपो ऐसे हैं, जो मात्र कागजों के अन्दर खुले हुए हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि यदि इसकी व्यवस्था आप सुचारु रूप से करेंगे तो इस पशुधन को बचाया जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय, सम-अप करो आप।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): सभापति महोदय, दो मिनट बिजली के ऊपर भी कहना चाहूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में विश्नोइयों की ढाणी, राजोलाकलां, भंवरभाटा, पोकरिया नाड़ी, समदड़िया, गुडाकलां सहित कई ढाणियों में विद्युतिकरण के नाम पर दो वर्षों से पोल खड़े कर दिये हैं। उन ग्रामीण इलाके के लोगों को न तो कनेक्शन दिये गये हैं और जहां पर केबल की व्यवस्था हुई है, वहां पर उन लोगों को कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। कई जगह कनेक्शन देने के बावजूद भी मीटर आज तक भी नहीं लगाये गये हैं और प्रशासन से जब पूछताछ की जाती है तो उनका यह जवाब होता है कि हमारे पास मीटर नहीं है, हमारे पास यह नहीं है, यह व्यवस्था हमसे नहीं होगी। तो आपसे निवेदन है कि आप जरूर इनकी समस्या का समाधान करें। सोजत क्षेत्र में बी.पी.एल. परिवारों के विद्युत कनेक्शन की फाइलें भी काफी समय से पेंडिंग चल रही हैं। इन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन उपलब्ध कराये जायें।

राजस्थान में अकाल को देखते हुए कुओं के अन्दर इस बार बहुत कम पानी है। किसानों द्वारा मोटर कुछ समय ही काम में ली जा रही है, परन्तु उन्हें औसत दर से बिजली के बिल का भुगतान करना पड़ रहा है जिसके कारण किसानों के हालात खराब होते जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि कुओं में पानी की कमी को देखते हुए किसानों द्वारा उपभोग में ली जा रही बिजली राशि ही वसूली जाये, एवरेज राशि नहीं ली जावे। बिजली के मीटर खराब होने पर तुरन्त परिवर्तन कर नये मीटर लगाये जावें।

क्षेत्र के कई मामले ऐसे हैं जिनमें डिमांड नोटिस की राशि भरने के बाद भी, मैंने आपको बताया कि उनके आज दिन तक मीटर नहीं लगाये गये

(श्रीमती संजना आगरी)

हैं। माननीय मंत्री महोदय जी, मेरा आपसे निवेदन है, जो दो साल से लम्बित पड़े हैं और वहां पोल खड़े हैं, उनके लिये मीटर की तुरन्त व्यवस्था करवाकर तुरन्त प्रभाव से गांव और ढाणी वालों को कनेक्शन देंगे तो निश्चित तौर से गांव और ढाणियों के अन्दर प्रकाश की किरण फैल जायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक निवेदन और है कि गांवों के अन्दर सिंगल फेस की जो मोटरें होती हैं, इसका भी आप सुचारु रूप से रखें तो व्यवस्था बनी रहेगी।

माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूं और पुरजोर मांग करती हूं कि चारे, पानी और बिजली पर जब आप अपना वक्तव्य दें तो मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र की जो 40 किलोमीटर की पाइप लाइन है, इसकी भी आप जरूर घोषणा करें। इसके साथ मैं आपको समय देने के लिये धन्यवाद देती हूं।

श्री सभापति: श्रीमती सज्जन कटारा।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मुझे आज सदन में पेयजल, बिजली एवं अकाल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं।

हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है। 80 करोड़ रुपये आपदा प्रबन्ध में प्रावधान किये हैं मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने, आभार व्यक्त करती हूं। हमें विश्वास है कि इस घड़ी में पानी की जो समस्या आई है पूरे प्रदेश के अन्दर, निश्चित रूप से जल्दी ही मुख्य मंत्रीजी इसका निवारण करेंगे, वे बहुत ही संवेदनशील हैं।

सभापति महोदय, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की पेयजल समस्या के बारे में बोलना चाहूंगी कि निरन्तर बारिश की कमी की वजह से इलाके में पानी की कमी बनी हुई है और इलाका तेजी से सूखता जा रहा है, जल स्तर नीचे जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मानसी वाकल पाइप लाइन से नान्देश्वर फिल्टर प्लांट जो बना हुआ है, पंचायत ने इस फिल्टर प्लांट के लिए करीब साठ बीघा जमीन अलाट की थी और उस समय यह विश्वास दिया गया था कि स्थानीय लोगों को इस फिल्टर प्लांट से पानी मुहैया कराया जाएगा लेकिन कराया नहीं गया है। मैं

(श्रीमती सज्जना कटारा)

मंत्रीजी से मांग करूंगी कि मेरे इलाके में नाई, नान्देश्वर, मोरा, कमली और चौकड़िया में तथा इस पाइप लाइन से गुजरने वाले गांवों में पानी मुहैया कराया जाए। यह मैं माननीय मंत्रीजी से मांग करती हूं।

मेरे इलाके में जयसमन्द योजना की पाइप लाइन आ रही है और लम्बे समय से मेरे इलाके के अन्दर डाकन कोटड़ा, धोल की पाटी, अम्बा माता घाटी, आदि गांवों में पानी की बहुत ही समस्या है। दिनांक 19.02 को मुख्य मंत्रीजी दौरे के दौरान इन गांवों से गुजरे थे और वहां पर रुके थे, तब अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि इस इलाके में जल्दी से जल्दी पानी उपलब्ध कराया जाए लेकिन अभी तक प्रबन्ध नहीं हुआ है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि जयसमन्द से मेरे इलाके के अन्दर जो गांव आ रहे हैं उनको इस पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाए। यह मैं आपसे मांग करती हूं।

सभापति महोदय, मेरे इलाके में आर एस एम एम झामर कोटड़ा कार्यरत है और इस इलाके में लम्बे समय से खनन का काम हो रहा है। खनन की वजह से यहां पर जो ट्यूबवैल खोदे गये हैं, वे 600 मीटर के करीब नीचे खोदे गये हैं। इस वजह से इस इलाके में पानी की भारी समस्या उत्पन्न हो गयी है। मैं मांग करती हूं और मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि झामर कोटड़ा और आसपास के इलाके में पानी को उपलब्ध कराने के लिए आर एस एम एम को निर्देशित करें और उनको पाबन्द करें कि इस इलाके में पानी का जल्दी जल्दी प्रबन्ध करायें ताकि इलाके के लोगों को राहत मिल सके।

मेरे इलाके के अन्दर जो देवास योजना चल रही है, मैं मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार का आभार व्यक्त करती हूं कि चाहे मानसी वाकल योजना हो, जयसमन्द योजना हो, झामरी डैम योजना हो और चाहे बड़ी तालाब का पानी हो, इन योजनाओं के माध्यम से उदयपुर शहर को पानी बहुत अच्छा उपलब्ध कराया जा रहा है। उदयपुर शहर में पीने के पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन देवास योजना, जहां से यह गुजर रही है वहां मांदडी डैम और आकोदड़ा डैम बन रहे हैं लेकिन वे अभी अकाल की वजह से खाली हैं, पानी नहीं है, मिट्टी उड़ रही है वहां लेकिन योजना चल रही है। मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं कि योजना को पूरा करने के लिए उन्होंने इस वर्ष

(श्रीमती सज्जन कटारा)

अपने बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जल्दी ही यह योजना हमारे समय में ही बनकर पूरी होगी और उदयपुर शहर और आसपास के इलाकों में पानी मुहैया होगा इस योजना के माध्यम से। लेकिन उन गांवों में जहां से यह लाइन गुजर रही है, काफी गहरी होने की वजह से डोड़ावली, बच्छार, करनाली, पिपलिया, रायता, आदि गांवों के पानी का जल स्तर बहुत ही नीचे चला गया है, इस वजह से यहां पर पानी की गम्भीर समस्या खड़ी हो गयी है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि इस इलाके में स्थायी पानी की व्यवस्था कर इस इलाके में राहत दिलाने का काम करें।

इसी तरह से मेरे इलाके में भुवाना क्षेत्र में चित्रकूट नगर में पाइप लाइन और पानी की लम्बे समय से एक योजना लम्बित पड़ी हुई है। यू आई टी द्वारा पैसे भी पी एच ई डी को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं लेकिन अभी तक यह योजना पूरी नहीं हुई है। तो आसपास के इलाके चित्रकूट नगर और रूप नगर में पानी की भयंकर समस्या हो रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि यह योजना मंत्रीजी जल्दी से जल्दी पूरी करायें ताकि इलाके के लोगों को राहत मिल सके।

इसी तरह से मेरा इलाका पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर सड़कों का अभाव है, हैंड पम्प नहीं खोदे जा सकते, व्हीकल नहीं जा सकता है। ऐसे क्षेत्र के अन्दर पानी के जो परम्परागत स्रोत हैं, कुएं, बावडी, बांध और नाले, आदि बनाकर यहां पर पानी को रोककर इन लोगों को पानी मुहैया कराया जाए, यह मैं निवेदन करना चाहती हूं मंत्रीजी से।

सभापति महोदय, बिजली के मामले में मैं कहना चाहती हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, आदिवासी लोग निवास करते हैं लेकिन अधिकांश गांवों में आज भी बिजली नहीं है। वर्तमान में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत काफी समय पूर्व पोल डाल दिये गये हैं। एक वीनस कम्पनी के माध्यम से ठेकेदारों के माध्यम से काम कराये जा रहे हैं और पोल लम्बे समय से वहां डाले हुए हैं लेकिन विद्युत कनेक्शन अभी तक पूरे नहीं किये गये हैं। मेरा ऊर्जा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी विद्युत कनेक्शन करवाकर इस इलाके में रोशनी उपलब्ध करायें, यह मैं कहना चाहती हूं।

इसी तरह से मेरा इलाका आधा शहरी क्षेत्र है। मेरे इलाके के अन्दर

(श्रीमती सज्जन कटारा)

जैसे सेक्टर नम्बर 14, सेक्टर नम्बर 13, सेक्टर नम्बर 7, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, गोरधन विलास, पालड़ी और बड़गांव के अन्दर जहां पर बस्तियां हैं, उन बस्तियों के ऊपर से हाई पावर लाइनें गुजर रही हैं। इससे पूर्व भी काफी जन-धन की हानि हुई है और अभी भी इसकी सम्भावना है। कई बार घटनाएं घट चुकी हैं। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि यहां पर लाइनें बदलकर और जगह शिफ्ट करायें, यह मैं निवेदन करना चाहती हूं।

सभापति महोदय, इसी तरह से मैं अकाल के बारे में बोलना चाह रही हूं। नरेगा के अन्दर जो मजदूर काम कर रहे हैं, एक राशन कार्ड के अन्दर एक मजदूर को लेने का प्रावधान किया है। हमारा उदयपुर जिला अकाल ग्रस्त घोषित है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अकाल राहत के माध्यम से कार्य खोले जाएं और इन लोगों को रोजगार दिया जाए। हमारी सरकार जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करेगी, यह मेरे को आशा है।

इसी तरह पशु चारा डिपो के लिए पूरी योजना हमारे इलाके में बना दी गयी है और समय पर इस योजना को पूरा करवा दिया जाएगा। चारा डिपो भी खोलने का प्रावधान कर दिया है। पानी की व्यवस्था भी टैंकरों से कर दी है, जल्दी से जल्दी इसको पूरा करवा दिया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि मेरे इलाके के अन्दर जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर कच्ची बस्तियां हैं। कच्ची बस्तियों में गरीब लोग रहते हैं, उनको भी सस्ती दर पर गेहूं दिलाकर राहत प्रदान करें। यह मैं अकाल राहत मंत्रीजी से कहना चाहती हूं।

सभापति महोदय, पानी के मामले में आप जल्दी से जल्दी हमारे इलाके में सारी सुविधाएं उपलब्ध करायें, इसी आशा के साथ मैं मेरी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची के समाप्त होने तक बढ़ाया जाए।

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्यसूची के समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

राज्य में अकाल, पेयजल एवं बिजली की स्थिति पर विचार

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): माननीय सभापति महोदय, कल से और आज जो गम्भीर विषय हैं, पानी, अकाल और बिजली पर चर्चा हो रही है उसमें मैं भी हिस्सा ले रही हूं। सभापतिजी, स्कूल में हमने कविता पढ़ी थी, 'मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी।' लेकिन आज की स्थिति में इन्सानों की हालत मछली से भी गयी बीती होती जा रही है।'

मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, चाकसू विधान सभा क्षेत्र पूरा फ्लोराइड युक्त पानी से ग्रसित है, पूरे क्षेत्र में खारा पानी है जिसको कि चाकसू की जनता पीने के लिए मजबूर हो रही है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि यह खारा पानी भी नसीब नहीं होगा। मैंने पिछली बार भी मंत्रीजी से निवेदन किया था कि जो बीसलपुर का पानी है वह जयपुर तक तो आ गया और आस-पास के क्षेत्र को मिल रहा है लेकिन चाकसू विधान सभा क्षेत्र, जिसके पास से यह लाइन जा रही है उसको यह पानी क्यों नहीं मिल रहा? जबकि पूरा चाकसू विधान सभा क्षेत्र खारा पानी पीने को मजबूर हो रहा है। जब मैंने क्वेश्चन में पूछा तो मुझे उत्तर आया, पहले तो मेरे को उत्तर दिया कि सिंचाई के लिए चाकसू विधान सभा क्षेत्र को यह पानी उपलब्ध नहीं होगा। चलो, ठीक है, मान लिया कि सिंचाई के लिए मत दो लेकिन मैं पूछती हूं यह पीने का पानी, जो जनता त्राहि-त्राहि कर रही है पानी के लिए, वह पीने का पानी कब देंगे? जब आधे से ज्यादा जनता प्यासी मर जायेगी तब? खारा पानी पी-पी कर उनकी हालत यह हो रही है कि दांत पीले और जो एक न्यू बोर्न बेबी होता है उसको शुरू से ही कुछ न कुछ बीमारी की शिकायत हो जाती है और 18-19 साल तक वह बच्चा कूबड़ की तरह हो जाता है। ऐसी हालत है चाकसू विधान सभा क्षेत्र की। इसके बावजूद भी चाकसू विधान सभा क्षेत्र को बीसलपुर का पानी नहीं दिया जा रहा। यह भेदभाव क्यों? एक गाना है – 'पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो मिले उस जैसा, लगे उस जैसा', लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार में यह पानी मिल गया है और यह भी कांग्रेसी विचार का हो गया पानी जो भेदभाव करने पर तुल रहा है। और तो और, जब भी यह कांग्रेस सरकार आती है तो बरसात ही नहीं है और अकाल पड़ता है। मैं तो यह कहती हूं मुख्य मंत्रीजी से कि अकाल पड़ रहा है और आने वाला टाइम अब

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

जो बरसात का आयेगा तो भी बरसात नहीं होगी। उससे पहले हवन, यज्ञ, पूजा पाठ शुरू करा दीजिए कम से कम जो बीच में एक-दो महीने का गैप है उसमें, उससे यह जो भगवान है, मेघराज जी हैं, मेघ देवता जी हैं वे खुश होकर बरसात तो करेंगे। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि बीसलपुर का पानी चाकसू विधान सभा क्षेत्र को क्यों नहीं मिल रहा?

दूसरे सवाल के जवाब में दिया था कि चाकसू तहसील को 238 और फागी के जो हैं उसमें 84, कुल मिलाकर 322 गांवों को सम्मिलित किया गया। सम्मिलित तो कर दिया, फिर मैं यह कहूंगी कि आप घोषणा तो कर देते हैं लेकिन क्रियान्वित नहीं करते। आपने मुझे क्वेश्चन में लिख दिया कि इतने गांव आपके सम्मिलित हैं पर वह पानी मिलेगा कब? कब चाकसू विधान सभा क्षेत्र की जनता वह पानी पियेगी?

तो इसके लिए आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप हमारे चाकसू विधान सभा क्षेत्र को पानी दीजिए, नहीं तो मुझे धरना देना पड़ेगा, अनशन करना पड़ेगा क्योंकि जब भी मैं क्षेत्र में जाती हूं तो जनता मुझसे यही पूछती है कि मैडम, बीसलपुर का पानी कब हमारे पास आयेगा, कब हमें मीठा पानी नसीब होगा? जयपुर की हालत यह है कि जयपुर में बीसलपुर का पानी आ गया है लेकिन आप कहते हैं कि जल बचाओ, मैं यह कहती हूं कि आप एक बार विधायक नगर पश्चिम में आकर जरा देखिये कि जल कैसे बचता है। एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं है जिनमें बीसलपुर के पानी का प्रेशर आता है जहां टंकियों में से कम से कम एक-दो घंटे तक पानी नहीं गिरता रहता। अब आप सोचिये कि कितना पानी वेस्ट होता है। एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं है जिसमें से पानी नहीं गिरता हो। पूरी दीवार सीलन से भरी हुई है। आप एक बार दौरा कीजिए विधायक नगर पश्चिम का तो पता चलेगा। ...(व्यवधान) सभापतिजी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सत्ता में हैं वे।

श्री सभापति: मैंने तो नहीं देखा, माननीय सदस्या, मैं भी पश्चिम में ही रहता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): कमाल है, आपको पता ही नहीं इसका। मतलब आप बाहर निकल कर नहीं देखते, कमरे में ही रहते हैं।

श्री सभापति: चलो, चलो।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): तो बीसलपुर के पानी की यह

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

हालत हो रही है। ऐसे यहां पर कितने लीटर पानी व्यर्थ बहता है? बार-बार ए.ईएन. को बोला जाता है कि उसमें बाल लगा दो, इसका कुछ तो करो लेकिन वह मिस्त्री आता है और देख कर चला जाता है कि, मैडम, क्या करें, प्रेशर तेज आ रहा है, बाल रुकती नहीं है। तो टंकियां चेंज करवाएं, कुछ तो व्यवस्था कीजिए जिससे यह पानी नहीं गिरे, वेस्ट नहीं जाए।

दूसरी बात आती है सिंचाई की। माना कि सिंचाई के लिए हमारे चाकसू विधान सभा क्षेत्र को पानी नहीं मिल रहा और ना ही इनकी देने की मंशा लग रही है फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अकाल से तो हम पीड़ित हैं ही, पीने के पानी से पीड़ित हैं ही क्योंकि पीने का भी नहीं मिल रहा, अब सिंचाई के लिए भी हमें नहीं मिलेगा, उससे भी पीड़ित हैं। फिर भी मैं आपको सिंचाई के ऊपर कुछ सुझाव देना चाहूंगी कि आपने यह जो बूंद-बूंद और फव्वारा पद्धति अपनायी है, उसका मैं धन्यवाद देती हूं लेकिन फिर मैं यही कहूंगी कि घोषणा मत करो, इसको क्रियान्वित करो। जब भी आप कनेक्शन दें किसान भाइयों को तो उसको जरूर यह कहो कि यह तरीका अपनायें नहीं तो कनेक्शन मत दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, बिजली वैसे तो आती भी नहीं है, बिजली का क्या कहें? बिजली भी चाकसू विधान सभा क्षेत्र में नहीं आती है। मुझे तो लगता है कि चाकसू विधान सभा क्षेत्र बिजली, पानी और जितनी भी सुख सुविधा सेवाओं से वंचित है और सारे अधिकारी ऐसे हैं जो कि कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके कहने पर चलते हैं। ऐसा भेदभाव इस सरकार में देखने को मुझे मिल रहा है और इसके लिए मैं बहुत जल्दी आन्दोलन...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति जी, अभी तो बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव हैं मेरे पास में।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप जल्दी सम अप करें।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): यमुना जल संरक्षण की योजना इतनी महत्वपूर्ण योजना है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी।

माननीय सभापति महोदय, इतने दिनों बाद मौका मिल रहा है मुझे बोलने का, उसमें भी आप बार-बार घंटी बजा देंगे तो कैसे बोलूंगी?

श्री सभापति: आप जल्दी से जल्दी सम अप करो, सुझाव दो आप।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): नहीं, जल्दी-जल्दी नहीं होता। यह

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

जल्दी-जल्दी क्या होता है? जैसे बोलने का तरीका है वैसे ही बोला जायेगा।

तो आप किसान भाइयों को कहें कि यह तरीका अपनायें जिससे कि पानी की बचत भी होगी क्योंकि पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है और जो युद्ध होगा, 100 परसेंट पानी पर होगा और लोग-बाग ताला लगा कर पानी रखने लग जायेंगे।

दूसरा मेरा सुझाव है कि चाकसू विधान सभा क्षेत्र में एक चंदलाई बांध है, जो जयपुर का गंदा पानी जाता है वह चंदलाई बांध में जाता है लेकिन उसको बीच में बंद कर दिया जाता है। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि यह पानी बंद ना करें क्योंकि अगर उसमें लगातार पानी आता रहेगा तो उसके पास में जो शिव डूंगरी का बांध है, ओवरफ्लो होने के कारण उसमें पानी जायेगा और उसमें पानी जायेगा तो बरखेड़ा में जो तालाब है उसमें पानी जायेगा, उससे जमीन का जल स्तर थोड़ा ऊपर होगा। मैं तो यह कहूंगी कि वह अगर बारह मास पानी आता रहेगा जयपुर का, उससे हमारा चाकसू से होता हुआ, सटवाली ढाणी से होता हुआ कोटखावदा तक पानी पहुंचा जायेगा जिससे चाकसू विधान सभा क्षेत्र की समस्या कुछ हद तक हल हो जायेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि चंदलाई बांध का जो पानी है, जो जयपुर से पानी जाता है उसको रोका नहीं जाए।

माननीय सभापति महोदय, लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी यमुना जल संरक्षण की योजना। प्रति वर्ष यमुना नदी का जल वर्षा ऋतु से बह कर समुद्र में चला जाता है। यदि इस जल का उपयोग जयपुर जिले में किया जाए तो पानी की समस्या सदैव के लिए हल हो जायेगा।

श्री सभापति: अब यमुना को कहां जयपुर में ...(व्यवधान)

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): आप सुनिये तो, आप सुन लीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, थोड़ा आप सम अप करो अब। तीन माननीय मंत्रीजी रिप्लाई देंगे, आप सहयोग करो थोड़ा, सम अप करो इसको।

एक माननीय सदस्य: बोलो न आप।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): आप बोलने देंगे।

हरियाणा राज्य की बड़ी सिंचाई परियोजना की शाखा पश्चिम यमुना

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

नहर है, इस नहर की एक दक्षिण नहर शाखा का निर्माण दिल्ली नहर शाखा के समानान्तर किया जा रहा है। इस नहर के निर्माण में राजस्थान सरकार सहभागी हो जाए तो यमुना नहर का वर्षा ऋतु का पानी प्राप्त किया जा

(समय : 22.00 बजे)

सकता है। सावी नदी के पेटे एक गहरे बांध का निर्माण करना होगा। वर्षा ऋतु का यमुना नहर का जल इसमें संरक्षित किया जा सकता है। इस स्थान पर जल प्रवाह होने से विद्युत का भी निर्माण किया जा सकता है। विद्युत मंत्रीजी से भी निवेदन है, जरा गौर से सुनिये इसको, यमुना नहर की शाखा का पानी संरक्षित किया जा सकता है। इस पानी को लिफ्ट कर रेवाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-8, ग्राम धारूहेड़ा, मणेश्वर के निकट बने हुए बांध में पाइप के द्वारा डाला जा सकता है। इस संरक्षित पानी को ......

श्री सभापति: आप, माननीय सदस्य, कहां दिवा स्वप्न देख रही हैं? आप सीधी-सीधी बात करो। आप कहां जा रहे हो इतना दूर?

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): आप सुनिये तो, सुझाव है यह।

श्री सभापति: पाइप लाइन से, आप अपने क्षेत्र की बात करके सम अप करो अब।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): इस पानी को लिफ्ट कर राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के साथ-साथ पाइपों द्वारा ग्राम पावटा के निकट सावी नदी पर बने बनाड़ी रामपुरा बांध...

श्री सभापति: यह सावी नदी कहां है, मालूम है आपको? कहां धारूहेड़ा के पास है वह?

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): में डालकर संरक्षित किया जा सकता है। वहां से पानी को लिफ्ट कर, स्कीम बता रही हूं, शाहपुरा बांध से पानी को लिफ्ट कर पाइप के द्वारा तालाबाड़ी मेड़ा नदी के पानी में डाला जा सकता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम अप करो अब।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): इससे एनिकट, बांधों में, तालाबों में पानी संरक्षित किया जा सकता है।

श्री सभापति: श्री रामलाल जी मेघवाल। माननीय सदस्या, विराजो, विराजो।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): आप सुझाव नहीं सुनना चाहते हैं तो क्या करें?

श्री सभापति: विराजो, विराजो माननीय सदस्या।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): कमाल हो गया। सुझाव नहीं देते हैं तो कहते हैं कि सुझाव दो। मंत्रीजी, यह सुझाव बहुत इम्पोर्टेंट हैं, यह ले लीजिएगा, मैं टेबल कर दूंगी।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पेयजल, बिजली एवं अकाल प्रबन्धन के सम्बन्ध में सदन में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका एवं पूरे सदन का आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 9.3.2010 को सदन में बजट पेश किया, जिसके अन्तर्गत पेयजल, बिजली एवं अकाल के प्रबन्ध के लिए साहसिक कदम उठाते हुए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये हैं इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं कोई अन्य भूमिका नहीं बनाते हुए सीधे मेरे विधान सभा क्षेत्र एवं जालौर जिले की पेयजल व्यवस्था के लिए बताना चाहूंगा कि जालौर और जालौर जिले में नर्मदा का प्रयोजन दिया और उसमें आनन-फानन में तत्कालीन सरकार ने एक पाइप द्वारा पानी लाकर नहर में छोड़ा और उसी उद्घाटन में गुजरात के माननीय मुख्य मंत्रीजी को आमंत्रित किया मगर तीस किलोमीटर पर माननीय गुजरात के मुख्य मंत्रीजी बैठे थे, वे शरीक नहीं हुए क्योंकि पानी वे इतना देना नहीं चाहते थे। अभी प्रतिपक्ष के नेता, माननीय सदस्य यह आरोप लगाते हैं कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है लेकिन यह प्रमाणित है कि भेदभाव कौन कर रहा है। गुजरात सरकार अपने को अपने हिस्से का, राजस्थान का पानी नहीं दे रहा है, मध्य प्रदेश राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, पंजाब सरकार राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं दे रही है। भेदभाव तो यह है जो आपके सामने प्रमाणित है। ये सरकार प्रतिपक्ष के सदस्यों की हैं और राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है इसलिए वे राजस्थान का हिस्सा नहीं दे रहे हैं।

मैं माननीय जल संसाधन मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि मंत्रीजी नर्मदा नहर का अवलोकन करने पधारे तब हमें उम्मीद जगी थी कि हमारे जालौर जिले को इस नर्मदा का पानी मुहैया हो जाएगा। मगर अवलोकन के बाद भी वह नर्मदा ऐसी की ऐसी है। तो मैं माननीय जल संसाधन मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि हमारे जालौर और आहोर तक पाइप लाइन बिछ गयी है,

(श्री रामलाल मेघवाल)

हम नहर का पानी सिंचाई के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम पीने के लिए मांग रहे हैं। तो आप उस पानी को जल्दी से जल्दी हमारे 391 गांवों को पानी देना है वह अतिशीघ्र उपलब्ध कराएं।

हमारे यों तो विधान सभा क्षेत्र जालौर में पर्याप्त मात्रा में पानी है मगर पानी का संकट अभी इसलिए उत्पन्न हुआ है कि जलदाय विभाग द्वारा जो नलकूप खुदवाएं हैं वे तीन सौ फीट गहरे हैं, चार सौ फीट से अधिक गहरे खुदवाए जाएं तो आज जो पानी के संकट की स्थिति बनी हुई है उससे निजात मिल सकती है। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिस जिस गांव में 250-300 फीट गहरे नलकूप थे उन जगह पानी पर्याप्त नहीं है और 400 फीट गहरे नलकूप करने पर पर्याप्त पानी हो रहा है। वहां कंटिंजेंसी सेकंड फेज में अभी जो बजट है उसमें नलकूपों को दिया जाए क्योंकि 400 फीट पर हैंड पम्प द्वारा पानी न तो निकलेगा और न ही पानी मिलेगा। जितने पैसे टैंकरों में खर्च किये जा रहे हैं वह पैसे उन नलकूपों में खर्च किये जाएं जिससे अभी पानी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाएगा और बारिश आने पर वह नलकूप दस साल तक उपयोग में आ सकते हैं। तो सरकार के पैसे व्यर्थ में नष्ट नहीं होंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिस-जिस जगह 300 और 250 फीट के नलकूप हैं वहां पानी की मात्रा कम हुई है, और पूरे विधान सभा क्षेत्र में ट्यूबवैल चल रहे हैं; 400 फीट के जो प्राइवेट काश्तकारों ने ट्यूबवैल कर रखे हैं उनमें बहुत ज्यादा पानी है। फ्लोराइड तो जरूर है, मगर पानी पीने के लिए है, फसल भी अच्छी हो रही है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि वहां ज्यादा से ज्यादा नलकूपों की स्वीकृति प्रदान की जाए।

साथ में, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जो जवाई बांध बना है वह जवाई नदी जो आहोर से लगा कर जालोर, भीनमाल और सांचोर तक चलती है उसको रोक कर यह जवाई बांध बनाया गया है। तो उसमें दोनों तरफ से हमारे जालोर जिले को नुकसान होता है। जब पूरा भर जाता है, ओवरफ्लो होता है, तब हमारा जान-माल का नुकसान होता है और जब ओवरफ्लो नहीं होता है तो हमारे उस एरिये में जितने कुएं हैं उनका जल स्तर घटता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस पानी को पचपन फीट के ऊपर हो तो जवाई नदी में छोड़ा जाए जिससे जालोर जिले के पांच विधान सभा क्षेत्र के कुएं हैं उनमें जल स्तर बढ़ेगा और पानी की समस्या का समाधान होगा।

(श्री रामलाल मेघवाल)

माननीय बिजली मंत्रीजी से मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है, जो सुपर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इनमें जो मीटर लगे हुए हैं वह मीटर खराब होने पर उस सुपर ट्रांसफार्मर को उपभोक्ता द्वारा जी एस एस पर ले जाना पड़ता है और उनका बहुत भारी खर्चा वहन करना पड़ता है। तो सुपर ट्रांसफार्मर के बदले दूसरे ट्रांसफार्मर लगाये जाएं। इलेक्ट्रोनिक मीटर हैं, इलेक्ट्रोनिक मीटर मोटर जब चालू होती है तब तो चलता है मगर जब कड़ाके की धूप पड़ती है तो उस धूप में भी मीटर चलता है, मीटर चलने से उसकी यूनिट बढ़ती है और काश्तकारों का बिना मोटर चलाये भी बिल आ जाता है। इस इलेक्ट्रोनिक मीटर को खतम कर मेरे विधान सभा क्षेत्र में फ्लैट रेट लागू करवायी जाए तो वह किसानों के हित में रहेगी।

विधान सभा क्षेत्र में जो स्कूलें हैं, मकान बने हुए हैं शहर में हैं, स्कूलों के ऊपर से बिजली के तार जा रहे हैं। बिजली के तार हटाने में यह प्रावधान है कि डिमांड नोटिस दिया जाए और डिमांड नोटिस के पैसे जमा कराने पर तार हटाये जायेंगे। स्कूलों और गरीबों के झोपड़ों के ऊपर होकर तार जाते हैं और उनका इतना बड़ा डिमांड नोटिस देते हैं कि न तो वे जमा करा सकते हैं और न ही वे तार हटते हैं। स्कूलों में...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ऊपर से तार निकलते हैं तो स्कूलों का डिमांड नोटिस कौन भरेगा ? माननीय मंत्री महोदय, इसमें प्रावधान किया जाए कि ऐसी अवस्था में विभाग द्वारा उन तारों को हटाया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और देने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब एक-दो मिनट में सम-अप करो आप।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में जितने 33 केवीए के सब-स्टेशन लम्बित पड़े हैं, आपके विभाग द्वारा प्रपोजल बना करके डिस्कॉम, जोधपुर को भेजे गये हैं, उनको अतिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करें। जो आपने घोषणा कर रखी है कि हर पंचायत मुख्यालय पर विद्युत के सब-स्टेशन बनाये जायेंगे उसको प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए।

(श्री रामलाल मेघवाल)

माननीय आपदा मंत्री महोदय से मेरा सभापति महोदय के माध्यम से निवेदन है कि जो चारे के डिपो खोले जा रहे हैं, उनमें राशि 50 हजार रुपये दी जा रही है, वह बहुत ही कम है। 50 हजार से चारे की व्यवस्था, एक गाड़ी भी नहीं आती है। तो उसकी राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाए। चारे पर जो सब्सिड़ी है वह बहुत ही कम है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज स्थिति ऐसी है कि 8-10 रुपये किलो चारा मिलता है। तो उसमें सब्सिड़ी बढ़ायी जाए और पंचायत हैडक्वार्टर पर चारे का डिपो खुलाया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम अप करो।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): अकाल कार्य पर जो मजदूर सीमा तय की गयी है, शहरी क्षेत्र बड़ा होता है, नगरपालिका क्षेत्र है, उसमें 100 लेबर से क्या होगा ? उल्टी यह लड़ाई चालू हो जायेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम नगरपालिका क्षेत्र में एक हजार मजदूरों की संख्या दी जाए, नहीं तो पांच सौ से कम नहीं दिये जाएं। पांच सौ देंगे तो भी ऊंट के मुंह में जीरा है मगर मेरा निवेदन है कि यह सीमा बढ़ायी जाए।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द जी पारख। थोड़ा स्पीड फास्ट रखना, पारख साहब। थोड़ी स्पीड फास्ट रखना।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, पिछले कुछ वर्षों में जो पानी का उपयोग बढ़ा है उससे आने वाले समय में समस्या और बढ़ेगी..

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): धीमी गति के समाचार।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): और जैसा, माननीय सभापति महोदय, पिछले वर्षों का अनुभव रहा है कि जब-जब भी कांग्रेस का शासन आया, अकाल जरूर पड़ा। ऐसे समय में हर व्यक्ति को चाहे वह शहर का रहने वाला है, चाहे गांव का रहने वाला है, उसको पीने का पर्याप्त पानी मिल जाए, यह काम माननीय मंत्रीजी के लिये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पानी पैदा करना हमारे हाथ में नहीं है लेकिन जो पानी की बर्बादी है, जो पानी का अपव्यय है उस दिशा में अगर थोड़े प्रयास करें तो जितना हमारे पास मौजूद है उससे हम अपनी व्यवस्था को कुछ ठीक कर सकते हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

नारा भी दिया था पानी बचाओ, राजस्थान पत्रिका ने भी अमृतम् जलम् के नाम से एक बहुत लम्बा अभियान चलाया था पर बहुत कठिन काम है कि इन्सान के मन में पानी के संचय की भावना पैदा करना, यह सम्भव नहीं है लेकिन सरकारी स्तर पर हमारे प्रयास जरूर हो जाएं कि पानी का अपव्यय कैसे रोकें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे जिले का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध जो पूरे जिले को पेयजल आपूर्ति करता है, 6 महीने पहले एक योजना बनी थी कि पानी का वाष्पीकरण जो होता है उसको कम कैसे किया जाए। एक कैमिकल होता है उसका छिड़काव करना होता है। माननीय मंत्री महोदय, 6 बार टैडर हो गये उसके, 6 बार। कोई बहुत लम्बी-चौड़ी राशि नहीं, जितनी है, बाद में स्वीकृति भी जारी कर दी। अगर उस केमिकल का सही समय पर छिड़काव हो जाता तो आपके खुद के अधिकारियों का अनुमान है कि 60 एम सी एफटी पानी की बचत होती। वह वाष्पीकरण नहीं होगा और यह 60 एम सी एफटी पानी पाली शहर या पाली के आस-पास के गांवों के लिये एक महीने के लिये पर्याप्त होता है।

माननीय मंत्री महोदय, उसी प्रकार जो ऐसे बांध हैं, छोटे बांध या ऐसे तालाब हैं जिनमें पानी का रिसाव बहुत जल्दी हो जाता है, उनके बारे में भी पहले कई बार जिला बैठकों में चर्चा हुई है कि वहां कोई पालिथीन शीट बिछा दी जाए ताकि रिसाव नहीं हो। इसमें कोई लम्बा-चौड़ा खर्च आने वाला नहीं है। मेरे क्षेत्र में जो हेमावास बांध है, मुझे उसका पता है। अगर आप पानी खाली नहीं भी करो ना, तो वह भरा हुआ बांध दो महीने के अन्दर अपने आप ही खाली हो जाता है। क्षेत्र में ऐसे कई तालाब हैं जिनका रिसाव बहुत बड़ी मात्रा में होता है, वहां भी अगर पालिथीन बिछ जाए तो वह पानी आप दूसरों को दे सकोगे।

हमारे यहां पहले एक जवाई बांध से पाली तक खुली नहर के जरिये पानी आता था जिसमें 75 परसेंट चोरी, छीजत या रिसाव होता था पर हमारी तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने उस पानी के अपव्यय को रोकने के 450 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। आज वह पानी हमारे लिये वरदान साबित हो रहा है। जो पानी 4 महीने चलने वाला था वह कम से कम 14 महीने अब चलेगा। तो जहां पर भी पानी की बरबादी हो रही है वहां आप सरकारी स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हो उस पर भी थोड़ा बजट खर्च करो ताकि आपको पानी के मामले में बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं मिलें।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय सभापति महोदय, बरबादी रोकने के साथ में पानी का समानीकरण भी हो जाए। जिन इलाकों में, जिन शहरों में पानी ज्यादा और जिन शहरों में पानी कम है, वहां से पानी दूसरे क्षेत्र में भेजने की कोई योजना, वह भी सरकार द्वारा बननी चाहिए । अब जैसे जोधपुर शहर है, अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां इतना पानी है कि मकानों के अंडरग्राउंड में पानी आ रहा है, मकानों की दीवारों में दरार आ रही है। जोधपुर वाले तो अधिक पानी की वजह से परेशान हैं और मेरा जो रोहट बैल्ट है और जो पाली शहर है वह पानी की समस्या से परेशान है। सभापति महोदय, अब जोधपुर से पाली की दूरी भी कोई बहुत ज्यादा लम्बी नहीं है। मेरा आग्रह रहेगा आपसे कि जोधपुर में पानी जरूरत से ज्यादा है और हम प्यासे हैं, मेहरबानी करके जितना ज्यादा पानी जोधपुर से आप पाली को दिलवा सकें यह पाली की जनता के ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा।

माननीय मंत्री महोदय, आपने कुड़ी हौद पर दो पम्प लगा रखे हैं कुड़ी से रोहट तक पानी पहुंचाने के लिए। अब इतनी समस्या होने के बावजूद भी आपका एक पम्प मात्र 20 घंटे चलता है और उससे मात्र 30 लाख लीटर पानी हमें रोज मिलता है। आपने जो दो पम्प लगा रखे हैं अगर वे 24 घंटे प्रतिदिन चल जायें तो हमें 80 लाख से भी ज्यादा लीटर पानी रोज मिल जायेगा और उससे हमारी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जायेगा। माननीय मंत्री महोदय, ऐसा नहीं है कि आपने हमारे लिये काम नहीं किया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने पाली से रोहट तक की पाइप लाइन की वित्तीय स्वीकृति जारी करके उस काम को पूरा करवाया। कंटिंजेंसी में भी हमने जितना पैसा चाहा, आपने उसमें एक भी रुपये की कटौती नहीं की, पूरा का पूरा कंटिंजेंसी प्लान आपने पास किया। लेकिन यह कुड़ी हौद वाला जो काम है यह मात्र आपके एक फोन का काम है। आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। सारा सिस्टम बना हुआ है। पाइप लाइन बिछी हुई, पम्प सेट लगे हुए हैं। आपका एक फोन अधिकारियों को जायेगा, 24 घंटे दोनों पम्प चालू हो जायेंगे और हमारी समस्या का समाधान हो जायेगा।

सभापति महोदय, दो वर्ष पहले जो रोहट का बैल्ट है उसके 56 गांवों के लिए और जो जैतपुर का बैल्ट है उसके 58 गांवों के लिए पेयजल की योजना बनी थी। पूरी पाइप लाइन बिछ चुकी है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपका पूरा सिस्टम पाइप लाइन के ऊपर है तो पाइप लाइन

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

को बंद करके आप टैंकरों से पानी क्यों भिजवा रहे हैं? पूरा सिस्टम नया बना हुआ है, कोई पुराना भी नहीं है, पूरी क्षमता की पाइप लाइनें वहां मौजूद हैं तो जिन-जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन के जरिये पानी जा सकता है, मेहरबानी करके वहां तो आप पाइप से ही पानी पहुंचाने का प्रयास करो और जहां आप पाइप से पानी नहीं पहुंचा सकते वहां टैंकरों से पानी पहुंचायें। उसमें भी आग्रह रहेगा कि आपने पहले मेरे निवेदन पर 10 से 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन किया। यह 20 लीटर पानी भी पर्याप्त नहीं है, कम से कम प्रति व्यक्ति 30 लीटर पानी रोज मिल जाये जैसा कि पहले भाजपा सरकार में था तो जनता को पर्याप्त पानी मिल जायेगा। तो यह भी मेहरबानी करके आप कृपा कर दें।

माननीय मंत्री महोदय, कुछ पाइप लाइनें अधूरी रोहट क्षेत्र में रह गयीं। तीन साल पहले सोनाई लाका गांव और सज्जन पुरा गांव उन दोनों को पाइप लाइन से जुड़ना था। 6 इंच की पाइप लाइन बिछ गयी एक तरफ, दूसरे कोने पर 4 इंची पाइप लाइन बिछ गयी और बीच में जो 5 इंची पाइप लाइन बिछनी थी, 3 साल हो गये आपके विभाग ने 5 इंची पाइप लाइन की व्यवस्था 5 किलोमीटर नहीं की। कुछ बहुत लम्बी-चौड़ी भी नहीं है। हां, 3 साल हो गये। हमारा शासन भी था उसमें। यह 5 इंची पाइप आप कहीं से दिलवा दें। यह रोहट के बहुत नजदीक के गांव हैं जहां पाइप लाइन से पानी आसानी से पहुंच जायेगा। 5-6 किलोमीटर का मामला है, कोई लम्बा-चौड़ा मामला नहीं है। तो मेहरबानी करके आप यह पानी पहुंचाये।

सभापति महोदय, अब जवाई बांध जो है वह वर्षा पर आधारित है पूरा का पूरा, बरसात आ जाये तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जवाई की आवक और स्टोरेज बढ़े ताकि कभी बरसात नहीं आये तो भी जवाई बांध में पर्याप्त पानी आ जाये। उसके लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सर्वे भी किया और उस सर्वे में पाया था कि वाकल नदी जो उदयपुर की है उसमे अगर बांध बन जाये तो उससे उदयपुर को भी पानी मिल जायेगा और जवाई बांध में भी पानी की आवक बढ़ जायेगी।

श्री सभापति: सम अप करो, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): पानी की आवक जवाई बांध में हो गयी तो पाली जिला पानी के लिए आपसे बार-बार मांग नहीं करेगा।

सभापति महोदय, मैं पाली शहर की भी बात कर लूं। पाली शहर में

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जो मंडली जोन है उसमें 3 साल पहले 22 करोड़ की योजना मंजूर हुई थी। उसमें केशव नगर में एक एस.आर. बन गया। उस एस.आर. से जिन-जिन बस्तियों में पानी पहुंचाना है उसके लिए पाइप लाइन बिछ गयी। लेकिन आपका विभाग किस तरीके से काम करता है, यह जानकर के दु:ख होता है। एस.आर. बने हुए 2 साल हो गये, उसके वितरण की पाइप लाइन बिछे हुए 2 साल हो गये पर एस.आर. को जोड़ने के लिए जो पाइप लाइन बिछानी थी उसकी मंजूरी आज तक नहीं हुई। जब एस.आर. जुडेगा नहीं, उसमें पानी पहुंचेगा नहीं तो फिर वह पाइप लाइन भी काम नहीं आयेगी, एस.आर. भी काम नहीं आयेगा। आप निर्देश दें कि एस.आर. को बहुत जल्दी जोड़ दें।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा, आपसे व्यक्तिगत भी निवेदन किया कि शहर की बहुत बड़ी बस्ती है हाउसिंग बोर्ड, उसमें पानी के प्रेशर की बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप वहां एक नया एस.आर. दे दें तो आपकी एक महती कृपा उन बस्ती वालों पर होगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, और कोई समस्या हो तो लिखकर के दे देना।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सभापति महोदय, एक बात और है निवेदन करनी कि जवाई बांध से जो हमारा पानी आता है या जोधपुर से पानी आता है, यदि कभी पाइप लाइन लीक हो जाये तो पाइप लाइन को बंद करना पड़ता है। उस बंद करने की वजह से जो हमारी सप्लाई 72 घंटों में होनी होती है वह कई बार 120 घंटे तक पहुंच जाती है। इसलिए कुछ पानी जो तालाब हैं चाहे रोहट का तालाब है, चाहे पाली शहर का तालाब है और चाहे मंडली का तालाब है, उसमें कम से कम 15-20 दिन का पानी स्टोरेज रहे, इतनी व्यवस्था भी आप मेहरबानी करके करवायें।

सभापति महोदय, मेरे शहर में लगभग 1000 से भी ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें लगभग 50 हजार से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। ज्यों ही पानी की कमी हुई तो औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल देना बंद कर देते हो। आप रॉ वाटर मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मांग भी नहीं करता आपसे, पर जो 50 हजार मजदूर इन फैक्टरियों में काम करते हैं उनके पीने के पानी की व्यवस्था आप मेहरबानी करके करवा दें। सिस्टम पूरा बना हुआ है, पाइप लाइन बिछी हुई है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम अप करो आप।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आप कम से कम वह काम पूरा करवा दें।

श्री सभापति: अब सम अप करो आप। बहुत विस्तृत हो गया आपका।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सभापति महोदय, बस एक बात, विद्युत के बारे में सिर्फ एक बात। बहुत सारी बातें आ गयीं लेकिन फिर भी विद्युत मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि यह आपकी जो विजिलेंस है, इसकी जो कारगुजारी है उससे सारे लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। यह जोधपुर से आते हैं और बिना उसको पूरी बात बताये उसका मीटर खोलकर के ले जाते हैं कि तुम्हारा मीटर स्लो चल रहा है, हम इसको ठीक करके कल भिजवा देंगे। मीटर तो आता नहीं और पेनल्टी का लम्बा-चौड़ा पेपर उस उपभोक्ता के पास पहुंचता है। सभापति महोदय, धारा 135 में तो अगर थोड़ी-बहुत भी उसकी गड़बड़ है तो 2 हजार रुपये उपभोक्ता से लेते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): व्यावसायिक में 3 हजार, यह विषय सिर्फ, धारा 138 में घरेलू में 7,140 और व्यावसायिक में 29,400 की पेनल्टी एक किलोवाट पर और जिसके स्वीकृत किलोवाट अगर 10 हैं पर उसके घर में 4 किलोवाट काम आ रहा है तो पेनल्टी 4 किलोवाट पर नहीं लगेगी, ज्यादा ली जा रही है।

श्री सभापति: सम अप करो माननीय सदस्य। श्रीमती मंजू मेघवाल।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): यह भी बहुत भारी अन्याय है। मेहरबानी करके इस विषय में उनको समझायें, कहें कि उपभोक्ता का अनुचित शोषण नहीं करें।

आपने मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

(समय : 22.30 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्रीमती मंजू देवी (जायल): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल के बारे में समय सीमा को देखते हुए संक्षेप में कुछ मांगें एवं सुझाव सदन के सामने रखना चाहती हूं। जैसा कि हम सभी को विदित है, आज दो दिन से पानी, बिजली और अकाल पर चर्चा हो

(श्रीमती मंजू देवी)

रही है, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में पानी के बारे में कुछ समस्याएं हैं जो बताना चाहती हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र जायल सारा डार्क जोन घोषित हो चुका है, टयूबवैलों का जल स्तर भी नीचे जा चुका है, ऐसी स्थिति में वहां मातासुख पेयजल योजना का कार्य चल रहा है। इसका श्रेय मैं माननीय अशोकजी गहलोत को देना चाहती हूं कि वहां की जनता को देखते हुए और वहां की स्थिति को देखते हुए आपने यह प्रोजेक्ट चालू किया है। इस प्रोजेक्ट से 120 गांव जोड़े जाएंगे। लेकिन इसके साथ में मैं यह भी कहना चाहती हूं, माननीय मंत्रीजी यहां पर विराजमान नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूं कि मैंने आपको पत्र के माध्यम से भी और व्यक्तिगत सम्पर्क करके भी इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी है कि इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 120 गांव जोड़ने हैं लेकिन इसमें बहुत मंद गति से काम हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि करोड़ों रुपए इस प्रोजेक्ट में लग रहे हैं और आपके इस प्रोजेक्ट में 31 मार्च यानी आज तक यहां पर 71 गांवों को पानी देने का प्रावधान था लेकिन तक काम धीरे होने की वजह से आज तक ये गांव वंचित रह रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस योजना को आप देखिए और शीघ्र ही जो 31 मार्च को यह प्रोजेक्ट आपको चालू करना था, इसमें काम धीरे होने की वजह से काम पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए आप अपने अधिकारियों को कहिए कि इस प्रोजेक्ट को देखें कि किन कारणों से यह मंद गति से चल रहा है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि आप 71 गांवों को तो पानी देने का प्लान आप चला ही रहे हैं, शेष गांव जो मेरे यहां रह गए हैं उनमें भी आप जल्दी से कार्यवाही करें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप किसको सुना रही हैं? न तो यहां पी एच ई डी मिनिस्टर हैं...

श्रीमती मंजू देवी (जायल): माननीय सदस्य, सम्बन्धित अधिकारी यहां पर विराजमान हैं और माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो मेरा क्षेत्र है उसमें 170 गांव हैं, शेष गांव जो 40 मेरे वंचित रहे हैं, उन गांवों को भी आपकी इस योजना के मार्फत जोड़ा जाए। अगर इनको नहीं जोड़ा जाए तो जो नहर योजना मेरे नागौर में आ रखी है इसमें जोड़ा जाए जिससे जनता को काफी लाभ मिलेगा।

(श्रीमती मंजू देवी)

माननीय सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहती हूं कि जायल विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में बिजली की स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। वहां एक ए ईएन और दो जे ईएन इस कार्यालय में विराजमान हैं। साथ में मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहती हूं कि आपने 15 महीने के कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3 जगह पर जी एस एस स्वीकृत किए, उसके लिए मैं और मेरी जनता की ओर से आपकी तहेदिल से बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि आप इन जी एस एस को अपने अधिकारियों से कहकर थोड़ा जल्दी शुरू करवाएंगे तो हो सकता है कि आसपास की जनता को इससे लाभ मिलेगा। वहां पर कर्मचारियों की भी कमी चल रही है, मेरे वहां अभी वर्तमान में 36 कर्मचारियों की समस्या है, मैं आपसे मांग करती हूं कि इन रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने सदन में इस चीज से अवगत कराया है कि बी पी एल कनेक्शन जो आप दे रहे हैं, यह मेरा सुझाव भी और मांग भी है कि बी पी एल कनेक्शन जिन व्यक्तियों को आप दे रहे हैं उनके साथ में जैसे दस ढाणियों को चयनित करते हैं, 20 ढाणियों को चयनित करते हैं तो पास की एक-दो ढाणियां हैं जो वंचित रह जाती हैं। मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि जब लाइन वहां तक जाती है तो साथ में जो ए पी एल व्यक्ति हैं, जो ढाणियां हैं, उनको भी इससे जोड़ा जाए तो जनता को इससे काफी लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, मैंने पहले भी अवगत कराया था कि छोटी-मोटी बात सदन में नहीं आनी चाहिए लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि जैसे ट्रांसफार्मर का मामला है, केबल का मामला है, पोल का मामला है, आप अपने सम्बन्धित अधिकारियों को जब भी आप मीटिंग लें तो जो पोल है या केबल है, वह आप विधान सभा क्षेत्र में जो भी विधायकगण डिमांड करते हैं तो उनको आप जल्दी से उपलब्ध कराएं जिससे आपकी योजना तय समय के अनुसार पूरी हो सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं अकाल के सम्बन्ध में थोड़ी सी बात करना चाहती हूं। जैसा कि पहले भी बात चली है, अकाल में, नरेगा में, नरेगा में पानी के लिए वापस आपसे यही कहना है जब अकाल में

(श्रीमती मंजू देवी)

काम कर रहे हैं तो नरेगा में जैसे तालाबों की भी आप खुदाई करवा रहे हैं लेकिन कई जगह तालाब ऐसी जगह खुदवा रहे हैं जो अपने लिए उपयोगी नहीं हैं।

मैं आप सभी माननीय सदस्यों से जो सदन में विराजमान हैं, कहना चाहती हूं, मेरा सुझाव शायद आपको सही भी लगे कि नहीं लगे लेकिन मैंने इस चीज को महसूस किया है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब मैं गई तो हमारी जनता ने इस चीज से अवगत कराया और यह बात कही कि अगर अपन पानी के स्रोतों का अगर कर सकते हैं तो प्रति व्यक्ति अपने घर के अन्दर, माना कि खेत में तो अभी बी पी एल के माध्यम से टांके बनवाने के लिए कह रहे हैं लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक हौद या कुण्डी बनाएंगे तो हो सकता है आपके कभी भी थोड़ी बहुत बरसात हो तो पानी को इकट्‌ठा कर सकते हैं जिससे बाकी का अपना शेष जीवन आराम से बिता सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी, माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत के तहत अच्छा काम चल रहा है। माननीय अशोकजी गहलोत को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं और आपसे भी निवेदन करना चाहती हूं कि जो गौशालाएं हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 24 गौ-शालाएं हैं, जिनमें अच्छा अनुदान सरकार की तरफ से जा रहा है लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि बड़े पशुओं का जो आप 20 रुपए देते हैं और छोटे पशुओं का आप 10 रुपए देते हैं, वह पर्याप्त नहीं है। किसान गरीब स्थिति में है, उसके पास ऐसी स्थिति भी नहीं है कि वह पशुओं को अपनी तरफ से चारा दे सके इसलिए सरकार की तरफ से जो अनुदान दिया जाता है, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि उस अनुदान को आप बड़े पशुओं के लिए 20 रुपए के बजाय 30 रुपए और छोटे पशुओं के लिए 10 रुपए के बजाय 15 रुपए का अनुदान दें तो निश्चित ही इससे लाभ मिलेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि कई जो गौ-शालाएं हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनको सरकार की ओर से अनुदान तो दिया जा रहा है लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई जगह ऐसी भी हैं जहां सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होने की वजह से उनको अनुदान नहीं दिया जा रहा। तो इस पर भी आप विचार कीजिए कि उन गौ-शालाओं को कैसे अपन सहायता पहुंचा सकते हैं, पशुओं के लिए चारे- पानी की व्यवस्था कर सकते हैं।

(श्रीमती मंजू देवी)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहती हूं, यह बात पहले भी यहां सदन में चली है कि माननीय अशोकजी गहलोत पर बात आती है अकाल और इस सरकार की, आप सभी सम्माननीय सदस्य विराजमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह बात मैंने पहले भी कही थी कि सरकार चाहे कोई सी भी आए लेकिन अकाल पर किसी का वश नहीं चलता है। चलो, यह भी मान लेते हैं कि अशोकजी गहलोत पर, इस सरकार पर, कांग्रेस पर, यह आरोप लगा रहे हैं कि जब कांग्रेस सरकार आती है तो अकाल आता है; मैं कहना चाहती हूं कि आप सभी सम्मानननीय सदस्य विराजमान हैं, तिवाड़ीजी, हम लोग चाहे सदन में थे या नहीं थे, इस बार नए चुनकर आए हैं, आपकी सरकार पिछली थी, मैं मानती हूं कि बरसात भी खूब बराबर हुई थी, कई लोगों की जानें भी चली गई थीं लेकिन आप विराजमान हैं, क्या जब बरसात हुई तब सरकार ने कभी इस प्रकार का सोचा कि इस पानी को हम कैसे रोकें? कभी चिंतन किया इन चीजों का? जब से कांग्रेस की सरकार आई है तो कह रहे हैं कि बरसात नहीं हो रही है। आपने उस समय चिंतन नहीं किया। हम सदन में इस चीज के लिए चिंता कर रहे हैं, माननीय अशोकजी गहलोत भी चिंता कर रहे हैं कि वास्तव में आने वाले समय में किस प्रकार से पानी की व्यवस्था हो, पूरा सदन इसको गम्भीरता से ले रहा है। यह बात मैं कहना चाहती हूं कि जब हम पानी पर इस सदन में चर्चा करते हैं और अपनी आंखों से भी कई बार सोचते हैं तो पानी निकल आता है लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि इन आंखों से भी पानी न निकले। यह चिंता का विषय है। इसलिए आपको और हम सबको इस पर बैठकर विचार मंथन करना होगा, न कि हम आरोप-प्रत्यारोप लगाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर राजस्थान की जनता को कैसे इस पानी की समस्या से निजात दिला सकते हैं यह आपका और हमारा, सबका दायित्व है। जनता ने हमें बहुत उम्मीद के साथ चुनकर यहां पर भेजा है और सोचा है कि हमारे माननीय सदस्य वहां जाएंगे तो हमारी समस्याओं का निदान करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में लगातार दो दिन से पानी, बिजली और अकाल पर

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

चर्चा हो रही है और उसके लिए मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और साथ ही, निवेदन... करना चाहूंगी कि मात्र 10 मिनट

(: 22.40 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

का समय मुझे बोलने के लिए दें ताकि मैं अपने क्षेत्र की समस्या को सदन के पटल पर रख सकूं।

एक कहावत है कि जिसने जल का कद्र किया उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। वास्तव में अगर आज हम लोग भी ऐसा करते तो यह समस्या हमारे सामने नहीं आती क्योंकि हम लगातार देखते आ रहे हैं कि बूंद-बूंद से घड़ा भरता है लेकिन हमने इस जल के महत्व को समझा ही नहीं और किसी का अभी तक इस ओर ध्यान ही नहीं गया, वरना जो कुछ आज हम करने की सोच रहे हैं अगर वह पहले ही कर लेते तो शायद इतनी विकट परिस्थिति हमारे सामने नहीं आती। फिर भी अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं रखना चाहती हूं।

मेरा क्षेत्र रामगंजमंडी विधान सभा क्षेत्र डार्क जोन लगातार 20 वर्षों से घोषित है और इस क्षेत्र में पचपाड़ योजना पिछली सरकार के समय में बनकर तैयार हुई। हकीकत में देखा जाए तो योजना कागजों में तो चालू हो गई लेकिन वास्तव में आज भी वहां के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और पशुओं के लिए तो त्राहि-त्राहि उन लोगों ने मचा रखी है। उन्हें मात्र आधा घंटा पानी दिया जाता है पीने के लिए। जैसा कागजों में लिखा हुआ है सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि सब गांवों में पानी चालू हो चुका लेकिन अभी भी अनेकों गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा है। एक निवेदन करना चाहूंगी कि इस योजना के अन्तर्गत कितनी ही जगह पाइप लाइन को चेक करने का मौका मिला, गांव-गांव में जाकर टंकियों को भी चेक किया, वहां मैंने पाया कि 6-6 महीने से लगातार पाइप लाइनें फूट रही हैं और अथाह पानी भरा है। मैंने लगातार अधिकारियों को फोन पर बताया और आज भी 6 महीने बाद भी यही स्थिति है कि पानी बह रहा है। कुल मिलाकर इस योजना में अधिकारी बैठे हैं, इस योजना को जिन्होंने क्रियान्वित किया है, उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है।

दूसरी बात, किसानों ने अपने खेतों में लाइन को फोड़ रखा है, उन्होंने

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

तोड़ रखा है लाइन को। उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्यवाही अधिकारी नहीं कर रहे और उनके खेतों में सिंचाई वे लोग कर रहे हैं। तो एक तरफ तो जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ उनकी सिंचाई के पानी काम आ रहा है। दूसरी बात, पशुओं के पीने के पानी इसमें किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई। आप देखिए, आधा घंटा पानी आता है, पानी का दबाव बिलकुल बहुत कम है जबकि 175 करोड़ रुपये की योजना लेकिन अधिकारियों ने कभी इस योजना के बारे में सोचा नहीं कि किस तरह से इस योजना को बनाया जाए, कहां पर इसकी टंकी बने और कितने पाइंट गांव-गांव में इस योजना के तहत लगने चाहिए। आज मात्र अधिकारियों की गलती की वजह से गांव में पानी नहीं पहुंच रहा क्योंकि गांव तो रह गये ऊपर और टंकी बन गई नीचे, यह स्थिति इस योजना में आ रही है। और तो और, अगर कोई योजना बनती है तो उस योजना के लिए पर्याप्त बजट इनके पास होता है, अधिकारियों के पास और उसके बावजूद इस योजना में अनेकों गांवों को जो वर्षों पुरानी बिलकुल खतम हो चुकी थी पाइप लाइन, उस पाइप लाइन से इनको जोड़ दिया गया। और जब हमने अधिकारियों से बातचीत करी तो उन्होंने गोलमोल ढंग से हमें जवाब दिया।

तो मेरा निवेदन है कि मंत्रीजी तो बिराजमान हैं नहीं लेकिन इस योजना को भी दिखवाएं कि क्या खामियां इस योजना में रह गई हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि इस योजना का दुबारा से सर्वे हो और जहां पर पाइंट बढ़ाने की आवश्यकता हो, वहां पर पाइंट बढ़ाए जाए।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगी कि ताखली मध्यम सिंचाई एवं पेयजल परियोजना हमारे यहां पर जो पास हो चुकी है लेकिन किसानों को कुछ मुआवजा न देने की वजह से इस योजना का काम बार-बार बंद हो जाता है। यह पेयजल योजना भी है, इस योजना के माध्यम से हमें 3.30 मिलियन घन मीटर पानी पीने के लिए उपलब्ध है, हम जनता को इससे लाभान्वित करवा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस योजना को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए ताकि पीने का पानी लोगों को मिले।

एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरा खनन क्षेत्र है और आप देखिए बड़ी-बड़ी खानें लेकिन आज तक वर्षों बीत जाने के बावजूद किसी ने यह विचार नहीं किया कि खानों में बारिश का पानी इतना अथाह होता है और उस

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

पानी को खान मालिक मात्र 8 दिन तक लगातार जो मोटरें होती हैं उनको चला-चला कर रोड पर बहा देता है और जनवरी माह में वहां पर हैंड पम्पों की यह हालत हो जाती है कि हैंडपम्प हवा फेंकने लग जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि हमारी खानों का जो वेस्ट पानी है उसके बारे में कोई योजना बने और उस पानी को एकत्र किया जाए। इस प्रकार मैं मानती हूं कि डार्क जोन का जो धब्बा, जो काला धब्बा उस क्षेत्र की जनता पर लगा हुआ है, वह धब्बा हटेगा क्योंकि इसकी वजह से किसानों को किसी तरह का कोई ऋण उपलब्ध नहीं होता। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि कंटींजेंसी में हैंड पम्पों की बात आई थी और कोटा जिले में 126 हैंडपम्प सिंगल फेज मोटर 85, नलकूप 16, इतने एक जिले में हैंडपम्प जाने के बावजूद अगर किसी विधायक की अनुशंसा से कोई नलकूप न मिले, कोई हैंडपम्प न मिले तो मैं मानती हूं, बड़े शर्म की बात है। हमें ऐसा जन-प्रतिनिधि होने में कहीं, मैं मानती हूं, बड़ी जनता के सामने हमारी गर्दन नीची करनी पड़ती है कि हम हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, किसी एक मोहल्ले में एक हैंडपम्प नहीं लगा सकते। ब़ड़ी विचित्र स्थिति है। आज अधिकारी को हर जगह की, हर क्षेत्र के बारे में, मैं मानती हूं, कोई जानकारी होती है क्या? लेकिन आफिस में बैठे और पूरी कार्य योजना बनाई और वह संचालित कर दी, बड़ा दुःख होता है।

माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि मैंने मेरा पत्र संख्या 247 जो मैंने 8.10.2009 को माननीय मंत्री महोदय को दिया, अध्यक्ष महोदय को दिया, सेक्रेटरी महोदय को दिया और मुख्य मंत्री महोदय को भी मैंने दिया लेकिन इतने दिन होने के बावजूद आज तक मेरे पत्र का जवाब मुझे नहीं मिला और अभी तक यह पता नहीं लग पाया कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई जिन्होंने इतनी बड़ी गलती की है।

एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारी इस योजना के साथ-साथ बोरावास, पदमपुरा पेयजल योजना और आखेलगढ़ कसार, नया गांव पेयजल योजना, ये भी स्वीकृत हुई थीं पिछली सरकार के कार्यकाल में और भाजपा सरकार की बहुत अच्छी देन थीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब थोड़ा सम-अप करो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मात्र दो मिनट में मेरी बात खतम करूंगी मैं। इस योजना में 2001 की जनगणना के अनुसार 182 आबाद गांवों को इस योजना में जोड़ा गया था जिसमें रामगंजमंडी तहसील के 147 गांव और लाडपुरा पंचायत समिति के 35 गांव थे और 4 बड़े कस्बे थे। इसके बाद यह योजना इसकी, मैं मानती हूं कि वित्तीय स्वीकृति पास हो चुकी थी और 35 गांवों के लिए जो योजना बनी थी, इसमें 38.84 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त और द्वितीय किश्त 12.45 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति जारी हो चुकी थी दिसम्बर माह में, 2007 को। उसके बावजूद इस योजना का आज तक कोई अता-पता नहीं है। आज यह स्थिति हो गई कि उन 35 गांवों में जो मंडाना क्षेत्र के गांव हैं, जो बिलकुल पठारी इलाका है, वहां पर दूसरे गांवों से 4-4, 5-5 किलोमीटर से उन लोगों को पीने का पानी लाना पड़ रहा है और हर बार हम लाखों, करोड़ों रुपये उस क्षेत्र के लिए हम खर्च करते हैं। तो मेरा निवेदन है मंत्रीजी से आपके माध्यम से कि इस योजना को पुनः चालू किया जाए।

एक बात और, छोटी सी बात रखना चाहूंगी कि हमने एक प्रस्ताव लेकर और एक योजना बनाकर जैसा कि राज्य सरकार का आदेश था, हमने यहां पर भिजवाया और उसमें एक गांवों में जो गर्मी में टैंकरों से पानी सप्लाई होता है, उनमें गहरे नलकूप बनाकर सिंगल फेज मोटर पम्प सेट लगाकर पेयजल उपलब्ध करवाये जाने की बात थी। इसी के अनुरूप हमने पी एच ई डी के साथ मिलकर, बैठकर बात करके 125 व्यास की बोरवेल मय सिंगल फेस पम्प सेट व आरसीसी प्लेट फार्म....

श्री सभापति: माननीय सदस्या।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): एक मिनट, साहब। स्टैंड व पीवीसी टैंक जो 2000 लीटर का था इसके लिए हमने एक प्रस्ताव भिजवाया था लेकिन माननीय मंत्रीजी ने उसे भी खारिज कर दिया। यह एक लाख 60 हजार रुपये का पूरा सेट था। मेरा निवेदन है कि हमें यह उपलब्ध कराया जाए।

बिजली के सम्बन्ध में एक छोटी सी बात एक मिनट में कहूंगी। मैं जब से विधान सभा में आई हूं तब से देख रही हूं कि आज हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आने वाली पीढ़ी के बारे में हम चर्चा करते हैं और इस राजस्थान को, इस भारत देश को अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा करने की बात हम करते हैं। मैंने देखा कि हम लोग यहां दिन भर ए.सी. में बैठते हैं और

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

अधिकतर लोग इस ए.सी. में बैठने पर लगातार सर्दी से कांपते रहते हैं और बहुत से जैकेट पहन कर आते हैं, मेरा निवेदन है कि जो 20 लाख रुपये महीने का खर्चा इस ए.सी. के लिए करते हैं, यह एक महीने जब तक बच्चों की परीक्षा चले उन्हें गांव में बिजली उपलब्ध करवायें तो शायद मैं मानती हूं कि जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्हें कुछ राहत मिलेगी।

श्री सभापति: श्री गोपालजी मीणा। माननीय सदस्या, विराजो। अब विराजो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मात्र एक मिनट, साहब। जो हमारी बिजली में अनियमितताएं हैं, जो 8 घंटे घोषणा पत्र में आपने कहा कि हम बिजली उपलब्ध करवायेंगे थ्री फेस और 24 घंटे सिंगल फेस, वह भी हमें उपलब्ध करवायें, यह मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजो। माननीय सदस्य, अपनी समस्याओं पर आ जाओ। मैं ठीक साढ़े 11 बजे मंत्रीजी को काल कर लूंगा। आप थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए बिना भूमिका के सीधे अपनी समस्याओं पर आ जाओ।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): मैं पांच मिनट में ही बोलूंगा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हमें अपनी बात तो कहने दो। चलने दो अपने क्या है, 2-3 बजे तक तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, पानी, बिजली और अकाल पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

राजस्थान जो देश का सबसे बड़ा राज्य है इसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सरकार आते ही जल नीति बनाई। जल आज पूरे राज्य में बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है। बरसात नहीं आ रही है, बांध सूख गये हैं उसके चलते जल की नीति बनाना आवश्यक था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो जल नीति बनाकर के इस राज्य की आगामी योजना बनाई, मेरे हिसाब से जल नीति में मुख्य मंत्रीजी आगे की सोचते हुए, जल नीति के साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार अभी प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने बताया कि राजा-महाराजा एक हजार वर्ष आगे की सोचते थे और उसी तरह जयपुर बसाया तथा उस समय रामगढ़ बांध का निर्माण कराया, मैं समझता हूं कि उसी प्रकार अशोक गहलोतजी ने जल नीति बनाकर के आगामी वर्षों के बारे में सोचा। जब

(श्री गोपाल मीणा)

पेड़ कम हो गये, जंगल कट गये तो बरसात लाने के लिए उन्होंने आते ही हरित राजस्थान कार्यक्रम पूरे राज्य में चलाया।

इसी प्रकार से मैं मेरी तरफ से कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जो जमवारामगढ़ बांध आता है वह जयपुर को पानी पिलाता था और पिला भी रहा है। आज स्थिति यह है कि उस जमवारामगढ़ बांध में 100 से जयादा बोरिंग लगाकर जयपुर को पानी पिला रहे हैं अच्छी बात है कि जयपुर की जनता पानी पी रही है। बीसलपुर से योजना बना ली वह भी बढ़िया बात है। जयपुर के लोग पानी पी रहे हैं, हम सब पानी पी रहे हैं और होना भी चाहिए था। लेकिन साथ में यह स्थिति आज भी है और आगे भी आयेगी कि यदि बरसात नहीं आयेगी तो बीसलपुर का पानी कम होता जायेगा और वहां से भी पानी की कमी आयेगी। अगर जमवारामगढ़ के बांध को संरक्षित झीलों में लिया जाए और उसके पानी के आगमन की जो भी व्यवस्था है, उसके मार्ग में जो भी अवरोध हैं उनको हटाकर उस बांध को भरा जाए जिससे जयपुर की जनता को पानी मिले। मेरे जमवारामगढ़ क्षेत्र में 30 पंचायतें हैं जो जमवारामगढ़ से नीचे की तरफ पड़ती हैं, उस क्षेत्र में जमवारामगढ़ में जो 100 ट्यूबवैल लगे हुए हैं। उन ट्यूबवैल से पानी आ गया तो भूमि का जल स्तर नीचे जाता रहा। इससे क्षेत्र की समस्याएं बहुत अधिक बढ़ रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस जमवारामगढ़ के बांध के जो ट्यूबवैल हैं उनको कम किया जाए क्योंकि उस क्षेत्र का पानी नीचे जा रहा है और जो नीचे वाला क्षेत्र हैं वहां के जो हैंड पम्प हैं वे सब लगभग नकारा हो चुके हैं। जो नीचे वाला क्षेत्र है वहां फ्लोराइड युक्त पानी है और उस फ्लोराइड के पानी से वहां के लोगों को बीमारियां हो रही हैं, फ्लोराइड पानी से बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। वहां ऐसा पानी है कि जब चाय बनाते हैं तो चाय भी फट जाती है। कम से कम 18 गांव ऐसे उस क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र का सर्वेक्षण भी करवाया गया है, इस क्षेत्र का विभाग के द्वारा सर्वे करवाया गया है उसमें भी फ्लोराइड का पानी आया है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में जो पानी की व्यवस्था है वह ठीक की जाए। जो जल नीति है, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जमवारामगढ़ बांध पर विशेष ध्यान देकर, जो पहले पानी पिलाता था उसी तरीके से अब भी जमवारामगढ़ बांध इस जयपुर को पानी पिलाये, जमवारामगढ़ क्षेत्र को पानी पिलाये। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बार-बार यही

(श्री गोपाल मीणा)

कहूंगा कि जमवारामगढ़ बांध को संरक्षित झील में तब्दील किया जाए।

नरेगा से कार्य होते हैं, मैं समझता हूं कि जमवारामगढ़ झील को उससे खुदवाया जाए। उसको दुबारा से नरेगा से या अन्य काफी योजनाएं हैं उनके तहत उसको खुदवाकर किया जा सकता है।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा और सुझाव भी देना चाहूंगा कि जो कंटिंजेंसी के पूरे राज्य में हैंडपम्प देते हैं, ट्यूबवैल देते हैं, सिंगल फेस देते हैं उनका समय निर्धारण होना जरूरी है। क्योंकि मैं आपको निवेदन करूं कि एक साल पहले से मेरे क्षेत्र में कम से कम 75 हैंडपम्प जो स्वीकृत हैं वे अभी तक नहीं लगे हैं। इसलिए उनका समय निर्धारित हो जाए। अगर समय निकल जाएगा तो विभाग उनको कैंसिल कर देगा, वह क्षेत्र हैंडपम्प बगैर रह जाएंगे। आज तक जो पहले कंटिंजेंसी में हैंडपम्प दिये उनमें 30 में से केवल 15 हैंडपम्प लगे हैं और अब फिर दुबारा से दिये हैं उनमें एक भी हैंडपम्प नहीं लगा तो मैं विभागीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो कंटिंजेंसी में तुरन्त जिनको राहत मिले उस प्रकार से जो हैंड पम्प दिये जाते हैं उनका आप समय निर्धारित करें कि इतने दिन में इन हैण्ड पम्पों को लगा दिया जाए और इतने दिन में ये हैंडपम्प लग जाने चाहिए, यह विभाग की जिम्मेदारी हो। इस तरीके से अगर इन हैंडपम्पों को दिया जाए तो तुरंत जनता को राहत मिलेगी। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में ही बोलूंगा। मेरे क्षेत्र में करीबन 30 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें पानी बिल्कुल नीचे चला गया। जो हैंड पम्प लगे हुए हैं उन हैंड पम्पों में पानी नीचे चला गया और वो हैंडपम्प नकारा हो चुके हैं।

मैं विभाग से निवेदन करूंगा कि वहां एक विशेष अभियान चला कर जो हैंड पम्प सूख गये हैं उनको या तो गहरा करके उनमें पाइप जोड़कर उन हैंड पम्पों को चालू करवाया जाए क्योंकि जो रामगढ़ के बांध से पानी खिंचा आ रहा है जयपुर में तो वह भी नीचे जाता जा रहा है। वे 300 फीट, 500 फीट के बोरिंग लगे हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि विशेषकर इसका अभियान चलाकर के जमवारामगढ़ क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान किया जाए।

(: 23.00 बजे)

मैं बिजली की समस्या के बारे में भी दो शब्द बोलना चाहता हूं।

मैं सर्वप्रथम तो मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना

(श्री गोपाल मीणा)

चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में 132 के.वी. का जी.एस.एस. स्वीकृत किया गया है। बिजली की सबसे बड़ी समस्या, हर क्षेत्र में, हर किसान की एक समस्या है। उसका मैं सुझाव दूंगा कि जो ट्रांसफार्मर है, उनको किसान की डी.पी., जब एक फ्यूज उड़ जाता है तो उसको ग्रिड में लेकर आना पड़ता है और उस फ्यूज को बंधाने के लिए उसके 1,000 रुपये किराये के लगते हैं। किसान एक दिन जाता है, दूसरे दिन उसका इंतजार करता है। तो उसको कितनी बड़ी समस्या होती है, यह किसान ही जान सकता है। तो इस चीज में हमें सुधार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। हम क्षेत्र में जाते हैं तो इन चीजों को सबसे पहले कहते हैं कि एक फ्यूज के लिए ग्रिड में जाना पड़ता है और ग्रिड में जाकर के उनको दूसरे दिन उनका इंतजार करना पड़ता है वह फ्यूज बांधकर आने के लिए। तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान देकर इस समस्या का समाधान किया जाये।

दूसरी ओर जो बी.पी.एल. के कनेक्शन दिये जा रहे हैं, उन बी.पी.एल. के कनेक्शनों में समय दिया जाता है। उस समय में उनके कनेक्शन नहीं होते और जो ठेका प्रथा है, वह जिसको चाहे ठेकेदार, आपके डी.पी. पहले लगानी है, उसको तो बाद में लगाते हैं और जिसको बाद में लगानी है, उसको पहले लगाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस ठेका प्रथा में अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि जो बी.पी.एल. के गरीब लोग हैं, उनको सही रूप से निर्देशित करके उनको समय पर कनेक्शन दिया जाये। मेरे क्षेत्र में जो 132 के.वी. का जी.एस.एस. दिया गया है, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं अकाल राहत के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहूंगा...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करो।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): दो मिनट अकाल राहत में तो कह लेने दो। मैं धन्यवाद दे देता हूं सरकार को, जो चारा डिपो खोले हैं, उनके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अब आगे बोल लो।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं प्रयास करूंगा कि सूक्ष्म सूत्र में मैं अपनी बात कह दूं। सभापति महोदय, कोई ऐसा विधान सभा का बजट सत्र नहीं जाता कि जिस सत्र के अन्दर हम अकाल पर, बिजली पर,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पानी पर चर्चा नहीं करें पर मुझे बड़ा अफसोस है यह कहते हुए कि दो दिन से बहस चल रही है, माननीय मंत्रीजी विराजे हैं किसी भी मंत्रीगण ने या आफिसर गैलेरी से किसी भी अधिकारी ने, माननीय सदस्य जब अपनी बात कहते हैं, कुछ सुझाव भी देते हैं, कुछ अपने अभाव की बात भी करते हैं, किसी ने भी एक शब्द नोट नहीं किया। तैयार किया हुआ भाषण अभी कुछ क्षणों के बाद में मंत्री महोदय पढ़ देंगे और अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेंगे।

सभापति महोदय, मैं अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि...

श्री सभापति: सबने नोट किया है, सबने नोट किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...13 अगस्त को सरकार ने गिरदावरी करने के आदेश दिये और 25 अगस्त को गिरदावरी आई और 26 जिलों के 32,833 गांव, 4,24,64,000 की जनसंख्या और तीन करोड़ 64 लाख पशुधन आपकी गिरदावरी के अनुसार अकाल की चपेट में इनको माना। एक ज्ञापन 12,690 करोड़ रुपये का केन्द्र सरकार को आपने सौंपा और केन्द्र सरकार का अध्ययन दल आया। उसके साथ ही मुख्य मंत्रीजी को मैसेज की राजनीति ज्यादा आती है इसलिए पत्र लिखना प्रारम्भ किया। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री को लिखा, एन.सी.सी.एफ. के अन्दर हमें अधिक सहायता दें, राजस्थान में बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। उन्होंने रेल मंत्री को लिखा कि पेयजल के लिए मुफ्त में रेल के वैगन दें और उन्होंने पैट्रोलियम मंत्रीजी को लिखा कि इन रेल के लिए जो डीजल आयेगा, वह मुफ्त में दिया जाये। खुद सरकार ने जो ज्ञापन दिया केन्द्र सरकार को, उसमें यह माना कि 145 शहर और 22,454 गांवों में पेयजल पहुंचाने के लिए साधन चाहिए, इन गांवों में पेयजल का संकट है। फिर मुख्य मंत्रीजी ने टास्क फोर्स गठन करने का काम किया। फिर अगस्त के अन्दर एक बैठक लेकर बड़े-बड़े समाचार-पत्रों में समाचार शाया करवा दिया कि अफसरों को निर्देश दे दिये हैं कि बिजली, चारा, पानी का प्रबन्ध अफसर करें। सभापति महोदय, जब यह अध्ययन दल आया केन्द्र सरकार का और उसने खुद ने जब यह मान लिया कि 29 जिलों में सामान्य से 60 प्रतिशत कम बरसात हुई। हमारे 17 बड़े बांध हैं, उसमें पानी की आवक 42 प्रतिशत रही। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने 12,690 करोड़ रुपये के ज्ञापन को रिवाइज करके 14,927 करोड़ रुपये का कर दिया।

सभापति महोदय, हालात क्या हैं? नरेगा के साथ जोड़कर अकाल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राहत को देखना चालू कर दिया। नरेगा योजना के अन्तर्गत चयनित लोग हैं, उनके जोब कार्ड बने हुए हैं। इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, जिस तरह की हालत राजस्थान के अन्दर है, राजस्थान के अन्दर हम सब लोग जानते हैं, 90 प्रतिशत जो हमारी खेती है, वह खेती बरसात पर है और बरसात अगर कम होती है और सरकार ज्योंही अकाल घोषित, अभाव घोषित करती है, फेमिन कोड एग्जिस्टेंस में आ जाता है और फेमिन कोड के अनुसार सरकार को कुछ प्रबन्ध करने होते हैं। अब यह नरेगा के साथ आपने जोड़कर देख लिया कि 100 दिन पूरे होने के बाद हम रोजगार की बात करेंगे। नरेगा में जो चयनित नहीं हैं, उसमें भी और उनके अलावा भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार की आवश्यकता है। आपने जो ज्ञापन दिया, मंत्री महोदय, उसमें आपने भारत सरकार से 800 करोड़ रुपये मांगे रोजगार सृजन के लिए।

यह जो आपने प्रगति प्रतिवेदन दिया है, अभी उसमें मैं देख रहा था कि 10 फरवरी तक आपने पूरे राजस्थान के अन्दर 62,290 लोगों को मजदूरी दे रखी है, आपके अफेक्टेड हैं, आपकी गिरदावरी के अनुसार 4,64,00,000 और मजदूरी दे रहे हैं 62,290 लोगों को। अब इससे साफ जाहिर होता है कि आपका अकाल के प्रति, अकाल प्रबन्धन के प्रति दृष्टिकोण क्या है। इसी तरह, सभापति महोदय, पशु चारे के लिए पशु अफेक्टेड जो उन्होंने बताये हैं, आपके इस ज्ञापन के अनुसार तीन करोड़ 60 लाख और यह पशु हैं 33,464 गांवों में रहने वाले और आपने 1,500 करोड़ रुपये भारत सरकार से इसके लिए मांगें। मुझे अफसोस है कहते हुए कि आपने 20 फरवरी तक यह जो आपने मुझे प्रगति प्रतिवेदन दिया है, कागज दिया है, इसके अनुसार आपने 895 कुछ पशु चारा डिपो राजस्थान में खोल रखे हैं। मैं जिस जिले से आता हूं वहां सिर्फ 25 चारा डिपो खोले हैं और मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में तो एक नहीं खोला।

इस तरह से पेयजल परिवहन के लिए आपने भारत सरकार से 595 करोड़ रुपये मांगे और आपने खुद ने माना कि 22,454 गांवों में पेयजल परिवहन की आवश्यकता है और आपने टैंकर लगा रखे हैं 10 फरवरी तक कुल पूरे राजस्थान में 1,225. पशु शिविर की बात करूं, तो इसी तरह से पशु शिविर आपने सिर्फ 165 खोल रखे हैं। जिस इन्पुट सब्सिडी की बात को लेकर हमारे सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाई, ये 797 करोड़ रुपये आपके पास आये हुए तीन महीने से पड़े हुए हैं पर आपको जब यह लगा कि विधान सभा आ रही है, सत्र आ रहा है तब आपने उनको बांटने का काम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया। अभी तक किसानों के पास पहुंचे नहीं। आपका खुद का जो यह आकलन है, वह यह कहता है कि 15,525 करोड़ रुपये की आपकी क्रोप्स समाप्त हो गईं।

सभापति महोदय, सरकार का क्या दृष्टिकोण है, वह मैं निवेदन करना चाहता हूं और इसके साथ ही इसमें प्रगति प्रतिवेदन में आपने खुद ही माना है कि यह पहली बार है, सभापति महोदय, जब सरकार के पास एन.सी.सी.एफ. और सी.आर.एफ. दोनों का, मैं एक-एक को गिनाना इसलिए नहीं चाहूंगा कि आप घंटी बजाने वाले हैं, 2,123 करोड़ रुपये इस सरकार के पास अकाल प्रबन्धन के लिए एन.सी.सी.एफ. और सी.आर.एफ. में मौजूद हैं आपके पास। अनस्पेंट मनी की बात कर रहा हूं मैं। इसके साथ 531 करोड़ रुपये जो आपने आबंटन की बात कही है, इन सबको मिला लें तो 2,550 करोड़ रुपये। पैसा पर्याप्त है आपके पास, पर आपकी नीति और नीयत में खोट है इसलिए आप यह काम नहीं करना चाहते।

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, यहां वन मंत्रीजी विराजे हैं, हरित राजस्थान की बहुत बड़ी बात हुई और हरित राजस्थान के कारण से कितने जिला कलक्टर्स के विरुद्ध घोटाले के आरोप लगे, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा पर, मंत्री महोदय, यह सही है कि आपने 2,76,14,984 पेड़ लगाये हैं। ये पेड़ आपने खरीदकर लगाये। आज हालत क्या है इन पेड़ों की? इन पेड़ों में से कितने पेड़ जीवित हैं? इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप नरेगा योजना या अकाल राहत के अन्दर मजदूरों की इन पेड़ों को सींचने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था करें कि वे पानी लायें और इन पेड़ों को सींचे ताकि यह जो राज्य सरकार का पैसा जाया हुआ है, यह कुछ-कुछ बच जाये।

सभापति महोदय, मैं पीने के पानी पर कोई लम्बी बात नहीं कहूंगा परन्तु एक ज्ञापन मैंने पढ़ा, विज्ञापन, जो राजस्थान पत्रिका में 30 मार्च को आया। "सोना दो हजार रुपये नीचे, चौंकिये मत, सोने के भाव कहीं नहीं जायेंगे लेकिन पानी कितना नीचे चला गया, क्या आपने सोचा है? 237 ब्लाक्स में से 198 ब्लाक्स डार्क जोन में चले गये; जनसंख्या में प्रति वर्ष 18 लाख की बढ़ोत्तरी; पानी का स्तर प्रति वर्ष दो मीटर की दर से गिरता जा रहा है; जल है तो कल है। निश्चित तौर पर जब यह सारी बातें आती हैं तो मन में भयावह तस्वीर भी कल की सामने आ जाती है और, सभापति महोदय, इसमें शक नहीं है कि आज 70 प्रतिशत हमारे जोन ओवर-एक्सप्लायटेड हो गये। इसके साथ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ही सरकारी दस्तावेज यह कह रहे हैं कि 21,574 गांव और 19,498 ढाणियां यानी 40,072 गांव और ढाणियां ऐसी हैं जिनमें पीने का पानी पीने योग्य नहीं है और सरकार ने खुद ने मान लिया कि 30,297 गांवों में फ्लोराइड है और यह पूरे देश के अन्दर 74 प्रतिशत फ्लोराइड से अफेक्टेड अगर कहीं है तो हमारे यहां हैं।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा, मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा, मंत्री महोदय, अब आवश्यकता आ गई, निश्चित तौर पर हम सब को मन बनाना पड़ेगा, हमारी राजनीतिक परिधि कुछ भी हो सकती है, हम किसी दल के हो सकते हैं पर पीने के पानी और जल के संचय के लिए हमें एकमत होकर एक संदेश देना पड़ेगा ताकि 'जल है तो कल है,' यह बात हम आने वाले हमारे भविष्य, हमारी पीढ़ियां यह नहीं कहें कि हमारे पूर्वजों ने समय रहते चेतना नहीं की, चेते नहीं जिसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा तत्काल ही अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों योजनाओं पर आपको काम करना चाहिए, भूजल नियंत्रण का कानून बने और फसलों में फ्लो इर्रिगेशन की जगह पर फव्वारे और ड्रिप इर्रिगेशन को प्रोत्साहन देने के लिए हमें वास्तव में इंसेंटिव की बात करनी चाहिए और नब्बे प्रतिशत जो सीवरेज का पानी है इसको रिसाइकल करने की आज के इस वैज्ञानिक युग में आवश्यकता भी है और कोई बड़ी बात भी नहीं है। आज पाइप लाइनों में, सभापति महोदय, चालीस प्रतिशत से लेकर साठ प्रतिशत तक का रिसाव है। आज के युग में चांद तक की यात्रा दुनिया कर रही है, क्या चालीस परसेंट, साठ परसेंट के इस रिसाव को रोक नहीं सकते? तो मैं, मंत्री महोदय, निवेदन करूंगा, इसके बारे में आपको कदम उठाने चाहिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तो अपने को कानून बनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा लगा नहीं। स्टेट वाटर अथारिटी बनानी पड़ेगी, वाटर अलाउंस को कम करना पड़ेगा और अब वह समय आ गया है कि जल को सरकारी सम्पत्ति घोषित करें, इसकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके साथ ही यह भी, इसकी भी आवश्यकता है, इंटिग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। अब सिर्फ पी एच ईडी की बात नहीं, अब आपको पी एच ई डी, सी डब्लू डी, इर्रिगेशन, एग्रीकल्चर और सोइल कंजर्वेशन इन सारे विभागों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर इन सब के साथ मिलकर आगे की दीर्घकालीन योजना बनानी पड़ेगी जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी कृत्रिम जल पुनर्भरण की बहुत बात चली, जल नीति भी आप लेकर आये, स्वागत है, परन्तु यह भी सही है कि भारत सरकार ने वह तीन सौ पचास करोड़ रुपये जो जल पुनर्भरण के लिए राजस्थान सरकार को दिये, कब दिये, क्या दिये, मैं इस पर नहीं जाना चाहता पर अगर सरकार गम्भीर होती तो 10,64,365 वाटर स्ट्रक्चर बनने थे जल पुनर्भरण के लिए उसमें से मात्र सत्तर नहीं बनते। सिर्फ सत्तर हैं, सभापति महोदय! और आज सरकार केन्द्र सरकार को लिख रही है कि हम इस पैसे का यूज नहीं कर सकते, इस पूरे लक्ष्यों को दोबारा निर्धारण करें। मैं समझता हूं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती।

आज, सभापति महोदय, मैं सुझाव देना चाहूंगा, आवश्यकता आ गई कि विलेज डाइरेक्ट्री बने। सभापति महोदय, मैं जहां से आता हूं वहां पहले ट्रेडिशनल सोर्स थे, खूब पानी मिल जाता था, उसके बाद आपणी योजना आ गई, आपणी योजना आ गई तो अचानक आदेश चला गया, पुराने कुए बंद कर दो। पुराने कुएं बंद हो गये, उनमें मोटरें लगी रह गईं, पाइपें लगी रह गई। कब वह मोटर निकली, कब पाइप निकले, कौन निकाल कर ले गये, आज मालूम नहीं। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है विलेज एटलस बने, सभापति महोदय, जिसके अन्दर चिह्नित हो कि कहां पम्प है, कहां ट्यूबवैल, कहां हैंडपम्प हैं और मैं तो, मंत्री महोदय, यह भी कहूंगा कि अगर आपका विलेज एटलस जन-प्रतिनिधियों तक पहुंच जाय, गांव के सरपंच से लेकर वहां के एम एल ए तक को यह मालूम हो कि यह जो मुझे एटलस दिया है, मैं जिस गांव में जा रहा हूं, वहां जाउंगा, फलां मोहल्ले में फलां जगह पर मुझे हैंडपम्प मिलेगा, वहां ट्यूबवैल होगा तो वह बात चली जायेगी कि कागजों में कोई चीज बनाते हैं और उसके बाद यह बात सामने आती नहीं।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, माननीय तारानगर से आने वाले सदस्य ने बहुत चिंता जताई, हमने विलेज डाइरेक्ट्री का काम सत्तर प्रतिशत कर लिया है, आने वाले तीन महीनों में पूरी विलेज डाइरेक्ट्री बनवा रहे हैं। एक-एक गांव और एक-एक ढाणी का सर्वे करवा रहे हैं और आप उसको अपने लैपटाप पर वेबसाइट पर देख सकेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं स्वागत करता हूं मंत्री महोदय और आज की आवश्यकता भी है, मंत्री महोदय, आप अच्छा काम करो। जैसा मैंने कहा है कि यह जल और पानी, यह एक ऐसा विषय है जिनके राजनीतिक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चश्मा लगाकर हम देख नहीं सकते पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में भी निश्चित तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी आपात योजना बनी थी, दो चरण आपने बनाये, पहला चरण 31 दिसम्बर से 31 मार्च तक का और दूसरा चरण 31 मार्च से उसके बाद तक का। मैं पांच मिनट में खत्म कर रहा हूं। 1500-1500 सिंगल बोर आपने स्वीकृत किये, 25 करोड़ सरकार ने व्यय करने की सोची पर आपने आदेश क्या जारी कर दिये कि इन सिंगल बोर का टेंडर उसे दिया जायेगा जिसको खराब हैंडपम्प सिंगल फेज, सबमर्सिबल पम्प सेट, स्टोरेज टैंक, आदि का कार्य करने का विभाग में दो सौ बार का अनुभव हो। सिर्फ दो कम्पनियां हैं भीलवाड़ा की, सिर्फ दो कम्पनियां! यह क्यों रोकना चाहते हैं आप?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): we have withdraw that order. हमने वह आर्डर ही विड्रा कर लिया, सब को कम्पीटिशन से किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं आपका फिर स्वागत करता हूं पर आपने..

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अगले जो भी आर्डर होंगे, हमने इसके अन्दर भ्रष्टाचार नहीं हो, एक-एक ट्यूबवैल का उसको निविदा में लेना पड़ेगा, एक-एक सिंगल ट्यूबवैल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर आपने कर लिया, बहुत अच्छा किया, विड्रा कर लिया आर्डर पर वह आर्डर जारी किसने किया? ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लगाओगे तो इसी तरह अंगुली उठेगी।

दूसरे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप जल नियामक आयोग बनाना चाहते हैं, जल नियामक आयोग बनाकर आप जल दर बढ़ाना चाहते हैं। पानी है नहीं और जल नियामक आयोग बनाकर हम जल दर बढ़ायें, मैं समझता हूं इस पर आपको विचार करना चाहिए। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन से आपका जो समझौता हुआ है, आप सारे शहरी निकायों को शहर की वाटर सप्लाई सौंपना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि आज के समय में यह उचित नहीं है।

इसके साथ ही मैं एक निवेदन करूंगा; सभापति महोदय, आप घंटी बजायें इससे पहले मैं दो-तीन बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज हमारे...

एक माननीय सदस्य: आज घंटी नहीं बजेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): धन्यवाद, सभापति महोदय। सभापति महोदय, सात बड़े बांध हैं हमारे, राणा प्रताप, माही, बीसलपुर, जंवाई, सोम कमला अम्बा, जयसमंद और जाखम। अक्सर मानसून में लबालब भरते हैं, सभापति महोदय, आप तो खुद उस इलाके से आते हैं, ओवरफ्लो होते हैं, हम गेट खोलते हैं, 71 प्रतिशत बरसात का पानी रोकते हैं, रोक सकते हैं बांधों में, 29 प्रतिशत पानी बहकर चला जाता है और यह 29 प्रतिशत पानी है 6 करोड़ 94 लाख 60 हजार लीटर पानी। यह गुजरात से होता हुआ चम्बल नदी से होता हुआ गुजरात के रण से होता हुआ कच्छ में जाकर समुद्र में चला जाता है। आज की आवश्यकता है, आज की आवश्यकता है कि हम कोई नीति बनायें, इस पानी को रोकें।

उसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य अभियंता महोदय ने एक परिपत्र जारी किया, परिपत्र संख्या 24167 डेटेड 1.2.2008, मतलब छह महीने में टंकियों की सफाई होनी चाहिए। आप टेंडर पर टेंडर करते गये, अभी रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य उस पर प्रकाश डालेंगे, पर, सभापति महोदय, दो साल से आपने इन टंकियों की सफाई नहीं की और उसी कारण से दूषित पानी की बात हमारे सामने आई।

मैं एक निवेदन और जरूर करूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आपणी योजना है और इस आपणी योजना के अन्दर जो पानी हमें मिलना चाहिए, जो नहर से हमें पानी मिलना चाहिए, वह है 45 क्यूसेक्स और पानी मिल रहा है 25 क्यूसेक्स। आज, सभापति महोदय, जिस तरह के हालात उस योजना के हो गये, आज गंधेली से कर्मसेना ड्रिंकिंग कैनाल सिल्ट के कारण बंद हैं, कर्मसेना से ललानिया, यह भी गाद और सिल्ट के कारण बंद है, साहवा का ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़ा है; कर्मसेना का ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़ा है; तारानगर का ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं हुआ, मैं समझता हूं, निश्चित समय रहते हुए आप करें और मेरी तो मजबूरी है।

मैं, मंत्री महोदय, एक ओलमा और दूंगा, जन प्रतिनिधियों की जितनी दुर्गति आपके विभाग में है, कहीं नहीं है। आपको पत्र लिखें, आप जवाब नहीं दो; आपके मुख्य अभियंता को पत्र लिखें वह फाड़ कर फेंक दे- आपके अधीक्षण अभियंता तो हमारे लिए, हमारा अलग से रजिस्टर ही नहीं रखते, बात ही नहीं है, उनको पत्र लिखते जायें, हम कुछ कहते जायें; कृपया आने वाले तीन महीने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के लिए तो निर्देश दे दो उनको, हम जो कुछ उनको कहें, टेलीफोन करें, पत्र लिखें उस पर तो वे करें।

एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, इसके साथ ही यह बहुत बड़ी आवश्यकता आ पड़ी है कि अन्तरराज्यीय जल विवादों के अन्दर आज बीस साल बाद दिल्ली और राजस्थान में एक ही पार्टी की सरकार है, अब क्या, कौन रोक रहा है? आपके जो यमुना जल है, जिस यमुना जल में हमारा हिस्सा है, 18 जून, 2009 को हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी से, आप भी थे और हमारे मुख्य मंत्री भी थे, वार्ता हुई। आज हरियाणा जो कह रहा है अब आपको ताजेवाले हैड से 1,917 क्यूसेक्स पानी चूरू और झुंझुनूं को मिलना चाहिए, अब यह कह रहे हैं कि तालेवाले हैड से नहीं, पानीपत के पास बैराज बनाओ। यह 18 जून, 2009 की बात है। मैं समझता हूं, मंत्री महोदय आपका प्रभाव है, आपके मुख्य मंत्री का प्रभाव है, यमुना जल 1994 में जो समझौता हो गया, आज हम वहीं घूम रहे हैं। मैं समझता हूं, निश्चित तौर पर इस पर लम्बी बात करने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी बातें हैं पर इस बारे में आपको सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात उठाई थी बी बी एम बी पर जहां से पानी हमको मिलता है, मुख्य जो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उसके अन्दर 42 वर्षों से हम मांग कर रहे हैं कि राजस्थान का प्रतिनिधि होना चाहिए और इसी 4 मार्च, 2010 को संसद में यह मामला उठा, आपकी हुकूमत जो दिल्ली में है उन्होंने साफ कह दिया कि अब बी बी एम बी में राजस्थान का कोई हक नहीं बनता कि उनके प्रतिनिधि जाएं। वहां स्थाई सदस्य जो हैं उसमें राजस्थान का नाम नहीं है। जब तक यह बात नहीं सुलझेगी तब तक हरियाणा के सामने याचक बनकर के हम खड़े रहेंगे। निश्चित तौर पर आपको इस पर कार्यवाही करनी चाहिए।

अंत में मैं निवेदन करूंगा, आपने बहुत बड़ी घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 20 हजार से ज्यादा की योजनाएं बन गई, बहुत खोटा काम किया, हम योजनाबद्ध तरीके से इन योजनाओं को पूरा करेंगे, यह पूरा वह पत्र है। योजनाएं बनती हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, योजनाएं बनती हैं, बरसों में पूरी होती हैं पर आपने एक आदेश से, आदेश में लिखा है कि 31 दिसम्बर, 2008 तक जारी ऐसी समस्त प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जिनके विरुद्ध अभी कार्यादेश नहीं दिये गये हैं, तत्काल प्रभाव रूप से एंबेस में की जाती हैं। रामलुभाया जी ने हस्ताक्षर करके सारी योजनाओं को रोक दिया। अब इन योजनाओं में कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें आधा काम हो गया, कई योजनाएं ऐसी हैं जिनके अन्दर सब तरह की स्वीकृतियां हो गईं, सिर्फ इस चश्मे से अगर देखेंगे तो मैं उचित नहीं मानता। आपसे मैं अंत में यही निवेदन करूंगा कि कम से कम यह जो लगता है और तो सब ठीक है, हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य और वो सत्तापक्ष के सदस्य आप कह रहे हैं, मैं पानी की राजनीति की बात नहीं करता पर जिस तरह का व्यवहार हो रहा है नीचे के स्तर पर, मंत्री महोदय, आपसे मेरी प्रार्थना है और, आपदा राहत मंत्रीजी आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि कम से कम हम जो बात कहें, आप अच्छी कहें तो स्वीकार करें...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आसन को मुखातिब हों।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कम से कम हमारी पत्र पावती देना तो प्रारम्भ कर दें। नई बात जो आई है, ना, आजकल मंत्री लोग अपने आपको समझने लगे गये हैं, हमारे में और जो विधायक हैं इसमें बहुत बड़ा फर्क है यह अच्छी बात नहीं है।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह के हालात हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जिस तरह के हालात हैं, मंत्री महोदय, मेरे पास तो कोई चारा नहीं है, मैं तो विधान सभा समाप्त होने के बाद एक-दो सप्ताह में जन-जागरण करूंगा और उसके बाद में मेरे पास कोई चारा नहीं है। इसलिए मैंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव नहीं गिनाए हैं। एक गांव ऐसा नहीं है जिसमें पीने का पानी उपलब्ध हो। बार-बार कहने पर आप पत्र का जवाब नहीं दें, आपका एक्स.ईएन. जाए नहीं हमारे साथ साइट पर, हमारे पास इसके अलावा क्या चारा बचा? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कह रहा हूं कि मंत्री महोदय, वहां आने वाले समय के अन्दर जन-जागरण करके आमरण अनशन पर मुझे बैठना पड़ेगा, मेरे पास कोई चारा नहीं है।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज पानी, बिजली और अकाल पर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर दो दिन से चर्चा चल रही है। इस अवसर पर खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय को और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को जिनकी सरकार प्रदेश को विद्युत उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और ऊर्जा में राजस्थान कैसे आगे आये, कैसे तरक्की करे, इसके लिए इस बजट में 12,434 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे बजट का 52 प्रतिशत बजट इसमें लिया गया है। पिछले कार्यकाल में भी जब आदरणीय अशोकजी गहलोत की सरकार थी उस समय भी 1750 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया था...

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, मोबाइल सुन रहे हैं, इनका मोबाइल जब्त किया जाए खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य का।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): और अभी भी सरकार ने 4 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का टार्गेट लिया है जिससे किसानों का फायदा होगा और सरकार ने किसानों के लिए 65 हजार कनेक्शन देने की घोषणा इस बजट में की है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछला जो कार्यकाल कांग्रेस सरकार का रहा, आदरणीय अशोकजी गहलोत का रहा उसमें जो बिजली का उत्पादन हुआ, उस बिजली उत्पादन का पूरा मजा पिछली सरकार ने लिया। सबसे बड़ी हमारे लिए शर्म की बात, खेद की बात यह रही है कि कहीं भी कोई योजना, बिजली का नया उत्पादन कैसे किया जाए, इसके लिए एक पैसा भी इन्होंने नहीं दिया और इसका खामियाजा आज हमें देखने को मिला और उसके ऊपर भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को कि इस सीजन में कहीं भी कोई जाम नहीं लगा, कहीं भी किसी जी एस एस पर धरना-प्रदर्शन नहीं हुआ और सभी किसानों को जो सरकार ने घोषणा की थी 6 से 9 घंटे बिजली की, वह बिजली मिली। उसका नतीजा यह हुआ, आज फसलें लहलहा रही हैं और आने जा रही हैं मण्डियों में।

इस अवसर पर मैं खास तौर से माननीय मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं, उनको कहना चाहूंगा, मेरे पूर्व माननीय जमवारामगढ़ से आने वाले सदस्य ने जैसा कि बताया, कृषि के जो ट्रांसफार्मर है उनमें कहीं तार ढीले होकर हट जाते हैं या मीटर जल जाता है तो किसान को उस ट्रांसफार्मर को उठा कर

(श्री टीकाराम जूली)

पावर हाउस पर लेकर जाना पड़ता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार जब इतना पैसा ऊर्जा के क्षेत्र में लगा रही है तो क्यों नहीं हम हर जी एस एस पर एक छोटी वेल्डिंग की मशीन वहां रखवा दें जिससे जहां भी किसान का ट्रांसफार्मर या अगर मीटर जलता है, कोई छोटी-मोटी उसमें कमी होती है तो वहां पर हमारा आदमी जाए और वहीं जाकर के उसकी सील लगाकर वेल्डिंग कर दे।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा विजिलेंस का भी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, एक अति हो चुकी है इस मामले में। जो पूर्व सरकार द्वारा यह विजिलेंस जो शुरू की गई थी और जिसमें किसानों को अपनी बात कहने का कोई मौका नहीं मिलता है, उसमें भी कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें किसान अपनी बात रखे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 132 केवी जी एस एस और 6 छोटे 33 केवी जी एस एस मंजूर किये उसके लिए धन्यवाद।

मैं पानी की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज यह समस्या राजस्थान की ही नहीं अपितु पूरे भारत देश की बन गई है और इसमें मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज इसमें पक्ष और प्रतिपक्ष को एकजुट होने की बात है। मेरे पूर्व वक्ता माननीय प्रतिपक्ष के लोगों ने पिछली सरकार की काफी बढ़ाई की कि हमने जल प्रबंधन का यह काम किया, हमारे बारिश भी अच्छी हुई, यह हुआ पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार आई है उसको अभी 13-14 महीने हुए हैं, वह सारा पानी हमने उसको छुपा दिया या क्या कर दिया? आपका प्रबंधन कहां है? पांच साल में आपने पानी के लिए जो योजनाएं बनाई, आपने कहा, इतना अच्छा काम हमने पानी के लिए किया, वह कहां है? वह पानी भी क्या आप साथ ले गये? सरकार गई उसके साथ पानी भी गया क्या? मैं अजमेर की बात करुंगा, पिछली सरकार में पानी का सबसे ज्यादा बजट अगर कहीं लगा तो अजमेर में लगा 11 प्रतिशत बजट का हिस्सा अजमेर में लगा लेकिन आज अजमेर के लोग भी कह रहे हैं कि वहां पानी नहीं है। तो यह मेरे कहने का मतलब कोई प्रतिपक्ष पर आरोप लगाने का नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें पक्ष और प्रतिपक्ष को मिलकर जो आदरणीय गहलोत जी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार है, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस सरकार का प्रबंधन चाहे अकाल का प्रबंधन हो, चाहे पानी का प्रबंधन हो, किसी भी पार्टी की सरकार से

(श्री टीकाराम जूली)

अच्छा प्रबंधन इस सरकार का रहा है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर इसमें सहयोग करे और खास तौर से हरित राजस्थान में भी आप लोग सहयोग करें।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, आदरणीय मंत्रीजी यहां पर मौजूद हैं, हमारे जहां पर पी एच ई डी की स्कीम चल रही हैं वहां पर सिंगल ट्यूबवैल की कई गांवों में स्कीम हैं और जो ट्यूबवैल सूख जाता है और गांवों में एक ही सिंगल ट्यूबवैल है तो वहां स्थिति एकदम खराब हो जाती है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां भी सिंगल ट्यूबवैल की स्कीम हैं वहां एक ट्यूबवैल और मंजूर किया जाए। राजस्थान का जो यमुना का हिस्सा है 1.112 बिलियन क्यूबिक मीटर उसे लिया जाए और खास तौर से अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है इसको वह पानी मिलना चाहिए जिससे कि... धौलपुर को भी, मलिंगा जी कह रहे थे अलवर, भरतपुर और धौलपुर को भी उसका हिस्सा मिले। जहां पर हैंड पंप की जहां हमारे स्कीम थी, जो गांव हमने हैंडपंप से जोड़ रखे हैं और हैंडपंप ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने पच्चीस मिनट तक अपनी बात कहीं है और किसी के समझ में भी नहीं आयी। मैं तो सिर्फ आठ ही मिनट बोला हूं।

मैं कह रहा हूं कि जहां हैंडपंप की हमारी स्कीम है क्योंकि जलस्तर काफी नीचे चला गया है और हैंडपंप खींचा नहीं जाता है और रोज खराब रहता है उनकी जगह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंगल फेज की मोटर और बोरिंग और छोटी टंकी का प्रावधान किया जाए जिससे कि वहां लोगों को इसकी सुविधा मिल सके।

खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि सेक्टर रिफोर्म एक केन्द्र सरकार की स्कीम आयी थी, चार जिले हमारे चुने गये थे उसमें, सेक्टर रिफोर्म अलवर में भी ली गयी थी, आज स्थिति यह है कि सेक्टर रिफोर्म की 95 स्कीमें बंद हैं। उनके बंद होने का सबसे बड़ा कारण मैं बताऊंगा आपको, माननीय सभापति महोदय, उसका बिजली का जो बिल आता है वह कामर्शियल रेट के हिसाब से आता है और किसी भी गांव के लोग इतना बड़ा बिल भरने में सक्षम नहीं हैं और कामयाब नहीं होते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें

(श्री टीकाराम जूली)

बिजली का जो बिल आता है, वह कृषि का जो कनेक्शन है उस हिसाब से ही इसका बिल किया जाए और इस योजना को जे.जे.वाई. स्कीम में सम्मिलित किया जाए। सेक्टर रिफोर्म के जो ट्यूबवैल सूख गये हैं उनको जे.जे.वाई. योजना में लेकर नये ट्यूबवैल वहां लगाये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित कराना चाहूंगा कि अभी राजीव गांधी पेयजल मिशन के नाम से एक नयी योजना पूरे राजस्थान में बनी है और मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि कहीं इसका भी वह ही हाल न हो जाए जो सेक्टर रिफोर्म का हुआ था क्योंकि बिजली का बिल भरना और इसका संचालन करना, मैं मानता हूं कि गांव वालों के लिए बहुत ही बड़ी आज के इस टाइम में दिक्कत की बात है। क्योंकि आपसी तालमेल तो रहा नहीं, कौन तो बिल का कलेक्शन करेगा और कौन उसका बिल भरेगा, इतनी बड़ी योजना है। मैं कहना चाहूंगा कि सिंगल फेस की जहां तक बात है वह बिल तो गांव वाले भी भर लेंगे लेकिन जहां थ्री फेस के ट्युबवैल हम सैंक्शन करेंगे तो उसका बिल गांव वाले नहीं भर पाएंगे और ये पूरी स्कीम में इतना पैसा हमारा लगाया हुआ सरकार का सारा ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा जैसे कि बी जे पी की सरकार में इन्होंने जो पैसा लगाया था।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय का, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को जिन्होंने नयी जल नीति बनायी है। निश्चित तौर पर योजना में जो लोग हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। अलवर को आर यू आई डी पी के माध्यम से आपने जो शहर के लिए योजना स्वीकृत की है उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय को भी धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ): आप पहले बोल लें फिर मैं बोलूंगा। बोल लिये न? आप अपने मुंह से सब +++ बोल दो फिर मैं बोलूंगा। व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हां, ठीक है, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारे मंत्रीजी जल संसाधन मंत्रीजी, जलदाय मंत्रीजी और सिंचाई मंत्री तो बहुत सीधे हैं और मैं तो कहूंगा कि जाट होकर के भी सीधे हैं। मंत्री महोदय की तो नीयत साफ है इसलिए उनके सारे पाप माफ हैं। मंत्री महोदय तो सीधे हैं, उनके सारे पाप इसलिए माफ हैं कि उनकी नीयत साफ है।

श्री मुरारी लाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि): सभापति महोदय, इन्होंने आरोप लगा दिया कि जाट होकर भी सीधे हैं इसका मतलब जाट बदमाश होते हैं। आपने कहा कि जाट होकर भी सीधे हैं, इसका मतलब?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप तो जाट हो नहीं आप क्यों...

श्री मुरारी लाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): नहीं, मैं तो नहीं हूं लेकिन इसका मतलब क्या हुआ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सब समझ गये मेरी बात को।

श्री मुरारी लाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): इसका मतलब जाट बदमाश होते हैं, महेन्द्रजी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): मैं हूं जाट, बताओ।

श्री सभापति: हां, आप सीधे आदमी हो, विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मेरे मित्र हैं जाट। आप भी मेरे मित्र हो।

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य, विराजें।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, आयोजना (जन शक्ति)): ये कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री सभापति: उनकी भावना अच्छी है उनकी भावना बुरी नहीं है। विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैंने मंत्री महोदय के बारे में जो कहा वह इसलिए कहा कि इनके नीचे के जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनके बारे में मैं कहूंगा कि जरा उनसे आप सावधान रहें, होशियार रहें। ये ऐसे हैं कि किसी को बना देते हैं बौना, शादी किसी की करवा देते हैं और किसी का करवा

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

देते हैं गौना। किसी को परोस दें पत्तल और किसी को परोस दें दौना। पर आपकी है मजबूरी इनको ढोना। पर इनके भ्रष्टाचार के पर नहीं कटे तो आपको पड़ेगा रोना।

मंत्री महोदय, मैंने इसलिए कहा है कि हमारे राजेन्द्रजी राठौड़ और माननीय ज्ञानचंदजी पारख ने थोड़ा हिंट दिया था जंवाई बांध के बारे में। ज्ञानचंद जी पारख, पाली के विधायक बोले, जंवाई बांध के अलावा बीसलपुर बांध भी है जिन पर आदेश हैं सेक्रेटरी साहब के, प्रमुख शासन सचिव के, आदेश हैं चीफ इंजीनियर के, एडिशनल चीफ के आदेश हैं और एस ई तक, एक्स ईएन तक हैं, उस पर एक परत बिछानी थी वाष्पीकरण के लिए ताकि भाप से पानी नहीं उड़ पाये, बीसलपुर में भी और जंवाई बांध में भी। बैठे हैं अधिकारी उनसे बात भी मेरी दो-तीन दिन से हुई है। दोनों जगह सिर्फ कमीशन के लालच में भारी भ्रष्टाचार के कारण आप ताज्जुब करेंगे कि किस प्रकार से टेंडर पर टेंडर, तारीख पर तारीख, पहले 12.9 को निविदा निकाली गयी अल्पकालीन निविदा अर्जेंट, उसके बाद 13.11.09 को फिर 8.1.2010, फिर 5.2.2010, 19.2.2010 और उसके बाद 12.3.2010, ये हैं जवाईं बांध की। इसी प्रकार से अल्पकालीन निविदा 28.10.09, 12.11.09, 18.11.2009, उसके बाद 19.1.2010 और उसके बाद 19.2.2010 और फिर 25.2.2010, ये टेंडर अल्पकालीन अर्जेंट। इनको क्यों सरकाया गया? क्योंकि एक ही कंपनी उस परत को, एक केमिकल की परत होती है ताकि पानी भाप बन करके नहीं उड़े, वाष्पीकरण नहीं हो, ये माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के लोग भी सुन लें, उसके लिए एक ही कंपनी जो वह केमिकल बनाती है परत बिछाने के लिए उनके द्वारा कमीशन कम दिया जा रहा है। चीफ इंजीनियर के आदेश, एडिशनल चीफ के, प्रमुख शासन सचिव के, निविदाओं की तारीख चली गयी। जो चार महीने, पांच महीने पहले, माननीय सभापति महोदय, काम होना चाहिए, अभी भी वह परत नहीं बिछायी। आप बूंद-बूंद पानी को बचाओ, आप बूंद-बूंद से फव्वारा पद्धति से सिंचाई करो, बूंद-बूंद बचाने का यह करतब है आपके डिपार्टमेंट का।

माननीय मंत्री महोदय, इसी प्रकार से आपका आदेश है 26.10.07 का 559 नंबर, दिनांक 26.10 का, 6 महीने में टंकियों की सफाई होनी चाहिये थी, माननीय राजेन्द्र राठौड ने हल्का सा इशारा किया था, आज 6 महीने की जगह ढाई साल हो गये, टंकियों की सफाई नहीं हुई। क्यों नहीं मरेंगे लोग? सभापति महोदय, बताइये, क्यों नहीं पानी में कीड़े और बैक्टेरिया पैदा होंगे? यह पूरे डाटा

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

मेरे पास हैं, समय लगेगा, आप कृपा करके घंटी न बजायें, यह पूर डाटा है जहां टंकियों की सफाई नहीं हुई और वहां, पर सफाई नहीं हुई जहां के माननीय मंत्रीजी हैं जोधपुर संभाग के और वहां सफाई नहीं हुई। यह आदेश जोधपुर संभाग के चीफ के हैं जहां के मुख्य मंत्रीजी हैं। इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है? इससे बडे दुःख की बात क्या हो सकती है? जो टेंडर नहीं लगे, जो टंकियों की सफाई नहीं हुई, माननीय मंत्री महोदय, आप ध्यान दें, इसकी पूरी डिटेल मेरे पास है, वह मैं आपको दे सकता हूं वैसे आपको विभाग से लेनी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, सत्ता पक्ष के लोग बोले अकाल पडता है, कुछ ने स्वीकार भी किया। अशोक गहलोत साहब तो अकाल, मैंने पहले बजट में ही निवेदन किया था, हे महान् पुरुष, हे अकाल पुरुष श्रीमान् अशोक गहलोत साहब आपको सादर प्रणाम। अकाल पुरुष क्यों कहा, क्योंकि 24 घंटे में एक बार वाणी पर सरस्वती बैठती है, आपका खजाना खाली है। मैंने प्रश्नकाल का बहिष्कार कर रखा है। 'वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण यह काम नहीं हो सकता,' कितने ही प्रश्नों का यह उत्तर आया। मैं आपको कहना चाहता हूं, पहले तो आप अकाल लाओ, आपकी कांग्रेस सरकार आती है और अकाल आता है, पहले तो अकाल लाओ

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): बी जे पी के टाइम अकाल नहीं पड़ा क्या ? कैसे आरोप लगा रहे हैं आप? आप पवित्र सदन में असत्य बोल रहे हैं। अभी कह रहे थे कि पानी की टंकी की सफाई नहीं हुई ढाई साल में, सरकार बने तो अभी सवा साल हुए हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए ।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): इनको कहो ना आप, ये असत्य बोलने पर उतारू हो गये हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप बोल लीजिए, मैं बैठ जाता हूं। बोलिए, और कोई बोल रहा है? झूठ और असत्य की कलई तो खुल गई और बात अब ढल गई, इसलिए आपकी जबान मल गई, छोड़िये इस बात को । पहले तो आप अकाल लाये, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। जैसे कांग्रेसी दिल्ली में भंगडा कर के नाचे ढोल बजाकर कर, बडे नाचे कि हम मामा हो गये, क्या मामा हो गये कि +++ वैसे ही आप ढोल बजा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, हम लोग चर्चा कर रहे हैं पानी, बिजली पर और आप कहां से कहां जा रहे हो। इस बात को थोडा सा सुधारो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उदाहरण दिया है, उदाहरण दे सकते हैं। सभापति महोदय, धन्यवाद मुख्य मंत्रीजी को, धन्यवाद किस बात का कि आप अकाल तो लाये लेकिन अच्छा प्रबंधन किया। अच्छे प्रबंधन के लिये धन्यवाद। पहले अकाल लाओ और फिर लूटने के लिये अरबों खरबों का +++ और उसके बाद +++ करो, +++ और +++ करने के लिये मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद कि अकाल का अच्छा प्रबंधन किया।

श्री सभापति: यह सारे शब्द आप एक्सपंज करना। किस चीज के +++ कहां से शुरू हुए...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सभापति महोदय, जो सदन की सदस्या नहीं हैं उनका नाम ले रहे हैं। +++ का क्यों नाम ले रहे हैं वह सदस्य ही नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, हम लोग गम्भीरता से चर्चा कर रहे हैं और पूरा राजस्थान यह देखेगा कि सरकार ने ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सभापति जी, उनको एक्सपंज करवाइए।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): क्या +++ हुए हैं, यह गलत आरोप लगा रहे हैं। क्या +++ किया है। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सभापति महोदय, इसको एक्सपंज करवाइए।

श्री सभापति: मैंने कर दिया ना एक्सपंज आपके बिना कहे ही, आप विराजिए ।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये सदन में। यह कह रहे हैं कि वहां पर नाच रहे थे, अभी वसुंधरा जी आई थीं वहां चौराहे-चौराहे पर +++ था।

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो। माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य। यह बार-बार +++ रहा है यह आप एक्सपंज कर दीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने घोटाले नहीं किये, रोज अख़बार लिख रहे हैं। पाइप के बारे में लिखा है, किस-किस के बारे में लिखा है। मैं, चलो, अब मैं ज्यादा नहीं बोल रहा।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): पाइप जो एक्सेस खरीदा गया है वह आपके टाइम में खरीदा गया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हमारा टाइम और आपका टाइम नहीं, अधिकारी तो वही सेम हैं ना। आपके अधिकारी भी वही के वही हैं या दूसरे हैं?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): वह 12 करोड़ से ज्यादा नहीं रख सकते थे और यह बहुत ज्यादा पैसों से खरीदा गया, जिस पाइप की जरूरत नहीं थी वह आज भी एक्सेस पड़ा हुआ है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप इसकी भी जांच करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था कि न नीति है न निर्णय है और न कोई आस्था है, न कोई भावना है आपकी, न कोई मर्यादा है, न कोई विश्वास है। आपका कोई कंट्रोल डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं है सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो, साहब, कुछ बोला ही नहीं। अभी तो कुछ सुझाव देने हैं, मेरे रामगढ क्षेत्र का बोलना है।

श्री सभापति: अब आप सुझाव पर आ जाओ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय मंत्री महोदय, आप सिर्फ पश्चिमी राजस्थान और मेवाड़ की बात करते हैं। वहां है कमांड और अनकमांड तो हमारे यहां है। पानी की डिमांड को आप पूरा नहीं करेंगे तो हमारे किरोडी लाल भैंसला साहब और किरोडी लाल मीणा साहब जगह-जगह चक्का जाम और धरना कर रहे हैं और मैं धरना दूंगा आपके घर पर आकर के अगर आप हमारे पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे। मेरे रामगढ क्षेत्र को, मैंने आपको कई बार लिखकर दिया, आपने लिखा 30 हैंड पम्प, आज तक नहीं लगे। आपने लिखा, आपको हम पांच सिंगल फेज देंगे, आज तक नहीं लगे। पानी की त्राहि-त्राहि जब सब जगह है, माननीय मंत्री महोदय, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं तो फिर हमारे अलवर जिले की उपेक्षा क्यों? आप एशियन डवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, अभी हमारे अलवर ग्रामीण के विधायक

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

जूली साहब बोले कि मेरे यहां पानी की यह-यह व्यवस्था है, कहीं नहीं है और बिलकुल असत्य बात है। बिजली घरों पर धरने दिये गये, प्रदर्शन किये गये, रोज के अख़बार भरे हुए हैं। खुद इनके क्षेत्र में माराखेड़ा का बिजली घर बंद हो गया। 132 और 133 केवी के हमारी सरकार के समय आदेश हुए थे और वे प्लानिंग में थे और अब जाकर उनकी स्वीकृति हुई। प्लानिंग उस समय की थी, यह मैं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, बिजली के बारे में मेरा निवेदन यह है 1-1, 2-2 महीने ट्रांसफार्मर नहीं मिलते और बी पी एल के लोगों को अब तक कनेक्शन नहीं हुए । कनेक्शन किसी के नाम था, बिजली कहीं लग गई। सभापति महोदय, ऐसी 50 एफ आई आर बिजली की एस ई साहब को कहकर थाने में दर्ज कराई हैं। मतलब कनेक्शन किसी के नाम पर और लग गया कहीं और बिल कहीं आया।

सभापति महोदय, कम समय में चारे के बारे में मैं कहना चाहता हूं । हमारे यहां से हज़ारों क्विंटल नहीं हजारों टन चारा, आपदा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं, हजारों टन चारा हरियाणा को जा रहा है भट्ठो में और आपको समर्पित होने। अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा चारा होता है, उस चारे को बाहर जाने से रोका जाये।

मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, मेरे यहां 20 पंचायतें ऐसी हैं जहां बिलकुल भी पानी नहीं है। मैंने उन 20 पंचायतों की सूची दी है। सभापति महोदय, लगभग 15 स्कीम मेरे विधान सभा क्षेत्र में चाहिये, पांचों कस्बों में और लगभग 40 लाख से एक करोड़ की स्कीम चाहिये।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं, कुछ सुझाव मैंने पहले भी दिये अब भी देना चाहता हूं। आज पानी कहां गया, पानी सड़क पर आ गया। यह कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्री, मिनरल वाटर के उद्योग, यह शराब के कारखाने जो मेरे यहां लगे हुए हैं, पहले गंगानगर डिस्टिलरी एक था अब तो कम से कम 100-150 हमारे जिले में ही बीयर फैक्टरियां लग गई हैं? आप उन पर रोक लगायें, पानी की व्यवस्था में हमारे रामगढ़ में कहीं दिक्कत नहीं आयेगी।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जैसे हमारे माननीय सदस्य ओम जोशी जी भले ही सत्ता पक्ष के हैं, उन्होंने बोला कुछ

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हवन और यज्ञ। वैसे मैं यह बड़े-बड़े हार्वेस्टिंग की और वार्षिक प्रतिवेदन का काफी लम्बा चौड़ा, नोट करके आया था, प्रदूषण मंडल का। इनकी रिपोर्ट की तो बडी सुंदर बुकलेट आ गई है पर इनके हिसाब से चलने वाली बात भी कहां है, जो उन्होंने रिपोर्ट भी दी है आपको, उसके हिसाब से चलने वाली नहीं है। आप पर्यावरण को ठीक करें, देशी पेड़ लगायें, कुछ हवन-यज्ञ करें। सभापति महोदय, आप पर्यावरण को ठीक करना चाहते हैं...

श्री सभापति: श्री नवल किशोर जी मीणा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मात्र एक मिनट, साहब।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करो। पर्यावरण अच्छा हो जायेगा। माननीय सदस्य, अब विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, इस संबंध में मेरा यह कहना है कि पर्यावरण को ठीक करने के कारण ही पानी की उपलब्धि होगी और देशी पेड़ लगेंगे और देशी पेडों के साथ हवन-यज्ञ होंगे, भारतीय संस्कृति के हिसाब से, पुनः हमको जन-जागरण करना पड़ेगा। जो पुराने रिर्सोसेज थे, ट्रेडिशनल रिर्सोसेज थे उन पर ध्यान देना पड़ेगा तभी इस संबंध में कोई कार्यवाही हो सकती है, पानी की, बिजली की और सारी उपलब्धता हो सकती है।

श्री सभापति: अब आप विराजो। फिर अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य, मुझे व्यवस्था देनी पड़ेगी। अब आप विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपने मुझे बुलवाया, धन्यवाद।

श्री नवल किशोर (बामनवास): सभापति महोदय, जैसे कि दो दिन से सदन में पानी पर चर्चा हो रही है मैं भी उस चर्चा में शामिल होते हुए सिर्फ यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान में पानी का क्राइसिस क्यों हुआ और उस क्राइसिस से बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। मेरे क्षेत्र की क्या मांग है और उनको दूर करने के लिए क्या सुझाव हैं, इसके लिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा। सभापति महोदय, जो पानी का क्राइसिस हुआ उसका मेरे माननीय सदस्यों ने यह बताया कि राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरे देश का 10.50 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में, पूरे देश की 5.50 प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में है, जो अन्तरराष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसार एक हजार घन मीटर पानी की आदमी को आवश्यकता होनी चाहिए वह राजस्थान में 780 घनमीटर ही है।

(श्री नवल किशोर)

पशु का भी हमारे यहां भंडार है और इसमें कृषि और अकृषि के जितने भी उद्योग और कार्य होते हैं उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। इन सारी आवश्यकताओं को देखते हुए जो हमारे देश का सतही जल है वह हमारे राजस्थान में 1.16 प्रतिशत है। तो मैं यह कहना चाहूंगा जो क्राइसिस है उसका मेन कारण यह है कि हमारे मानसून की स्थिति सही नहीं है। मानसून की स्थिति अनिश्चित है, अनियमित है, जब उत्तर-दक्षिण का मानसून हिमालय से टकरा कर आता है तो हमारे राज्य में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो उसको रोके। हमारा अरावली पर्वत जो हमारे राज्य में है उसकी ऐसी भौगोलिक स्थिति है उसके पैरेलल मानसून निकल जाता है इसी तरह दक्षिण-पश्चिम का मानसून। पेड़ों के अभाव के कारण भी मानसून नहीं होता। इन सारे कारणों से हमारे राज्य में पानी का क्राइसिस है।

अब मैं इनके लिए उपाय बताना चाहूंगा। जैसा मैं मानता हूं कि पानी का क्राइसिस चाहे कितना भी हो अगर हम उसका उपाय करें तो क्राइसिस को हम काफी कम कर सकते हैं। जैसे कि चीन भी पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश है, उसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या है उसमें, वहां भी कम बरसात होती है लेकिन वहां पर इस तरह की प्रणाली या पानी के बचाव के और संरक्षण करने के लिए उपाय, इस तरह की प्रणालियां हैं अगर उनको हमारे राज्य और देश में चला तो हो सकता है पानी की समस्या कम हो सके। पोलीथीन मशीन प्रणाली चीन में चलती है, उसमें जहां खेती के लिए 100 लीटर पानी की खपत होती है अगर पोलीथीन मशीन प्रणाली को अपनाया जाए तो 100 लीटर की जगह 20 लीटर पानी खर्च होगा। इस प्रणाली से पानी का वाष्पीकरण रुकता है। इसलिए मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी प्रणाली हमारे भी चलाई जाए।

बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली जो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने हमारे बजट के द्वारा राज्य में दी है, उससे भी 50 प्रतिशत पानी का बचाव हुआ है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, जहां पर बूंद-बूंद प्रणाली है वहा अगर राज्य में कहीं लागू हो सके तो कोई भी कानून बनाकर उसको अनिवार्य कर दिया जाए।

इसी तरह मैं यह कहना चाहूंगा, अगर जल संरक्षण किया जाए, उसका क्षरण रोका जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पानी का जो संकट है उसमें कमी न हो। मैं एक उदाहरण देता हूं जैसे कि जयपुर जिला, उसका पूरा

(श्री नवल किशोर)

ग्रामीण इलाका पांच लाख हैक्टेयर खेती का क्षेत्र है, पांच लाख हैक्टेयर खेती करने के लिए एक सीजन के लिए कम से कम 20 खरब लीटर पानी खर्च होता है और 35 लाख की आबादी वाला हमारा शहर जो पानी पीता है वह प्रति दिन 34 करोड़ लीटर पानी पीता है। अगर किसी उपाय और जल संरक्षण के द्वारा अगर एक सीजन की फसल का पानी का संरक्षण कर दिया जाए तो मैं यह मानता हूं कि जयपुर को साढ़े सोलह वर्ष तक पानी की आवश्यकता नहीं होगी।

सभापति महोदय, बीसलपुर के पानी के लिए मेरे भी दर्द है, उसकी तलहटी में मेरा क्षेत्र आता है, किसान बहुत परेशान है। पूरा पानी कम से कम 1,620 घन लीटर पानी बाहर पीने के लिए भेज दिया गया है। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि बीसलपुर के पानी को, मेरे क्षेत्र में कई माडल डैम, कई डैम ऐसे हैं वहां पर दिया जाए। बीसलपुर का पानी किसानों का पानी है। मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा, जयपुर में पीने का पानी नहीं आ रहा, किसानों के आंसुओं का पानी आ रहा है इसलिए मेरे वहां पर तलहटी में एक कहावत है जैसे पश्चिम राजस्थान में कहावत है कि घी ढूले तो ढूले पानी ढुले तो मेरा जी जल जाए, मेरी तलहटी में कहावत है कि गोली चले चाहे खून बहे, पानी मिले, नहीं मिले तो किसान मर जाए।

मैं बामनवास मेरे विधान सभा क्षेत्र में यह कहना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र पूरा डार्क जोन है वहां पर खारे पानी की बहुतायात है। मुख्य मंत्री महोदय से मैं यह मांग करना चाहता हूं कि जैसे नागौर में खारे पानी का प्लांट बनाकर स्वच्छ पानी बनाने का प्लान बनाया है ऐसा मेरे क्षेत्र में भी दिया जाए। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में दो बड़ी-बड़ी राजकीय योजनाएं हैं, पानी की योजनाएं हैं लेकिन अभी तक बंद पड़ी हैं। एक झानकदा योजना है जो मेरे क्षेत्र बौंली को पानी के लिए बनाई गई थी लेकिन अभी तक 8 करोड़ रुपये स्वीकृत होने के बाद भी चालू नहीं की गई। इसी तरह मंडराल योजना से हमारे डार्क जोन के गांवों को पानी देने की व्यवस्था की गई, 200 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद भी वह योजना अभी तक रुकी हुई है, उसको चालू कराया जाए। क्योंकि क्षेत्र में जब हम चुनाव लड़े तो हमने जनता से वादा किया कि जब तक हम रहेंगे तब तब इसका पानी पिला दिया जाएगा।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देता हूं, उन्होंने 35वां

(श्री नवल किशोर)

हैंड पम्प सुधारने का जो अभियान चलाया उसके तहत कई हैंड पम्प सुधरे लेकिन मेरी शिकायत है हमारे मंत्रीजी के लिए कि वहां मेरे हैड मिस्त्री, बेलदार और जो हैल्पर हैं ..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सर, एक मिनट। उनको हटा दिया जाए जो 15-15 साल से काम कर रहे हैं।

अन्त में मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र को अकाल घोषित कराया, मेरे जिले को अकाल घोषित कराया। एक बात जरूर कहना चाहूंगा...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): वे सो रहे हैं।

श्री सभापति: मनन कर रहे हैं।

श्री नवल किशोर (बामनवास): एक बात जरूर कहना चाहूंगा, संयोग की बात, हमारे आदरणीय उप नेता जी तिवाडी साहब ने यह बात कही, संयोग की बात। मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत जब होते हैं तो अकाल पड़ता है यह संयोग है और हम होते हैं तो बरसात होती है लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह भी संयोग है, जब मुख्य मंत्री गहलोत के टाइम पर अकाल पड़ता है तो एक बच्चा भूखा नहीं सोता, आपके टाइम में बरसात होती है तो कवास जैसे गांव में सैंकड़ों लोग मारे जाते हैं। इसलिए मैं इस अकाल की स्थिति में मंत्रीजी से मेरे वहां पर दो तहसील हैडक्वार्टर है वहां चारा डिपो बनवाने के लिए मांग करता हूं।

अन्त में बिजली के लिए यह कहना चाहूंगा कि आठ घंटे जो बिजली हमको मिल रही है उसको किसान को लगातार एक टाइम दिया जाए, उसका टाइम निश्चित किया जाए। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने जो जल नीति बनाई उसकी उपलब्धता, उपादेयता, उस जनसंख्या की उपयोगिताओं की भागीदारी, इन सबको सुलभ किया गया है।

अन्त में जैसा कि मैं सुनता आया हूं बचपन से, मनुष्य की तीन आवश्यकताएं बताई गईं, हमेशा यह कहा गया कि मनुष्य की तीन आवश्यकताएं हैं- रोटी, कपड़ा और मकान लेकिन आज मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आज मनुष्य की मुख्य आवश्यकता है जल, प्रकृति और किसान। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: आप सभी माननीय सदस्यों से, चूंकि अब समय सीमा का तो देखिये, कोई माननीय सदस्य ध्यान रख नहीं रहा और एक तारीख में प्रवेश हो गया सदन। लगभग 20 माननीय प्रतिपक्ष से बोलने बाकी हैं और लगभग 10 सत्ता पक्ष से बाकी हैं, 30 माननीय सदस्यों को और बोलना है और उसके बाद मंत्री सब जवाब देंगे। माननीय सदस्यों द्वारा कल-आज लगभग 18 घंटे की चर्चा इस महत्वपूर्ण विषय पर हो चुकी है,

(00.00 बजे)

क्योंकि सारी बातें सभी माननीय सदस्यों ने कह दी हैं और अब समय चूंकि काफी हो चुका है, इसलिये मैं... (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): सभापति महोदय, 5-5 मिनट दे दें सबको।

एक माननीय सदस्य: एक-एक और बोल लें।

श्री सभापति: नहीं, एक-एक करके तो आगे बढ़ते जाएंगे। आप समय सीमा का ध्यान रख नहीं रहे हो। (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): हां, सब ध्यान रखेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: क्षेत्र में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): 5-5 मिनट दीजिये। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): बहुत ज्वलंत समस्या है, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 5-5 एक साथ बोल लीजिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, हम लोगों ने क्या अन्याय किया है? बोलने के लिये, सुनने के लिये सदन चला रहे हैं और जो लोग 6 बजे, 5 बजे बोलकर चले गये, वे घर चले गये। यह क्या बात हुई? यह तो बिलकुल सरासर अन्याय है। (व्यवधान)

श्री सभापति: परिस्थिति को देखते हुए ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, पूरा समय देने का मौका दीजिए, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): भूमिका नहीं बनाना। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, विराजो। मैं 5 मिनट से किसी हालत में अधिक नहीं दूंगा। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर)ः पहले वालों को आधा-आधा घण्टा, इतना समय क्यों दिया आपने? न्याय होना चाहिए सबके साथ। (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर)ः ऐसा है, माननीय सभापति महोदय, यह बाद में बोलने वालों के साथ अन्याय होता है। (व्यवधान) यह हमारे मुख्य सचेतक नाम देर से भेजते हैं। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी)ः माननीय सभापति महोदय, यह क्या व्यवस्था है आपकी? (व्यवधान) यह कोई व्यवस्था है? (व्यवधान)

श्री सभापतिः विराजो, आप विराजो।

श्री सुखराम (बसेड़ी)ः सभापति महोदय, यह कोई व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः विराजो आप। माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी)ः एक माननीय सदस्य तो आधे घण्टा बोलेगा और हमें 5 मिनट तक (व्यवधान)

श्री सभापतिः विराजें। (व्यवधान) आप विराजिये, आप विराजिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी)ः इसमें कौनसी व्यवस्था है? सभापति महोदय, हम चुनकर नहीं आये क्या? हम भी चुनकर आये हैं, कोई वैसे ही नहीं आये, सभापति महोदय। (व्यवधान) यहां चुनकर आये हैं। हमें उतना ही समय चाहिए जितना अन्य सदस्यों को देते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापतिः विराजिये, विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान) अगर आपने यह व्यवस्था जो व्यवस्था आसन चाह रहा है, वह व्यवस्था नहीं हुई तो मैं मंत्रीजी को बुलवाऊंगा। यह सीधे व्यवस्था होगी मेरी। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी)ः आप मंत्रीजी को बुलवाओ, हम बहिष्कार करेंगे। (व्यवधान) हम बहिष्कार करेंगे। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास)ः यह हमारे साथ अन्याय है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः 5 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं दूंगा।

एक माननीय सदस्यः यह आसन को धमकाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: रामलालजी, विराजिये, विराजिये। विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। उप नेता महोदय, सचेतक महोदय। (व्यवधान) सचेतक महोदय। (व्यवधान) श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, उसमें बिजली के मामले में नई क्रान्ति आई और उस नई क्रांति में सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर जो दिखाई दिये, राजस्थान में पहली बार यह व्यवस्था हुई कि गांव और शहर के अन्दर, शहरों में 24 घण्टे बिजली मिलती थी, गांवों के अन्दर नहीं मिलती थी, मगर सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर वहां लगाकर के एक इच्छा शक्ति जाहिर की और गांव के लोगों को 24 घण्टे बिजली देने की व्यवस्था की। मगर आज की तारीख में सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर नहीं, जी.एस.एस. पर तीन फेज के ट्रांसफार्मर नहीं, मीटर, 600 डिमांड जमा हैं मगर मीटर नहीं, उसके अलावा ए.बी. केबल और थ्री फेस केबल का कोई स्टोरेज नहीं। इस तरह से बिलकुल ही इस सवा साल के राज में बिजली विभाग की जो हालत हुई है वह बिलकुल ऐसी हालत हो गई है कि आज की तारीख में कनेक्शन करने के लिये कुछ भी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस कांग्रेस राज ने जो वादा किया था कि किसानों की बिजली की रेट नहीं बढ़ाएंगे, मगर मैं यह कहता हूं कि इन्होंने वादाखिलाफी की है और किसानों के साथ धोखा किया है। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): कहां बढ़ाया? किसानों के लिये कहां बढ़ाया? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप सुन लीजिये पहले। आप सुन लीजिये पहले।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो विराजो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आपने अपनी जल नीति के पेज नम्बर-6 पर पैरा 1.3.12 में, ''भूजल के बेहतर उपयोग हेतु फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई की तकनीक को प्रोत्साहन एवं अधिक सुसाध्य बनाया जाएगा'' जबकि आपने इसको इतना महंगा कर दिया कि कोई किसान उसको खरीद नहीं सकता है। जिस तरह 11 के.वी. की लाइन के लिये सौ रुपये प्रति मीटर, प्रति खम्भे की रेट 2 हजार रुपये, और ट्रांसफार्मर की कीमत साढ़े सात हार्स पावर के लिये 80 हजार रुपये, और फिर साढ़े सात से बीस हार्स पावर के लिये 94 हजार और 21 हार्स पावर से 32 हार्स पावर के लिये एक लाख 40

(श्री केसाराम चौधरी)

हजार रुपये और 33 हार्स पावर से 50 हार्स पावर के लिये एक लाख 55 हजार और 51 हार्स पावर से 60 हार्स पावर के लिये एक लाख 80 हजार और 60 हार्स पावर से अगर ऊपर कोई कनेक्शन लेगा तो उसको ट्रांसफार्मर की पूरी कीमत खुद को चुकानी पड़ेगी, और उसके बाद उसकी टैरिफ जो 90 पैसे है, किसान के लिये उसकी टैरिफ आपने कर दी दो रुपये 10 पैसे। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप किसान के लिये रेट बढ़ाने की..(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मंत्री महोदय, यह बात तो सही है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): दो रुपये 10 पैसे किस आधार पर आप लगाएंगे? यह टऽरिफ किसान से नहीं ली जाए, इसकी रेट 90 पैसे की जाए। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप ठहर जाओ। (व्यवधान) आप टैरिफ लें, आपको भी नुकसान नहीं हो लेकिन जो आपकी नीयत है कि किसान को लाभ मिले तो इस प्रकार से कनेक्शन दें जिससे उसको हम लाभान्वित कर सकें और सरकार और निगम की वाह-वाही कर सकें। थोड़ा इसमें संशोधन कर दें। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, ढाणियों में जो किसान रहते हैं और बेरों पर रहते हैं उनके डोमेस्टिक कनेक्शन के डिमांड निकलते हैं 3700+200 रुपये, 3900 रुपये का और गांवों में रहने वाले किसानों का 1700 रुपये और शहरों में रहने वालों का डिमांड निकलता है 3200 रुपये। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह जो रेटें ली जा रही हैं, वह गांवों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस भेदभाव को मिटाया जाए।

वसुंधरा राजे जी ने 'मुख्य मंत्री सबके लिये विद्युत योजना' चालू करके मेरे क्षेत्र की करीब 26 ढाणियों का कनेक्शन किया मगर आपके इस 13 महीने के अन्दर दो ढाणियों का किया और दूसरी 4 ढाणियों में यह फोरेस्ट वालों ने रोक लगाकर खड़ी कर दी है। पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में बी.पी.एल. परिवार 2002 की जनगणना के अनुसार 6,865 हैं, उसमें से 1520 के कनेक्शन किये हैं मगर 5345 लोगों के कनेक्शन बी.पी.एल. परिवार वालों के करने हैं।

(श्री केसाराम चौधरी)

मीटर लगा हुआ है और चोरी करता अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसमें आपने एक नया सर्कूलर निकाल करके एक लाख से डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना वसूलने की नीति बनाई है, मगर जो डाइरेक्ट जम्पर लगा करके अगर कोई चोरी करता है तो उससे मामूली पैसे लेकर के छोड़ दिया जाता है। तो यह भी भेद मिटाना चाहिए। यह मैं माननीय बिजली मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं।

अकाल के लिये पशुओं के लिये कहना चाह रहा हूं कि पाली जिले में 3,54,698 गायें हैं, 3,15,125 भैंसे हैं, 8,257 ऊंट, भेड़ 9,24,305 और 7,00,183 बकरियां हैं। इस तरह से उनके लिये जो दवाइयां आबंटित की गईं, पाली जिले के लिये 30.15 लाख की दवाइयां दी गईं मगर इनका वितरण सही ढंग से नहीं हुआ। इस वजह से मेरे क्षेत्र में ऊंटों में बीमारी फैली और करीबन 12 ऊंट मर गये। उनके लिये भी दवाइयों का सही टाइम पर वितरण किया जाता तो वे नहीं मरते।

मेरे क्षेत्र में मारवाड़ जंक्शन में पानी के लिये बोरी मादा, सिरयारी, बांता और धूंधले में 4 योजनाएं स्वीकृत हुई थीं भारतीय जनता पार्टी के राज में, उसमें से धूंधला तो कम्पलीट हो गई मगर अन्य तीनों योजनाएं अधूरी पडी हैं। पिलावणी के अन्दर पानी है, मगर उसमें बिजली का सेपरेट फीडर नहीं होने की वजह से वहां के गांव वालों को पीने के पानी की अभी भी समस्या आ रही है। अहुवा में टंकी गिरे हुए एक वर्ष हो गया, उसके स्थान पर नई टंकी बननी थी। मगर आज दिन तक वह टंकी नहीं बनी है और लोगों से पैसे ऐसे ही वसूल किये जा रहे हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं कि अहुवा में जो टंकी गिर गई है और जो टंकियां जोजावर, बाड़सा और मारवाड़ जंक्शन बिजुआ में टंकियां गिरने लायक हैं, उनको जल्दी से गिरवाया जाए, नहीं तो वहां कोई और हादसा होने की सम्भावना है। डारिया बांध, जिस हेतु भारतीय जनता पार्टी के राज में 7 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे, मगर आपने आते ही उस पर रोक लगा दी।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं मांग करता हूं कि डारिया बांध को...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): पानी के लिये तो थोड़ा बोल दूं, साहब।

श्री सभापति: विराजो, अब आप मिल लेना मंत्रीजी से।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, बिजली, पानी और अकाल के बारे में जो चर्चा हो रही है उसमें मैं भाग ले रहा हूं। बिजली के मामले में ज्यादा नहीं बोल कर मैं दो-चार-पांच सुझाव मेरी तरफ से एकदम शार्ट में, सुझाव पर ही आ गया सीधा ही वरना तो पता नहीं, इनके क्या-क्या कारनामे थे पांच साल में, वह बताता तो पता नहीं क्या होता। सुझाव मेरे यह हैं कि एक तो ढाणियों में जो लोग बैठे हैं उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। इसके लिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि 500 वर्ग मीटर तक जो खेत में ढाणी बना लेता है उसको कंवर्जन का एक रुपया भी शुल्क का नहीं लगता। तो यह जो 'गांव की ओर अभियान,' 'प्रशासन गांवों की ओर' अभियान अप्रेल में चालू होने वाला है, माननीय सभापति महोदय, इसमें यह व्यवस्था की जा सकती है कि जो भी खेतों में ढाणियां बनी हुई हैं, उनका कंवर्जन होकर गैर मुमकिन आबादी या ढाणियों में वे कंवर्ट हो जाएं तो जो विद्युत विभाग कनेक्शन नहीं देता है, इससे एग्रीकल्चर लैंड में, गैर आबादी में तो वह समस्या मिट जाएगी और लोग आबादी में जो बसे हुए हैं उनको कनेक्शन मिल जाएंगे और विद्युत विभाग को कोई कानूनी अड़चन नहीं आयेगी। एक तो मेरा यह सुझाव था।

दूसरा मेरा यह सुझाव है, माननीय सभापति महोदय, कि 500 वर्ग मीटर में जो डी.पी. है उससे वह लेकर 500 मीटर तक कनेक्शन गैर आबादी में भी दे सकते हैं लेकिन डी.पी. में केवल चार या पांच ही कनेक्शन यह दे पाते हैं। अगर कोई दस व्यक्ति लेने वाले हों...(व्यवधान माननीय सदस्य, यह दो मिनट। माननीय सदस्य, दो मिनट बोल लूं मैं?

श्री सभापति: आप, माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या करूं फिर, बताओ? बात ही नहीं सुनने दे रहे हैं तो फिर क्या कहने से फायदा?

श्री सभापति: और आप गम्भीर हैं तो, माननीय सदस्य...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, तो जो चार या पांच कनेक्शन के अलावा दस व्यक्ति अगर वहां लेने वाले हों तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, सरकार ने कर रखी है? उसके लिए कोई

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

व्यवस्था नहीं है। वह डी.पी. चार या पांच कनेक्शन दे देती है। उसके बाद में और पांच कनेक्शन उसी 500 मीटर की परिधि में रह गये तो उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए अर्थात् बड़ी डी.पी. वहां रखकर जितने भी लेने वाले हैं उनको कनेक्शन मिलना चाहिए। केवल यहां चार या पांच तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।

तीसरा मैं निवेदन करूं, माननीय सभापति महोदय, जो मुख्य मंत्री ग्रुप योजना है उनमें दस कनेक्शन एक साथ लेने पर कनेक्शन दिया जाता है। उसमें डेजर्ट जो जिले हैं उनमें पांच और छह की यह स्कीम है। पांच या छह व्यक्ति अगर डेजर्ट जिलों में लेते हैं तो उस योजना में सम्मिलित किया जा सकता है। तो पांच या छह व्यक्ति की यह योजना हमारे सीकर जिले में और चालू की जाए जिससे कम से कम दस की बाध्यता नहीं हो। चार-पांच लोग भी अगर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो इस योजना में उनको दिया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, बी.पी.एल. के जो लोग हैं उनको निःशुल्क कनेक्शन दिया जा रहा है लेकिन जिन बी.पी.एल. के लोगों ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, दो मिनट चुप भी रह सकते हैं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अगर आप सदन में चर्चा की गम्भीरता चाहते हैं तो आप माननीय सदस्य, ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप कहें तो मैं बैठ जाऊं? छोड़ो बात को, यह क्या बात हुई?

माननीय सभापति महोदय, बी.पी.एल. के कनेक्शन आप दे रहे हैं फ्री में लेकिन अगर कोई बी.पी.एल. का, माननीय, पहले का अगर 100, 200, हजार रुपये अगर उसके बकाया हैं और उसको निःशुल्क कनेक्शन दिया जाना है तो उसको वह निःशुल्क कनेक्शन की सुविधा नहीं देते हैं और इसलिए नहीं देते हैं कि आपके पहले के हजार रुपये बकाया थे या आपके भाई के इस परिसर में, जो इस मकान में है वह पहले से हजार, दो हजार रुपया बकाया है। तो इस प्रकार की छूट दी जानी चाहिए। जब बी.पी.एल. को सरकार, भारत सरकार फ्री में कनेक्शन दे रही है तो उसको बिलकुल फ्री कनेक्शन मिलना चाहिए। पहले का उसका हिसाब-किताब नहीं देखा जाना चाहिए।

एक, माननीय सभापति महोदय, सिंगल फेस कनेक्शन, यह जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए सिंगल फेस कनेक्शन का एक आदेश सरकार की तरफ से

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

18.9.2008 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पांच साल पूरे होते जब इनको पता लग गया कि हम जा रहे हैं तो एक काला कानून, काला आदेश निकाला, 18.9.2008 को अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने एक आदेश निकाला और उसमें ये शर्तें लगाईं कि अगर ड्रिंकिंग वाटर आप पीना चाहते हो तो आपको एक तो यह उसमें गैर मुमकिन आबादी में आपको नहीं मिलेगा ड्रिंकिंग वाटर के लिए सिंगल फेस में, दूसरा ट्रांसफार्मर की अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि यह आपकी गारंटी है और उसका ट्रांसफार्मर का और लाइन का पूरा खर्चा देना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, आप देखिये, माननीय मंत्रीजी, कि पानी पीने के लिए अगर आप सिंगल फेस में कनेक्शन लेना चाहते हैं तो पहली बात तो आप गैर मुमकिन आबादी में नहीं ले सकते, दूसरी बात, आपको उस ट्रांसफार्मर का, उसकी लाइन का, पोल का पूरा खर्चा देना पड़ेगा; तीसरी बात, आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मेरी गारंटी है; और चौथी बात, आप प्राइवेट व्यक्ति के नाम से नहीं ले सकते। एक सरपंच के नाम से आप कनेक्शन दे रहे हैं और वह भी केवल आबादी में, गैर मुमकिन में नहीं और वह भी एक सरपंच आठ गांवों का सरपंच होता है, वह उसकी जिम्मेदारी लेगा! एक व्यक्ति के एग्रीकल्चर कनेक्शन देते हैं तो उसके खेत में डी.पी. रखते हैं, उससे कोई अंडरटेकिंग नहीं और उस डी.पी. का कोई खर्चा नहीं। तो इस प्रकार का यह जो काला कानून, काला आपने आदेश निकाला है 18.9.2008 को और उसके बाद में जनवरी और सितम्बर में इसको दुबारा खुलासा किया है तो इसको वापस लिया जाए जिससे हजारों भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो सिंगल फेस ट्यूबवैल बन गये, उनमें कनेक्शन नहीं हो रहे हैं और थ्री फेस के कनेक्शन लेने पड़ते हैं मजबूरी में। एक सिंगल फेस के कनेक्शन में लगते हैं चालीस हजार, पचास हजार और साठ हजार रुपये और एक थ्री फेस में लगते हैं एक लाख साठ हजार, सत्तर हजार रुपये। आप पीने के पानी की सुविधा देने की बात कहते हैं, आपके जलदाय डिपार्टमेंट के ट्यूबवैल बने हुए हैं उनमें भी कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, किसलिए, केवल 18.9.2008 के इस काले अध्यादेश या सर्कुलर के कारण से।

माननीय सभापति महोदय, लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं आता हूं वहां 165 गांव हैं जो पूरे के पूरे फ्लोराइड के हैं। वहां पर केवल एक फसली अनाज पैदा होता है। अगर बरसात में हो गया तो फिर पिराई से नहीं होता है, इर्रिगेटेड से नहीं होता; अगर इर्रिगेट में हमने उसको कर लिया तो फिर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

दूसरी फसल नहीं होती। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, पहले एक नियम था कि अगर काश्तकार चाहे तो छह महीने के लिए अपने कनेक्शन को विथड्रा कर सकता है, उसको बंद, विच्छेद करवा सकता है, उसके बाद में वापस उसको दिया जा सकता है तो यह कानून वापस लागू किया जाए जिससे वहां के लोग-बाग केवल दो महीने फसल लेते हैं और दो महीने-तीन महीने बिजली को काम में लेते हैं, पानी को और 12 महीने तक उनको देना पड़ता है। तो कम से कम, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से यह व्यवस्था करवाई जाए कि लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के जो इलाके फ्लोराइड के हैं उनमें छह महीने के लिए यह कानून वापस स्थापित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, एक्स.ईएन., एस.ई., ए.ईएन. आफिस सारे के सारे दो साल से सुन रहे हैं कि खुल रहे हैं, खुल रहे हैं। इनकी महती आवश्यकता है, इनको तुरन्त खोला जाना चाहिए। कर्मचारी विद्युत विभाग में पचास-पचास, साठ-साठ साल के हो गये, वे खम्भों पर चढ़ सकते हैं क्या? उनकी कोई भर्ती नहीं हुई। बाबुओं की कोई भर्ती नहीं। एक और हास्यास्पद बात है कि भत्ता केवल दस रुपये एक विद्युत कर्मी को मिलता है। 10 रुपये में तो दो चाय नहीं आती है। तो कम से कम जब आप 52 परसेंट अपन खर्चा कर रहे हैं तो इनका भत्ता भी बढ़ाया जाए।

एक यह जो डिश वाले हैं, यह विद्युत विभाग के शहरों में जितने भी पाले हैं, उनके ऊपर एक कानून बना हुआ है कि सौ रुपये, डेढ़ सौ रुपये प्रति पोल का लिया जाता है लेकिन सीकर की तो मैं कह सकता हूं, पूरे राजस्थान की मैं कह नहीं सकता, एक रुपया भी यह प्राइवेट डिश वाले कोई जमा नहीं करवाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट, पानी के ऊपर मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो मिनट, पानी के ऊपर, दो मिनट। माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने आपणी योजना का दोषपूर्ण संचालन किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: अपनी-अपनी बात करो न आप तो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट। मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं कहूंगा तो मैं दो बजे तक किसलिए बैठा हूं फिर? आपणी योजना का दोषपूर्ण संचालन किया इसलिए यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसको सरदारशहर से सुजानगढ़ के लिए सेकंड फेज में किया है। मेरा निवेदन है कि सुजानगढ़ से लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर का एरिया मात्र 30 किलोमीटर है अगर इस आपणी योजना में लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर को भी पानी दिया जाए तो बहुत-बहुत धन्यवाद होगा, बहुत-बहुत महती कृपा होगी।

माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासन में बजट की उपलब्धता के बिना पानी में 15,558 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत कर दीं। माननीय सभापति महोदय, मुख्य अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं ने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री बंशीधर खण्डेला।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): निरंकुश होकर 1200 करोड़ रुपये से ऊपर की बिना बजट के कार्यों की स्वीकृतियां जारी कीं। माननीय सभापति महोदय, वित्त विभाग द्वारा निर्धारित 12 करोड़ रुपये के स्टाक लिमिट के विरुद्ध 120 करोड़ रुपये से अधिक का सामान खरीद लिया। माननीय सभापति महोदय, पिछले पांच साल में पूरा का पूरा पानी का पैसा 50 परसेंट से ऊपर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): केवल अजमेर जिले को दिया जिसके कारण यह पानी की अव्यवस्था हो गयी। इसलिए इन सब कारणों को देखते हुए इनकी जांच की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अकाल, बिजली और पानी पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सीकर जिले में ही फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, खण्डेला और नीमकाथाना में फ्लोराइड की बहुत ज्यादा समस्या है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इससे निजात दिलवाने के लिए इसका सर्वे करवाया जाए और समस्या का निदान किया जाए। खण्डेला विधान सभा क्षेत्र एक पहाड़ी एरिया, आधे से ज्यादा क्षेत्र पहाड़ी एरिया

(श्री बंशीधर खण्डेला)

में आता है। सिंचाई के हिसाब से और पानी पीने के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी एरिया में एनिकट बनाये जाएं जिससे पानी की समस्या का निदान मिल सकता है। आधे गांवों में तो करीबन यही सहायता मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, आज से चार-पांच साल पहले सीकर, अलवर, दोनों जिलों में, ...(व्यवधान) एक योजना बनायी गयी थी जिसमें 10 प्रतिशत ग्राम पंचायत लगायेगी, बाकी का सरकार का था। दोनों जिलों में आज वह योजना बिल्कुल ठप है, ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 10-15 प्रतिशत योजना में काम आ रहा है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, इस योजना को पी.एच.ई.डी. हैंडओवर कर ले जिससे सारा का सारा पानी और आधे से ज्यादा ट्यूबवैल कनेक्शन नहीं हुए, खोदे हुए हैं, पानी है, अपने हिस्से में ले तो आगे के लिये पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।

खण्डेला में अजपुरा से पाइप लाइन से पानी आता है, वहां पर कई कुएं सूख गये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उसी पाइप लाइन के यूज के लिये खण्डेला व अजपुरा के अन्दर ही पांच बोरिंग और किये जायें तो खण्डेला शहर की पानी की समस्या का ज्यादातर समाधान हो सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आयेगा, वही पाइप लाइन काम में आयेगी। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि अजपुरा के अन्दर पांच बोरिंग और कराने से खण्डेला में पानी की थोड़ी सहायता मिल सकेगी।

हमारा खण्डेला विधान सभा क्षेत्र डार्क जोन में आता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां-जहां डार्क जोन हैं वहां अपने संसाधन ज्यादा लगायें ताकि आम जनता के पीने की और पशुओं के पानी की समस्या का समाधान हो सके। अभी सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा था कि कंटिंजेंसी प्लान विधायकों के थ्रू देना चाहिये, इस बात का हम भी स्वागत करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हर पब्लिक के नुमाइंदे को भी प्रोत्साहन मिलेगा और जहां-जहां पानी की समस्या है, उसकी समस्या के लिये निदान हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, जो बारिश का पानी बहकर जाता है गांवों में और खेतों में, ज्यादातर जो अंधे कुएं हैं पानी सूख गया है, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि सारा का सारा पानी उन कुओं में एकत्र हो जाये। तो वहां के आस-पास के कुओं का जलस्तर थोड़ा ऊंचा हो जायेगा।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों के बिजली के पैसे हैं, वह अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताया था, वह बात सही है कि किसानों के साथ बूंद-बूंद सिंचाई के नाम पर कुठाराघात हो रहा है। यह पर्दे के पीछे पैसे बढ़ाने की योजना है, जो किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उसी हिसाब से सरकार ने शहरों के अन्दर 10 पैसे प्रति यूनिट चार्ज लगाया है। वह एक तरह से सरकार ने पहले चुंगी समाप्त की थी, उस चुंगी को दूसरे रूप में लाकर हर उपभोक्ता के ऊपर इसका वज़न डाला गया है। यह बहुत ही घोर अन्याय हो रहा है और पर्दे के पीछे सारे पैसे बढ़ाये जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, दूरदराज में बिजली पहुंचती नहीं है, खर्चा ज्यादा आता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, सौर ऊर्जा के माध्यम से बूंद-बूंद सिंचाई के लिये दो से पांच एच.पी. तक की सौर ऊर्जा की पेटियां लगानी चाहिये, उसमें सरकार को अनुदान देना चाहिये। सरकार होटलों में और शहरों में होने वाले मकानों में तो अनुदान देती है, लेकिन गांवों में दें तो किसान भी आराम में रहेगा और बिजली की समस्या भी नहीं रहेगी। वहां भी सौर ऊर्जा के लिये अनुदान देना चाहिये।

जिस काश्तकार के मीटर लगा हुआ है, उसका एवरेज बिल भी देते हैं। यह काश्तकार के साथ बहुत कुठाराघात हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह एवरेज बिल जहां-जहां लगाये गये हैं, उनको बंद किया जाये जिससे कि हर काश्तकार आराम से रह सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आधा-एक मिनट और लूंगा, अकाल पर और बोलूंगा। जिन किसानों को अकाल राहत के नाम दिया गया था, उनमें से ज्यादातर को अभी पैसा नहीं मिला है, क्योंकि सारा का सारा पैसा या तो सरकार ने पास नहीं किया और पास कर भी दिया तो वह बैंक में पड़ा है। वह पैसा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, लेकिन फिर भी वहां पहुंच जाये तो बहुत बढ़िया रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि गौ-शालाओं में गायें बहुत भूखी-प्यासी रहती हैं। उनके लिये भी इन्तजाम किये जायें तो यह सरकार के लिये अच्छा फायदा रहेगा और आने वाले समय में गायों का मरना कम हो जायेगा। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत। मदन जी, सीधे-सीधे विषय पर बोलें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): बिल्कुल सीधे-सीधे पर। माननीय सभापति महोदय, समय कम है, मैं बगैर भूमिका के सीधी बात करूंगा और मैं सुझाव देता हूं, दो दिनों से पानी, बिजली और अकाल के मुद्दे पर जो चर्चा हुई, इस पर सभी माननीय सदस्यों ने गिरते भू-जल पर चिन्ता व्यक्त की और पानी बचाने के लिये बड़े अच्छे सुझाव दिये। माननीय सभापति महोदय, आज से ठीक दस साल पहले राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, माननीय गहलोत साहब ने पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ, यह पहले से उनकी जो सोच थी, तो आने वाला जो संकट है, यह अपने सबके लिये चिन्ता का विषय है। आज काफी वक्ताओं ने बातें कहीं कि कांग्रेस का जब राज आया और अकाल पड़ा है। माननीय सभापति महोदय, देश आजाद होने के बाद में करीब 20 प्रतिशत ही राज प्रतिपक्ष में बैठी इसी पार्टी को मिला है, लगभग पूरा राज कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो जमाना और काल कांग्रेस के टाइम में आये हैं, इस बात को हम मानते हैं।

पानी बचाने के लिये सबने बात कही। खासकर बाड़मेर जिला और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में सदियों से परम्परा रही है, पानी का महत्व जो रेगिस्तान में रहने वालों ने समझा है, पीने का पानी अलग, हाथ धोने का अलग और धोने के बाद में खाने का जो पानी था, उसको पशुओं को पिलाना और स्नान का जो पानी था, उसे पेड़-पौधों में डालकर सदुपयोग करने की मिसाल आज भी देखी जा सकती है। पूरे साल का पानी इकट्ठा करके नरेगा के तहत टांके निर्माण हो रहे हैं और उस पानी को उपयोग में लिया जा रहा है। साथ ही, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि पानी का महत्व भले ही शहरों में कम समझते हैं लेकिन आज भी गांवों में एक मिसाल देखी जा सकती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय जलदाय मंत्रीजी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि हमारी जो मुख्य समस्या थी, आज रेगिस्तान और सीमान्त बाड़मेर जिले में, विशेषकर पानी की समस्या की जो बीस सालों से मांग थी, उस मांग को मद्देनजर रखते हुए कल्याणपुर का पूरा बजट इसी वर्ष में करने का जो फैसला किया है, माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदय, अशोक जी गहलोत साहब का और माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, हमारी यह बीस सालों से मांग थी।

अकाल के मामले में जो बात है, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने पशुओं को ध्यान में रखते हुए, आज अकाल का समय है, उन्होंने चारे पर

(श्री मदन प्रजापत)

सब्सिडी एक रुपया बढ़ाकर दो रुपये जो सब्सिडी की है, उसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय अकाल राहत मंत्रीजी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

साथ ही बिजली के संबंध में अभी सुझाव दिये, माननीय सभापति महोदय, आज पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में अगर किसानों को सात घंटे बिजली मिल सकती है तो यह उदाहरण है। आज, मैं समझता हूं, बाड़मेर में किसानों के लिये बिजली की कमी नहीं होगी, पूरे समय बिजली मिलेगी और जी.एस.एस. के निर्माण के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

साथ ही मेरे क्षेत्र के संबंध में सुझाव देना चाहता हूं। आज पानी के मामले में पलसून-बालोतरा की योजना है, माननीय मंत्री महोदय, हमें विश्वास है, इस योजना को आने वाले समय में तुरन्त पूरा करेंगे। आज सभी वक्ताओं ने हैंड पम्प और ट्यूबवैल की जो बात की है, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अकाल का समय है, एक विधायक को अगले कंटिंजेंसी प्लान में कम से कम 50 हैंड पम्प और 5 ट्यूबवैल दिये जायें ताकि आने वाले समय में जनता को राहत मिल सके।

विशेषकर मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरा आग्रह भी है, माननीय सभापति महोदय, आज उम्मेद सागर की समदड़ी तक लाइन आ गयी है, और कई बड़े-बड़े तालाब हैं, उन तालाबों की मिसाल देखी जा सकती है, ऐसे तालाब राजस्थान में और कहीं नहीं हैं जिनके पांच हजार बीघा का कैचमेंट एरिया हो, जिनमें कई सालों तक पानी नहीं सूखता। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि टैस्ट के रूप में ही गंगाबास-कल्याणपुर के आस-पास और समदड़ी के आस -पास कम से कम दो तालाबों में पानी डाला जाये, ताकि यहां टैंकरों के माध्यम से पैसे का सदुपयोग हो, जनता को राहत मिल सके और पशुओं को राहत मिल सके, यह मेरा आपसे निवेदन है। माननीय मंत्री महोदय, मैंने इस संबंध में बात भी की और अभी मुझे कहा अभी फिल्टर प्लांट बना नहीं है; मैंने कहा, कुदरती देन है, तालाब का पानी अगर रात भर हिलोरे लेता रहे और लहरें चलती रहे, तो यह कुदरती फिल्टर हो जायेगा।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा रिक्वेस्ट भी है लेबरों के लिये, हेल्परों के लिये, लाइनमेन के ट्रांसफर जयपुर से किये जाते हैं, पालिसी कर है। आज अधिकारियों का भय खतम हो गया है, कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का

(श्री मदन प्रजापत)

अधिकार चाहे एस.ई. लेवल हो, ए.ईएन. लेवल हो, सब-डिविजन जिले में यह नियम वापस संशोधित कर उन अधिकारियों को पावर दी जाये ताकि इसमें थोड़ा कंट्रोल भी रहे और व्यवस्था में सुधार हो सके।

माननीय बिजली मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत बाड़मेर जिले में 209 करोड़ का बजट आबंटित है और उसमें 135 करोड़ ही खर्च हो रहे हैं, बजट की कोई कमी नहीं है। हमने उनसे निवेदन किया, वह कह रहे हैं, 100 की आइडेंटिफाई आबादी की ढाणियों को जोड़ा जायेगा। मैंने उनसे कहा, 100 की आइडेंटिफाई को जोड़ रहे हैं, हम उनसे सहमत हैं लेकिन 100 की जो आइडेंटिफाई ढाणियां हैं, वे 100 प्रतिशत जोड़ी जायें। वह कह रहे हैं कि 500 मीटर का हमारा दायरा है। पैसे की कोई कमी नहीं, दायरा उनके कम हो, माननीय मंत्री महोदय, बजट भी है और बी.पी.एल. परिवार के लोग विद्युत से वंचित रह रहे हैं, वे 100 की आइडेंटिफाई ढाणियों को हंड्रेड परसेंट जोड़ दें, हम इस बात से सहमत हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आज जो पशु शिविर और चारा डिपो में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अकाल को देखते हुए दो रुपये की सब्सिडी दी है लेकिन वास्तव में पशु शिविर का जो मामला है, मेरा सुझाव भी है कि आज पशु शिविरों के माध्यम से सैकड़ों पशुओं के लिए जो चारा डिपो खोले जाते हैं लेकिन उनका कहीं उपयोग होता है और कहीं नहीं होता है। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन और सुझाव भी है कि पशुओं की गणना करके सब्सिडी बीस रुपये प्रति पशु और छोटे पशु के लिए दस रुपये दिये जाते हैं, यदि कैश उनके खाते में किसान को दिया जाता है तो यह करोड़ों रुपये की जो वसूली है, जो खराबा होता है, उससे 50 परसेंट भी अकाल में व्यवस्था हो सकेगी और सरकार का जो खुला हुआ चारा डिपो है उन चारा डिपो के माध्यम से उन्हें कैश जो पेमेन्ट मिलता है, उनके लिए चारे का भी इन्तजाम हो जाए और अकाल में आराम मिल जाए। यह व्यवस्था हो सके।

सभापति महोदय, लाइट के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि बाड़मेर में जो मुखिया है जिले का, जिला प्रशासन, उनके खिलाफ अखबारों में आया, लाइट के अधिकारी भी बैठे हैं, इस तरह से आये और उसके बाद में अगर कार्यवाही नहीं हो, सरकार साक्षी है, चोरी यदि कोई भी करे चाहे मैं भी क्यों नहीं हूं, उसके ऊपर तुरन्त कार्यवाही हो ताकि सरकार का ऐसा सन्देश जाए।

श्री सभापति: श्री वासुदेवजी देवनानी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, मेरा ऐसा निवेदन है कि बाड़मेर के जिला कलक्टर के खिलाफ जब लाइट में जो दो सौ रुपया बिल में आये, उसमें उन्होंने...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ... कि दो सौ रुपये का एक बिल आता है और एक आठ हजार का आता है। जब अख़बार में आया कि आठ हजार रुपये का सरकारी बिल है और दो सौ रुपया मेरा बिल है, जब उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो आम गरीब और किसान, किसान के मन में यह आता है कि विजिसेंस और ये अधिकारी जिला कलक्टर पर कार्यवाही नहीं कर सकते और एक गरीब के खिलाफ तो कार्यवाही कर सकते हैं। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, मंत्रीजी भी विराजमान हैं, उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें ताकि ऐसा सन्देश जाए। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। मैंने वासुदेव जी देवनानी का नाम पुकारा है। विराजो आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, राजस्थान आज भयंकर जल संकट से जूझ रहा है। उसमें कुछ प्रकृति का है, कुछ गलत योजनाएं बनी हैं और कुछ अकुशल प्रबन्धन भी इसका कारण है। इसलिए मैं ज्यादा आरोप-प्रत्यारोप में नहीं जा रहा हूं, मैं सीधे-सीधे सुझावों की ओर बढ़ रहा हूं। मेरा पहला सुझाव है कि राजस्थान के पानी के लिए विभिन्न प्रान्तों से कुछ परियोजनाओं में कुछ समझौते हुए हैं। वहां से पानी लाने के लिए बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के मुख्य मंत्रीजी, विपक्ष के नेता, उप नेता और संबंधित मंत्री मिलकर यदि प्रयास करेंगे तो वहां से अपन पानी ला पायेंगे। नहीं तो केवल आप नहीं ला पाये, वहां आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, उसे आपकी लाने की जिम्मेदारी है, इससे दूर हटकर हमको उन प्रान्तों से परियोजनाओं के या हमारे जो समझौते हुए हैं, उसके अन्तर्गत पानी लाना चाहिए।

दूसरा मेरा सुझाव है कि पानी का जिस तरह से लीकेज हो रहा है, 30 प्रतिशत पानी लीकेज से व्यर्थ जा रहा है। यदि हमने लीकेज के उस पानी को बचाया तो बहुत बड़ी मात्रा में हमको राहत मिल पायेगी।

(श्री वासुदेव देवनानी)

तीसरा, अवैध कनेक्शंस की बात बार-बार उठती है, बीसलपुर से अजमेर के लिए माननीय जिलाधीश महोदय ने वहां पर आदेश दिए कि जांच करें। सी ई ओ और पी एच ई डी के अधिकारी गये। पहले तो गये नहीं और गये तो 250 लोगों का आइडेंटिफाई किया, वे नामजद हैं लेकिन आज तक भी उनके खिलाफ न तो कोई कार्यवाही हुई है, न कोई एफ आई आर दर्ज हुई है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें।

चौथा, जितने पारम्परिक स्रोत हैं, कुए हैं, बावड़ियां हैं, उनको साफ करवायें और उनका पानी जहां पर मीठा पानी है, उसको पीने के लिए दें। जहां मीठा पानी नहीं है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में चर्चा मत करो आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ... उसको बाकी कामों के लिए हम लोगों को दें ।

अजमेर पर यदि मैं आऊं तो अजमेर की योजना, 48 घंटे में हमको पानी मिल रहा था लेकिन पिछले ...(व्यवधान) बीच में यदि बोलेंगे तो मैं बैठ जाता हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति: मंत्रीजी, टोकाटोकी नहीं ।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप मंत्री स्तर के कार्यकर्ता हैं... (व्यवधान)... मंत्री स्तर के सदस्य हैं, पहले आप बोल लो।

जवाहर लाल नेहरू मिशन की हमारे यहां योजना आयी जिसमें अजमेर को 24 घंटे में पानी देने की योजना बनी, उसका शिलान्यास भी हुआ लेकिन हुआ उल्टा कि 48 घंटे की जगह आज 96 घंटे में अजमेर को पानी मिल रहा है और उसी बीसलपुर से पानी जयपुर की ओर आ रहा है। जयपुर की जनता का भी वैसा ही हक है जैसा कि अजमेर की जनता का है। यहां के जन को तो रोजाना पानी चाहिए लेकिन अजमेर के जन को चार दिन के अन्दर। भीलवाड़ा के व्यक्ति को छह दिन के अन्दर। यह सरासर अन्याय हो रहा है। हर व्यक्ति को राज्य में पानी जितना मिलना चाहिए, बराबर डिस्ट्रिब्यूशन उपलब्धता के आधार पर मिले। इसके लिए मेरा निवेदन है कि जो 166 करोड़ की योजना बनी, वह अब 309 करोड़ की हुई है और अधिकारी उसको 700 करोड़ की बढ़ाकर एशोआराम में जूझ रहे हैं। वह योजना न तो कभी बनेगी, न अजमेर को पानी मिलेगा। इसलिए अजमेर को पानी आप किसी भी तरह से तुरन्त उपलब्ध करायें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

उसके लिए मेरा सुझाव है कि जोधपुर से अजमेर के लिए पानी की ट्रेन, क्योंकि बीसलपुर में जून के बाद एक बूंद भी पानी नहीं बचेगा, अजमेर की जनता को पानी कैसे मिले, जोधपुर में पानी उपलब्ध है, वहां से पानी लाने की योजना वाटर ट्रेन की विभाग ने आपके पास भेजी है, उस आधार पर आप पानी भेजने की व्यवस्था करें। साथ ही चम्बल नदी का पानी पहले यदि बीसलपुर में डालते, बीसलपुर नजदीक था तो निश्चित रूप से अजमेर को पानी मिल पाता। अब आप उसको भीलवाड़ा ला रहे हैं, उसकी योजना स्वीकार हुई है लेकिन भीलवाड़ा से यदि आप विजयनगर तक, केवल एक हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे क्योंकि विजयनगर से अजमेर तक की पाइप लाइन पहले से ही बिछी हुई है इसलिए अजमेर को भी चम्बल नदी के पानी का उपयोग मिल पायेगा। चौथा बिन्दु, जो बीसलपुर का सेकंण्ड फेज है जिससे मेरे क्षेत्र के गांव भी जुडे हुए हैं, वह काफी समय से अधूरा पडा है, मार्च, 2008 में पूरा होना था, जहां पर पम्प हाउस बनने थे, केकड़ी, थरोली, नसीराबाद में, मुझे लगता है वे मार्च तक नहीं बन पायेंगे इसलिए उसे तुरन्त बनायें।

साथ में, अजमेर के लिए पी एच ई डी ने 35 करोड़ की कंटिंलजेंसी प्लान की स्वीकृति के लिए भेजा है। माननीय मंत्रीजी, यदि आप उसकी स्वीकृति देंगे तो अजमेर का भला होगा। अजमेर के मेरे क्षेत्र में कई जगह छोटी पाइप लाइन तीन-तीन इंच की हैं, कनेक्शंस बढ़ गये हैं, उसको छह इंच करें क्योंकि पाइप बहुत पड़े हैं। जिस तरह पाइप घोटाले की बात हो रही है, चाहे घोटाले मत करो लेकिन अजमेर के मेरे बड़गांव स्टोर से छह लोग अभी सस्पेंड भी हुए हैं, आपको यदि और सस्पेंड करने हैं तो और करें, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें लेकिन इस प्रकार पाइप पड़े रहें और जनता को कनेक्शन नहीं मिले, इसलिए उन पाइपों से उनको कनेक्शंस मिलें। साथ ही क्षेत्र के अन्दर आप पचास हैंड पम्प दें। मेरे क्षेत्र के अन्दर पानी की तीन टंकियां बनी हुई हैं, दो साल से बनी हुई हैं लेकिन उनसे पानी के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं, उनसे आप पानी के तुरन्त कनेक्शन उपलब्ध करवायें और चार टंकियां, मैं स्थानों के नाम नहीं ले रहा हूं, उन चार टंकियों के बनाने के प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन हैं, उस पर आप विचार करें।

मैं चार सुझाव दे रहा हूं, जो टैंकर व्यवस्था से पानी आप देंगे, जन समितियों का गठन करें। यदि जन समितियों के माध्यम से आप टैंकर से

(श्री वासुदेव देवनानी)

पानी उपलब्ध करवायेंगे तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा और जनता को पानी भी मिलेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, महेन्द्रजी, आप लोग अपनी-अपनी चेयर पर जाओ। जो भी जिस आसन पर हैं, उस आसन पर पधार जाओ आप मेहरबानी करके। माननीय सदस्य, आप अपने आसन पर पधारो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, मेरा दूसरा सुझाव है कि पानी बहुत ज्यादा वाश बेसिन और फ्लश सिस्टम में बेकार जाता है; टेक्नोलाजी डवलप हुई है, वाश बेसिन में यदि हम जाली लगायेंगे, उससे पानी कम आयेगा, कम खर्च होगा। साथ में फ्लश सिस्टम में भी इस प्रकार का करें कि जब यूरिनल के आधार पर कम पानी भेजना हो, वह टेक्नोलाजी है। एज इंजीनियर यदि बात करेंगे तो उसका मैं पूरी तरह उसके सुझाव आपको दूंगा। यदि सिस्टम को अपनायेंगे, तकनीकी सुधार यदि उसमें करेंगे तो पानी की बचत कर पायेंगे।

तीसरा, पानी का यदि सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है तो डिटर्जेंट के उपयोग के कारण होता है। हम आज बर्तन डिटर्जेंट से मांजने के कारण नल के नीचे जब बर्तन साफ करते हैं, बहुत अधिक पानी वेस्ट जाता है। हम पहले राख से बर्तन साफ किया करते थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट केवल। तो उसमें आज भी छोटा सा उद्योग के रूप में, गांवों में आज भी राख उपलब्ध है, यदि हम उस राख के पैकेट बनाकर शहर के लोगों को देंगे तो गांवों के लोगों के लिए तो गृह उद्योग के रूप में डवलप होगा और शहर के अन्दर पानी का वेस्टेज बचेगा। यदि इस प्रकार के हम प्रयोग करेंगे तो इसमें लाभ होगा।

अन्त में, मैं बिजली के बारे में दो-तीन बातें कहूंगा। मेरे अजमेर उत्तर के अन्दर तीन 33/11 के वी के सब-स्टेशंस पिछले दो साल से बनने बाकी हैं, एक पड़ाव में, एक फाई सागर रोड पर और एक कुन्दन नगर पर, यदि वे तीनों मेरे सब-स्टेशंस बन जाएंगे, तो निश्चित रूप से अजमेर को राहत मिलेगी।

चौथा, अजमेर बिलकुल एक ऐसा शहर है हार्ट सिटी, जिसमें अंडरग्राउंड केबल यदि आप बिछायेंगे तो उसका आराम से लाभ मिलेगा। उसमें शहर के केन्द्र में 20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव आपके पास विचाराधीन है, यदि आप

(श्री वासुदेव देवनानी)

जल्दी स्वीकृति देंगे तो उस हार्ट के अन्दर जिस प्रकार से आज सड़कें भी छोटी हो रही हैं और लाइनों से लोग मर भी रहे हैं, लोगों के करंट भी आ रहा है इसलिए अंडर ग्राउंड केबल आप बिछायेंगे तो ठीक रहेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट। अंत में मैं एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं कि तार काफी लटकी हुई हैं, उनमें गांधी है, लौंगिया, लाखन, कोटड़ी, ऐसे स्थान हैं जहां पर तार नीचे हैं, उनको टाइट करवाएं।

अंत में एक बिन्दु जरूर कहूंगा माननीय तीनों मंत्रियों से कि आप अपने अधिकारियों को कहें कि अपने-अपने स्थानों पर जन-प्रतिनिधियों का सम्मान करें, जन-प्रतिनिधियों को बुलाएं, उनको निर्णय बताएं। आज ए.वी.एन.एल. के एम.डी. अजमेर के न तो जन-प्रतिनिधियों से बात करते हैं, पत्र लिखते हैं तो 6-6 महीने उनका उत्तर भी नहीं आता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनको यह कहें कि जन-प्रतिनिधियों से समस्याएं सुन कर और उनका हल निकालें। इसी तरह से पी.एच.ई.डी. के अधिकारी भी यदि हमको लेकर चलें, सवेरे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने भी कहा कि आज यदि सारी योजनाओं की सम्बन्धित विधायकों को जानकारी देंगे तो हम सही ढंग से जनता तक आपके विचार पहुंचायेंगे और उसके समस्या के समाधान में हम आपके पूरक बनेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। श्री राजकुमार रिणवां।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, यह सूची पढ़ दें तो हम इसी हिसाब से घर से आ जायेंगे, हमारा नम्बर तीन बजे, चार बजे जब आये तो आ जायेंगे।

श्री सभापति: श्री रामहेत यादव?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): जी।

श्री सभापति: अब इनके बाद आपका नम्बर होगा। मेरे पास लिस्ट है आपकी मुख्य सचेतक की।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): लिस्ट हमारे पास भी है यह।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): यह सात बार लिस्ट चेंज हो गयी।

श्री सभापति: कोई लिस्ट चेंज नहीं हुई है, वह कि वह ही लिस्ट है मेरे पास में। आपके मुख्य सचेतक जी देकर गये हैं मुझे लिस्ट, यह मेरी लिस्ट नहीं है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): मेरे पास भी है, साहब। क्या करें, नये सदस्य हैं। यह रही लिस्ट।

श्री सभापति: चलिये, चलिये। यह आसन से पूछने का हक नहीं रखते। विराजिये, विराजिये।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मुक्तक से मेरी बात शुरू कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपना चालू रखें अब।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): माननीय सभापति जी, पांच मिनट बोलूंगा क्योंकि काफी लेट हो गये, ज्यादा नहीं बोलूंगा।

माननीय सभापति जी, एक मुक्तक से बात शुरू कर रहा हूं-

'माना भूगर्भ में पानी नहीं है,

धरा की चूनड़ी भी धानी नहीं है,

फिजां भी खास रूमानी नहीं है मगर फख्र है,

मेरे राजस्थान का कोई सानी नहीं है।'

इतनी भयंकर विपरीत परिस्थितियों में भी राजस्थान के लोगों का मुकाबला नहीं है, इतने मजबूत लोग होते हैं। देखते हैं कि कैसे कमर के अन्दर रस्सी बांध कर कैसे रात को भी दो-दो बजे तक पानी निकालते हैं, वह भी खारा पानी। कितना संघर्ष जीवन से करते हैं और अपन यह कहते हैं कि पानी की व्यवस्था कैसे हो आज!

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कितना सम्पन्न है, सेंटर का कितना तगड़ा साथ है, विश्व बैंक का कितना तगड़ा साथ है उसके बाद में अपन समस्याओं का समाधान नहीं कर लें। याद करो उस भागीरथ को, गंगासिंह जी महाराज बीकानेर के अन्दर हुए थे, उस समय 100 मीटर की एक खाई खोदनी कितनी मुश्किल होती थी, गंग नहर लेकर आये 240 किलोमीटर में से। तीन जिलों को कितना सर-सब्ज कर दिया। कोई आर्थिक साधन नहीं उनको। सबसे कमजोर रियासत थी बीकानेर जिसमें गंग नहर बनायी उन्होंने। और उनको देख कर जब कंवर सेन आया चीफ इंजीनियर, वह देख कर दंग रह

(श्री राजकुमार रिणवां)

गया कि क्या कहना, यहां की रियासत है, यहां का रजवाड़ा है उसने इतना बड़ा दर्द समझा अपनी जनता का कि उसने बिना साधन के और एक नहर ला दी। तो अपन को भी कुछ करना चाहिए। वो कंवर सेन कितनी बड़ी विभूति था, भागीरथ था वह राजस्थान नहर उस कंवर सेन की प्रेरणा से बनी हुई है सारी। जो धोरों के अन्दर सोता रहता था, मिट्टी खा लेता था, बाकी उसके दर्द था, वह कैसे भी जनता की समस्या को समझता था। आज उसकी कृपा से मोहनगढ़ तक सिंचाई हो रही है और 9 राज्यों को पानी मिल रहा है। एक मन में दृढ़ संकल्प होवे, एक नीत होवे, नीत गेल बरकत होती है, सभापति महोदय। अगर अपनी इच्छा है कि अपन जनता को पानी पिलायेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा भी सुनता है।

आज जो तीन समस्याएं हैं बिजली की, पानी की और अकाल की, तीनों का मूल आधार अगर है तो बरसात है। अगर बरसात हो जाए तो तीनों समस्याओं का समाधान भी हो जाए। बिजली भी पानी से ही बनती है, बरसात होने के साथ बिजली की खपत आधी हो जायेगी और प्रोडक्शन बढ़ जायेगा, पानी की समस्या समाप्त हो जायेगी, चारे की, अकाल की समस्या समाप्त हो जायेगी।

अब बरसात आये कैसे? बरसात तीन चीजों से आये, या तो पर्वत से और पर्वत अपने बस की बात नहीं है; जंगल से आये और हरित राजस्थान की चेष्टा कर रहे हैं अपने गहलोत साहब खूब, बाकी जंगल तो घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि पानी ही नहीं है; तीसरा है यज्ञ, भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है- 'यज्ञादि भवति प्रजन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव:', यज्ञ करने से बरसात होती है और कर्म करने से यज्ञ होता है। गीता कभी झूठ नहीं बोल सकती, सारा विश्व गीता को मानता है और आज अमेरिका की आक्सफोर्ड, हार्वड यूनिवर्सिटीज के अन्दर गीता को सब्जेक्ट बना लिया है। गीता झूठ नहीं बोलती है। अपन क्या साम्प्रदायिकता के नाम पर करते हैं, अभी मैं वृंदावन जाकर आया हूं, अतिरुद्र महायज्ञ रामगोपाल जी धानुका ने कराया है, करोड़ों रुपये की लागत से, विदेशी लोग आहुतियां दे रहे थे कि पर्यावरण और बरसात के लिए कितना जरूरी है। इनडाइरेक्ट में कर दो अगर कोई साम्प्रदायिकता की चिंता हो तो। मैंने कई हाजी से बात की है, वे लोग बोले कि हम लोगों के भी नियम है कि अगर मस्जिद के अन्दर बच्चों को दूध और दलिया पिलाया जाए तो घर नहीं पहुंचे उससे पहले बरसात आ जाए। तो अपन इतने भी क्या है, अपने रीति-रिवाज हैं,

(श्री राजकुमार रिणवां)

अपने इष्ट हैं, जो भगवती को सिमरते हैं तब ही तो गंगा शिवजी का इतना बड़ा काम हुआ। अपन अपने इष्ट ही छोड़ दिये सब, सूरदास जी ने कहा है एक जगह- 'रे मन तो सम कोन कुटिल कम कामी, जा तन दियो तांई बिसरायो ऐसो नमक हरामी', जिसने अपने पांच तत्वों के शरीर को बनाया है उस परम तत्व को ही नहीं मानते अपन, ऐसी विचित्र स्थिति अपनी हो रही है।

Hon'ble Chairman, we are not normal or general persons. We are the leaders of the biggest State of the country. Million of people are looking towards us as to what we are doing and what is our character and attitude. And when an MLA is not capable to solve the problems of his people and territory, then who will solve the problem?

अगर एक एम.एल.ए. अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं करेगा तो, माननीय सभापति महोदय, कौन करेगा? आम आदमी कर लेगा? आज हम लोगों की क्या स्थिति हो रही है, एम.एल.ए. की क्या स्थिति हो रही है? कोई हमको पूछता नहीं है अधिकारी, हमको पता नहीं, क्या हैंड पम्प आये हैं, क्या सिंगल फेज आया है। पिछली बार मेरा मूल प्रश्न था पानी का, आपको पता होगा, भाटी साहब की कृपा से उस पर वक्तव्य जारी करना पड़ा सरकार को और हमारे 6 सिंगल फेज कर दिये। दुःख की बात है, पांच महीने के बाद में भी आज तक एक भी सिंगल फेज मेरा बना नहीं है। तो कब बनाओगे? 'होली पछै धापड़ा मार खसम कै मूंड', कब बनाओगे, जब गर्मी निकल जायेगी उसके बाद में करोगे क्या उसके टेंडर? ऐसी विचित्र स्थिति हो रही है कि आज क्या बताएं।

कुछ बोलना नहीं है अब, एक-दो सुझाव दे देता हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। मैं तो यही कह रहा हूं कि झारे का पानी है क्षेत्र के अन्दर 15-20, बहुत गांवों के अन्दर, उन गांवों के अन्दर सिंगल फेज का ट्यूबवैल दे दो तो काफी पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाए। कुछ पाताल तोड़ कुएं अगर बनवा दो 1200-1500 फुट के तो उससे भी कोई बढ़िया सुगंध मिल जाए कोई सरस्वती नदी और की, वह भी है। एक स्टेंडबाई मोटर पम्प बिलकुल नहीं है मेरे पास, वह दे दो तो डेढ़ महीने तक, सवा-सवा महीने तक मोटरें बदली नहीं जाती हैं, उसकी व्यवस्था हो जाए।

एक आपणी योजना आ रही है, सुन रहे हैं कि आपने उसके लिए सर्वे करवा दिया, 70 लाख रुपये दे दिये, आपको बहुत बधाई है, धन्यवाद है कि यह महान् काम कर रहे हो आप, बाकी मेरे सुनने में आया कि फर्स्ट जो आपणी

(श्री राजकुमार रिणवां)

योजना थी उसमें 90 एल.पी.सी.डी. पानी है जो शहरों के लिए और 45 गांवों के लिए। यह फाइनल करा था लेकिन अब सुनने में यह आ रहा है कि सेकंड फेज के अन्दर उसमें आप 55 लीटर कर रहे हो शहरों के लिए और 30 लीटर कर रहे हो गांवों के लिए, जबकि धन्नासर के मोगे के ऊपर में पर्याप्त मात्रा में पानी है। तो पहली बार शुरुआत क्यों गलत कर रहे हो? वह तो फिर पैसा कम आयेगा तब अपने आप ही हो जायेगा। तो कम से कम मेरा यह निवेदन है कि इस तरह की अगर कोई प्लानिंग है आपकी तो इसको ठीक करो, यह मेरा एक निवेदन है।

एक बहुत बढ़िया बात मेरे मन के अन्दर आ रही थी कि सरकार बनेगी तो वसुन्धरा जी ने खूब बड़ा आश्वासन दिया कि हो सकता है पानी का मंत्रालय आपको दूं, तो मैं एक सोचा कि अपन क्या करेंगे, चलो वह तो काई आंट नहीं है बाकी मैं राय तो दे दूं कम से कम, मेरे हृदय में जो बात है वह कि अगर हुई तो अपन एक काम करेंगे कि आदमी को 70 लीटर पानी रोजाना चाहिए, पीने के लिए सात लीटर पानी पर्याप्त है आदमी को दिन भर में। आज अपन गांवों के अन्दर जाते हैं, तीस-पैंतीस साल का आदमी बूढा सा लगने लग जाता है पानी के कारण। अभी एक जगह डथ हो गयी वहां बैठने गये, मैंने पूछा कि क्या उम्र थी, तो बोले कि उम्र तो होगी 52-53 वर्ष की। 52-53 वर्ष की उम्र मरने की हो गयी! 100 वर्ष की उम्र बताते हैं आदमी की तो।

ऐसी विचित्र स्थिति है जिसके कारण मैं आपको यह राय दूं कि जिस तरह दो रुपये किलो अनाज का किया है, उसी हिसाब से 10-12 गांवों में हर गांव के पास एक जगह मीठे पानी का स्रोत मिल जाएगा। और बड़ा सस्ता काम है। दो लाख, पांच लाख रुपये में जैसे मिनरल वाटर की बोतलें बनाते हैं वैसे ही 25-25 लीटर, 35-35 लीटर के जरीकेन बना दें, ट्रैक्टरों और पिकअप में गांव के लोगों को राशन कार्ड के हिसाब से पांच जने अगर घर में हैं तो 25 लीटर का जरीकेन रोजाना चला जाए। रोजाना चेंज हो जाए तो इतना बड़ा भला आप प्रदेश का कर दोगे कि कोई भूलेगा नहीं आपको। मुख्य मंत्री गहलोत साहब को, इधर मदेरणा साहब को। जितने रुपये आप इधर मेडिकल में दे रहे हो मुख्य मंत्री सहायता कोष से, वे चौथाई हो जाएंगे। पानी की जो 70 परसेंट बीमारियां हैं, वे समाप्त हो जाएंगी। इस निवेदन के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदनलाल वर्मा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इस बात की ताईद तो करो कि अपनी भाषा में बोला है। सन् 1980 में मैं भी बोलता पर पूनम चन्द जी म्हाने रोक दिया।

श्री मदनलाल वर्मा (डग): माननीय सभापति महोदय, आज दो दिन से सदन में पानी पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

समय के अभाव में मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। झालावाड़ जिले के मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में पेयजल की योजना 195 करोड़ की रामगंजमण्डी पचपाड जो चम्बल की पेयजल योजना है, उस पेयजल योजना में पचास लाख लीटर पानी रोजाना की आवश्यकता है। वहां से पानी मिल रहा है हमें तीस लाख लीटर। चूंकि उस योजना को बनाते समय विभाग ने मध्यप्रदेश में होते हुए जब इस योजना को बनाया, आज चार जगह बीच में इस योजना को तोड़-मरोड़ कर मध्य प्रदेश ने अपना इस योजना का पानी ले रखा है। आज इस योजना का पूरा पानी मेरे क्षेत्र को नहीं मिल रहा है। लगातार सन् 2025 तक इस योजना का ड्राफ्ट तैयार किया था, आज बीच मध्य में यह योजना दम तोड़ रही है। इस योजना को बनाते समय एक कमी यह रही कि साठ गांव इस योजना में पड़ते हैं और चालीस गांवों को इस योजना से जब जोड़ा गया तो बीच-बीच में दो-दो किलोमीटर पर गांव छोड़ दिये गये। आज वे बीच के गांव पानी के लिए इस योजना से तरस रहे हैं।

इसके अलावा एक दूसरी योजना मेरे विधान सभा क्षेत्र में है वह है रेवा। रेवा परियोजना उस क्षेत्र में तीन साल पहले स्वीकृत हुई थी और सिंचाई और पेयजल इन दोनों के लिए यह योजना बनी थी, 39 गांवों के लिए उस योजना को बनाया गया था परन्तु आज इस बजट में मात्र पैंसठ लाख रुपये देकर इस योजना का दम निकाल दिया। क्योंकि पानी की योजनाओं पर साठ परसेंट काम हो चुका है बाकी बांध का काम अभी तक इसमें चालू नहीं हुआ है। पैंसठ लाख रुपये मात्र इस बजट में देकर इन योजनाओं को बिल्कुल तोड़-मरोड़ कर रख दिया। आज सारे गांव की पाइप लाइन, टंकियां जो बनी हुई हैं वे सभी बंद पड़ी हुई हैं। ठेकेदार काम छोड़ कर भाग गया है और करोड़ों के इस बजट को इस योजना के अभाव में वह गांव खाली टंकियां देख रहे हैं और पानी की पाइप लाइन देख रहे हैं।

(श्री मदनलाल वर्मा)

इसके अलावा दूसरी योजना माधवी परियोजना डग विधान सभा क्षेत्र में बीस गांवों को जोड़ने की बनायी गयी। चार साल से माधवी डैम में पानी भरा हुआ है और चार साल से पानी भरा हुआ होने के बाद भी, आज इसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी, वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी, खाली तकनीकी स्वीकृति के अभाव में चार साल से इस परियोजना को स्वीकृत नहीं किया गया है। बीस गांव उससे जुडने थे और वह योजना अभी तक कागजों में लटक रही है।

इसके अलावा एक और जो भीमणी परियोजना बनी है जिसमें 29 गांवों की पेयजल योजना बनी है, भीमणी का बांध बनकर तैयार है, पानी भरा हुआ है परन्तु वह ही तकनीकी स्वीकृति के अभाव में, प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी, वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी, तकनीकी स्वीकृति के अभाव में यह योजना भी दम तोड़ रही है। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में 72 गांवों को टैंकर से पानी पिलाने की योजना बनायी गयी जबकि वहां पर पानी भरा हुआ है, पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है परन्तु विभाग की गलती या किसी की गलती के कारण से इन योजनाओं को पैसा नहीं मिल पाया और हमारा काम रुका पड़ा है।

इसके अलावा, इस पेयजल योजना में एक चीज और बताना चाहूंगा कि भवानीमण्डी के आसपास पिपलाज योजना चालू है। पिपलाज योजना को 22 करोड़ रुपया इस बजट में मिलना चाहिए था, 22 करोड़ के बजाय मात्र 13 करोड़ रुपये दिये गये। इस पिपलाज योजना से साठ गांवों को पानी पिलाने की योजना बनी परन्तु इस पर भी इस साल बजट नहीं मिला।

इस तरह मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में जो पानी की योजनाएं बनी हुई हैं, मात्र छोटी-छोटी बात के लिए खाली बजट के अभाव में सारा काम रुका हुआ है । मैं आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से, माननीय मंत्री महोदय जी से कि कम से कम इन छोटी-छोटी बातों के लिए इन योजनाओं को अटका रखा है, अगर इनको आप बजट उपलब्ध करवा दें तो मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में हर गांव को पानी मिलने की योजना बन जाएगी।

दूसरा मेरा एक निवेदन है कि नवम्बर में पहला कंटिंजेंसी प्लान झालावाड़ जिले को दिया था और नवम्बर के बाद हमारे सिंगल फेस की ट्यूबवैल की सैंक्शन दी थी, आज तक हम उसको बोर नहीं कर पाए। इनकी जो टेक्निकल प्राब्लम है, टेंडर की प्रक्रिया है इसमें कहीं न कहीं खामियां हैं और उस प्रक्रिया के अभाव में अभी तक हम उन सिंगल फेस को बोर नहीं कर पाए।

(श्री मदनलाल वर्मा)

दूसरी बात जो हैंड पम्प नाकारा हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में, आज लगभग ढाई से तीन हजार हैंड पम्प चालू हैं और उनमें जब खराबी आती है तो मात्र 17-18 हैंड पम्प मिस्त्री उनको ठीक नहीं कर पाते हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैंड पम्प मिस्त्रियों की संख्या बढ़ाई जावे।

दूसरा जो 72 गांवों को टैंकर से पानी पिलाने की योजना है उन टैंकरों पर लाखों रुपये बर्बाद करते हैं और उसके बाद भी ठेकेदार गावों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाते हैं।

जिन परियोजनाओं के बारे में मैंने निवेदन किया है इन परियोजनाओं पर यदि काम चालू होता है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांवों को पानी मिल सकेगा।

यहां पर बिजली के बारे में भी सदस्यों के सुझाव आए हैं।

श्री सभापति: संक्षिप्त करो, माननीय सदस्य।

श्री मदनलाल वर्मा (डग): एक मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।

श्री सभापति: पूरा समय तो इसी में लगा दिया।

श्री मदनलाल वर्मा (डग): सभापति महोदय, एक मिनट और बोलूंगा। सबसे ज्यादा बिजली के बारे में मेरे क्षेत्र के नागरिकों की जो पीड़ा है, वह है एक तो काश्तकार अपने कुएं पर जो मीटर बदलवाता है और जब मीटर खराब होता है, विभाग की नीति है कि ट्रांसफार्मर खोलकर आप जी एस एस पर लाइये, लगभग दो से तीन हजार रुपये उस काश्तकार के उस पर खर्च होते हैं, एक सप्ताह या पन्द्रह दिन तक भी वह काश्तकार वह ट्रांसफार्मर अपने खेत पर नहीं लगा पाता है। अतः आपके माध्यम से मेरा बिजली मंत्रीजी से यह अनुरोध है कि इस नीति को बदलने का कष्ट करें और तत्काल काश्तकार के यह मीटर वाली प्रक्रिया को ठीक कराने का कष्ट करें।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसानों को सबसे ज्यादा जो पीड़ा है, मीटर की गड़बड़ियां। बिलिंग जो आती है, मीटर रीडर मौके पर जाते नहीं हैं और कम्प्यूटर के द्वारा वहीं पर बिलिंग देते हैं। बिलों की इतनी गड़बड़ियां हैं कि सारे लोग मारे-मारे फिरते हैं अतः मैं माननीय मंत्री महोदयजी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यह जो छोटी-छोटी समस्याएं हैं, जिनसे काश्तकार को परेशानी होती है, इनको दूर करने का कष्ट करें। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति: श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, पिछले दो दिन से पानी, बिजली, अकाल पर महत्वपूर्ण चर्चा सदन में हो रही है। मैं इसमें भाग लेते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार

(समय : 01.00 बजे)

बनी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 5 वर्ष तक किसानों के कृषि कनक्शन पर कोई पैसा नहीं बढ़ाने की घोषणा की इसके लिये मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, 1 नवम्बर से रबी की फसल के लिये 5 महीने तक मेरे क्षेत्र में नियमित बिजली सप्लाई दी उसके लिये भी हमारे मुख्य मंत्रीजी, बिजली मंत्रीजी और उनका तंत्र बधाई के पात्र हैं। अखबारों में पढ़ते थे, बिजली मार्केट में 10 रुपये, 12 रुपये यूनिट में खरीदी जा रही थी लेकिन इन किसानों को फ्लैट रेट और 90 पैसे यूनिट से इन्होंने बिजली सप्लाई की, वह भी एक बहुत अच्छा काम किया है।

माननीय सभापतिजी, मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने तो बिजली की दर नहीं बढ़ाने की घोषणा कर दी लेकिन अधिकारीगण जो फ्लैट रेट है उसमें जैसे पिछले दरवाजे से करते हैं उसी तरह फ्लैट रेट जिनके है, जब लोड़ बढ़ाते हैं, शिफ्टिंग करवाते हैं या नाम परिवर्तन करवाते हैं तो उसके मीटर प्रणाली लगा देते हैं। यह पैसा बढ़ाने का एक तरीका है। यह कतई नहीं होना चाहिये। फ्लैट रेट के स्थायी आदेश होने चाहिये और फ्लैट रेट फ्लैट रेट ही रहे, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं करें, यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बिजली मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि चौमूं डिविजन में लगभग 30 हजार कृषि कनेक्शन और 50 हजार घरेलू कनेक्शन हैं जिसमें चौमूं सिटी में लगभग 6 हजार कृषि कनेक्शन और 20 हजार घरेलू कनेक्शन हैं। यह उपभोक्ता बहुत बड़ी संख्या में हैं इसलिये एक ए ईन आफिस कालाडेरा में और स्थापित करें जिससे इसका कार्य विभाजन दो जगह हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, 5 हजार की आबादी से अधिक आबादी वाले गांवों में आज बिजली ठीक दे रहे हैं सिंगल फेस लेकिन छोटे गांवों में या तो रात को बिजली मिल रही है। गर्मी का समय है और बिजली नहीं मिलने से कुटीर उद्योगों की स्थिति भी दयनीय हो गयी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि

(श्री भगवान सहाय सैनी)

गांवों में सिंगल फेस बिजली दिन में देने की व्यवस्था कराएं। दिन में बिजली नहीं देंगे तो गर्मी के समय में बहुत बड़ी परेशानी होगी और कुटीर उद्योग भी लाभान्वित नहीं हो पायेंगे इसलिये दिन में बिजली दी जाए।

माननीय बिजली मंत्रीजी, एल डी पर नियंत्रण किया जाए। कभी रात को 8 बजे, कभी रात को 2 बजे 2 घण्टे, 3 घण्टे के लिये एल डी काट दी जाती है और इस पर किसी का भी जोर नहीं चलता। जिस अधिकारी से बात करते हैं कि एल डी ने काट दी, यह एल डी क्या बीमारी है यह तो आप जानो लेकिन इस एल डी पर नियंत्रण करें जिससे हमें दिक्कत नहीं हो।

माननीय मंत्री महोदय, नगरपालिका क्षेत्र की कालोनियों में कनेक्शन देने के लिये जो परिपत्र जारी कर दिया कि पूरी कालोनी का नक्शा बनाकर पेश करें तब ही कनेक्शन दिया जायेगा। यह कानून बहुत ही गलत है। इस कानून को हटाया जाए। गांवों में घरेलू कनेक्शन देने का प्रावधान करावें। 500 मीटर की दूरी में जो कनेक्शन पहले थे, फीडर सुधार कार्यक्रम में हटा दिये उनको भी कनेक्शन नहीं दे रहे हैं और नये कनेक्शन तो दे ही नहीं रहे हैं इसलिये गांवों में कनेक्शन दिलाये जाएं। खेती के लिये थ्री एच पी के कनेक्शन दिये जाएं और जिनके 10 एच पी के कनेक्शन हैं उनके पांच-पांच के दो कनेक्शन कर दिये जाएं जिससे पानी सही आ सके। बी पी एल कनेक्शन की स्थिति यह है कि ठेका तो दे दिया लेकिन कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो बी पी एल कनेक्शन भी करवाये जाएं।

माननीय जलदाय मंत्री से निवेदन करूंगा कि हमारे जयपुर जिले में कंटिंजेंसी 20 अगस्त, 2009 को सैंक्शन हुई थी उसके सिंगल फेस बोरिंग अब तक भी नहीं हो रहे हैं, वे बोरिंग करवाये जाएं। विजयसिंहपुरा जो मेरे ही क्षेत्र का एक गांव है, 2500 की आबादी है, वहां पानी की स्कीम, टंकी और नलकूप लगाने के लिए मैं पिछले 12 महीने से ए ईएन से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी एच ई डी तक अनुरोध कर चुका हूं लेकिन आज तक स्कीम सैंक्शन नहीं हुई है। माननीय मंत्री महोदय, यदि मेरे यहां ही नहीं हुई है तो मेरे ख्याल में राजस्थान में कहीं नहीं हुई है। आप जब जवाब दें तो इसकी चर्चा करें कि आपने 15 महीने में कहीं स्कीम सैंक्शन की या नहीं की। यदि नहीं की, तो क्यों नहीं की? और यदि की तो मेरे यहां क्यों नहीं की? 2500 की आबादी में भी यदि आप पानी नहीं देना चाहते हैं तो इसका क्या कारण है?

(श्री भगवान सहाय सैनी)

चौमूं में जल स्तर काफी नीचे चला गया है, काफी ट्यूबवैल सूख गये हैं। जब मुख्य मंत्रीजी मेरे क्षेत्र में पधारे थे तो हमने निवेदन किया था कि यहां पानी की व्यवस्था करवायी जाए। उनके जवाब में गया है कि बांड़ी से जब तक पानी की योजना स्वीकृत नहीं होगी, पी एच ई डी अधिकारियों का कहना है कि बांड़ी से जब तक पानी की योजना स्वीकृत नहीं होगी तब तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पायेगी। विधान सभा में पी एच ई डी अधिकारियों ने जवाब दिया है कि हमारे पास कोई योजना विचाराधीन नहीं है। यह क्या कारण है? एक तरफ मुख्य मंत्रीजी को जवाब दे रहे हैं कि बांड़ी से पानी की योजना स्वीकृत करायेंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि योजना ही नहीं है। पानी कहीं से भी लायें, चाहे बांड़ी से लायें, चाहे गुडला से लायें, चाहे टाकरड़ा से लायें, पानी की व्यवस्था करवायी जाये।

स्वजलधारा योजना में माहरकलां में साढ़े चार वर्ष पूर्व 52 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे, उसका कोई जनता को लाभ नहीं मिला है, न कोई हिसाब-किताब है। 52 लाख रुपया जिस एजेंसी को दिया गया, 52 लाख रुपये देने के बावजूद भी आज गांव में पानी नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी जांच करवायी जाए व पानी की व्यवस्था करवायी जाए। चौमूं में पाइप लाइन लगभग 40-45 साल पुरानी है, इस पाइप लाइन को बदला जाए।

अकाल राहत के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि 2000 रुपये हैक्टेयर मात्र स्वीकृत किया गया है, 500 रुपया बीघा का होता है। 1000 रुपया बीघा तो बीज की बुवाई का ही खर्च हो जाता है इसलिए इसको कम से कम 4000 रुपया किया जाए।

धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामहेतसिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): सभापति महोदय, अलवर जिले में 24,933 कृषि कनेक्शन बाकी हैं जिसमें 3,986 कृषि कनेक्शन मेरे विधान सभा क्षेत्र के हैं तथा 1,218 बी पी एल के घरेलू कनेक्शन मेरे विधान सभा क्षेत्र में होने हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में 132 के वी ए का जी एस एस स्वीकृत है कोटकासिम में, लेकिन उसका काम शुरू नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से चाहता हूं कि 132 के वी ए जी एस एस का काम तुरन्त शुरू हो तथा राज्य सरकार के पास विचाराधीन खैरथल

(श्री रामहेत सिंह)

नगरपालिका में 132 के वी ए जी एस एस झिरण्डिया, बाखोड़ा, नेहरमपुर, मोट्रूका, चामरोदा, नूरनगर, बल्लभग्रामपुर, रतोपुर और तिगामा, राजपुरकलां, भोखर, नांगल सालिया जटियाना, खानपुर डागरान में 133 के वी ए जी एस एस सरकार के पास विचाराधीन है, माननीय मंत्री महोदय से मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उनको स्वीकृति तुरन्त दें ताकि बिजली की समस्या दूर हो सके।

इसी प्रकार कुछ लाइनें खराब हैं जो विजयमंदिर से अलवर से बसईबालान को जो 13000 के वी ए की लाइन है जो बहुत पुरानी है, आये दिन दुर्घटना हो जाती है उसको बदला जावे। शेरपुर गांव में जो 11000 की लाइन गांव के बीच में से जा रही है, कई बार जन हानि और पशु हानि हो गयी, उसको बदला जावे। राताखुर्द से बारला का बास में घरेलू कनेक्शन बाकी हैं उनको किया जावे। शेरपुर में खम्भे खड़े हैं, लाइन नहीं लगी है तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि उसके भी घरेलू कनेक्शन किये जाएं। विभाग द्वारा अलग से एक्स ईएन आफिस किशनगढ़बास सर्कल में एक विद्युत थाना खोला जाए जिसके पास यह अधिकार हो कि जितने भी ट्रांसफार्मर चोरी हों उनकी जांच वह करे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में 147 एफ आई आर विद्युत विभाग द्वारा दर्ज करायी गयी हैं, डेढ़ करोड़ से अधिक का बिजली का सामान चोरी हुआ है लेकिन एक भी बरामद नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि एक्स ईएन सर्कल 6 अलवर जिले में अगर सब में ही अलग से विद्युत विभाग के थाने खुल जाएं और विशेषकर ट्रांसफार्मर चोरी के जो केस हों उनको उनके अधीन दे दिया जाए तो विद्युत विभाग को इसका फायदा मिलेगा और आम किसान को जो परेशानी होती है उसको फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि अलवर जिले के अन्दर जो मेरा किशनगढ़बास विधान सभा क्षेत्र पड़ता है उसमें 256 गांव और 52 ढाणियां हैं, इसमें 24 पाइप लाइन की स्कीम हैं, 8 पी एन टी की स्कीम हैं, 2 टी एस एस की स्कीम हैं, 39 जे जे वाई की स्कीम हैं, 181 हैंड पम्प हैं और 96 सेक्टर रिफार्म्स योजनाएं हैं जो लगभग बंद पड़ी हैं और सारे जो हैंड पम्प हैं वे सूख गये हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से आग्रह है कि जनता जल योजना का पैटर्न अपना कर

(श्री रामहेत सिंह)

सेक्टर रिफार्म्स को चालू किया जाए जिसमें विद्युत विभाग बिजली का बिल भरे और जो भत्ता है वह विभाग दे और 400 रुपये पर एच पी के हिसाब से पी एच ई डी भुगते। उसका फायदा जनता को मिलेगा।

सभापति महोदय, अलवर जिला एन सी आर में आता है और एन सी आर में कोई भी ऐसी स्कीम केन्द्र सरकार से राज्य सरकार ने नहीं मांगी है जिसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। एन सी आर के माध्यम से ग्रांट या कम ब्याज पर ऋण लेकर योजना बनानी चाहिए।

मेरे से पूर्व 2-3 माननीय सदस्यों ने यमुना नदी के पानी की बात कही थी, मैं भी मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि यमुना के पानी में 1.112 बिलियन क्यूबिक मीटर राजस्थान का हिस्सा है उसको अगर अलवर जिले के लिये सरकार से मांगें तो अलवर जिले की पानी की समस्या दूर होगी।

एक बात और कहना चाहता हूं कि अलवर जिले में जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्र बढ़ा है, उसके कारण पानी का जो दोहन हुआ है, पूरा इलाका परेशान है। विशेषकर भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे बहरोड़ का गूंती हो, चाहे मुण्डावर का सोड़ावास हो, सबमें पानी का दोहन इस स्पीड से बढ़ा है कि भिवाड़ी के आसपास जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें तो हैंड पंप और टयूबवैलों में अगर बोरिंग हो जाती है तो जहरीला पानी आता है। आये दिन जन हानि और पशु हानि होती है। मैं चाहता हूं कि ऐसी कोई स्कीम बने कि इनसे जो जहरीला पानी छोड़ा जाता है उसको प्यूरिफाई करके छोड़ा जाये और शुद्व करके उसको कृषि के काम में लिया जाये। बार-बार योजना उद्योग विभाग बनाता है लेकिन पिछले 20 साल से उस योजना की क्रियान्विति नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस योजना को पूर्ण करें।

सभापति महोदय, मेरे किशनगढ़बास विधान सभा क्षेत्र में जिलौता, इस्माइलपुर, नंगला डूंगर, दादरहेड़ा, बम्बौरा, बल्लभग्राम, राताखुर्द, बसई कलां, नगरपालिका क्षेत्र खैरथल...

श्री सभापतिः आप लिस्ट दे देना, माननीय सदस्य।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): आधी मिनट में बात पूरी कर रहा हूं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो अपनी समस्याएं ही रखी हैं। खानपुर मेवान, लाल पहाड़ी, किशनगढ़बास, उजौली, नंगला, नांगल सालिया, हाजीपुर, रामपुर, हाजनाका, अलंबिका में खारा पानी है, इसलिए सरकार इसमें स्कीम बनाकर के यहां पानी की उचित व्यवस्था करें।

(श्री रामहेत सिंह)

सभापति महोदय, एक बात और कहकर के अपनी बात को खतम करूंगा। इन दिनों जहां पर पानी की समस्या है वहां पर टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। प्रभारी मंत्रीजी की उपस्थिति में अलवर में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी विचार आया था। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं कि 165 रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से टेंडर दिया है जबकि प्रेक्टिकल में 300 रुपये से कम का पानी का टैंकर नहीं आता है। मैं मंत्री महोदय से पुनः आग्रह करता हूं कि इस पर विचार करें कि अगर टैंकरों को पूरा पैसा नहीं देंगे तो इसमें बेइमानी होगी, लूट होगी और जनता को राहत नहीं मिलेगी। इसमें समीक्षा करके कम से कम 250 रुपये टैंकर के हिसाब से आप तय करवायें राज्य सरकार की तरफ से तो ही जनता को पानी मिलेगा। बहुत सारी योजनाएं सरकार के पास पेंडिंग हैं, उनको पूरा करायें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम अप करो।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): सभापति महोदय, एक बात और कि शहरों में जो जल योजनाएं हैं, जहां आवासीय कालोनियां बनी हुई हैं उनमें तो हैं लेकिन जो कृषि में कालोनियां बस गयी हैं सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। वहां भी पीने के पानी की आवश्यकता होती है। वहां भी पानी की व्यवस्था करें।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लालशंकर घाटिया।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मुझे पानी, बिजली और आपदा के संबंध में जो बोलने का मौका मिला है उसके लिए मैं आभार प्रदर्शित करता हूं।

हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जो कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही सरकार में बैठे हैं, इन्होंने जो जल की नीति बनायी है, चाहे वह ऊर्जा की नीति हो, चाहे आपदा की नीति हो, बहुत ही सराहनीय नीतियां बनायी हैं। पेयजल की व्यवस्था करने के लिए जो नीति लागू की है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं।

सभापति महोदय, मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि मैंने हमारे डूंगरपुर जिले के लिए माननीय जलदाय मंत्री महोदय को कई प्रकार के कागज दिये थे, उनमें मैंने मांग की थी कि हमारे एडवर्ड सागर, डिमया को, रण सागर

(श्री लालशंकर घाटिया)

को और गैप सागर को गहरा कराया जाये लेकिन हो सकता है भूल हो गयी हो, कहीं चूक हो गयी हो, उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि जो सरकार की नीति है, पानी के बारे में पैसा दिया गया है लेकिन डूंगरपुर में इस संबंध में कोई पैसा नहीं मिला है।

सभापति महोदय, मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार है, जलदाय मंत्रीजी को सुझाव देना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि जब हमारी मंजिल ही आप तक है तो किसको कहने जायें? मुझे ऐसा लगता है कि लोग कांटों से संभलकर चलते हैं, हम फूलों से जख्म खाते हैं। हमारे डूंगरपुर नगरपालिका क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है। जो डिमया तालाब बना था वह महारावल लक्ष्मण सिंहजी ने बनाया था। एडवर्ड सागर जो बना था एडमिरल की याद में विजय सिंहजी और लक्ष्मण सिंहजी ने बनाया था, वहां पर पशुओं के पानी पीने के लिए सागर बना था। सभापति महोदय, मैं इस मौके पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चिड़िया चोंच भर ले गयी नदी ना घटयो नीर, आप हमारे डूंगरपुर में थोड़ी सी कार्य योजना बनाकर यदि कोई पैसे दे देते तो निश्चित रूप से हम यह महसूस करते। हमारे डूंगरपुर में सोम कमला का पानी या फिर माही का पानी पहुंचा कर डूंगरपुर के नगरपालिका क्षेत्र में पानी की व्यवस्था कर दें।

माननीय जलदाय मंत्रीजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 40 पंचायतें बीछीवाड़ा की हैं और 8 पंचायतें डूंगरपुर की हैं और नगरपालिका के 30 वार्ड हैं। पानी की बहुत कमी है। हमारे यहां पर जो पानी की कमी है, उसके लिए पहले वक्तव्य में यहां पर पेयजल के लिए फ्लोराइड युक्त एरिये में पैसा डूंगरपुर को देने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक उसकी सम्पूर्ण पालना नहीं हुई है। मंत्रीजी, हमारे डूंगरपुर में पानी की स्थाई व्यवस्था करें और बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए मैं आशा करता हूं कि सोम कमला का पानी या माही का पानी डूंगरपुर में लाने की आप व्यवस्था करायें। यह मैं आपसे मांग करता हूं।

सभापति महोदय, जब पिछली सरकार थी उसमें माही का पानी झाड़ोल ले जाने के लिए बात चली थी। उस वक्त हमने कई धरने, प्रदर्शन किये थे और हमने यह मांग की थी कि यह पानी डूंगरपुर में लाया जाये, सागवाड़ा में लाया जाये और चौरासी के क्षेत्र में लाया जाये। हमारे वहां पानी की बहुत कमी है, हमारा उक्त क्षेत्र सूखा है और पानी की जो अव्यवस्था है उसको देखते हुए आप निश्चित रूप से पानी की व्यवस्था कराने में हमें सहयोग दें।

(श्री लालशंकर घाटिया)

सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्री यहां पर नहीं हैं लेकिन उनको निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरपुर में एक्स.ईएन. का पद रिक्त है, ए.ईएन. का पद रिक्त है और जे.ईएन. भी नहीं है। पिछली सरकार ने केशवबाड़ी योजना लागू की थी। उसमें बोर के लिए ड्रिलिंग किया गया था। उसमें बार-बार कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन दी गयी। मेरा अंदाजा है कि बीछीवाड़ा पंचायत समिति में 40 बोर को ड्रिलग किया गया है लेकिन आज तक विद्युत कनेक्शन नहीं हुआ है। मैं ऊर्जा मंत्रीजी से मांग करता हूं कि केशवबाड़ी योजना में जो बोर हैं उनमें कनेक्शन दिलाया जाये और लोगों को समय पर पानी दिलाने में सहयोग करेंगे ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं।

सभापति महोदय, डूंगरपुर नगरपालिका क्षेत्र में तार आमने-सामने टकरा रहे हैं। सहरिया क्षेत्र है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो बिजली के तार इधर-उधर लटक रहे हैं इनको सीधा करके जो अभी नयी ऊर्जा नीति लागू हुई है उसमें वे तार खींचे जायें और लोगों को राहत दी जाये।

सभापति महोदय, दूसरी, हमारे वहां पर अकाल राहत में नगरपालिका क्षेत्र में मात्र 100 लेबर दिये गये हैं।

श्री सभापति: सम अप करें, माननीय सदस्य।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): अकाल राहत में नगरपालिका क्षेत्र में 100 मजदूर बहुत ही कम हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि नगरपालिका क्षेत्र में हमारा ग्रामीण क्षेत्र थोड़ा सा आता है, पंचायतों का क्षेत्र आता है, वहां कम से कम 1500 से 2500 की लेबर बढ़ाई जाये, यह मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहूंगा हमारे जलदाय मंत्रीजी और ऊर्जा मंत्रीजी को कि जो काम हमारे काफी समय से अधूरे हैं, लटके हुए हैं, उनको पूरा करने के लिए आपसे निवेदन करता हूं। साथ में यह भी आशा करता हूं कि हमारी ऊर्जा नीति और जल नीति को शीघ्र लागू किया जाए और आप बहुत ही जल्दी पूरा करेंगे तो मैं बधाई देना चाहूंगा, नहीं तो एक कहावत है कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दुबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। यही कहते हुए आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ग्यारसाराम कोली। माननीय सदस्य, मैंने सिर्फ दो मिनट निर्धारित किए हैं उससे ज्यादा समय नहीं दूंगा। या तो मंत्रीजी से से

(श्री सभापति)

अपना जवाब नहीं देकर सारा टेबल करा दूं यहां। सदन 1 बजकर 20 मिनट की गति पर पहुंच चुका है। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप 2 मिनट से ज्यादा न बोलें।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): माननीय सभापति महोदय, आपको मुझसे एलर्जी है, आप मुझे मना कर दीजिए, मैं बैठ जाता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपने क्षेत्र की बात आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र बयाना एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई नहर नहीं कोई बड़ा बांध नहीं, असिंचित क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में पानी की विशेष किल्लत है। यह क्षेत्र डांग क्षेत्र है जहां पर पशुपालन कृषकों का मुख्य धंधा है। पानी के अभाव में मार्च से ही जन मानस को पानी मिलता नहीं, पशुओं को पानी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में पशुओं को लेकर लोग उत्तर प्रदेश के गांवों में चले जाते हैं जहां नहरी क्षेत्र है। मैं ऐसे क्षेत्र का आपको निवेदन कर रहा हूं।

माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसे क्षेत्र के लिए मैंने 12 मार्च, 2010 को एक अतारांकित प्रश्न विधान सभा में प्रस्तुत किया था और उसका जवाब मिला मुझे कि हमने वर्ष 2009 में 10 हैंड पम्प लगाए हैं। माननीय सभापति महोदय, जिस विधान सभा क्षेत्र में दो तहसीलें हों, 56 ग्राम पंचायतें हों, 363 ग्राम हों, उसमें दस हैंड पम्प लगाए जाएं, यह सरकार की असंवेदनशीलता का स्पष्ट उदाहरण है और जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हम यह कर देंगे...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विषय पर बोलें, अपने क्षेत्र पर बोलें। यह क्या ढिंढोरा पीटना? आप अपनी बात करो, अपनी समस्या की बात करो। अभी समय नहीं है, समय हो तब आपकी इच्छा हो उतना लम्बा बोलो। जितना समय दिया गया है, उस समय में आप अपनी समस्या रखो।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की ही बात कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि ऐसे क्षेत्र में जो बड़े गांव हैं वहां जलाशय बनाए जाएं और ऐसा क्षेत्र जो राकी एरिया है वहां डीप वेल, जो हैंड पम्प्स की बात चल रही है, कल से मैं सुन रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र में हैंड पम्प्स लगाए जाएं, हैंड पम्प प्रणाली बिलकुल फेल। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए माननीय मंत्रीजी का

(श्री ग्यारसा राम कोली)

ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में अगर कंटींजेंसी प्लान में दिए जाएं तो डीप वेल दिए जाएं, सिंगल फेस की मोटर लगाकर। एक गांव में अगर दो होंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वहां पानी की समस्या साल्व हो जाएगी, हैण्ड पम्प लगाना बिलकुल बेकार होगा।

इसके साथ-साथ ही मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा, ऊर्जा मंत्री नहीं हैं, खास तौर से एक ओर हमारे बजट में यह गारंटी ली जा रही है, मैं मानता हूं कि चलो, अपनी सरकार ने कुछ किया या नहीं किया लेकिन ये कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गए, आत्मनिर्भर हो गए तो किसानों को कनेक्शन क्यों नहीं दे देते? इसमें कहां दिक्कत आ रही है? और अगर कनेक्शन नहीं देते हैं तो आपकी नीयत में खोट है और अल्टिमेटली इससे ब्यूरोक्रेट्स में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उसको बढ़ावा आप अपने स्तर से देना चाह रहे हैं तो उसकी पराकाष्ठा क्या है?

माननीय सभापति महोदय, मैं एक सजेशन और देना चाहूंगा कि गांवों में बिजली के तार लटके हुए हैं। गर्मी का मौसम आ रहा है, आंधी चलती है, तार टकराते हैं, स्पार्किंग होती है। और स्पार्किंग होने से आग भी लगती है और गांव के गांव स्वाहा हो जाते हैं। इसी तरह से हाई टेंशन लाइन जो आबादी के ऊपर है इसको हटाने का 50 प्रतिशत खर्च उपभोक्ता या किसी सोसायटी या गांव वाले या किसी कम्पनी पर लादा जाता है। मेरा सजेशन है कि सरकार इस प्रावधान को कम करे और आम जनता की सुरक्षा में ऐसी हाई टेंशन लाइनों का सर्वे कराकर स्वयं के खर्चे पर इनको हटाया जाए। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी नहीं हैं लेकिन इस पर पुनः विचार किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, आप बार-बार घण्टी बजा रहे हैं लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर पुनः विचार करे, बिजली की समस्या साल्व हो जाएगी तो पेयजल की समस्या साल्व हो जाएगी और पेयजल की समस्या साल्व हो जाएगी तो इर्रिगेशन की समस्या भी साल्व हो जाएगी।

हमारे अकाल राहत का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां बिजली की व्यवस्था गर्मियों में सुचारु रखें और कंटिंजेंसी प्लान को इस तरह से लागू करें जो जन मानस के हित में हो।

आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: डाक्टर विश्वनाथ मेघवाल।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, आज पेयजल, बिजली और अकाल राहत पर चर्चा चल रही है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की समस्याओं की ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में इस वक्त पेयजल की बहुत भारी किल्लत है, अभी गर्मी के तीन महीने बकाया हैं और पेयजल की भारी किल्लत है। सीमावर्ती क्षेत्र है और पूरा ही नहरी पानी पर डिपेंड है। मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अनूपगढ़ और पूगल बांध से साढ़े तीन सौ क्यूसेक्स और सात सौ उन्नीस क्यूसेक्स की नहरों में तीन सौ उन्नीस क्यूसेक्स पानी ही छोड़ा गया जबकि मेरे कई चक और ढाणियों में पानी नहीं पहुंचा। के वाई डी 20, बी डी 10 और के एल डी की 20-20 ढाणियों में पानी नहीं पहुंचा, पी के डी, के एल डी, बी एल डी, के एच एम, जी एल डी की दस-दस चकों में पानी नहीं पहुंचा। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि स्पेशल टैंकरों के माध्यम से इन ढाणी और चकों में पानी पहुंचाएं, वहां पानी की बहुत भारी किल्लत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग भी करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में 50 हैंड पम्प और 5-5 ट्यूबवैल दिए जाएं और मेन कैनाल के पास एक बड़ी जल परियोजना बनाई जाए। माननीय मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में डिग्गियां बनी हुई हैं उनमें बहुत दूषित पानी है, उनका फिल्टरेशन और ब्लीचिंग टाइम पर नहीं होता, उनका फिल्टरेशन और ब्लीचिंग टाइम पर करवाएं और ओपन डिग्गियों में जो गंदगी है उनकी साफ-सफाई करवाई जाए टाइमली।

माननीय सभापति महोदय, मैं बिजली के बारे में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक साल से डिमांड नोटिस भरने के बावजूद भी घरेलू कनेक्शन न बी पी एल को दिए जा रहे हैं और न सामान्य को दिए जा रहे हैं, न कृषि कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बिजली की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। नेशनल सर्वे 2003 के अनुसार कई चक और ढाणियों को इस सुविधा से वंचित किया जा रहा है, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन चक-ढाणियों को इसमें शामिल किया जाए। आजादी के 63 साल बाद भी कई ग्राम पंचायत के चक और ढाणियां, करणसर भाटिया और राजासर छोटा है वहां पर अभी तक बिजली की समस्या का समाधान नहीं हुआ है उनको ठीक किया जाए; दन्तोर में 33 के वी जी एस एस का काम पूरा किया जाए।

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

अकाल राहत में अभी कार्य नहीं खोले गए हैं, अनुदानित चारा डिपो भी अभी नहीं खोले गए हैं। पशु शिविर भी आर डी 682 पर जो खोला गया है उसमें दो सौ, चार सौ पशु के ही शिविर किये गये हैं जबकि वहां वर्तमान में ढाई हजार पशु हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ढाई हजार पशु हैं उनकी स्वीकृति भी दी जावे। नहर के लेफ्ट बैल्ट में 240 किलोमीटर में हरित पट्टी विकास का चारागृह विकसित किया जाए और जो चारा भट्ठों में जा रहा है उसको रोका जाए।

आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अभिषेक मटोरिया। समय का ध्यान रखना।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): हां, दो मिनट दिये हैं आपने, तीन विषयों पर ध्यान रखूंगा।

पिछले दो दिनों से तीन विषयों पर और नौ दिन हो गये, तीन दिवस हम मना रहे हैं, 22 मार्च जल दिवस, 27 मार्च बिजली से संबंधित, अर्थ आवर और तीसरा 30 मार्च राजस्थान दिवस, ये तीनों विषय और तीनों दिवस कैसे हमसे जुड़े हुए हैं, तीन मिनट में बताने की कोशिश करूंगा।

सभापति महोदय, बात चल रही है ढाणी और चकों में लाइट पहुंचाने की, मैं सदन के समक्ष एक बात रखना चाहूंगा, मेरी विधान सभा क्षेत्र के सरकारी सूची के अनुसार जो 133 अविद्युतीकृत गांव हैं, उसमें से 68 नोहर ब्लाक क्षेत्र में हैं और उसमें से 2 ऐसे पंचायत मुख्यालय हैं जहां पर लाइट नहीं है, पंचायत मुख्यालय पर, हाल ही एक महीने में, 25 दिनों में वहां खम्भे भी खड़े हुए हैं, लाइट भी आई है, ट्रांसफार्मर भी लगे हैं, कनेक्शन भी हो रहे हैं, पर वह बात मात्र 25 दिनों की है। लगभग एक साल नई सरकार के और इससे पिछली सरकार और पिछली, उससे भी पिछली सरकार की यह बड़ी लापरवाही रही है कि पंचायत मुख्यालय पर लाइट नहीं पहुंचाई, हम बात करें यहां पर ढाणियों पर लगाने की! वह दोनों पंचायतों और उन सारे गांवों की लिस्ट मेरे पास यहां है।

दूसरा विषय पानी, सभापति महोदय, आज राजस्थान में प्रति व्यक्ति पानी की क्या आवश्यकता है, कितना कम है, राष्ट्रीय मानक कितने हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहूंगा, मैं सीधे-सीधे सुझाव देना चाहूंगा। जल्दी में कागज ही

(श्री अभिषेक मटोरिया)

नहीं मिलते। गिरते हुए भू-जल स्तर को रोकने तथा बेहतर जल संसाधन प्रबंधन को जितने भी उससे संबंधित कानून बनाये गये हैं उनमें जल्द से जल्द मजबूत संशोधन किये जाएं। नम्बर दो, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कानून को सख्ती से लागू किया जाए; फव्वारा एवं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को पायलेट प्रोजेक्ट के माध्यम से जो पूर्ववर्ती वसुंधराजी की सरकार ने लागू किया था, उसको सख्ती से सिंचाई संबंधी सभी जिलों में अनिवार्यता के रूप में लागू किया जाए। हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में जहां आपकी योजना मुख्य रूप से पानी पहुंचा रही है, उन सब गांवों में पानी की व्यवस्था नियमित की जाए और उस पूरे सिस्टम को सुधारने हेतु बजट में और पैसे दिये जाएं। इसी प्रकार, विधायक कोटे से जो सभी विधायक अपने क्षेत्र में जल सुविधा सुधारने के लिए पैसे देते हैं, वह बिना रोक-टोक, बिना विभाग के आपत्ति के जल्द से जल्द लगाए जाएं, उनमें किसी प्रकार की देरी ना की जाए। जल संकट मेरी समझ में, माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक कारणों से कम और सरकार द्वारा निर्मित मानवीय कुप्रबंधनों की वजह से ज्यादा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो भी अधिकारी और कर्मचारी जल वितरण से संबंधित हैं और वे सिंचाई या पेयजल संबंधी वितरण में गड़बड़ी करते हैं, उन्हें दोषी माना जाए।

मुद्दा नम्बर तीन, अकाल। सभापति महोदय, आज हमारे राजस्थान में 5,78,99000 पशु हैं जिनमें अधिकांश पशु उत्तर पश्चिमी राजस्थान में है और यह इलाका भारी सूखे से ग्रस्त है। प्रदेश में उपलब्ध 2,39,65,000 गायें और भैंस के लिए 4,32,54,000 मीट्रिक टन चारे की आवश्यकता रहती है। सितम्बर, 2009 तक मात्र 352 मिलीमीटर वर्षा होने की वजह से अब खरीफ और रबी की फसल में कमी के कारण 2,04,49,000 मीट्रिक टन चारे की कमी हुई है जिसके लिए सरकार ने 106 करोड़ का बजट आबंटन किया। उसके पूर्व में खर्च कितना किया, सभापति महोदय, 8 करोड़ 8 लाख! सभापति महोदय, इसी प्रकार मैं आपके समक्ष सिर्फ तीन जिलों के आंकड़े रखना चाहूंगा, ज्यादा मेरे पास यहां पर नहीं हैं।

श्री सभापति: आंकड़े आप मंत्रीजी को दे देना।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सभापति महोदय, इससे पहले आपने यह बात और सदस्यों को तो नहीं कही।

श्री सभापति: आप दे देना माननीय मंत्रीजी को, सब को सर्कुलेट कर देना, आप विराजो।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सभापति महोदय, मैं बोलूं क्या फिर?

श्री सभापति: आप विराजो, आंकड़े क्या बताने हैं? विराजो आप।... (व्यवधान)......

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): साहब, यह तो कोई बात नहीं हुई, सभी ने दे दिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): सभापति महोदय, फिर बुलायें नहीं आप। ऐसे हालात हैं, दो-दो मिनट दे रहे है आप! पहले 40-40 मिनट आपने बुलवा लिया।

श्री सभापति: विराजो माननीय सदस्य, आप विराजो। (व्यवधान) आप बोल चुके हो, विराजो।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): आपकी अनुमति हो तो दो मिनट बोल लूं? दो मिनट।

सभापति महोदय, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ और जोधपुर की स्थिति। भीलवाड़ा में स्वीकृत डिपो, चारा डिपो ढाई सौ, उनके एवज में कितने खुले 244, पूरे राजस्थान में 98 परसेंट चारा डिपो यहां भीलवाड़ा में खुले। उसके एवज में माननीय मुख्य मंत्री के अपने जिले में 150 स्वीकृत, खुले कितने मात्र 82, ये हुए 55 परसेंट; हनुमानगढ़ जिले में स्वीकृत हुए 303 और 21 दिन बाद उनको घटाकर कर दिया 50, खुले कितने 33 मात्र 68 परसेंट; और सीकर में तो 32 चारा डिपो स्वीकृत हुए, खुले कितने, मात्र 2 अर्थात 6 परसेंट; चूरू में स्वीकृत 120, खुले कितने, मात्र 41 यानी 34 परसेंट, और बाड़मेर में ढाई सौ की एवज में 55 खुले, मात्र 22 परसेंट...

श्री सभापति: श्री अनिल जैन।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा। (व्यवधान) नहीं, सभापतिजी, आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अनिल जैन (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, चर्चा में आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज सभी माननीय सदस्यों ने बहुत सारे सुझाव दिये लेकिन आज राजस्थान में समस्या यह बनी हुई है कि जहां पानी है वहां बिजली नहीं है और जहां बिजली है वहां पानी नहीं है। आज दिन में कम से कम 5 गांवों से फोन आए कि एम एल ए साहब, पानी बगैर मर

(श्री अनिल जैन)

जाऊंगा; मैंने कहा भाई, पानी के टैंकर भिजवा दें और कोई व्यवस्था करें कि नहीं, पानी तो है, बिजली कोई नहीं है, 15 दिन से ट्रांसफार्मर नहीं है। ये स्थिति झालावाड़ जिले की बनी हुई है। वहां से गांव-गांव से फोन आ रहे हैं, जहां पानी है तो बिजली नहीं है और जहां बिजली है तो पानी नहीं है। सरकार क्या कर रही है, माननीय सभापति महोदय, यह कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुझाव बहुत सारे दिन भर से चल रहे हैं लेकिन बिजली की स्थिति पिछले 6 महीने पहले भी यही थी और 6 महीने बाद भी आज बिजली पर चर्चा हो रही है तो आज वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। ट्रांसफार्मर की स्थिति सब माननीय सदस्यों ने बताई, वाकई में वैसी है। परसों मेरा क्वेश्चन था, उसमें बिजली विभाग के अधिकारियों ने जवाब दिया कि 72 घंटे में सभी ट्रांसफार्मर समय पर दे दिये गये लेकिन माननीय सदस्य, सत्ता पक्ष वालों ने भी कहा कि 15-15 हो जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती; रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो जयपुर से सैंक्शन लेनी पड़ती है और जयपुर से सैंक्शन आती है और जब कंज्यूमर वहां पर ट्रांसफार्मर लेने पहुंचता है तो वहां विभाग में ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं होते हैं। तो 15 दिन तो मैं बहुत कम बता रहा हूं, महीने-महीने, दो-दो महीने हो जाते हैं किसानों को और उन्हें ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं होते हैं। अब गांवों में डोमेस्टिक लाइट के लिए, सिंगल फेस के लिए पांच-पांच हार्स पावर के ट्रांसफार्मर लगाये जा रहे हैं, 16 के वी ए के ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं हैं, 16 के वी ए के ट्रांसफार्मर के लिए यह बोला जाता है कि पाइप लाइन में हैं। तो ये सब पाइप घोटाला ट्रांसफार्मर पाइप लाइन में है, दो-दो महीने ये जवाब मिल रहा है कि पाइप लाइन में है तो सभापति महोदय, इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। जो छोटी-छोटी किसानों की जरूरतें है, गांवों के ग्रामीणजन की जरूरतें हैं, उस पर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है तो 30 से 40 परसेंट समस्या तो आपकी वैसे ही सुधर जाएगी। ये जो सुझाव आ रहे हैं चाहे वह पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या आज हैंड पम्प, मैं ज्यादा किसी विषय पर नहीं जाकर झालावाड़ जिले में पानी की उपलब्धता है लेकिन वहां पर वृहद परियोजनाएं लागू की जावें। जो पूर्ववर्ती सरकार में वहां पर डैम जो बनाये हैं, चाहे वह गुलेंडी हो, कालीघाट हो, पीपलाज हो, 7-8 बांध वहां पर बने हैं, उन पर वृहद परियोजनाएं लाई जावें तो झालावाड़ जिले की पानी की समस्या खतम की जा सकती है। आज वहां पर झालावाड़, पाटन और झालावाड़ जिले के चार-

(श्री अनिल जैन)

पांच सौ गांवों को जो पिछले पांच सालों में पानी की राहत पहुंचाई है। उसमें जो क्षेत्र बच चुके, उसमें सेकंड फेज में नया प्रोजेक्ट बनाकर छापी बांध पर नई परियोजना लागू की जानी चाहिए जिससे वहां के चार-पांच सौ गांव और लाभान्वित हो सकते हैं।

श्री सभापति: श्री बंशीधर खण्डेला। माननीय सदस्य, विराजो।

श्री अनिल जैन (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और बोलूंगा।

श्री सभापति: जगसीरामजी।

श्री अनिल जैन (खानपुर): दो मिनट और बोलूंगा। झालावाड़ जिले में पानी की उपलब्धता है, वहां हैंड पम्प नहीं खुदवा कर सिंगल फेस के बोर करवाये जावें, वे वहां सक्सेसफुल हैं। लेकिन उसमें भी मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वहां 192 सिंगल फेस के बोर अभी चालू हैं लेकिन उसमें 50 प्रतिशत बंद हैं, सिर्फ विद्युत कनेक्शन की वजह से बंद हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। श्री जगसीरामजी। (व्यवधान)

श्री अनिल जैन (खानपुर): तो विद्युत बिल पी एच ई डी के द्वारा जमा करवाया जावे और वहां एक हजार का मानदेय कर्मचारियों के लिए रखा जावे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप मिल लेना और उनसे बात कर लेना।

श्री अनिल जैन (खानपुर): योजना है जो सक्सेस योजना है.... (व्यवधान) तो वह चालू हो सके।

श्री सभापति: मिल लेना मंत्रीजी से। आप विराजो। श्री जगसीराम जी।

श्री जगसीराम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, पानी बिजली और अकाल, सिरोही सम्पूर्ण जिलों में वैसे पानी की स्थिति विकट चल रही है। मैं रेवदर विधान सभा क्षेत्र की बात बताना चाहूंगा। रेवदर मण्डार कस्बा जो है, इसके अन्दर पुरानी पाइप लाइनें बिछी हुई हैं, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा,

उनको बदलने की आवश्यकता है। रेवदर क्षेत्र के अन्दर पानी के टैंकर जो अभी संचालित हो रहे हैं वे पूरे क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के

(श्री जगसीराम)

अन्दर अनापुर, वास, पालड़ी, क्यारिया, लेलोरा, वुरारीखेड़ा, खांतरावरी, सिबराखेड़ा, वीकणवास, इसी तरह पूरे क्षेत्र के अन्दर आज भी टैंकर चालू नहीं हो रहे हैं। तो मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि पेयजल की विकट स्थिति को देखते हुए आप उनको चालू करवायें।

दूसरी बात मैं अभी इस तरह से बताने जाऊंगा पर आप मुझे सिर्फ 2-5 मिनट का ही समय दे रहे हैं, इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आबू रोड की जो स्थिति है उसका चार दिन पूर्व मैं आपसे निवेदन कर चुका था, आबू रोड शहर और ग्रामीण क्षेत्र के पानी को चाहे दूषित कहो, नगरपालिका की लापरवाही हो, चिकित्सा विभाग की हो, या भले ही पी एच ई डी की हो लेकिन कुओं के अन्दर आज भी वह पानी वहां पर बन्द किया हुआ है, उनकी सफाई करवाकर उन कुओं के ऊपर ढक्कन लगवायें और उसके उपरांत चालू करवायें ताकि आबू रोड शहर को पर्याप्त पानी मिल सके। 40 साल पहले की जो पाइप बिछाई हुई है वह कई जगह पर डेमेज हो चुकी है, गंदा पानी उसके अन्दर प्रवेश करता है और उसके बाद सप्लाई मिलती है। तो उससे हो सकता है कि वहां पर बीमारी फैल रही है।

रेवदर के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक 25 लाख की लागत से रेवदर-मण्डार हाइवे पर करेली नदी के अन्दर पाइप लाइन खोदने और बिछाने के लिए एक परियोजना की स्वीकृति जारी हुई थी लेकिन आज तक वहां पर पानी नहीं पहुंचा। किन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नहीं पहुंचा, उसको आप दिखवायें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे सिरोही जिले के अन्दर फ्लोराइड है इसलिए उसके लिए कोई ऐसी योजना बनायें ताकि सिरोही जिला जो फ्लोराइड से जूझ रहा है उससे बच सके। रेवदर और मंडार के लिए जनसंख्या को देखते हुए पानी की टंकी की आवश्यकता है, वहां पर एक नई पानी की टंकी और पाइप लाइन के लिए जरूर बतायें।

बिजली के बारे में मैं रेवदर विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा कि जो आज वहां पर जो कृषि क्षेत्र है, वहां 90 प्रतिशत कुएं पानी नहीं होने की वजह से बंद हैं। उसके उपरांत भी सिंगल फेस की बिजली अनुमानित 5-6 घंटे ही आज मिल रही है और सिंगल फेस की बिजली ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर तो पूरे दिन में मात्र आधा घंटा भी नहीं मिल रही है। इसलिए मैं विशेष तौर से बिजली मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि ये सारे माननीय सदस्य जो सारे

(श्री जगसीराम)

राजस्थान की बात बता रहे हैं मैं सिरोही और रेवदर की बात बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर सिंगल फेस बिजली की व्यवस्था करावें ताकि जनता को राहत मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो रेवदर के अन्दर विद्युत विभाग के द्वारा बिजली के डिमांड नोटिस भरने के उपरांत भी आज 6-6 महीने तक उनको सामान नहीं मिल रहा है। एक दिन में तो उनको पोल दिये जा रहे हैं, दूसरे दिन में उनको तार दे रहे हैं और जहां तक ट्रांसफार्मर....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप ऊर्जा मंत्रीजी से मिल लेना और यह कर लेना। जो सामान नहीं मिल रहा है, उसके लिए मिल लेना।

श्री जगसीराम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, मैं जो बात बता रहा हूं, मिलने से उसका समाधान नहीं होगा,....

श्री सभापति: समाधान होगा तो उसी से होगा।

श्री जगसीराम (रेवदर): उसके अन्दर सामान के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए वहां के अधिकारी बिना पैसे उनको सामान नहीं दे रहे हैं। यह बहुत गम्भीर बात है इसलिए मैं इनसे निवेदन करना चाह रहा हूं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो भी अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनके ऊपर आप नियंत्रण करें...

श्री सभापति: अब आप सम अप करो। माननीय सदस्य, अब सम अप करो।

श्री जगसीराम (रेवदर): ताकि जनता का, किसानों का शोषण नहीं हो। पूरे क्षेत्र के अन्दर अकाल की स्थिति है और चारा डिपो के लिए सरकार बता रही है कि हमने सिरोही जिले में खोल दिये, रेवदर विधान सभा क्षेत्र का मैं पहले भी बता चुका हूं, आज भी मात्र 3-4 जगह ही चारा डिपो खोले हैं और मात्र कागजों में आंकड़े बता रहे हैं इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे पर्याप्त डिपो खोलें ताकि मवेशी बच सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम अप करो। श्री रमेश चन्द मीणा।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, सधन्यवाद निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि अभी माननीय जलदाय मंत्री और

(श्री रमेश चन्द मीणा)

जल संसाधन मंत्री, दोनों ही एक हैं तो सवाईमाधोपुर और करौली जिलों में कुप्रबन्धन के कारण जो-जो अनियमितताएं हुई हैं वे कम से कम कुछ दिनों तक के लिए ध्यान में रखेंगे तो काफी स्थिति ठीक हो जाएगी। चम्बल नदी, गम्भीर नदी, बनास, मोरेल, इन पर कई जगह एनीकट बनाने की जरूरत है जिससे कि लम्बी अवधि के लिए कम से कम दो-तीन जिलों की समस्याएं बहुत हद तक साल्व हो जायेंगी।

दूसरा, कुप्रबन्धन का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि चम्बल सवाई-माधोपुर-नांदौती वृहत् पेयजल परियोजना पिछले डेढ़ साल से उसके लिए यह कहा जा रहा है कि पर्यावरण की स्वीकृति नहीं आई है जबकि उसमें 187 करोड़ रुपये अभी तक इंवेस्ट किये जा चुके हैं और एक प्रश्न के उत्तर में यह वादा किया गया है कि 2012 तक नांदौती के 59 गांवों को पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा। अगर यही मन्थर गति से काम होता रहा, धीमी गति से होता रहा और उसके ठीक से उपाय नहीं किये गये तो 2012 तो क्या, और भी कई सालों तक पानी उपलब्ध नहीं होगा और ये 187 करोड़ रुपये वेस्ट चले जायेंगे।

इसके साथ-साथ में एक बहुत बड़ी समस्या वहां की है जो हमारे विधान सभा क्षेत्र की बहुत ज्वलंत समस्या है, कई बार टकराव हो चुका है, आंदोलन हो चुका है और सरकार की घोषित नीति के खिलाफ में जिसको राजस्थान में सारे रूल्स का उल्लंघन करके पांचना को नदी में छोड़ा गया है जो कि वास्तव में एक हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि दबाव के कारण, बल्कि ऐसा कहा जा रहा है कि यह जो नदी में पानी छोड़ा है यह सरकार ने रिश्वत लेकर, ऐसा बाजार में सुनने को मिलता है हमको। नहीं तो यह जल नीति के खिलाफ है, कोई भी नीति ऐसी नहीं है कि सरकार इस तरह से पानी को छोड़े। अगर यह छोड़े तो फिर चम्बल को भी इसी तरह करना पड़ेगा और बीसलपुर को इसी तरह करना पड़ेगा, फिर राजस्थान में क्या हालत होगी यह अपनी कल्पना की बात है।

इसके साथ-साथ में जब हम आगे ध्यान देते हैं तो गम्भीर नदी पर कई जगह एनीकट बनाने की जरूरत है। छोटे रूप में अगर इसके बाद में आयें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुप्रबन्धन के कारण ग्राम सौंप में एक टंकी है और उस टंकी के निर्माण में काफी पैसा लगा है, उसमें अभी तक पानी नहीं

(श्री रमेश चन्द मीणा)

भरा है, पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है जिसके कारण से काफी पैसा जो इंवेस्ट हुआ है वह वेस्ट गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ-साथ में टोडाभीम कस्बे में मोटर खराब होने के कारण कस्बे को पानी नहीं मिल रहा है। वैसे वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है लेकिन वहां मोटर ठीक करवाने की जरूरत है, ऐसा मेरा निवेदन है। हैंड पम्प को ठीक करने के लिए जो अपनी मिस्त्रियों की टीम है वह भी बढ़ानी चाहिए।

श्री सभापति: जो-जो ठीक कराना हो वह मंत्रीजी को लिखकर दे देना, वे करा देंगे। कोई विशेष बात हो तो बोलो।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, 17.06 बजे से 17.30 बजे तक आप बोले थे। मेरा भी निवेदन है कि कम से कम आधा समय दिया जाए, 12 मिनट तो कम से कम दिये जाएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सम अप करो।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): नांदौती में इस समय ए.ईएन. नहीं है, छुट्टी पर गया हुआ है उसके कारण काफी अव्यवस्था हो रही है। इसके साथ-साथ कंट्रोल रूम का प्रभारी जो एस डी एम है वो स्वयं हैडक्वार्टर पर नहीं रहता है, श्रीमहावीरजी जाकर सोता है और उसके कारण से वहां की जल व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। नांदौती तहसील के 18 गांव हैं जिनमें अभी तक कोई टैंकर उपलब्ध नहीं कराया गया है जो भयंकर समस्या से ग्रस्त हैं। इसलिए उनमें पानी उपलब्ध करवाने हेतु जल्दी से जल्दी टैंकर उपलब्ध करवाये जाएं।

बिजली के बारे में निवेदन है कि बी टी एल कम्पनी को जो ठेका दिया गया है, पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था, अभी भी मेरा निवेदन है कि उनको समय पर मैटेरियल उपलब्ध नहीं होने के कारण काफी डिले हो रहा है और 9 एडिशनल महीने दिये जाने के बाद में भी सम्भावना कम लगती है कि लक्ष्य के जो बी पी एल और ए पी एल कनेक्शन हैं 40 हजार और उसके बाद में ए पी एल कनेक्शन, वे पूरे हो जायेंगे।

इसलिए उसको समय पर ये साधन उपलब्ध करवाये जायें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा इस राजस्थान में पेयजल के मामले में सबसे पीड़ित शहर है और जलदाय मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि आप जैसे सज्जन आदमी के कैरियर पर और परफोर्मेंस पर यह बदनुमा दाग की तरह रहेगा क्योंकि आज मार्च में, पूरे मार्च में सात दिन में एक बार पानी आ रहा है और सात दिन में भी केवल आधा घंटा के लिए और वह भी प्रेशर पूरा नहीं है। क्या स्थिति बनी है भीलवाड़ा की, यह आप सोच सकते हैं। अब केवल जो पानी आ रहा है, 14 लाख लीटर ट्रेन से पानी आता है और उसमें भी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ओमजी बिड़ला विरोध करते हैं। मैं पुरजोर शब्दों में उन सदस्य से भी निवेदन करना चाहता हूं कि पानी भगवान की देन है, पानी किसी की बपौती नहीं है। जब हम पंजाब से पानी ला सकते हैं तो कोटा के पानी पर भीलवाड़ा का भी हक है और यह पानी का कम से कम तीन ट्रेन रोज आयेगी तब जाकर भीलवाड़ा को थोड़ा पानी की पूर्ति मिलेगी। मैं जलदाय मंत्रीजी से मांग करता हूं कि कम से कम तीन बार, पिछले वर्ष भी दो फेरे तो ट्रेन के होते ही थे और इस बार ज्यादा अकाल है तो कम से कम तीन फेरे भीलवाड़ा के ट्रेन के किये जायें, यह मेरी आपसे करबद्ध विनती है। मेरे वहां की जनता बहुत दुःखी हो रही है, मैं आपसे हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करता हूं कि तत्काल ट्रेन के तीन फेरे किये जायें।

सभापति महोदय, जो कंटिंजेंसी प्लान हमारे को जलदाय विभाग ने दिया है, इतनी भयंकर पानी की समस्या है, केवल दो तो ट्यूबवैल हैं पूरे विधान सभा क्षेत्र के लिए और 15 हैंड पम्प हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर इतने भयंकर हालत में भी आपका विभाग कंटिंजेंसी प्लान बनाकर देता है जून तक के लिए, ये दो ट्यूबवैल कहां लगायें? इससे तो अच्छा है आप एक भी नहीं दें। 50 वार्ड हैं और दो ट्यूबवैल दिये हैं आपने। यह आपके डिपार्टमेंट का कंटिंजेंसी प्लान है। और 15 हैंड पम्प हैं। 50 वार्ड में कुल 17 आपने साधन दिये हैं। सारे 50 के 50 वार्ड का ऐसी बदहालत है कि वे पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कल मैं आपके दफ्तर में हाजिर होऊंगा, बैठकर आप कृपया इस प्लान को रिवाइज करें और आवश्यकतानुसार इसमें सुधार करें।

तीसरा, एक आपका जो प्लान बना टैंकर से पानी लाने का, गोवटा से आप पानी का टैंकर, ट्रांसपोर्टेशन से पानी लायेंगे। मेरा निवेदन है कि भीलवाड़ा में आज भी 40 ट्यूबवैल ऐसे हैं जिनमें 24 घंटे पानी चल रहा है और वे

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

निजी प्लाट में लगाये गये हैं। अगर भीलवाड़ा के उन ट्यूबवैल को सरकार अपने कब्जे में ले, उनको पैसा दे तो जो 55 किलोमीटर दूर से पानी लाया जा रहा है, केवल सरकारी अधिकारियों ने अपने स्वार्थ के लिए यह योजना बनाई। अगर उन 40 ट्यूबवैल जो 24 घंटे मीठा पानी दे रहे हैं। उनको अगर आक्यूपाई किया जाये, पूरा तीन ट्रेन जितना पानी रोज वहां से बाहर जाकर उद्योगों को पानी जा रहा है, उस पानी को रोककर भीलवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति की जाये। (व्यवधान) इस पूरे राजस्थान में ही सबसे ज्यादा खतरनाक समस्या पेयजल की भीलवाड़ा में ही है। (व्यवधान) यह रामलालजी, मंत्रीजी के लिए भी चिंता की और विचार करने की बात है।

सभापति महोदय, एक जो समस्या आ रही है हमारे एम.एल.ए. लेड में, पी.एच.ई.डी. का जो एस्टिमेट है ट्यूबवैल का, वह 2.95 लाख रुपये का बनाकर दिया है और यू.आई.टी. जो एस्टिमेट बनाकर दे रही है, वह 1.55 लाख रुपये का दे रही है। यह जो डिफरेंस है, वह बहुत खतरनाक है, इसकी जांच कराई जाये और पी एच ई डी को यह ताइद की जाये कि जितने पैसे में यू.आई.टी. लगा रही है, उतने पैसे में आपका विभाग भी लगाये जिससे ज्यादा लोगों को सुविधा मिले। मैं एम.एल.ए. लेड से 50 लाख रुपये इसमें लगाने को तैयार हूं लेकिन यह जो डिफरेंस है, उसको आप खतम करायें।

श्री सभापति: 50 हजार या 50 लाख? आप यू.आई.टी. से कराओ ना उसकी एजेंसी, जहां आपको सस्ता हो, वह कराओ आप।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): 50 लाख। इनकी चिट्ठी आई हुई है, साहब कि हमारी मशीनें पड़ी रहती हैं, इसलिए आप हमसे खुदवायें। इनकी चिट्ठी भी आई है डिपार्टमेंट से।

श्री सभापति: बाइंडिंग नहीं है आप पर।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): एक मेरा सुझाव है अंतिम कि पानी की समस्या जो बढ़ती जा रही है, हमारी नदियों में रेत जो लाखों वर्षों से इकट्ठी हुई थी, चंद करोड़ रुपयों के लिए, रायल्टी के लोभ में हम उनको...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह बहुत गम्भीर बात है साहब। माइनिंग मिनिस्टर भी बैठे हैं, पी एच ई डी मिनिस्टर भी बैठे हैं और आने वाले समय में यह सबसे बड़ी समस्या होगी। आप एक मिनट में मेरा सुझाव सुनें।

श्री सभापति: हां, यह तो गम्भीर बात है। मंत्रीजी बैठे हैं, आप उनसे बात कर लें। (व्यवधान) हां, एक मिनट में बोल दो आप।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): नदियों की रेत को हम रायल्टी के माध्यम से खाली करते जा रहे हैं। यह लाखों वर्षों से इकट्ठी हुई रेत है और इस रेत के रहने से नदियों में पानी रिसता है और उससे हमारा भूजल स्तर ऊपर होता है। ये नदियां आती नहीं हैं, पानी नहीं आता है, उससे नई रेत का आना बंद है। इस रेत को रायल्टी के माध्यम से तत्काल प्रभाव से देना बंद किया जाये। अगर थोड़ा भी पानी आयेगा तो वह उस इलाके की रेत में जायेगा और उससे उस इलाके का भूजल स्तर बढ़ेगा। इसलिए इस रेत को खाली कराना बंद किया जाये, यह मेरी मांग है। पूरे राजस्थान को इससे लाभ होगा। अगर आप राजस्थान की नहीं करें तो मेरे भीलवाड़ा जिले की रायल्टी तो कम से कम तत्काल प्रभाव से बंद की जाये और इस रेत का निकलना बंद किया जाये जिससे आने वाली वर्षा में वहां आकर पानी रुकेगा, वह हमारे भूजल स्तर को बढ़ाएगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलालजी गुर्जर। अंतिम वक्ता।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय सभापति महोदय, आपने आज पानी, बिजली और अकाल की चर्चा के लिए जो समय दिया, इसके लिए आभार। सबसे पहले तो क्योंकि मेरे मध्य रात्रि आती है, मध्य रात्रि का मेरी ओर से सदन में बैठे सभी को राम-राम। मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि समय काफी हो गया है, आप सबका जागरण हो रहा है।

सबसे पहले मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जल ही जीवन है तो पानी के लिए अपन सबको ज्यादा ही चिंता करनी पड़ेगी। आसींद विधान सभा क्षेत्र में हुरड़ा तहसील में जो हुरड़ा ग्राम है, उससे बीसलपुर की पाइप लाइन मात्र तीन किलोमीटर दूर है जबकि गुलाबपुरा के बाद सेकंड हुरड़ा ही आता है, सबसे मोटा ग्राम है तो इस तीन किलोमीटर को पाइप लाइन से जोड़ा जाये।

इसके सिवाय काण्या एक ग्राम पंचायत है जो अजमेर जिले में थी, वह अभी हुरड़ा तहसील में मिली। उसमें बीसलपुर बांध से पाइप लाइन आ रखी है और टंकी वगैरह बनी हुई है, कनेक्शन हो रखा है, उद्‌घाटन भी हो रखा है लेकिन उद्‌घाटन के रोज पानी देखा, उसके बाद पानी नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसे समय में जितना भी पानी आये, काण्या के लिए पानी की व्यवस्था की जाये और जो बंद स्कीम हैं, वह अविलम्ब चालू की जाये।

(श्री रामलाल गुर्जर)

इसके सिवाय गुलाबपुरा में अभी 96 घंटे से पानी आ रहा है और अभी-अभी दो-चार दिन में पानी ठीक आ रहा है, बाकी पहले पानी की बराबर आधी कटौती थी लेकिन अब न जाने क्योंकि अपने पेयजल की चर्चा की वजह से यह पानी सुधार दिया तो मेरा यही कहना है कि गुलाबपुरा को पानी की पूरी सप्लाई दी जाये। यह मोटी समस्या है। भीलवाड़ा के लिए भी ट्रेन की व्यवस्था सही की जाये, नियमित ट्रेनें आये। जितनी पानी की आवश्यकता है, उतनी करे और उसके सिवाय चम्बल प्रोजेक्ट से आसींद और हुरड़ा तहसील के सभी ग्राम और ढाणियों को जोड़ा जाये, भीलवाड़ा को भी जोड़ा जाये क्योंकि बीसलपुर का पानी, खारी नदी का पानी बहकर बीसलपुर में आता है, बनास का पानी बहकर बीसलपुर में आता है और बीसलपुर का पानी सब जगह जा रहा है, जाता है, जाना भी चाहिए। हमारा तो खुला विशाल दिल है।

जानवरों के लिए पानी की बड़ी विकट समस्या है। जानवरों के लिए अपन ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। तो, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना है कि 30-40 लीटर के बीच में जानवरों के पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि ये खस्ता हालत हैं।

इसके सिवाय जो पशु आहार अपन गौशालाओं के लिए देते हैं, 20 रुपया और 30 रुपया है। अगर सरस का बांटा वगैरह लें नहीं तो सात रुपया छोटे पशु के लिए और 14 रुपये बड़े पशु के लिए हो जाते हैं। इसलिए यह अनुदान भी बढ़ाया जाये, 20 और 30 रुपया किया जाये।

इसके सिवाय जो भी अकाल राहत के और नरेगा के काम चले हैं, तो गांव के काम गांव में होने चाहिए। एक गांव के दूसरे गांव में जाकर लगे तो यह थोड़ा दूर पड़ता है।

इसके सिवाय कंटिंजेंसी प्लान में हुरडा के लिए मैं 50 हैंड पम्प की डिमांड करता हूं। बहुत ही ज्यद्दा समस्या है। आसींद के लिए 100 हैंड पम्पों की डिमांड है। इसके सिवाय पनघट के लिए, 15 हुरडा के लिए, 30 आसींद के लिए मैं डिमांड करता हूं, मांग करता हूं मंत्री महोदय जी से।

इसके सिवाय जो खराब हैंड पम्प पड़े हैं, हैंड पम्पों के पाइप, चैनें, माथा, वाशर, यह भी मोटी समस्या है, अभी कमी चल रही है। इसके सिवाय यह चमड़े का वाशर होना चाहिए क्योंकि वाशर बार-बार फट जाता है क्योंकि मिस्त्री लोग ठीक नहीं करते हैं, एक दिन में ठीक किया, वापस खराब हो

(श्री रामलाल गुर्जर)

जाता है। प्लास्टिक का वाशर काम नहीं देता है इसलिए चमड़े का वाशर लिया जाय, चमड़े का वाशर लेकर दिलाया जाये...

(समय : 02.00 बजे)

इसके सिवाय सभी ग्रामों में पेयजल की, जो सार्वजनिक कुएं हैं उनको चाहे नरेगा, चाहे अकाल राहत, चाहे कंटिंजेंसी प्लान से गहरा कराया जाय। ताकि पानी की एक विकट समस्या मिट सके।

इसके सिवाय पशुओं के लिए निर्धारित छूट दी जाय। घास के डिपो जहां भी हैं वहां ज्यादा से ज्यादा घास की सप्लाई हो क्योंकि घास अभी महीने, दो महीने में अच्छा मिलेगा, इस महीने में ज्यादा मिलेगा और सस्ता भी मिलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा घास की सप्लाई हो और ज्यादातर यह ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले रोके नहीं। माननीय गृह मंत्री महोदयजी भी यहां विराजमान हैं, तो कम से कम ट्रैफिक वालों को, पुलिस वालों को थोड़ा कह दो कि खाखला, चारा, घास के ट्रक ज्यादा आने दो थोड़ा ताकि अपनी समस्या मिटे।

इसके सिवाय जनता जल योजना में जो पांच सौ रुपये पर अपन जो आदमी रखते हैं, उनको लेते हैं तो उसके बजाय एक हजार रुपया दिया जाय।

अब अकाल के लिए तो हो गया, अब मैं एक मिनट बिजली पर कहूंगा' सबको छोड़ देता हूं। बिजली के लिए, क्योंकि पेयजल के कनेक्शन थोड़े जल्दी हो जाएं, और बाकी जो आसींद तहसील की ढाणियां वगैरह बची हुई हैं जहां लाइट वगैरह नहीं है, वह मंत्री महोदयजी को मैं वैसे ही दे दूंगा। ट्रांसफार्मर्स की चोरियां काफी होती हैं। इसकी थोड़ी सख्त पाबंदी हो। यह आप बड़े ट्रांसफार्मर लगाकर उस पर एक चौकीदार नियुक्त करें या चोरों का सख्त इलाज हो, छोटे-छोटे ट्रांसफार्मरों की चोरी होती है। इसके सिवाय सौर ऊर्जा पर थोड़ा अनुदान बढ़ाना चाहिए।

श्री सभापति: सम-अप करो, माननीय सदस्य।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत हार्दिक आभार। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सदन में ऊर्जा के विषय में दो दिन से चर्चा चल रही है। माननीय सभापति महोदय,

(डा. जितेन्द्र सिंह)

सबसे ज्यादा जो आवश्यक बात ऊर्जा के विषय में है वह यह है कि हमारा मांग और जनरेशन का जो डिफरेंस है उसको जितना जल्दी हम कवर करेंगे, उसी संदर्भ में राजस्थान की विद्युत व्यवस्था ठीक हो सकेगी। अभी हमारा टोटल 1,050 लाख यूनिट हमारा अपना स्वयं का जनरेशन है और हमारी मांग है 1,350 लाख यूनिट। हमें 300 लाख यूनिट का अरेंजमेंट करना पड़ रहा है और 300 लाख यूनिट बाहर से खरीदना, ओवरड्रा करना यह दो रीजन्स हैं। हमारा अभी सवा साल के अन्दर टोटल जनरेशन 1,190 मेगावाट है। इस मांग और आपूर्ति को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने योजनाएं बनाई हैं और उसके अन्दर जो हमारे करंट योजनाएं हैं उनमें अभी हमारे पास सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन छह बना रहे हैं राजस्थान में, दो तो सूरतगढ़ में 660 के, दो छबड़ा में हैं और प्राइवेट सेक्टर के अन्दर दो 660 के बांसवाड़ा में और उसके अलावा टवेल्व प्लान के अन्दर आलरेडी दो 660 के सूरतगढ़ में है, दो कालीसिंध में हैं और दो बांसवाड़ा में हैं। तो यह 2013 तक जो हमारी मांग और आपूर्ति का डिफरेंस है वह मेनटेन हो जायेगा और 2013 तक राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में सेल्फ-सफिशिएंट हो जायेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो साढ़े बारह हजार करोड़ का बजट रखा है ऊर्जा के अन्दर, वह उसी दृष्टिकोण से रखा है। मेरी जो बात होती थी हमारे उद्योगपतियों से और मैं कहता था पधारो म्हारे देस' का मतलब यह नहीं है कि राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर देख कर चले जायें, आप यहां इंवेस्टमेंट के लिए आयें। उनका यही कहना होता था, अधिकतर शेखावाटी से जहां से मैं और माननीय मंत्री महोदय और वे सामने बिराजे हुए मंत्री महोदय आते हैं, अधिकतर जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, माननीय सभापति महोदय, वे शेखावाटी से जुडे हुए हैं या बीकानेर से सम्माननीय भाटी साहब पधारते हैं, वहां से; उन्होंने कहा, डाक्टर साहब, आयें कहां से, आपके न बिजली है, न पानी है, न कोई आपके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर है।

तो ऊर्जा के क्षेत्र के अन्दर जो जितना डवलपमेंट होगा, जितना एक्सपांशन होगा वह नेचुरली इंवेस्टर्स को इन्वाइट करेगा राजस्थान के अन्दर। अब इस सारे इंवेस्टमेंट के बाद सबसे जरूरी है इन्फ्रास्ट्रक्चर का बनना। इतनी बड़ी बिजली आ जायेगी, एटामिक रिएक्टर भी हमारा आर ए पी पी स्टार्ट हो गया, अभी कल ही सिंक्रोनाइज हुआ है आर ए पी पी न्यूक्लीयर रिएक्टर, तो बिजली आ रही है सब तरफ से, राजस्थान से भी आ रही है, सेंट्रल सेक्टर से

(डा. जितेन्द्र सिंह)

भी आ रही है, और हमारे प्राइवेट सेक्टर से भी आ रही है। उस सबको मेनटेन करने के लिए आवश्यक है इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना। इन्फ्रास्ट्रक्चर में जो माननीय कई सदस्यों की जो बातें आई थीं वह यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर अभी विद्युत का जो आना चाहिए वोल्टेज नहीं है, गांवों में व्यवस्था ठीक नहीं है। उसके लिए दो हजार करोड़ रूपया खर्च करके माननीय सभापति महोदय, 800 ग्रिड स्टेशन बनाने का प्रोग्राम है। उसमें 163 अभी बन चुके हैं और इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर 272 33 केवी के ग्रिड स्टेशन बनेंगे। जो हमारी बड़ी योजनाएं हैं उनके लिए 765 मेगावाट के अंता में और बारां में दो बड़े ग्रिड स्टेशन बन रहे हैं; 400 केवी के करीबन हमारे ग्यारह स्टेशन और बन रहे हैं ग्रिड स्टेशन; और 220 केवी के करीबन 70 के करीब बन रहे हैं; इसी तरह से 132 केवी के 77 बन रहे हैं, तो उससे पूरे राजस्थान का इन्फ्रास्ट्रक्चर बन जायेगा और माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान इतना बड़ा जो स्टेट है और हमारा जो पांच लाख किलोमीटर कंडक्टर्स हैं, जो वायर है, पूरे अर्थ के पांच चक्कर लगा लें, इतना लम्बा हमारा वायर स्ट्रक्चर है पूरे राजस्थान में ।

अब, सभापति महोदय, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं बहुत लम्बा नहीं करना चाहता, मैं भी शार्ट में आपको कहना चाहता हूं, अब इतने लम्बे इन्फ्रास्ट्रक्चर के बाद आज राजस्थान का जो ज्योग्राफिकल स्टेटा है सभापति महोदय, अकेला जैसलमेर पूरा केरल के बराबर है, माननीय सदस्यों ने जो चिंता जताई कि आर जी जी वाई में हमारे गवर्नमेंट आफ इंडिया की प्लान थी कि पूरी जो हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो हमारे 41 हजार गांव हैं राजस्थान के अन्दर, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो । जो आर जी जी वाई प्रोजेक्ट था, टैंथ प्लान में जो हमारी योजनाएं थीं वे 25 थीं और जो टैंथ प्लान था उसके अन्दर करीबन साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये का एक्सपेंडीचर हुआ और इलेवंथ प्लान जो कि अभी सितम्बर में खतम होगा उसके अन्दर 800 करोड़ रुपये था। ऐसे 13,00 करोड़ रुपया आर जी जी वाई में था। जो कई माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की कि उसके अन्दर हमारे अभी नहीं हुए हैं तो जो इलेवंथ प्लान में थे वे, बाकी के बचे हुए जिले हैं जिनमें कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, उनमें सितम्बर तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो जायेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें बी पी एल परिवारों को करीबन सात लाख दस हजार को कनेक्शन दिये जा चुके हैं, ए पी एल को पांच लाख अड़तालीस हजार को दिये जा चुके हैं और आगामी तीन-चार महीने में जो सितम्बर तक होगा, बीपीएल को उसमें

(डा. जितेन्द्र सिंह)

साढ़े तीन लाख को और कनेक्शन दिये जायेंगे। यह, माननीय सभापति महोदय, जो तीन सौ से ऊपर की आबादी के हमारे गांव और ढाणियां थीं वह इसके अन्दर इन्क्लूड हैं। तीन सौ से सौ के बीच की ढाणियों के लिए एक असेसरी प्रोजेक्ट आर ई सी को, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन जो हमारा गवर्नमेंट आफ इंडिया का है, उसको अलग से प्लान बनाकर भेज दिया गया है उसमें 18 हमारे जिले हैं। जो बचे हुए तीन सौ और सौ के बीच के हमारे गांव हैं उसके अन्दर जिसमें बहुत सारी यह ढाणियां बची हुई हैं जिसके अन्दर चाहे बी पी एल की हों, चाहे ए पी एल की हों, वे सारी उसमें कवर की हुई हैं। सौ से नीचे की ढाणियां सभापति महोदय, वे 'मुख्य मंत्री सबके लिए योजना' के अन्तर्गत कवर्ड है। इसमें सभापति महोदय, 41 हजार गांवों में से करीबन 32 हजार गांवों को कनेक्ट किया जा चुका है आर जी जी वाई में और उसके अन्दर जोड़े जा रहे हैं। उसके अलावा 'मुख्य मंत्री सबके लिए' जो योजना है उसमें 41 हजार जो फैमिलीज हैं उनको जोड़ा जा चुका है, जो सौ से कम नीचे हैं और सौ से कम जो और नीचे हैं, स्केटर्ड हैं उनको भी अभी जो आर जी जी वाई योजना होगी।

उसके अलावा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम, माननीय सभापति महोदय, जनरेशन के अलावा माननीय हमारे बहुत वरिष्ठ कोलायत से आने वाले देवी सिंहजी भाटी साहब ने जो फरमाया था कि सोलर का बहुत सुन रहे हैं, सोलर का क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, माननीय सभापति महोदय, जो हमारा अमेरिकन जर्नल है, उनका गूगल जो उनका अपना सैटेलाइट है उसने जैसलमेर को फोकस करके बताया है कि हंड्रेड किलोमीटर रेडियस का एरिया जैसलमेर का एक लाख मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है which is sufficient for the whole country. सभापति महोदय, पचास साल बाद न तो कोयला रहेगा, न तेल रहेगा, उस वक्त मैं समझता हूं कि इसकी बहुत बड़ी महत्ता होगी और उसी को प्रमोट करने के लिए माननीय प्रधान मंत्रीजी ने एक हजार मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बनाया 2013 का। अभी राजस्थान में सोलर का 66 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाकर भेज दिया है जो मंजूर होकर आ रहा है और एक हजार मेगावाट का माननीय प्रधान मंत्रीजी ने प्रोजेक्ट रखा है। राजस्थान में अभी आठ हजार मेगावाट के करीबन सोलरप्लांट आने हैं,

उसके लिए करीबन 220 लोगों ने अपने यहां पर बुकिंग करा रखी है। सोलर अल्टिमेटली जैसा आपने फरमाया, it is costlier, फोटो सेल्स इम्पोर्ट होते हैं और वह बड़ा महंगा है। उस पर यह गवर्नमेंट आफ इंडिया क्या कर रही है

(डा. जितेन्द्र सिंह)

कि जितना हम ग्रिड में बिजली डालेंगे उतना वह उसकी सब्सिडी देगी। वह करीबन साढ़े पांच रुपए पर मेगावाट के हिसाब से मिलेगी और सोलर ही अल्टिमेटली उसके लिए उन्होंने एक जगह सोलर बैंक बना रखा है यहां पर लैंड बैंक, लैंड बैंक में उन्होंने जगह निश्चित कर रखी है।

उन्होंने जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, बीकानेर, जोधपुर का जो एरिया है उसके अन्दर आगे आने वाले, सभापति महोदय, प्रोस्पेक्ट्स सोलर के बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा माननीय देवीसिंहजी साहब ने एक फरमाया था कि जो हमारे अधिकतर जो गर्मियों में तूफान आता है, उस तूफान में हमारे मोस्टली डैमेज हो जाते हैं, अभी गर्मियों में ज्योंही अंधड़ चलेंगे, पोल झुक जाएंगे, यह प्राब्लम आएगी। आपने सजेस्ट किया था कि जो हमारे पोल हैं वह गुजरात पैटर्न के ऊपर विद होल होने चाहिए, उनमें छेद होने चाहिए। यह एक आपका इम्पोर्टेंट सजेशन है, वह मैं टेक अप कर रहा हूं और इसके लिए कर रहा हूं।

दूसरा, माननीय देवीसिंहजी साहब ने फरमाया कि सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की, रामलालजी ने भी फरमाया था आसींद से आने वाले ने कि सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की थेफ्ट हो रही है बीकाज उसमें कायल और आयल का सबसे बड़ा प्राब्लम है वह लोग निकाल लेते हैं। उसके लिए बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा कि आखिर इतना जल्दी यह....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): तो, माननीय सभापति महोदय, उसके लिए भी एक व्यवस्था करनी पड़ेगी कि थेफ्ट को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार चला जाए क्योंकि सामाजिक चेतना का मैटर है यह और उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि उसको किस तरह से थेफ्ट को कंट्रोल करे। क्योंकि पुलिस के बस का नहीं है, सभापति महोदय, इसलिए we are arranging, किसी भी ग्रामीण लेवल पर ऊपर कोई मानिटरिंग करके वह किया जाए ताकि वह व्यवस्था संतुलित ढंग से हो सके।

सभापति महोदय, बहुत लम्बी बात नहीं कहनी, मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के अन्दर अभी हमारे करीबन 90 हजार कनेक्शन किए जा चुके हैं, अभी तक फरवरी तक और 64 हजार कनेक्शन एग्रीकल्चर के हम और देंगे. It's coming up. अभी इसमें टाइम में आ जाएगा।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, 270 के करीब 33 के.वी. के ग्रिड स्टेशन बना रहे हैं और माननीय सभी सदस्यों से कहना चाहूंगा, चाहे वह पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों कि 800 बनाने हैं और आप भी अपने-अपने क्षेत्र के दे दें, उसमें कोई इसके लिए there will be no discrimination in that, I assure you, Sir. तो यह क्योंकि सारा सिस्टम है 132 हों, 33 के.वी. हों, आप जो-जो भी रिक्वायर्ड हैं, they will be equally distributed, according to requirement.

बहुत लम्बी बात नहीं कहनी है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरा प्रयास किया कि अन-फोच्युनेटली बारिश की कमी से प्राब्लम आई लेकिन फिर भी उन्होंने खरीफ के लिए 1500 करोड़ की बिजली खरीदी और रबी के लिए साढ़े 3 हजार की बिजली खरीद कर साढ़े छह और सात घंटे के ब्लाक्स दिये और कृषि के अन्दर पूरा प्रयास किया कि बिजली सही ढंग से मिले और उसकी व्यवस्था करें। आगे भी अभी अप्रैल के लिए 100 लाख यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से खरीद की व्यवस्था कर दी गई है ताकि जो आपने कहा कि बच्चों के पढ़ने के लिए, आप पेमारामजी साहब ने भी कहा कि बच्चों को पढ़ने के अन्दर दिक्कत नहीं हो, एक्स्ट्रा उनको बिजली मिले, इसकी व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और 100 लाख यूनिट प्रतिदिन की परचेचिंग है वह आज से चालू कर दी गई है और वह उसके लिए व्यवस्था होगी ताकि जो भी बेस्ट पोसिबल फैसिलिटी है, बहुत लम्बी बात नहीं कहनी, माननीय सभापति महोदय,

श्री सभापतिः आप आराम से बोलिए।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): क्योंकि यह इन्फ्रास्ट्रक्चर है, it takes lots of time. किसी भी इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप होने में बरसों लगते हैं। गई सरकार ने पूरा प्रयास किया होगा लेकिन वे प्रोजेक्ट्स अब आकर के कम्पलीट हो रहे हैं। इसलिए एडवांस एक-एक प्रोजेक्ट कवर होने में चार-चार, पांच-पांच साल लगते हैं। मैं समझता हूं, by the end of 2013, राजस्थान बिजली के क्षेत्र में भारत का अग्रणी राज्य होगा जो सेल्फ-सफिशिएंट होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको और बताना चाहूंगा कि राजस्थान में आज बिजली के अन्दर हम जितनी सस्ती बिजली दे रहे हैं वह आप बीलीव नहीं कर पाएंगे कि अभी एग्रीकल्चर में हमसे ऊपर दस स्टेट हैं, गुजरात वगैरह सब महंगे हैं हमसे। हमारी डोमेस्टिक लाइट पर 7 स्टेट हमसे ज्यादा महंगे हैं तो राजस्थान

(डा. जितेन्द्र सिंह)

अभी भी बहुत ज्यादा सस्ता है और in coming times, by the end of 2013, राजस्थान सेल्फ-सफिशिएंट होगा और जो मैं सोच रहा हूं कि पधारो म्हारा देस इंडस्ट्रियलिस्टस आएंगे, माननीय मंत्रीजी विराजे हुए हैं, इंडस्ट्रियलस्ट्स आएंगे और Rajasthan will be hub for solar energy. Rajasthan will not be a place known for sand dunes, it will be known as a Silicon Valley. यह राजस्थान वह राजस्थान नहीं रहेगा, राजस्थान विकास में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): मंत्री महोदय, यह फर्स्ट अप्रैल की घोषणा तो नहीं है?

श्री सभापति: श्री महीपालजी मदेरणा।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, यह तो सदन को आश्वस्त कर दो जिन 100 से ऊपर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, जो सुझाव दिये हैं तो आपने जो भी नोट किया है, कृपया आप उसे लिखित में भिजवा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समय अभाव के कारण थोड़ा लिखित में भिजवा दें।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): यह सारे माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव दिये हैं मैंने उनके सबके मेरे पास जवाब हैं, मैं पर्सनली भिजवा दूंगा उनको। मैं इसलिए कि समय की कमी के कारण I was not ….

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 1320 मेगावाट के बारे में जो कह रहे हैं उसकी क्या स्थिति है?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): ऐसा है, सर, बांसवाड़ा प्राइवेट सेक्टर का प्लांट है और उसमें हम केस-2 में, केस-2 में फ्री हम उनको जमीन दे रहे हैं, हम उनको कोल फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, 65 किलोमीटर रेलवे लाइन आएगी रतलाम से बांसवाड़ा और वह प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। अभी उसकी बिड नहीं खुली है, बिड अभी खुली है, अन्तरराष्ट्रीय बिड खुली है सूरतगढ़ की और छबड़ा की। बांसवाड़ा अभी, it is just in waiting. जो यह कम्प्लीट होगी उसके बाद वह आएंगे। ऐसा नहीं है कोई नहीं आया, उसके लिए प्राइवेट बहुत लोग आ रहे हैं and I assure you that it will be done.

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय....

श्री सभापति: मंत्री महोदय, थोड़ा जल के ऊपर विस्तारित..

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मैं अभी आ रहा हूं। सभापति महोदय, आज जल पर जो राज्य की सबसे ज्वलंत और गम्भीर समस्या है, दो दिन से इसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई है। समस्त माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया, हमारी कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने बहुत उपयोगी सुझाव भी दिये। अगर जितना समय आपको बहस करने में लगा है मैं प्रत्येक का उत्तर दूं तो मुझे आपसे ज्यादा टाइम चाहिए। क्योंकि हम जल संकट में हैं, जल की स्थिति गम्भीर है, फिर भी जो सदस्यों ने कहा है उनको नोट किया है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं हम सभी पर विचार करेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, कई बार ऐसे प्रश्न आये हैं, इस सदन में मौके आते हैं जिन पर हम एकजुट होते हैं। आज पक्ष और प्रतिपक्ष इस विषय पर ऐसे हैं। जितने भी सदस्य बोले हैं उनकी सबकी वाणी एक हैं, सबकी शिकायत एक हैं, पीड़ा एक है, सबके सुझाव एक है और विषय भी एक है। मुझे और भी हिम्मत हुई कि इस सदन में दिनांक 22 मार्च को इस सदन ने जल समस्या पर संकल्प पारित किया। राज्य की जल नीति के अनुसार संकट का मुकाबला करने की एकजुटता दिखाई। इससे भी मुझे बहुत हिम्मत मिली है। मैं माननीय सभापति महोदय का और सदन का आभारी हूं जिसने मेरा हौसला बढ़ाया है। हम साथ मिलकर काम करेंगे, जो समस्या हमारे सामने है, उससे संघर्ष करने में हम निश्चित रूप से सफल होंगे। पानी की समस्या का समाधान सब मिलकर ही करेंगे। संघर्ष और सहयोग, हम इस समस्या को पार लगा सकते हैं।

मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि पानी के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि पानी की समस्या कोई सरकार की क्रीएट की हुई नहीं है। इस सदन में पानी के मुद्दे पर हर वर्ष बहस होती रही है और पेयजल समस्या की मूल जड़ है भू-जल तेजी से गिरता स्तर। इससे न सिर्फ नलकूप, कुएं, हैंडपम्प सूख रहे हैं बल्कि पेयजल की गुणवत्ता की समस्या भी इतनी बढ़ती जा रही है। वर्ष 2008 में 84 ब्लाक डार्क जोन में थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 98 हो गयी है। विपक्ष के माननीय उप नेता ने इसी सदन में 19 मार्च, 1994 को बहुत गहरी चिन्ता व्यक्त की थी, भूजल के गिरते स्तर पर चिन्ता व्यक्त की थी और उसे जल संकट का मूल कारण

(श्री महीपाल मदेरणा)

बताया था और भूजल के सुधार हेतु तत्काल कदम उठाने को सरकार से आग्रह किया था। इस काम में हम जनता का भी व्यापक सहयोग लेना चाहते हैं। इस भूजल के अंधाधुंध दोहन को रोकने का क्या फार्मूला है, यह प्रश्न इतना पेचीदा हमारे सामने है, सरकार इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं ढूंढ पायी है और नतीजा हमारे सामने है, आज पानी के अकाल की स्थिति में राजस्थान पहुंच चुका है। एक के बाद एक सदस्यों ने अपने क्षेत्र और राज्य में जल की स्थिति की तस्वीर पेश की है। राजस्थान पहले ही वाटर स्केर्स था, उसी की श्रेणी में था। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले दस-पन्द्रह वर्षों में हम एब्स्लूट स्केयर्सिटी की स्थिति में पहुंच जाएंगे जो हमारे लिए और मानव के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

माननीय सभापति महोदय, जल के संकट पर सदन में पहली बार विचार नहीं हो रहा है। मैंने सदन में पन्द्रह-बीस वर्षों की पानी की मांगों पर चर्चा का अध्ययन किया और प्रयास किया कि इस सदन के अनुभवों का लाभ लूं। इसी संदर्भ में प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता द्वारा दिनांक 15 मार्च, 1984 को पेयजल की मांग पर बहस में भाग लेते हुए बहुत ही सटीक कह गया क्योंकि वे बुद्धिजीवी हैं, बहुत ही गम्भीर प्रकृति के हैं और हम सब जानते हैं मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वे ज्योतिषी भी हैं, यह उनके भाषण से मुझे पता लगा कि उन्होंने हमको सचेत किया कि स्थिति गम्भीर होने जा रही है। मैं उनको इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए सटीक सुझाव दिये थे और वे सारगर्भित थे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्री महोदय पढ़ कर बोल रहे हैं तो टेबल कर दो।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): नहीं-नहीं, कम आन। मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं। आप पढ़ रहे थे तो मैंने नहीं कहा। मैं कोट कर रहा हूं उनको। 1984 के भाषण को जरूर पढ़ें, उन्हीं के भाषण को पढ़ रहा हूं।

अपने पेयजल की समस्या के इस सबसे बड़े संकट को बताते हुए कहा कि करोड़ों रुपये खर्च कर, हजारों ट्युबवैल, हैंड पंप लगाने के बाद समस्या बढ़ती जा रही है। इस समस्या का समाधान हैंड पंप, ट्यूबवैल और पाइप योजनाएं नहीं हैं, आपको भूजल के स्तर में बढ़ोतरी करनी चाहिए। आपने कहा कि औद्योगिकीकरण, बिजली के अंधाधुंध कनेक्शन, सिंचाई, ऊर्जा, पेयजल

(श्री महीपाल मदेरणा)

विभाग की नीतियों में समन्वय का अभाव है, राज्य में जल नीति का अभाव है परम्परागत स्रोतों को तहस-नहस किया है और आप कंटिंजेंसी के मोड पर कार्य करते रहते हैं। आग लगने पर कुआं खोदने की प्रवृत्ति जल संकट का कारण बताते हुए सुझाव दिये। राज्य में जल नीति बने, उसे लागू करें। उन्होंने कहा कि जल आयोग गठित हो, पेयजल में संस्थागत सुधार हों, सेवाओं की कार्यकुशलता बढ़े और 1998 तक तत्कालीन सरकार ने उनके सुझावों को नहीं माना। केवल मात्र जल नीति का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया।

यही नहीं सभापति महोदय, वर्ष 2004-05 के बजट भाषण में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कहा कि जल के सीमित साधन हैं, वर्षा की कमी है, बढ़ती मांग है, गिरता भूजल स्तर है और राज्य में काफी बड़े क्षेत्र में भूजल में फ्लोराइड, नाइट्रेट, टी.डी.एस., फ्लोराइड, इत्यादि अधिक होना जल की समस्या का प्रमुख कारण है। इस समस्या के समाधान हेतु भूजल की गुणवत्ता में सुधार, सतही जलस्तर के पेयजल हेतु अधिकाधिक उपयोग, भूजल को रिचार्ज करना, कुशल प्रबंध, जनभागीदारी के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना। मैंने पहले भी कहा था कि ये जल संकट हमारे सामने है और वर्ष 1999 में राज्य की जल नीति घोषित हो गयी। कुछ कदम उठाये लेकिन पेयजल की कंटिंजेंसी मोड पर कार्यरत होते रहे और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पिछले पांच सालों में जो काम किये हैं हैंड पंप, ट्युबवैल लगाने के, उन्होंने रिकार्ड कायम किया है। यद्यपि वह आदरणीय प्रतिपक्ष के विचारों से भिन्न थे। वर्ष 2003 तक राज्य में 2 लाख 29 हजार हैंड पंप, 17,380 ट्युबवैल थे; उन्होंने पिछले पांच वर्ष में 1 लाख 20 हजार 669 हैंड पंप खोदे, 8800 ट्युबवैल, 5200 सिंगल फेस, 2417 डी.सी.वी. स्थापित किये। (व्यवधान) देखिये, आपको बात तो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किसकी तुलना करा रहे है? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) आप सुनिये न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सीधी सटीक बात करो, साहब। कौनसी तुलना कर रहे हैं आप?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आप कह रहे थे, आप ही की तो बात बोल रहा हूं?

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य, विराजो।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आप कह रहे थे, आपने नियामक आयोग बनाया कि नहीं बनाया, आपने जलस्तर किया कि नहीं किया, आज भूजल की क्या स्थिति है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पूरा राजस्थान पानी के संकट में है।

श्री सभापति: मंत्रीजी बोल रहे हैं आप विराजो। ये अलाऊ नहीं करूंगा, आप विराजो। मंत्री जी बोल रहे हैं, कोई चीज हो तो आप बाद में पूछ लेना। आप विराजो।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आज राजस्थान के अन्दर हम हैंडपम्प, ट्यूबवैल खोद कर रिकार्ड बना रहे हैं और रिकार्ड कायम कर रहे हैं। नीचे पानी नहीं है लेकिन हम सब ट्यूबवैल और हैंडपम्प की मांग कर रहे हैं। ये स्थिति है हैंडपम्प और ट्यूबवैल लगाने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? मैं नहीं समझता हूं। आज स्थिति बहुत गम्भीर और चिन्ताजनक है। ट्युबवैल सूख रहे हैं हैंड पम्प की संख्या प्रति वर्ष निरन्तर बढ़ती जा रही है और पेयजल के टैंकरों की निरन्तर संख्या बढ़ रही है, कुए सूख रहे हैं। प्रति वर्ष जल स्तर में दो से तीन मीटर की गिरावट आ रही है। 2003 में राज्य में 34,183 गांव हैबीटेशन गुणवत्ता से प्रभावित थे और जिसकी संख्या अप्रेल, 2009 में बढ़ कर 37,658 हो गयी। 37056 गांव और ढाणियों में निर्धारित मात्रा से कम पानी मिल रहा है। सामान्य वर्षा के दौरान भी हमको टैंकरों की व्यवस्था करनी पड़ती है। आज ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में भी हमें पानी की आपूर्ति करनी पड़ती है। दूसरी ओर भू-जल उपलब्धता न्यूनतम रहती है।

आप भले ही सरकार को कोसो परन्तु सरकार अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर रही है। सदस्यगण हैंडपम्प और ट्यूबवैल की मांग कर रहे हैं और अपने लोगों को संतुष्ट करने की चेष्टा करते हैं। माननीय सदस्यगण, क्या यह सही है कि इस समस्या का समाधान यही है? मैं माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या के निवारण हेतु एकजुट होकर कार्य किया जाए। जनता को भागीदार नहीं बनाया, राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय नहीं लिये तो राजस्थान के विकास का रथ रुक जाएगा।

माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान अपने विचार व्यक्त किये, मैं उनको तीन श्रेणियों में बांटता हूं- समस्या का स्थाई हल क्या हो; वर्तमान जल संकट जो हमारे प्रदेश में है उसके तत्काल निदान के लिए क्या करना चाहिए;

(श्री महीपाल मदेरणा)

राज्य सरकार क्या कर रही है और उनके इलाके में पेयजल की स्थिति है उसके बारे में क्या हो और सरकार क्या करेगी। माननीय सभापति महोदय, संकट से निबटने के लिए कई सदस्यों ने कहा कि सरकार की कोई योजना, रणनीति नहीं है। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी नीति है, रणनीति भी है, नीयत भी है। योजना के अनुसार कार्य करने की इच्छाशक्ति भी हमारी है। राज्य की संशोधित जल नीति इसी का परिणाम है। हम समस्या का स्थाई और तत्काल समाधान जिसका विवरण हमने जल नीति में विस्तार से दिया है, हम दोनों पर केन्द्रित करेंगे। जल आपूर्ति बढ़ाने के उपायों पर ध्यान देंगे। हमारा फोकस जलापूर्ति और मांग प्रबंध दोनों पर रहेगा। राज्य में बहने वाले प्रत्येक बिन्दु का समयबद्ध संग्रहण करेंगे, जल का पुन:चक्रीकरण करेंगे, जल प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण करेंगे। अन्तरराज्यीय विवादों का निपटारा करवाकर जलापूर्ति में बढोतरी करने का प्रयास करेंगे। जल की मांग प्रबंध हेतु जल संरक्षण करेंगे। पानी की बरबादी रोकने हेतु, पानी की अधिक खपत को नियंत्रित करने हेतु जल शुल्क की दरों को भी युक्तिसंगत बनायेंगे। जल नियामक अभिकरण का गठन करेंगे। अंधाधुंध भूजल के दोहन को नियंत्रित करने के लिए कानून भी बनायेंगे। सूचना पद्धति का विकास करेंगे। सिंचाई की कार्यकुशलता में बढ़ोतरी करने के लिए जिसका हमने जल नीति में उल्लेख किया है, इन कदमों में आप हमारा सहयोग करोगे, यह मेरी आशा और अपेक्षा आपसे है।

सभापति महोदय, हमारी नीति स्पष्ट है, नीयत साफ है। हम लगन, मेहनत व ईमानदारी से इस नीति को लागू करना चाहते हैं। इसके लिये हमने समयबद्ध कार्य योजना बना ली है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में राजीव गांधी जल मिशन का गठन किया है। इसमें देश के नामी जल विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया है और तत्काल प्रशासनिक निर्णयों हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सशक्त कमेटी गठित की है। जिला स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। समस्त संबंधित विभागों को निश्चित लक्ष्य दिये जायेंगे, आवश्यक राशि आबंटन की जायेगी और समयबद्ध क्रियान्विति की जायेगी।

जो इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है, गिरते भू-जल स्तर को रोकने के लिये हमने सारे राज्य में एक मास्टर प्लान तैयार किया है जिसके आधार पर नरेगा के अन्तर्गत जिलों में भू-जल स्तर के रिचार्जिंग का व्यापक कार्य

(श्री महीपाल मदेरणा)

हाथ में लिया जायेगा। शहरी क्षेत्र में 300 वर्ग गज और उसके ऊपर के साइज के भू-खण्ड पर जल संग्रहण/पुनर्भरण के ढांचे के अनिवार्य निर्माण हेतु नियमों में संशोधन किया गया है। समस्त राजकीय भवनों में भी ऐसे ढांचे बनाये जायेंगे। सभी राजकीय भवनों और बंगलों में लान इत्यादि की सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जायेगा। शहरी क्षेत्र में और घरेलू उपयोग हेतु पुनर्चक्रिय जल के उपयोग हेतु ठोस कदम उठायेंगे।

हमने प्रत्येक गांव और ढाणी का सर्वे करवाकर पेयजल की स्थिति का आंकलन का कार्य हाथ में लिया है जो 70 प्रतिशत पूरा हो चुका है। स्वतंत्र एजेंसी से भी यह कार्य करवाया गया है। शहरी योजनाओं की बैंच मार्किंग भी हम करवा रहे हैं। यह डेटा बेस पेयजल प्रबंधन में सहायक होगा। (व्यवधान) आपने कहा कि विलेज डाइरेक्ट्री बनी कि नहीं बनी, 70 प्रतिशत बन गई और आपको यह कहा था कि, नहीं मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूं । दूसरा जो हमारा होगा, इस समस्या के समाधान हेतु यांत्रिकी समाधानों से हटकर समुदाय आधारित जल प्रबंधन पद्धति होगी। इस कार्य को स्थानीय निकायों को सौंपा जायेगा ताकि जनता की भागीदारी बढ़े। विभाग की भूमिका तकनीकी सहायता व बल्क वाटर सप्लाई तक ही सीमित करेंगे । पेयजल की टिकाऊ आपूर्ति हेतु सतही और वर्षा जल पर आधारित अधिक से अधिक पेयजल योजनाएं हाथ में लेंगे।

हमने नदी-नालों और छोटे बांध पर जो एनीकट बनाये हैं, भू-जल रिचार्जिंग हेतु बनाये थे लेकिन इस पानी का उपयोग सिंचाई हेतु किये जाने लगा जिसके कारण भू जल के रिचार्ज का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इस हेतु हमने पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। किसी भी व्यक्ति को सिंचाई हेतु इन एनीकट से पानी नहीं लेने दिया जायेगा। भूजल के नियंत्रण हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 में ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति को एनीकट से पानी नहीं लेने देंगे ? क्या बोल गये आप ?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सिंचाई के लिये नहीं लेने देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मतलब आज के बाद जितने एनीकट हैं, बांध हैं, वे सब ड्रिकिंग वाटर के लिये होंगे?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): बांध नहीं, छोटे बांध, लघु बांध, एनीकट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने कैटेगिरी की कोई ? आप कौनसे एनीकट को कर रहे हैं? कौनसे एनीकट का पानी आप रिजर्व कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिये? पता तो लगे।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): जो एनीकट बने हैं, जिससे पानी का रिचार्ज हो, लोगों को पानी मिले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नये बने जो, पुराने थोड़े ही?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): हां, सभी देखेंगे वह तो। आपने ही बताया था कि कितने आपके बांध हैं जिनमें पानी नहीं आया, कितने प्रतिशत बाँध हैं जो सूखे रह गये, कितने प्रतिशत बांध हैं जिसमें 20 प्रतिशत से कम आया। क्या बात करते हो? एक तरफ आप कह रहे हो कि सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है और कदम उठा रही है तो कह रहे हो, कौनसे करोगे।

भू-जल नियंत्रण हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 में आदेश दिया था कि सारे राज्य के नये कुएं, ट्यूबवैल खोदने पर पाबंदी लगाई जाये, किसी ने भी इसको लागू नहीं किया। विधान सभा में भू जल रेग्यूलेशन बिल पारित नहीं हो सका। हम यथा सम्भव आप लोगों से विचार कर के इस पर शीघ्र कार्यवाही करेंगे। ...(व्यवधान)... बात कर के करेंगे ऐसे थोड़े ही करेंगे। आप बताइए आप ही कह रहे हैं कि अकाल की इतनी भयंकर स्थिति है, वाटर स्केर्सिटी है, एब्सलूट वाटर स्केर्सिटी हैं ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लोग पानी पीयेंगे कहां से? यह क्या कर रहे हो आप? हम सब साक्षी बन रहे हैं इस चीज का कि राजस्थान में कोई कुआं नहीं खुदेगा।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): नहीं, हैंड पम्प, ट्यूबवैल पर तो फिर भी ठीक है लेकिन कुआं तो मेन है, कुआं तो होना चाहिये, कुएं पर पाबंदी नहीं होनी चाहिये।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): बिल थोड़े लेकर आ रहे हैं, आपने कहा कि आपसे चर्चा करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप कुएं पर पाबंदी लगवा रहे हो। कोई कुआं नहीं खुदेगा राजस्थान की धरती पर, लोग प्यासे मर जायेंगे।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): पाबंदी थोड़ी लगाई है, आपसे चर्चा करने के लिये कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सरफेस वाटर अपने पास है नहीं, 1.16 एम ए एफ अपने पास सरफेस वाटर है और नीचे कुआं खोदोगे नहीं, तो राजस्थान के लोग जायेंगे कहां? आप राजस्थान को उजाड़ने का काम कर रहे हो।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): कौन कह रहा है? आपसे चर्चा करने के लिये कह रहे हैं।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों से चर्चा करेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): बीसलपुर का, जंवाई बांध का वाष्पीकरण का क्या हुआ मंत्री महोदय? कुओं और एनीकट पर प्रतिबंध मत लगाओ, इससे और संकट खडे होंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या यह घोषणा हो गई क्या, कुएं नहीं खुदने की?

श्री सभापति: घोषणा नहीं हुई है।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): नहीं, कहां घोषणा की? कह रहे हैं कि अगर यह नहीं करोगे तो आगे के लिये संकट और बढ़ेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अच्छा विचार कर रहे हैं। मतलब रोकने का विचार कर रहे हैं। अभी घोषणा तो नहीं की न?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): कहां की है? आपने सुनी क्या? हमने बताई है आपको बात। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि कानून बनाओ ...(व्यवधान) आज आपके पास 198 ब्लाक में पानी नहीं है, 34 ब्लाक ही बचे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप योजना तो बनाओ, सरफेस वाटर है नहीं ...

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अगर यह बात किसान को नहीं बतायेंगे, गरीब किसान है ट्यूबवैल खुदवा रहा है, उसका ट्यूबवैल सूख गया और उसके दो-तीन लाख रुपये बैंक से लग गये तो उसको क्या जवाब देंगे। नहीं? हम कर नहीं रहे हैं, हम आपसे विचार-विमर्श करेंगे।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): मंत्री महोदय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं ...

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, एक बात मैं बताता हूं कि सबसे ज्यादा पानी आपका जो खर्च हो रहा है, 70 परसेंट हमारा पानी इर्रिगेशन में खर्च हो रहा है। हम जो फ्लड इर्रिगेशन कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा वेस्ट हो रहा है। हाड़ौती का आपको पता है। जब तक हम ड्रिप पर नहीं आयेंगे, सिर्फ उस पौधे की जड़ को पानी मिले, यह व्यवस्था आप नहीं करोगे तो न तो खेती हो पायेगी, न पीने को पानी मिलेगा। तो जो प्रैक्टिकल है उस पर आप एक्सरसाइज कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए, रास्ता निकलेगा। दुनिया में हो रहा है और यह हमारे पुरखों ने किया था। तो उसके ऊपर आइए तब होगा। बाकी कानून बनाना, यह तो एक इच्छाशक्ति की बात है, यह वर्षों से बात चल रही है। 1984 में लीडर आफ अपोजिशन ने जो सुझाव दिया था उसके ऊपर क्रियान्विति करने की अभी तक इच्छा शक्ति नहीं आई। उसके ऊपर आप कीजिए, हम आपके साथ हैं लेकिन उसके ऊपर आइए तो सही। सिर्फ बातें होती है हाउस में। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए एक मिनट।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): हमने जल नीति बना दी है, जल नीति आपको भेज दी है, आपके सुझाव मांगे हैं ।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): सभापति महोदय, एक मिनट। सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि कुआं तो सौ, सवा सौ फीट ही गहरा जाता है, डेढ सौ फीट से आगे तो कोई कुआ जाता भी नहीं है। ट्यूबवैल, बोर यह तो 1200 फीट तक जाते हैं, ट्यूबवैल की बात अलग है ट्यूबवैल तो जैसा आप चाहे करें लेकिन कुए तो कोई नुकसान नहीं करते, कुआं तो मेन है।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): राजस्थान में 60 वर्ष बाद अपन को मांइटसैट चेंज करना पड़ेगा और ऐसे इन्नोवेटिव आइडिया करने पड़ेंगे इस जल संकट से निपटने के लिये। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अकेला ही कर दूंगा या सरकार एकदम वैसे ही कर देगी ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिन जिलों में सरफेस वाटर बिलकुल नहीं है जैसे मेरा जिला ही कहूं, आप कुएं खोदने दोगे नहीं, गांव के गांव में पानी का संकट है तो फिर लोग जायेंगे कहां? राजनीति नहीं कर रहे हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मैंने एक बात बताई है आपके विचार के लिये, आपको बुलाकर और बात कर लूंगा। हम कोई अभी

(श्री महीपाल मदेरणा)

कानून बनाने जा रहे हैं क्या? यह समस्या का समाधान हो सकता है। (व्यवधान) मैंने कहा कि मैं इस पानी के ऊपर कोई राजनीति नहीं करूंगा, आपसे विचार-विमर्श करके बात करूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो, अभी जवाब दे रहे हैं। विराजो आप, विराजो आप। अभी सबके जवाब देंगे, ब्यावर के जवाब देंगे, अभी विराजो आप।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आप जवाब दिलाओ, हम तो तरस रहे हैं उसी बात को सुनने के लिये। आप जवाब दिलाओ। मंत्री महोदय, आज वहां बी जे पी और कांग्रेस के सारे लोगों ने धरना दिया है। आप कल-कारखानों को पानी दे रहे हो और इंसान मर रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजो, मंत्रीजी को बोलने दो। आप विराजो।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मुझे आभास है कि माननीय सदस्यगण पेयजल की गम्भीर समस्या के तत्काल समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों की जानकारी हेतु उत्सुक होंगे। इस समस्या की गंभीरता का अहसास मुझे हैं।

हम गम्भीर है, ईमानदार है। यह समस्या इतनी विकट हो चुकी है कि समाधान अकेले सरकारी प्रयास से प्राप्त नहीं होंगे, हमें आपके सबके सहयोग की आवश्यकता है। जनता को इस समस्या से अवगत कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।

आपके अधिकांश पहाड़ी और पठारी इलाके हैं जिसमें भूजल इस कदर नीचे चला गया कि वहां पानी उपलब्ध नहीं है। हैंडपम्प, टयूबवैल खोदने में कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सदस्य अपनी आवश्यकता के अनुसार मुझे अपनी देंगे, मैं उनका तकनीकी परीक्षण करवाकर आवश्यकतानुसार उनकी मांग को यथासम्भव पूरा करने का प्रयास करूंगा। 9 जनवरी, 2009 में हमने आकस्मिक योजना बनाई थी उसका कार्य प्रारम्भ कर दिया था और उस पर हमने लगभग 400 करोड़ रुपये की आकस्मिक योजना स्वीकृत की थी जिसके तहत 10 हजार हैंडपम्प,1,556 टयूबवैल लगाये हैं और 4 हजार हैंडपम्प, 1,200 टयूबवेल, 1500 सिंगल फेस माह अप्रेल 2010 जून तक स्थापित कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह विरोधाभासी बात क्यों कर रहे हो? एक तरफ तो कह रहे हैं, पानी नहीं है, हम टयूबवैल नहीं लगाएंगे, दूसरी तरफ एक हजार टयूबवैल लगाने की बात कर रहे हो (व्यवधान) सभापति महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कुछ तो कलेरिटी हो। हम रात को तीन बजे तक बैठे हैं, एक कंफ्यूजन क्रियेट करने की बात थोड़े है। राजस्थान में क्या मेसेज जाएगा?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सुन तो लीजिए ...(व्यवधान) उसके बाद आप जो क्लीयरिफिकेशन कोई चाहते हैं वह ले लीजिए। पहले सुन तो लीजिए। (व्यवधान) उसके बाद पूछ लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप खुद ही देख लीजिए। (व्यवधान) विरोधाभासी बात है यह।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): जवाब तो आ जाए, पूरे दिन जो विचार रहे हैं उन विचारों का जवाब आ जाए फिर पूछ लीजिएगा। जरूरी नहीं कि बीच में पूछा जाए।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): तारानगर से आने वाले सदस्य इतनी जोश से कह रहे हैं, हमने एक सुझाव दिया है, कानून हमने अभी बनाया नहीं है, न कोई बात है। अगर अपने को राजस्थान के जल संकट के समाधान के लिए कोशिश करनी है तो अपने को यह...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, राज्य मंत्रीजी।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): हमने 87 शहरों और 11,792 समस्याग्रस्त गांव को और ढाणियों को चयनित किया है और उनको टैंकर से हम पानी पिलाएंगे। भीलवाड़ा शहर को रेल द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक ब्लाक में फरवरी-मार्च तक हम ब्लाक के भूजल स्तर की सूचना एकत्रित कर लेंगे ताकि समस्या का पूर्वानुमान लगाकर, हमने समाधान किया है।

हमने सभी टयूबवैलों की चैकिंग का कार्य हाथ में लिया है ताकि तकनीकी खराबी को दूर करके जल उत्पादन बढ़ाया जा सके। यह कार्य हम अप्रेल तक पूरा कर लेंगे। कई टयूबवैल हैं जिनके अन्दर पाइप लाइन जो है, जिसके अन्दर लगता है और जितना उसका डिस्चार्ज होना चाहिये, किस कारण से नहीं हो रहा है और जितना उनको जल मिलना चाहिए, जिस डिजाइन से उनको पानी मिलना चाहिए, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं।

दूसरा जो सबसे बड़ा काम हमने किया है, हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पाइप लाइनों में जो लीकेज है, लीकेज का 30-40 परसेंट की बात कर रहे थे उसको रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जहां लाइनें

(श्री महीपाल मदेरण)

बदलनी हो, बदलेंगे। अवैध कनेक्शन हटाने की हम कार्यवाही करेंगे। खराब मीटरों को बदलने का व्यापक कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है। आकस्मिक योजना में शामिल किया है और इसकी प्रगति समीक्षा हो रही है। हम योजनाओं को डिजाइन पैरामीटर के अनुसार संचालित करने हेतु तकनीकी अधिकारियों को जवाबदेह बनाएंगे।

कई सदस्यों ने कहा कि आपके जे ईएन, ए ईएन कम हैं, 237 पदों पर हमने कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति दी है। शेष 89 पदों को भरने की वित्त विभाग ने अनुमति दे दी है। सहायक अभियंता के सीधी भर्ती के 186 रिक्त पदों पर इसी वर्ष भर्ती कर ली जाएगी। सात कनिष्ठ रसायन पदों को भरने की स्वीकृति हो गई।

इस पेयजल समस्या के समाधान हेतु प्रत्येक सप्ताह स्वंय मुख्य मंत्री इसकी समीक्षा करेंगे, जिला स्तर पर जिला कलक्टर करेंगे और पेयजल व्यवस्था की कमान जिला कलक्टर के हाथ में दी है। प्रमुख सचिव से लेकर नीचले स्तर के सभी अधिकारी जिले के दौरे कर रहे हैं और करते रहेंगे। मुख्य अभियंता से लगाकर कनिष्ठ अभियंता आगामी तीन महीनों में फील्ड के दौरे कर समस्या का निराकरण करेंगे। जितने भी मंत्री प्रभारी हैं जिलों में, नियमित निर्देश हैं उनको कि वह वहां की बैठक करेंगे लोगों और जन-प्रतिनिधियों से सम्पर्क रखा जाएगा और अधिकारियों को पाबंद किया जाएगा- जवाबदेह बनाया जाएगा। उनको यह भी आदेश दिया जाएगा कि वे जिला परिषद् और पंचायत समिति की बैठकों में नियमित भाग लेंगे, वहां के गरीब लोगों की समस्या का निराकरण करेंगे।

आपने कई समस्याएं रखी, समय अभाव के कारण मैं प्रत्येक सदस्य का जवाब नहीं देकर, जो आपने कमियां बताई हैं उनको मैंने नोट किया है, कार्यवाही करने का प्रस्ताव करूंगा । कई माननीय सदस्यों ने ...(व्यवधान) माननीय तारानगर से आने वाले सदस्य ने...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मंत्री महोदय, वरुण देवता की पूजा करो, कुछ हवन-यज्ञ करो, कुछ धार्मिक अनुष्ठान करो। इससे बरसेगा पानी और उससे बढ़ेगा पानी। यह करिये आप सब लोग। हम लोग भी करें, आप भी करें, पक्ष भी विपक्ष भी। असल में बात यह है हम आज उनको भूल गये। पूजा-पाठ को भूल गये। वरुण देवता को भूल गये हम सारे जो भारतीय सांस्कृतिक

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

धरोहर थी पानी को बढ़ाने की। इसलिए हवन यज्ञ करिये, गांव-गांव में और तहसील में। पंचायत समिति में, इससे बढ़ेगा पानी। चोर अधिकारियों के खिलाफ करिये कार्यवाही। जो मैंने कहा है आपको, उसके लिए भी तो कुछ बताइये। साथ में आपको यह कहा कि घोषणा करें कि किस एम एल ए को, किस विधायक को क्या दे रहे हैं, यह घोषणा करें आप कृपा करकें। तीन बज गये, क्यों पांच बजा रहे हो? (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने आर्टिफिशियल रिचार्ज, डग-कम-बोर वेल्स की स्कीम के बारे में कहा था, यह स्कीम आज से तीन साल पहले गवर्नमेंट आफ इंडिया ने शुरू की थी, आपके समय में काम नहीं हुआ। हमने 90 हजार फार्मर्स को यह बेनिफिट दिया है और हमने कोई पैसा, जो आप कह रहे थे, हमने एक पैसे का लास नहीं किया है। हमने डायरेक्टली फंडिंग किया है, 4 हजार रुपये पर-फार्मर और वह नाबार्ड के थ्रू फार्मर्स को दिया है, फार्मर्स के बैंक अकाउंट में गया है ।

आपने अपने संबोधन में कहा कि तारानगर कस्बे की आप जल वितरण की व्यवस्था नहीं करेंगे, मैं आपको यह कहता हूं कि आपको हम हमारे कार्य से अनशन पर नहीं बैठने देंगे। आज जो आपके वहां की मांग है प्रति दिन मांग है 3,423 किलोलीटर, उसके विरुद्ध हम 3,200 किलोलीटर प्रति दिन जल वितरण कर रहे है। कस्बे की पेयजल वितरण व्यवस्था, ऊंचाई व जलाशयों की दूरी के साथ क्षेत्र को छोड़कर संतोषप्रद है। इसके स्थाई समाधान हेतु हाल ही में कुछ समस्याग्रस्त वार्डों के जल दबाव को बढ़ाने हेतु मिक्स मिसरावेल के पास पूर्व में बनाये जी एल आर में नहरी पानी एकत्रित कर उसे पाइप लाइन के द्वारा ऊंचाई के स्थल के मोहल्लों में पम्प करके पहुंचाये जाने का कार्य आरम्भ कर दिया है। आपातकालीन फैज प्रथम के लिए दी गयी स्वीकृति के विरुद्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): टयूबवैल या आपका हैंड पम्प खुदा हो ना एक भी सिंगल भी ...(व्यवधान) आप कर क्या रहे हो? यहां बैठकर गाल बजा रहे हो? सभापति महोदय, यहां गाल बजा देते हैं, फील्ड के अन्दर उस आदमी को पानी चाहिये। एक भी हैंड पम्प और एक भी कटिंजेंसी का कोई काम अगर हुआ हो चूरू जिले में तो मुझे बताइये एक भी, सारे सिंगल फेस पेंडिंग है।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कनिष्ठ अभियंता.....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नागौर जिले के अन्दर भी सिर्फ वही कंटिंजेंसी के टयूबवैल खुदे हैं जहां की परमिशन आपने दी है। (व्यवधान) वहां आप टयूबवैल क्यों नहीं खुदवा रहे हो?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, अपनी जगह पर तो पधारिये पहले। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): रात के 12 बजे के बाद में सब इधर-उधर बैठे हैं, आपके कौन से हैं जगह पर?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप जगह पर आइये। (व्यवधान) देखिये, ऐसे थोड़े ही....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सारे जगह पर बैठे हैं क्या? आपके (व्यवधान) ....सो रहे हैं। यह सारे लोग कहां बैठे हैं आपके?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): यह उचित नहीं है, आप अपनी जगह पर जाएं। थोड़ा सा नियमों का...

श्री सभापति: विराजो, विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यहीं बैठकर बोलेंगे हम तो। (व्यवधान) आप तो इतना बता दो, कुएं, टयूबवैलों को बंद कर रहे हो क्या? (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आप अपनी सीट से बोलेंगे, नियम तो यही कहता है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नियम रात को कोई दो बजे बाद इतना जवाब लम्बा-चौड़ा...(व्यवधान) नियम तो यह कहता है....

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, कोई व्यवस्था बनायें। (व्यवधान) सरासर निरंकुशता लाने की बात कर रहे हैं यहां पर।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कनिष्ठ अभियंताओं के रिक्त पदों का विशेष उल्लेख किया था। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने 247 पदों पर कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति की थी। 2009 में बाड़मेर के कनिष्ठ अभियंताओं के 56 स्वीकृत पदों में से 26 पद रिक्त थे और हमने 22 रिक्त पदों को भर दिया था।

(श्री महीपाल मदेरणा)

नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंता जो थे उनमें से 3 कनिष्ठ अभियंताओं ने त्याग पत्र दे दिया। वर्तमान में नौ पद रिक्त हैं, उनको शीघ्र भरने की कार्यवाही करेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): यह बाड़मेर की ही स्थिति नहीं है, मंत्री महोदय, सभी की स्थिति है।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभी की है, यह सभी की है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): हम सभी जो बैठे हैं, उनका जवाब दे दो आप। हम सब बैठे हैं उनका जवाब दे दो।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): हां, अभी दे रहे हैं, सभी के देंगे। सभापति महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि विधायकों की ...(व्यवधान) उन्होंने जांच हेतु समिति बनाने के लिये कहा था। एम.एल.ए. की समिति बनाने का मंत्री को अधिकार नहीं है, यह अधिकार अध्यक्षजी को है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अध्यक्ष जी को निवेदन करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): वे नहीं हैं। जो बैठे हैं उनका ही जवाब दें। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): श्री सीमेंट का जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति: रुक तो जाओ, एक-एक करके अभी आ रहे हैं ना। आप विराजो तो सही, आप विराजो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे।

श्री सभापति: हां, हां, विराजो। आपका जवाब भी, आपका जवाब देंगे मंत्री महोदय।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मुझे बिलकुल जवाब सुनना है। सारा चिट्ठा खोल दूंगा। श्री सीमेंट की सारी पोल मैं निश्चित खोल दूंगा। फिर आप कहेंगे, शब्दों को एक्सपंज करो और आप फिर निलम्बन करने की कार्यवाही करवायेंगे। मंत्री महोदय कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। यह क्या अत्याचार हो रहा है? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, आप विराजो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): हालत यह है कि हम जल दोहन को रोकना चाह रहे हैं, कानून बना रहे हैं। कौनसा कानून बना रहे हैं, हमें भी तो बताओ आप।

श्री सभापति: वही बता रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आप यह नहीं देंगे तो मैं अनश्चितिकालीन धरने पर बैठूंगा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं रात को भी यहां रहूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, आप विराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मैं उस जनता की भावनाओं को ठुकरा नहीं सकता।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, ब्यावर में...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आज बी.जे.पी. और कांग्रेस, सभी लोग धरने पर बैठे हैं ब्यावर में। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, विराजो आप। विराजो आप। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: विराजो, आप विराजो। (व्यवधान) जवाब दे रहे हैं ना, विराजो तो सही। (व्यवधान) आप विराजो। आप विराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। आप विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): हां, मैं दे रहा हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय विधायक ने... (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो, माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): ब्यावर से आने वाले विधायक के द्वारा श्री सीमेंट को पेयजल टैंकर बंद कराने की स्थिति के बारे में कहा गया। श्री सीमेंट को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसी भी माध्यम से, पाइप के माध्यम से अथवा टैंकरों के माध्यम से पानी नहीं दिया जा रहा है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आप सुनो तो सही।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। (व्यवधान) आप विराजो। आप विराजो, माननीय सदस्य, आप विराजो। मंत्रीजी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, श्री सीमेंट को विभाग का कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। यह श्री सीमेंट पिछले 17-18 वर्षों से टैंकर का प्रयोग कर रहा है। पानी के दोहन पर प्रतिबंध हेतु हमारे पास कोई कानून नहीं है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

धरना

(श्री शंकर सिंह, सदस्य, द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री सभापति: सचेतक महोदय, सचेतक महोदय। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सीट पर पधारो। माननीय सदस्य, सीट पर पधारो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, सीट पर पधारो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) विराजो, माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री सभापति: मंत्रीजी, विराजो। मंत्रीजी, विराजो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: मंत्रीजी, विराजिये। मंत्रीजी, विराजिये। यह तरीका ठीक नहीं है। मंत्रीजी, विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान) मंत्रीजी, वन मंत्रीजी, वन मंत्रीजी।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सभापति: मंत्रीजी, मंत्रीजी, वन मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री सभापति: वन मंत्रीजी, विराजिये आप। (व्यवधान) आप विराजिये, विराजिये, माननीय सदस्य। मंत्रीजी, विराजिये। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये, पीछे से विराजिये। (व्यवधान) सभी विराजिये। (व्यवधान) विराजिये, आप विराजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री सभापति: मंत्रीजी, विराजिये, आप आवेश में क्यों आ रहे हैं? (व्यवधान) मंत्रीजी, आप विराजो।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री सभापति: वन मंत्रीजी, विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: अभी आपदा प्रबन्धन मंत्रीजी का जवाब आने वाला है, आप विराजो। विराजो, माननीय सदस्य, विराजो आप। (व्यवधान) कहना भी तो मानें। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य, अपनी सीट पर जाएं आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपनी सीट पर पधारें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। आप विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। आहूजा साहब, विराजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये, माननीय सदस्य, आप विराजिये। आप विराज जाइये, विराज जाइये। विराज जाइये, माननीय सदस्य।

(समय : 03.00 बजे)

(श्री शंकर सिंह, सदस्य, द्वारा सदन कूप में धरना जारी)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: ज्ञानदेवजी आहूजा, विराज जाइये। विराजिये । विराजिये आप। आप विराजिये न। आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य, विराजिये आप। विराजिये आप। विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: आप, माननीय सदस्य, विराजिये। आप विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजिये। आप हाउस को आर्डर में लाने दीजिए। आप विराजिये। विराजिये आप। विराजिये, माननीय सदस्य। आप विराजिये न। आसन पांवों पर है। आप विराजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है। दोनों से निवेदन है, आप विराजिये। आसन पांवों पर है। आप विराजो। आप विराजो तो सही। आप तो विराजो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आप तो विराजो। विराजो। आप सचेतक महोदय, आप भी विराजो। आप भी विराजो। विराजो आप। विराजिये, पीछे विराजिये।

(श्री शंकर सिंह, सदस्य, द्वारा सदन कूप में धरना जारी)

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य, आप सुन लीजिए। आपने इस सदन में इस समस्या को कई बार उठा लिया। मंत्रीजी ने ...(व्यवधान) एक मिनट सुनिये आप। मंत्रीजी कानून के तहत जो हो सकती है उसकी व्यवस्था उन्होंने दी है। आप चाहें कि उस व्यवस्था, कानून से ऊपर उठकर, कानून से ऊपर उठकर न तो यह सदन है और न मंत्रीजी हैं। इसलिए आप मेहरबानी करके आप इस तरह का व्यवधान पैदा नहीं करें। अभी अकाल राहत मंत्रीजी को बोलना है। आप अपनी सीट पर जाइये। आप अपनी सीट पर पधारो। आप, माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है। मेरा निवेदन है आपसे, माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है, अभी अकाल के ऊपर चर्चा होनी है। अभी अकाल पर और चर्चा होनी है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पधारो। माननीय सदस्य, आप जाओ। नहीं, आप उठो, आप उठो। आपका यह तरीका बिलकुल ठीक नहीं है, माननीय सदस्य। बिलकुल ठीक नहीं है यह तरीका। बिलकुल ठीक नहीं है। यह व्यवधान का तरीका बिलकुल उचित नहीं है आपका। आप पधारो, अपनी सीट पर पधारो। आप पधारो, अपनी सीट पर पधारो। आप पधारो। अपनी सीट पर पधारो। आप पधारो अपनी सीट पर। (व्यवधान)

(श्री शंकर सिंह, सदस्य, द्वारा सदन कूप में धरना जारी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सभापति: आप उनको, आप विराजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये। आप तो बैठिये। मैं आसन से जो व्यवस्था दूंगा वह मान्य होगी। विराजिये आप। विराजिये। माननीय सचेतक महोदय, विराजिये। सदन की घड़ी देखो आप। विराजो। माननीय सदस्य, आप विराजिये। मुख्य सचेतक महोदय, आपके माननीय सदस्य को आप आसन पर पहुंचाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: मुख्य सचेतक महोदय, आप इनको पहुंचाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: पहले आप इनको छोड़कर आइये। मुख्य सचेतक महोदय, उनको पहले वहां पहुंचाइये। छोड़कर आइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। सचेतक महोदय, आप तो विराजो। आप उनको छोड़कर आओ। आप उनको छोड़कर आओ। आप एक बार उनको छोड़कर आओ। मुख्य सचेतक महोदय, आप उनको छोड़कर आओ। आप मेहरबानी करके उनको छोड़कर आओ।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: वे बोलेंगे बीच में। आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो। आप पीछे से विराजो। माननीय सदस्य, आप विराजो पीछे से। मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। मंत्रीजी, आप विराजो। माननीय सदस्य, आप विराजो। मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: मंत्रीजी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: मंत्रीजी बोल रहे हैं। आप पीछे, विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल की योजनाओं में आवश्यकता से अधिक पाइप ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): हां, सर। ये वहां पर बैठें। ये वहां जाकर बैठेंगे तो ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मैंने इनको बता दिया था सर, सबने सुना है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री सभापति: नहीं, नहीं, आप तो विराजो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री सभापति: उद्योग मंत्रीजी, आप विराजो। उद्योग मंत्रीजी, आप विराजो। उद्योग मंत्रीजी, विराजो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या ने पेयजल योजनाओं पर आवश्यकता से अधिक पाइप, इत्यादि क्रय करने की ओर ध्यान आकर्षित किया। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि वास्तव में यह गम्भीर समस्या थी, आवश्यकता से अधिक सामान क्रय कर भण्डार में कर लिया गया था, यद्यपि वित्त नियम ऐसी कार्यवाही की अनुमति नहीं देते थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री सभापति: संक्षेप में बता दीजिए, मंत्रीजी, आप दुबारा रिपीट कर दें इनको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री सभापति: उद्योग मंत्रीजी, आप तो विराजो। उद्योग मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री सभापति: उद्योग मंत्रीजी, विराजो। उद्योग मंत्रीजी, विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: उद्योग मंत्रीजी, आप तो विराजो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री सभापति: नहीं, उद्योग मंत्रीजी, आप विराजो। माननीय मंत्रीजी। विराजिये, पीछे के माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य। मंत्रीजी। (व्यवधान)

(सदन में भारी शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

(श्री शंकर सिंह, सदस्य, द्वारा सदन कूप में धरना जारी)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

एक माननीय सदस्य: ×××

श्री सभापति: मंत्रीजी, विराजो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री सभापति: उद्योग मंत्रीजी, विराजो आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: आसन पांव पर है, विराजो आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: विराजो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

(श्री शंकर सिंह सदस्य, द्वारा सदन कूप में धरना समाप्त)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। मंत्रीजी जवाब दो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट। रात के तीन बजे तक बैठकर हम इतनी गम्भीरता से इस विषय को ले रहे हैं, गम्भीर विषय था। पूरे सदन ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये। हमने अपनी आंखों से देखा है, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय सदस्य बेनीवाल जी को वहां भेजा और उनको उकसाकर यहां पर भेज दिया। इस तरह से एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को हाइजैक कर ले, कैसे बर्दाश्त करेंगे हम? क्या उपयोगिता है हमारी तीन बजे तक बैठने की यहां पर?

श्री सभापति: अब विराजो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): एक-एक व्यक्ति तीन-तीन बजे तक बैठा है, सारे मिनिस्टर्स यहां पर बैठे हैं।

श्री सभापति: उद्योग मंत्रीजी, विराजो।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, इस तरह से कोई आरोप लगाये, मंत्रीजी को यह चाहिये था कि राजस्थान की जनता को पानी पिलाने के लिये कुछ कहते और पानी नहीं पिलाने की घोषणा नहीं करते हैं तो मैं भी सदन से बहिगर्मन करता हूं।

बहिर्गमन

(श्री पेमाराम, सदस्य, द्वारा सदन से बहिर्गमन)

एक माननीय सदस्य: करिये, करिये, आप भी करिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, कुछ

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

आवेश में आकर के प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय ने कुछ ऐसे शब्द यहां पर इस्तेमाल किये हैं, जो असंसदीय हैं, कृपया उनको कार्यवाही से निकलवाइये।

श्री सभापति: अंकित ही नहीं हुआ। कुछ भी अंकित नहीं हुआ। अंकित हुआ ही नहीं है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): रिकार्ड में आप चैक कर लीजिये बराबर में, मेरे ख्याल से अंकित हो रहा था।

श्री सभापति: मैंने निर्देश दे दिये थे कि मंत्रीजी के अलावा किसी और का अंकित ही नहीं होगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): मैं निवेदन करूंगा, आसन से बड़ा कोई नहीं है। इस प्रकार से आवेश में आना, यह उचित नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। जब-जब इतने मौतबिर आदमी, जो मुख्य सचेतक के पद पर कायम हैं, अगर वे इस तरीके की भाषा बोलते हैं और आपकी तरफ से सिर्फ यह कहा जाता है कि विराजिये विराजिये, विराजिये, मैं यह समझता हूं कि यह ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं सदन चलाने के लिये क्या बोलूंगा?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, आपको बकायदा चेतावनी देनी चाहिये थी, उनको यह कहना चाहिये था, आखिर सदन रात के साढ़े तीन बजे तक चल रहा है, और शांतिप्रिय तरीके से जिम्मेदारी के साथ मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं और सब लोग आराम से सुन रहे हैं। उसमें इस तरीके से व्यवधान पैदा करके अगर आसन की तरफ से अच्छी व्यवस्था नहीं होती है तो निश्चित तौर पर हमें इस बात का दु:ख होता है। आपको समझना चाहिये इस बात को।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, पूरे सदन ने देखा, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने हनुमान बेनीवाल को अपनी जगह वहां पर भेजा और उकसाकर माननीय सदस्य को यहां पर भिजवाया। पूरे सदन ने देखा, कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम तीन तीन बजे तक बैठकर जिसको गम्भीरता से ले रहे हैं और आसन की तरफ से यह व्यवस्था होती है तो यह बर्दाश्त नहीं होगा माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: अब विराजो। अब बोलने दो न मंत्रीजी को।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजसमंद से आने वाली माननीय सदस्या ने इस सदन में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल योजना में आवश्यकता से अधिक पाइप क्रय करने की तरफ ध्यान आकर्षित किया, योजना पूरी होने पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव की तरफ ध्यान आकर्षित किया और विशेष तौर पर बाघेरीनाके की योजना में देरी हुई, उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं वास्तव में यह गम्भीर समस्या है कि आवश्यकता से अधिक सामान क्रय कर भंडार कर लिया। यद्यपि वित्तीय नियम ऐसी कार्यवाही को अनुमति नहीं देते थे। लेकिन मुझे कहते हुए दुःख है कि जिस तरह से पिछले पांच वर्षों में इस तरीके से नियमों की अवहेलना कर आवश्यकता से अधिक पाइप व अन्य सामान क्रय करने का प्रयत्न हुआ, उससे यह प्रतीत होता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक इसको रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ। सभापति महोदय, प्रति वर्ष वित्त विभाग प्रत्येक निर्माण विभाग हेतु स्टाक सस्पेंस के लिये क्रय किये जाने वाले सामान की वित्तीय सीमा निर्धारित करता है। वर्ष 2008-09 में इस हेतु विभाग की सीमा 12.31 करोड़ निर्धारित की गयी, लेकिन इसके विरुद्ध 1.4.2009 तक स्टाक सस्पेंस में शेष 34 करोड़ 63 हजार रुपये का सामान अधिशेष था। इसमें अभी तक स्टाक शामिल नहीं है। जो स्टाक सस्पेंस के अतिरिक्त सीमा कार्य हेतु बजट में क्रय कर डाल दिया, यह समस्त कार्य बिना बजट प्रावधान, बिना आवश्यकता के ही हमारे पास यह सामान भंडार में पड़ा है। अगले कई वर्षों तक यह काम नहीं आयेगा। इसके अतिरिक्त करोड़ों रुपये के पाइप क्रय करके कार्य स्थल पर डाल दिये गये। अभी तक 22 खण्डों के स्टाक सस्पेंस के अतिरिक्त क्रय किये गये पाइप की सूचना मंगाई है, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये है। शेष 87 खण्डों की सूचना अभी आना बाकी है। उदाहरण के तौर पर (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह वाक-आउट करके गये हैं, सभापतिजी, इस बात को समझिये आप।

श्री सभापति: मंत्रीजी, सुनो आप। उन माननीय सदस्य ने पहले ही कह दिया था, हाउस में यहां पहले भी आ गये थे, समझे आप? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं कहा था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): षड्यन्त्र करके यह सारा किया गया।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

उनको यही करना था, जान-बूझकर कर उनको यह करना था। हमको पीड़ा है इस बात की।

श्री सभापति: यह तीसरी बार हुआ है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): पीड़ा इस बात की है, सभापति महोदय, यह चलाकर किया गया है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापतिजी, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी पोल खोली जायेगी, वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे इस बात को। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब तो चलने दो। अब तो बोलने दो।

श्री पेमाराम (धोद): इससे क्या औचित्य है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप तो चले गये थे ना, वापस कैसे आ गये?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, जोधपुर में कुड़ी भंटिडा योजना हेतु 50 किलोमीटर पाइप, जिनकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये थी, क्रय करके डाल दिये गये, जिनका आज तक योजना में उपयोग नहीं हुआ है। इसमें बजट प्रोविजन नहीं था। इसी प्रकार झुंझुनूं में बिना स्रोत खोदे 17 किलोमीटर पाइप लाइन, जिसकी कीमत 2.17 करोड़ रुपये है, क्रय कर डाल दिये गये। इसी से अंदाज लगाया जाता है कि सैकड़ों मामले हमारे ध्यान में आयेंगे, जिनकी सूचना हम मंगवा रहे हैं। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जनता के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हुआ है। साथ ही वित्तीय नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं।

सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा, यह नहीं कि तत्कालीन सरकार को इस समस्या का पता नहीं था, उनको ध्यान रखते हुए इस समस्या के समाधान हेतु तत्कालीन सरकार ने नीति निर्धारण समिति में 26.5.2006 को यह निर्णय लिया गया कि योजना की स्वीकृति के पश्चात् उसकी शीघ्र क्रियान्विति कर जनता को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से जहां तक सम्भव हो, सम्पूर्ण योजना का क्रियान्वयन एकल दायित्व के आधार पर किया जाये, यही सुझाव राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने भी दिया, लेकिन मुझे खेद है, इस निर्णय को पूरी तरह लागू नहीं किया। पाइप आपूर्ति का

(श्री महीपाल मदेरणा)

केन्द्रीय क्रय आपूर्ति का काम धड़ल्ले से चलता रहा जिसका नतीजा मैं आपको ऊपर बता चुका हूं।

सभापति महोदय, हमने आते ही इस व्यवस्था को सुधारने हेतु कड़े निर्णय लिये हैं। कोई भी खण्ड बजट आबंटन से अधिक सामान क्रय नहीं करेगा। उसकी केन्द्रीयकृत स्तर पर आनलाइन मानिटरिंग की व्यवस्था चालू कर दी है। विभाग के वित्तीय सलाहकार को भी इस हेतु उत्तरदायी बनाया है कि वे हरेक माह विश्लेषण कर उसकी सूचना राज्य सरकार को देंगे। अधिक क्रय किये गये स्टाक के बारे में हमने निर्णय लिया है कि जो सामान 31.03.2010 तक काम में नहीं आयेगा और जो आगे भी शीघ्र काम में नहीं आयेगा उसका भुगतान आपूर्तिकर्ता को नहीं किया जाएगा। यदि करना पड़ा तो उसकी वसूली संबंधित अधिकारी से करेंगे। जो सामान क्रय कर सीधे कार्यस्थल पर डाला हुआ है, उसकी हम सूची तैयार कर रहे हैं। इसकी जांच कर उत्तरदायित्व निधारित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। समस्त नयी योजनाएं एकल अनुबन्ध दायित्व के आधार पर लागू की जाएंगी। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि वित्तीय अनियमितताओं को सख्ती से रोकेंगे।

मैं अन्त में दो ही बात कहना चाहता हूं, सदस्यों को उत्सुकता थी कि हैंड पम्प खोदेंगे या नहीं, टयूबवैल खोदेंगे या नहीं खोदेंगे, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी पानी उपलब्ध है, हैंड पम्प और टयूबवैल खोदने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सदस्य अपनी क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार या तो मुझे सूचना दे दें या मेरे अधिकारियों को सूचना दे दें, इनका तकनीकी परीक्षण करवाकर आवश्यकता के अनुसार उनकी मांग को यथासम्भव पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस संकट से निपटने के लिए लगन, मेहनत तथा ईमानदारी से हर सम्भव प्रयास करेंगे और किसी को प्यासा नहीं रहने देंगे। हम सभी को पानी पिलायेंगे।

श्री सभापति: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता): माननीय सभापति महोदय, कल और आज दो दिन से पेयजल, बिजली और अकाल पर बहस हो रही है। लगभग 97 सदस्यों ने इसमें भाग लिया है और हम तीनों मंत्रियों को मिलाकर सौ हो जाएंगे। सदस्यों ने काफी अमूल्य सुझाव

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

दिये। (व्यवधान) हुजूर, जो माननीय सदस्य जैसे पहले बोलते हैं, उनको ज्यादा समय मिलता है, वही एक मंत्री के साथ में कर रहे हैं। जिसका अन्त में नम्बर आये, उसके लिए कह रहे हैं कि टेबल कर दो।

सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया। मुख्य रूप से चारे की व्यवस्था के लिए, पशु शिविर के लिए, गौ-शालाओं की व्यवस्था के लिए और पेयजल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और असहाय लोगों को सहायता देने के लिए, कृषि आदान के लिए और जो पशु आहार दे रहे हैं, उसके लिए माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी। दो बार ऐसा अवसर आया है जब राजस्थान सरकार ने अगस्त में ही अकाल की घोषणा की है। जब पिछली बार माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में जो सरकार थी, 2003 में, अगस्त में, गिरदावरी करवाकर अकाल की घोषणा की। यह दूसरा अवसर है कि अब भी गिरदावरी विशेष रूप से करवायी गयी, 25 अगस्त को 26 जिलों को घोषित किया गया, उसके बाद 13 नवम्बर को प्रतापगढ़ जिले को और घोषित किया गया। इस तरह कुल मिलाकर 33,464 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। राज्य में भयंकर अकाल होते हुए भी सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि जन और धन को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। मानसून फेल हो गया, मानसून फेल हो गया तो पानी की कमी हो गई तो निश्चित रूप से अभाव की भी स्थिति उत्पन्न हो गयी।

हमने दो तरह से रोजगार की व्यवस्था की। पहले नरेगा के अन्तर्गत सौ दिन का रोजगार दिया और उसमें लगभग 35 लाख परिवारों को रोजगार दिया गया। जिन लोगों ने नरेगा में सौ दिन, उनको फिर अकाल राहत के तहत रोटेशन से दस-दस दिन अकाल राहत कार्यों पर परिवार के एक सदस्य को काम दिया गया। इस तरह से हमने करीब 2,600 करोड़ रुपये नरेगा के तहत अकाल में मजदूरी देने के लिए अगस्त से लेकर 20 फरवरी तक खर्च किये हैं। उसके अलावा अकाल राहत के तहत 2 लाख 63 हजार श्रमिकों की सेवाएं विभिन्न जिलों में दी गयीं और उसके विरुद्ध में 1 लाख 73 हजार तीन सौ चालीस श्रमिकों को नियोजित किया गया। इसके लिए 20 मार्च, 2010 तक 69.77 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया जा चुका है। क्योंकि नये वित्तीय वर्ष में प्रति जाब कार्डधारी सौ दिवस के रोजगार के लिए हकदार हैं, अतः 01 अप्रेल, 2010 से अभावग्रस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावितों के लिए श्रम नियोजन नरेगा के माध्यम से किया जायेगा। मतलब आज से, एक

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

अप्रेल से। राजस्व ग्राम के रूप में अभावग्रस्त घोषित किये गये जिलों की द्वितीय और तृतीय श्रेणी की नगरपालिकाओं में 01 अप्रेल, 2010 से राहत कार्य खोलकर प्रति नगरपालिका में अधिकतम सौ श्रमिक प्रति दिन नियोजित किये जाएंगे जिसमें जरूरतमंद परिवारों को प्रति माह का दस दिन का रोजगार रोटेशन के आधार पर दिया जाएगा।

आपातकालीन पेयजल व्यवस्था का संचालन जिला प्रशासन एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। आपदा राहत निधि से आपातकालीन पेयजल व्यवस्था पेयजल परिवहन, हैंड पम्प मरम्मत में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। 20 मार्च, 2010 तक ग्रामीण क्षेत्र की 2,559 ग्राम ढाणियों में 5,026 टैंकर्स प्रति दिन तथा शहरी क्षेत्रों के 35 कस्बों में 3,752 टैंकर्स ट्रिप प्रति दिन किये जा रहे हैं। 31.07.2010 तक माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भारत के माननीय रेल मंत्री और माननीय कृषि मंत्रीजी को लेटर लिखा। उसके तहत भारत सरकार ने हमको 31 जुलाई तक रेल से चारा एवं पानी परिवहन की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध करायी है। इसके तहत रेलवे द्वारा परिवहन के माध्यम से कोटा से भीलवाड़ा के लिए 72 वैगन प्रति दिन आ रहे हैं और एक वैगन में 30 हजार लीटर पानी भीलवाडा के लिए आ रहा है।

खराब हैंड पम्पों की मरम्मत हेतु सितम्बर से प्रत्येक ब्लाक में हम 20 मजदूर दे रहे हैं और तब तक लगातार रखेंगे जब तक अकाल का समय समाप्त नहीं हो जाता है। सरकार हैंड पम्प स्थापना और टयूबवैल को गहरा कराने के लिए भी 56 करोड़ रुपये इस मद में दे रही है।

मानवीय दवाओं की आपूर्ति के लिए चिकित्सा विभाग को छह करोड़ रुपये का पेमेन्ट अकाल राहत विभाग ने कर दिया है।

सभापति महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके ध्यान में ला रहा हूं। जैसे 2003 में अकाल पड़ा था, प्रत्येक गांव में पांच बोरी गेहूं की माननीय मुख्य मंत्री के आदेश से रखी थीं, कुछ भी नहीं हो उसके लिए, उसी योजना को अब हम ला रहे हैं। हम खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से संचालित फूड-स्टफ योजना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अभावग्रस्त जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत को आवश्यकतानुसार गेहूं उपलब्ध करवाकर प्रभावित व्यक्ति को सरपंच द्वारा दस किलो गेहूं दिया जायेगा। इसके लिए हम कूपन, वह व्यक्ति कूपन लेकर सरपंच के पास जायेगा। कोई व्यक्ति

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

भूखा नहीं सोये, इस योजना को हम खाद्य विभाग के माध्यम से संचालित करने जा रहे हैं।

यहां कई माननीय सदस्यों ने यह बात उठायी कि असहाय सहायता नहीं दी जा रही है। मैं उनको भी यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक लाख चौंसठ हजार व्यक्तियों को असहाय सहातया दी जा रही है और इसको हमने 30 जून तक बढ़ा दिया है।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): क्या हर जिले में तहसील वाइज, ब्लाक वाइज दे रखे हैं आपने हैंड पम्प रिपेयर के लिए?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता): ब्लाक वाइज 20 आदमी, 20 मजदूर।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): कब से?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता): सितम्बर से।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): सितम्बर से?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता): हां।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): मेरे हिसाब से तो हमारे दौसा में 20 आदमी प्रत्येक ब्लाक में कहीं पर भी नहीं लग रहे।

एक माननीय सदस्य: मंत्री मंत्री से कैसे प्रश्न कर रहे हैं?

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): जानकारी तो ले सकते हैं न।

श्री सभापति: इस चीज को थोड़ा आप स्पष्ट कर दो। मंत्रीजी, जो माननीय मंत्रीजी ने पूछा, आप इसको स्पष्ट कर दो।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, एक राइडर लगा रखा है, विधायक कोष में राइडर लगा रखा है कि 100 दिन नरेगा में काम करने वाले मजदूर को ही दस दिन काम मिलेगा और एम.एल.ए. कोटे में भी वह लगा रखा है, वह हटा रहे हैं तब तो तमाम माननीय सदस्यों को फायदा मिलेगा वरना...

श्री सभापति: विराजो।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता): माननीय, खराब हैंडपम्पों की मरम्मत हेतु सितम्बर, 2009 से ही 20 श्रमिक प्रति ब्लाक प्रति दिन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं और इनको हमने जब तक अकाल रहेगा तब तक बढ़ा दिया है।

मुख्य मंत्रीजी की पहल पर भारत सरकार को प्रस्तुत ज्ञापन के तहत कृषि आदान अनुदान वितरित करने हेतु 797.57 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। अभावग्रस्त जिलों के ऐसे सभी काश्तकारों को जिनके एक या दो हैक्टेयर भूमि है सिंचित, एक हैक्टेयर व सीमांत व लघु काश्तकार को इसके लिए हम प्रति हैक्टेयर दो हजार रुपये की सहायता दे रहे हैं और यह राशि वितरण के लिए जिलों को भेज दी गयी है, वहां से काआपरेटिव बैंकों से यह राशि उनके खातों में जमा होगी। इसके परीक्षण और इसके सुपरविजन के लिए जिला कलक्टर्स, उप-खण्ड अधिकारी और गांव लेवल पर काआपरेटिव विभाग का अधिकारी और ग्राम सेवक इस पर निगरानी रखेंगे। कहीं से भी कोई शिकायत आयेगी तो कलक्टर और उप-खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में हमने इसके प्रभावी निरीक्षण के लिए कमेटी का गठन कर दिया है।

पशुधन संरक्षण के लिए 20 मार्च, 2010 तक अभावग्रस्त जिलों में अनुदानित चारा उपलब्ध कराने हेतु 2,312 चारा डिपो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं जिनके विरुद्ध जिलों में अभी तक 1,279 डिपो संचालित किये जा रहे हैं। जिला कलक्टर्स को निर्देशित कर दिया गया है कि मांग के अनुसार और चारा डिपो खोल दिये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने, जो यहां विराजमान नहीं हैं, उन्होंने यह बात उठायी थी कि चारा डिपो खोलने में भेदभाव बरता जा रहा है। इसके लिए मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के लेवल से सिर्फ जिलों को चारा डिपो की स्वीकृति दी जाती है कि इतने डिपो आपके जिले को आबंटित किये जायेंगे, यह सारा काम जिला लेवल पर होता है। फिर भी हमने जिला कलक्टर को निर्देश दे दिये हैं कि किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए।

यहां यह भी बात आयी माननीय सदस्यों द्वारा कि चारा डिपो के लिए सहकारी समिति या एन.जी.ओ. अधिकृत नहीं हैं। इसके लिए भी हमने पहले से निर्देश जारी कर रखे हैं कि चारा डिपो ग्राम पंचायत खोल सकती है, ग्राम सेवा सहकारी समिति खोल सकती है, दुग्ध सहकारी समिति खोल सकती है

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

और गैर सरकारी संगठन भी खोल सकता है और इस आदेश को हमने वापस नहीं लिया है। इसका मतलब ये चारों चारा डिपो चलाने के लिए अधिकृत हैं।

चारा संचालित करने वाले संस्थाओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु 6.45 करोड़ की राशि का आबंटन किया जा चुका है। प्रदेश में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 9 लाख 2 हजार मिनि-किट जिन काश्तकारों के यहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध है उनको नि:शुल्क उपलब्ध कराये गये हैं और इससे लगभग 60 लाख मीट्रिक टन हरा चारा मिलने की सम्भावना है।

पशु शिविर अनुदान, 20 रुपये बड़े पशुओं और 10 रुपये छोटे पशुओं के लिए प्रति दिन स्वीकृत हैं जिसमें 6 रुपये बड़े पशु के लिए एवं 3 रुपये छोटे पशु के लिए पशु आहार उपलब्ध कराने हेतु आरक्षित हैं। इस राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे हुए हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चिट्ठी लिखी हुई है, हम प्रयत्नशील हैं कि इसको बढ़वाएं। अभी वहां हमारा प्रस्ताव निर्णयाधीन है। सदन में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं को देखते हुए मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस अनुदान की सम्पूर्ण 20 रुपये और 10 रुपये की राशि को चारे के लिए अनुमोदित किये जाने के प्रस्ताव पर सरकार सकारात्मक रूप से विचार करेगी। आप वाला है।

अभावग्रस्त जिलों में दिनांक 15.11.09 से पशु शिविर आरम्भ करने की स्वीकृति दी गयी है तथा वर्तमान में 955 स्वीकृत पशु शिविरों के विरुद्ध 436 संचालित हैं। जिला कलक्टर्स को निर्देशित कर दिया गया है कि जहां भी पशु शिविर की मांग आये, वहां वे पशु शिविर खोल दिये जाएं।

गौशाला अनुदान 20 रुपये बड़े पशुओं के लिए और 10 रुपये छोटे पशुओं के लिए प्रतिदिन के हिसाब से हैं, इसमें पशु आहार भी सम्मिलित है।

अभावग्रस्त जिलों में गौशाला अनुदान दिनांक 15.11.2009 से स्वीकृत है तथा वर्तमान में 1,326 गोशालाओं में अनुदान वितरित किया जा रहा है, इस हेतु अब तक 79.11 करोड़ रुपये का आबंटन जिलों को किया जा चुका है। पशु आहार अनुदान माह जनवरी, 2010 से स्वीकृत है तथा जनवरी माह से 20 मार्च, 2010 तक 33.89 करोड़ की राशि इस मद में आबंटित की जा चुकी है।

राजफेड एवं आर.सी.डी.एफ. की सीमित उत्पादन क्षमता के बावजूद पशु आहार की अधिक मांग को ध्यान में रखते हुए सभी पात्र पशुओं को

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

निर्धारित मात्रा में पशु आहार की आपूर्ति करने हेतु राज्य सरकार ने पहली बार इन संस्थाओं को निर्मित पशु आहार के साथ ही इनके द्वारा क्रय करके भी आपूर्ति करने की छूट दी है।

पशु दवाओं की आपूर्ति हेतु अभावग्रस्त जिलों को 7.19 करोड़ रुपये दिये गये हैं जिसमें 6 करोड़ रुपये का उपयोग भी कर लिया गया है।

माननीय सदस्यों ने जो अपन 50 हजार रुपये रिवाल्विंग फंड के लिए दे रहे हैं, उसके लिए कई माननीय सदस्यों ने यह मांग की कि यह राशि कम पड़ रही है, कई दिनों से इसको बढ़ाया नहीं गया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसको बढ़ा कर एक लाख रुपये कर दिया है।

यहां यह बात भी आयी कि बी, सी और डी लेवल की जो नगरपालिकाएं हैं उनमें 100 मजदूर कम रहेंगे। वैसे तो प्रैक्टिकली वे 100 मजदूर नहीं हैं, वे 300 मजदूर होंगे क्योंकि दस-दस दिन का रुटिन होगा पर हम इसका परीक्षण करवा लेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, और जहां से भी मांग आयेगी तो उसको भी हम बढ़ा देंगे।

श्री पेमाराम (धोद): एक वह राइडर भी हटा दो।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता): राहत गतिविधियों के परीक्षण के लिए प्रभारी मंत्री हैं, वे जिलों में जा रहे हैं, प्रभारी सचिव जिलों में जा रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर इस पर निगरानी कर रहे हैं, जिला कलक्टर्स इस पर निगरानी कर रहे हैं, इसलिए राहत गतिविधियों की निरीक्षण की पूरी व्यवस्था की गयी है।

अंत में, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार मन, वचन और कर्म से इस आपदा की स्थिति का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम आप सभी के सहयोग से प्रदेश को अकाल की विभीषिका से बचा पायेंगे, ऐसा ही मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: सदन की बैठक प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 03.40 बजे 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

अकालग्रस्त राजस्थान को विशेष दर्जा के तहत केन्द्र से प्राप्त सहायता राशि

375. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या सहायता एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2009-10 में राज्य के किस-किस जिले में कितने-कितने क्षेत्र में अकाल रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने अकाल की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से राज्य को विशेष दर्जा देने एवं विशेष आर्थिक सहायता राशि देने की मांग की है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी धनराशि की मांग की और केन्द्र सरकार ने किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार से अकाल के लिए प्राप्त धनराशि अपर्याप्त है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने अकाल की गम्भीर स्थिति से निपटने के लिए क्या-क्या प्रयास किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2009-10 (सम्वत् 2066) में राज्य के अकालगस्त क्षेत्रों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा कार्यवार/मदवार मांगी गई धनराशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर है। केन्द्र सरकार द्वारा इस मांग के आधार पर दी गई स्वीकृति का कार्य/मदवार विवरण परिशिष्ट-3 पर है।

(3) राज्य सरकार द्वारा आपदा राहत निधि एवं केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (NCCF) से प्राप्त राशि द्वारा वर्तमान में जिला कलक्टरों द्वारा अकाल राहत गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार की गयी मांग के आधार पर अभावग्रस्त जिलों में अकाल राहत गतिविधियां व संचालित की जा रही हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कस्बा रूपवास में कृषि उपज मण्डी की आबंटित दुकानों का कब्जा

376. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बयाना के कस्बा रूपवास की कृषि उपज मण्डी की शाखा चालू नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि उपज मण्डी खोलने हेतु व्यापारियों का धन जमा होने के उपरान्त भी दुकानों का आबंटन नहीं किया गया है? यदि हां, तो अब कब तक दुकानें आबंटित कर दी जावेगी?

(3) सरकार अब उक्त कृषि उपज मण्डी कब तक चालू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। रूपवास कस्बे की धान मण्डी अधिसूचित गौण मण्डी है, जहां कृषि उपजों का क्रय-विक्रय होता है।

(2) जी हां। प्राप्त आवेदकों की अचल सम्पति आबंटन नीति 2005 के तहत अस्थायी वरियता सूची जारी कर आपत्तियां मांग ली गयी हैं। अब शीघ्र आबंटन किया जावेगा।

(3) नवीन गौण मण्डी यार्ड विकसित करने के लिये करीब 20 बीघा भूमि मण्डी समिति के पास है। मण्डी समिति के पास वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर गौण मण्डी यार्ड को विकसित कर मूल-भूत सुविधाऐं जुटाने एवं भूखण्ड आबंटन कर व्यापारियों द्वारा दुकान/गोदाम का निर्माण उपरान्त ही नवीन गौण मण्डी यार्ड चालू हो सकेगा।

माणकलाव-दांतीवाड़ा पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति

377. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा माणकलाव, दांतीवाड़ा ग्रामीण पेयजल योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की गई? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(2) वर्ष 2009-10 में उक्त योजना पर कितनी राशि व्यय की गई एवं वर्ष 2010-11 में कितनी राशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित है?

(श्री अर्जुन लाल)

(3) उक्त परियोजना में क्या-क्या कार्य करना प्रस्तावित था एवं क्या क्या कार्य कर दिये गये एवं शेष कार्य कब तक कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना माणकलाव-दांतीवाड़ा-पीपाड़ बिलाड़ा (द्वितीय चरण) जिला जोधपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह अगस्त, 2006 में राशि रुपये 308.00 करोड़ की जारी की गई थी।

(2) वित्तीय वर्ष 2009-10 में इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत प्रावधानों पर अब तक 10.18 करोड़ रुपये की राशि व्यय हो चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में इस योजना हेतु राशि 55.00 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

(3) कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए योजना को तकनीकी समिति द्वारा माह दिसम्बर, 2006 में सात पैकेजों में विभाजित किया गया। इन पैकेजों में सम्मिलित कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

संसाधनों की उपलब्धतानुसार योजना के प्रथम पैकेज की तकनीकी स्वीकृति माह अप्रैल, 2007 में राशि रुपये 79.57 करोड़ की जारी की गई थी। इस पैकेज में प्रस्तावित एवं कराये गये कार्यों की प्रगति के संदर्भ में वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

योजना को बजट उपलब्धतानुसार शीघ्र पूर्ण कराने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट 'अ'

क्षेत्रीय जल योजना माकलाव-दांतीवाड़ा-पीपाड़-बिलाड़ा की द्वितीय चरण की स्वीकृत पेयजल परियोजना के सात पैकेजों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण

पैकेज संख्या	कार्य का विवरण	राशि (रुपये लाखों में)
1.	एम.एस. रॉ-वॉटर ट्रंक मैन 1000 मिलीमीटर व्यास की 45.57 किलोमीटर पाइप लाइन माणकलाव से दांतीवाड़ा तक तथा माणकलाव पर आउटलेट व्यवस्था एवं रा-वाटर पम्प हाउस तथा रा-वाटर रिजर्ववायर दांतीवाड़ा में जल शोधन संयंत्र-क्षमता 57.9 एम.एल.डी., आदि का निर्माण कार्य।	7445.57

पैकेज संख्या	कार्य का विवरण	राशि (रुपये लाखों में)
2.	हैडवर्क्स से हैडवर्क्स/उच्च जलाशय तक डी.आई. 370.62 किलोमीटर पाइप लाइन, उच्च जलाशय से मुख्य गांवों तक 384.47 किलोमीटर पाइप लाइन, पम्प हाउस हैडवर्क्स 1 से 7, 6 स्वच्छ जलाशय व 36 उच्च जलाशय एवं 33 के.वी.ए. सब स्टेशन तथा सर्विस रोड आदि का कार्य	14849.05
3.	पीपाड़ शहर में जल वितरण पाइप लाइन तथा 04 उच्च जलाशय	304.23
4.	बीलाड़ा में जल वितरण पाइप लाइन तथा 03 उच्च जलाशय	330.68
5.	मुख्य गांवों के अन्दर जल वितरण पाइप लाइन	331.00
6.	डिपोजिट वर्क-पावर वितरण लाइन रेलवे क्रोसिंग, भूमि अवाप्ति आदि कार्य	1719.84
7.	आई.ई.सी. कार्य प्रणाली	150.70

परिशिष्ट-'ब'

क्षेत्रीय जल योजना माणकलाव-दांतीवाड़ा-पीपाड़-बिलाड़ा की द्वितीय चरण की स्वीकृत पेयजल परियोजना के स्वीकृत प्रथम पैकेज के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं कराये गये कार्यों की प्रगति

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	कार्य की प्रगति
1.	माणकलाव पर रा-वाटर रिजरवायर क्षमता 36.50 लाख लीटर	अर्थ वर्क एवं पी.सी.सी. का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा राफ्ट का कार्य प्रगति पर है।
2.	माणकलाव पर रा-वाटर पम्प हाउस	कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।
3.	माणकलाव से दांतीवाड़ा तक रा-वाटर 45.4 किलोमीटर की 1000 मिलीमीटर व्यास की एम.एस. की पाइप लाइन	फरवरी, 2010 तक 9.38 किलोमीटर पाइपों की आपूर्ति की जाकर 4.04 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है तथा शेष पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	कार्य की प्रगति
4.	दांतीवाड़ा पर रा-वाटर डिग्गी क्षमता 12370 लाख लीटर	कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।
5.	दांतीवाड़ा पर जल शोधन संयंत्र-क्षमता 24.14 लाख लीटर प्रति घंटा क्षमता	क्लेरीफ्लोकुलेटर का कार्य प्रगति पर है।
6.	दांतीवाड़ा पर रा-वाटर पम्प हाउस	कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।
7.	दांतीवाडा पर स्वच्छ जलाशय-क्षमता 47 लाख लीटर	अर्थ वर्क, पी.सी.सी. राफ्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वर्टिकल वाल का कार्य प्रगति पर है।

भरतपुर जिले में अवैध स्टोन क्रेशर्स

378. **श्रीमती अनिता सिंह** (नगर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भरतपुर में क्रेशर लाइसेंस देने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कितने क्रेशरों को उक्त जिले में लाइसेंस दिये हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पहाड़ों में क्रेशर नियमों के विरुद्ध चला रहे हैं? क्या सरकार द्वारा उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु पृथक से कोई लाइसेंस नहीं दिया जाता है। परन्तु कृषि भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ (क्रेशर) के लिये भूमि का संपरिवर्तन किया जाता है वह राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम के तहत किया जाता है जिनकी प्रति परिशिष्ट 'अ' संलग्न है। क्रेशर की स्थापना एवं उत्पादन चालू करने से पूर्व क्रेशर मालिक को प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से कन्सेन्ट टू एसटेबलिश व कन्सेन्ट टू आपरेट प्राप्त करनी होती है। राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशिका परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(खनिज राज्य मंत्री)

(2) भरतपुर जिले में 107 क्रेशर संचालित हो रहे हैं। सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) भरतपुर जिले में 107 क्रेशर स्थापित हैं। इनमें से 35 क्रेशरों को पर्यावरण विभाग द्वारा बन्द करवा रखा है।

(प्रति, निर्देशिका एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अलवर जिले में अवैध शराब निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही

379. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में जिला अलवर में अवैध शराब निर्माण का कार्य कहां-कहां पकड़ा गया एवं शराब की कितनी अवैध भट्टियां नष्ट की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जहरीली शराब के सेवन से उक्त अवधि में उक्त जिले में मृत्यु भी हुई है? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की व उनके आश्रितों को कितना-कितना मुआवजा प्रदान किया गया?

उत्तर

(1) वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में जिला अलवर में अवैध शराब का निर्माण पकडे जाने एवं नष्ट भट्टियों का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2007-08 में जिला अलवर के ग्राम-मोरोडी, पुलिस थाना-बानसूर में जहरीली शराब के सेवन से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। उनके आश्रितों को दिये गये मुआवजा का विवरण परिशिष्ट '2' संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

भरतपुर विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

380. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में बनी सड़कें पूरी तरह खराब हो चुकी हैं?

(2) क्या सरकार इन सड़कों की मरम्मत एवं चौड़ाईकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त सड़कों की चौड़ाईकरण या सुदृढ़ीकरण करने के लिये कौन-

(श्री विजय बंसल)

कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रस्तावों पर कब तक कार्यवाही करा ली जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों यथा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, नगर सुधार न्यास एवं नगर परिषद भरतपुर द्वारा संधारित सड़कों की सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित अधिकांश सड़कें संतोषप्रद स्थिति में हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित 58 सड़कें जिनकी लम्बाई 168.75 कि.मी. है, में से 12 सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संधारित 38 सड़कें जिनकी लम्बाई 41.25 कि.मी. है, जिनमें से 37 सड़कों पर मरम्मत की आवश्यकता है। नगर सुधार न्यास भरतपुर द्वारा संधारित 7 सड़कें, जिनकी लम्बाई 15.95 कि.मी. है, में से 5 सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। नगर परिषद द्वारा संधारित 17 सड़कें, जिनकी लम्बाई 23.20 कि.मी. है तथा सभी सड़कों की स्थिति संतोषजनक है। क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त सडकों का मरम्मत कार्य प्रगति में है तथा 31-5-2010 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। इन सभी सड़कों का चौड़ाईकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है, यह सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने का कार्य उनके वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा। नगर सुधार न्यास द्वारा कुछ स्थानों पर पानी के लीकेज मरम्मत कराये जाने के पश्चात् सड़कों की मरम्मत कराया जाना प्रस्तावित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की 2 सड़कों की कुल लम्बाई 15 कि.मी. राशि रुपये 330.65 लाख के अपग्रेडेशन के प्रस्ताव भारत सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (भारत निर्माण) के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2009 में प्रेषित किये गये हैं। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण कराया जाना सम्भव होगा। सड़कों का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

इण्डियन आयल डिपो जयपुर में आग प्रभावितों को मुआवजा/सहायता

381. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इण्डियन आयल डिपो सीतापुरा, सांगानेर में लगी आग से कितने व्यवसायी और रियायशी सम्पत्ति को नुकसान हुआ और प्रभावितों द्वारा कितना कितना मुआवजे के लिए दावा पेश किया गया?

(2) क्या मांग के अनुसार मुआवजा स्वीकृत किया गया? यदि नहीं, तो किस-किस को कितना-कितना मुआवजा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस को कितना-कितना व नहीं, तो क्यों?

(4) इण्डियन आयल के कुल कितने कर्मचारी उक्त हादसे में मारे गये और कितने घायल हुए? क्या सभी को मुआवजा दे दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इण्डियन ऑयल डिपो सीतापुरा, सांगानेर में लगी आग से रीको क्षेत्र से बाहर तहसील सांगानेर के 15 ग्रामों में जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा करवाये गये सर्वे अनुसार 1204 प्रकरणों में आवासीय/दुकानों आदि की क्षति हुई। उद्योग विभाग द्वारा करवाये गये सर्वे अनुसार रीको औद्योगिक क्षेत्र में 907 औद्योगिक/सांस्थानिक तथा 219 आवासीय/वाणिज्यिक एवं अन्य इकाइयों की सम्पत्ति को नुकसान हुआ। जिला कलक्टर के सर्वे में आये हुए प्रभावितों ने मुआवजे के लिए कोई दावा पेश नहीं किया, अपितु जिला कलक्टर द्वारा ही सर्वे टीम गठित कर क्षति का आंकलन करवाया गया था। रीको में 770 प्रभावितों ने 20034.61 लाख रुपये के मुआवजे के लिए दावा पेश किया जिसका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। इण्डियन आयल कार्पोरेशन में भी 910 दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें 341.2396 करोड़ रुपये के मुआवजा का दावा किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जिला कलक्टर के सर्वे में शामिल प्रभावितों को राज्य सरकार की ओर से सहायता राशि का भुगतान करवाया गया है। वितरित

(सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री)

सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है। उद्योग विभाग/रीको द्वारा अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है अपितु अन्तरिम राहत के रूप में रीको क्षेत्र के 1032 औद्योगिक/संस्थानिक तथा 280 आवासीय/वाणिज्यिक इकाइयों/आबंटियों को 25000 रुपये प्रति इकाई की दर से राहत राशि का वितरण किया गया है। इसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है। इण्डियन आयल कार्पोरेशन द्वारा 50 करोड़ की राशि राज्य सरकार के माध्यम से रीको को उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें से रीको द्वारा अन्तरिम राहत वितरित की गयी है। इसमें से मुआवजे का वितरण भी किया जावेगा। रीको द्वारा राहत राशि का निर्धारण कर सूची सार्वजनिक सूचना हेतु दिनांक 1-2-2010 को रीको की वेबसाइट पर उपलब्ध करवायी गयी थी। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन होने के कारण मुआवजा भुगतान नहीं किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायायल द्वारा मै. जीनस के लिए 22 करोड़ रुपये रिजर्व रखवा दिये गये हैं।

(3) जी नहीं। उत्तर बिन्दु 2 के अनुसार ही है।

(4) इण्डियन आयल कार्पोरेशन के सीतापुरा स्थित टर्मिनल के 6 कर्मचारी इस हादसे में मारे गये। कम्पनी की पालिसी अनुसार सभी को मुआवजा राशि दे दी गयी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

चारणवास-नई का नाथ (बस्सी) सड़क मार्ग निर्माण

382. **श्रीमती अंजू खन्गवाल** (बस्सी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा चारणवास से नई का नाथ सड़क स्वीकृत है? यदि हां, तो किस मण्डी से एवं किस समय इसकी स्वीकृति प्रदान की गई और वर्तमान में इस सड़क की स्थिति क्या है?

(2) क्या सरकार उक्त धार्मिक स्थल नई का नाथ की सड़क को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में मण्डी द्वारा निर्मित सड़कों की स्थिति खराब है? क्या सरकार इन सड़कों की विशेष मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जयपुर के अन्तर्गत दिनांक 7.8.08 से स्वीकृत है। निर्मित होने वाली सड़क में से 0.99 हैक्टेयर भूमि वन विभाग की होने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है।

(2) जी हां। सड़क में आने वाले वन क्षेत्र हेतु वांछित मुआवजा राशि 8,69,013 रु. की स्वीकृति का प्रस्ताव मण्डी समिति (फ.स) जयपुर से प्राप्त हुआ था, जिसकी स्वीकृति दिनांक 15.03.2010 को जारी की जा चुकी है। स्वीकृति अनुरूप वन विभाग को मुआवजा राशि का भुगतान किये जाने के बाद निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर से विशेष मरम्मत हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो प्रक्रियाधीन हैं।

रोहट तहसील जिला पाली की पेयजल योजनाएं

383. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गतः छह वर्षों में पाली शहर एवं तहसील रोहट में कौन-कौनसी नई जल प्रदाय योजना कितनी-कितनी राशि की कब-कब स्वीकृत की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं को पूर्ण करने की अवधि क्या थी एवं इनमें से कितनी योजनायें पूर्ण हो गई एवं कौन-कौनसी योजनायें किन-किन कारणों से अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब अपूर्ण योजनाओं को कितनी अवधि में पूर्ण करा लिया जावेगा?

उत्तर

(1) वर्ष 2004 से वर्ष 2009 की अवधि में पाली शहर एवं रोहट तहसील में पेयजल व्यवस्था सुचारु बनाये रखने के लिए स्वीकृत योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	क्षेत्र	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (रुपये करोड़ में)
1.	पाली शहर	22	705.62
2.	रोहट तहसील	27	20.06
	योग	**49**	**725.68**

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

वर्षवार उपरोक्तानुसार स्वीकृत की गई योजनाओं के संबंध में वांछित विवरण क्रमशः संलग्न परिशिष्ट-'अ' व 'ब' पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्तानुसार पाली शहर एवं रोहट तहसील हेतु स्वीकृत 22 एवं 27 योजनाओं में से क्रमशः 19 तथा 25 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

पाली शहर की शेष रही 3 योजनाओं में से 2 योजनाओं का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है एवं जवाई नहर की सफाई से संबंधित एक योजना की वर्तमान परिपेक्ष्य में क्रियान्विति आवश्यक नहीं है। मानसून के समय नहर की सफाई कराई जाती है।

रोहट तहसील की शेष 2 योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। प्रगतिरत योजनाओं के संदर्भ में वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' व 'ब' में निहित है।

(3) उपरोक्तानुसार प्रगतिरत योजनाओं को संसाधनों की उपलब्धतानुसार शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

बूंदी जिले के वन क्षेत्र में खनन लीज आबंटन हेतु लम्बित प्रकरण

384. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में खनन पट्टा आबंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहने के प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो कितने प्रकरण कब से लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला वन अधिकारी, बूंदी के कार्यालय में खनिज विभाग द्वारा प्रेषित प्रकरण वन भूमि क्षेत्र में आते हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से प्रकरण वन क्षेत्र में आते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वाजिब एवं नियमसंगत प्रकरणों में विलम्ब के कारण रोजगार के अभाव के साथ-साथ राजस्व प्राप्ति की भी हानि हुई है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बूंदी जिले में खनन पट्टा आवंटन हेतु वन विभाग से अनापत्ति (एन.ओ.सी.) प्रमाण पत्र चाहने के 32 प्रकरण वर्तमान में लम्बित हैं। लम्बित प्रकरणों की सूची मय लम्बित अवधि परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) खनन पट्टा आवंटन हेतु वन विभाग को जो प्रकरण अनापत्ति (एन.ओ.सी.) पत्र चाहने हेतु खान विभाग से प्राप्त होते हैं, उनका मौके पर जाकर सर्वे करने के पश्चात ही जानकारी प्राप्त होती है कि सम्बन्धित क्षेत्र, वन क्षेत्र में आता है या नहीं। वन मण्डल बूंदी में अमीन का पद खाली होने के कारण लम्बित प्रकरणों में सर्वे नहीं किया जा सका है। मुख्य वन संरक्षक, कोटा को अमीन/सर्वेयर की व्यवस्था कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(3) वन विभाग के पास लम्बित 32 प्रकरणों में से 10 प्रकरण दो माह से कम अवधि से लम्बित हैं जो नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की समयावधि में ही हैं। शेष 22 प्रकरणों में वन मण्डल बून्दी के कार्यालय में सर्वेयर/अमीन का पद रिक्त होने की वजह से इन प्रकरणों के निस्तारण हेतु सर्वे कार्य में कठिनाई आ रही है। वन भूमि की पूर्ण जांच किये बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होने की सम्भावना रहती है, अतः इन प्रकरणों के निस्तारण में हुए विलम्ब के लिए कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लम्बित प्रकरण

क्र.सं.	आवेदक	विभाग में प्राप्ति दिनांक	निकटग्राम
1	श्री कुषाल बालोन	17.11.09	महावीरपुरा
2	श्रीमती राजेश देवी	17.11.09	महावीरपुरा
3	श्री सीताराम मीणा	17.11.09	महावीरपुरा
4	श्रीमती अनिता मीणा	17.11.09	महावीरपुरा
5	श्री शिवजीराम मीणा	17.11.09	महावीरपुरा
6	श्री मनोज मीणा	17.11.09	महावीरपुरा
7	श्रीमती अनिता माकड़	19.11.09	सथूर
8	मै. अष्टभुजा स्टोन सप्लायर्स लाम्बाखोह	3.12.09	लाम्बाखोह

क्र.सं.	आवेदक	विभाग में प्राप्ति दिनांक	निकटग्राम
9	श्री श्रीराम मीणा	22.12.09	अस्तोली
10	श्री देवीशंकर मीणा	22.12.09	अस्तोली
11	श्री फतेह सिंह	23.12.09	सथूर
12	श्री रवि जैन	1.1.10	जाखमूण्ड
13	श्रीमती मुमताज बेगम	4.1.10	डाबी
14	श्रीमती अनवरी बेगम	4.1.10	डाबी
15	श्री नारायण लाल धाकड़	4.1.10	कंवरपुरा
16	श्रीमती कमला जाट	8.1.10	आरोली
17	श्रीमती अंजना	12.1.10	गुढा
18	श्री अम्बालाल गुर्जर	12.1.10	गुढा राजपुरा
19	श्री मातेश्वरी स्टोर सप्लायर्स लाम्बाखोह प्रो.	13.1.10	लाम्बाखोह
20	मै. न्यू महादेव स्टोन प्रो. शम्भूदयाल सेन	19.1.10	लाम्बाखोह
21	मै. न्या सांवरिया स्टोन लाम्बाखोह	19.1.10	लाम्बाखोह
22	श्री गिरिराज सिंह	19.1.10	पराना
23	मै. जय अरणा माता स्टोन प्रो. श्री श्योजी	1.2.10	पराना
24	मो. सरीफ	1.2.10	थडी
25	श्री हेमराज	18.2.10	गणेशपुरा
26	श्री महावीर कुमार जैन	18.2.10	लाम्बाखोह
27	श्री लक्ष्मण लाल धाकड़	18.2.10	गणेशपुरा
28	श्रीमती कान्ता देवी	5.3.10	धनेश्वर
29	मै. मातेश्वरी स्टोन बडपू महेश कुमार सिन्धी	12.3.10	बडपू
30	मै. सांवरिया स्टोन घाट का खेडा	16.3.10	लाम्बाखोह
31	श्री बसन्ती लाल	16.3.10	लाम्बाखोह
32	मैं. भूमिका स्टोन राजपुरा	17.3.10	राजपुरा

बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

385. **श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा चरण चतुर्थ हेतु किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है? यदि हां, तो क्या उन भूमि धारकों को बतौर मुआवजा अधिग्रहीत भूमि का 25 प्रतिशत विकसित भू-खण्ड आबंटित करना तय किया गया है? क्या उन समस्त भूमि धारकों को उन्हीं की अधिग्रहित भूमि का 25 प्रतिशत विकसित भू-खण्ड आबंटित कर दिया गया? यदि नहीं, तो मुआवजा आबंटन में क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

(2) क्या यह भी सही है कि मुआवजा आबंटन प्रक्रिया तय होने से पूर्व सरकार द्वारा कुछ आबंटन कर दिए गए हैं? यदि हां, तो किन-किन को व क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भूमिधारक/हितबद्ध व्यक्तियों को मुआवजा राशि के विकल्प के तौर पर अधिग्रहित भूमि का 25 प्रतिशत विकसित औद्योगिक भू-खण्ड आबंटन करने का निर्णय लिया गया है। इस अनुरूप खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति को 25 प्रतिशत विकसित औद्योगिक भूमि के आबंटन पत्र औद्योगिक क्षेत्र चतुर्थ चरण में जारी कर दिये गये है। आबंटित भूमि के भू-खण्डों को भू-खण्ड आबंटन संख्या दी जाना शेष है।

निगम द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार खातेदारों/हितबद्ध व्यक्तियों को निम्नानुसार भू-खण्ड संख्या का निर्धारण करने हेतु प्रक्रिया तय की गई है-

(1) औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा चतुर्थ चरण में अवाप्ति के समय जो इकाईयां अवाप्त की जाने वाली भूमि पर स्थित थी,उन्हें उसी जगह भू-खण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया है।

(2) ऐसे खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति जिनकी इकाईयां पूर्व में औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण विस्तार में स्थापित थीं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र चतुर्थ चरण में उन्हीं इकाइयों से सटे हुए भू-खण्ड आबंटित करने का निर्णय लिया गया है।

(3) ऐसे खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति जिनकी अवाप्तशुदा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग (खेडा रोड) से लगती हुई थी उन खातेदारों/हितबद्ध व्यक्तियों को राष्ट्रीय राजमार्ग से लगते हुए भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया है।

(उद्योग मंत्री)

(4) शेष रहे सभी खातेदारों/हितबद्ध व्यक्तियों को भू-खण्ड संख्या आबंटन करने हेतु निगम ने जिला कलक्टर, बाड़मेर को अवाप्त भूमि के खातेदारों से सलाह मशविरा कर भूमि आबंटन के प्रकरण को हल करने हेतु निर्देशित किया। जिला कलक्टर, बाडमेर की अनुशंसा के आधार पर शेष को निम्नानुसार भू-खण्ड संख्या आबंटित करने का निर्णय लिया गया है-

(क) जिन खातेदारों/हितबद्ध व्यक्तियों को आबंटित भूमि 3000 वर्गमीटर से अधिक है उन्हें उन्हीं खसरा में भू-खण्ड आबंटित किये जावें।

(ख) उपरोक्त से शेष खातेदारों/हितबद्ध व्यक्तियों जिनकी आवंटित भूमि 300 वर्गमीटर से 2000 वर्गमीटर तक है, को भू-खण्ड आबंटन लाटरी से किया जावे।

(2) मुआवजा आबंटन प्रक्रिया तय होने से पूर्व रीको द्वारा किसी को भी विकसित भूमि का आबंटन नहीं किया गया।

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक सड़क निर्माण कार्य

386. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर में वर्ष 2004 से 2008 की अवधि में कितने किलोमीटर मिसिंग सड़कों का निर्माण करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्ष 2004 से 2008 तक कुल कितने किलोमीटर मिसिंग सड़कों का निर्माण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2009 में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में मिसिंग सड़कों का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो कितने किलोमीटर कौन-कौन सी सड़कों का व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में वर्ष 2004 से 2008 की अवधि में 284.93 कि.मी. मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाया गया। विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्ष 2004 से 2008 तक कुल 25.84

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

कि.मी. मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया गया। विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। वर्ष 2007-08 तक स्वीकृत सभी मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण वर्ष 2008 तक पूर्ण किया गया। अब कोई स्वीकृत कार्य कराया जाना शेष नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अग्निकाण्ड पीड़ितों को सहायता

387. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अग्निकाण्ड सहायता के लिए मानदण्ड/नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्डों/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गत तीन वर्षों में कितने अग्निकाण्ड कहां-कहां हुए और उनमें कितनी सहायता किस-किस व्यक्ति को दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के अग्निकाण्ड में सहायता के प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो किस-किस अग्निकाण्ड में सहायता देने के प्रकरण लम्बित हैं और अब कब तक पीडितों को सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अग्निकाण्ड में स्वीकृत राशि वास्तविक नुकसान की अपेक्षा काफी कम होती है? क्या सरकार अग्निकाण्ड में देय सहायता राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 8-2-2010 को ग्राम जगतसर उर्फ रिक्शा गांव में आग लगने से एक परिवार का पूरा घर आग में जल गया? क्या सरकार उक्त पीडित परिवार को आग से हुए भारी नुकसान के लिए आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी राशि तथा कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गत तीन वर्षों में 321 अग्निकाण्ड हुए जिनमें से 254 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत कर दी गयी। सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। 67 प्रकरण नियमानुसार सहायता स्वीकृत योग्य नहीं पाये जाने से खारिज कर दिये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्वीकृति के लिए कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(4) सरकार द्वारा अग्नि पीड़ितों को आपदा राहत कोष के मानदण्ड के अनुसार तात्कालिक सहायता दी जाती है, जिसे बढ़ाया जाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

(5) जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा उक्त व्यक्ति को दिनांक 12.3.2010 को नियमानुसार 12000 रु. की राशि स्वीकृत कर दी गयी है।

(प्रति व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

388. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कें राणोली से भीयों की ढाणी, सुल्यावास से मूण्डीयावास, दांता से दूदवा, बाय से बुच्चासी, बाय से लिखमा का बास, राणोली से मुक्सुपुरा मोड़ तक क्षतिग्रस्त हैं? क्या सरकार इन सड़कों का जीर्णोद्धार/मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त सड़कें कब-कब निर्मित की गईं व इनकी मरम्मत कब-कब की गई तथा सरकार द्वारा अब इनका पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में इस प्रश्न में वर्णित सड़कों में से (i) शिशु से भीयों की ढाणी (ii) सुल्यावास से मूण्डीयावास (iii) दांता से मोतीपुरा ठेठ से दूदवा (iv) बाय से लिखमा वास एवं (v) राणोली से मुक्सुपुरा मोड तक सड़कें कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित हैं। ये सड़कें मरम्मत योग्य हैं,

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

इन सड़कों का जीर्णोद्धार/मरम्मत का विचार मण्डी समिति के प्रस्ताव प्राप्ति होने पर वित्तीय संसाधन उपलब्धता पर निर्भर करेगा। सभी सड़कों का विवरण परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(2) उक्त सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है कुल सड़कों का निर्माण मण्डी समिति के प्रस्ताव प्राप्ति होने पर वित्तीय संसाधन उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-अ

निर्मित सड़कों की सूचना

क्र. सं.	सड़क का नाम	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भाग का नाम	कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित भाग का नाम	कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों की वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1.	रानोली से मीयों की ढाणी	रानोली से शिशु	शिशु से मीयों की ढाणी	सड़क पर आवागमन बाधित नहीं है लेकिन सड़क के पुनः डामरीकरण की आवश्यकता है।	रानोली से शिशु सड़क पर पेच/पोट हाल आदि है।
2.	सुल्यावास से मूण्डियावास	-	सुल्यावास से मूण्डियावास	सड़क पर आवागमन बाधित नहीं है लेकिन सड़क के पुनः डामरीकरण की आवश्यकता है।	
3.	दांता से दूदवा	-	1. दूदवा से ठेठ 2. मोतिपुरा से दांता	सड़क पर आवागमन बाधित नहीं है लेकिन सड़क के पुनः डामरीकरण की आवश्यकता है। सड़क पर अवागमन बाधित नहीं है तथा सड़क पर माइनर पेच है।	सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्पर्क करने पर अवगत कराया गया कि दांता से दूदवा सडक के भाग ठेठ से मोतिपुरा लगभग तीन कि.मी. लम्बाई की सडक का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा करवाया गया था तथा वर्तमान में सडक पर पेच/पोट हाल आदि है।
4.	बाय से बुच्चासी	बाय से बुच्चासी	-	-	सडक पर पेच/पोट हाल आदि है।

क्र. सं.	सड़क का नाम	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भाग का नाम	कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित भाग का नाम	कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों की वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
5.	बाय से लिखमा का बास	-	बाय से लिखमा का बास	सड़क पर अवागमन बाधित नहीं है तथा सड़क पर माइनर पेच है।	
6.	रानोली से मुक्सुपरा मोड तक		रानोली से मुक्मपुरा मोड़ तक	सड़क पर आवागमन बाधित नहीं है लेकिन सड़क के पुनः डामरीकरण की आवश्यकता है।	वर्ष 1986-87 में स.स. रानोली से खण्डेलसर किमी. 0/0 से 5/0 का निर्माण करवाया गया था जिसमें 3/400 चैनेज पर मुक्सुपुरा मोड स्थित है।

परिशिष्ट-ब

निर्मित सड़कों तथा मरम्मत की सूचना

क्र. सं.	सड़क का नाम	निर्मित लम्बाई	निर्मित वर्ष	मरम्मत का वर्ष एवं प्रकार	विशेष विवरण
1.	शिशु से मीयां की ढाणी	2.65 कि.मी.	2000-01	वर्ष 2003-04, 2005-06 एवं 2008-09 में वार्षिक मरम्मत कार्यों के अन्तर्गत पेच कार्य	

क्र. सं.	सड़क का नाम	निर्मित लम्बाई	निर्मित वर्ष	मरम्मत का वर्ष एवं प्रकार	विशेष विवरण
2.	सुल्यावास से मूण्डियावास	2.66 कि.मी.	2000-01	वर्ष 2003-04 एवं 2005-06 में वार्षिक मरम्मत कार्यों के अन्तर्गत पेच कार्य	
3.	ठेठ से दूदवा	3.10 कि.मी.	2000-01	वर्ष 2003-04 एवं 2005-06 में वार्षिक मरम्मत कार्यों के अन्तर्गत पेच कार्य	
4.	दांता से मोतिपुरा	4.35 कि.मी.	2005-06	-	
5.	बाय से लिखमा का बास	2.00 कि.मी.	1991-92	वर्ष 2003-04 में पुनः डामरीकरण तथा वर्ष 2005-06 में वार्षिक मरम्मत कार्यों के अन्तर्गत पेच कार्य	
6.	रानोली से मुक्सुपुरा मोड़ तक	3.40 कि.मी.	1986-87	वर्ष 2003-04 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आर.यू.पी. प्रथम योजना के अन्तर्गत पुनः डामरीकरण करवाया गया तथा वर्ष 2008-09 में वार्षिक मरम्मत कार्यों के अन्तर्गत पेच कार्य	वर्ष 1986-87 में स.स. रानोली से खण्डेलसर कि.मी. 0/0 से 5/0 का निर्माण करवाया गया था जिसमें 3/400 चैनेज पर मुक्सुपुरा मोड़ स्थित है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सम्पत्ति के ब्यौरे की घोषणा

622. श्री राजेन्द्र सिंह (बेगूं) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रिमण्डल के समस्त सदस्य अपनी-अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देंगे? यदि हां, तो क्या सरकार इसी प्रकार से भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, राज्य सेवा के प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों की नामी बेनामी सम्पत्ति की भी घोषणा करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा के अधिकारियों को अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देने का प्रश्न है, इस संबंध में अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16(3) एवं 16(4) के अन्तर्गत सदस्यों को सम्पत्ति की घोषणा करने का प्रावधान पहले से ही मौजूद है तथा सामान्यतया वे समय-समय पर ऐसा विवरण राज्य सरकार को देते रहते हैं। इसी तरह राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी आचरण नियमों के अन्तर्गत सम्पत्ति क्रय-विक्रय की सूचना समय-समय पर राज्य सरकार को दी जाती है।

वर्ष 2010-11 की वार्षिक योजना राशि का क्षेत्रवार प्रावधान

623. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2010-11 की वार्षिक योजना राशि कितनी अनुमानित है? उक्त राशि गत वर्ष (2009-10) की तुलना में कितनी ज्यादा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2010-11 की वार्षिक योजना राशि में किस-किस क्षेत्र के लिए कितना-कितना प्रावधान रखा गया है तथा यह गत वर्ष की तुलना में कितनी ज्यादा या कम है? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा में प्रस्तुत बजट 2010-11 के अनुसार राज्य की वर्ष

(आयोजना मंत्री)

2010-11 की वार्षिक योजना 23822.12 करोड़ रुपये की अनुमानित है। यह वर्ष 2009-10 की तुलना में 27.84 प्रतिशत अधिक है।

(2) वार्षिक योजना 2010-11 के मदवार प्रावधान की सूचना तथा वर्ष 2009-10 की तुलना में वृद्धि या कमी का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है।

परिशिष्ट-1

(राशि करोड़ रुपयों में)

विकास का शीर्षमद	आय-व्ययक अनुमान 2009-10	आय-व्ययक अनुमान 2010-11	वर्ष 2009-10 की तुलना में वृद्धि वृद्धि (+) कमी (-)
1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	889.42	1348.15	(+) 458.73
2. ग्रामीण विकास	1740.24	1332.15	(-) 408.09
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	95.47	101.91	(+) 6.44
4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1019.11	853.07	(-) 166.04
5. ऊर्जा	7654.87	12434.00	(+) 4779.13
6. उद्योग एवं खनिज	148.03	149.43	(+) 1.40
7. यातायात	900.59	896.76	(-) 3.83
8. वैज्ञानिक सेवाएं	6.20	5.76	(-) 0.44
9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	6002.81	6487.14	(+) 484.33
10. आर्थिक सेवाएं	104.66	143.11	(+) 38.45
11. सामान्य सेवाएं	73.39	70.64	(-) 2.75
योग	**18634.79**	**23822.12**	**(+) 5187.33**

भीम एवं देवगढ़ तहसील में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

624. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार तहसील भीम एवं देवगढ़ को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। रीको द्वारा औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए ग्राम बग्गड., तहसील भीम, जिला राजसमंद में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 1332 बीघा 9 बिस्वा 10 बिस्वान्सी राजकीय/चरागाह भूमि का चयन किया गया है। इसमें से जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा बिला नाम 660 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वान्सी भूमि आदेश दिनांक 23/2/2010 से औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दी गई है।

शेष 671 बीघा 13 बिस्वा चरागाह भूमि के आरक्षण हेतु जिला कलक्टर, राजसमंद को लिखा गया है। उक्त भूमि का विधिवत औद्योगिक प्रयोजनार्थ आबंटन एवं भूमि का कब्जा निगम को प्राप्त होने के उपरान्त ही इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा। तहसील देवगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कपासन विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित खाद उद्योग

625. **श्री शंकर लाल बैरवा** (कपासन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में आर.आर.सी.एफ.एल. मुम्बई तथा आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर द्वारा डी.ए.पी. खाद उद्यम का प्रस्ताव बनाया गया? यदि हां, तो कब तथा उस पर क्रियान्विति नहीं किये जाने के क्या कारण रहे?

उत्तर

आर.एस.एम.एम. लि. द्वारा आर.एस.एम.एम. लि. एवं राष्ट्रीय केमिक्लस फर्टिलाईजर, मुबई के मध्य जोइंट सेक्टर में डी.ए.पी. का 850 टन प्रतिदिन क्षमता का प्लांट कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ में आर्थिक रूप से सुसंगत होने की सम्भावना का पता लगाये जाने का निर्णय लिया गया।

इस संयुक्त क्षेत्र में कम्पनी का नाम राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर रखा जाकर जयपुर में कम्पनी एक्ट 1956 के तहत 28.7.2007 को रजिस्टर्ड करवाया गया। जिसमें आरसीएफ एवं आरएसएमएम की हिस्सेदारी क्रमशः 51 और 49 प्रतिशत है।

प्रोजेक्ट एवं डेवलपमेंट इण्डिया लि. (पी.डी.आई.एल.) नोयडा को सलाहकार एवं बैंक के लिए डेफिनेटिव फिजीबीलिटी रिपोर्ट (डी.एफ.आर.) बनाने के लिए नियुक्त किया गया जिससे कि प्रोजेक्ट पर पूंजी निवेश का

(उद्योग मंत्री)

निर्णय लिया जा सके। डी.एफ.आर. जून, 2008 में प्रस्तुत की गई जिसे निदेशक मण्डल में मार्च 2009 को प्रस्तुत किया। निदेशक मण्डल का निर्णय निम्नानुसार है :-

इस सम्बन्ध में बोर्ड की बैठक में विस्तृत चर्चा की गई और यह पाया गया कि वास्तव में यह प्रोजेक्ट अच्छा है लेकिन वर्तमान स्थिति में डीएपी की बदलती हुई कीमतों से आईआरआर (इन्ट्रनल रेट आफ रिटर्न) की अति संवेदनशीलता पायी गई। यह निर्णय लिया कि इस प्रोजेक्ट पर पूंजी निवेश के निर्णय को आस्थगित किया जाता है।

आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में संचालित वस्त्र उद्योग

626. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसीन्द) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में कपड़े के कितने शुटिंग व शर्टिंग के कौन से उद्योग हैं तथा इनमें कितना-कितना उत्पादन होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में कपड़े के सूटिंग बनाने वाली एक इकाई मैसर्स शाह फैब्रिक्स प्रा.लि. खारी का लाम्बा पंचायत समिति हुरड़ा में स्थापित होकर कार्यशील है। इकाई द्वारा वर्ष 2008-09 मे कुल 2430 लाख मीटर सूटिंग्स का उत्पादन किया गया है।

करौली जिले में औद्योगिक विकास हेतु कार्य योजना

627. **श्रीमती रोहिणी कुमारी** (करौली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला करौली में वर्तमान में कौन-कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कहां कहां विकसित है एवं उनमें किस-किस प्रकार के उद्योग संचालित हैं? पंचायत समिति क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जिला करौली में औद्योगिक विकास हेतु गत पांच वर्षों में क्या-क्या प्रयास किये गये एवं कितनी राशि का किस-किस उद्योग में विनियोजन हुआ एवं क्षेत्र के कितने लोगों को रोजगार मिला? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती रोहिणी कुमारी)

(3) क्या सरकार जिला करौली में औद्योगिक विकास हेतु विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा जिला करौली में 3 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं। पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार है-

पंचायत समिति का नाम	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	स्थापित उद्योगों का विवरण
करौली	करौली	इस औद्योगिक क्षेत्र में करौली स्टोन आधारित, गत्ता, बर्फ, साबुन, आटा, बूरा, तेल मिल, कूलर बोडी एवं लोहे के बक्से इत्यादि की 9 इकाइयां स्थापित हैं।
हिण्डोनसिटी	1. हिण्डोनसिटी 2. आई.आई.डी. सेन्टर हिण्डोनसिटी	इन औद्योगिक क्षेत्रों में मुख्य रूप से करौली, स्टोन आधारित, गत्ते की स्लेट, पी.वी.सी. पाइप एवं कुछ इकाईयां इंजिनियरिंग उद्योग, दाल मिल, तेल मिल, लोहे के बक्से एवं आलमारी इत्यादि के 179 उद्योग स्थापित हैं।

(2) सरकार द्वारा संचालित योजनाओं बाबत शिविरों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर करौली जिले में उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रेरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जिले में गत पांच वर्षो में 750 इकाइयां स्थापित हुई, जिनमें 778.58 लाख रुपये का विनियोजन एवं 2673 व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

रीको द्वारा करौली जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में विगत पांच वर्षो में विकास कार्यों पर रुपये 150.87 लाख एवं रख-रखाव के मद में रुपये 25.69 लाख रुपये का व्यय किया गया है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में इस दौरान विभिन्न उद्योगों की स्थापना हेतु 103 भू-खण्डों का आबंटन किया गया है।

(उद्योग मंत्री)

(3) जिला करौली की हिण्डोन तहसील में इनलैण्ड कन्टनेर डिपो की स्थापना हेतु रीको द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र की प्रस्तावित पेयजल योजना

628. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए गर्मी में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या-क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं तथा इनकी लागत क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रस्तावित योजनाएं गर्मी से पूर्व स्वीकृत हो जायेंगी तथा लोगों को पेयजल मिलना प्रारम्भ हो जायेगा?

उत्तर

(1) ग्रीष्म कंटिजेंसी, मार्च 2009 एवं आपात योजना-प्रथम एवं द्वितीय चरण की स्वीकृत योजनाओं में विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार राशि रुपये 177.30 लाख के नये नलकूप, हैण्ड पम्प एवं सिंगल फेज निर्माण के कार्य निम्नानुसार स्वीकृत किये गये-

क्षेत्र	**स्वीकृत कार्य**			**स्वीकृत राशि**
	नलकूप	**सिंगल फेज**	**हैण्ड पम्प**	**(रु. लाख में)**
कोटपूतली शहर	5	5	30	69.50
कोटपूतली ग्रामीण क्षेत्र	8	7	43	107.80
योग	**13**	**12**	**73**	**177.30**

योजनावार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलबध है।

(2) जी हां। उपरोक्त समस्त योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। अब तक 11 नलकूप एवं 20 हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य माह अप्रेल, 2010 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है ताकि आगामी ग्रीष्म में उक्त क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुचारू रहे।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी ग्रीष्म में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु स्वीकृत पेयजल योजनाओं की प्रगति का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)	स्वीकृत कार्य			पूर्ण किये गये कार्य			विशेष विवरण
			नलकूप	हैण्ड पम्प	सिंगल फेस	नलकूप	हैण्ड पम्प	सिंगल फेस	
1.	ग्रीष्म कंटिजेंसी मार्च, 2009	16.00	2	-	-	2	-	-	कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
2.	आपात योजना-प्रथम चरण (8/2009 से 12/2009 तक)	92.30	7	48	5	7	20	-	शेष 28 हैण्डपम्प एवं 5 सिंगल फेज का कार्य अप्रेल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
3.	आपात योजना-द्वितीय चरण (20 फरवरी, 2010 को स्वीकृत)	69.00	4	25	7	2	-	-	शेष 2 नलकूप, 7 सिंगल फेज एवं 25 हैण्डपम्पों का कार्य अप्रेल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
	योग	**177.30**	**13**	**73**	**12**	**11**	**20**	**-**	

हनुमानगढ़ जिले में संचालित पेयजल योजनाओं के नाकारा फिल्टर

629. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला हनुमानगढ़ में नहरी जल स्त्रोतों पर आधारित कितनी पेयजल योजनाएं कहां-कहां संचालित हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सभी पेयजल योजनाओं में प्रयोग में लिए जाने वाले फिल्टरों में से अधिकांश फिल्टर खराब हैं? यदि हां, तो ऐसे नाकारा फिल्टरों की कुल संख्या क्या है तथा शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए सरकार की क्या योजना है?

(3) जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ तथा अधिशासी अभियंता द्वारा कब-कब कितने प्रस्ताव भेजे गये तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ में मुख्यतः इंदिरा गांधी नहर एवं भाखड़ा नहर प्रणाली पर आधारित कुल 276 संचालित पेयजल योजनाओं से 6 शहर एवं 1050 ग्राम वर्तमान में लाभान्वित हैं। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। उक्त योजनाओं पर सामान्य रूप से नहरों से पानी स्टोरेज टैंक (डिग्गी) में लिया जाकर फिल्टर द्वारा शोधित कर वितरित किया जाता है। कोई फिल्टर वर्तमान में नाकारा नहीं है।

(3) दिनांक 26.5.2009 को प्रभारी सचिव, जिला हनुमानगढ़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त श्रीगंगानगर द्वारा उक्त जिले के फिल्टरों के जीर्णोद्धार हेतु बनाये गये प्रस्ताव, जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 9 जून, 2009 को राज्य सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

ऐसे फिल्टर्स के परीक्षण करवाकर नाकारा घोषित करवाने एवं प्रकरण में संसाधनों की उपलब्धतानुसार आगे फिल्टर मीडिया बढ़ाने की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चौहटन विधान सभा क्षेत्र में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय का स्थानान्तरण

630. **श्री पदमाराम** (चौहटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौहटन में वर्तमान में कितने हैंड पम्प बन्द/चालू हैं? क्या सरकार बंद हैंड पम्पों को चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत अधिशासी अभियंता जनस्वास्थ्य खण्ड दक्षिण के नाम से कार्यालय वर्तमान में बाड़मेर में संचालित है? क्या सरकार उक्त कार्यालय को विधान सभा क्षेत्र चौहटन मुख्यालय पर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौहटन में वर्तमान में स्थापित कुल 385 हैंड पम्पों में से 268 हैण्डपम्प क्रियाशील, 68 हैंड पम्प मरम्मत योग्य खराब, 42 हैण्डपम्प परित्यक्त (नाकारा) एवं 7 हैंड पम्प मौसमी (सीजनल) हैं।

मरम्मत योग्य खराब 68 हैंडपम्पों को सतत प्रक्रिया के तहत सुधारने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा यह कार्य माह अप्रेल के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला खण्ड (दक्षिण), चौहटन का अस्थाई मुख्यालय विभागीय आदेश दिनांक 1.5.1987 के तहत वर्तमान में बाड़मेर में संचालित है।

वर्तमान परिस्थितियों में पेयजल योजनाओं के सुचारू संधारण एवं क्रियान्वयन हेतु संचार एवं आवागमन के सुगम साधनों को दृष्टिगत रखते हुए चौहटन मुख्यालय पर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के जलदाय कार्यालयों द्वारा मोटर पम्पों की मरम्मत

631. **श्री राजकुमार रिणवां** (रतनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला चूरू में सरकार के पास स्टेण्डबाई

(श्री राजकुमार रिणवां)

मोटर पम्प उपलब्ध नहीं है? क्या सरकार उक्त जिले में समुचित मात्रा में मोटर पम्प उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त जिले में 01 जनवरी, 2004 में कितने मोटर पम्प चालू हालात में व कितने नाकारा थे? उपखण्डवार ग्रामीण एवं शहरी योजनाओं की अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा विभाग को नये मोटर पम्प सैट उपलब्ध कराये जाते हैं? यदि हां, तो वर्ष 2004 से 2009 तक रतनगढ़ जलदाय को कितने नये मोटर पम्प प्राप्त हुये/खरीद किये गये? उक्त प्राप्त मोटर पम्प किस-किस योजनाओं पर कितनी संख्या में आबंटित किये गये? उपखण्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में जलदाय विभाग, रतनगढ़ के पास कुल कितने मोटर पम्प चालू हालत में व कितने मोटर पम्प नाकारा तथा कितने मोटर पम्प मरम्मत योग्य हैं? उपखण्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि गारंटी पिरियड में मोटर पम्पों को वापस कम्पनी/फर्म को भेजा जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2004 से 2009 तक रतनगढ़ से कितने मोटर पम्प भेजे गये तथा कितने मोटर पम्प वापस प्राप्त हुये? उक्त में कौनसी फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि नाकारा मोटर पम्पों को विभाग द्वारा नीलाम/विक्रय किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2004 से 2009 तक चूरू जिले में कितने मोटर पम्पों की नीलामी की गई तथा उससे कितनी राशि प्राप्त हुई? खण्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि मोटर पम्पों की घटिया मरम्मत करने से वे बार-बार जलते हैं? यदि हां, तो जलदाय कार्यालय रतनगढ़ द्वारा वर्ष 2004 से 2009 तक कुल कितने मोटर पम्पों की मरम्मत करवाई गई तथा मरम्मत पेटे कुल कितना भुगतान किया गया? क्या घटिया मरम्मत करने वाली फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो कौन-कौन सी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह भी सही है कि लोरिंग व अनलोरिंग का कार्य ठेके पर

(श्री राजकुमार रिणवां)

करवाया जाता है? यदि हां, तो लोरिंग व अनलोरिंग का किस दर से भुगतान किया जाता है? वर्ष 2004 से 2009 तक जलदाय कार्यालय, रतनगढ़ द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं में लोरिंग/अनलोरिंग के लिये उपखण्डवार कितना भुगतान किया गया? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जिला चूरू में वर्णित दिनांक को 1798 पम्प सैट चालू अवस्था में एवं 410 पम्प सैट नाकारा थे। उपखण्डवार वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। वर्ष 2004 से 2009 की अवधि में विभाग के खण्ड कार्यालय, रतनगढ़ में 647 नये पम्प सैट प्राप्त हुए। खण्ड, रतनगढ़ के अधीन विभिन्न जल योजनाओं पर आबंटित किये गये पम्प सैटों का उपखण्डवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(4) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड रतनगढ़ के अधीन वर्तमान में 519 पम्प सैट चालू अवस्था में, 86 पम्प सैट नाकारा एवं 51 पम्प सैट मरम्मत योग्य हैं। उपखण्डवार वांछित सूची संलग्न परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(5) जी हां। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार वर्णित अवधि में 162 नये पम्प सैट गारंटी अवधि में खराब होने के कारण विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को भेजे गये तथा ये सभी पम्प सैट विभाग को पुनः प्राप्त हो चुके हैं अतः संबंधित फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध है।

(6) जी हां। वर्णित अवधि में चूरू जिले में विभिन्न प्रकार के 1645 पम्प सैटों की नीलामी की जाकर राशि रुपये 31.40 लाख का राजस्व विभाग को प्राप्त हुआ। खण्डवार वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'य' पर उपलब्ध है।

(7) जी नहीं।

(8) जी हां। खण्ड रतनगढ़ के अधीन शहरी एवं ग्रामीण जल योजनाओं अन्तर्गत विभिन्न पेयजल स्त्रोतों पर पम्प सैटों की लोरिंग-अनलोरिंग के का कार्य ठेके पर कराया जा रहा है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'र' पर उपलब्ध है।

(विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सिवाना विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल हेतु प्रस्तावित योजनाएं

632. श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार विधान सभा क्षेत्र सिवाना के गांवों के लिए प्रस्तावित उम्मेद सागर-धवा व पोकरण फलसूण्ड पेयजल योजना से प्रस्तावित गांवों को पेयजल सुविधा कब तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त पेयजल योजना के अभाव में वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत टैंकरों से आपूर्ति की जा रही है? क्या सरकार जनसंख्या एवं पशुधन को ध्यान में रखते हुए प्रति व्यक्ति पानी की निर्धारित सीमा में बढ़ोत्तरी का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) योजनावार विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) उम्मेद सागर-धवा-समदड़ी-खण्डप जल योजना- स्वीकृत योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु स्वीकत 11 पैकेजों में से दो पैकेजों की राशि रुपये 226.00 करोड़ के कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं एवं तख्त सागर से समदड़ी तक मुख्य पाइप लाइन एवं 5 मुख्य जलाशयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस योजना में विधान सभा क्षेत्र सिवाना के 56 ग्राम सम्मिलित हैं।

(ब) पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिणधरी जल योजना- स्वीकृत परियोजना के प्रथम चरण में आधारभूत संरचना कार्य विकसित करने हेतु राशि रुपये 318.00 करोड़ का कार्यादेश दिया जाकर कार्य प्रगति पर है। परियोजना क्षेत्र में विधान सभा क्षेत्र सिवाना के 101 ग्राम सम्मिलित हैं।

उक्त दोनों योजनाओं के आधारभूत संरचनात्मक कार्यों को पूर्ण करने के उपरांत, ग्रामों की जल योजनाओं के कार्य संसाधनों की उपलब्धतानुसार पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कुल सम्मिलित 167 ग्रामों में से पेयजल की कमी वाले 74 ग्राम/ढाणियों (39 मुख्य ग्राम एवं 35 ढाणियां) में वर्तमान में मांग एवं आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन किया जा रहा है। और आवश्यकता होने पर आकलन किया जाकर पेयजल परिवहन में तदनुसार बढ़ोत्तरी की जायेगी।

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के कस्बा इटावा की पेयजल व्यवस्था

633. **श्री प्रेमचन्द** (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बा इटावा में पेयजल व्यवस्था खराब है? क्या सरकार इटावा में पेयजल की व्यवस्था को दुरूस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित ग्राम इटावा में पेयजल व्यवस्था वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है।

आगामी ग्रीष्म में विद्यमान पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु ग्राम में आवश्यकतानुसार एक नलकूप एवं एक हैण्ड पम्प निर्माण की स्वीकृति आपात योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत हाल ही में जारी की गई है। ये स्वीकृत कार्य माह अप्रेल, 2010 तक पूर्ण करने प्रस्तावित हैं।

पंच विहार कालोनी, हरमाड़ा (जयपुर) में अवैध बूस्टर

634. **श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जोडला पावर हाउस के पीछे दयानन्द सरस्वती स्कूल किशन वाटिका पंचविहार कालोनी हरमाडा, जयपुर में पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में सरकार द्वारा डाली गई पाइप लाइनों से वहां के वांशिदों द्वारा अवैध कनेक्शन बूस्टर लगाकर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में पानी के मीटरों की जांच की गई अथवा उक्त क्षेत्र में पानी के मीटर लगे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वैध एवं अवैध कनेक्शनों की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? वैध एवं अवैध कनेक्शनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामीण जल योजना, हरमाड़ा से जोड़ला पावर हाउस के पीछे दयानन्द सरस्वती स्कूल, किशन वाटिका व पंच विहार कालोनी में विभाग द्वारा लक्ष्मी कालोनी में निर्मित एक नलकूप द्वारा वर्तमान में सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(2) जी हां। उक्त योजन पर अवैध पाये गये 27 जल सम्बन्धों को विभाग द्वारा विच्छेद किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) विभागीय नीति के अनुरूप जल सम्बन्ध वाली ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर बिना मीटर (फ्लैट रेट) के जल सम्बन्ध जारी किये जाने का प्रावधान है।

(4) उपरोक्तानुसार। ग्रामीण जल योजना हरमाड़ा के अन्तर्गत विभाग द्वारा नियमानुसार जारी जल सम्बन्धों एवं अवैध जल सम्बन्धों की सूची क्रमशः संलग्न परिशिष्ट-'अ' व 'ब' पर उपलब्ध है।

सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।

नाहरगढ़ जैविक पार्क जयपुर के विकास हेतु कार्य योजना

635. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर के समीप नाहरगढ़ जैविक पार्क विकसित किया जा रहा है? यदि हां, तो इस पार्क को विकसित करने के लिए क्या-क्या कार्य करवाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रामनिवास बाग स्थित जू को नाहरगढ़ जैविक पार्क में शिफ्ट किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार की कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में स्थित सभी जन्तुआलयों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाता है? यदि हां, तो राज्य के सभी जन्तुआलयों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा जयपुर के समीप नाहरगढ़ जैविक उद्यान विकसित किया जा रहा है। इस पार्क को विकसित करने के लिए केन्द्रीय

(वन राज्य मंत्री)

चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर ले-आउट प्लान एवं कन्सेप्ट प्लान के अनुसार करवाये जा रहे तथा करवाये जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। रामनिवास बाग स्थित 'ज़ू' अपने स्थान पर रहेगा। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पत्र संख्या F. No. 19-69-92-CZA(232) (VOL III) (M) दिनांक 17.02.2009 द्वारा स्वीकृत कन्सेप्ट प्लान अनुसार बड़े वन्य जीवों को यहां से स्थानानतरित कर नाहरगढ़ जैविक उद्यान में विकसित किये जा रहे सेटेलाइट नाहरगढ़ जूलोजिकल पार्क में रखा जावेगा तथा रामनिवास बाग स्थित जू में छोटे स्तनधारी, बर्डस और रेप्टाइल्स यथावत रखे जावेंगे।

(3) जी हां। राज्य में स्थित सभी जन्तुआलयों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार संचालित किया जाता है। केन्द्र सरकार ने इस कार्य के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण बनाया हुआ है जो जन्तुआलयों का निरीक्षण कर, निर्धारित मानकों के अनुसार सही पाये जाने पर मान्यता प्रदान करता है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्रांक F. No. 19-69-92 -CZA (232) (VOL III) (M) दिनांक 19.05.2009 द्वारा जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर जन्तुआलय को 31 मार्च, 3010 तक मान्यता प्रदान की हुई है। जन्तुआलय बीकानेर को 'ज़ू' की हैसियत से मान्यता सी. जेड.ए. के पत्रांक F. No. 19-69-92-CZA (225) (VOL II) (N) दिनांक 18.07.2006 द्वारा निरस्त की जा चुकी है। न्यायालय ए.सी.जे.एम. 3, बीकानेर में इस सम्बन्ध में एक प्रकरण विचाराधीन है जिसमें वन्य जीवों को जन्तुआलय, बीकानेर से अन्यत्र स्थानान्तरण पर स्टे है। प्रकरण की आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.04.2010 है।

परिशिष्ट-क

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर ले-आउट प्लान एवं कन्सेप्ट प्लान के अनुसार करवाये जा रहे तथा आगे करवाये जाने वाले कार्यों का विवरण

(i) प्रथम चरण में नाहरगढ़ जैविक उद्यान के जूलोजीकल पार्क की बाहरी फेसिंग कार्य जिसमें 80 हैक्टर क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है।

(ii) 10 हैक्टर क्षेत्र में अन्गुलेट एनक्लोजर निर्मित हो चुका है जिसमें प्रायोगिक तौर पर 8 सांभर रखे गये है। शीघ्र ही चीतल हिरण भी इसमें रखे जावेंगे।

(iii) नाहरगढ़ जूलोजिकल पार्क हेतु पानी व बिजली की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है।

(iv) टाइगर, लायन, पेन्थर के एन्कलोजर का डिजाइन तैयार करवा लिया गया है और इसे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमोदन करवाया जा रहा है तत्पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

(v) अन्य वन्य जीवों के एन्क्लोजर इसके उपरान्त चरणबद्ध रूप से निर्माण किये जावेंगे।

(vi) पर्यटकों हेतु सुविधाएं एवम् इको-टयूरिज्म हेतु ट्रेकिंग सुविधा, चिल्ड्रन पार्क का विकास किया जा रहा है।

(vii) टाईगर एवं लायन हेतु पुनर्वास केन्द्र निर्मित हो चुका है। पुनर्वास केन्द्र की क्षमता 30 लायन व 20 टाईगर रखने की है। वर्तमान में इसमें 28 लायन, 15 टाईगर व 1 टाईगान रह रहे हैं।

संजय वन पार्क विराट नगर का रख-रखाव

636. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर संजय वन नाम का पार्क है? यदि हां, तो इस पार्क की दशा सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पार्क हेतु वर्ष 2009 में सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की गई? यदि हां, तो कब कितनी तथा उक्त राशि से इस पार्क में अब तक क्या-क्या कार्य करवाये गये? स्वीकृति की राशि तथा व्यय राशि का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 4 लेन से 6 लेन होने के कारण संजय वन प्रभावित हुआ है। संजय वन के प्रभावित क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 21.83 लाख रुपये जमा करवा दिये हैं। इस राशि से प्रभावित दीवार को पुनः बनाने, इन्सपेक्शन हट बनाने एवं लान आदि के विकास कार्य प्रारम्भ करवाये जा रहे हैं। संजय वन

(वन राज्य मंत्री)

के विकास हेतु पूर्व में प्रस्तुत योजना का ईको-ट्यूरिज्म के परिप्रेक्ष्य में संशोधन कर संशोधित योजना तैयार की जा रही है।

(2) जी हां। वर्ष 2009-10 में संजय पार्क के लिए राशि रुपये 3.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं, उक्त राशि को निम्नांकित कार्यों पर व्यय किया गया है :-

कार्य का नाम	व्यय राशि (रुपयों में)
संजय वन में हिरणों के लिए पशु आहार	1,79,280
संजय वन में हिरणों के लिए रिजका	55,800
संजय वन में हिरणों के लिए गाजर क्रय	12,000
केफेटेरिया एवं रेस्ट हाउस संधारण	10,000
हिरण पार्क संधारण	10,000
संजय वन सौन्दर्यीकरण	5000
संजय वन में विद्युत एवं अन्य विविध व्यय	27,920
योग	**3,00,000**

झाडोल विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन

637. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (झाडोल) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाडोल की कोटड़ा तहसील में सीमेन्ट पत्थर उपलब्ध हैं? यदि हां, तो कितनी मात्रा में?

(2) क्या उक्त पत्थर बाहर निर्यात हो रहा है? यदि हां, तो इससे गत पांच वर्षों में सरकार को कितनी राशि प्राप्त हुई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पत्थर का अवैध परिवहन हो रहा है? क्या सरकार उक्त में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इस क्षेत्र में खनिज सीमेंट ग्रेड लाईमस्टोन का करीब 42 मिलियन टन Proved रिजर्व है और 160.82 मिलियन टन संभावित रिजर्व

(खनिज राज्य मंत्री)

भण्डार है। इस खनिज का उपयोग सीमेंट उत्पादित करने में किया जा सकता है।

(2) जी नहीं।

(3) समय-समय पर विभाग द्वारा चेकिंग किये जाने पर उक्त पत्थर का कहीं अवैध परिवहन होने की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

कनवाड़ा ग्राम तहसील देवली (टोंक) में भू-संरक्षण के स्वीकृत कार्य

638. **श्री रणवीर पहलवान** (मालपुरा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कनवाडा, तहसील देवली (टोंक) में स्थित 445.61 हैक्टेयर वन भूमि के विकास हेतु वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रस्तावित 30 लाख रुपये के संवर्द्धन तथा भू एवं संरक्षण के स्वीकृत कार्य करवाये जा चुके हैं? यदि हां, तो कितनी राशि के तथा शेष कार्य कब तक करवा दिये जावेंगे। आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण से स्थायी मुक्ति के लिए सुरक्षा दीवार निर्माण करवाये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो किस आदेश के तहत कब तक व नहीं, तो क्यों एवं अब इस संबंध में कब तक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी?

(3) क्या उक्त वन भूमि के अतिक्रमण बाबत विभागीय कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या-क्या तथा नहीं, तो अब कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी?

(4) क्या उक्त भूमि के संबंध में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत जन जाति के व्यक्तियों की वन अधिकार समिति का गठन किया जा चुका है? यदि हां, तो कब तथा नहीं, तो उक्त समिति के गठन के लिए क्या कार्यवाही की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम कनवाड़ा, तहसील देवली (टोंक) में 586.81 हैक्टर

(वन राज्य मंत्री)

रक्षित वनखण्ड कनवाड़ा बडौली में वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निम्न दो कार्यों हेतु जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) टोंक के आदेश क्रमांक 3095 दिनांक 17.7.2009 द्वारा 30.00 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है :-

1. कनवाड़ा-I: 50 हैक्टर, बीजारोपण एवं संधारण

2. कनवाड़ा-II: 50 हैक्टर, बीजारोपण एवं संधाराण

उक्त कार्यों पर अब तक रुपये 6.99 लाख व्यय किये जा चुके हैं। उकत दोनों कार्य वर्ष 2010 तक पूर्ण करवा लिये जायेंगे।

(2) अतिक्रमण से स्थाई मुक्ति हेतु उक्त वन भूमि में 50 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य एवं 500 रनिंग मीटर पक्की दीवार लागत रुपये 19.00 लाख, नरेगा योजना में बनाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त उक्त वनभूमि में नरेगा योजना में ही 50 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण वन सुरक्षा समिति के माध्यम से करवाने के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये गये हैं जिनकी स्वीकृति अपेक्षित है। स्वीकृति मिलने के उपरांत उक्त कार्य आरम्भ करवाये जा सकेंगे।

(3) उक्त भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा अतिक्रमण किया जाता रहा है जिनके विरुद्ध विभागीय कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की गई है। वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक अतिक्रमण के 101 मुकदमे दर्ज किये गये। इन सभी मुकदमों में बेदखली के आदेश होने पर 81714/- रुपये की शास्ति वसूल की गई। इसके अलावा अतिक्रमित क्षेत्र की फसल जप्त कर नीलाम करने से 1.51 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2009-10 में 18 अतिक्रमियों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस प्रकार विभागीय कर्मचारियों की लिप्तता नहीं पाई जाने से उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(4) जिला कलक्टर टोंक व उप खण्ड अधिकारी देवली के निर्देशानुसार ग्राम कनवाड़ा में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत दिनांक 11.03.2010 को ग्रामसभा आायोजित कर वन अधिकार समिति का गठन किया गया है।

रूपपुरा ग्राम पंचायत (नागौर) के आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन

639. श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मानसिंह)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रूपपुरा पंचायत समिति कुचामन के राजस्व ग्राम पनवाड़ी टोरड़ा एवं भैरू तालाब की अरावली पहाड़ियों मे लम्बे समय से आरक्षित वन क्षेत्र (सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद) से प्रतिदिन करीब 200 ट्रैक्टर पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि इसके विरोध में पूर्व सरपंच रूपपुरा व ग्रामवासियों द्वारा सतर्कता समिति, नागौर में अवैध खनन का प्रकरण दर्ज करवाया जिसमें समिति, नागौर एवं उप खण्ड अधिकारी, नावां ने अपनी जांच में उक्त खनन को अवैध माना है? यदि हां, तो उसको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवैध खनन को रोकने के लिए गत तीन वर्षों में अब तक कितने ट्रैक्टर, जेसीबी व अन्य सामान जब्त किया गया व कितना जुर्माना किया गया? राशि व खनन कर्ता के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त अवैध खनन रोकने की सूचना लिखित में देने के पश्चात् भी उन पहाड़ियों पर आज तक अवैध खनन अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उन कर्मचारियों अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु इन वन क्षेत्रों से आस-पास के गांवों के ग्रामीणों द्वारा कभी कभार चोरी-छिपे मकान बनाने के लिए पत्थर निकालकर ले जाये जाते रहे हैं। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती रही है। अवैध खनन संभावित क्षेत्रों में जे.सी.बी. से खाई खुदवा दी गई है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत अर्द्धन डेम बनाकर रास्तों को बंद करवा दिया गया है। पांचवा वन खण्ड की पहाड़ियों में चोरी-छिपे जहां से पत्थर निकाले जाते थे वहां पर मरू प्रसार रोक परियोजना अन्तर्गत वृक्षारोपण करवाकर क्षेत्र को पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया है। वर्तमान में अवैध खनन पूर्णतया बन्द है फिर भी कभी कभार चोरी-छिपे पत्थर ले जाने की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता।

(वन राज्य मंत्री)

(2) जिला सतर्कता समिति में भूतपूर्व विधायक नावां श्री हरीश कुमावत द्वारा दिनांक 10.5.2003 को प्रकरण उठाया गया था जो कि सतर्कता समिति में क्र.सं. 24503 पर दर्ज किया गया था। उनके द्वारा ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरडा के वन क्षेत्र में अवैध खनन कार्य निरन्तर जारी रहने की शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत के तुरन्द बाद वन विभाग, खान विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से उक्त क्षेत्र में चोरी-छिपे हो रहे अवैध खनन को पूर्णतया बन्द करवा दिया गया था। जिला सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरण का जवाब उप वन संरक्षक, नागौर के कार्यालय पत्रांक 3432 दिनांक 27.6.2003 द्वारा दिया गया था। बाद में जिला सतर्कता समिति की बैठक दिनांक 30.8.2003 में वन विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु किये गये प्रयासों से माननीय विधायक महोदय के सन्तुष्ट होने पर उक्त प्रकरण जिला सतर्कता समिति द्वारा ड्राप कर दिया गया था। उसके बाद उक्त क्षेत्र में वन विभाग के स्टाफ एवं वन संरक्षक, कार्यालय सीकर के गश्तीदल द्वारा समय-समय पर गश्त करके अवैध खनन पर पूर्णतया अंकुश लगाया गया है। उप खण्ड अधिकारी, नावां ने अतिरिक्त तहसीलदार कुचामन को अवैध खनन की रोकथाम के निर्देश दिये थे। जिस पर अतिरिक्त तहसीलदार कुचामन ने अपने पत्र क्रमांक म.अ./04/13 दिनांक 30.2.2004 द्वारा थानाधिकारी कुचामनसिटी, हल्का पटवारी रूपपुरा एवं सरपंच रूपपुरा को चारी-छिपे होने वाले अवैध खनन की संयुक्त रूप से रोकथाम हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) उक्त अवैध खनन को रोकने के लिए गत तीन वर्षों में अब तक 149 ट्रैक्टरों को वन क्षेत्रों से अवैध खनन कर परिवहन करते पाये जाने पर जब्त कर रुपये 2,50,200 बतौर एवजाना वसूल किया गया। गत तीन वर्षों में दर्ज प्रकरण निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	**वर्ष**	**दर्ज प्रकरणों की संख्या**	**वसूल की गई एवजाना राशि**
1	2007-08	40	48300
2	2008-09	46	75600
3	2009-10	63	126300
	योग		**250200**

(वन राज्य मंत्री)

अवैध खननकर्ताओं की नाम सहित सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) अवैध खनन की सूचना दूरभाष पर अथवा लिखित में मिलने पर स्टाफ द्वारा तुरन्त मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की जाती है। अवैध खनन संवेदनशील क्षेत्रों में उप वन संरक्षक, नागौर कार्यालय के गश्तीदल द्वारा निरन्तर गश्त की जा रही है। अवैध खनन में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की मिलीभगत नहीं है।

(प्रति व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में मार्ग/थ्रू-रूट का मुख्य सड़क तक निर्माण

640. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के मार्ग (थ्रू-रूट) मुख्य सड़क तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु कब तक स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

(2) सरकार द्वारा दांता कोछोर को राणोली, खाटू गोवटी को पलसाना, कुली से काकरा को सुरेरा (मन्ढा) एवं गोरिया श्यामगढ़ को खण्डेला तक की सड़क मार्ग को मुख्य सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 तक पूर्ण करने की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार दांता से दूधवा वाया बड़का चारणवास व गोवटी से खूड वाया जीणमाता और रामगढ़ से काकरा वाया भई राजनपुरा सड़क मार्गों का थ्रू-रूट में स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। थ्रू-रूट का उन्नयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कोरनेटवर्क के अनुसार करवाया जा रहा है एवं इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत कोरनेटवर्क में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति अभी तक भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

(2) दांता-कोछोर सड़क से राणोली तक, खाटू-गोवटी सड़क से पलसाना तक, कुली-कांकरा सड़क से सुरेरा (मण्ढा) तक एवं गोरियां-श्यामगढ़ सड़क से खण्डेला तक डामर सड़क निर्मित है।

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं। दांता से दूधवा वाया बड़का चारणवास व गोवटी से खूड वाया जीणमाता मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कोरनेटवर्क में थ्रू-रूट नहीं है। अत: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत इन मार्गों का उन्नयन प्रस्तावित नहीं है।

रामगढ़ से कांकरा वाया मेई, राजनपुरा मार्ग का मात्र डांसरोली से राज्य राज्यमार्ग 8 "ए" तक का भाग ही थ्रू-रूट है, जिसके कि.मी. 0/0 (डांसरोली) से कि.मी. 6/0 (मेई) तक नवीनीकरण का कार्य टी.एफ.सी. में वर्ष 2008 में पूर्ण कर दिया गया है। शेष भाग कि.मी. 6/0 से 10/725 (राज्य राजमार्ग 8-ए तक) के उन्नयन हेतु रुपये 153.46 लाख के प्रस्ताव राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ करवाया जाना सम्भव होगा।

सिरोही जिले में आमंत्रित सीमित निविदाएं

641. **श्री ओटाराम देवासी** (सिरोही) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में जिला सिरोही में स्थानीय स्तर पर कितनी सीमित निविदायें आमंत्रित की गई हैं? उक्त निविदाओं में दर्शाई सामग्री का स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि तथा वितरण किये गये स्थानों की सूची मय प्राप्ति रसीद की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2008-09 व 2009-10 में जिला सिरोही में स्थानीय स्तर पर क्रमश: 62 व 52 निविदायें आमंत्रित की गई हैं। उक्त निविदाओं में दर्शाई सामग्री स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि तथा वितरण किये गये स्थानों की सूची इत्यादि का विवरण परिशिष्ट 'अ' में प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चाकसू विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित नवीन सड़कें

642. **श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा** (चाकसू) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में वर्ष 2009 में कहां-कहां नई सड़कों का निर्माण करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

(2) वर्ष 2009 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां टूटी हुई सड़कों की मरम्मत करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कौन-कौनसी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में वर्ष 2009 में नव निर्मित सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में वर्ष 2009 में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का विवरण परिशिष्ट-2 'अ' व 2 'ब' में प्रस्तुत है।

(3) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र में 500 से अधिक आबादी वाली बसावटों (ढाणियों) को जोड़ने के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भादीपुरा की ढाणी उर्फ नारायणपुर (जनसंख्या-585) के प्रस्ताव, स्वीकृति के लिये भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं, इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों के उन्नयनीकरण/सुदृढ़ीकरण करने की योजना के अन्तर्गत 3 सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृत हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट-3 में प्रस्तुत है। निर्माण कार्य भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण

643. **श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में वर्तमान वर्ष में 4000 कि.मी. लम्बाई की ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण किए जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो फरवरी, 2010 तक कितने कि.मी. लम्बाई की कौन-कौनसी सड़क का सुदढ़ीकरण एवं नवीनीकरण किया गया और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यक्रम में विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की भी कोई सड़क आई है? यदि हां, तो कौन-कौनसी व नहीं, तो क्यों?

(श्री अर्जुन लाल)

(3) क्या यह सही है कि सम्पर्क सड़क सिंधीनगर, मालावास, सिंधीपुरा (पीपाड़सिटी से) का निर्माण हुए 12 से 15 वर्ष हो गये, लेकिन अभी तक उनका नवीनीकरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो सरकार द्वारा अब कब तक इन सड़कों का नवीनीकरण कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 में विभिन्न योजनावार फरवरी, 2010 तक ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण की गई सड़कों की लम्बाई निम्नानुसार है :-

योजना	पूर्ण की गई सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	3353.91
नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना-XIV	488.50
नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना-XV	1074.46
बारहवां वित्त आयोग	226.00
राज्य सड़क निधि योजना	17.24
योग:-	**5160.11**

जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र की 5 सड़कें आई हैं। सूची परिशिष्ट-2 में संलग्न है।

(3) जी नहीं। सिंधीनगर सम्पर्क सड़क (कापरड़ा से सिंधीनगर कि.मी. 0/0 से 4/900) 3 योजनाओं में पूर्ण की गई थी। कि.मी. 0/0 से 2/0 बी.एम.एस.पी. योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999, 2000 में कि.मी. 2/0 से 2/900 5054-स्टेट प्लान-रिनोवेशन एवं मार्डनाइजेशन योजना के तहत 2001-02 में तथा कि.मी. 2/900 से 4/900 पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के द्वितीय चरण वर्ष 2004 में पूर्ण की गई थी।

सम्पर्क सड़क मालावास का निर्माण वर्ष 1997-98 में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत करवाया गया था।

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

सम्पर्क सड़क सिंधीपुरा (पीपाड़ सिटी से) के कि.मी. 0/0 से 2/0 का निर्माण वर्ष 2000-01 5054-स्टेट प्लान-रिनोवेशन एवं मार्डनाइजेशन योजना के अन्तर्गत एवं कि.मी. 2/0 से 2/900 का निर्माण कार्य पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के द्वितीय चरण वर्ष 2003 में करवाया गया था।

इन तीनों सड़कों में से सम्पर्क सड़क मालावास के निर्माण को 12 वर्ष से अधिक हो गये हैं। इन सभी सड़कों का नवीनीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

स्टोर मुंशी एवं गैंगमैनों का कनिष्ठ लिपिक के पदों पर समायोजन

644. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1998 के पश्चात् कनिष्ठ लिपिक के समान वेतनमान पाने वाले स्टोर मुंशी व शैक्षणिक योग्यता रखने वाले गैंगमैनों इत्यादि का कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों पर समायोजन किया गया है? यदि हां, तो कितने कर्मियों का व नहीं, तो सरकार कब तक इन्हें समायोजित करने का विचार रखती है?

उत्तर

जी नहीं। वित्तीय प्रभार एवं अन्य प्रशासनिक बिन्दुओं के संदर्भ में इस नीतिगत विषय पर सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक विचार-विमर्श की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही राज्य सरकार के निर्णय से अवगत कराया जा सकेगा।

छाणी-झांझरी सड़क के डामरीकरण में अनियमितता

645. डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि छाणी-झांझरी सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य कराया गया है? यदि हां, तो कब और किस ठेकेदार द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री दयाराम परमार)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पूरी सड़क का डामरीकरण निर्धारित गारन्टी अवधि में उखड़ गया है? क्या सरकार द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। छाणी-झांझरी सड़क के उन्नयन का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दो चरणों में करवाया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	पैकेज संख्या	कार्य का नाम	कार्य समाप्ति तिथि
1.	पैकेज संख्या आर.जे.-32-बीएनयूजी-28	छाणी-झांझरी सड़क कि.मी. 0/0 से 15/0	18-02-2009
2.	पैकेज संख्या आर.जे.-32-बीएनयूजी-29	छाणी-झांझरी सड़क कि.मी. 15/0 से 26/400	25-02-2010

उपरोक्त दोनों पैकेजों का कार्य मैसर्स एस.के. खेतान "एए" श्रेणी, संवेदक, डूंगरपुर द्वारा करवाया गया है।

(2) जी नहीं। उपरोक्त सड़क के कुछ भाग में पेच पड़ गये थे व सील कोट उखड़ गया था। अनुबन्ध अनुसार संवदेक की मेन्टीनेन्स की गारण्टी अवधि में होने के कारण, संवेदक द्वारा ठीक कर दिया गया है, अत: संवेदक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

नगर विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

646. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर की कौन-कौनसी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं जिनसे आवागमन में परेशानी पैदा हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत एवं चौड़ाईकरण कराने या सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त सड़कों की चौड़ाईकरण या सुदृढ़ीकरण कराने के कौन-कौन

(श्रीमती अनीता सिंह)

से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं तथा अब कब तक सरकार उक्त सड़कों को सही कराने का विचार रखती है?

(4) उक्त सड़कों में से कौन-कौनसी सड़कों को सुदृढ़ीकरण करने की स्वीकृतियां कब-कब जारी की गई तथा कार्य कब तक पूर्ण होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में भरतपुर-डीग-अलवर सड़क (एस.एच.-14) के कि.मी. 41 (500 मीटर), किमी. 63 (60 मीटर), किमी. 69 (55 मीटर), दिदावली-पसोपा सड़क के किमी. 12 तथा गुलपाड़ा से जुरहरा सड़क (एम.डी.आर.-50) के किमी. 3, 4 व 5 में सड़क क्षतिग्रस्त है, जिससे आवागमन में कुछ असुविधा हो रही है।

(2) जी हां। सरकार उक्त सड़कों के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत/ चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने का विचार रखती है।

1. भरतपुर-डीग-अलवर सड़क के उक्त क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य माह अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
2. दिदावली-पसोपा सड़क के क्षतिग्रस्त भाग का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य माह जून, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
3. गुलपाड़ा से जुरहरा सड़क जिसके क्षतिग्रस्त भाग का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य सी.आर.एफ. योजनान्तर्गत स्वीकृत है एवं निविदायें प्रक्रियाधीन हैं। निविदा स्वीकृति के पश्चात् निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त तीनों सड़को में से दिदावली से पसोपा एवं गुलपाड़ा से जुरहरा पर चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य पूर्व में ही स्वीकृत हैं एवं कार्यों को उपरोक्तानुसार पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(4) नगर विधान सभा क्षेत्र में उक्त सड़कों के सुदृढ़ीकरण की स्वीकृतियां एवं कार्य पूर्ण करने का विवरण निम्नानुसार है :-

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

क्र. सं.	सड़क का नाम	योजना जिसमें कार्य स्वीकृत है।	वर्तमान स्थिति एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि
1.	दिदावली से पसोपा	पी.एम.जी.एस.वाई. (अपग्रेडेशन)	कार्य की स्वीकृति दिनांक 21.07.2007 को प्राप्त हुई एवं कार्य प्रगति में है, जो कि माह जून, 2010 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
2.	गुलपाड़ा से जुरहरा (एम.डी.आर.-50)	सी.आर.एफ.	कार्य की स्वीकृति दिनांक 11.11.2009 को प्राप्त हुई, जिसकी निविदायें प्रक्रियाधीन हैं। निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित अवधि में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

हाथीपुरा से बावड़ी का बास तथा नईनाथ से बस्सी तक सड़क निर्माण

647. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कहां-कहां सड़क बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं?

(2) क्या सरकार हाथीपुरा से बावड़ी का बास तथा नईनाथ से बस्सी कृषि उपज मण्डी तक, उक्त योजना में शीघ्र सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो अब कब तक कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जिला जयपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क बनाने के लिये जिला परिषद् से एवं अन्य जन प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव क्रमशः परिशिष्ट-1 व 2 में प्रस्तुत है।

(2) हाथीपुरा से बावड़ी का बास सड़क की कुल लम्बाई 4 किमी. है। उक्त 4 किमी. मे से हाथीपुरा से मून्दुरूपपुरा तक (1.50 किमी.) डामर सड़क

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

बनी हुई है तथा शेष 2.50 किमी. में आम कच्चा रास्ता है। चूंकि दोनों ग्राम हाथीपुरा व बावड़ी का बास पृथकतः सड़क से जुडे हुए हैं, अतः इस 2.5 किमी. कच्चे रास्ते का डामरीकरण वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है। इस सड़क का निर्माण उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

बस्सी तुंगा सड़क (मण्डी यार्ड के पास) से नई का नाथ महादेव मन्दिर तक सड़क की कुल लम्बाई 8.10 किमी. है। इस लम्बाई में से 5.90 किमी. लम्बाई में सड़क का निर्माण (दो टुकडों में) वर्ष 1991-1996 तक कृषि विपणन बोर्ड द्वारा करवाया जा चुका है। शेष 2.20 किमी. लम्बाई में सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति कृषि विपणन निदेशालय के द्वारा वर्ष 2008-09 में राशि रु. 73.00 लाख जारी की गई थी। जिसमें से 0.25 किमी. लम्बाई में डब्ल्यू.बी.एम. का आंशिक कार्य माह मार्च-09 तक कर दिया गया था, शेष सड़क एक एलाइनमेंट वन विभाग की भूमि में होने के कारण विभाग द्वारा निर्माण कार्य बन्द करवा दिया गया। वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन कार्यवाही प्रगति में है। तदनुसार ही सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के विकास हेतु प्रस्तावित योजनाएं

648. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कौन-कौन से राजकीय भवन/सड़कें हैं? क्या उक्त की देख-रेख का दायित्व अथवा स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में किस-किस सड़क पर वर्तमान में क्या-क्या कार्य प्रगति पर हैं तथा क्या-क्या विकास योजनाएं प्रस्तावित हैं? क्या सरकार सड़कों को चौड़ा करने, उनकी मरम्मत कराने तथा पेवरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौन सी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में 762 राजकीय भवन एवं 116 सड़कें हैं। उक्त भवनों में से 2 भवनों का स्वामित्व एवं रख-रखाव का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है तथा 15 भवनों का स्वामित्व सम्बन्धित विभागों का एवं रख-रखाव का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है। शेष 745 राजकीय भवनों का स्वामित्व एवं रख-रखाव का दायित्व सम्बन्धित विभाग के हैं। इन सभी राजकीय भवनों का विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना की 116 सड़कों में से 90 सड़कों का स्वामित्व एवं रख-रखाव का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है तथा 26 सड़कों का स्वामित्व एवं रख-रखाव का दायित्व राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का है। इन सड़कों का विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में 11 सड़कें कार्य प्रगति पर हैं जिनमें से 9 सड़क कार्य 102.60 कि.मी. लम्बाई में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एवं 2 सड़क कार्य 1.90 कि.मी. लम्बाई राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कराये जा रहे हैं। विवरण परिशिष्ट-3 में प्रस्तुत है।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में विभिन्न योजनाओं में 80.74 कि.मी. लम्बाई में सड़क कार्य प्रस्तावित हैं, इनमें से 73.34 कि.मी. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य कराये जाना प्रस्तावित है। 7.4 कि.मी. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित है। पूर्ण विवरण परिशिष्ट-4 में प्रस्तुत है।

जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की प्रतिवर्ष उपलब्ध संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत की जाती है। सड़कों का चौड़ाईकरण मानदण्ड अनुसार, यातायात गणना के आधार पर तथा नवीनीकरण निर्धारित सामयिक नवीनीकरण चक्र के आधार पर एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(3) विधानसभा क्षेत्र डेगाना में क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-5 में प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

डग विधान सभा क्षेत्र में गांगरेन बांध निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

649. श्री मदनलाल वर्मा (डग) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मदनलाल वर्मा)

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में कुल कितने बांधों का निर्माण वर्तमान में चल रहा है? क्या किन्हीं व्यक्तियों को अवाप्त की गई कृषि भूमि के पेटे अब तक मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो उसमें मानदण्ड क्या रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जो काश्तकार अपनी जमीन की सिंचाई नदी/नाले/तालाब के पानी से करता है और मुआवजा असिंचित भूमि मान कर दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि भाग एक में दर्शाई गई भूमि के बेचान पर उन्हें सिंचित भूमि माना जाकर मुद्रांक शुल्क वसूला जाता है? क्या सरकार ऐसी भूमि को सिंचित भूमि मानकर मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार गांगरेन बांध निर्माण हेतु जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई है, उन्हें मुआवजा देते समय नदी/नाले/तालाब से सिंचित भूमि को सिंचित भूमि मानकर मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में वर्तमान में निम्नलिखित 4 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं में अवाप्त की गई कृषि भूमि का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को दिया गया है।

1. गागरीन मध्यम सिंचाई परियोजना।
2. पिपलाद मध्यम सिंचाई परियोजना।
3. रेवा लघु सिंचाई परियोजना।
4. भीमनी लघु सिंचाई परियोजना।

इन परियोजनाओं हेतु अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा, भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अनुसार भूमि की किस्म राजस्व विभाग द्वारा जारी जमाबन्दियों के अनुसार निर्धारित कर भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-23 के अनुसार धारा-4 के प्रकाशन के समय डी.एल.सी. दरों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया गया है, एवं डी.एल.सी. दरों में 30 प्रतिशत राशि सोलेसियम चार्जेज व धारा-4 के गजट में प्रकाशन से आवार्ड जारी करने की तिथि तक डी.एल.सी. राशि पर 12 प्रतिशत राशि अतिरिक्त दी गई है।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) जी हां। राज्य सरकार के नियमानुसार नदी/नाले/तालाब से सिंचित भूमि को असिंचित माना जाकर भुगतान किया जा रहा है क्योंकि नदी/नाले से की गई सिंचाई अस्थाई साधनों की श्रेणी में आती है। इसलिए सिंचित भूमि का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

(3) अन्तिम चौसाला खसरा गिरदावरी में जमीन की किस्म सिंचित दर्ज है तो सिंचित मानकर मूल्यांकन किया जाकर मुद्रांक शुल्क वसूला जाता है। ऐसी भूमियों को सिंचित भूमि मानकर मुआवजा भुगतान का प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(4) जी नहीं। क्योंकि सिंचित भूमि उसी भूमि को माना गया है जो स्थाई साधन जैसे निजी कुआं, बांध व नहरों द्वारा सिंचित है।

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के प्रथम चरण में निर्मित मोघों की मरम्मत/दुरुस्ती

650. श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के प्रथम चरण में बने मोघों की पुन: दुरूस्त/मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त मोघों की मरम्मत/दुरूस्ती पूर्व में भी कराई गई थी? क्या उक्त मोघों की पूर्व में कराई मरम्मत/दुरूस्ती ठीक नहीं थी? यदि हां, तो उक्त में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त मोघों की दुरूस्ती/मरम्मत कब तक करा दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में निर्धारित मात्रा से अधिक पानी ले रहे मोघों को दुरुस्त करने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है व दिनांक 31.05.2010 तक इन सभी मोघों को दुरुस्त किया जाना प्रस्तावित है।

(2) इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रथम चरण की नहरों के मोघों का दुरुस्त करने का अभियान के दौरान वर्ष 2005 में 28.03.2005 से

(जल संसाधन मंत्री)

05.04.2005 एवं 15.10.2005 से 21.11.2005 की अवधि में निर्धारित क्षमता से 50 प्रतिशत अधिक पानी लेने वाले 241 एवं 25 प्रतिशत से अधिक पानी लेने वाले 347 कुल 608 मोघो को दुरूस्त किया गया था। मोघा दुरूस्तीकरण के बाद विभिन्न तकनीकी कारण जैसे पूर्व में कमाण्ड रकबे को सी.सी.ए. में शामिल करना, एक चक से भूमि दूसरे चक में स्थानान्तरण, आदि के कारण कुछ मोघे पुनः दुरूस्त किये गये।

(3) अब मोघे दुरूसत करने के कार्यक्रम में निर्धारित मात्रा से अधिक पानी लेने वाले सभी मोघों को 31.05.2010 तक दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है।

चुनावों के दौरान कार्मिकों को देय भत्ता

651. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या निर्वाचन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लोकसभा, विधान सभा व अन्य चुनावों में मतदान दल ड्यूटी के कार्मिकों को मिलने वाले भत्तों में विरोधाभास है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार लोकसभा, विधान सभा व अन्य चुनाव में मतदान दलों में नियुक्त कार्मिकों को मिलने वाले भत्ते को एक समान दर से देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि लोकसभा, विधान सभा व पंचायत एवं स्थानीय निकायों के चुनावों में मतदान दल ड्यूटी के कार्मिकों को मिलने वाले दैनिक भत्तों में अन्तर है।

विधान सभा आम चुनाव, 2008 से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग से तत्समय प्रचलित भत्तों की दरों को करीब 3 गुना करने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा इसको दुगना करने की सहमति दी गई थी इसके आधार पर विधान सभा आम चुनाव 2008 में वित्त विभाग से अनुमोदन करवाकर मतदान कर्मियों को यात्रा भत्तों का भुगतान किया गया था।

लोकसभा आम चुनाव, 2009 में भारत निर्वाचन आयोग की अभिशंसा के आधार पर दैनिक यात्रा भत्तों की दरों का अनुमोदन वित्त विभाग से कराकर कार्मिकों को यात्रा भत्ता का भुगतान किया गया था। इसके पश्चात् होने वाले

(निर्वाचन राज्य मंत्री)

विधान सभा उप चुनावों में इसी दर पर यात्रा भत्तों का भुगतान किया किया गया है।

स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पादित कराये जाते हैं। इन संस्थाओं के आम चुनाव 2009-10 में कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी हेतु दैनिक यात्रा भत्ता की दरें राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 (यथा संशोधित) के आधार पर आयोग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(2) वर्तमान में निर्वाचन विभाग का सभी चुनावों में यात्रा भत्ता की दरों को एक समान करने का कोई विचार नही है, क्योंकि सभी चुनाव भिन्न-भिन्न समय पर होते हैं एवं प्रत्येक चुनाव से पूर्व मतदान दलों के कार्मिकों को भुगतान किये जाने वाले यात्रा भत्तों की दरें पृथक आयोगों/विभागों की अभिशंसा/प्रस्तावों पर राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा अनुमोदित की जाती है।

उदयपुर शहर में पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन

652. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2008 से 5 फरवरी, 2010 तक उदयपुर शहर में विधवा/वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन के कितने आवेदन उपखण्ड/तहसील कार्यालय में प्राप्त हुये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में से कितने व्यक्तियों को कितनी अवधि में पेंशन स्वीकृत की गई तथा कितने प्रकरण लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पेंशन आवेदन के निस्तारण की समय अवधि निश्चित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(4) अब उक्त लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जनवरी, 2008 से 5 फरवरी, 2010 तक उदयपुर शहर में विधवा/वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन के लिये उपखण्ड/तहसील कार्यालयों में प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची निम्नानुसार है :-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्र.सं.	पेंशन	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
1	विधवा	909
2	वृद्धावस्था	226
3	विकलांग	266
	योग	**1401**

(2) उक्त में से विधवा पेंशन के 413, वृद्धावस्था पेंशन के 52 एवं विकलांग पेंशन के 50 कुल 515 प्रकरणों में स्वीकृति जारी की गयी।

इनकी अवधि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। शेश 886 आवेदन पत्र निरस्त किये गये हैं। कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(3) राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के नियमों में प्रावधान अनुसार जहां तक सम्भव हो आवेदन पत्र प्राप्त होने के 1 माह की अवधि में सत्यापन एवं जांच पूर्ण करना अपेक्षित है। इसके पश्चात् शीघ्रतिशीघ्र पेंशन आदेश जारी किये जाते हैं।

(4) अब उक्त प्रकरणों में कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधवा पेंशन, वृद्ध, बेरोजगार, सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत देय पेंशन के बंद प्रकरण

653. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, बेरोजगार पेंशन बंद कर दी गई है? यदि हां, तो सरकार इसे पुनः कब तक चालू करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार गत एक वर्ष से बंद की गई उक्त पेंशन की राशि संबंधित व्यक्तियों को पुनः भुगतान करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 राजस्थान में लागू हैं तथा इन नियमों के तहत पात्र विधवा/वृद्धजनों को निरन्तर पेंशन स्वीकृत/दी जा रही है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

बेरोजगार पेंशन योजना के नाम से राज्य में कोई पेंशन योजना लागू नहीं है।

(2) गत एक वर्ष में कोई पेंशन योजना बंद नहीं की गई है।

उपकोषाधिकारी बयाना द्वारा पेंशन भुगतान में विलम्ब

654. श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2005-06 से 2008-09 में उपकोषाधिकारी, बयाना के समक्ष वृद्धावस्था, विधवा एवं अपाहिज पेंशन के कितने प्रकरण उपखण्डाधिकारी एवं विकास अधिकारी कार्यालय से स्वीकृत होकर प्राप्त हुए हैं? पेंशनवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपकोषाधिकारी, बयाना द्वारा स्वीकृति की तारीख से उक्त पेंशनरों को भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या पेंशन स्वीकृति दिनांक एवं भुगतान करने की दिनांक के बीच की रकम का भुगतान पेंशनों को दे दिया गया है? यदि नहीं, तो उक्त में दोषी उपकोषाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक उपकोषाधिकारी बयाना को प्राप्त स्वीकृत पेंशनवार सूची निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	श्रेणी पेंशन	प्राप्त पेंशन स्वीकृतियों की संख्या			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	वृद्धावस्था	159	222	224	190
2.	विधवा	149	195	188	215
3.	विकलांग	15	23	41	24
	योग	**323**	**440**	**453**	**429**

(2) उप कोषाधिकारी बयाना ने पेंशन स्वीकृति दिनांक से भुगतान न कर कोषाधिकारी भरतपुर से पेंशन भुगतान आदेश प्राप्त होने वाले माह से भुगतान किया है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) पेंशन स्वीकृति दिनांक एवं भुगतान करने की दिनांक की अन्तर राशि का उपकोषाधिकारी बयाना द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। प्रकरण ध्यान में आते ही कोषाधिकारी, भरतपुर द्वारा पेंशन स्वीकृति दिनांक एवं भुगतान दिवस की अन्तर राशि का भुगतान शीघ्र करने के आदेश जिला कोषाधिकारी के पत्र क्रमांक 74 दिनांक 06.03.2010 द्वारा उपकोषाधिकारी बयाना को दिये हैं।

भुगतान नहीं करने वाले तत्कालीन उपकोषाधिकारी श्री विश्राम सिंह को जिला कलक्टर, भरतपुर के पत्र क्रमांक 1597 दिनांक 08.03.2010 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

राजकीय अम्बेडकर छात्रावास छोटी खाटू का भवन निर्माण

655. श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय अम्बेडकर छात्रावास छोटी खाटू के भवन का निर्माण 5 किलोमीटर दूरी पर बनाये जाने के लिए किन अधिकारियों को दोषी पाया गया है?

(2) क्या यह सही है कि छोटी खाटू के छात्रावास भवन को किसी अन्य राजस्व गांव क्षेत्र में बना दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि राजकीय अम्बेडकर छात्रावास मौलासर में अनुदानित छात्रावास डीडवाना में अपर्याप्त भवन सुविधा है? यदि हां, तो कितनी एवं कब से?

(4) क्या सरकार छोटी खाटू के भवन निर्माण को 5 किलोमीटर दूर मिनी रेवन्यू विलेज में निर्माण कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर मौलासर छात्रावास के लिए पर्याप्त भवन सुविधा निर्माण स्वीकृति जारी करने व सभी सुविधायें उपलब्ध कराने और प्रत्येक छात्रावास के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजकीय अम्बेडकर छात्रावास छोटी खाटू का भवन निर्माण वर्ष 2006-07 में करवाया गया था। छात्रावास भवन राजकीय उच्च माध्यमिक वियालय छोटी खाटू से 1.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस प्रकरण में अभी तक किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) यह सही है कि छात्रावास भवन अन्य राजस्व गांव में बनाया गया है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा खसरा नम्बर 1693/1533 किस्म गैर मुमकिन टीला में से 3 बीघा भूमि छात्रावास हेतु आबंटित की गई थी। परन्तु अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डीडवाना द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त आबंटित भूमि निर्माण योग्य नहीं है। तत्पश्चात् दानदाता श्री मानाराम एवं धन्नाराम के द्वारा छात्रावास के भवन निर्माण हेतु ग्राम कोडिया ग्राम पंचायत नावां के राजस्व सरहद में खसरा नं. 120 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा भूमि में से 1.10 बीघा भूमि राज्य सरकार के हक में दिनांक 18.11.2006 को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को समर्पित की और इसी भूमि पर छात्रावास निर्माण किया गया।

(3) राजकीय अम्बेडकर छात्रावास मोलासर की स्वीकृत क्षमता 25 छात्रों की है एवं अनुदानित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास डीडवाना की स्वीकृत संख्या 50 छात्रों की है जिनके लिये भवन सुविधा पर्याप्त है।

(4) राजकीय अम्बेडकर छात्रावास छोटी खाटू के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्न संख्या 2 के जवाब में उल्लेखित कारणों के अनुसार निर्माण कराये जाने के कारण कोई अधिकारी दोषी नहीं है तथा वर्तमान में राजकीय अम्बेडकर छात्रावास मोलासर के छात्र स्वीकृत क्षमता के अनुरूप भवन पर्याप्त है। राजकीय अम्बेडकर छात्रावास छोटी खाटू एवं मोलासर में नियमित स्वीकृत पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं व शेष पदों पर नियमानुसार अंशकालीन/संविदा के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं एवं अनुदानित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास डीडवाना में स्टाफ संस्था का स्वयं का होता है।

जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के आरक्षित वर्ग के गांवों हेतु विकास योजना

656. **श्री गोपाल मीणा** (जमवारामगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग की बस्ती/गांव (जिनमें वर्ग विशेष की आबादी है) किस-किस ग्राम पंचायत में हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग की बस्तियों/गांवों के विकास के लिये विशेष कार्य-योजना

(श्री गोपाल मीणा)

है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत के किस-किस गांव के लिये व क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त वर्गों की बस्तियों/गांवों जिनमें केवल मात्र इन्हीं वर्गों की आबादी है, के लिये विशेष कार्य-योजना बनाकर इनके विकास के लिये ग्राम पंचायतों को विशेष अनुदान/राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस योजना में तथा किस-किस ग्राम पंचायत को किस-किस गांव/बस्ती के लिये कितनी-कितनी राशि व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायत फूटोलाव में राधागोविन्दपुरा जो कि पंचायत मुख्यालय से करीब 7-8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, केवल मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्ती/गांव है?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है?

(6) क्या सरकार उक्त गांव में अनुसूचित जाति की आबादी को देखते हुये मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, चिकित्सा आदि सुविधाओं हेतु ग्राम पंचायत को विशेष अनुदान राशि उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी तथा कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती/गांव (जिनमें वर्ग विशेष की आबादी है) का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। पिछड़ा वर्ग के जनगणना संबंधी आंकड़े प्रकाशित नहीं किये जाते हैं।

(2) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में सम्बल ग्राम विकास योजनान्तर्गत आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने की योजना क्रियान्वित है।

(3) अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में विभाग द्वारा पूर्व में ही सम्बल ग्राम विकास योजना संचालित है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में 5.00 लाख रुपये तक की राशि आधारभूत सुविधाओं के लिए दिये जाने का प्रावधान है। सम्बल ग्रामों में कार्य कराये जाने के प्रस्ताव पंचायत समिति के माध्यम से तैयार होकर जिला परिषद को प्रस्तुत किये जाते हैं।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(6) सम्बल ग्राम योजनान्तर्गत एक वर्ष में एक चिन्हित सम्बल ग्राम में अधिकतम 5.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्य कराये जाते हैं। योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर कुल उपलब्ध राशि में से 75 प्रतिशत राशि जिलों की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में राशि उपलब्ध कराई जाती है। उपलब्ध राशि के विरुद्ध जिला कलक्टर द्वारा कार्य स्वीकृत कर कराये जाते हैं। कुल प्रावधान में से 25 प्रतिशत राशि राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पास आरक्षित रखी जाती है। उक्त राशि से राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर उपयुक्त प्रस्तावों को स्वीकृत किया जाकर संबंधित जिला परिषदों को कार्य कराये जाने हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है।

परिशिष्ट 'अ'

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम		ग्राम की जनसंख्या			
				कुल जनसंख्या	एससी	एसटी	अन्य
1	2		3	4	5	6	7
1	1. जमवारामगढ़	1	जमवारामगढ़	6638	2933	550	3155
2		2	मेदराजसिंहपुरा	1092	56	906	130
3	2. पापड़	1	पापड़	2167	510	1242	415
4		2	साउ	1094	0	872	222
5		3	सांउ सीरान	771	11	757	3
6	3. इन्द्रगढ़	1	इन्द्रगढ़	1574	515	598	461
7		2	चैनपुरावास साईवाड	21	0	21	0
8		3	कोल्याणा	1118	598	56	464
9		4	बादियावाला	564	67	460	37
10	4. नटाटा	1	नटाटा	3673	409	3024	240
11		2	अजबगढ़ उर्फ हांडी का वास	510	1	467	42

1	2		3	4	5	6	7
12	5. बासना	1	जिन्दों की ढाणी	390	0	390	0
13		2	पलीतों की ढाणी	349	0	349	0
14		3	छापर	684	0	504	180
15	6. लांगड़ियावास	1	लांगड़ियावास	1528	296	763	469
16		2	पालेडा	1354	62	699	593
17		3	मथुरादासपुरा	755	141	607	7
18		4	डांगरवाडा खुर्द	1387	62	1262	63
19	7. नायला	1	हरकिशनपुरा	1153	0	1023	130
20	8. गठवाडी	1	गठवाडी मीणा	849	0	692	157
21	9. टोडामीना	1	टोडामीना	3226	145	2309	772
22	10. राजपुरवास ताला	1	राजपुरवास ताला	1634	856	280	498
23	11. बिलोद	1	बिलोद	2231	244	1753	234
24		2	दन्ताला मीणा	1399	211	916	272
25		3	चैनपुरावास डेंडवाडी	342	67	266	9
26		4	डेडावाणी	191	0	107	84
27	12. माथासुला	1	माथासुला	1941	92	1019	830
28		2	भट्ट का वास	689	0	614	75
29	13. बहलोड	1	केला का वास	973	538	0	435
30		2	डूंगा का वास	457	256	20	181
31	14. महंगी	1	महंगी	1772	75	1043	654
32	15. भावनी	1	खरड	1179	133	577	469
33		2	श्री रामजीपुरा	0	0	0	0
34	16. सानकोटडा	1	सानकोटडा	2219	789	1307	123
35	17. रायपुर	1	जमवाघाट	523	55	430	38
36	18. थली	1	गुवाडा	452	9	439	4
37		2	सिंहपुरी	204	92	112	0
38		3	रायावाला	630	145	349	136
39	19. नीमला	1	हींगावाला	322	63	256	3
40		2	किलचपुरी	552	51	364	137

1	2		3	4	5	6	7
41		3	काली बरकडी	60	0	60	0
42		4	बस्सी	424	0	378	46
43		5	डगोता	1422	523	519	380
44		6	श्रीरामगोपालपुरा	641	52	334	255
45		7	श्रीनगर	854	20	718	116
46	20. फूटोलाव	1	राधागोविन्दपुरा	423	314	107	2
47	21. लालवास	1	बाढ़ रसूलपुरा	633	35	530	68
48	22. बिरासना	1	श्रीरामनगर	712	97	615	0
49	23. खरकडा	1	खरकड़ा	1737	1250	317	170
50		2	चकपालड़ी	256	42	209	5
51		3	गोठ की पट्टी	820	78	479	263
52	24. नेवर	1	खेडावास नेवर	813	170	643	0
53		2	सरजोली	2088	361	1200	527
54	25. धुलारावजी	1	हीरापुरा	501	0	333	168
55	26. मानोता	1	मानोता	982	216	412	354
56		2	मावपुरा	2275	54	1993	228
57		3	कानड़ियावास	931	29	602	0
58		4	डयोडा डूंगर	1346	69	1086	191
59		5	झोल	638	23	586	29
60	27. चावण्डिया	1	चावण्डिया	3902	919	1654	1329
61		2	रामपुरावास चावण्डिया	827	78	734	15
62	28. धामस्या	1	दौलतपुरा	1115	80	745	290
63		2	हुरेला	687	124	529	34
64		3	दादिया पट्टी	622	7	45	210
65		4	बाढ धामस्या	284	0	284	0
			कुल योग	**73300**	**14023**	**42875**	**16402**

श्री जैन रत्न उच्च माध्यमिक विद्यालय, भोपालगढ़ के छात्रों को देय छात्रवृत्ति

657. **श्रीमती कमसा मेघवाल** (भोपालगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के अनुदानित विद्यालय श्री जैन रत्न उच्च माध्यमिक विद्यालय, भोपालगढ़ में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के बालक/बालिकाओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया है? यदि हां, तो कितने छात्र किस-किस कक्षा में थे एवं कितने छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करवाया गया व कितने छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई तथा कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय ने छात्रवृत्ति हेतु बच्चों से आवेदन पत्र नहीं भरवाये? क्या सरकार उक्त प्रकरण में उक्त विद्यालय के दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्यालय स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के बालक/बालिकाओं को छात्रवृत्ति वितरण का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है।

गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में अनुदानित विद्यालय श्री जैन रत्न माध्यमिक विद्यालय, भोपलागढ़ में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक/बालिकाओं को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया गया है।

(2) प्रकरण की जांच करवाई जाकर दोषी पाये जाने पर संस्था के विरुद्ध नियमों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की जावेगी।

राजसमन्द जिले की महिला उद्यमियों को स्वीकृत ऋण

658. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमंद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से किस-किस योजना हेतु कितनी-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कितनी राशि का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कितनी महिलाओं को कितनी-कितनी राशि के ऋण उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया? ग्राम पंचायत व तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से जिन योजनाओं हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में वर्ष 2008-09 में राजसमन्द सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा 21 महिलाओं को राशि 55.84 लाख रु. एवं वर्ष 2009-10 में दिनांक 01.04.2009 से 31.01.2010 तक 19 महिलाओं को राशि 39.80 लाख रु. के ऋण उपलब्ध कराये गये हैं। ग्राम पंचायत व तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

बूंदी जिले में प्राकृतिक आपदा में मृतक को मुआवजा राशि

659. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) : क्या सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में दिनांक 15 जून, 2009 को तेज अंधड तूफान की प्राकृतिक आपदा से कई स्थानों पर जन हानि हुई है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बून्दी जिले में भी दिनांक 15 जून, 2009 को आये भयंकर तूफान के कारण, श्री औंकार पुत्र श्री प्रेमा कहार, निवासी दोइून्दा, तहसील हिण्डौली की अपने घर के टीन (चद्दर) तूफान, अंधड से उड़ने के कारण गरदन कट जाने से मृत्यु हुई? यदि हां, तो मृतक परिवार को प्राकृतिक आपदा मद से राशि उपलब्ध नहीं करवाये जाने के क्या कारण रहे?

(3) क्या मृतक परिवार को आर्थिक सहायता अब तक नहीं मिलने का कारण प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता रही है? यदि हां, तो सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(श्री प्रभुलाल सैनी)

(4) क्या सरकार मृतक परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिन जिलों में जनहानि हुई उनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) मृतक श्री औंकार पुत्र श्री पेमाकीर की आश्रित पत्नि को दिनांक 27.3.2010 को एक लाख रु. की राशि स्वीकृत कर दी गयी है।

(3) मृतक के आश्रित को सहायता दिये जाने में विलम्ब होने के कारणों की जानकारी की जा रही है।

(4) बिन्दु संख्या 2 के उत्तर के अनुसार।

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

दिनांक 15 जून, 2009 को आये अंधड़ तूफान से जिन जिलों में जनहानि हुई उसका जिलेवार विवरण

नाम जिला		जनहानि की संख्या
1	अजमेर	3
2	अलवर	3
3	भीलवाड़ा	3
4	बून्दी	1
5	जयपुर	1
6	जोधपुर	5
7	पाली	1
8	राजसमंद	2
9	सवाईमाधोपुर	1
10	टोंक	1
11	उदयपुर	3

विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) का निर्माणाधीन बस स्टैण्ड

660. श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सूरजभान)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु भूमि व बजट आबंटित है? यदि हां, तो लक्ष्मणगढ़ बस स्टैण्ड का निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़ को बस स्टैण्ड बाबत 15 बिस्वा भूमि दान में प्राप्त हुई जिस पर वर्ष 2006-07 में एम.एल.ए. लैड योजना अन्तर्गत 5.00 लाख रु. की राशि से मिट्टी भरवाकर तथा चारदिवारी का निर्माण कार्य करवाया हुआ है।

वर्तमान में राजस्थान परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण निगम का लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में बस स्टैण्ड बनाने का कोई विचार नहीं है? यदि ग्राम पंचायत स्वयं के वित्तीय संसाधनों से अथवा एम.एल.ए/एम.पी. लैड योजना अन्तर्गत बस स्टैण्ड का निर्माण करवाती है तो निगम इसे अपना बस स्टैण्ड घोषित करने पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर सकती है।

बीकानेर-दन्तौर-आनन्दगढ़ मार्ग पर बस सेवा का पुनः संचालन

661. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में बीकानेर-दन्तौर-आनन्दगढ़ मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बस संचालित की जा रही थी? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा उक्त मार्ग की बस सेवा को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त मार्ग पर पुनः बस सेवा चालू करवाकर जनता को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में बीकानेर-दन्तौर-आनन्दगढ़ मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बीकानेर आगार से माह मार्च 1996 से सितम्बर 2009 तक बस सेवा का संचालन रहा तथा

(यातायात मंत्री)

सरदारशहर आगार से माह सितम्बर 1996 से आज तक लगातार बस सेवा संचालन जारी है।

(2) जी नहीं। सरदारशहर आगार द्वारा उक्त मार्ग पर संचालन वर्तमान में भी किया जा रहा है। परन्तु बीकानेर आगार द्वारा संचालित बस सेवा का संचालन 01 अक्टूबर, 2009 से अत्यन्त कम आय प्राप्त होने व संचालन अलाभकारी होने के कारण बंद किया गया है।

(3) जनता की सुविधार्थ वर्तमान में सरदारशहर आगार द्वारा संचालित बस सेवा, उक्त मार्ग के यात्रियों को उपलब्ध हो रही है। बीकानेर आगार द्वारा संचालित की गई बस सेवा की प्राप्त आय एवं यात्रीभार अप्रैल, 09 से सितम्बर, 09 तक निम्न तालिका के अनुसार रहा है, जो अलाभकारी है, अतः फिलहाल इस सेवा को पुनः प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं है।

आय प्रति किमी एवं यात्रीभार	अप्रैल 09	मई 09	जून 09	जुलाई 09	अगस्त 09	सितम्बर 09	औसत
आय प्रति कि.मी. रु.	10.82	12.00	12.23	10.25	9.54	11.54	11.63
यात्रीभार प्रतिशत	48	53	54	46	42	54	49

कोटा शहर में नवीन मार्गों हेतु जारी परमिट

662. **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार कोटा शहर में स्वामी विवेकानन्द नगर, श्रीनाथपुरम, बसन्त विहार, शिवपुरा, चित्रकूट कालोनी, जीएडी क्वार्टर्स, संतोषी नगर, कल्पना चावला सर्किल, आरकेपुरम, विज्ञान नगर, किशनपुरा तकिया आदि नये क्षेत्रों के अन्दर नगरीय परिवहन सेवा के तहत नये रूट परमिट जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्य-योजना बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरीय परिवहन सेवा के तहत जिन क्षेत्रों के रूट परमिट जारी किये गये हैं, उन जारी किये गये रूट परमिट पर वाहन नहीं चलानों वालों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(श्री ओम बिरला)

(3) नगर निगम सीमा में शामिल किये गये गांवों के लिए नगरीय परिवहन सेवा से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्य-योजना बनाई गई है? क्या सरकार इन गांवों को परिवहन सेवा से जोड़ने हेतु कोई प्रस्ताव बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोटा शहर में स्वामी विवेकानन्द नगर, श्रीनाथपुरम, बसन्त विहार, शिवपुरा, जीएडी क्वार्टर्स, संतोषी नगर, कल्पना चावला सर्किल, आरकेपुरम, विज्ञान नगर, आदि नये क्षेत्रों के अन्दर नगरीय परिवहन सेवा के अन्तर्गत मार्ग खुले हुए हैं। नये रूट परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर परमिट जारी करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में कोई परमिट आवेदन लम्बित नहीं है।

कोटा शहर में चित्रकूट नामक कॉलोनी नहीं है जबकि किशनपुरा तकिया नगरीय परिवहन सेवा के मार्गों के अन्तर्गत नहीं है यह क्षेत्र अन्य श्रेणी के मार्ग के अन्तर्गत आता है।

(2) कोटा शहर में नगरीय परिवहन सेवा हेतु जिन क्षेत्रों के रूट परमिट जारी किए गए हैं, उन जारी किए गए रूट परमिट पर वाहन नहीं चलाने के संबंध में दोषी पाये जाने वाले परमिटधारियों के विरुद्ध मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 86 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(3) नगर निगम सीमा में शामिल किये गये नये गांवों को नगरीय परिवहन सेवा से जोड़ने हेतु सर्वेक्षण करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सर्वेक्षण उपरान्त ऐसे गांवों को नगरीय परिवहन सेवा से जोड़ने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

नसीराबाद के बस स्टैण्ड पर सुविधाएं

663. **श्री महेन्द्र सिंह** (नसीराबाद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टैण्डों पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री महेन्द्र सिंह)

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के बस स्टैण्डों पर वर्तमान में उक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो कब तक इन सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया जावेगा?

(3) नसीराबाद शहर के बस स्टैण्ड पर वर्तमान में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या सरकार उन्हें पर्याप्त मानती है? उक्त हेतु कब-कब सर्वे करवाया गया तथा उसकी क्रियान्विति आज तक क्यों नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब सरकार कब तक उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान परिवहन निगम के स्वयं के स्वामित्व के मुख्य बस स्टैण्डों पर मूलभूत यात्री सुविधाएं जैसे- यात्री शैड, बुकिंगघर, बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, पुरुष/महिला शौचालय एवं मूत्रालय, जलपान की सुविधा, दूरभाष सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है।

(2) जी हां। नसीराबाद बस स्टैण्ड पर वर्तमान में उक्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(3) जी हां। नसीराबाद बस स्टैण्ड पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई हुई हैं। बस स्टैण्ड नसीराबाद के नवीनीकरण के लिये वर्ष 2006 में प्रस्ताव तैयार किये गये थे। निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण एम.एल.ए. लैड योजना से राशि उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था। किन्तु सहयोग राशि प्राप्त नहीं होने के कारण प्रस्तावों पर क्रियान्विति नहीं हो पाई।

(4) निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर अथवा विभिन्न सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था से सहयोग राशि प्राप्त होने पर नवीनीकरण पर विचार किया जा सकता है।

भामाशाह कृषि उपज मण्डी कोटा द्वारा प्रस्तावित सड़कों की स्वीकृति

664. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भवानी सिंह राजावत)

(1) क्या यह सही है कि भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति कोटा के अधीन बनने वाली 24 करोड़ लागत की सम्पर्क सड़कों और मण्डी में यार्डों के लिए आठ माह पहले भेजे गये जनहित के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ऐसे प्रस्तावों पर त्वरित निर्णय हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा से प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में मण्डी समिति के पास तत्कालीन बजट उपलब्धता के आधार पर सड़कों हेतु राशि 558.64 लाख व मण्डी यार्ड हेतु राशि 842.27 लाख सहित कुल राशि रुपये 1400.91 लाख की स्वीकृति क्रमशः दिनांक 25.2.10 एवं 21.12.09 को जारी की जा चुकी है।

(2) मण्डी समितियों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षोपरांत निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर यथाशीघ्र स्वीकृति की जाती है।

कृषि उपज मण्डी समिति कुचामन सिटी की सब-यार्ड मण्डी

665. श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, कुचामन सिटी के अन्तर्गत सब-यार्ड मण्डी खोली गई? यदि हां, तो कहां-कहां पर और यहां कितनी लागत के कौन-कौन से कार्य कब करवाये गये?

(2) क्या इन सब-यार्ड मण्डियों में विपणन कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है? यदि हां, तो किन-किन व्यापारियों द्वारा व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि ये मण्डी यार्ड मुख्य बाजारों से काफी दूरी पर खोले गये हैं, जहां आवागमन व माल ढोने की सुविधा उपलब्ध नहीं है?

(4) क्या सरकार सब-यार्ड खोले जाने के उद्देश्य पूर्ति करने, विपणन कार्य के सुचारू संचालन का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार एवं कब तक?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, कुचामनसिटी के अधीन कुल पांच

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

सबयार्ड नावां, मकराना, परबतसर, बोरावड, गच्छीपुरा है। इनमें से केवल सबयार्ड गच्छीपुरा में निम्न निर्माण कार्य सम्पादित करवाए गए हैं, विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. स.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्य सम्पादित वर्ष	कुल लागत (लाखों में)
1	चारदिवारी	12.22	2000-01	11.81
2	जल व्यवस्था	7.50	2000-01	2.18
3	विद्युत पोल 6 नग	3.00	2000-01	0.05
4	गेट व चैकपोस्ट	1.86	2000-01	1.35
5	कार्यालय भवन	3.22	2000-01	2.30
6	आन्तरिक विद्युतीकरण कार्य ओवर हैड लाइन	3.00	2001-02	2.90
	योग	**30.80**		**20.59**

(2) पांचों पुराने घोषित सबयार्ड में विपणन कार्य चल रहा है। गच्छीपुरा नवनिर्मित गौणमण्डी यार्ड में व्यवसाय स्थानान्तरण हेतु व्यापारियों से भूखण्ड आबंटन हेतु आवेदन मांगे गये थे लेकिन व्यापारियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। व्यापारियों को भूखण्ड आबंटन कर नियमानुसार नवनिर्मित गौणमण्डी प्रांगण में व्यवसाय स्थानान्तरण कराया जावेगा।

(3) गच्छीपुरा मण्डी यार्ड गच्छीपुरा मुख्य बाजार से 1.5 कि.मी. दूर है तथा यातायात व ढोने के लिए सड़क से जुडा हुआ है।

(4) जी हां। व्यापारियों को भूखण्ड आबंटन कर नियमानुसार नवनिर्मित गौण मण्डी प्रांगण में व्यवसाय स्थानान्तरण कराया जावेगा।

बहरोड तहसील (अलवर) का प्रस्तावित सब-यार्ड

666. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील बहरोड (अलवर) में मण्डी यार्ड बनाई जा रही है? यदि हां, तो उक्त संबंध में आदेश कब पारित हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(2) उक्त मण्डी यार्ड निर्माण हेतु कितनी राशि की स्वीकृति कब जारी हुई? क्या उक्त निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है? यदि नहीं, तो अब कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बहरोड में मण्डी यार्ड का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। मण्डी यार्ड हेतु प्रारम्भ में 12.05 हैक्टेयर भूमि अवाप्त किये जाने हेतु धारा 4 की विज्ञप्ति 28.05.2005 एवं धारा 6 सहपठित धारा 17(1) की विज्ञप्ति 05 अक्टूबर, 2005 को जारी की गयी थी। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2006 को 4,07,84,906/- रुपये का अवार्ड पारित किया गया। मण्डी यार्ड हेतु वास्तविक भूमि की आवश्यकता का आंकलन करने के उपरान्त उक्त आवाप्त की जा रही भूमि में से 2.50 हैक्टेयर भूमि ही यार्ड हेतु लेने का निर्णय किया गया। भूमि आवाप्ति अधिकारी द्वारा 2.50 हैक्टेयर का संशोधित आवार्ड रुपये 85,47,301/- का दिनांक 31.12.2007 को जारी किया गया। उक्त संशोधित अवार्ड की राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 31.07.08 को जमा करवाई जा चुकी है। भूमि का कब्जा अभी तक मण्डी समिति को नहीं दिया गया है।

(2) बहरोड मण्डी यार्ड निर्माण हेतु अभी तक कोई राशि की स्वीकृति जारी नहीं हुई हैं। भूमि का कब्जा प्राप्त होने पर मण्डी निर्माण की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

कृषि उपज मण्डी, बीकानेर का कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटा

667. **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बीकानेर फल-सब्जी एवं ऊन मण्डी/कृषि उपज मण्डी द्वारा बीकानेर के काश्तकारों की सुविधा हेतु कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटा लगाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त कांटा लगाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

(2) फल-सब्जी मण्डी में धर्म-कांटा की जगह आबंटन करने के बावजूद भी धर्मकांटा नहीं लगाने के क्या कारण हैं?

(3) क्या बोर्ड उक्त देनों मण्डियों में शीध्र ही धर्मकांटा लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर (अनाज) में वर्ष 2007-08 से कम्प्यूटराइज्ड धर्मकांटा स्थापित हो चुका है एवं कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर (फल सब्जी व ऊन) के फल सब्जी मण्डी यार्ड में धर्म कांटा लगाने के लिए दिनांक 25.1.08 को निविदाएं आमंत्रित की गईं। प्राप्त निविदाओं में मै. अश्वनी कुमार पुत्र श्री रामनिवास मिर्धा बीकानेर की राशि उच्चतम रही इन निविदाओं का कृषि विपणन निदेशालय द्वारा दिनांक 28.7.08 को स्वीकृति प्रदान की गई। फर्म ने दिनांक 30.3.2009 को निमयानुसार धरोहर राशि जमा कराई। कम्प्यूटराइज्ड धर्मकांटा लगाने हेतु एक कमरा व एप्रोच रोड मण्डी समिति को निर्मित कराना है, इसकी स्वीकृति हेतु निदेशालय को 3.12.09 को प्रस्ताव प्रेषित किये। वांछित स्वीकृति दिनांक 15.03.2010 को दे दी गई है। अब मण्डी समिति द्वारा कराये जाने वाला उक्त निर्माण कार्य करवाये जाने पर धर्मकांटा आबंटी द्वारा धर्मकांटा स्थापित किया जावेगा।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर (फल सब्जी व ऊन) में धर्मकांटा हेतु मण्डी समिति द्वारा अपेक्षित निर्माण एक कमरा एवं एप्रोच रोड की स्वीकृति दिनांक 15.03.2010 को दी गई है। इस कारण मण्डी समिति द्वारा अपेक्षित निर्माण नहीं हो पाने से लम्बित रहा है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर (अनाज) में वर्ष 2007-08 में कम्प्यूटराइज्ड धर्मकांटा स्थापित हो चुका है एवं कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर (फल सब्जी व ऊन) में मण्डी समिति द्वारा वांछित बजट प्रावधान दिनांक 15.03.2010 को स्वीकृति दे दी गई है। अब मण्डी समिति अपेक्षित निर्माण होने पर धर्मकांटा आबंटी से स्थापित कराया जा सकेगा।

उदयपुर कृषि उपज मण्डी द्वारा प्रस्तावित सड़कें

668. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में जिला उदयपुर में कृषि मण्डी द्वारा सड़कों का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां, कितनी-कितनी दूरी की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों का रख-रखाव कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस तरह, किस एजेन्सी द्वारा व नहीं, तो क्यों?

(श्रीमती सज्जन कटारा)

(3) क्या सरकार नई सड़कों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां, कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। गत पांच वर्षो में जिला उदयपुर में कृषि मण्डियों द्वारा 27 सड़कों का 99.05 कि.मी. दूरी का निर्माण करवाया गया है। सूची परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(2) जिला उदयपुर में मण्डी समिति उदयपुर के क्षेत्र में निर्मित सड़कों का रख-रखाव गत दो वर्षों से मण्डी समिति के पास उपलब्ध राशि के अनुसार किया जा रहा है। मण्डी समिति फतेहनगर क्षेत्र में निर्मित सड़कों का रख – रखाव बजट स्वीकृति के अभाव में नहीं किया गया है।

(3) नई सड़कों की स्वीकृति मण्डी समिति के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रपत्र 'अ'

गत पांच वर्षों में जिला उदयपुर में कृषि मण्डियों द्वारा निर्मित सड़कों की सूची

क्र. सं.	कृ.उ.म.स. का नाम	सड़क का नाम	विधान सभा क्षेत्र	निर्मित लम्बाई (किमी.)	निर्मित वर्ष	वर्तमान स्थिति
1	उदयपुर	मि.लि. अरबदा से पारेल	लसाडिया	1.00	2005-06	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रखरखाव किया गया है
2	उदयपुर	मि.लि. भबराणा से जोधपुर	लसाडिया	4.00	2005-06	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रखरखाव किया गया है
3	उदयपुर	मि.लि. खोलडी जेताणा वाया कराकलां	लसाडिया	6.00	2005-06	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रखरखाव किया गया है
4	उदयपुर	मि.लि. गरडा से चरनिया	लसाडिया	2.80	2007-08	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रखरखाव किया गया है
5	उदयपुर	मि.लि. झाडोल से गोगुंदा	गोगुंदा	4.20	2004-05	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रखरखाव किया गया है
6	उदयपुर	मि.लि. टोकर से पण्डियावाला	सलूम्बर	5.50	2004-05	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रखरखाव किया गया है
7	उदयपुर	मि.लि. खरबड से निम्बोदा	सलूम्बर	5.00	2004-05	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रखरखाव किया गया है

क्र. सं.	कृ.उ.म.स. का नाम	सड़क का नाम	विधान सभा क्षेत्र	निर्मित लम्बाई (किमी.)	निर्मित वर्ष	वर्तमान स्थिति
8	उदयपुर	मि.लि. गोलमह्ढा से घोडासर पंचायत भवन	सलूम्बर	2.20	2004-05	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रखरखाव किया गया है
9	उदयपुर	मि.लि. मिडिल स्कूल नठारा से बडा चौराहा	सलूम्बर	3.00	2004-05	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रखरखाव किया गया है
10	उदयपुर	मि.लि. सराडा से बलुआ	सलूम्बर	1.00	2004-05	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रखरखाव किया गया है
11	उदयपुर	मि.लि. बलिचा से पाटिया	खेरवाड़ा	3.90	2004-05	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रखरखाव किया गया है
12	उदयपुर	मि.लि. कनबई से मह्वास	खेरवाड़ा	4.20	2004-05	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रखरखाव किया गया है
13	उदयपुर	मि.लि. नीलगिरी से कटेव	खेरवाड़ा	1.20	2004-05	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रखरखाव किया गया है
14	उदयपुर	मि.लि. खेरवाड़ा से जवास सुवेरी रोड	खेरवाड़ा	2.50	2004-05	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रखरखाव किया गया है
15	उदयपुर	मि.लि. मादड़ी से सागवाड़ा	फलासिया	2.00	2004-05	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रखरखाव किया गया है

क्र. सं.	कृ.उ.म.स. का नाम	सड़क का नाम	विधान सभा क्षेत्र	निर्मित लम्बाई (किमी.)	निर्मित वर्ष	वर्तमान स्थिति
16	उदयपुर	मि.लि. मादड़ी से फलासिया	फलासिया	6.25	2004-05	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रखरखाव किया गया है
17	उदयपुर	मि.लि. पीपलवाड़ा से बाबलवाड़ा	फलासिया	4.00	2004-05	वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रखरखाव किया गया है
18	उदयपुर	मि.लि. मण्डावल से गुजरात बोर्डर	फलासियां	1.60	2004-05	पहाड़ी क्षेत्र, माइनिंग के भारी वाहन आवागमन के कारण उपलब्ध स्वीकृति में पूरी सड़क का पैच कार्य नहीं कराया जा सका। अतः वर्तमान में शेष भागों में भी पैच कार्य की आवश्यकता है।
19	उदयपुर	मि.लि. झालों का गुडा से मेन दरवाजा वाया सेलु छापर	उदयपुर ग्रामीण	9.70	2004-05	
20	फतेहनगर	मि.लि. भोपालखेडा से हमेरापुरा	वल्लभनगर	1.00	2005-06	बजट स्वीकृति के अभाव में रख-रखाव कार्य नहीं किया गया है
21	फतेहनगर	मि.लि. फतहनगर से धारता वल्लभनगर रोड	वल्लभनगर	9.50	2005-06	बजट स्वीकृति के अभाव में रख-रखाव कार्य नहीं किया गया है
22	फतेहनगर	मि.लि. नीलडी से कुण्डाई	वल्लभनगर	3.50	2005-06	बजट स्वीकृति के अभाव में रख-रखाव कार्य नहीं किया गया है
23	फतेहनगर	मि.लि. भटेवर से मोडी	वल्लभनगर	5.00	2005-06	बजट स्वीकृति के अभाव में रख-रखाव कार्य नहीं किया गया है

क्र. सं.	कृ.उ.म.स. का नाम	सड़क का नाम	विधान सभा क्षेत्र	निर्मित लम्बाई (किमी.)	निर्मित वर्ष	वर्तमान स्थिति
24	फतेहनगर	मि.लि. वाना से बांसड़ा	वल्लभनगर	4.85	2005-06	बजट स्वीकृति के अभाव में रख-रखाव कार्य नहीं किया गया है
25	फतेहनगर	मि.लि. किकावास	वल्लभनगर	1.40	2008-09	संवेदक की रखरखाव दायित्व अवधि में है
26	फतेहनगर	मि.लि. नामरी	मावली	2.50	2007-08	संवेदक की रखरखाव दायित्व अवधि में है
27	फतेहनगर	मि.लि. सालेरा कला	मावली	1.25	2008-09	संवेदक की रखरखाव दायित्व अवधि में है
				99.05		

प्रदेश में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा कार्मिकों की नियुक्ति

669. श्री पेमाराम (धोद) : क्या गृह रक्षा व नागरिक रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं गुजरात राज्यों की भांति राज्य के गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा कर्मियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार होम गार्डस को स्थाई नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। होमगार्ड स्वयं सेवी संगठन है जिसमें होमगार्डस एक्ट 1963 के अन्तर्गत स्वयं सेवकों का एनरोलमेन्ट किया जाता है। स्वयं सेवकों को आवश्यकतानुसार ड्यूटी पर बुलाया जाता है एवं वास्तविक कार्य दिवसों का भुगतान किया जाता है। होमगार्ड स्वयं सेवक राज्य सरकार के कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-369)

परिशिष्ट-क

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित करने सम्बन्धी आधार

1. दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय: प्रजातियों के पक्षियों को आवासीय स्थली- सफेद साइबेरियन सारस का पाया जाना एवं बड़ी संख्या में विभिन्न जलीय प्रजातियों के पक्षियों का वर्षा ऋतु में प्रजनन कर हैरोनरी बनाना।
2. देश में राष्ट्रीय उद्यान स्तर की एक मात्र नमभूमि स्थल होना तथा रामसर साइट होना।

परिशिष्ट 'ख'

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FOREST

M. B. LAL
ADDL. DIRECTOR GENERAL OF FORESTS (WL)
Tel : 011-24363247
Fax : 011-24364790
D.O. 4-16/2008 WL-I

Dear

The 33rd Session of the World Heritage Committee was held in Seville, Spain, From 22nd to 30th June 2009. During the meeting discussions were held on issues on Keoladeo Heritage Site also. The Committee has requested the State Party to ensure that the infrastructure requirements necessary to ensure the needs of the property for water supply are completed in 2009. it also requested to conduct a detailed study of the trends in biodiversity values of the property including time series data. The committee has, however, categorically mentioned that in the absence of substantial progress, the site may be listed as World Heritage in Danger.

A copy of the extracts of the decisions for Keoladeo in enclosed would requested you to kindly take necessary action for submitting a details report to the Ministry for onward transmission to UNESCO, before the prescribed deadline.

Yours sincerely

Shr, R. N. Mehrotra,
PCCF & Chief Wildlife Warden
Government of Rajasthan,
Jaipur

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-370 का विवरण)

परिशिष्ट-1

निगम में संविदा के आधार पर आगारवार कार्यरत चालकों की सूचना

माह अगस्त, 09 से जनवरी, 2010 तक

क्र. सं.	आगार का नाम	अगस्त, 09	सितम्बर, 09	अक्टूबर, 09	नवम्बर, 09	दिसम्बर, 09	जनवरी, 10
1.	अजयमेरू	43	43	43	41	40	70
2.	अजमेर	27	27	27	27	27	27
3.	ब्यावर	28	28	28	41	40	33
4.	भीलवाड़ा	20	20	20	20	20	20
5.	सीबीएस अजमेर	00	00	00	00	00	00
6.	डीडवाना	33	33	33	32	32	32
7.	नागौर	16	16	16	16	27	25
8.	अलवर	25	25	25	32	32	32
9.	भरतपुर	07	07	07	07	07	14
10.	धौलपुर	08	08	08	06	06	06
11.	हिण्डौन	11	11	11	20	21	19
12.	लोहागढ़	03	03	03	02	01	01
13.	मत्स्यनगर	24	24	24	24	24	24
14.	तिजारा	15	15	15	16	17	18
15.	अनूपगढ़	08	08	08	08	08	08
16.	बीकानेर	40	40	40	38	37	36
17.	चूरू	33	33	33	29	30	29
18.	गंगानगर	00	00	00	19	17	17
19.	हनुमानगढ़	15	15	15	15	15	15
20.	झुंझुनूं	24	24	24	24	24	24
21.	खेतड़ी	25	25	25	29	24	22
22.	सरदारशहर	40	40	40	40	40	40
23.	श्रीमाधोपुर	28	28	28	29	29	29

क्र. सं.	आगार का नाम	अगस्त, 09	सितम्बर, 09	अक्टूबर, 09	नवम्बर, 09	दिसम्बर, 09	जनवरी, 10
24.	सीकर	17	17	17	17	17	17
25.	डीलक्स	02	02	02	02	02	02
26.	सीबीएस जयपुर	00	00	00	00	00	00
27.	दिल्ली	00	00	00	00	00	00
28.	दौसा	1	1	1	14	14	14
29.	जयपुर	26	26	26	24	30	30
30.	कोटपूतली	72	72	72	57	57	61
31.	वैशालीनगर	12	12	12	12	11	12
32.	झालानाडूंगरी	02	02	02	02	02	02
33.	सांगानेर	32	32	32	44	40	42
34.	विद्याधर नगर	20	20	20	20	22	16
35.	आबूरोड	34	34	34	32	30	30
36.	बाड़मेर	00	00	00	00	00	00
37.	फालना	13	13	13	15	15	16
38.	जालौर	34	34	34	34	34	34
39.	जोधपुर	14	14	14	19	15	21
40.	पाली	23	23	23	22	22	24
41.	फलौदी	22	22	22	22	23	23
42.	सिरोही	05	05	05	05	05	05
43.	बारां	15	15	15	15	15	17
44.	बूंदी	20	20	20	20	20	17
45.	झालावाड़	07	07	07	14	14	14
46.	कोटा	27	27	27	27	27	27
47.	टोंक	12	12	12	08	06	09
48.	अहमदाबाद	00	00	00	00	00	00
49.	बांसवाड़ा	28	28	28	28	28	28
50.	चित्तौड़गढ़	11	11	11	10	10	10
51.	डूंगरपुर	10	10	10	12	12	12
52.	उदयपुर	21	21	21	23	23	21
	कुल योग	**967**	**967**	**967**	**1013**	**1012**	**1015**

परिशिष्ट-2

State of Bus Agent Month wise (Depot wise)

S. No.	Name of Depot	Aug. 09	Sept. 09	Oct. 09	Nov. 09	Dec. 09	Jan. 10
1.	Aburoad	16	-	12	21	13	-
2.	Ajaymeru	-	-	-	-	-	-
3.	Ajmer	-	19	-	-	-	-
4.	Alwar	-	-	-	-	-	03
5.	Anopgarh	06	06	06	05	05	05
6.	Banswara	15	15	16	15	15	20
7.	Baran	20	22	11	17	12	16
8.	Barmer	01	01	01	01	01	-
9.	Beawar	03	1	02	04	04	04
10.	Bharatpur	19	17	13	14	-	-
11.	Bhilwara	07	09	12	15	11	11
12.	Bikaner	07	26	11	23	13	15
13.	Bundi	-	05	-	-	-	06
14.	Chittor	16	21	21	19	15	11
15.	Churu	24	19	22	27	19	24
16.	Dausa	14	19	15	20	-	14
17.	Deluxe	-	-	-	-	-	-
18.	Dholpur	-	-	-	-	-	-
19.	Didwana	09	10	05	12	11	10
20.	Dungarpur	12	12	10	13	13	08
21.	Falna	05	06	07	07	05	06
22.	Ganga nagar	17	17	16	16	15	17
23.	Hanu. garh	-	-	-	03	-	-
24.	Hindaun	06	13	12	13	09	07
25.	Jaipur	-	-	-	-	-	-
26.	jalore	04	17	13	13	14	14
27.	Jhalana	36	37	32	35	36	33

S. No.	Name of Depot	Aug. 09	Sept. 09	Oct. 09	Nov. 09	Dec. 09	Jan. 10
28.	Jhalawar	20	36	30	41	30	30
29.	Jhunjuhunu	16	18	16	21	22	20
30.	Jodhpur	33	39	33	39	38	30
31.	Khetri	15	15	16	14	14	09
32.	Kota	41	42	41	39	38	21
33.	Kotputli	57	52	56	63	58	52
34.	Lohagarh	14	18	14	24	18	20
35.	Mty. Nagar	-	03	-	-	-	-
36.	Nagaur	14	27	06	-	21	24
37.	Pali	16	16	07	15	12	12
38.	Phalodi	07	09	07	06	09	07
39.	Sanganer	47	52	60	49	51	46
40.	S. Sahar	15	14	12	14	16	14
41.	Sikar	05	11	06	06	04	02
42.	Sirohi	-	10	07	-	-	-
43.	Sri Madhopur	32	37	37	36	35	36
44.	Tijara	15	13	10	11	11	09
45.	Tonk	06	10	06	09	07	09
46.	Udaipur	28	24	28	29	23	23
47.	Vaishali	01	-	01	01	01	01
48.	Vidhyadhar	20	25	37	22	20	14
49.	Delhi	-	-	-	-	-	-
50.	Ahmedabad	-	-	-	-	-	-
51.	CBS Jaipur	-	-	-	-	-	-
52.	CBS Ajmer	-	-	-	-	-	-
	Total	**639**	**763**	**667**	**732**	**639**	**603**